दश माला, खंड 9, अंक 15

सोमवार, 15 मार्च, 1999

24 फाल्गुन, 1920 (शक)

F. C

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)



(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

MISSING X10
16,18

विषय-सूची

द्वादश माला, खंड–9, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)
अंक 15, सोमवार, 15 मार्च, 1999/24 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1–2
वियतनाम से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत		2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या *	261 से 263	4–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	264 से 280	27–86
अतारांकित प्रश्न संख्या	2739 से 2968	85–364
सभा पटल पर रखे गये पत्र		365–371
राज्य सभा से संदेश		372
संचार संबंधी स्थायी समिति		372
नौवें से ग्यारहवां प्रतिवेदन		
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति		372
बीसवां प्रतिवेदन		
मंत्री द्वारा वक्तव्य ...		... 373–375
मुम्बई अपतट में गैस फील्ड में आग		
श्री बाझापडी के. राममूर्ति		
दिल्ली में झुग्गी बस्ती में भीषण आग के बारे में		375–395
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	...	400–410
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		400–409
श्रीमती सुषमा स्वराज		409
नियम 377 के अधीन मामले	...	411–416
(एक) कानपुर में गंगा बैराज परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
श्री जगतवीर सिंह द्रोण ...		411

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के युवकों को सेना में भर्ती के लिए दी जा रही छूटों को जारी रखने की आवश्यकता	
	श्री बची सिंह रावत 'बचदा' ...	411–412
(तीन)	कुडा और धागंधा के बीच रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती भावना कर्दम दवे	412
(चार)	उत्तर प्रदेश में दातागंज और बेलाडंडी के बीच रामगंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजवीर सिंह ...	412–413
(पांच)	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के शिक्षण संवर्ग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी. जी. आई. के शिक्षण संवर्ग के समकक्ष समझे जाने की आवश्यकता	
	डॉ. शकील अहमद	413
(छह)	आसनसोल दूरदर्शन रिले केन्द्र पश्चिम बंगाल से दूरदर्शन के दूसरे चैनल के प्रसारण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री विकास चौधरी	413–414
(सात)	आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हरीशचन्द्रपुरम रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता	
	श्री के. येरननायडू	414
(आठ)	नई आर्थिक नीति के कारण उत्पन्न एच. एम. टी. एककों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री वी. वी. राघवन ...	414–415
(नौ)	स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में हरियाणा के रोहनाल गांव में एक स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेन्द्र सिंह ...	415–416
केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक	...	416–483
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव		
	श्री बसुदेव आचार्य	416–420

विषय			कॉलम
श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन			420–423, 470–476
श्री के. एस. राव	...	...	423–429
श्री सत्य पाल जैन			429–438
श्री मोहन सिंह			438–441
श्री खारबेल स्वाईं			441–445
श्री पी. उपेन्द्र			445–448
श्री वी. वी. राघवन	...	...	448–450
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ...			450–454
श्री वारकला राधाकृष्णन...			454–458
श्री बी. एम. मेनसिंकाई ...			458–459
श्री टी. आर. बालू			459–465
श्रीमती कैलाशो देवी			465–466
प्रो. जोगेन्द्र कवाडे			467–468
श्री विक्रम केशरी देव			468–470
खंड 2 से 27 और 1			478–483
पारित करने के लिए प्रस्ताव			483
बजट (सामान्य) 1999-2000 – सामान्य चर्चा			
अनुदानों की अनुपूरक मांगें – 1998-99			484–525
अतिरिक्त अनुदानों की सामान्य मांगें – 1996-97			
श्री बलराम जाखड़			491–499
श्री शान्ता कुमार			499–509
श्री रूपचन्द पाल			509–519
श्री वशिष्ट नारायण सिंह			519–525

लोक सभा

सोमवार, 15 मार्च, 1999/24 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने पूर्व साथी श्री दामोदर पाण्डेय के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री दामोदर पाण्डेय पांचवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1971 से 1977 और 1984 से 1989 तक बिहार के हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पाण्डेय एक विख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। वे विभिन्न श्रमिक संगठनों से जुड़े थे और कोयला खान मजदूरों के बीच विभिन्न पदों पर सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े रहे। 1980 से 1983 के दौरान बिहार सरकार की रोजगार समन्वय समिति के अध्यक्ष रहे। श्री पाण्डेय एक योग्य सांसद थे तथा वे 1975 से 1977 और 1987 से 1988 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के और 1973 से 1977 के दौरान रेल अभिसमय समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उन्होंने खान (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री पाण्डेय ने व्यापक रूप से भ्रमण किया। उन्होंने जेनेवा में आयोजित अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की कोयला खानों संबंधी समिति की बैठक में भारत के खनन मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया और हालैण्ड, इटली और थाइलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विचार–गोष्ठियों में भी भाग लिया।

श्री दामोदर पाण्डेय का 66 वर्ष की आयु में 26 जनवरी, 1999 को हजारीबाग में निधन हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

जैसाकि, माननीय सदस्यों को जानकारी है कि कल उत्तरी दिल्ली में यमुना पुश्ते में विजय घाट के निकट झुग्गी बस्तियों में लगी भीषण आग से 28 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए।

हम इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और सभा इस संबंध में अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

वियतनाम से आए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक उद्घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से और सभा के माननीय सदस्यगण की ओर से वियतनाम की नेशनल असेम्बली के वाइस चेयरमैन डॉ. (प्रो.) यू. डिन क्यू तथा वियतनाम के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों जो कि भारत के दौरे पर आए हैं और हमारे सम्माननीय अतिथि हैं, का स्वागत करता हूं :

शिष्टमंडल के अन्य सदस्य हैं :

1. श्री नेगुएन होआई बाओ
2. श्रीमती चू थुई क्वीन
3. श्रीमती डिन थी ले थान
4. श्री काओ थेन थू

उनका आगमन दिल्ली में शनिवार, 13 मार्च, 1999 को हुआ। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से प्रेसीडेंट, नेशनल असेम्बली और सोशलिस्ट रिपब्लिक वियतनाम के मित्र लोगों को बधाई देते हैं तथा उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे प्रश्न संख्या 261 डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ....*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : अध्यक्ष महोदय, हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं जबकि तमिलनाडु सरकार हमारी नेता को परेशान कर रही है ....*(व्यवधान)* महोदय, मैंने भी सूचना दी है.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी आपकी सूचना को देखा है।

....*(व्यवधान)*

श्री के. पी. मुनूसामी (कृष्णागिरी) : महोदय, हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं जबकि तमिलनाडु सरकार ने एक झूठा मुकदमा दर्ज किया है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपने स्थानों पर जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया द्वारा किए गए प्रश्न के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए। कृपया यह समझिए कि यह पूरी तरह राज्य का विषय है, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। आप इस सभा की प्रक्रिया और नियमों को जानते हैं। आप क्यों अनावश्यक रूप से सभा का समय व्यर्थ कर रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको सभा में इस प्रकार के राज्य के विषयों को नहीं उठाना चाहिए। कृपया मेरी बात समझिए। यह प्रक्रिया नहीं है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस विषय को यहां पर उठाना चाहते हैं तो आपको विशेष सूचना देनी होगी। कृपया अपने स्थानों पर चले जाइए।

....*(व्यवधान)*

श्री के. वी. मुनूसामी : महोदय, कृपया हमें प्रश्न काल के बाद इस विषय को उठाने की अनुमति दीजिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब प्रश्न संख्या 261, – डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

ताजमहल के आसपास के पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त प्राधिकरण

+

***261. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ताजमहल के आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक संयुक्त प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का विचार है; और

(घ) प्राधिकरण के कब तक गठित किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

(क) से (घ) ताजमहल के आसपास वाले क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत सरकार शीघ्र ही एक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करने वाली है।

ताजमहल की पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षा संबंधी विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु अनुमानतः 600 करोड़ रुपये की लागत को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ 50:50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के आधार पर 300 करोड़ रुपये तक की वचनबद्धता स्वीकारी है।

प्रस्तावित प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा :

1. ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार हेतु विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन संबंधी प्रगति को मानीटर करना।

2. संबंधित क्षेत्र में किसी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, प्रतिबंध लगाने या विनियमन हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना।

3. वाहन प्रदूषण की जांच करने, ईंधन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने, यातायात नियोजन तथा प्रबंधन हेतु मानीटरिंग तथा समन्वयन संबंधी कार्रवाई हेतु उपकरण के उचित अंश शोधन सहित मोटर वाहनों द्वारा, विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी कदम उठाना।

4. ताजमहल की सुरक्षा से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों को निपटाना जो सरकार द्वारा इसे सौंपे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, भारत में जो सर्वश्रेष्ठ पुरातत्व महत्व के स्थल हैं, जैसे ताजमहल, खजुराहो या अन्य, उनके रखरखाव के प्रति बड़ी उदासीनता बरती जा रही है। ये पुरातत्व महत्व के स्थल नष्ट होते जा रहे हैं। ताजमहल के आसपास का वातावरण प्रदूषित होने के समाचार मिले हैं। ताजमहल संरक्षण कार्य को गति देने के लिए मिशन मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बोर्ड का गठन कब तक हो जाएगा? यह कहा गया था कि 1986 में जो प्राधिकरण का गठन हुआ था, उसके अंतर्गत इसके सुधार के लिए बोर्ड के गठन के लिए समय दिया गया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में न कोई कार्यवाही की गई है और न उसके रखरखाव के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहाता हूं, ताजमहल स्थल के आसपास वातावरण में सुधार करने और उसके रख रखाव के लिए इस बोर्ड का गठन करने के लिए कब तक कार्यवाही करेंगे?

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया था, ताकि ताजमहल की सुरक्षा ठीक तरह से हो सके और जो भी जरूरत की चीजें हैं, उन चीजों के बारे में वह जानकारी दे। यह बात सही है कि आज तक जो भी कदम उठाए गए हैं, उनसे और अधिक कदम उठाने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने यह फैसला किया है कि देश के अन्य बड़े मोनुमेंट्स की रक्षा के लिए सेंट्रल एक्ट के तहत, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत पहली बार एक अथारिटी के गठन करने का फैसला किया है।

आथोरिटी का फैसला करके मैंने आर्डर भी इश्यू कर दिया। ताजमहल संरक्षण में अलग-अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। इसमें मिशन कंट्रोल बोर्ड है, जो यू. पी. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गठित हुआ है और हमारे नेचुरल गैस कमीशन के भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। वहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमैंट की जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके काम में कोआर्डीनेट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस आथोरिटी का गठन किया है। यह जानकर हाउस को भी खुशी होगी कि सर्वप्रथम ऐसा कदम उठाया गया है, जिससे हम इसकी रक्षा करने में सफल हो पाएंगे।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : महोदय, जो आथोरिटी आप गठित करने जा रहे हैं, इनमें कौन-कौन से और कैसे-कैसे लोग रहेंगे और उनको क्या अधिकार होंगे, क्या इस बारे में मंत्री जी बताएंगे?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सैक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वाइड पावर्स इसी हाउस ने दिए हुए हैं, जिसके तहत हम किसी भी प्रोसेस को, मेनुफैक्चरिंग एक्टीविटी को स्टाप करने का आदेश इस अथारिटी के माध्यम से दे सकते हैं। हम मानते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 5 के तहत बनाई गई आथोरिटी काफी पावरफुल होती है।.... *(व्यवधान)* महोदय, मैं बता रहा हूं कि जो आथोरिटी बनाई गई है वहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग-अलग एजेंसियों में काम कर रहे हैं।.... *(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात को सुन लें। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए जो आथोरिटी बनेगी, उसमें जिस भी डिपार्टमेंट का इससे ताल्लुक होता है, जैसे आक्योलोजीकल सर्वे आफ इंडिया है, मोनुमैंट का मेनटेन करने का प्राइमरी फंक्शन उनका है, उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग-अलग एजेंसियां हैं। उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का भी कुछ सहयोग है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी सहयोग है, मेरी मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री की तरह उसमें काम कर रही है। एडीशनली स्टेट गवर्नमेंट के भी काफी लोग उसमें काम कर रहे हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों के रिप्रजंटेटिवज़ को लेकर इस आथोरिटी का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : मैं माननीय मंत्री महोदय से सहमत हूं कि हमें इस प्राधिकरण को गठित करने की आवश्यकता है।

यह प्रश्न बहुत दिनों से सरकार की परेशानी का कारण बना हुआ है। यह एक अलग मामला नहीं है। एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना के द्वारा, जो राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करेगी, ताजमहल की समस्या का व्यवहार्य समाधान निकाला जा सकेगा। यह मात्र उद्योग नहीं है। इसका संबंध परिवहन से भी है।

इसीलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राज्य और केन्द्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय के लिए क्या प्रणाली अपनायी जाएगी। इसमे संबंधित सरकारों के विभिन्न विभाग हो सकते हैं और समन्वयन की प्रकृति ही इस प्राधिकरण की सफलता या असफलता को निर्धारित कर सकती है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, इसी कारण मेरे माननीय मित्र और मेरे साथी पूर्व पर्यावरण मंत्री के 'फोरम' के सभापति रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि यह एक कमी है जहां राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार के विभिन्न संगठन शामिल थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन क्षेत्रों के बारे में कुछ निर्देश दिए हैं। ताजमहल की देखरेख करने के लिए बहु आयामी स्तर पर गतिविधियां जारी हैं तथा बहु आयामी एजेंसियों को भी यह दायित्व सौंपा गया है। वास्तव में आवश्यक है कि हमें एक समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसी कारण हमने इस प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया था जो उन कई कठिनाइयों पर विचार करके उनको दूर करेगी जिनका हम सामना कर रहे हैं।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने पूछी है और जिसका मैं उत्तर देना चाहूंगा वह है कि समन्वय किस प्रकार होगा। प्राधिकरण के अभाव में ऐसा कोई एक फोरम नहीं है जिसमें ये विभिन्न प्राधिकारी वास्तव में मिल सकें और कोई ऐसा केन्द्रीय प्राधिकरण हो जो निर्देश दे सके।

इसी कारण से कि प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं हमने यह प्राधिकरण गठित किया है और मुझे विश्वास है यह प्राधिकरण निश्चित रूप से ताज क्षेत्र के भीतर और आसपास एक बेहतर वातावरण बनाएगा।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष जी, जहां तक ताजमहल के पौल्यूशन फ्री होने का ताल्लुक है, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। सरकार ने इस बारे में एक अथारिटी का गठन किया है, जो बहुत अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात है कि इस मुल्क में बहुत समय से पर्यावरण के नाम पर कोर्ट्स और सरकारें ऐसे आर्डर पास कर देती हैं, जिससे हजारों लोगों को अपनी रोजी–रोटी कमाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ऐसे आर्डर पास किए, जिससे 30 लाख मजदूर बेरोजगार हो गये, उनको काम की दिक्कतें आईं और एक–दो ने आत्महत्या तक कर ली। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पर्यावरण, फॉरेस्ट और ताजमहल बचाने के नाम पर आप कोई स्कीम बनाते हैं जिससे वहां आसपास काम करने वाले गरीब लोगों को उजाड़ने का मौका आता है तो क्या सरकार इस बात का एश्योरेंस देगी कि उन लोगों को आल्टरनेटिव काम और जगह दिये बिना हटाया नहीं जाएगा जिससे जो वे अपनी रोजी–रोटी कमा रहे हैं, उसमें परेशानी न पड़े।

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष जी, यह वाजिब समस्या है। ताजमहल के एरिया में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी रोजी–रोटी बचाने के लिए ही हमने इस अथारिटी का गठन किया है। इस पर हम 600 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, जिसमें 300 करोड़ रुपया राज्य सरकार और 300 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार देगी। शाहजहां से भी पहले से जो फाउंडरीज वहां काम कर रही हैं, उनमें काम करने वाले मजदूरों का हक बचाने के लिए और फैक्ट्रियां चलाने के लिए हमने नैचुरल गैस देना भी तय किया है। गैस अथारिटी आफ इंडिया 1987 तक उन्हें गैस देने वाली थी, मगर उसमें थोड़ी समस्या है। अगर उनको शिफ्ट करना पड़ेगा तो कम से कम उनको दिक्कतें हों, उसकी हम कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजो सिंह जी, आप हमेशा टीका–टिप्पणी करते रहते हैं। यह ठीक नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। प्रश्न काल में भी कुछ अनुशासन होना चाहिए। यह सब क्या हो रहा है? अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमेशा इस प्रकार बीच–बीच में नहीं बोलना चाहिए।

....(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : महोदय, जब भी इस सदन में ताज और ताज के पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न उठता है तो श्री कमल नाथ द्वारा श्री सुरेश प्रभु को दिया जाने वाला उत्तर वही होता है कि सरकार इसकी जांच कर रही है, सरकार उपाय कर रही है, सरकार किसी निकाय का गठन कर रही है और सरकार इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। उसके अधिक कुछ नहीं होता....*(व्यवधान)* मैं इस सदन में तब से हूं जब श्री कमल नाथ मंत्री थे, जब अन्य सज्जन मंत्री थे और अब आप भी वही उत्तर दे रहे हैं। यह नौकरशाही जवाब के अलावा और कुछ नहीं है।

हम यह जानना चाहेंगे कि सरकार इस विश्व विख्यात स्मारक को बचाने के लिए क्या ठोस उपाय करेगी। क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि ताज की अधिकतम सुरक्षा के लिए तथा ताज के संरक्षण के लिए सरकार शीघ्र और गंभीर उपाय करेगी? हम निश्चित उत्तर चाहते हैं न कि एक समय में ये सारी बातें, कृपया माननीय मंत्री जी ऐसा उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप केवल निश्चित उत्तर दें।

श्री सुरेश प्रभु : सबसे पहले, उत्तर वही नहीं है। उत्तर अलग है। इसीलिए, यह प्रश्न पूछा गया था क्योंकि हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए पहली बार एक प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया था। हम जो कुछ कर रहे हैं उक्त स्थिति को और अधिक विनिर्दिष्ट करते हुए, अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा।

जहां तक विद्युत आपूर्ति का संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 100 मे.वा. के ट्रांसफार्मर की स्थापना की है जिसे चालू किया जा चुका है। हमने विद्युत क्षेत्र में और भी काफी उपाय किए हैं।

जहां तक आगरा के लिए जल आपूर्ति का संबंध है हमने 72.80 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है। इसे राज्य तथा हमारी सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। कुओं के निर्माण का बीस प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है। यह काम वर्ष 2001–2002 तक पूरा किए जाने की आशा है। इन परियोजनाओं से जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।

जहां तक गरमी के महीनों में पानी की कमी का संबंध है आगरा पर्यटकों और अन्य लोगों को पेय जल उपलब्ध कराने में सक्षम रहेगा।

जहां तक मथुरा–वृंदावन का संबंध है, इसी तरह के कई उपाय किए गए हैं। उस क्षेत्र में 42 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

गोकुल बैराज में 74.38 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और अगले एक या दो वर्षों में केवल 12.05 करोड़ रुपये खर्च किए जाने शेष हैं।

आगरा शहर में ठोस अपवर्जन प्रबंधनन के लिए, जो कि इसका एक बड़ा हिस्सा है, हमने ठोस अपवर्जन के संचय और प्रसंस्करण के उद्देश्य से 7.49 करोड़ रुपये की परियोजना स्थापित करने का निर्णय ले लिया है। इसके परिणामस्वरूप, पर्यटकों को लाभ होगा।

तूफान के पानी की निष्कासन प्रणाली के लिए 6.59 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप, नालियों का जलमग्न बहाव नियंत्रित किया जा सकेगा।

कई वाहनों को आगरा नहीं जाना होता है। लेकिन उन्हें अनिवार्य रूप से आगरा से होकर गुजरना पड़ता है। हम बायपास के निर्माण का काम कर रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जिन वाहनों को आगरा शहर नहीं बल्कि और आगे जाना है वे आगरा शहर से न गुजर कर आगरा के बायपास से गुजरेंगे। इसलिए यह बायपास काफी सहायक होगा।

आगरा बायपास को चौड़ा करने के लिए हमने एक सर्वेक्षण शुरू किया है जिसमें 0.75 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

आगरा शहर की मास्टर प्लान में सुधार करने के लिए 21.22 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है और काम प्रगति पर है।

सबसे महत्वपूर्ण ताज महल के आसपास की हरित पट्टी का विकास है जिस पर 8.84 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इससे हवा का प्रभाव कम होगा तथा प्रदूषण पर नियंत्रण होगा।

इस प्रकार ये विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इन सभी उपायों पर कुल लागत 600 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए ब्यौरे को अभी–अभी सभा पटल पर पढ़ा है। अपने उत्तर के दौरान उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय का भी उल्लेख किया है। समिति 1991–92 में आगरा के आसपास प्रदूषण के जिस घटक के निष्कर्ष पर पहुंची थी वह मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाला धुआं था और इस धुएं का ताज पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। कि ताज महल का सफेद संगमरमर पीला पडता जा रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से यह जान सकता हूं कि जैसा कि उन्होंने इतनी बातों का उल्लेख किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे जिससे मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं से ताज महल प्रभावित न हो और इसका सफेद संगमरमर पीला न पड़े?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न है परंतु यह कुछ भ्रांतियों पर भी आधारित है। मथुरा रिफानरी किसी भी तरह से ताजमहल स्मारक के निकट प्रदूषण को बढ़ावा नहीं दे रही है। दरअसल इस संबंध में, हमने मथुरा रिफाइनरी पर काफी कडी शर्तें लगा दी हैं शर्तें इतनी कड़ी हैं कि वे विश्व में सबसे बदतर हैं या विश्व में सर्वोत्तम हैं। इनके परिणामस्वरूप मथुरा रिफाइनरी अब इस तरह से काम कर रही हैं, कि उसके उत्सर्जन संबंधी मानदंड विशेषकर सल्फर डाई आक्साईड के बारे में जो संभवतः आगरा के स्मारकों पर ऐसा पीलापन छोड़ सकती है।....*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय इस सदन में उनके पूर्व एक वक्ता ने एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि यह एक कारण है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मथुरा रिफाइनरी की एयर मानिटरिंग सिस्टम दैनिक आधार पर इसकी निगरानी कर रहा है। उस क्षेत्र में मथुरा रिफाइनरी का उत्सर्जन सबसे कम है। वास्तव में, मथुरा रिफाइनरी को उनके उस प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए विश्व पर्यावरण फोरम से एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और मैं अपने साथी पेट्रोलियम मंत्री को सचमुच ही ऐसा कार्य करने के लिए बधाई देता हूं।

लघु योजनाओं से पनबिजली उत्पादन

+

***262. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

श्री माधवराव पाटील :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु पनबिजली परियोजनाओं से बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 25 मेगावाट तक की सभी पनबिजली परियोजनाओं को विद्युत मंत्रालय से हस्तांतरित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लघु पनबिजली परियोजनाओं से अनुमानतः कितनी विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय लघु पनबिजली परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इनमें उघु पनबिजली स्थलों के सर्वेक्षण और जांच–पड़ताल, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए सहायता, निजी क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए ब्याज आर्थिक राज सहायता, राज्य क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजीगत अनुदान, पुराने स्टेशनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण और पनचक्कियों का विकास तथा उन्नयन शामिल है।

(ग) से (ङ) लघु पनबिजली विकास पर अपेक्षाकृत अधिक बल देने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय ने पनबिजली विकास नीति की घोषणा करते समय 3 से 25 मेगावाट के बीच में लघु पनबिजली के विषय को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है। लघु पनबिजली परियोजनाओं की अनुमानित संभाव्यता 10,000 मे.वा. से अधिक होगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है। उस रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 80 हजार गांवों को अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं हो सकी है। हम बिजली की बड़ी–बड़ी परियोजनाएं बना रहे हैं लेकिन उससे 18 हजार गांवों को बिजली नहीं दे पाएंगे। आपने छोटे–छोटे गांवों और हिली ट्रैक्स को सहायता देकर और वहां लघु पन बिजली परियोजनाएं बना कर बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। सरकार ने ऐसे कौन–कौन से गांवों का सर्वेक्षण किया है और उससे कितना बिजली का उत्पादन होगा?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष जी, जहां तक 3 मेगावाट के स्माल हाइड्रो प्रोजैक्ट का सवाल है, आज स्थिति यह है कि देश में ऐसे 183 प्रोजेक्ट्स लगे हुये हैं और 148 अंडर इंस्टालेशन हैं। हमने जांच की है और जानकारी के मुताबिक देश में ऐसी करीब साइट्स 3350 हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 2852 मेगावाट है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वहां 66 साइट्स ऐसी हैं जहां 3 मेगावाट से कम कैपेसिटी के स्माल हाइड्रो प्रोजैक्ट हैं और उनसे 75 मेगावाट बिजली मिलनी है। पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन की पालिसी वैसी ही है और उसमें बदलाव नहीं आया है। निजी सेक्टर में लोग आकर शामिल हो सकते हैं। जहां तक 3 मेगावाट से 25 मेगावाट कैपेसिटी तक के प्रोजैक्ट्स का सवाल है, महाराष्ट्र में ऐसी 12 साइट्स हैं जिनका पावर पोटेंशियल 120 मेगावाट के बराबर है। महाराष्ट्र में छः प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे अंदाजन 7 मेगावाट बिजली मिल रही है और 7.25 मेगावाट बिजली देने वाले 3 मेगावाट प्रोजैक्टस अंडर कंस्ट्रक्शन है।

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या 25 मेगावाट से नीचे की छोटी पन बिजली परियोजनाओं को हस्तांतरित करने जा रहे हैं, यदि हां तो कब तक हस्तांतरित हो जायेंगे?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : जहां तक 3 मेगावाट से 25 मेगावाट के नॉन–कनवेंशनल एनर्जी प्रोजैक्ट्स ट्रांसफर करने की बात है, सरकार ने कैबिनेट में निर्णय ले लिया है और हाइड्रो पालिसी में साफ लिखा है कि बिजनैस रूल्स जल्दी इश्यू हो जायेगा।

श्री माधवराव पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 25 मेगावाट का प्रोजैक्ट बनाने के लिए कितनी लागत आती है और प्रति मेगावाट बिजली उत्पादन पर कितना खर्च आता है?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : जहां तक 25 मेगावाट पावर प्रोजैक्ट की कॉस्ट का सवाल है, उसके बारे में अंदाज से कहा जा सकता है क्योंकि एक प्रोजेक्ट का दाम दूसरे प्रोजेक्ट से भिन्न होता है। इसमें हाइड्रो प्रोजैक्ट साइट रेलवेंट हैं। एक मेगावाट के लिये लगभग 4–5 करोड़ रुपया लगता है। जहां तक हिल्ली, नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान निकोबार में प्रोजैक्ट लगाने का सवाल है, उसमें सरकार 50 परसेंट या 2.5 करोड़ रुपये तक सब्सिडी देती है।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : जब इस सम्मानीय सदन में माननीय रेल मंत्री रेलवे के बारे में स्थिति प्रतिवेदन रख रहे थे तो उस समय विद्युत मंत्री ने कहा था कि अगले सत्र में विद्युत मंत्रालय भी संबंधित विभाग के समक्ष आ रही समस्याओं और उसकी भावी योजनाओं के बारे में सभा पटल पर एक स्थिति पत्र रखेंगे। मैं संबंधित मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे विद्युत आपूर्ति के समग्र मुद्दे के बारे में स्थिति पत्र सभा पटल पर कब रख रहे हैं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, इस समय मैं यहां पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के मंत्री के रूप में खड़ा हुआ हूं। सदस्य ने विद्युत के संबंध में प्रश्न पूछा है। हमने पहले ही एक कार्यक्रम बनाया है कि वर्ष 2000–2012 के लिए विद्युत मंत्रालय में हमारी संकल्पना क्या है। इसकी प्रति ग्रंथालय में उपलब्ध है। यदि आवश्यक हो तो मैं इसकी एक प्रति अपने मित्र को भेज दूंगा।

श्री सी. गोपाल : अध्यक्ष महोदय, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने लघु पनबिजली परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन की योजनाएं कार्यान्वित की है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना तमिलनाडु में भी कार्यान्वित की जाएगी, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में दो दिन से बिजली की कटौती हो रही है इसके कारण विद्यार्थियों और श्रमिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में तमिलनाडु में कार्यान्वयन के लिए कोई योजना बनाई गई है। मैं इस बारे में विस्तार से उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं उन्हें तमिलनाडु के बारे में ब्यौरा भेज दूंगा। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा चार परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है। तमिलनाडु में क्षमता कम नहीं है यह काफी अधिक है। ब्यौरा इस प्रकार है – 131 परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनकी क्षमता 141.92 मेगावाट है, 4.75 मेगावाट क्षमता की तीन परियोजनाएं स्थापित की गई है। 6.4 मेगावाट क्षमता की चार परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

निजी क्षेत्र को .65 मेगावाट की एक मात्र परियोजना की पेशकश की गई है। 6.45 मेगावाट की सब्सिडी योजनाओं में से चार चालू हैं। एम ई ए डी पी आर योजना के अंतर्गत, जहां पर डी पी आर का वित्त पोषण हमारे द्वारा किया जाता है, एक मेगावाट की छह परियोजनाएं चालू हैं। डी एस आई योजना के अंतर्गत 1 मेगावाट की एक परियोजना है। यदि सदस्य ब्यौरा प्राप्तं करना चाहते हैं तो मैं उन्हें वह भेज सकता हूं।

श्री टी. आर. बालू : सदस्य ने तमिलनाडु में बिजली गुल होने के बारे में पूछा है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, आपकी अनुमति से मैंने अभी उत्तर पूरा किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप सदस्य को सूचना भेज सकते है,*

....(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मंत्री जी गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....(व्यवधान) *

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमारे देश में स्थापित अनेक लघु पन बिजली परियोजनाएं ईष्टतम उत्पादन स्तर पर हैं। पुराने होने, अप्रचलित प्रौद्योगिकी और खराब रखरखाव के कारण वे कार्य भी नहीं कर रहे हैं। यदि इन परियोजनाओं पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी स्थिति और बिगड़ जाएगी फलतः उत्पादन और कम होगा। इन परियोजनाओं में से कुछ की दशा इतनी खराब हो गई है कि उनका आर्थिक जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु पन बिजली कार्यक्रम के लिए 147 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि इन पुरानी पन बिजली परियोजनाओं के जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है जो चालू नहीं है और जो अप्रयुक्त बन गई है और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, इन परियोजनाओं के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के संबंध में स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी बताने का प्रयास बासु दा कर रहे हैं, पुरानी परियोजनाओं के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में प्रति मेगावाट 2 करोड़ रुपये दिए हैं। इस वर्ष हमने 5 करोड़ रुपये का आबंटन दिया है। वस्तुतः हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं आया है। 50 से 60 मेगावाट के बारे में क्षमता ईष्टतम से कम है किंतु उतनी बुरी नहीं है जितनी कुछ ताप विद्युत संयंत्रों में है उदाहरणार्थ बिहार में।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर को मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं, पूरे वेग और अंदाज से प्रश्नों के जवाब चल रहे हैं और हाउस के कीमती समय का नुकसान हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा है *....(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : भंडारी जी चले आये, इसलिए बाल कटवा लिये.....*(व्यवधान)* भंडारी जी को आपने वापस बुलवा लिया, इसलिए मैंने बाल कटवा लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग देश में उल्टा चल रहा है। मंत्री जी ने पालिसी की बात बताई कि तीन से 25 मेगावाट पनबिजली प्रोजेक्ट बनाने में हम मदद करेंगे – क्या मदद करेंगे। क्या आपने पूरे राज्यों में सर्वेक्षण करवाया है या नहीं? बजट में आपने कितने पैसे का प्रावधान किया है? कंवेन्शनल ऊर्जा में आप कह रहे हैं कि हम काम करायेंगे। परंतु विभिन्न रूपों में पहाड़ों से निकलने वाली नदियों का यूजफुल वाटर बरसात में बरबाद होता है, पानी बेकार बहकर चला जाता है। क्या भारत सरकार के ऊर्जा विभाग ने कोई सर्वेक्षण कराकर सुनिश्चित किया है कि या आप अंदाज से ही बोल रहे हैं कि तीन से 25 मेगावाट के प्रोजेक्टस में हम मदद करेंगे। आपकी पालिसी थी कि जहां कोल पीठ है....*(व्यवधान)* मैं वही प्रश्न कर रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप समझा करिये, आप जल्दी जाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि और सदन को तथा पूरे देश को यह जानने का हक है कि क्या आपने सर्वेक्षण कराया है और बजट में कितना प्रावधान किया है? क्या राज्यों को

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसमें हिस्सा देना पड़ेगा या आप शत–प्रतिशत काम करायेंगें? छोटे–छोटे इलाकों की जो डिमांड हैं और हमारी पहाडी नदियों का पानी जो बेकार बहकर बर्बाद हो जाता है, उसके उपयोग की कितनी योजनाएं आपने ली हैं या अगले वर्ष तक लेंगे। हम चाहते हैं इसका स्पष्ट उत्तर आये। बिहार में हाइडल सेक्टर में जो कुछ आपने दिया था, उसे भी आप उठाकर ले आये, कोयलकारों आप लेकर चले आये और बाद में पता नहीं कितने हजार मेगावाट का प्रोजेक्ट दिया। वह क्या आपने अंदाज से कहा, कृपया आप स्पष्ट करिये, ताकि हाउस में माननीय सदस्यों को यह मालूम हो सके कि उनके इलाके में, उनके प्रांतों में आप क्या काम कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं या अंदाज से आप बता रहे हैं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय लालू जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम वह मुझे तो जानते हैं कि मैं हवाबाजी नहीं करता हूं और जो कहता हूं, ठीक कहता हूं। कम से कम वह तो मुझे पहचाने। सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के द्वारा डीटेल्ड स्टडी करने के बाद ही दस हजार मेगावाट का पोटेन्शियल आइडेन्टीफाई हुआ है। मैंने जो फीगर्स दी हैं, ये फीगर्स स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी दोनों ने मिलकर तैयार की है और आइडेन्टीफाईड पोटेन्शियल जो आज हमारे पास हैं, उसके हिसाब से जो प्रोजेक्टस सैट अप हुए हैं, छोटे हाइड्रो प्रोजेक्टस जो तीन मेगावाट से नीचे हैं, वे पूरे देश में 245 मेगावाट कैपेसिटी के बराबर सैट अप हुए हैं और जो चल रही हैं वे 149 हैं। जहां तक प्राइवेट सेक्टर में अब लोगों को ऑफर दी जा रही है वह 861 मेगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्टस हैं। सब्सिडी स्कीम में हमारे 82 प्रोजेक्टस चल रहे हैं। जिनकी कैपेसिटी 100 मेगावाट के करीब है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह सब सोच विचार के साथ किया जा रहा है। कोयलकारों के बारे में उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि उसे उन्हीं के दोस्तों की सरकार ने बंद करवाया और हमने खुलवाया है।

अध्यक्ष महोदय, बजाय ऐसा करने के उन्हें तो हमें शुक्रिया करना चाहिए। जहां तक ऊर्जा की बात है, इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब सब मिलकर काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा।

श्री चमन लाल गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, यह एक हकीकत है ये जो छोटे–छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जो विशेष रूप से जो पहाड़ी राज्य हैं, उनमें बहुत सुविधा के साथ और बहुत अच्छी तरह से चलाए जा सकते हैं और उन्हीं क्षेत्रों के अंदर इनकी जरूरत भी है। मैं अपने क्षेत्र को जानता हूं कि पड्डर और मारवा–दचान का इलाका ऐसा है जहां बिजली देखना तो दूर रहा, लोगों ने लालटेन की रोशनी भी नहीं देखी। वहां लोग वृक्षों पर लकडियां जलाकर अपने घरों में रोशनी करते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू–कश्मीर में ऐसी कौन–कौन सी परियोजनाएं और विशेष रूप से बनी, थाठरी, पड्डर, मारवा–दचान और पुंछ आदि स्थानों में हैं वहां मिनी हाइडल प्रोजेक्ट के लिए बहुत स्कोप है, तो क्या उन्होंने उनको आइडेंटीफाई किया है या नहीं और यदि किया है, तो क्या उन पर काम चल रहा है, मैं इस बारे में पूरी जानकारी चाहूंगा?

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : अब मुझे सूची की तलाश करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा आप माननीय सदस्य को सूचना भेज सकते हैं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : मेरे पास इस समय दस्तावेज नहीं है। किंतु मैंने पहले अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 का उत्तर दिया है। उस प्रश्न का उत्तर पहले लोक सभा में ही दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में चालू पन बिजली परियोजनाएं इस प्रकार हैं : लद्दाख में हफ्ताल, सरकाली और मारपेच्चू, कारगिल में संजक और लेह में डगोमा क्लोंग व दुंकर।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को सूचना भेज सकते हैं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : कश्मीर में पहलगाम, मैताचिल और अष्टान्नालाह पन बिजली परियोजनाएं हैं। मोहरा में मरम्मत का कार्य चल रहा है। मैं जम्मू–कश्मीर में चालू परियोजनाओं के बारे में बात कर रहा हूं।

जम्मू में सेवा पनबिजली परियोजना चरण–3 चेनानी–3 परियोजनाएं है। भदरवाह विद्युत गृह का रिमाडलिंग कार्य जारी है।

मैं आपको प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति बता सकता हूं। मेरे पास पर्याप्त ब्यौरा है। मैं उसे माननीय मंत्री को भेज दूंगा।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस तथ्य से अवगत है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पनबिजली की संभावनाएं हैं। इसीलिए नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सब्सिडी का प्रावधान है।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक पर्वतीय जिला है जहां पर रम्मम पनबिजली परियोजना है तथा दार्जिलिंग में गोरखालैंड आंदोलन के दौरान यह परियोजना बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इस परियोजना में 12.75 मेगावाट की चार इकाइयां हैं जिनकी कुल क्षमता 51 मेगावाट है। हाल में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र की इस परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में देने का निर्णय किया है। इस परियोजना से इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस परियोजना को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ताकि इसे राज्य सरकार द्वारा संयुक्त क्षेत्र में न दिया जा

सके और क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को स्वयं अपने हाथों में ले सकती है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, वास्तव में यह राज्य सरकार की परियोजना है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जब तक राज्य सरकार स्वेच्छा से इस परियोजना को केन्द्र को नहीं सौंपती तब तक केन्द्रीय सरकार की कोई अधिकारिता नहीं है। यदि राज्य सरकार ऐसा करती है तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम न केवल इस परियोजना के लिए वित्त पोषण करेंगे अपितु इसे पूरा भी करेंगे और चलाएंगे भी।

कुमारी ममता बनर्जी : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

प्रो. पी. जे. कुरियन : माननीय मंत्री ने इस सभा को सूचित किया है कि देश में पनबिजली उत्पादन की अनुमानित संभाव्यता 10000 मेगावाट है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इसमें से कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया है और चालू योजना के दौरान कितने प्रतिशत का उपयोग किया जाएगा?

पहले भी सब्सिडी दी जाती थी और वर्तमान में भी सब्सिडी दी जाती है। इस सब्सिडी के बारे में सरकार की क्या नीति है? क्या वे उसे जारी रखेंगे या क्या इसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैंने अभी–अभी कहा है कि सब्सिडी को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बल्कि मैं सब्सिडी बढ़ाने के लिए अभियान चलाने में विपक्ष के मुख्य सचेतक श्री कुरियन की सहायता लेना चाहता हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : उस मुद्दे पर मैं आपका समर्थन करता हूं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : प्राप्त प्रतिशत काफी कम है। केवल 1200 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। मैं चाहता हूं कि 10,000 मेगावाट का उत्पादन हो क्योंकि जिस दिन ऋण अदायगी हो जाती है लघु पन बिजली परियोजनाएं वास्तव में बहुमूल्य बन जाती है, तब यह विद्युत का सस्ता साधन बन जाता है क्योंकि इनकी परिचालन व रखरखाव लागत बहुत कम है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : चालू योजना में इस वर्ष के लिए क्या लक्ष्य है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : दुर्भाग्यवश इन में से अधिकतर परियोजनाओं में निर्माण लागत उस मायने में अर्थक्षम नहीं है कि जब तक ऋण अदा किया जाता है विद्युत की लागत काफी अधिक हो जाती है। इसलिए जब तक पर्याप्त सब्सिडी नहीं दी जाती है निजी क्षेत्र आगे आने का इच्छुक नहीं होता है। सब्सिडी की योजना है किंतु विगत वर्षों से जो राशि हमें मिलती रही है वह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं रही है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उचित समय पर मेरी सहायता करेंगे।

संरक्षण क्षेत्र संबंधी सर्वेक्षण

+

*263. **श्री कमलनाथ :**

श्री विक्रम केशरी देव :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में संरक्षण क्षेत्र संबंधी सर्वेक्षण और/अथवा पशुपादप संबंधी सर्वेक्षण किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उद्यान–वार/अभयारण्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपतृण की लगभग पचास विदेशी प्रजातियां जिम कारबेट टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के पश्चिम में स्थित राजाजी नेशनल पार्क के भी पेड़–पौधों के लिए क्या खतरा बन रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य के वन अधिकारियों ने धन और जनशक्ति के अभाव के कारण इस समस्या को सुलझाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने में सहायता के रूप में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने उपग्रह डाटा का प्रयोग करके 18 बाघ रिजर्वों में वनावरण संबंधी मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया है और इसके फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों को 1993 में एक रिपोर्ट 'बाघ परियोजना रिजर्वों में वनावरण की स्थिति" में प्रकाशित किया गया था। इन बाघ रिजर्वों की सूची इस विवरण के अनुबंध–I पर है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने भी 2 राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारणयों के वनावरण के बारे में रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। विस्तृत जानकारी इस विवरण के अनुबंध–II में दी गई है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ने भी 18 बाघ रिजर्वों 1 राष्ट्रीय उद्यान तथा 4 अभयारणयों के आसपास वानस्पतिक सर्वेक्षण किए हैं जिसकी सूची इस विवरण के अनुबंध–III में दी गई है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान ने 11 बाघ रिजर्वों, 3 राष्ट्रीय उद्यानों तथा 10 अभयारण्यों के संबंध में प्राणिजात सर्वेक्षण किए हैं। इन क्षेत्रों की सूची इस विवरण में अनुबंध–IV में दी गई है।

(ग) लान्टाना, पार्थोनियम तथा वाटर हियासिंथ जैसे खरपतवारों के व्यापक आक्रमण से जिम कार्बेट बाघ रिजर्व तथा राजाजी राष्ट्रीय पार्क के कतिपय क्षेत्रों में वनस्पति जात और प्राणिजात पर प्रभाव पड़ता है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय पार्क में खरपतवार के उन्मूलन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भिजवाया है। जहां केवल लांटाना और अन्य खरपतवारों की समस्या अधिक है, वहां इनके उन्मूलन के लिए ही निधियां आबंटित की गई हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों ने लान्टाना को पूरी तरह समाप्त न किए जाने की सलाह दी है क्योंकि इस खरपतवार का भी अपनी एक सलाह दी है क्योंकि इस खरपतवार का भी अपना एक निश्चित पारिस्थितिकीय महत्व है।

अनुबंध-I

बाघ आरक्षित क्षेत्रों की सूची, जहां पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वन आवरण मानचित्रण किया गया है।

1. बांदीपुर, कर्नाटक
2. बक्सा, पश्चिमी बंगाल
3. जिमकार्बेट, उत्तर प्रदेश
4. दुधवा, उत्तर प्रदेश
5. इन्द्रावती, मध्य प्रदेश
6. कालाकाड–मुन्डनथुराई, तमिलनाडु
7. कान्हा, मध्य प्रदेश
8. मानस, असम
9. मेलघाट, महाराष्ट्र
10. नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश
11. नामदफा, अरुणाचल प्रदेश
12. पालामाऊ, बिहार
13. पेरियार, केरल
14. रणथम्बौर, राजस्थान
15. सरिसका, राजस्थान
16. सिमलीपाल, उड़ीसा
17. सुन्दरबन, पश्चिमी बंगाल
18. बाल्मिकी, बिहार

अनुबंध-II

राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों की सूची जहां पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वन आवरण मानचित्रण किया गया है।

राष्ट्रीय उद्यान

1. राजाजी, उत्तर प्रदेश
2. ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश

वन्यजीव अभयारण्य

1. नैयना देवी, हिमाचल प्रदेश
2. छेल, हिमाचल प्रदेश
3. कुगटी, हिमाचल प्रदेश
4. बारानवापारा, मध्य प्रदेश
5. लाओ खोवा, असम
6. उदान्ती, मध्य प्रदेश
7. सीतानाडी, मध्य प्रदेश
8. भयरामगढ़, मध्य प्रदेश

अनुबंध-III

बाघ आरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों की सूची जहां पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा वनस्पतीय सर्वेक्षण किया गया है।

(क) बाघ आरक्षित क्षेत्र

1. बांदीपुर, कर्नाटक
2. बक्सा, पश्चिमी बंगाल
3. जिम कार्बेट, उत्तर प्रदेश
4. दुधवा, उत्तर प्रदेश
5. इन्द्रावती, मध्य प्रदेश
6. कालकाड–मुण्डनथुराई, तमिलनाडु
7. कान्हा, मध्य प्रदेश
8. मानस, असम
9. मेलघाट, महाराष्ट्र
10. नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश
11. नामदफा, अरुणाचल प्रदेश
12. पालामाऊ, बिहार
13. पेरियार, केरल
14. रणथम्बौर, राजस्थान

15. सरिसका, राजस्थान
16. सिमलीपाल, उड़ीसा
17. सुन्दरवन, पश्चिमी बंगाल
18. बालमिकी, बिहार

(ख) राष्ट्रीय उद्यान

1. साइलैंट वैल्ली, केरल

(ग) वन्य जीव अभयारण्य

1. पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश
2. बोरी, मध्य प्रदेश
3. अन्नामलाई, (इन्दिरा गांधी) तमिलनाडु
4. जलदपारा अभयारण्य, पश्चिमी बंगाल

अनुबंध-IV

बाघ आरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों जहां पर भारतीय प्राणि सर्वेक्षण द्वारा प्राणिजात संबंधी सर्वेक्षण किया गया है।

वे क्षेत्र जहां पर प्राणीजात संबंधी सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है।

(क) बाघ आरक्षित क्षेत्र

1. नामदफा, अरुणाचल प्रदेश
2. पालामाऊ, बिहार
3. बाल्मिकी, बिहार
4. पेंछ, मध्य प्रदेश
5. मेलघाट, महाराष्ट्र
6. टरोबा–अन्धेरी, महाराष्ट्र
7. इन्द्रावती, मध्य प्रदेश
8. कान्हा, मध्य प्रदेश
9. रणथम्बौर, राजस्थान
10. सिमलीपाल, उड़ीसा
11. सरिसका, राजस्थान

(ख) राष्ट्रीय उद्यान

1. राजाजी, उत्तर प्रदेश
2. साइलैंट वैल्ली, केरल
3. बोरी बिल्ली, महाराष्ट्र

(ग) अभयारण्य

1. चिल्का, उड़ीसा
2. हरिके, पंजाब
3. रेणुका, हिमाचल प्रदेश
4. अन्नामलाई (इन्दिरा गांधी) तमिलनाडु
5. असोलभाटी, दिल्ली
6. हजारी बाग, बिहार
7. माउंट हैरियट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
8. गोविन्द पशु बिहार, उत्तर प्रदेश
9. कैम्पबेल बे, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
10. सुखना, चंडीगढ संघ शासित क्षेत्र

श्री कमल नाथ : हम अभी तक बाघों का अस्तित्व खतरे में होने से चिन्तित हैं। बाघों का अस्तित्व खतरे में होने के अनेक कारण हैं। उनमें एक सबसे बड़ा कारण है जैवीय दबावों के कारण वनों का संकुचित होना।

अब एक नई बात उभर रही है जिसमें वनों में खतरनाक खरपतवार उग रहे हैं। इससे वनों पर अर्थात् पशुओं के प्राकृतिक निवास पर और दबाव पड़ेगा। दूसरे शब्दों में बाघों के अस्तित्व के लिए और अधिक खतरा। जब हम बाघों के संरक्षण की बात करते हैं तो उक्त स्थिति पर भी चर्चा करते हैं। क्योंकि पर्यावरण संतुलन में बाघ का महत्वपूर्ण स्थान है। पारिस्थितिकी के केन्द्र में हैं। इसलिए हमारे लिए यह भारी चिंता का विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का कितना हिस्सा लान्टाना और पार्थेनियम जैसे खरपतवार से ग्रसित है, हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे राज्य सरकारों से कहां तक इस समस्या से निपटने के लिए कहा गया है और केन्द्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों की किस तरह तथा कितनी सहायता करेगी?

श्री सुरेश प्रभु : यह सच है कि राष्ट्रीय उद्यानों विशेषकर कि राजाजी और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यानों के कुछ भाग ऐसे खतरनाक खरपतवारों से ग्रस्त है जो कि भारत के लिए एकदम भिन्न है। हालांकि वह भारत के लिए काफी विचित्र हैं, फिर भी लान्टाना जैसे कुछ खरपतवारों से जो कि भारत में सौ वर्ष से अधिक समय से विद्यमान हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली को गंभीर रूप से खतरा उत्पन्न हो गया है। हम इस समस्या से बहुत सावधानी से निपटना चाहते हैं क्योंकि एक वैज्ञानिक राय है जो कि डॉ. उल्हास करन जैसे व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई है कि जब हम ऐसे खरपतवार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इससे कुछ पर्यावरणीय समस्याऐं भी उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि यह खरपतवार चाहे वह विगत समय में विदेशों से आए हों और अब सौ वर्ष से अधिक समय से उग रही है, कुछ स्थानों पर पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में भी उपयोगी भूमिका निभाते हैं।

श्री कमल नाथ : वह जैव–विविधता का हिस्सा हैं।

श्री सुरेश प्रभु : यह सही है। वह जैव विविधता का हिस्सा हैं। तथापि हमें इस समस्या से निपटना है क्योंकि यदि यह खरपतवार और आगे फैलती है तो इससे घास के मैदानों को खतरा हो सकता है। अतः हम वास्तव में यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किसी निर्धारित सीमा से अधिक न फैले और इसे नियंत्रित स्तर में रखा जाए और इसके साथ–साथ इसे इस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है जिससे अन्य समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, यदि हम कुछ रसायन अथवा कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय संतुलन का नुकसान पहुंच सकता है और इससे जैव विविधता समाप्त हो सकती है।

अतः हम कुछ सावधानीपूर्वक कदम उठा रहे हैं। यह सत्य है कि अनेक क्षेत्र इससे ग्रस्त है। तीन मुख्य खरपतवार जो कि वास्तव में नुकसान पहुंचा रहे हैं वह हैं लान्टाना, पार्थेनियम और वाटर हाइसिंथ। यह तीन मुख्य खरपतवार हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में यह देखा गया है और मुझे बताया गया है कि लगभग 600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे ग्रसित है। वास्तव में हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम इसके प्रति सजग हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस बात का काफी खतरा है, यह खतरा वन कटाव के परिणाम स्वरूप पशुओं के प्राकृतिक निवास में कमी के कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि प्राकृतिक तबाही के कारण भी इस प्रकार की क्षति हो सकती है। इसलिए मैं इस पहलू की बहुत सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए एक समिति गठित करने और ऐसे आवश्यक उपचारात्मक कदम जो भी आवश्यक हों उठाने पर विचार कर रहा हूं।

जहां तक कि राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का संबंध है, हमने इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है। राज्य सरकार को जितनी राशि की आवश्यकता होगी हम निश्चय ही उन्हें देंगे। लेकिन यह केवल वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं है बल्कि इस समय हमें वास्तव में सही तकनीक सही कदम उठाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जब हम खरपतपवार निकालते हैं, तब यदि आप उसे सही तरीके से नष्ट नहीं करते तो इससे कुछ अन्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। वास्तव में इसे पूर्णतः समाप्त करना असंभव है। अतः वास्तव में जिन कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता है उन्हें उठाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इस प्रश्न को उठाया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ कृपया संक्षिप्त अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री कमल नाथ : जी हां, महोदय लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक संवेदनशील मामला है क्योंकि जैव–विविधता के रूप में खरपतवार के कुछ हिस्से की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा करने का एक तरीका यह है कि कोई अन्य वनस्पति उगाई जाए जिससे कि स्वाभाविक रूप से उक्त खरपतवार भी हटती जाए। इसलिए उस क्षेत्र के भीतर यदि आप अन्य पेड़ पौधे अथवा अन्य वनस्पति उगाते हैं वह स्वयं ही इन खरपतवारों को समाप्त करने में सक्षम होंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग अथवा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग या भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग से इस बात का पता लगाने के लिए कहेंगे कि इस समस्या से रासायनिक तरीके से निपटने की बजाय प्राकृतिक तरीके से निपटने के लिए कौन सी अन्य वनस्पति उगाई जा सकती है?

श्री सुरेश प्रभु : यह सही है। हमने पहले ही इस संबंध में कार्य करना आरंभ कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सीमा से अधिक न फैलें, प्रति संतुलन कार्य के रूप में अर्जुन जामुन जैसे अन्य पौधे उगाए जा रहे हैं। जब भी ऐसी उम्मीद होती है, हम वास्तव में वहां किसी किस्म की मेंड डालने की कोशिश करते हैं ताकि वह एक सीमा से अधिक न फैले। लेकिन हम वास्तव में वही कदम उठा रहे हैं जिनकी आवश्यकता है। वास्तव में, जैसा कि मैंने कहा है जो समिति इस मुद्दे पर विचार करने जा रही है वह इस बात की भी जांच करेगी कि किस तरह के वैकल्पिक पौधों को उगाए जाने की आवश्यकता है। यह एक बहुत वैज्ञानिक प्रश्न है और वास्तव में हम उसे उसी तरीके से निपटाने की आवश्यकता है।

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पशुपादप सर्वेक्षण के संबंध में ब्यौरा दिया है जो कि नेशनल पार्क में चल रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस तरह के सर्वेक्षण सुविधा उड़ीसा में अभयारण्यों, विशेषकर कि कालाहांडी और देवगढ़ जिलों में कोरलापट, उषाकोटी और सुनाबेडा अभयारण्यों में भी उपलब्ध कराएंगे?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय यह जानते हैं कि पूर्वी घाट में हजारो वर्ग मील पर भयंकर आग लगी है जिसके कारण हजारों एकड़ वन भूमि का नुकसान हो रहा है? इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

अन्त में, मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। वर्ष 1972 के वन्यजीव अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक अंतरराज्यीय समिति गठित की गई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष थे?

श्री सुरेश प्रभु : देश में पशुपादप की किस्म का सर्वेक्षण करना एक निरंतर प्रक्रिया है। जो दो मुख्य संस्थान इस कार्य में लगे हुए हैं वह है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग यहां देश में लगभग 47,000 पौध प्रजातियां हैं।

जिनमें से लगभग 15,000 प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है और यहां लगभग 81,000 पशु–प्रजातियां हैं जिनमें से 62 प्रतिशत स्थानीय बीमारियों से पीड़ित हैं। इसलिए हम वास्तव में पूरे देश का सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग से पहले ही इस देश का लगभग 70 प्रतिशत सर्वेक्षण करवा लिया है। मैं निकट भविष्य में निश्चय ही उन स्थानों को शामिल करूंगा जिसका उन्होंने उल्लेख किया है और हम निश्चित तौर पर सर्वेक्षण भी करवायेंगे।

जहां तक वनों में आग लगने का संबंध है हमने एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाई है। हमारे समृद्ध वनों को आग गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है जिसे हमें वास्तव में रोकना होगा। उसके लिए राज्य सरकार सामान्यतः जो भी सहायता मांगती है हम उसे उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं।

यदि सदस्य के समक्ष कोई ऐसा विशेष मामला हो जिसमें राज्य सरकार को कुछ सहायता की आवश्यकता हो तो हम इस पर समुचित तरीके से विचार करेंगे।

जहां तक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन का संबंध है, मैं शायद संसद के इस सत्र में या निश्चित तौर पर अगले सत्र में इस अधिनियम का संशोधित संस्करण प्रस्तुत कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, पर्यावरण और वन मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा गया है, उसके 'क' भाग में है कि क्या देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में संरक्षण क्षेत्र संबंधी सर्वेक्षण किया गया है या नहीं। मैं जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार चुनकर आई हूं और उसके बारे में पूछना चाहती हूं कि गिर फोरैस्ट और गिर सैंक्चुरी पार्क में औषधियों के इतने ज्यादा पेड़ हैं, जिनको संभालने की अत्यंत आवश्यकता है। उसके लिए सरकार स्पेशल सर्वेक्षण कराकर उनके संभालने के लिए क्या कार्यक्रम बनाना चाहती है? इसी प्रश्न के 'ख' भाग में आपने यह नहीं बताया है कि पहले पशुपादप संबंधी सर्वेक्षण भी किये गये हैं या नहीं। नेशनल पार्क और गिर फोरेस्ट में .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतना समय नहीं बचा है। आपका अनुपूरक प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : मैं छोटी सी बात कहकर बंद कर देती हूं। उसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है कि गिर फोरेस्ट के जो शेरों को कहीं और रखने के लिए कोई कार्यक्रम चल रहा है। मैं आज हाउस में एश्योरेंस चाहती हूं कि क्या सरकार उसके बारे में भी कुछ करने जा रही है? हमेशा यही देखा गया है कि एशियाटिक लायन एशिया में और कहीं भी नहीं रहे, वे गिर फोरेस्ट में आकर रहे हैं। उससे पहले भी कोशिश की गई थी कि शेरों को राजस्थान में बसाया जाए.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंटरी कीजिए।

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : बिलकुल छोटी बात है। पहले राजस्थान में उनको बसाने के लिए कोशिश की गई थी, जिसमें सारे शेर मर गये थे। उनके बारे में मैं सरकार से आग्रह करती हूं और मुझे पूरा जवाब चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभु : प्रश्न का जो पहला हिस्सा है, मैं उस के बारे में कहना चाहूंगा कि गुजरात में जहां भी मैडीकली सेंसिटिव प्लांट्स और ऐसे मैडीकली यूजफूल प्लांट्स हैं, उनके संरक्षण के लिए जो भी सहायता की जरूरत है, नेशनल फोरेस्ट एंड इकोलोजिकल बोर्ड हर साल कुछ सहायता देता है। यदि कोई स्पेसिफिक जरूरत होगी तो हम जरूर सहायता देने की कोशिश करेंगे। गिर में हमारे एशियाटिक लायंस हैं। पूरे विश्व में एशियाटिक लायन सिर्फ गिर में हैं और इसलिए दूसरा आल्टरनेटिव हैबीटेट बनाने की बात चल रही है। उसका मतलब यह नहीं है कि गिर के जो लायन है, उनको दूसरी जगह ले जाकर रखेंगे। लेकिन यदि दुर्भाग्य से, किसी दुर्घटना की वजह से गिर में यदि शेरों को कुछ खतरे का सामना करना पड़े, उसके लिए हमने यह सोचा है कि कोई आल्टरनेटिव हो सकता है, उसके लिए हम सिर्फ टैक्नीकल लेवल पर असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिर से लायन हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि नेपाल बार्डर पर जनपद गोंडा में सोलहवां रेंज में वन क्षेत्र हैं, क्या वह बाघ परियोजना में है? अभी डेढ़ दो माह हुए, टाइगर के कई बच्चे वहां मरे पाये गये, जो शिकार से ग्रसित थे। इस समय वहां शिकार जोरो पर है। पूरे देश में वनों में बाघों की कितनी संख्या है और बाघों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितनी कमी हुई है? दूसरी बात जो मैं पूछना चाहूंगा कि जंगल में जो जंगल माफिया शिकार कर रहे हैं, उनसे बचाव के लिए क्या आप वन अधिकारियों को स्वचालित शस्त्र और वायरलेस सैट देंगे?

श्री सुरेश प्रभु : आज तक बाघ परियोजना के तहत 25 नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का हमने आयोजन किया है। आपने जिसका जिक्र किया, वह हमारे टाइगर रिजर्व में नहीं है, जो 25 टाइगर रिजर्व हैं, यू. पी. में दुधवा है, लेकिन जिस टाइगर रिजर्व की बात आपने की है, वह नहीं है। जैसा आपने कहा टाइगर पोपुलेशन की सेंशस हर दो तीन साल में की जाती है। अभी नई सेंशस की जायेगी, लेकिन बाघों की संख्या जो थोडी घट रही थी,

अब वह थोड़ी बढ़ रही है। हम इस साल टाइगर प्रोजेक्ट की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। इसमें हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाकर जो भी टाइगर रिजर्व हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जाये।

मध्याह्न 12.00 बजे

अगर विदेशों से भी सहायता मिलती है तो हम उसे लेने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने हाल ही में यूनाइटेड किंग्डम के उप प्रधान मंत्री जी को आमंत्रित किया था कि शायद यूरोपियन यूनियन कोई सहायता दे।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा था कि वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं। यह अधिनियम अस्पष्ट है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह बात माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाया हूं। 100 पेलिकॉन पक्षियों का संरक्षण करने के लिए उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नियत किया है जिसके कारण उस पर किसी मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता, कोई खेती–बाड़ी का कार्य नहीं किया जा सकता और कोई सड़क नहीं बनाई जा सकती है। जबकि एक किलोमीटर की दूरी पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) श्रीहरिकोटा द्वारा वहां से राकेट छोड़े जा रहे हैं। आप इसका उत्तर क्या देंगें? मैं यह बात मंत्री जी के ध्यान में लाया हूं।

महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, यह सच है कि मनुष्य तथा जानवर के बीच कुछ असंगतियां हैं और कुछ स्पष्ट विसंगतियां हैं जिनको हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के संशोधन के समय विचार करते हुए सुलझाना चाहेंगे।

जहां तक कि विशेष मुद्दे का संबंध है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, हम वास्तव में उसकी जांच कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र का विकास

***264. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का किस प्रकार इन क्षेत्रों का विकास करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बाप्पापडी के. राममूर्ति): (क) से (ग) जी, हां। सरकार पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए प्रगामी रूप से उपयुक्त नीति अपना रही है। प्रशासित मूल्य व्यवस्था में सुधार 2002 तक पूर्ण किए जाने के लिए चरणों में लागू किए जा रहे हैं। तेल और गैस के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) की घोषणा की गई है। डाउनस्ट्रीम क्षेत्र की तेल कंपनियों को अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। शोधन लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। सरकार इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दे रही है।

उपर्युक्त के अलावा सरकार ने "भारत हाइड्रोकार्बन परिदृश्य 2020" के लिए विशेष व्यवस्था तैयार करने हेतु एक विशेष मंत्री दल के गठन का प्रस्ताव किया है। सरकार गैस सहित पेट्रोलियम क्षेत्र के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए विनियामक निकायों के गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। विनियामक निकाय के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, प्रवेश की बाधाओं को हटाना, उत्पादक संघीकरण निवारण, आपूर्ति और मूल्यों का विनियमन, प्रेषण और वितरण व्यवस्थाओं को पर्यवेक्षण, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, उपयुक्त मानकों का अनुपालन, विवाद का समाधान, उपभोक्ता के हित की रक्षा करना और हाइड्रोकार्बन उद्योग के क्षेत्रों का दीर्घावधिक इष्टतम विकास शामिल हो सकता है। इसके अलावा प्रत्येक तेल कंपनी ने अपनी सतत् उन्नति और विकास के लिए अपनी स्वयं की दीर्घकालिक कार्यनीति तैयार की है।

[अनुवाद]

गुटखा और तम्बाकू का सेवन

***265. श्री पुन्नूलाल मोहले :**

श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटखा के सेवन से मुख के रोग हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुटखा, धूम्रपान और तम्बाकू के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने धूम्रपान/तम्बाकू खाने/गुटखा चबाने पर प्रतिबंध लगा देने की स्थिति में श्रमिकों, तम्बाकू उद्योग, किसानों और निर्यात पर इसके प्रभाव जैसे विभिन्न मुद्दों की जांच की है;

(च) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है;

(छ) क्या कुछ अध्ययनों के अनुसार तम्बाकू चबाना धूम्रपान करने से अधिक सुरक्षित है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) विशेषज्ञों के अनुसार गुटका का उपभोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इससे मुख का कैंसर होता है।

(ग) और (घ) तम्बाकू पर एक व्यापक विधान लाए जाने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे देश में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग में कमी होने की आशा है।

(ङ) और (च) चबाने के तम्बाकू/गुटका की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के विभिन्न निहितार्थों की जांच करने हेतु संबंधित मंत्रालय के साथ एक अंतर–मंत्रालयीन बैठक आयोजित की गई है। श्रमिकों और तम्बाकू उगाने वाले किसानों पर इसके प्रभाव जैसे मुद्दों की भी जांच की गई है। इन सभी निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए एक नीतिगत निर्णय अभी लिया जाना है।

(छ) और (ज) उपलब्ध भारतीय साहित्य से पता चलता है कि तम्बाकू न चबाने वालों के मुकाबले तम्बाकू वाले पुरुषों और महिलाओं में मुख कैंसर के विकसित होने का खतरा क्रमशः 3.4 से 10.2 गुणा और 30 गुणा अधिक है। धूम्रपान करने वाले पुरुषों और महिलाओं को कैंसर होने का खतरा तम्बाकू का इस्तेमाल न करने वालों के मुकाबले क्रमशः 1.4 से 3.5 गुणा और 3.5 गुणा अधिक है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए धन

***266. श्री भर्तृहरि मेहताब :**

श्री एन. डेनिस :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं और उन पर राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यों को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में से इन केन्द्रों को कितनी सफलता मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना और उनका रख–रखाव करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए किसी केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है।

(ख) देश में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। उन पर योजनागत और गैर–योजनागत दोनों प्रकार का व्यय किया जाता है जिसके लिए सूचना राज्यों से एकत्र की जा रही है।

(ग) राज्यों से आशा की जाती है कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपने योजना और गैर–योजना बजटों में से वित्त पोषित करना जारी रखें। 9वीं योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्यों को अलग से कोई सहायता देने की बात अभिकल्पित नहीं की गई है। बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अधीन केन्द्र घुनिंदा क्षेत्रों, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या भी एक है, के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) देश में ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्य एजेंसियां हैं। पिछले दशकों में ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सुधारों की उपलब्धि का आकलन करने से पता चलता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहुत कामयाब रहे हैं।

विवरण

30.6.1998 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1335
2.	अरुणाचल प्रदेश	47
3.	असम	619
4.	बिहार	2209
5.	गोवा	18
6.	गुजरात	960
7.	हरियाणा	400
8.	हिमाचल प्रदेश	322

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	337
10.	कर्नाटक	1601
11.	केरल	960
12.	मध्य प्रदेश	1814
13.	महाराष्ट्र	1699
14.	मणिपुर	69
15.	मेघालय	85
16.	मिजोरम	324
17.	नागालैंड	33
18.	उड़ीसा	1352
19.	पंजाब	484
20.	राजस्थान	1646
21.	सिक्किम	24
22.	तमिलनाडु	1436
23.	त्रिपुरा	58
24.	उत्तर प्रदेश	3808
25.	पश्चिम बंगाल	1556
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	17
27.	चंडीगढ	–
28.	दादरा व नगर हवेली	6
29.	दमन व दीव	3
30.	दिल्ली	8
31.	लक्षद्वीप	4
32.	पांडिचेरी	43
	अखिल भारत	22991

(आंकड़े अनंतिम हैं)

[हिन्दी]

शेरों का अवैध शिकार

*267. **श्रीमती रीना चौधरी :**

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य वार शेरों के अवैध शिकार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में सात शेरों का अवैध शिकार करने के छः मामलों की सूचना मिली है। केवल यही ऐसा राज्य है जिसके जंगलों में शेर पाए जाते हैं।

(ख) और (ग) शेरों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शेर उक्त अधिनियम की अनुसूची–1 में शामिल हैं।
2. गुजरात राज्य में 1153.41 वर्ग कि.मी. और 258.41 वर्ग कि.मी. पर फैले क्षेत्र को क्रमशः गिर अभयारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है।
3. सुरक्षित क्षेत्रों में अवैध शिकार–रोधी अवसंरचना जो वायरलेस सेट, आग्नेयास्त्र और उपयुक्त वाहनों से लैस है।
4. संकटापन्न प्रजातियों वाले जानवरों और उनसे निर्मित वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जंगली वनस्पतिजात एवं प्राणिजात संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबंधों से विनियमित किया जाता है।
5. वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय अधिकांशतः देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों पर स्थापित किए गए हैं जिससे वन्यजीव उत्पादों का अवैध व्यापार रोका जा सके।
6. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, आई टी बी पी, कोस्ट गार्ड आदि जैसे अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अंतर्विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

वृक्षारोपण योजनाएं

*268. **श्री सोहनवीर सिंह :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लागू किए जा रहे विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में राज्य–वार नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की स्कीमों के अंतर्गत वृक्षारोपण/वनीकरण संबंधी गतिविधियां चलाई जाती हैं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की एक विस्तृत सूची जिनके अंतर्गत वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियां चलाई जाती हैं, नीचे दी गई हैं :–

पर्यावरण और वन मंत्रालय

1. एकीकृत वनीकरण और पारि–विकास परियोजना स्कीम।
2. क्षेत्रोन्मुख जलावन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम।
3. इमारती लकड़ी से इतर वनोपज (औषधीय पौधों सहित) के संरक्षण और विकास की स्कीम।
4. वनोपज के बंटवारे के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजातियों और निर्धन ग्रामीणों का सहयोग।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

1. जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)
2. रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)
3. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
4. मरु विकास कार्यक्रम
5. एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम।

कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय

1. नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
2. बाढ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
3. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना।

1995–98 के दौरान पर्यावरण मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को आबंटित धनराशियों का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र, एवं रोजगार तथा कृषि मंत्रालयों की स्कीमों के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए अलग से धनराशियां आबंटित नहीं की गई हैं।

(ग) राज्यवार वृक्षारोपण के लक्ष्य प्रतिवर्ष तय किए जाते हैं। 1997–98 और 1998–99 के लक्ष्य ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1995 एवं 1996 से 1997–98 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण/वनीकरण स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को आबंटित धनराशियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई ए ई पी एस	ए ओएफएफपीएस	एन टी एफ पी	एएसटीआरपी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	489.49	422.70	201.36	21.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	311.17	27.86	41.78	
3.	असम	120.25	412.17	65.76	
4.	बिहार	310.04	537.41	28.00	63.52
5.	गोवा	9.47	22.68	27.20	
6.	गुजरात	118.19	495.69	297.74	32.03
7.	हरियाणा	406.21	805.50	132.08	
8.	हिमाचल प्रदेश	292.52	417.38	189.16	
9.	जम्मू व कश्मीर	736.99	282.22	519.82	
10.	कर्नाटक	825.83	675.69	129.33	41.99
11.	केरल	267.40	393.79	75.59	
12.	मध्य प्रदेश	730.08	1215.17	196.00	220.96

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	290.84	209.52	133.29	96.79
14.	मणिपुर	720.80	429.00	158.41	
15.	मेघालय	99.91	214.03	106.20	
16.	मिजोरम	158.61	854.12	46.82	
17.	नागालैंड	29.10	61.50	10.00	
18.	उड़ीसा	86.78	516.82	551.74	
19.	पंजाब	296.14	819.14	212.50	
20.	राजस्थान	1128.05	800.59	253.51	5.93
21.	सिक्किम	536.03	217.99	265.00	
22.	तमिलनाडु	64.58	408.29	54.52	
23.	त्रिपुरा	245.57	205.61	38.01	
24.	उत्तर प्रदेश	1869.18	918.26	62.00	
25.	पश्चिम बंगाल	317.65	451.40	164.83	

आईएईपीएस – एकीकृत वनीकरण और पारि विकास परियोजना स्कीम।

एओएफएफपीएस – क्षेत्रोन्मुख जलावन लकडी और चारा परियोजना स्कीम।

एनटीएफपी – इमारती लकडी से इतर वनोपज (औषधीय पौधों सहित) के संरक्षण और विकास की स्कीम।

एएसटीआरपी – वनोपज के बंटवारे के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजातियों और निर्धन ग्रामीणों का सहयोग।

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान वनीकरण गतिविधियों के लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पौध वितरण निजी भूमि पर वनरोपण हेतु (लाख रु. में)	1997–98 लक्ष्य क्षेत्र वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि (है. में)	पौध वितरण निजी भूमि पर वनरोपण हेतु (लाख रु. में)	1998–99 लक्ष्य क्षेत्र वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि (है. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1100.00	50000	1100.00	55000
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00	10000	7.00	10000
3.	असम	25.00	27000	25.00	27000
4.	बिहार	500.00	40000	500.00	40000
5.	गोवा	30.00	1800	30.00	1800
6.	गुजरात	1900.00	65000	1900.00	70000
7.	हरियाणा	200.00	32000	200.00	32000
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	30000	20.00	30000
9.	जम्मू व कश्मीर	60.00	24000	60.00	24000
10.	कर्नाटक	400.00	65000	400.00	68000

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	180.00	19000	180.00	19000
12.	मध्य प्रदेश	450.00	150000	450.00	150000
13.	महाराष्ट्र	1150.00	126000	1150.00	126000
14.	मणिपुर	25.00	12000	25.00	12000
15.	मेघालय	40.00	18000	40.00	18000
16.	मिजोरम	22.00	19800	22.00	19800
17.	नागालैंड	60.00	8000	60.00	8000
18.	उड़ीसा	300.00	79000	300.00	87000
19.	पंजाब	52.00	20000	52.00	20000
20.	राजस्थान	400.00	83000	400.00	85000
21.	सिक्किम	22.00	11000	22.00	11000
22.	तमिलनाडु	1100.00	85000	1100.00	90000
23.	त्रिपुरा	40.00	10000	40.00	10000
24.	उत्तर प्रदेश	2200.00	110000	2200.00	110000
25.	पश्चिम बंगाल	825.00	44000	825.00	44000
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.00	4500	5.00	4700
27.	चंडीगढ	0.10	500	0.10	500
28.	दादरा व नगर हवेली	16.00	1000	16.00	1000
29.	दमन व दीव	2.00	50	2.00	50
30.	दिल्ली	25.00	1000	25.00	1000
31.	लक्षद्वीप	5.00	75	5.00	75
32.	पांडिचेरी	5.00	75	5.00	75
	जोड़	11166.10	1146800	11166.10	1175000

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास लंबित परियोजनाएं

*269. **डॉ. संजय सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास बड़ी संख्या में परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, नहीं। परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के भंडारों पर छापा

*270. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के भंडारों पर दूसरी बार छापा मारा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औषधियों, उपकरणों, स्टोर, लेखन सामग्री और कार्यालयीन उपयोग/वार्ड में उपयोग की अन्य वस्तुओं की खरीद में कोई अनियमितताएं पायी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और दिल्ली में केन्द्र सरकार के अन्य सभी अस्पतालों द्वारा गुणवत्ता वाली औषधियां उपकरण, स्टोर, लेखन सामग्री और अन्य वस्तुएं खरीदे जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दिल्ली ब्रांच ने अत्यधिक मूल्यों पर घटिया सफाई सामग्रियों की खरीद करने के संबंध में बरती गई अनियमितताओं के बारे में सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 30.10.98 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के भंडार की आकस्मिक जांच की और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कुछ अधिकारियों, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन और प्राइवेट आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच–पड़ताल की जा रही है।

(ग) और (घ) (1) दिनांक 9.10.97 को आकस्मिक जांच करने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पट्टी और गेज के कुछ नमूनों को जब्त कर लिया। मामले की इस समय जांच–पड़ताल की जा रही है और जब्त की गई पट्टियों की गुणवत्ता सहित मामलों के ब्यौरे उपयुक्त समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु साक्ष्य का हिस्सा है।

(2) 20 जुलाई, 1998 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक को एक आपूर्तिकर्त्ता से अवैध परितोषण मांगने और उसे प्राप्त करने के तथाकथित आरोपों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया और उसके बाद उसे सी सी एस (सी सी ए) नियमावली, 1965 के नियम 10(2) के अधीन निलंबित कर दिया गया।

(3) बाद में इस मामले में सबूतों में हेर–फेर करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 29.7.98 को एक कनिष्ठ भंडार अधिकारी (अस्पताल) को भी गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसार 20 जुलाई, 1998 को अवशोषक रूई की चार हजार यूनिटों का एक आर्डर सप्लायर को दिया गया था और उसने उपर्युक्त आदेश की कार्यालय प्रति जिसमें आर्डर प्राप्त करने के रूप में सप्लायर के हस्ताक्षर थे, को बदल दिया। उसको भी निलंबित कर दिया गया है क्योंकि वह 48 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहा था।

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अस्पताल भंडार रिकार्डों/फाइलों की जांच करने के लिए वरिष्ठ संकाय सदस्यों/अधिकारियों की एक अंतरंग समिति बनाई है। रिकार्डों की जांच के बाद समिति ने खरीद प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है। दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पताल औषधों, उपस्करों, सामग्री और स्टेशनरी आदि की खरीद निर्धारित खरीद प्रक्रिया के अनुसार और प्राधिकृत खरीद समितियों के माध्यम से करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता

***271. श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन :**

श्री अजीत जोगी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य चिकित्सक उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चिकित्सकों का पंजीकरण मेडिकल स्नातक के रूप में करने से पूर्व उनके लिए एक न्यूनतम अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने संबंधी कोई शर्त निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो किसी चिकित्सक द्वारा स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 1995 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार देश में प्रति एक लाख जनसंख्या पर लगभग 45 डाक्टर हैं। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता अधिक है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र डाक्टरों के बिना नहीं है। सरकारी क्षेत्र में मोटे तौर पर 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक डाक्टर है और 1.2 लाख ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 4 डाक्टर हैं। निजी चिकित्सकों की संख्या इसके अतिरिक्त है।

(ख) और (ग) हालांकि हाल ही में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है लेकिन स्वास्थ्य सूचना आंकड़ों के भाग के रूप में यह सूचना समय–समय पर एकत्र की जाती है।

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 15 और 25 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकरण के लिए एक अपेक्षा नहीं है।

(ङ) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 25 उन व्यक्तियों के पंजीकरण की शर्त लगाती है जिन्होंने भारत के किसी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सीय संस्था की अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और रेजिडेन्ट मेडिकल कैपेसिटी में किसी निर्धारित अवधि के लिए कार्य किया हो।

मलेरिया और हैजा की रोकथाम

*272. **श्रीमती भावना कर्दम दवे :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया और हैजे के कारण बड़ी संख्या में मौते हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों बीमारियों से निपटने हेतु राज्यों द्वारा राज्यवार और वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की, गई और उन्हें कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत किन–किन राज्यों को शामिल किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम को अन्य राज्यों में भी चलाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(छ) देश में प्रायः मलेरिया से ग्रस्त रहने वाले क्षेत्र राज्यवार कौन–कौन से हैं, और

(ज) उक्त अवधि के दौरान इन दोनों बीमारियों की रोकथाम करने के क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1996, 1997 और 1998 में मलेरिया और हैजे से हुई मौतों का रूझान कमी की ओर है और इनकी राज्यवार सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एक श्रेणी–II केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका व्यय 50:50 के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्रीय सहायता मुख्यतया कीटनाशकों, मलेरिया–रोधी औषधों, लार्वानाशी आदि सामग्री रूप में प्रदान की जाती है। राज्यों को कर्मचारियों का वेतन, छिड़काव कार्य पर होने वाला खर्च, माल भाड़ा, वाहनों आदि पर होने वाले खर्च को वहन करना होता है। तथापि, 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में रोग की उच्च स्थानिकमारिता को देखते हुए दिसंबर, 1994 से इन राज्यों की शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही कार्यनीतियों को संपूरित करने के लिए सितंबर, 1997 से 7 प्रायद्वीपीय राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 100 आदिवासी बहुल जिलों को ही कवर करने के लिए विस्तृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत उच्च स्थानिकमारी वाले 19 शहरों/नगरों को भी कवर किया गया है।

हैजे के संबंध में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा जब भी जरूरत होती है, रोग के फैलने की जांच के लिए केवल तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है।

(छ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय के आकलन के अनुसार देश में 1800 मीटर से नीचे के स्थान मलेरिया प्रवण हैं।

(ज) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया नियंत्रण की संशोधित कार्य योजना की कार्यनीतियों को अपनाने से 1984 से देश में मलेरिया के वार्षिक रोगी लगभग 2–3 मिलियन के आसपास हैं। मलेरिया की घटनाओं में 1997 से कमी हुई है और मलेरिया से होने वाली मौतें भी 1996 से कम हो रही हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है –

वर्ष	कुल मलेरिया रोगी (मिलियन में)	मलेरिया से मौतें
1995	2.93	1151
1996	3.04	1010
1997	2.55	874
1998	2.07	642

विवरण-I

वर्ष 1996, 1997, 1998 के दौरान मलेरिया से हुई मौतों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15	14	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	3	1
3.	असम	58	27	28
4.	बिहार	100	37	25

1	2	3	4	5
5.	गोवा	10	57	19
6.	गुजरात	6	37	0
7.	हरियाणा	26	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	0	0
10.	कर्नाटक	13	7	3
11.	केरल	12	10	8
12.	मध्य प्रदेश	55	58	25
13.	महाराष्ट्र	111	98	62
14.	मणिपुर	3	1	1
15.	मेघालय	45	11	2
16.	मिजोरम	20	41	56
17.	नागालैंड	शून्य	0	0
18.	उड़ीसा	362	377	327
19.	पंजाब	9	0	0
20.	राजस्थान	90	4	0
21.	सिक्किम	शून्य	0	0
22.	तमिलनाडु	7	1	0
23.	त्रिपुरा	16	10	0
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	11	0
25.	पश्चिम बंगाल	56	70	74
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
3.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
4.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल योग	1010	874	642

वर्ष 1996, 1997, 1998 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैजे के सूचित मौतों का विवरण

(स्रोत के. स्वा. आ. ब्यूरो)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	–	–
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	–	–	–
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	1	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	6	9	2
11.	केरल	10	1	0
12.	मध्य प्रदेश	0	2	0
13.	महाराष्ट्र	13	1	8
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	2	0	0
19.	पंजाब	0	0	0
20.	राजस्थान	0	0	0
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	2	–	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	–	0	0
26.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	4	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल योग	34	18	10

विवरण-II

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 1996–97, 1997–98 और बजट अनुमान 1998–99 में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	1996–97	1997–98	1998–99 ब.अ.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	634.63	617.00	464.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	126.90	297.50	270.42
3.	असम	1660.83	2618.00	2435.18
4.	बिहार	206.76	348.98	508.90
5.	गोवा	3.46	5.18	21.72
6.	गुजरात	471.75	726.77	998.62
7.	हरियाणा	327.77	291.08	293.13
8.	हिमाचल प्रदेश	118.33	90.84	62.33
9.	जम्मू व कश्मीर	120.62	78.62	48.55
10.	कर्नाटक	853.62	568.62	494.55
11.	केरल	53.65	63.60	122.58
12.	मध्य प्रदेश	769.35	1072.77	335.81
13.	महाराष्ट्र	2405.71	1028.44	680.47
14.	मणिपुर	303.28	273.91	435.75
15.	मेघालय	222.93	196.96	261.44
16.	मिजोरम	106.07	132.00	286.17
17.	नागालैंड	122.45	212.62	192.53
18.	उड़ीसा	248.15	233.43	392.47
19.	पंजाब	282.79	183.26	437.50
20.	सिक्किम	39.34	1.77	10.06
21.	राजस्थान	2025.35	1799.74	2015.38
22.	तमिलनाडु	150.39	204.88	268.29
23.	त्रिपुरा	300.67	414.05	413.64
24.	उत्तर प्रदेश	941.71	505.73	825.01
25.	पश्चिम बंगाल	772.70	125.71	454.92
संघ राज्य				
1.	पांडिचेरी	16.12	12.48	11.08
2.	दिल्ली	117.88	66.04	69.56
3.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	94.04	93.83	99.44
4.	चंडीगढ़	46.33	48.53	43.15
5.	दादरा एवं नगर हवेली	12.73	24.75	24.93
6.	दमन एवं दीव	8.90	12.37	15.80
7.	लक्षद्वीप	2.10	3.48	4.96
	कुल योग	13567.21	12352.94	12999.20

ब.अ. : बजट अनुमान।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

***273. श्री कांतिलाल भूरिया :**

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्यवार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में जनसंख्या और टेलीफोन एक्सचेंजों का पृथक–पृथक अनुपात कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में वर्ष 1999–2000 के दौरान वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) देश में अब तक विस्तार किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक राज्य में जनसंख्या और टेलीफोन एक्सचेंजों के अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1999–2000 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि. सहित देश के मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में 54.70 लाख लाइनों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। देश में 45.5 लाख नई सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने का प्रस्ताव है। सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(ङ) 1999–2000 के दौरान एम टी एन एल सहित स्थानीय टेलीफोन प्रणालियों के अंतर्गत 11258.01 करोड़ रुपये की राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने, मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार तथा साथ ही संबंधित बाह्य संयंत्र की मदों तथा अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों इत्यादि के लिए आवश्यक राशि भी शामिल है।

विवरण-I

1998–99 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का राज्यवार ब्यौरा (31.1.99 तक)

क्र.सं.	राज्य	1998–99 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	425
2.	अंडमान निकोबार	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	21
4.	असम	62
5.	बिहार	320
6.	दिल्ली	27
7.	गोवा	20
8.	गुजरात	399
9.	हरियाणा	151
10.	हिमाचल प्रदेश	84
11.	जम्मू व कश्मीर	28
12.	कर्नाटक	890
13.	केरल	280
14.	मध्य प्रदेश	480
15.	महाराष्ट्र	453
16.	मणिपुर	9
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	4
20.	उड़ीसा	285
21.	पंजाब (चंडीगढ सहित)	350
22.	राजस्थान	333
23.	सिक्किम	13
24.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	486
25.	त्रिपुरा	14
26.	उत्तर प्रदेश	554
27.	पश्चिम बंगाल	197
		5896

विवरण-II

जनसंख्या और टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्यवार अनुपात (31.1.99 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	31.1.99 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	जनगणना के अनुसार जनसंख्या (1991)	अनुपात (जनसंख्या/ टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2125	66354559	31226
2.	अंडमान निकोबार	28	279111	9968
3.	अरुणाचल प्रदेश	76	860558	11323
4.	असम	325	22294562	68599
5.	बिहार	864	86338853	99929
6.	दिल्ली	160	9370475	58565
7.	गोवा	71	1169793	16476
8.	गुजरात	1482	41414183	27945

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	798	16317715	20448
10.	हिमाचल प्रदेश	617	5111079	8284
11.	जम्मू व कश्मीर	255	7718700	30269
12.	कर्नाटक	2186	44806468	20497
13.	केरल	824	29084509	35297
14.	मध्य प्रदेश	2739	66135862	24146
15.	महाराष्ट्र	2918	78747044	26987
16.	मणिपुर	31	1027149	58940
17.	मेघालय	47	1764138	37535
18.	मिजोरम	42	689756	16423
19.	नागालैंड	35	1200546	34301
20.	उड़ीसा	769	31512070	40978
21.	पंजाब (चंडीगढ सहित)	1034	20831520	20147
22.	राजस्थान	1694	43880640	25904
23.	सिक्किम	28	406457	14516
24.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	1557	56445363	36253
25.	त्रिपुरा	51	2750202	53926
26.	उत्तर प्रदेश	2186	139031130	63601
27.	पश्चिम बंगाल	887	67981780	76642
		23829	844324222	35433

विवरण-III

सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) के संबंध में 1999–2000 के लिए सर्किलवार प्रस्तावित लक्ष्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल	1999–2000 लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	350000
2.	असम	55000
3.	बिहार	160000
4.	गुजरात	250000
5.	हरियाणा	117000
6.	हिमाचल प्रदेश	59000
7.	जम्मू व कश्मीर	40000
8.	कर्नाटक	300000
9.	केरल	400000
10.	मध्य प्रदेश	116000
11.	महाराष्ट्र	350000
12.	उत्तर पूर्व	37000
13.	उड़ीसा	82000
14.	पंजाब	240000
15.	राजस्थान	180000
16.	तमिलनाडु	350000
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	250000
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	193000
19.	पश्चिम बंगाल	261000
20.	अंडमान और निकोबार	5000
21.	कलकत्ता	145000
22.	चेन्नई	120000
23.	दिल्ली	240000
24.	मुम्बई	250000
		4550000

[अनुवाद]

तेल कंपनियों से विनिवेश

***274. श्री पी. सी. थामस** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश कार्यक्रम को पूरा करने के लिये इक्विटी *की अदला बदली की अनुमति देने के सरकार के निर्णय के कारण सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं;*

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप आई. ओ. सी., ओ. एन. जी. सी., बी. पी. सी. एल., जी. ए. आई. एल., एच. पी. सी. आदि के शेयरों के शेयर बाजार मूल्य अत्यधिक नीचे गिर गये हैं;

(ग) यदि हां, तो जनवरी–फरवरी 1999 के दौरान इनके मूल्य में कितने प्रतिशत गिरावट आई;

(घ) क्या इस पहल से सरकारी क्षेत्र की तेल शोधनशालाओं और तेल कंपनियों की विस्तार योजना प्रभावित होगी;

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप विस्तार योजना किस सीमा तक प्रभावित होगी;

(च) क्या देश में निजी क्षेत्र में भी कुछ तेल शोधक कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाज्ञापडी के. राममूर्ति): (क) और (ख) जी नहीं। इस व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अंतर्गत शीर्ष एकीकरण को प्रोत्साहित करना तथा उनकी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कार्याव्यापार सहक्रिया को बढ़ावा देना है। इन कंपनियों के शेयर बाजार मूल्यों के अंतर्गत वर्तमान स्तर उतार–चढ़ाव अनेक कारणों से उत्पन्न होता है जिनमें से एक प्रमुख कारण विश्वव्यापी तेल उद्योग को मंद परिदृश्य एवं इसका घरेलू स्टाक बाजारों पर पड़ने वाला प्रभाव है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) शोधन क्रिया कलाप जून, 1998 से अनुज्ञप्ति मुक्त कर दिया है। इस अनुज्ञप्ति मुक्ति से पहले अनेक निजी क्षेत्र प्रस्तावों के लिए आशय पत्र जारी किए गए थे। इनमें, रिलायंस पेट्रोलियम लि. (आर पी एल) तथा एस्सार आयल लि. (ई ओ एल) गुजरात राज्य के अंतर्गत जामनगर में रिफाइनरियां स्थापित करने के अग्रिम चरण में है।

विवरण

पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के शेयर मूल्यों में जनवरी एवं फरवरी, 1999 के अवधि के दौरान उतार–चढाव आए हैं। यह उतार–चढाव सभी कंपनियों में एक जैसे नहीं रहे हैं। मुम्बई स्थित स्टाक एक्सचेंजों में शेयरों के कोट किए गए दैनिक अंतिम मूल्यगत भावों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल *कंपनियों के शेयर मूल्यों में परिवर्तन प्रतिशत निर्दिष्ट करती तालिका नीचे दी गई है* :

कंपनी का नाम	*शेयर मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन* जनवरी, 99	फरवरी, 99
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 14.37	(–)14.99
आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि.	(–) 23.70	(–)10.55
गैस अथारिटी आफ इंडिया लि.	(–) 21.36	(–)16.41
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	(–) 3.91	(–) 8.37
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	(–) 10.38	(+) 0.29
मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	(–) 6.67	(+) 1.49
कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	(+) 9.69	(–) 5.10

नोट :

1. जनवरी, 1999 में मूल्यों में मासिक परिवर्तन प्रतिशत 31 दिसम्बर, 1998 तथा 29 जनवरी, 1999 को समाप्त माह के अंतिम मूल्यों के आधार पर परिकल्पित किया गया है।
2. फरवरी, 1999 में मूल्यों में मासिक परिवर्तन प्रतिशत 29 जनवरी, 1999 तथा 26 फरवरी, 1999 को समाप्त माह के अंतिम मूल्यों के आधार पर परिकल्पित किया गया है।

[हिन्दी]

भारत में एच. आई. वी. संक्रमित मामले

***275. श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** :

श्री के. येरननायडू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अभी हाल में जारी की गई रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार भारत में एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में "एड्स" के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा 'एड्स' के विरुद्ध छेड़ी गई मुहिम में तेजी लाने के लिए शुरू की गई कार्ययोजना की अभी हाल में समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) 1999–2000 के दौरान एड्स की रोकथाम करने के लिए राज्यवार कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन/यू. एन. एड्स ने जून, 1998 की अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है कि भारत में एच आई वी संक्रमण दर कुल वयस्क जनसंख्या का 1 प्रतिशत से नीचे है और यह बहुत से देशों के मानकों से अभी भी नीचे है। अनुमान है कि भारत में लगभग 4 मिलियन लोग एच आई वी पीड़ित हैं जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत विश्व में सर्वाधिक एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों वाला देश है।

(ग) और (घ) देश में पिछले दो वर्षों में एड्स रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) से (छ) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अगले पांच वर्षों में कार्यान्वित की जाने वाली एच आई वी/एड्स नियंत्रण योजनाएं तैयार करने में लगे हैं। जिन बातों पर मुख्य रूप से बल दिया जाना है उनमें शामिल हैं –

1. देह व्यापार में लगे लोगों, अधिक घूमने फिरने वाले लोगों, अंतःशिरा औषध उपयोगकर्ताओं, प्रवासी कामगारों आदि जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए समूहों का निर्धारण करके और परामर्शी सेवाएं प्रदान करके, कण्डोम के उपयोग को बढ़ावा देकर तथा यौन संचारित रोगों का उपचार करके लक्षित कार्यकलाप।
2. जागरूकता अभियान को तेज करना, स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्शी सेवाएं तथा रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता के लिए उपाय।
3. घर पर समुदाय आधारित परिचर्या पहलें
4. राज्य स्तर और जिला स्तर पर क्षमता निर्माण तथा चुने हुए नगर निगमों द्वारा इस क्षेत्र में बढती जरूरतों के अनुसार कार्य।
5. एच आई वी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अन्तर–क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना।

वर्ष 1999–2000 के दौरान एड्स नियंत्रण के लिए 140 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। राज्यवार आबंटन उनकी कार्य–योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किया जाएगा।

विवरण

भारत में एड्स के रोगी (रा.ए.नि.सं. को सूचित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स रोगी	
		1997	1998
1.	आंध्र प्रदेश	15	7
2.	असम	9	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0
4.	अंडमान और निकोबार	0	0
5.	बिहार	3	0
6.	पंजाब/चंडीगढ	0	0
7.	दिल्ली	90	13
8.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	1	0
9.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0
10.	गोवा	0	0
11.	गुजरात	6	2
12.	हरियाणा	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0
14.	जम्मू व कश्मीर	0	0
15.	कर्नाटक	16	39
16.	केरल	3	1
17.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0
18.	मध्य प्रदेश	68	76
19.	महाराष्ट्र	530	824
20.	उड़ीसा	0	0
21.	नागालैंड	6	0
22.	मणिपुर	147	0
23.	मिजोरम	5	0
24.	मेघालय	8	8
25.	पांडिचेरी	6	9
26.	राजस्थान	51	25
27.	सिक्किम	1	1
28.	तमिलनाडु	521	532
29.	त्रिपुरा	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	53	16
31.	पश्चिम बंगाल	7	0
	कुल	1547	1556

न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का निपटान

*276. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**

श्री सतनाम सिंह कैंथ :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री 30 नवबंर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 229 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों के निपटान की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष मे देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने मामले लंबित पड़े हैं और इनमें से राज्यवार कितने मामलों में सुनवाई हुई है; और

(घ) सरकार ने कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित जानकारी सरकार द्वारा कालिवतः उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों और राज्य सरकारों से एकत्रित की जाती है। मामलों के लंबित होने का विस्तृत विश्लेषण तैयार किया जाता है और सभी संबद्ध प्राधिकारियों के मध्य परिचालित किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय में और देश के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। उच्च न्यायालयों के संबंध में चालू वर्ष के लंबित मामलों की बाबत जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उक्त जानकारी, तिमाही आधार पर एकत्रित की जाती है। ऐसे मामलों की बाबत, जिनमें सुनवाई हो चुकी है, जानकारी, सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने के लिए एक विधेयक पहले ही मई, 1994 में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है। विधेयक में, अन्य बातों के साथ–साथ, मामलों के त्वरित निपटान को ध्यान में रखने वाले अनेक उपबंध अंतर्विष्ट हैं। विधि आयोग ने भी विधिक प्रक्रिया को सरल बनाने और मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए अनेक सिफारिशें करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 से संबंधित अपनी 154वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसी प्रकार, विधिक कार्यवाहियों के सरलीकरण और मामलों के त्वरित निपटान के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने के लिए एक विधेयक, अगस्त, 1997 में, राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, छोटे–छोटे मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए विशेष न्यायिक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और माध्यस्थम् तथा सुलह जैसी विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाने के लिए कदम उठाए हैं। विवादों के समाधान के लिए, एक अनुपूरक मंच के रूप में लोक अदालतों को कानूनी आधार दे दिया गया है।

विवरण

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	31.12.96 को	31.12.97 को	30.6.98 को
1.	इलाहाबाद	865455	865455*	865455*
2.	आंध्र प्रदेश	135621	133211	140687
3.	बम्बई	234058	237618	242945
4.	कलकत्ता	264312	282209	285842
5.	दिल्ली	153537	163430	164405
6.	गोहाटी	33018	34165	34205
7.	गुजरात	119827	119383	121932
8.	हिमाचल प्रदेश	17166	13352	14098
9.	जम्मू–कश्मीर	96414	98645	97665
10.	कर्नाटक	150965	135389	105065
11.	केरल	217823	250261	270630
12.	मध्य प्रदेश	82294	83131	88724
13.	मद्रास	310640	326619	336633
14.	उड़ीसा	66820	84897	89288
15.	पटना	93310	84666	79482
16.	पंजाब और हरियाणा	161562	170671	166324
17.	राजस्थान	97768	98416	99209
18.	सिक्किम	88	95	437
		3100678	3181613	3203026

* 31 12.96 के लंबित मामलों को दर्शित करता है।

उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित तारीख को	कुल लंबित मामलों की संख्या
1.5.96	29043
1.5.97	21547
1.5.98	19561
1.2.99	20306

टेलीफोन डायरेक्टरी

*277. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में सर्किलवार और जिलेवार अद्यतन टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित की गई है तथा उपभोक्ताओं को वितरित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किस तिथि तक संशोधित किया गया है;

(ग) क्या टेलीफोन डायरेक्टरी के मुद्रण संबंधी नीति की हाल में समीक्षा की गई है ताकि उनका समय पर प्रकाशन सुनिश्चित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में अगली बार टेलीफोन डायरेक्टरी कब तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) टेलीफोन डायरेक्टरियों का मुद्रण एक नियमित प्रक्रिया है। यद्यपि कुछ स्थानों में डायरेक्टरियों को मुद्रित करके उन्हें उपभोक्ताओं को समय पर वितरित कर दिया गया था लेकिन दिल्ली सहित कुछ स्थानों में इसमें विलंब हो गया।

(ख) टेलीफोन डायरेक्टरियों के मुद्रण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) टेलीफोन डायरेक्टरी के मुद्रण की संशोधित नीति नवंबर, 1998 में जारी की गई थी। इस संशोधित नीति की विशेषताओं में मुद्रण का काम लेने वाले ठेकेदार की पूर्व योग्यता, कड़ी सजा संबंधी धारा, कार्य निष्पादन की बैंक गारंटी, अलग-अलग चरणों में बोली आमंत्रित करना, नेगेटिव रॉयल्टी पर टेलीफोन डायरेक्टरियों के मुद्रण के बारे में निर्णय लेने के लिए मुख्य महा प्रबंधकों की शक्तियां प्रदत्त करने, बड़े शहरों में इंटरनेट और सीडी रोम पर डायरेक्टरी उपलब्ध करना आदि शामिल है।

(ङ) और (च) दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी को प्रकाशित करके उसे मार्च तथा जून 1999 के बीच वितरित किए जाने की संभावना है। संशोधित नीति में, प्रतिवर्ष 30 जून और 15 सितंबर के बीच टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें उस वर्ष की पहली अप्रैल को काम कर रहे कनेक्शनों को शामिल किया जाएगा। फील्ड कार्यालय निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डायरेक्टरियां प्रकाशित करवाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

विवरण

टेलीफोन डायरेक्टरी की स्थिति

सर्किल का नाम : अंडमान तथा निकोबार

क्र.सं.	एस एस ए का नाम	वर्तमान डायरेक्टरी के मुद्रण का वर्ष	निम्नलिखित तक संशोधित
1	2	3	4
1.	अंडमान तथा निकोबार	1998	दिसंबर, 1997
सर्किल का नाम : आंध्र प्रदेश			
1.	श्रीकाकुलम	1997	मार्च, 1997
2.	विजयानगरम्	1997	मार्च, 1997
3.	विशाखापट्टनम	1998	अप्रैल, 1998
4.	राजामुंदरी (पूर्वी गोदावरी)	1997	मार्च, 1997
5.	एलूरू (पश्चिमी गोदावरी)	1997	मार्च, 1997
6.	विजयवाडा (कृष्णा)	1998	जनवरी, 1998
7.	गुंटूर	1997	मार्च, 1997
8.	ओंगली (प्रकाशम)	1997	मार्च, 1997
9.	नेल्लूर	1997	नवंबर, 1996
10.	तिरूपति (चित्तूर)	1997	अगस्त, 1996
11.	कुड्डपा	1996	जून, 1998
12.	अनन्तापुर	1997	मार्च, 1997
13.	करनूल	1999	नवंबर, 1997
14.	महबूबनगर	1996	मार्च, 1996
15.	संगारेड्डी (मेढक)	1996	मार्च, 1996
16.	निजामाबाद	1996	अगस्त, 1996
17.	अदीलाबाद	1997	दिसंबर, 1996
18.	करीमनगर	1997	मार्च, 1997
19.	वारंगल	1998	अगस्त, 1998
20.	खम्माम	1997	सितंबर, 1997
21.	नलगोंडा	1998	मार्च, 1998
22.	हैदराबाद तथा रंगारेड्डी	1998	सितंबर, 1997
सर्किल का नाम : असम			
1.	गुवाहाटी	1999	अक्तूबर, 1998
2.	सिल्चर	1996	मार्च, 1995
3.	तेजपुर	1996	मार्च, 1995

1	2	3	4
4.	*बोंगईगांव*	*1996*	*मार्च, 1995*
5.	जोरहाट	1998	नवंबर, 1997
6.	दिबरूगढ़	1998	नवंबर, 1997
7.	नागांव	1998	मई, 1997
सर्किल का नाम : बिहार			
1.	अरराह	1997	अगस्त, 1997
2.	भागलपुर	1996	अक्तूबर, 1996
3.	छपरा	1997	सितम्बर, 1996
4.	धनबाद	1997	अगस्त, 1997
5.	दरभंगा	1997	मार्च, 1997
6.	दुमका	1997	सितंबर, 1996
7.	गया	1997	अगस्त, 1997
8.	हजारीबाग	1997	अगस्त, 1997
9.	जमशेदपुर	1997	अगस्त, 1997
10.	कटिहार	1997	अक्तूबर, 1996
11.	मोतीहारी	1997	सितंबर, 1997
12.	मुज्जफरपुर	1994	दिसंबर, 1996
13.	मुंगेर	1996	अक्तूबर, 1996
14.	पटना	1996	नवंबर, 1996
15.	रांची	1997	दिसंबर, 1996
16.	ससाराम	1997	अगस्त, 1997
17.	सहरसा	1997	अक्तूबर, 1996
18.	डाल्टनगंज	1997	अगस्त, 1997
सर्किल का नामः गुजरात			
1.	अहमदाबाद	1997	मई, 1997
2.	बडौदा	1997	फरवरी, 1997
3.	राजकोट	1998	जून, 1997
4.	मेहसाना	1998	दिसंबर, 1996
5.	नडियाड	1997	जनवरी, 1997
6.	सूरत	1994	अगस्त, 1994
7.	भावनगर	1997	जून, 1996
8.	भरूच	1997	जून, 1996
9.	भुज	1998	मई, 1998
10.	जामनगर	1997	नवंबर, 1996
11.	जूनागढ़	1995	जनवरी, 1995
12.	*हिम्मतनगर*	*1997*	*दिसंबर, 1996*
13.	गोधरा	1996	मार्च, 1996
14.	अमरेली	1997	मई, 1997
15.	पालनपुर	1997	जून, 1997
16.	सुरेन्द्र नगर	1997	दिसंबर, 1996
17.	वलसाड	1996	सितम्बर, 1995
सर्किल का नाम : हरियाणा			
1.	करनाल	1996	सितम्बर, 1994
2.	रेवाड़ी	1996	मार्च, 1996
3.	रोहतक	1995	जनवरी, 1995
4.	जींद	1996	मई, 1996
5.	अम्बाला	1998	दिसंबर, 1997
6.	हिसार	1993	जून, 1993
7.	फरीदाबाद/गुडगांव	1998	मार्च, 1997
8.	सोनीपत	1995	जनवरी, 1995
सर्किल का नाम : हिमाचल प्रदेश			
1.	शिमला	1999	जनवरी, 1999
2.	सोलन	1998	नवंबर, 1998
3.	मंडी	1998	सितंबर, 1998
4.	हमीरपुर	1998	नवंबर, 1998
5.	धर्मशाला	1998	
6.	कुल्लू	1998	सितंबर, 1998
सर्किल का नाम : जम्मू-कश्मीर			
1.	जम्मू कश्मीर (एक ही डायरेक्टरी)	1994	मार्च, 1994
सर्किल का नाम : कर्नाटक			
1.	चिकमंगलूर	1998	नवंबर, 97
2.	बेलगाम	1997	सितंबर, 97
3.	शियोगा	1997	अगस्त, 97
4.	कोलर	1997	जनवरी, 97
5.	बिहार	1998	दिसंबर, 97
6.	बेल्लरी	1997	सितंबर, 97
7.	मांडया	1998	दिसंबर, 97
8.	कोडगू	1998	नवंबर, 97
9.	गुलबर्गा	1997	अक्तूबर, 97

1	2	3	4
10.	हुबली (धरवार)	1998	मार्च, 98
11.	मंगलूर (दक्षिण कन्नड)	1998	मार्च, 98
12.	हस्सन	1990	दिसबंर, 97
13.	बीजापुर	1998	दिसंबर, 97
14.	करवार (उत्तर कन्नड)	1998	दिसंबर, 97
15.	रायचूर	1997	सितंबर, 97
16.	चित्रदुर्ग	1998	नवंबर, 97
17.	टमकूर	1998	दिसंबर, 97
18.	मैसूर	1998	अगस्त, 98
19.	बंगलूर	1998	अप्रैल, 98
सर्किल का नाम : केरल			
1.	त्रिवेन्द्रम	1999	मार्च, 1998
2.	कोल्लम	1997	सितंबर, 1996
3.	पठानमथिट्टा	1999	सितंबर, 1998
4.	अलपुजा	1997	जून, 1996
5.	कोट्टायम	1998	दिसंबर, 1998
6.	एर्नाकुलम	1998	सितंबर, 1997
7.	त्रिचूर	1998	नवबर, 1997
8.	पालक्कड़	1998	जून, 1998
9.	कन्नूर	1998	जून, 1997
10.	कालीकट	1997	मार्च, 1997
सर्किल का नाम : मध्य प्रदेश			
1.	छिंदवाड़ा	1998	मार्च, 1998
2.	सागर	1998	जनवरी, 1998
3.	बेतूल	1998	नवंबर, 1997
4.	बालाघाट	1999	जून, 1998
5.	रायगढ़	1996	अगस्त, 1995
6.	शहडोल	1998	मार्च, 1998
7.	रिवा	1996	अगस्त, 1995
8.	सतना	1998	मार्च, 1998
9.	जगदालपुर (बस्तर)	1995	अगस्त, 1995
10.	राजगढ़	1996	दिसंबर, 1995
11.	विदिशा	1996	जनवरी, 1996
12.	देवास	1997	अगस्त, 1997
13.	धार	1998	जुलाई, 1997
14.	उज्जैन	1996	मार्च, 1996
15.	दुर्ग	1998	जनवरी, 1998
16.	शाजापुर	1998	दिसंबर, 1997
17.	गुना	1996	जून, 1995
18.	शिवपुरी	1996	दिसंबर, 1995
19.	इंदौर	1999	दिसंबर, 1998
20.	भोपाल	1998	अक्तूबर, 1997
21.	ग्वालियर	1997	अप्रैल, 1997
22.	जबलपुर	1997	अगस्त, 1996
23.	खरगोन	1997	जून, 1996
24.	मोरेना	1995	जून, 1995
25.	मंदसौर	1996	जनवरी, 1996
26.	होशंगाबाद	1998	दिसंबर, 1997
27.	रतलाम	1997	दिसंबर, 1996
28.	खांडवा	1998	मार्च, 1997
29.	बिलासपुर	1996	दिसंबर, 1995
30.	छत्तरपुर	1996	मार्च, 1996
31.	नरसिंहपुर	1998	मार्च, 1998
32.	रायपुर	1998	नवंबर, 1997
33.	झाबुआ	1997	दिसंबर, 1996
सर्किल का नाम : महाराष्ट्र			
1.	सतारा	1996	सितबर, 1995
2.	गोवा	1996	जून, 1996
3.	नागपुर (टीडी)	1996	मार्च, 1996
4.	सांगली	1996	जून, 1996
5.	अहमदनगर	1996	अक्तूबर, 1996
6.	पुणे	1997	मार्च, 1997
7.	कल्याण	1995	मार्च, 1995
8.	औरंगाबाद	1995	मार्च, 1995
9.	अकोला	1994	मार्च, 1994
10.	अमरावती	1994	मार्च, 1994
11.	भंडारा	1994	मार्च, 1994
12.	बुलधाना	1994	मार्च, 1994
13.	चन्द्रपुर	1994	मार्च, 1994
14.	वर्धा	1994	मार्च, 1994

1	2	3	4
15.	*यवतमाल*	*1994*	*मार्च, 1994*
16.	*रायगढ़*	*1996*	*अगस्त, 1995*
17.	सिंधुदुर्ग	1996	अगस्त, 1995
18.	रत्नागिरी	1996	अगस्त, 1995
19.	सोलापुर	1997	मई, 1995
20.	जलगांव	1996	जुलाई, 1995
21.	नंदेड (एम/ए)	1997	अप्रैल, 1997
22.	लातूर	1997	अप्रैल, 1997
23.	उस्मानाबाद	1997	अप्रैल, 1997
24.	जालना	1997	अप्रैल, 1997
25.	परभनी	1997	अप्रैल, 1997
26.	बीड	1997	अप्रैल, 1997
27.	बोल्हापुर	1996	जनवरी, 1996
28.	नासिक	1996	मार्च, 1996
29.	धूले	1996	मार्च, 1996
सर्किल का नाम : उत्तर पूर्व सर्किल			
1.	अरुणाचल प्रदेश	1998	जून, 1998
2.	मणिपुर	1998	सितंबर, 1997
3.	मेघालय	1996	जून, 1996
4.	मिजोरम	1997	दिसंबर, 1996
5.	नागालैंड	1994	मार्च, 1994
6.	त्रिपुरा	1999	दिसंबर, 1998
सर्किल का नाम : उड़ीसा			
1.	बेरहामपुर	1995	अगस्त, 1995
2.	संबलपुर	1997	दिसबंर, 1996
3.	बालासोर	1997	मार्च, 1997
4.	भुवनेश्वर	1997	फरवरी, 1997
5.	कटक	1998	मार्च, 1998
6.	बारीपाड़ा	1998	जनवरी, 1998
7.	बोलनगिर	1998	जनवरी, 1997
8.	घेनकनाल	1998	अगस्त, 1998
9.	राउरकेला	1991	1991
10.	कोरापुर	1998	अगस्त, 1998
सर्किल का नाम : पंजाब			
1.	अमृतसर	1997	अक्तूबर, 1997
2.	भटिंडा	1997	मई, 1997
3.	चंडीगढ	*1998*	*मार्च, 1998*
4.	फिरोजपुर	*1997*	*फरवरी, 1997*
5.	होशियारपुर	1997	फरवरी, 1997
6.	जालन्धर	1995	फरवरी, 1995
7.	लुधियाना	1997	मार्च, 1997
8.	पटियाला	1997	दिसंबर, 1996
9.	पठानकोट	1998	मार्च, 1997
10.	रोपड़	1995	मार्च, 1995
11.	संगरूर	1997	अक्तूबर, 1996
सर्किल का नाम : राजस्थान			
1.	अजमेर	1997	मई, 1997
2.	अलवर	1998	अगस्त, 1997
3.	भरतपुर	1998	जुलाई, 1997
4.	भीलवाड़ा	1996	दिसंबर, 1995
5.	पाली मारवाड़	1998	अक्तूबर, 1997
6.	सिरोही	1996	सितंबर, 1995
7.	जोधपुर	1998	सितंबर, 1997
8.	जयपुर	1998	फरवरी, 1998
9.	उदयपुर	1998	सितंबर, 1998
10.	बीकानेर	1998	फरवरी, 1998
11.	श्रीगंगानगर	1997	सितंबर, 1996
12.	झुनझुनू	1998	दिसंबर, 1997
13.	कोटा	1997	मई, 1997
14.	बाड़मेर	1997	जुलाई, 1996
15.	चित्तोडगढ़	1998	मार्च, 1998
16.	टॉक	1995	मार्च, 1995
17.	बूंदी	1995	मार्च, 1995
18.	चुरू	1997	सितंबर, 1997
19.	बांसवाड़ा	1998	जून, 1998
20.	सीकर	1998	जुलाई, 1998
21.	सवाई माधोपुर	1997	जून, 1998
22.	झालवाड़	1997	मार्च, 1997
23.	नागौर	1997	सितंबर, 1995

1	2	3	4
सर्किल का नाम : तमिलनाडु			
1.	कोयम्बटूर	1998	अक्तूबर, 1997
2.	मदुरई	1997	मार्च, 1997
3.	त्रिची	1997	नवंबर, 1996
4.	सलेम	1998	मार्च, 1998
5.	इरोडे	1998	जून, 1997
6.	तनजावूर	1997	दिसंबर, 1996
7.	वेल्लोर	1998	
8.	कुड्डालोर	1996	मार्च, 1996
9.	पांडिचेरी	1999	अगस्त, 1998
10.	तिरूनेलवेली	1990	अप्रैल, 1998
11.	धर्मपुरी	1995	जून, 1995
12.	नगेरकोईल	1996	मार्च, 1996
13.	टूटीकोरिन	1997	मई, 1997
14.	निलगिरी	1997	मार्च, 1997
15.	विरूदुनगर	1997	जून, 1997
16.	कराईकुड़ी	1995	जुलाई, 1995
17.	चेंगलपटटू	1995	अक्तूबर, 1995
सर्किल का नाम : उत्तर प्रदेश (पूर्व)			
1.	कानपुर	1999	दिसंबर, 1998
2.	लखनऊ	1997	मार्च, 1997
3.	वाराणसी	1994	जून, 1993
4.	इलाहाबाद	1997	अगस्त, 1997
5.	गोरखपुर	1997	जून, 1996
6.	झांसी	1998	मार्च, 1998
7.	देवरिया (मऊ)	1996	जून, 1996
8.	सीतापुर	1997	दिसंबर, 1996
9.	फतेहपुर	1997	अगस्त, 1997
10.	बाराबंकी	1996	अगस्त, 1996
11.	फैजाबाद	1998	दिसंबर, 1997
12.	इटावा	1997	सितंबर, 1997
13.	फर्रुखाबाद	1998	अगस्त, 1998
14.	मिर्जापुर	1996	मार्च, 1996
15.	बस्ती	1998	अप्रैल, 1998
16.	लखीमपुर	1998	जून, 1998
17.	गौंडा	1998	जून, 1998
18.	शाहजहांपुर	1998	जून, 1998
19.	उन्नाव	1999	दिसंबर, 1998
20.	बांदा	1997	अगस्त, 1997
21.	हमीरपुर	1997	मई, 1997
22.	रायबरेली	1997	अगरत, 1997
23.	मैनपुरी	1997	दिसंबर, 1996
24.	उरई	1997	मई, 1997
25.	बसिया	1998	अगस्त, 1998
26.	गाजीपुर	1998	अप्रैल, 1998
27.	आजमगढ़	1998	अगस्त, 1998
28.	जौनपुर	1998	अगस्त, 1998
29.	सुलतानपुर	1998	अगस्त, 1998
30.	प्रतापगढ़	1998	जून, 1998
31.	बहराइच	1999	जून, 1999
32.	हरदोई	1998	जून, 1998
सर्किल का नामः उत्तर प्रदेश (पश्चिम)			
1.	आगरा	1997	मार्च, 1997
2.	अलीगढ़	1997	दिसंबर, 1996
3.	अल्मोड़ा	1996	मार्च, 1996
4.	बरेली	1996	जुलाई, 1996
5.	बिजनौर	1997	नवम्बर, 1996
6.	देहरादून	1997	जन.अक्तू.1995
7.	इटावा	1995	अक्तूबर, 1995
8.	गाजियाबाद	1996	दिसंबर, 1995
9.	मेरठ	1993	मई, 1993
10.	मुरादाबाद	1996	दिसंबर, 1995
11.	मुजफफरनगर	1997	मई, 1997
12.	मथुरा	1997	नवम्बर, 1996
13.	नैनीताल	1997	मार्च, 1997
14.	श्रीनगर गढ़वाल	1996	मार्च, 1996
15.	रामपुर	1996	दिसंबर, 1995
16.	सहारनपुर	1996	दिसंबर, 1995
17.	बदायूं	1996	दिसंबर, 1995

एस एन एस–2 कूप भी 5448 मी. की गहराई पर अत्यधिक उच्च दाब तथा केसिंग की तकनीकी खराबी के साथ–साथ वेधन कठिनाईयों के कारण छोड़ दिया गया था।

(ज) सिरूइनसार–2 कूप दिनांक 18.5.1987 को खोदा गया तथा 5448 मी. की गहराई तक इसका वेधन किया गया था। कोई हाइड्रोकार्बन प्राप्त नहीं हुआ था और कूप को 29.8.1989 को छोड़ दिया गया था। दिनांक 31.3.1998 तक ओ एन जी सी द्वारा जम्मू व कश्मीर राज्य मे सर्वेक्षण पर होने वाले व्यय को छोड़कर अन्वेषी वेधन कार्य पर कुल 97.96 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

विवरण-I

अप्रैल, 1995 से दिसंबर, 1998 की अवधि के दौरान ओ एन जी सी के भूकंपीय और वेधन कार्यों का ब्यौरा

वर्ष	राज्य	भूकंपीय सर्वेक्षण		वेधित कूप	
		2डी	3डी	अन्वेषणा–त्मक	विकासा–त्मक
1	2	3	4	5	6
1995–96	आंध्र प्रदेश	996	1037	25	1
	असम	686	808	18	17
	बिहार	228	0		
	गुजरात	1916	2330	96	136
	हिमाचल प्रदेश	168			
	मध्य प्रदेश	932		1	
	राजस्थान	494		2	
	तमिलनाडु	397	791	25	2
	त्रिपुरा	102		4	
	पश्चिम बंगाल	172	502	1	
	पश्चिम तट अप.	15947	14725	24	52
	पूर्वी तट अप.	3060	0	3	0
	योग	25098	20193	199	208
1996–97	आंध्र प्रदेश	1240	987	27	0
	असम	677	1233	15	19
	बिहार	255			
	गुजरात	1295	2077	89	120
	हिमाचल प्रदेश	108			
	जम्मू–कश्मीर	135			
	मध्य प्रदेश	1641			
	राजस्थान	433	2		
	तमिलनाडु	98	1849	26	0
	त्रिपुरा	108		2	
	पश्चिम बंगाल	136	685	1	
	पश्चिम तट अप.	15868	19668	23	18
	पूर्वी तट अप.	3383	0	4	0
	योग	25377	26499	189	157
1997–98	आंध्र प्रदेश	635	1649	22	0
	असम	433	628	18	19
	बिहार	122			
	गुजरात	1146	6638	43	100
	हिमाचल प्रदेश	59			
	जम्मू और कश्मीर	185			
	मध्य प्रदेश	984		1	0
	राजस्थान	692		3	
	तमिलनाडु	18	1962	17	3
	त्रिपुरा	112		3	2
	पश्चिम बंगाल	182	867		
	पश्चिम तट अप.	1460	82232	18	38
	पूर्वी तट अप.	450	2012	2	0
	योग	6478	95988	127	162
1998–99 (1.1.99 तक)	आंध्र प्रदेश	0	1068	16	2
	असम	329	639	8	6
	बिहार				
	गुजरात	493	3773	34	74
	हिमाचल प्रदेश	28			
	जम्मू और कश्मीर	60			
	मध्य प्रदेश	634			
	मेघालय	0.175			
	राजस्थान	169			
	तमिलनाडु	389	1899	15	2
	त्रिपुरा	73		1	
	पश्चिम बंगाल	76	388		
	पश्चिम तट अप.	0	38127	14	25
	पूर्वी तट अप.	394	1107	2	0
	योग	2645.175	47019	90	109
योग 95–96 1.1.199		59598.18	189699	605	636

(ख) यदि हां, तो इसके लाभ–हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय तथा जल भूतल परिवहन मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (घ) सरकार ने, निर्वाचन संबंधी सुधारों के कुछ प्रस्तावों पर 22.5.1998 को राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया था जिनमें एक प्रस्ताव "वर्तमान निर्वाचन पद्धति का, मैजारिटेरियन पद्धति/सूची पद्धति/मिश्रित पद्धति/किसी अन्य पद्धति में परिवर्तन" से संबंधित भी था। तथापि, सरकार ने, इस निमित्त प्रस्तावित किसी एक पद्धति/पद्धतियों के संयोजन का समर्थन नहीं किया है और यह विषय, राजनीतिक दलों के मध्य व्यापक वाद–विवाद के लिए छोड़ दिया है। विद्यमान फर्स्ट–पास्ट–दि–पोस्ट सिस्टम के साथ–साथ सूची पद्धति को आरंभ करने से संबंधित प्रस्ताव, वस्तुतः विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए "निर्वाचन विधियों के सुधार से संबंधित उस कार्यपत्र" में अंतर्विष्ट प्रस्तावों में भी मौजूद है जो आयोग द्वारा, विभिन्न राजनीतिक दलों, निर्वाचन आयोग, विधान–मंडलों आदि की राय जानने के लिए परिचालित किया गया है। विधि आयोग ने, अपने कार्यपत्र पर सरकार के विचार भी मांगें थे। तथापि, सरकार ने, इस संबंध में विधि आयोग की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का विनिश्चय किया है।

देश में हाइड्रो कार्बन की मांग और आपूर्ति

***280. श्री चमन लाल गुप्त :**

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाइड्रो कार्बन की मांग में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार घरेलू मांग को पूरा करने और उनके आयात में कमी करने के लिये हाइड्रो कार्बन के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नौवीं योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में हाइड्रो कार्बन की खोज हेतु कौन सी नई परियोजनाएं आरंभ की गई हैं तथा राज्य–वार क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ङ) ऐसी प्रत्येक परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(च) क्या जम्मू क्षेत्र में हाइड्रो कार्बन की खोज हेतु पुनः खुदाई किये जाने की कोई योजनाएं हैं;

(छ) यदि हां, तो सिरूइनसार क्षेत्रों में खुदाई कार्य को बीच में ही अधूरा छोडे जाने के क्या कारण हैं; और

(ज) ऐसा खुदाई कार्य किस तारीख को छोड़ दिया गया था और उस पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बाञ्जापडी के. राममूर्ति): (क) और (ख) जी हां।

(ग) देश में कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं जिनमें, उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, तेल क्षेत्रों तथा रिजर्वायर व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण, निकासी प्रतिशत में सुधार, नए तेल क्षेत्रों का विकास, विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास, मुंबई हाई क्षेत्र का दीर्घावधि रिजर्वायर प्रबंध, मौजूदा बेसिनों में गहन अन्वेषण तथा नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के शीघ्र क्रियान्वयन द्वारा अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी तथा निजी क्षेत्र में पूंजी आमंत्रण, शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा रिफाइनरियों के विस्तार द्वारा तथा संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में रिफाइनरियां लगाकर देश की शोधन क्षमता में भी वृद्धि की गई है। नौवीं योजना अवधि के दौरान संचयी देशी उत्पादन का लक्ष्य कच्चे तेल के संबंध में 180–82 मिलियन टन तथा गैस के लिए 144.53 बिलियन घन मीटर रखा गया है।

(घ) ओ एन जी सी तथा ओ आई एल के संबंध में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण–I से VI में दी गई है।

जहां तक निजी कंपनियों का संबंध है, गत 3 वर्षों के दौरान 19 अन्वेषण खंडों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से 13 संविदाएं 1998 में तथा एक संविदा 1999 में हस्ताक्षरित की गई थी और इन खंडों में अन्वेषण कार्य योजना के चरण में है। 5 खंडों में अन्वेषण कार्य प्रगति पर है। अभी तक तेल/गैस की कोई खोज नहीं की जा सकी है।

(ङ) जानकारी संलग्न विवरण–VII और VIII में दी गई है।

(च) फिलहाल, जम्मू व कश्मीर राज्य के पुंछ तथा राजौरी क्षेत्र में द्विआयामी आंकड़े प्राप्ति का कार्य प्रगति पर है। इस क्षेत्र में बेधन कार्य का पुनः आरंभ, अर्जित/अर्जन के लिए योजित आकड़ों के आधार पर व्यवहार्य क्षेत्रों का पता लगने पर निर्भर करेगा।

(छ) जम्मू देश में सिरूइनसार–भस्तगढ़ अपनति (टिकलाइन) पर दो कूप अर्थात् सिरूइनसार–1 (एस एन एस–1) तथा सिरूइनसार–2 (एस एन एस–2) का वेधन किया गया था। एस एन एस–1 कूप 3644 मी. की गहराई पर उच्च दाबित क्षेत्रों के पुनः सक्रिय होने तथा वेधन जटिलाताओं के कारण छोड दिया गया था।

विवरण-II

1995–96 और 1998–99 (1.1.99 तक) के दौरान पेथन के लिए ली गई संरचनाएं

क्षेत्र	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99 (1.1.99 तक)
एनआरबीसी	एचडब्ल्यू–1, डब्ल्यू–18, डब्ल्यू–19 बी–15ए, सी–45, सी–43, सी–47 सी–39, डी–डब्लयूओ, बी–27ए बी–172बी, उपरांत, बी–199	बी–199, आरएनई, बी–158 बी–158ए, डी–5, एमडी, बीएचई–बी, बी–1003 बी–201, आरएन,–1, बी–28	बी–23–ए, एमडीएस, ईडी–5ए ईडीसी, बीएसई, बी–201–1ए, बी–34 केकेडीडब्ल्यू-17	सी–39, डब्लयूओ–16, सी–22, बी–22, बी–200 केके-1
एसआरबीसी	एडीवीपेलम–1 सीमेलापडू–1, पहादेवाटनम–1, इनगूपली, सलापाका, मतापाडु, सत्यावोलु, नगावानीपेलम, लक्ष्मीपुरम शांतिनीतिपेले, संकापलेम, मुल्कीपेले केवी-4	इनुगुपली, कोसानापली–पश्चिम, रगापुरम, मुलापाडु, इसुकापुडी रविपाडु, सीतारामपुरम, सिदाक्रम, गोदी, पुलेतिकुरु, कांडीकुपा मंदीपेटा–पश्चिम	मनगिनापुडी, वीरावासरम, अप्पाजीपेटा, माकनापेलम, लोनापाडु, कोसावाडासापलेम, गोकर्णपुरम	किलाकाडु, मेदापुरम, समनथाकुरु रथालम्पेटा, विश्वेसरायपुरम
	अनीयूर, मुलाईवसल, मेलूर, जयानकोन्दन, खिजावुलूर, थिरूविदाईमरूदुर, राजाशिगामंगलम	कुथालम, हरीहरनकुदल, पेटाईकुडी, कुज्ञीपलेयम, तुलसापटनम, वन्दामपलाई नगरगुड, पेरिगापेटनम	रमनावलसाई, सिरूवलूर, किरनगुडी, कोलूवर, कोरियापटिनम, काली, उथीरनगुडी	उमाहेश्वरापु राम मनाकुड माइलवाडुथिकई सीडीडब्ल्यू–1ए
डब्ल्यूआरबीसी		ऊमियापुर, नेनपुर, करजान, नवामनका, वतरक, रनूज, मेहसाणा हार्स्ट, हीरापुर सवेवाला	तेलावी, वलासार, अंकलाव	चरादा, जनतरान
ईआरबीसी		मेकरग	पानीदिहिंग	लोंगाई
सीआरबीसी			झरिया, राजनगर	
एनआरबीसी		अनहोनी		

विवरण-III

वे क्षेत्र जहां एफ. एस. 1998–99 के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया/प्रगति पर है।

जमीनी:

क्षेत्र	सर्वेक्षण प्रकार	बेसिन	क्षेत्र
1	2	3	4
एसआरबीसी	2 डी	कृष्णा–गोदावरी कावेरी	बान्टूमीली–लक्ष्मीपुरम इनादी–बाधाथेरू
	3 डी	कृष्णा–गोदावरी कावेरी	मानदपेटा, वाधापारू, इलमाचेली कुथालाम, तुलसापट्टनम
ईआरबीसी	2 डी	असम–अरकान एफ	1. शाहबाजपुर
		बेल्ट	1. गोपीनाथकिला–दवाली
		ऊपरी असम	2. दोलदाली
			3. कसोमारीगांव
			4. कोपीली वेली
	3 डी	ऊपरी असम	1. जेलेकी का पूर्व

1	2	3	4
			2. जेलेकी का उत्तर पूर्व
			3. दिसांगमुख
			4. पानीदिहिंग
डब्ल्यूआरबीसी	2 डी	कैम्बे (गुजरात)	1. मेहसाना हासर्ट कामबेल का उत्तर
			2. असमाली–ढोलका–वाटैक नदी के पार
			3. आनन्दी–चोक्कर का पूर्व
			4. रनकपुर–ताडकेश्वर
		राजस्थान	1. मैजलार/मानहेरा टीब्बा का दक्षिण
	3 डी	कैम्बे (गुजरात)	1. सोभसन का पूर्व
			2. लंगनाज–वादसमा
			3. नंदीपुर
			4. गांधार
			5. गांधार चरण–10
			6. गांधार चरण–9
एनआरबीसी	2 डी	हिमालय तराई	1. सुन्दरनगर 2. हमीरपुर
		विंध्य	रांची–कोठी–अमनगंज
			कटनी–बावेल–अमनगंज
		सतपुरा	गोवदी–देलखरी
	2 डी	एच एफ	पुंछ–राजौरी
	(जारी)		
सीआरबीसी	2 डी	असम–अराकान एफ	बामुतीया
		बैल्ट बंगाल	कोनताई–गोविंदपुर
	3 डी	बंगाल	इच्छापुर का उत्तर पूर्व

अपतटीय :

क्षेत्र	प्रकार	बेसिन	क्षेत्र
एमआरबीसी	3 डी	बम्बई अपटत	बी–193/22, बी–48/188
	3 डी	बम्बई अपटत	बम्बई हाई, सी–22/24,
	(संविदा)		उमरात/सी–39
एसआरबीसी	2 डी	के जी बेसिन	अमलापुरम अपतट

विवरण-IV

अप्रैल, 95 से दिसंबर, 98 तक ओ एन जी सी द्वारा की गई हाइड्रोकार्बन खोजें

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम राज्य	बेसिन	प्रकार
1	2	3	4
1995–96			
पश्चिम तट अपतट			
1 बी–15ए (पश्चिम तट) अपतट		बम्बई अपतट	तेल+गैस
2 सी–43 (पश्चिम तट) अपतट		बम्बई अपतट	गैस
3 सी–39 (पश्चिम तट) अपतट		बम्बई अपतट	गैस
आंध्र प्रदेश			
4 लंकापलेम	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
5 मुल्लीकीपाली	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
6 आदीवीपलेम	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
7 महादेवपट्टनम	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
असम			
8 भूबंदर	असम	असम अराकान वलन पट्टी	गैस
गुजरात			
9 कम्बोई	गुजरात	कैम्बे	तेल
तमिलनाडु			
10 पुनडी	तमिलनाडु	कावेरी	तेल
11 किझवलूर	तमिलनाडु	कावेरी	तेल
1996–97			
पश्चिम तट			
11 बी–28 (पश्चिम तट) अपतट		बम्बई अपतट	तेल+गैस
आंध्र प्रदेश			
13 एनुगुपल्ली	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
14 केसनपल्ली–पश्चिम	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
15 रंगापुरम	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
असम			
16 मेकरंग	असम	कैम्बे	तेल
गुजरात			
17 वादसमा	गुजरात	कैम्बे	तेल
18 खेरवा	गुजरात	कैम्बे	तेल
19 असमाली	गुजरात	कैम्बे	तेल
20 हीरपौर	गुजरात	कैम्बे	तेल

1	2	3	4
राजस्थान			
21 सदेवाला	राजस्थान	राजस्थान	गैस
तमिलनाडु			
22 कुथालम	तमिलनाडु	कावेरी	गैस
23 तुल्सपट्नम	तमिलनाडु	कावेरी	तेल
1997–98			
पश्चिम तट अपतट			
24 बी–23ए (पश्चिम तट) अपतट		बम्बई अपतट	गैस
आंध्र प्रदेश			
25 मगतपाल्ली	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
गुजरात			
26 वतरक	गुजरात	कैम्बे	तेल
तमिलनाडु			
27 पेरीयपट्टीनम	तमिलनाडु	कावेरी	गैस
28 नेयीवेली	तमिलनाडु	कावेरी	गैस
29 रामानावलसेई	तमिलनाडु	कावेरी	गैस
1998–99			
आंध्र प्रदेश			
30 गोकरनपुरम	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
31 केसवदासपलेम	आंध्र प्रदेश	कृष्णा–गोदावरी	गैस
तमिलनाडु			
32 काली	तमिलनाडु	कावेरी	तेल+गैस
गुजरात			
33 अनकलाव	गुजरात	कैम्बे	तेल

विवरण-V

ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे, असम और राजस्थान में अपने अन्वेषण प्रयास जारी रखने के अलावा ओ आई एल ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सौराष्ट्र अपतट तथा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे में भी अन्वेषणात्मक वेधन कार्य आरंभ किया। 1998–99 (वर्तमान वर्ष) के दौरान गंगा घाटी बेसिन उ. प्र. में भी अन्वेषणात्मक वेधन कार्य आरंभ किया गया। पिछले तीन वर्षों और 1998–99 के दौरान फरवरी 1999 तक ओ आई एल द्वारा किए गए अन्वेषणात्मक और वेधन कार्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99 (फर. 99 तक)
	1	2	3	4
क. भूकंपीय सर्वेक्षण				
असम और आंध्र प्रदेश				
2 डी एस एल के एम	2276.50	1016.60	1112	1057
3 डी एस क्यू के एम	120.92	82.96	116.35	155

	1	2	3	4
जी. वी. पी. उ. प्र.				
2 डी जी एल के एम	990.60	0.00	359.60	150.5
ख. अन्वेषण वेधन (000 मी.)				
असम और आंध्र प्रदेश	21.296	40.769	34.823	27.40
बी वी ई पी, असम			7.236	9.34
राजस्थान	4.872	1.520	7.498	0.50
एस ई पी अपतट	5.362	2.850	–	–
गंगा घाटी, उ.प्र.	–	–	–	3.17
कुल अन्वेषण	31.530	45.139	49.557	40.41
ग. स्थानिक भंडार वृद्धि (तेल+ते.स.गै.)				
(एम एम टी)				
असम और आंध्र प्रदेश	15.75	16.45	16.27	
राजस्थान	0 14	0.22	0.02	
योग	15.89	16.67	16.29	

विवरण-VI

पिछले तीन वर्षों के दौरान ओआईएल द्वारा हाइड्रोकार्बन की नई खोजें :

		अनुमानित स्थानिक भंडार (तेल+ते.स.गै.) (एमएमटी में) (असम)
1995–96		
1.	बोरहापजन	1.55
2.	तमुलीखाट	1.80
3.	रोंगलीटींग और	2.80
4.	राजाली संरचना	0.52
1996–97		
1.	मदारखाट	2 30
2.	जुटलीबारी	2.08
3.	बामाटिया	3.50
4.	चाबुआ और	1.29
5.	सीलकाटी संरचनाएं	1.15
1997–98		
1.	दिओहाल	1.35
2.	भोगपारा	3.23
3.	सापेखाटी और	3.77
4.	जेरायपाथर संरचनाएं	0.10
1998–99 (जनवरी, 1999 तक)		
मोरन दक्षिण (गहरी संभावनाएं) कामखात खागरीजन दक्षिण काथालोनी उत्तर बालीजन मोहनबाडी		वर्ष के दौरान की गई खोजों के के भंडार का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

1	2	3	4
सर्किल का नाम : पश्चिम बंगाल			
1.	सिलिगुड़ी	1997	मार्च, 1997
2.	जलपाईगुड़ी (कूच बिहार)	1997	नवंबर, 1997
3.	कलकत्ता	1997	मार्च, 1997
4.	ब्रहमपुर	1997	अगस्त, 1997
5.	मालडा	1997	मार्च, 1997
6.	गंगटोक	1997	जून, 1997
7.	आसनसोल	1997	मार्च, 1997
8.	बांकुरा (पुरूलिया)	1997	मार्च, 1997
9.	कृशनगर	1997	मार्च, 1997
10.	खड़गपुर	1997	जुलाई, 1997
11.	रायगंज	1997	मार्च, 1997
12.	सूरी	1998	जुलाई, 1998
महानगरीय जिले का नाम : दिल्ली			
1.	दिल्ली	1994	मार्च, 1994
महानगरीय जिले का नाम : मुंबई			
1.	मुंबई	1994	जून, 1994
महानगरीय जिले का नाम : कलकत्ता			
1.	कलकत्ता	1997	अप्रैल, 1997
महानगरीय जिले का नाम : चेन्नई			
1.	चेन्नई	1997	जुलाई, 1997

अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास

***278. श्री चेतन चौहान :**

डॉ. अशोक पटेल :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पुनःप्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए ऊर्जा उद्यान (इनर्जी पार्क्स) स्थापित करने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए और अधिक धनराशि मुहैया कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क), (घ) और (ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को सहायता दे रहा है। अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए आठवीं योजना की तुलना में नवीं योजना में वित्तीय आबंटनों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य बल वर्तमान अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करना और साथ ही नई तथा उदीयमान अक्ष्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन और वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देने पर है। इस मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं, भारतीय विज्ञान संस्थान, अग्रणी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों में इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता देना शामिल है। यह मंत्रालय 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता के साथ उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास को भी सहायता देता है। एक उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसमें अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर इस मंत्रालय को सलाह देने के उद्देश्य से अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और निर्णायकगण शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी हां। ऊर्जा पार्क योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1994–95 से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों पर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के प्रदर्शन के लिए पार्कों की स्थापना की जा रही है। अब तक देश के 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 140 ऊर्जा पार्कों को मंजूरी दी जा चुकी है।

(च) क्योंकि मंत्रालय में अनुसंधान एवं विकास एक सतत् कार्यकलाप है, अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

चुनावों हेतु सूची प्रणाली

***279. डॉ. सुगुण कुमारी चलामेला :**

प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने "सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही विजयी माना जाए" की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त सूची प्रणाली लागू करने सहित चुनाव सुधार पैकेज प्रस्तावित किया है;

विवरण-VII

अन्वेषण पर राज्य वार व्यय (सर्वेक्षण + अन्वेषणात्मक वेधन)

ओ.एन.जी.सी.

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1995–96 (वास्तविक)	1996–97 (वास्तविक)	1997–98 (वास्तविक)	1998–99 (स.अ.)
1	2	3	4	5
राजस्थान	16.49	16.42	16.14	15.03
गुजरात	170.22	151.83	132.80	164.97
असम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय	247.98	219.58	160.71	235.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल (अपतट सहित)	25.76	33.78	40.00	42.00
त्रिपुरा	49.37	44.04	50.46	46.00
जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.92	13.76	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	18.34	30.56	32.45	28.00
तमिलनाडु (अपतट सहित)	137.69	113.66	113.59	135.00
आंध्र प्रदेश (अपतट सहित)	215.01	199.12	179.56	139.00
महाराष्ट्र	358.68	418.00	444.54	767.00
योग (सं.उ.क. के अलावा)	1240.46	1240.75	1170.25	1572.00

नोट : 1. सर्वेक्षण क्षेत्रवार रखा जाता है। इसलिए उपरिवर्णित सर्वेक्षण पर व्यय उस राज्य में दिखाया गया है, जहां सर्वेक्षण क्षेत्र पार्टी का आधार कार्यालय स्थित है।

2. 1997–98 के दौरान गुजरात राज्य में अन्वेषणात्मक वेधन आंकड़ों में गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों शामिल हैं।

ओ. आई. एल

(करोड़ रुपये)

	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99 (फर. 99 तक)
असम और अ. प्र.	82.07	117.05	145.09	156.33
उत्तर प्रदेश	8.50	0.97	3.38	16.50
राजस्थान	7.42	4.09	16.40	7.12
सौराष्ट्र अपतट अन्वेषण	45.66	31.28	2.02	1.86

विवरण-VIII

निजी और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों के संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान हस्ताक्षर किए गए अन्वेषण ब्लाकों में व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	अन्वेषण ब्लाक	हस्ताक्षर करने की तारीख	राज्य	मार्च, 98 तक खर्च की गई धनराशि (अमरीकी मिलियन डालर)
1	2	3	4	5
	जमीनी ब्लाक			
1.	केजी–ओएन/1	16.7.98	आंध्र प्रदेश	0
2.	सीआर–ओएन–94/1	30.6.98	असम	0
3.	एएपी–ओएन–94/1	30.6.98	असम	0
4.	जीके–ओएन–90/2	16.7.98	गुजरात	0
5.	जीके–ओएन/4	30.6.98	गुजरात	0
6.	सीबी–ओएन/1	17.7.98	गुजरात	0
7.	सीबी–ओएन/3	16.7.98	गुजरात	0
8.	आरजे–ओएन–90/4	30.10.96	राजस्थान	1.33
9.	आरजे–ओएन–90/5	30.10.96	राजस्थान	1.78
10.	आरजे–ओएन/6	30.6.98	राजस्थान	0
11.	एए–ओएन/3	16.7.98	त्रिपुरा	0
12.	एए–ओएन/7	19.2.99	असम	0
			उप जोड़	3.11
	अपतटीय ब्लाक			
1.	केजी–ओएस/6	30.7.98		0
2.	जीके–ओएस/6	16.7.98		0
3.	सीबी–ओएस/2	30.6.98		0
4.	जीके–ओएसजे–1	16.7.98		0
5.	सीवाई–ओएस–2	19.11.96		0.513
6.	बीबी–ओएस–5	30.10.96		0.5
7.	सीबी–ओएस–1	19.11.96		12.11
			उप–जोड़	13.123
			कुल जोड़	16.233

[हिन्दी]

निजी इंटरनेट क्षेत्र में विदेशी पूंजी का निवेश

2739. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी इंटरनेट क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी के निवेश के लिए अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी हां। विदेशी इक्विटी, यदि कोई हो, तो वह मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार होगी। इस समय अधिकतम 49 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर टेलीफोन के कारण सुरक्षा संबंधी समस्या

2740. श्री टी. गोविन्दन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर टेलीफोन के आने से देश में विशेषकर सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में नीति में परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन संबंधी लाइसेंसों में राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

(ख) उक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सामग्री की अनुपलब्धता

2741. श्री अर्जुन सेठी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा दूरसंचार सर्किल के भद्रक जिले में आवश्यक सामग्री की अनुपलब्धता के कारण आप्टिकल फाइबर बिछाने के काम में विलंब हो गया है;

(ख) क्या समय पर सामग्री की अनुपलब्धता के कारण सर्किल के धामनगर, बारीकपुर, अगरपाडा और वासुदेवपुर के दूरसंचार टावर भी काम नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सर्किल में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये हैं/क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उक्त भाग (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

2742. श्री अशोक प्रधान : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 6 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2807 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाली धूल के कारण पैदा होने वाली गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में आवश्यक सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सूचना कब तक एकत्रित कर ली जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र से धूल नहीं निकलती। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बुलन्दशहर के संबंध में भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की है।

रैबीज के कारण होने वाली मौतें

2743. श्री आदित्यनाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रैबीज के कारण प्रतिवर्ष कितने लोगों की मृत्यु होती है; और

(ख) इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़ों के अनुसार रैबीज के कारण वर्ष 1996 से 1998 तक हुई मौतों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :–

वर्ष	मौतें
1996	622
1997	386
1998 (अनंतिम)	290

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना से ही राज्य शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यों के लिए केनाइन रैबीज नियंत्रण यूनिटों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते रहे हैं :–

1. सभी पालतू कुत्तों की लाइसेंसिंग करना और उनको अनिवार्यता टीका लगाना।
2. आवारा कुत्तों का सफाया करना।
3. दूसरे पशुओं द्वारा काटे जाने के बाद उपचार करना, और
4. इस कार्य क्षेत्र में टीका न लगाए गए कुत्तों के प्रवेश पर रोकथाम करना।

आज तक देश में ऐसे 60 केनाइन नियंत्रण यूनिट हैं। यह कार्यक्रम 9वीं योजना के दौरान भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उत्पादन

2744. श्री संदीपान थोरात : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल, डीजल, मिटटी का तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उत्पादन के बीच इस समय कितना अन्तर है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इनका कितना आयात किया गया;

(ख) क्या आठवीं योजना के दौरान पेट्रोलियम का उत्पादन लक्ष्य काफी कम रहा;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निकट भविष्य में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल ही में की गई नीतिगत पहल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौवीं योजना हेतु और 1999–2000 के दौरान निजी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित कुल प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) संशोधित अनुमान के अनुसार वर्तमान वर्ष 1998–99 के दौरान उत्पादन और मांग में कुल अंतर 16.557 एम एम टी होने का अनुमान है। वर्ष 1998–99 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और मांग के बीच कुल अंतर निम्नानुसार है :

आंकड़े टी एम टी में

उत्पाद	उत्पादन	मांग	अंतर
1	2	3	4
एल पी जी (फैक्ट सहित)	3,448	4,980	(1,532)
एन ए पी/एन जी एल	7,621	6,550	1,071
एम एस	5,341	5,519	(178)
ए टी एफ	2,142	2,146	(4)
एस के ओ	5,325	10,640	(5,315)
एचएसडी:एलएस(0.25%एस)	1,100	3,196	(2,096)
नियमित	25,629	34,619	(8,990)
उप जोड़	26,729	37,815	(11,086)
एल डी ओ	1,178	1,275	97)
एफ ओ/एल एस एच एस	11,699	11,206	493
बिटुमेन	2,282	2,280	2
ए वी गैस	0	3	(3)
अन्य (ए वी गैस के अलावा)	1,725	1,392	333
उप जोड़	67,490	83,806	16,316
स्नेहक	607	868	(261)
योग	68,097	84,674	(16,577)

पिछले तीन वर्षों और 1998–99 (अप्रैल–दिसंबर, 1998) के दौरान आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा : '000' टन)

उत्पाद	1995–96	1996–97	1997–98*	1998–99* (अप्रैल–दिसंबर)
एल पी जी	678	1035	1087	1039
मोगैस	435	449	331	251
नाफ्था	–	–	–	40
एन जी एल	–	–	–	–
एस के ओ	5001	4279	3812	4422
ए टी एफ	101	156	59	2
एच एस डी	12852	13608	14075	7868
एल डी ओ	–	–	–	–
एफ ओ	1209	694	141	514
एल एस एच एस	–	–	–	–
बिटुमेन	–	–	–	–
स्नेहक/ग्रीस	58	44	25	11
अन्य	–	–	–	–
योग	20334	20265	19530	14147

* अनन्तिम

(ख) और (ग) आठवीं योजना के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 197.32 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 154.28 मिलियन टन था। उत्पादन में कमी के मुख्य कारण मुख्य तेल क्षेत्रों की अवधि अधिक हो जाना, पश्चिमी अपतट के मुख्य तेल क्षेत्रों, विशेष रूप से बम्बई हाई, नीलम और हीरा तेल क्षेत्रों से प्रत्याशित उत्पादपन में कमी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में बार–बार विद्युत बंदी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कठिन प्रचालन परिस्थितियां आदि थे।

(घ) कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किए गए नीतिगत उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) अन्वेषण कार्यों में प्रतिभागिता के लिए निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को बढ़ावा देना।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति लागू करना।

(3) वर्तमान बेसिनों में अन्वेषण प्रयास तीव्र करना और इन्हें गहन जल तक बढ़ाना।

(4) उच्च जी ओ आर और उच्च जल कटाव कूपों को बंद करने, वर्धित पहुंच वेधन, क्षैतिज और नालिका छिद्र वेधन इनफिल वेधन, जल अंतःक्षेपण के पुनर्वितरण, वायु अंतःक्षेपण और डब्ल्यू ए जी के संभावित अनुप्रयोग जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से बम्बई हाई तेल क्षेत्रों का बेहतर दीर्घावधिक रिजर्वायर प्रबंधन।

(5) नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन/विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास और नए क्षेत्रों का विकास।

(6) विदेशों में इक्विटी तेल का अर्जन।

(ङ) पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए नौवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय 74014.18 करोड़ रुपये है (केवल सार्वजनिक क्षेत्र)/ 1999–2000 के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र हेतु योजना परिव्यय के अंतर्गत बजट अनुमान 12,123 करोड़ रुपये है। निजी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्तर निवेशकों को हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में उपलब्ध वर्तमान अवसरों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन अदालतें

2745. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन अदालतें आयोजित करने के मौजूदा मानदंड क्या है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्यवार कितनी टेलीफोन अदालतें आयोजित की गईं; और

(ग) इन अदालतों में कितने मामले प्राप्त किए गए और उनमें से राज्यवार कितने मामले निपटाये गये?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक तीन महीने में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी दूरसंचार सर्किलों/जिलों में अदालतें आयोजित की जानी अपेक्षित हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के सतना तथा रीवा जिलों में रसोई गैस के डीलर

2746. श्री रामानंद सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सतना तथा रीवा जिलों के रसोई गैस डीलरों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक के पास कितने–कितने कनेक्शन हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश डीलरों द्वारा रसोई गैस की कमी बताकर इनके सिलिंडरों की कालाबाजारी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सतना जिले में पांच एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनकी ग्राहक संख्या 26919 है तथा रीवा जिले में तीन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनकी ग्राहक संख्या 22261 है।

(ख) से (घ) तेल कंपनियों ने बताया है कि दोनों जिलों में किसी भी एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ एल पी जी की कालाबाजारी की कोई शिकायत सिद्ध नहीं हुई है। तथापि वर्ष 1997–98 के दौरान दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने पर, एक सतना तथा एक रीवा जिले में, दो एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई थी।

अपराधों को रोकने के उद्देश्य से तेल कंपनियां, नियमित व आकस्मिक निरीक्षणों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटरों की कार्य प्रणाली पर नियमित निगरानी रखती हैं।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2747. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम ने देश में वांछित सफलता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तय किए गए लक्ष्यों से पिछड़ रहे राज्य कौन–कौन से हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन्हें लक्ष्यों प्राप्त अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्ष 1999–2000 के लिए कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य को कितना आबंटन किया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) नमूना पंजीकरण प्रणाली, 1997 के अनुसार देश में जन्म दर 1995 में 28.3 से कम होकर 1997 में 27.2 हो गई है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के पर्याप्त प्रभाव की द्योतक है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय स्तर पर 8वीं योजना के लिए 26 की आशोधित जन्म दर के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्रमुख राज्यों में असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु राज नेतृत्व और समुदाय द्वारा सीमित सहयोग, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा में मंद प्रगति और परिणाम देने के लिए क्षेत्रस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अल्प जिम्मेदारी इन राज्यों मे इस कार्यक्रम के धीमे कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारक हैं। भारत सरकार शीघ्रता से प्रभावी सुधार लाने के लिए इन राज्यों पर जोर डाल रही है।

(ङ) जनसंख्या स्थिरीकरण और जन्म दर कम करने के लिए गर्भ निरोध, शिशु जीवन रक्षा तथा मातृ स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर एक साथ ही ध्यान देन की जरूरत है। इन राज्यों के अस्पतालों में प्रसवों की प्रतिशतता बहुत ही कम है जिससे मातृ मृत्यु दर और बच्चों में नवजात मृत्यु दर दोनों बढ़ जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे कार्यशील प्रसव सुविधाएं स्थापित करने के लिए इन राज्यों का सहायता प्रदान की जा रही है और नकद सहायता पंचायतों को प्रदान की गई है जिससे कि महिलाओं को प्रसव होने के समय समीपस्थ अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था की जा सके। राज्यों को सहायक नर्सधात्रियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए सहमत किया जा रहा है जिससे कि रोग–प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जलीकरण, विटामिन–ए, शिशुओं के लिए आयरन फालिक एसिड तथा रक्ताल्पता की सुविधा, टेटनस रोग प्रतिरक्षण और गर्भकाल के दौरान परीक्षण की सुविधा गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाती है। दूर–दराज के क्षेत्रों में और अधिक सहायक नर्सधात्रियों के लिए इन राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। जिला और उप जिला स्तरों के सरकारी अस्पतालों को राज्य सरकार के माध्यम से कहा जा रहा है कि वे टीके, गर्भ निरोधक और मुखीय पुर्नजलीकरण पैकेट नागरिकों को अविलंब मुहैया कराएं। यह सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य सरकारों को सहमत कराया जा रहा है कि जिला और उप जिला स्तरों के अस्पताल नियमित आधार पर वर्ष भर बंध्यीकरण और आई यू डी सुविधा अवश्य उपलब्ध कराएं। इसके अलावा, इन राज्यों को शेष देश की भांति वर्तमान सुविधाएं दी जाती रही हैं।

(च) परिवार कल्याण बजट का ऐसा राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया जाता है तथा सहायता प्रदान की जाती है।

यूनानी फार्मूलरी की पुनरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश

2748. श्री अमर राय प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी जी एच एस यूनानी फार्मूलरी की पुनरीक्षा के लिए फरवरी, 1995 में दिशा निर्देश तैयार किए गए थे और इन्हें 22 फरवरी, 1995 को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन पर अभी तक सही अमल नहीं हो पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें उचित रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित दिशा–निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। इनको उचित प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विषय : केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी फार्मूलरी के संशोधन के लिए दिशा–निर्देश से संबंधित

डॉ. श्रीमती सरोज सागर, अपर निदेशक (चिकित्सा भंडार डिपो) की अध्यक्षता में उनके चैम्बर में 7.2.95 को सायं 2.30 बजे क्रय सलाहकार समिति की एक बैठक हुई। बैठक में उप सलाहकार समिति के सदस्यों, दिल्ली में कार्यरत (तदर्थ को छोडकर) सभी यूनानी चिकित्सकों और डॉ. सी. पी. गुप्ता, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक भंडार ने विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद सभी सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी फार्मूलरी के संशोधन के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की एकमत से सिफारिश की :–

1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी फार्मूलरी को दो साल में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए और यह पूरे भारत की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में लागू/ कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

2. शामिल क्लासिकल औषधों को अधिप्रमाणित संदर्भ पुस्तकों से लिया जाना चाहिए जो यूनानी औषधों के विनिर्माण के लिए औषध नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों।

3. अत्यधिक रोगों को कवर करने के लिए मौजूदा फार्मूलरी में परिवर्धन और विलोपन किया जाना चाहिए।

4. परिवर्धन और विलोपन के लिए दिल्ली और दिल्ली से बाहर की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी के सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए।

5. फार्मूलरी के पेटंट/स्वामित्व औषधें भाग "ख" के संबंध में औषधों के साथ फर्मों के नाम को सम्मिलित करने की मौजूदा प्रणाली को बंद कर दिया जाना चाहिए।

6. पेटंट औषधों की आवश्यकता को रोग समूहों द्वारा शामिल किया जाना चाहिए जैसाकि आयुर्वेदिक भडार में किया जाता है और निविदा मांग कर चयन किया जाना चाहिए।

7. रोग समूह की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और उसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी पद्धति की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

8. स्वामित्व/पेटंट औषधों का चयन करते समय उन्हें निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :–

(i) औषध नियंत्रण प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें बताया जाना चाहिए कि यह खास औषध "यूनानी" के अंतर्गत औषध नियंत्रण प्राधिकारी के पास पंजीकृत है।

(ii) विशेष रोग श्रेणी की नैदानिक परीक्षण रिपोर्ट, जिसके लिए औषध तैयार की गई है, को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) औषधों का पूरा फार्मूला भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iv) औषधें जिनकी वैज्ञानिक क्लीनिकल ट्रायल रिपोर्ट किसी/प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित हुई है का संदर्भ भी दिया जाना चाहिए।

(v) औषधें जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी को दो वर्षों से अधिक समय से लगातार सप्लाई की जा रही है कि तरजीह दी जानी चाहिए।

(vi) यदि आवश्यक हो तो औषधों की अनुपलब्धता के लिए फार्मूलरी की मध्यावधि समीक्षा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

गुजरात में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज

2749. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है;

(ख) इन कालेजों को मान्यता दिए जाने के संबंध में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें मान्यता कब दी गई;

(घ) क्या राज्य में कुछ मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) मेडिकल कालेजों के नाम और मान्यता प्राप्ति के वर्ष संलग्न विवरण में दिए हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के पास संबंधित विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान आवेदन भेज सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के लागू होने के उपरांत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त कालेजों के मामले में, इस प्रक्रिया पर तब अमल किया जाता है जब उस कालेज द्वारा दाखिला प्राप्त छात्रों का पहला बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठता है। परिषद् यह सुनिश्चित करने के लिए किसी मेडिकल कालेज का मूल्यांकन करती है कि वह परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रहा है। इसके बाद विश्व विद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उन्हें सम्मिलित करके मान्यता प्रदान की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	कालेज/विश्वविद्यालय/राज्य का नाम	मान्यता प्राप्ति का वर्ष
	गुजरात	
	गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद	
1.	बी. जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	1951
2.	म्युनिसीपल मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	1967
	एम. एस. यूनिवर्सिटी आफ बड़ोदा, बडोदा	
3.	मेडिकल कालेज, बड़ोदा	1955
	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	
4.	एम. पी. शाह मेडिकल कालेज, जामनगर	1968
	साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	
5.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सूरत	1973
	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ, विद्यानगर, गुजरात	
6.	परमुखस्वामी मेडिकल कालेज, करमसाद	1995
	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त मेडिकल कालेज खोलना	
7.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, राजकोट	28.7.95
8.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, भाव नगर	28.7.95

डाकखानों में टेलीफोन कनैक्शन

2750. श्री मित्रसेन यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी डाकखानों में टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन डाकखानों की संख्या क्या है जहां अभी यह सुविधा दी जानी है; और

(ग) ऐसे डाकखानों को यह सुविधा कब तक प्रदान करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) जिन डाकघरों में अभी यह सुविधा मुहैया कराई जानी है, उनकी संख्या 7547 है।

(ग) डाकघरों में टेलीफोन की सुविधा मांग होने, औचित्पूर्ण होने तथा संसाधन उपलब्ध रहने पर मुहैया कराई जाती है।

[अनुवाद]

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण

2751. कर्नल सोनाराम चौधरी : *क्या* **विद्युत** *मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जनवरी, 1999 के अंत तक पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ग्राम विद्युतिकरण की प्रगति नीचे दी गई है :–

क्र. सं.	जिलों का नाम	कुल बसे हुए ग्राम (1991 जनगणना)	विद्युतिकृत ग्राम	प्रतिशतता
1.	बाडमेर	1625	1467	90.3
2.	जैसलमेर	518	244	47.1
3.	जोधपुर	860	860	100

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना

2752. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में कोठापन्नम नामक स्थल पर 500 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना को स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विद्युत संयंत्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में कोठापटनम नामक स्थान में 500 मे.वा. वाली विद्युत परियोजना की स्थापना किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि कृष्णापटनम और कोठागुडम में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

कृष्णापटनम और कोठागुण्डम में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.स.	परियोजना नाम	क्षमता (मे.वा.)	लागत	स्थिति
1.	कृष्णापट्टनम 'बी' (मै. बीबीआई पावर कृष्णापटटनम कंपनी)	2x260	355.13 मिलियन अमेरिकन डालर+ 960.614 करोड़ रु.	के.वि.प्रा. ने अपने दिनांक 16.6.98 के पत्र द्वारा परियोजना को टी. ई. सी. जारी कर दी थी। परियोजनाओं को वित्तीय समापन की तिथि से 36 माह की अवधि के भीतर पूरी करने का प्रस्ताव है।
2.	कृष्णापट्टनम 'ए' (मै. जी.वी.के., पावर कृष्णापट्टनम लिमिटेड)	2x260	377.56 मिलियन अमेरिकन डालर + 1089.729 करोड रु. (डीपीआर के अनुसार)	डीपीआर के.वि.प्रा. में जांचाधीन है डीपीआर के अनुसार परियोजना को टी.ई.सी. जारी कर दी थी परियोजना को वित्तीय समापन की तिथि से 39 माह की अवधि के भीतर पूरी करने का प्रस्ताव है।
3.	कोठागुडम चरण–4 (एपीएसईबी)	2x260	1804 करोड़ रु.	ए.पी.एस.ई.बी. द्वारा अप्रैल, 1997 में प्रस्तुत की गई डीपीआर को 31.7.97 को लौटा दिया गया था क्योंकि अपेक्षित निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित नहीं की गई थी।

एल. एन. जी. की आपूर्ति संबंधी समझौता

2753. श्री एस. एस. ओवेसी :

डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतर के अलावा कई अन्य देशों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल. एन. जी.) की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कतर के प्रस्ताव की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) एल. एन. जी. की इस भारी मात्रा की आपूर्ति के लिए क्या कार्यनीति बनाई गई है; और

(घ) एल एन जी को किस कीमत पर आयात किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जी हां। एल एन जी की आपूर्ति के लिए 17 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रतियोगी बोली प्रस्तावों तथा बड़ी मात्रा में एल एन जी की आपूर्ति में सक्षमता के आधार पर कतार की मैसर्स रासगैस कंपनी का चयन किया गया था। एल एन जी का मूल्य निर्धारण बिक्री खरीद करार को अंतिम रूप दिए जाने पर ही किया जाएगा।

इन्टरनेट कनैक्शन

2754. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को इंटरनेट से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के सभी जिलों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आगरा से दूरसंचार विभाग को छात्र खाते से इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आवेदनों पर शहर में कितने कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) शेष कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(ज) क्या छात्र खाते से दिल्ली में भी इंटरनेट कनेक्शन दिए गए हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) 26.1.2000 तथापि, निकटतम इंटरनेट नोड से स्थानीय काल आधार पर इंटरनेट में संपर्क सुविधा पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

(ग) उक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) आगरा में 10 छात्रों ने "छात्र शेल खाते" के लिए आवेदन किया है जिन्हें अभी प्रदान किया जाना है।

(च) इस समय आगरा मे काम कर रहा इंटरनेट नोड एक राइटर आधारित नोड है जिसमें कोई सर्वर नहीं है तथा आगरा में उनके सर्वरों में सभी इंटरनेट छात्र शेष खाते वी एस एन एल द्वारा सृजित किए गए हैं। तथापि, इस समय तकनीकी व्यवहार्यता न होने के कारण उनके द्वारा उक्त खाते सृजित नहीं किए जा सके।

(छ) आगरा में मौजूदा इंटरनेट नोड के उन्नयन के बाद जिसके 26 जनवरी, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ज) जी हां।

(झ) दिल्ली में वी एस एन एल द्वारा 2741 छात्र शेल खाते प्रदान किए गए हैं।

अस्पतालों का आधुनिकीकरण और उन्नयन

2755. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी और अन्य स्थानों पर केन्द्रीय अस्पतालों में सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन अस्पतालों में आधुनिकीकरण और उन्नयन योजना शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) अस्पताल-वार कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने और उनका दर्जा बढ़ाने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे इस प्रकार है :

1. डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल में कार्डियो-थोरेसिक वास्कुलर सर्जरी विभाग का सुदृढ़ीकरण और सफदरजंग अस्पताल में सी टी वी एस और कार्डियोलाजी विभाग का दर्जा बढ़ाना।

9वीं योजना अवधि में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 7.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सी टी वी एस की स्थापना करने और सफदरजंग अस्पताल में 5.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सी टी वी एस और कार्डियोलाजी विभाग का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 1.7.1997 को अनुमोदित कर दिया गया है। इन विभागों में पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना और आपात कालीन सेवाओं में वृद्धि करना।

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सबद्ध अस्पतालों में 629 लाख रुपये की अनुमानित लागत से दुर्घटना और आपातकालीन सेवाओं में वृद्धि करने के एक प्रस्ताव को स्थायी वित्त समिति द्वारा दिनांक 10.2.1998 को अनुमोदित कर दिया गया है। इन अस्पतालों में पदों के सृजन के प्रस्ताव की इस मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग से परामर्श करके जांच की जा रही है।

3. अर्थोस्कोपी तथा स्पोर्ट्स इंजुरी क्लिनिक, सी आई ओ सफदरजंग अस्पताल

सी आई ओ सफदरजंग अस्पताल में अर्थोस्कोपी और स्पोर्टस इंजुरी क्लिनिक स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव 21.5.98 को स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानित व्यय 362.70 लाख रुपये होंगे।

4. बर्न्स और प्लास्टिक विभाग, सफदरजंग अस्पताल

सफदरजंग अस्पताल के बर्न्स और प्लास्टिक विभाग में भी सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन का काम शुरू किया गया है।

5. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दुर्घटना और अभिघात ब्लाक

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तिकोना भूखंड पर जिसे शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा आबंटित किया गया है दुर्घटना और अभिघात ब्लाक की स्थापना करने के संबंध में भी एक प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय वन नीति

2756. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 क्रियान्वित की जा रही है; और

(ख) सरकार द्वारा इस नीति को शेष राज्यों में क्रियान्वित किए जाने सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वन नीति 1988 सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू होती है। राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय नीति के ढांचे के अंतर्गत अपने स्वयं के कार्यक्रम तैयार किए हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मुम्बई हाई में कच्चे तेल का उत्पादन

2757. श्री रामशेठ ठाकुर क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र मुम्बई हाई में कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या यह उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मुंबई हाई के तेल क्षेत्र से अधिकतम तेल निकाले जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों की तुलना में बंबई हाई से कच्चे तेल का उत्पादन निम्नवत् रहा है :

(आंकडे मि.मी. टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1995–96	15.740	13.578
1996–97	13.928	12.040
1997–98	10.769	12.434

उत्पादन में कमी का मुख्य कारण यह है कि इस तेल क्षेत्र के मुख्य उत्पादक रिजर्वायर प्राकृतिक रूप से घटते चरण में प्रवेश कर गए हैं। कुछ कूप उच्च गैस तेल अनुपात तथा अधिक जल कटाव से ग्रस्त हैं।

(घ) तेल क्षेत्र के निष्पादन मे तथा निकासी कारक में सुधार करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति द्वारा निगरानी योग्य एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें निम्नवत् शामिल है :

(1) हाल ही में अर्जित त्रि–आयामी भूकंपीय आंकड़ों द्वारा बम्बई हाई क्षेत्र के बहु–परतीय रिजर्वायर की जटिलताओं को बेहतर ढग से समझने के लिए रिजर्वायर लक्षण चित्रण।

(2) बड़े तेल क्षेत्रों के छोड़ दिए गए अनट्रेन्ड भागों के दोहन के लिए इन–फिन कूपों का वेधन।

(3) बेहतर समनुरूपन के उद्देश्य से इंजेक्शन जल का पुनःवितरण।

(4) सही निष्पादन न करने वाले कूपों को नए सिरे से पूरा करना।

(5) तेल क्षेत्र से निकासी में सुधार करने के लिए भावी विकास कार्य नीति तैयार करने के उद्देश्य से ओ एन जी सी द्वारा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रिजर्वायर परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

(6) अतिरिक्त गैस और जल के उत्पादन को नियंत्रित करने और अंतःक्षेपकों के अनुरूपता नियंत्रण हेतु कुछ निर्धारित क्षेत्रों में जल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में विशेषज्ञों की सेवाएं किराये पर ली गई हैं।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार

2758. श्री मोतीलाल वोरा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में राजनंदगांव और कवर्धा में टेलीफोन सुविधा में सुधार के बारे में कोई ज्ञापन/पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और क्या निष्कर्ष रहे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) सेवाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं।

(1) स्विचन उपस्कर, पारेषण उपस्कर तथा बाह्य संयंत्र का उन्नयन किया जा रहा है।

(2) टेलीफोन एक्सचेंज इसके संबद्ध पारेषण माध्यम से अनुरक्षण के संबंध में शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है।

(3) खराब ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(4) एम.ए.आर.आर. पर सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को सौर पैनल प्रदान किए जा रहे हैं।

(5) उन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त इंजिन आल्टरनेटरों की व्यवस्था करना जहां ऊर्जा की आपूर्ति विश्वसनीय नहीं है।

(6) दूरवर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए डब्ल्यू एल एल तथा टी डी एम/पीएमपी की शुरूआत करना।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में पुलों और पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

2759. डॉ. महंत चरण दास : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 के दौरान मध्य प्रदेश के पुराने राजमार्गों के रखरखाव पर किया कुल व्यय कितना है;

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के रखरखाव और कोयले का उपयोग किये बिना इन पुलों को बीच से जोडकर उनका विस्तार करने की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किए जा रहे कार्यों की जांच की है; और

(घ) यदि हो, तो रखरखाव संबंधी कार्य को जारी रखने हेतु क्या कार्यवाही की गई और रखरखाव कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देबेन्द्र प्रधान) : (क) 1999–2000 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर होने वाला कुल व्यय निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) पुलों का रखरखाव तथा उनके विस्तार जोड़ और वियरिंग कोट संबंधी कार्य निधियों की उपलब्धता के तहत आवश्यकता–नुसार किए जाते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है तथा राज्य लो. नि. वि. मंत्रालय द्वारा नियत मानदंडों के अनुरूप यह कार्य करता है।

सीमा पार अवैध शिकार

2760. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में लुप्तप्राय जानवरों और दुर्लभ पक्षियों को सीमापार से शिकार किये जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की दर्ज की गई घटनाओं का अभयारण्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमापार से अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अर्थ सम्मिट

2761. श्रीमती रमा देवी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अर्थ सम्मिट" 1992 में कुछ नीतिगत निर्णयों और कार्यक्रमों पर सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन निर्णयों को लागू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) से (घ) अर्थ सम्मिट 1992 के परिणाम निम्नलिखित हैं :

1. पर्यावरण तथा विकास पर रियो घोषणा, जो सरकारों तथा व्यक्तियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों के रूप में सतत् विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।
2. एजेंडा–21 को अपनाना, जो पर्यटन की सुरक्षा तथा इसे विकास के अनुकूल बनाए जाने के लिए कार्रवाई संबंधी विस्तृत कार्यक्रमों का सैट है।
3. सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण तथा सतत् विकास पर एक विश्व स्तरीय आम सहमति हेतु कानूनी बाध्यता रहित प्राधिकृत सिद्धातों के विवरण पर समझौता।
4. जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वैंशन तथा जैवीय विविधता कन्वैंशन पर हस्ताक्षर।

पर्यावरणीय कार्रवाई हेतु भारत की प्राथमिकताएं जो "अर्थ सम्मिट" में भी प्रतिबिम्बित हुई हैं, राष्ट्रीय नीतियों तथा योजनाओं का अंग हैं। योजना तथा विकास की प्रक्रियाओं तथा उसी तरह से राष्ट्रीय संरक्षण नीति तथा पर्यावरण एवं विकास संबंधी नीति विवरण, पर्यावरण कार्यक्रम दस्तावेज तथा पंचवर्षीय योजनाओं में एजेंडा–21 से संबंधित मामलों को शामिल कर लिया गया है।

वकैब्यूलरि आफ मेडिकल स्टोर्स जारी करना

2762. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 से केन्द्र और राज्यों के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और संस्थानों को वकैब्यूलरि आफ मेडिकल स्टोर्स (वी एम एस) भारी मात्रा में आपूर्ति की जाने वाली आवश्यक दवाइयों की सूची जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी मात्रा में आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए इस सूची को वार्षिक रूप से जारी करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसे जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या वकैब्यूलरि आफ मेडिकल स्टोर्स के अभाव में भारी मात्रा में दवाओं की स्थानीय खरीद की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1997–98 के दौरान तथा आज तक कुल कितनी राशि की दवाओं की स्थानीय खरीद की गयी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) जी, नहीं। वी. एम. एस. को समय पर ही अद्यतन किया जाता है। वी. एम. एस. और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मूलरी में जेनरिक औषधों की सूची का अंतिम अद्यतनी काल 20.1.99 को किया गया था यद्यपि इस मुददे की व्यापक जांच करने के लिए गठित समिति की सिफारिशें होने तक पेटेंट स्वामित्व वाली औषधों की मौजूदा सूची चल रही है।

(घ) और (ङ) चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन विभिन्न मांगकर्ताओं द्वारा की गई दवाइयों की स्थानीय खरीद का रिकार्ड नहीं रखता। तथापि इस मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्र तट के निकट विद्युत परियोजना

2763. श्री रवि सीता राम नायक : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत के समुद्रतट के निकट कुछ विद्युत संयंत्रों की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा नवंबर, 1998 में बृहत विद्युत परियोजनाओं के लिए जारी किए गए संशोधित नीति दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को भारतीय तटीय रेखा के साथ–साथ स्थापित किया जाएगा।

पूर्वी तट

1. तमिलनाडु में कुड्डालोर (1000 मे.वा.)
2. आंध्र प्रदेश में कृष्णामट्टनम (1500 मे.वा.)

पश्चिमी तट

3. गुजरात में पीपावाव (2000 मे.वा.)
4. गुजरात में नर्मदा (1000 मे.वा.) जिसका विस्तार 2000 मे.वा. तक किया जाना है।

उपर्युक्त के अलावा दो अथवा दो से अधिक परियोजनाओं को बाद में पश्चिमी तट पर विकसित किया जा सकता है। कुड्डालोर और पीपावाव परियोजनाओं के लिए आर. एफ. क्यू. जारी किया जा चुका है और दिसम्बर, 1999 तक संभवतः अंतिम विकासक का चुनाव कर लिया जाएगा।

तमिलनाडु के पोरियार और थरनगम्बदी क्षेत्रों में कच्चे तेल की उपलब्धता

2764. श्री के. कृष्णमूर्ति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु के पोरियार और थरनगम्बदी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तेल उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में एक रिफाइनरी स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने इस क्षेत्र में तीन तेल एवं गैस क्षेत्रों अर्थात् मत्तूर, कुथालम तथा काली की खोज की है। इन तीन क्षेत्रों में से कुथालम तथा काली पोरेयार और थरंगबाडी के निकट है।

(ख) से (घ) शोधन क्षेत्र जून, 1998 से अनुज्ञप्ति मुक्त है। कोई भी उद्यमी तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए किसी भी स्थान पर रिफाइनरी स्थापित कर सकता है। वर्तमान में इन क्षेत्रों के अंतर्गत रिफाइनरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एस. टी. डी. सुविधा

2765. श्री राम विलास पासवान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भागलपुर और बांका को एस. टी. डी. प्रणाली से शीघ्र जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) भागलपुर और बांका पहले ही एस. टी. डी. सुविधा से जुड़े हुए हैं।

(ग) उक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं का विस्तार

2766. श्री बी. एम. मेनसिंकाई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कहां और क्या सेवायें प्रदान की जाती है;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं जिला मुख्यालयों में ही प्रदान करने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) कर्नाटक राज्य में बंगलौर शहर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन लाया गया है। बंगलौर में 10 एलोपैथिक औषधालय, 2 आयुर्वेदिक औषधालय 1, होम्योपैथिक औषधालय, 1 पॉलिकिल्निक, 1 डेंटल यूनिट और 2 प्रयोगशालाएं हैं। बंगलौर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन 16 प्राइवेट अस्पतालों को भी मान्यता दी गई है जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को उपचार के लिए रेफर किया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) निधियों और कार्मिक शक्ति की कमी के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सिक्किम में रसोई गैस वितरण केन्द्र

2767. श्री भीम दाहाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने केन्द्र सरकार से विभिन्न जिलों और उप-मंडल मुख्यालयों में अतिरिक्त रसोई गैस केन्द्र खोलने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त कार्य हेतु कोई संभाव्यता अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(च) सिक्किम में शीघ्र क्षतिग्रस्त होने वाले क्षेत्र और इसके परिणामस्वरूप वन संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार राज्य में अतिरिक्त रसोई गैस केन्द्रों के खोलने नियमों में छूट देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (छ) नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, तेल उद्योग के साध्यता मानकों को पूरा करने वाले व्यवहार्य स्थानों पर खोली जाती हैं। एल पी जी विपणन योजना 1996-98 के अंतर्गत सिक्किम के लिए कोई नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रस्तावित नहीं है।

वर्तमान में इस राज्य की एल पी जी जरूरत को पूरा करने के लिए वहां तीन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनकी ग्राहक संख्या 29935 है। आज की तारीख में वहां कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। तेल कंपनियों को, पूरे देश में पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसमें सिक्किम भी सम्मिलित है, काउंटर पर एल पी जी कनेक्शन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

गोंडा में डाक और तार घर

2768. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थान वार कितने डाक और तार घर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या जिले में डाक और तार घरों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त जिले में नये डाक और तार घर खोलने और मौजूदा डाक और तार घरों का उन्नयन करने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) :

डाक विभाग

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कार्यरत डाकघरों की स्थानवार संख्या, जिनमें वे डाकघर भी शामिल हैं जो पूर्ण तार सुविधाएं (सी ओ) और फोनोकाम सुविधाएं (पी सी ओ) प्रदान कर रहे हैं, विवरण–I में दी गई है।

दूरसंचार विभाग

पिछले तीन वर्षों के दौरान गोंडा जिले में कार्यरत तारघरों की संख्या, स्थानवार, के बारे में जानकारी विवरण–II में दी गई है।

(ख) से (ङ) डाक विभाग।

जी नहीं। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य पूरा होने और संसाधन उपलब्ध होने पर खोले जाते हैं उनका दर्जा बढ़ाया जाता है।

दूरसंचार विभाग

जी नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तारघरों की कोई कमी नहीं है। निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार न तो नए तारघर खोलने और न किसी मौजूदा तारघर का दर्जा बढ़ाने का औचित्य है। संयुक्त डाक व तार घर का स्वतंत्र तारघर के रूप में दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी निर्धारित मानदंड और मानक पूरे नहीं करता है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में डाकघरों के नामों को दर्शाती सूची

गोंडा जिला

डाकघरों का सार

प्रधान डाकघर	1
उप डाकघर	39
अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	13
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	306

क्र.सं.	डाकघर का नाम	संयुक्त डाक तार घर	पीसीओ
1	2	3	4
1.	गोंडा प्रधान डाकघर	–	पीसीओ
2.	उप डाकघर बालपुर	–	पीसीओ
3.	बनकटवा	–	पीसीओ
4.	बरगोडीकोटा	–	पीसीओ
5.	बड़गांव	–	पीसीओ
6.	बेगमगंज	–	पीसीओ
7.	बी. बी. सिंह	–	पीसीओं
8.	बलसार	संयुक्त डाक–तार घर	पीसीओ
9.	बी. बेरिया	–	पीसीओ
10.	बनकटवा देहात	–	पीसीओ
11.	बेवनन एस. एफ.	–	पीसीओ
12.	चंदापुर	–	पीसीओ
13.	सिविल लाइन गोंडा	–	पीसीओ
14.	कर्नलगंज	संयुक्त डाक–तार घर	पीसीओ
15.	दधुआ बाजार	–	पीसीओ
16.	डी. पी. घाट	–	पीसीओ
17.	गौरा चौकी	–	पीसीओ
18.	गोंडा सिटी	–	पीसीओ
19.	कटरा बाजार	–	पीसीओ
20.	कौड़िया	–	पीसीओ
21.	खोरासा	–	पीसीओ
22.	खडगूपुर	संयुक्त डाक–तार घर	पीसीओ
23.	इटियाथोक	वही	पीसीओ
24.	आई टी आई मनकापुर	–	पीसीओ
25.	मनकापुर	संयुक्त डाक–तार घर	पीसीओ
26.	मनकपुर बाजार	–	पीसीओ
27.	मनैपुर	–	पीसीओ
28.	मसकनवा आरएस	संयुक्त डाक तार घर	पीसीओ
29.	मोतीगंज	वही	पीसीओ
30.	नवाबगंज	वही	पीसीओ
31.	नवाबगंज एसएफ	–	पीसीओ
32.	पारसपुर	संयुक्त डाक तार घर	पीसीओ
33.	सादुल्लानगर	–	पीसीओ
34.	श्रीनगर	–	पीसीओ
35.	पूरे शिवदयालगंज	–	पीसीओ
36.	तारबगंज	संयुक्त डाक तार घर	पीसीओ
37.	उतरौला रोड	–	पीसीओ
38.	उतमकम्हार कारिया	–	पीसीओ

1	2	3	4
39.	बस स्टेशन गोंडा.	–	पीसीओ
40.	वजीरगंज	–	पीसीओ
अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर			
41.	आदमपुर	–	पीसीओ
42.	बाभनजोटे	–	पीसीओ
43.	बभनीगनेअंगा	–	पीसीओ
44.	बरौली	–	पीसीओ
45.	बुधैपुरवा	–	पीसीओ
46.	दबहा बाजार	–	पीसीओ
47.	धनवान	–	पीसीओ
48.	हल्धरमाऊ	–	पीसीओ
49.	केशवपुर पडवा	–	पीसीओ
50.	पसका	–	पीसीओ
51.	पंडूरी करीपाल	–	पीसीओ
52.	स्वामी नारायण चापिया	–	पीसीओ
53.	रूपैडीह	–	पीसीओ
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर			
54.	बनवरिया	–	–
55.	बनजारिया	–	–
56.	चंदवातपुर	–	–
57.	देबहारे	–	–
58.	फिरोजपुर तरहार	–	–
59.	झाऊआना	–	–
60.	खडगीचांदपुर	–	–
61.	माधेपुर	–	–
62.	मोकलपुर	–	–
63.	पेंडी अजब सिंह	–	–
64.	थडाक्की पट्टी	–	–
65.	पथवालिया	–	पीसीओ
66.	महाराजगंज	–	–
67.	फेरबिसगंज	–	पीसीओ
68.	दुखहरनाथ	–	पीसीओ
69.	तिलकादेश	–	–
70.	बामडेरा	–	–
71.	बरुईगोंडा	–	–

1	2	3	4
72.	दुरगोन्धवा	–	–
73.	हादीगारा	–	–
74.	कैथहोला	–	–
75.	ठाकुरापुर	–	–
76.	थाथियाह मथैहा	–	–
77.	भभुआ कोटे	–	–
78.	चितरोलिया	–	–
79.	गोबरोयापुरवा	–	–
80.	जहांगीरपुरवा	–	–
81.	मोहरं	–	–
82	लालेमऊ	–	–
83.	गुरवलिया	–	–
84.	बाहालपुर	–	–
85.	इमिलिया गुरदयाल	–	–
86.	औली पारसौली	–	पीसीओ
87.	बनवा	–	–
88.	सोमारी काला	–	–
89.	सिद्धहौती	–	पीसीओ
90.	गजसिंहपुर	–	पीसीओ
91.	सनौली मोम्मदपुर	–	पीसीओ
92.	क. दिकसिर	–	–
92.	ख. पुरेदाल	–	–
93.	कड्डाह जगदीशपुर	–	पीसीओ
94.	मौठहरी	–	–
95.	पारस गेंधारी	–	पीसीओ
96.	सर्वभागपुर	–	पीसीओ
97.	डकसालिया	–	–
98.	चानगेरी	–	–
99.	दयारेडा	–	पीसीओ
100.	गोपीपुर	–	–
101.	बदनापुर	–	–
102.	लिलोई कला	–	–
103.	मंगुरा बाजार	–	–
104.	मीरपुर ख्याला	–	–
105.	परसादा	–	–

1	2	3	4
106.	सेसै	–	–
107.	सुन्सुन्डा	–	–
108.	उमरापुर चौहान	–	पीसीओ
109.	डी. कलां	–	पीसीओ
110.	नागडीह	–	पीसीओ
111.	बरसादा राम सिंह	–	–
112.	देवरिया अलावल	–	–
113.	इमलियन रूपी	–	–
114.	मलारी	–	–
115.	करमडीह	–	–
116.	चारू	–	–
117.	चुवड	–	–
118.	खम्मरिया	–	–
119.	केकखास	–	–
120.	मंडप	–	–
121.	परसरउवचकर	–	–
122.	भबरपुर	–	–
123.	महाराजगंज ग्रंट	–	–
124.	दिलभरिया बुजुर्ग	–	–
125.	परसातिवारी	–	–
126.	दलपतपुर	–	–
127.	चिमरियाडीह	–	–
128.	काणीपुर	–	–
129.	मजावन	–	–
130.	बोनीपुर	–	–
131.	कर्सीपुरडीह	–	–
132.	काठा	–	–
133.	नाईपुर	–	–
134.	गुरसाड़ी	–	–
135.	कांन्दी	–	–
136.	कुर्था	–	–
137.	मोहम्मदपुर	–	–
138.	नाहवारपरसोरा	–	–
139.	बल्लौना	–	–
140.	बहादुरपुर	–	–
141.	पांडेचौड़ा	–	–
142.	परसामहेशी	–	–
143.	पिपरी रावत	–	–
144.	सकरोरा	–	पीसीओ
145.	सीसामऊ	–	–
146.	ऊषारेर	–	–
147.	अकबरपुर	–	–
148.	घपतपुर	–	–
149.	घरौराघाट	–	–
150.	गेंदसर	–	–
151.	घुनाही	–	–
152.	चंगेरी	–	–
153.	रामदी	–	पीसीओ
154.	सबरपुर	–	–
155.	अलीपुरग्रन्त	–	–
156.	बंगवां	–	–
157.	चन्द्रदेव घाट	–	–
158.	दौलतपुर ग्रंथ	–	–
159.	फरेन्दाखुर्द	–	–
160.	फतेहपुर	–	–
161.	घरीघाट	–	पीसीओ
162.	हथियागढ़	–	पीसीओ
163.	इस्मैला	–	–
164.	केशवनगर ग्रंथ	–	–
165.	कूक नगर	–	–
166.	मधु बाजार	–	–
167.	नरहरपुर	–	पीसीओ
168.	सीतारामपुर	–	पीसीओ
169.	अहीचेट	–	–
170.	बानगेन	–	पीसीओ
171.	भारथा	–	–
172.	दोवा पुसिया	–	–
173.	कटुवानिया	–	पीसीओ
174.	पूरे निधि	–	–
175.	सिलहरी	–	पीसीओ

1	2	3	4
176.	सहजोद	–	–
177.	उरडीगोंडा	–	–
178.	कोटियामदारा	–	पीसीओ
179.	चौहानपुरवा	–	पीसीओ
180.	बंगेन	–	–
181.	मेरमपुर	–	–
182.	दचूरी	–	–
183.	वीरपुरभोज	–	–
184.	खेरमललुवाचक	–	–
185.	मल्लापुर	–	–
186.	परसिया रानी	–	–
187.	पिपरा बाजार	–	–
188.	पूरे बगारी	–	–
189.	रामापुर	–	पीसीओ
190.	सहजनवा	–	–
191.	उसरैना	–	–
192.	बोरियाह	–	पीसीओ
193.	भाघरबुलंद	–	–
194.	चांदीपुर	–	–
195.	चेतपुर	–	–
196.	दोरजी कुआं	–	–
197.	महदय्याचकसर	–	–
198.	मधेपुर	–	–
199.	नगवा	–	–
200.	नारायणपुर	–	–
201.	तेजपुर	–	–
202.	उनमेदजोत	–	–
203.	दुरजनपुर	–	–
204.	रामनगर तरहर	–	–
205.	अंधियारी	–	–
206.	बंदीपुर	–	–
207.	बेरीपुररामनाथ	–	–
208.	बकसिया	–	–
209.	मितौरा	–	–
210.	धोरिया	–	–
221.	भुसवा	पीसीओ	पीसीओ
212.	दिनकरपुर	–	–
213.	भिलाई	–	–
214.	हरनाटायर	–	–
215.	घुनाही	–	–
216.	जिगना बाजार	–	पीसीओ
217.	कुजलपुर	–	–
218.	लाम्ती उकरावा	–	–
219.	मछली गांव	–	–
220.	मल्लीपुर	–	–
221.	सुरजापुर	–	–
222.	के॰ मान	–	–
223.	हरसिंघवा चोजनपुर	–	–
224.	धरहा	–	–
225.	पांचपति जगतापुर	–	–
226.	एलनपुर ग्रंथ	–	–
227.	गायघाट	–	–
228.	गौरापांडे	–	–
229.	हथनी भोपट	–	–
230.	मवई	–	–
231.	सीतलगंज	–	–
232.	सुरवरखुर्द	–	–
233.	मजवा बुजुर्ग	–	–
234.	मांडा	–	–
235.	सेहिला	–	–
236.	गोविंद पारा	–	–
237.	चिरई चिरवा	–	–
238.	राजापुर	–	–
239.	राजगढ़	–	–
240.	राजगढ़ तुनाई तलमसनिया	–	–
241.	सिसवारिया	–	–
242.	सुमेरीपुर	–	–
243.	तुर्काडीह	–	–
244.	सीहागांव	–	–
245.	महेवागोपाल	–	–

1	2	3	4
246.	अशोकपुर	–	–
247.	दिसनाहरपुर	–	–
248.	दुर्जनपुर	–	–
249.	किशनदासपुर	–	–
250.	लुआबीरपुर	–	–
251.	मंगूपुर	–	–
252.	रघुराजनगर	–	–
253.	सीमारासेखपुर	–	–
254.	तुलसीपुर मंझा	–	–
255.	खरगुपुर	–	–
256.	अगोहारी	–	–
257.	अट्टा	–	–
258.	बहुमानमोदरमादा	–	पीसीओ
259.	बालमत्तार	–	–
260.	भोरीगंज	–	–
261.	चरसाडी	–	पीसीओ
262.	पुरवरतिवाड़ीपुर	–	–
263.	जरौली	–	–
264.	पाईपुर	–	–
265.	मालोन	–	पीसीओ
266.	मरचौरा	–	–
267.	मझरा	–	–
268.	मेहना	–	–
269.	ललितपुरवा	–	–
270.	पूरे अजब	–	–
271.	पूरे भनौरा	–	–
272.	राजापुर	–	–
273.	रकसादिया	–	–
274.	सेरीय्यान	–	–
275.	उतरौला	–	–
276.	तूरानी	–	पीसीओ
277.	देहरास	–	पीसीओ
278.	बिशनुपुर कलां	–	–
279.	सुभागपुर	–	–
280.	अचलपुर केथलिया	–	–
281.	देवरिया इनयात	–	–
282.	गोलाहीपुर	–	–
283.	इटई अबदुल्ला	–	–
284.	खारहाना नोधिवा	–	–
285.	किशनुपुर सागर	–	पीसीओ
286.	लाकिया थाहिर	–	–
287.	ओबराडीह	–	–
288.	रामपुर ग्रंथ	–	–
289.	मन्धेवा बुजुर्ग	–	–
290.	मधे चौड़ा	–	–
291.	भेलिया मदनपुर	–	–
292.	लक्कड़मंडी	–	–
293.	खरआवान	–	–
294.	रामपुर बगही	–	–
295.	खलनपुर दीसेन	–	–
296.	हरबंसपुर	–	–
297.	हमाही	–	पीसीओ
298.	बंगवा	–	–
299.	भनोली	–	–
300.	ढोंढेपुर	–	–
301.	गरौली	–	–
302.	जमथा	–	–
303.	क्योंजनपुर	–	–
304.	किनधौरा	–	पीसीओ
305.	तारादीह	–	–
306.	पारस	–	पीसीओ
307.	पूरे घीसीराम	–	–
308.	रामध्यानपुरवा	–	–
309.	सारावाह	–	–
310.	सिघा चंदा	–	पीसीओ
311.	तिवारी बाजार	–	–
312.	रामपुर	–	–
313.	अचलपुर	–	–
314.	बबहनी	–	–
315.	बोल्लिा	–	–

1	2	3	4
316.	ब्रहमतपुर	–	–
317.	खेरडा	–	–
318.	खेरडीह	–	–
319.	नोबस्ता	–	पीसीओ
320.	रामपुर खरहटा	–	–
321.	रामपुर टांगरा	–	–
322.	मंजहारा	–	पीसीओ
323.	कंडारी	–	–
324.	बनकट सूर्याबालीसिंह	–	पीसीओ
325.	बेलभारिया	–	–
326.	बिसंभरपुर	–	–
327.	दुलजापुर	–	पीसीओ
328.	दुत्तनगर	–	–
329.	रछगढ़ नोसी	–	पीसीओ
330.	बंगई बारवाड़	–	–
331.	याहा	–	–
332.	बिशनुपुर संगम	–	–
333.	गुलसोली	–	–
334.	किरेमनोरमा	–	–
335.	पारसराय	–	–
336.	रामपुर	–	–
337.	बीनूहानी	–	–
338.	बेलवा भूटा	–	–
339.	बिशनुपुर बेलभारिया	–	पीसीओ
340.	झलियाधाम	–	–
341.	कमारावान	–	–
342.	पडिवारतारा	–	–
343.	सिसई जंगल	–	–
344.	बगहा हुसैन नगर	–	–
345.	पिपरा भेहदर	–	–
346.	असीधा	–	–
347.	धतपुरवा	–	–
348.	देवरीकलां	–	–
349.	मेन्यून	–	–
350.	पूरे बसालत	–	–
351.	राजापुर	–	–
352.	रेटबगारा	–	–
353.	उज्जेनीकलां	–	–
354.	बखरवा		

विवरण-II

गोंडा जिले में तारघरों की सूची

क. तारघर

1. गोंडा

ख. दूरसंचार केन्द्र

1. बडगांव (गोंडा)
2. मनकापुर (गोंडा)

ग. संयुक्त डाक तारघर

1. मसकनवा
2. मनकापुर
3. बेलसर
4. करब गंज
5. करबगंज
6. कर्नलगंज
7. इथियाथोक
8. खरगुपुर
9. नवाबगंज
10. मोलीगंज
11. प्रधान डाकघर गोंडा
12. गोंडा सिटी
13. बस स्टेशन गोंडा
14. सिविल लाइन गोंडा
15. ददुवा बाजार
16. उतरौला रोड
17. बरगांव
18. कोडिया
19. नवाबगंज एसटी
20. सदुल्लानगर
21. वजीरगंज
22. बिशनुपुर बेरिया
23. सानोली मोहम्मदपुर

24. डी. काला
25. नगधीयी
26. निवायन
27. बोलीपरसंदी
28. गजसिंहपुर
29. कुटियामडारा
30. बेगमगंज
31. आदमपुर
32. बरोली
33. पसका
34. कतरा बाजार
35. बांसजीकोट
36. दुल्हा बाजार
37. धनवान
38. हलधरमाऊ
39. बालपुर
40. रुपयेडीह
41. बी. बी. सिंह
42. पंडरीकृपाल
43. खुरासा
44. स्वामीनारायण छपिया
45. पी. एस. गंज
46. बबहनजोत
47. बरकातुआ
48. के. पी. पखवारी
49. किशनपुर पाहवान
50. चौहानपुरवा
51. रामपुर
52. सकरोरा
53. कुड्डाह जगदीशपुर
54. सलालवी
55. दयोला परसिया
56. उमरापुर चौहान
57. परसा गोनदारी
58. मलारी
59. सरवंगपुर
60. बनकटीसबाली सिंह
61. रूछगंढ़ नोसी
62. बिशनुपुर बेलहारिया
63. दौसवां
64. बोधीपुर
65. किशनपुर ग्रांट
66. जुगोरा बाजार
67. हथागढ़
68. शीतलगढ ग्रांट
69. गढ़ी घाट
70. मंगोपुर
71. रानगी
72. लावाबीरपुर
73. मजहारा
74. नोबस्ता
75. मारचौर
76. तिओरासी
77. बाहुवानमदरमाझा
78. चारसादी
79. देहरास
80. किनधुरवा
81. अमडाही
82. दियोरदा
83. बोरियाह
84. सिंहचंदा
85. पारस
86. बबहनी कानूनगो
87. फोरबेसगंज
88. पथवालिया
89. दुखहरनानाथ

बलरामपुर में तारघर (गोंडा जिले के विभाजन से नया बना जिला)

क. तारघर शून्य

ख. दूरसंचार केन्द्र

1. बलरामपुर

ग. संयुक्त डाक तार घर

1 बलरामपुर प्रधान डाकघर

2. उतरौला
3. तुलसीपुर
4. भगवतीगंज
5. श्रीनगर
6. पचपरवा
7. गंजहावा
8. कटरा शंकरनगर
9. मुंडेला
10. रामबंघुसरा
11. श्रीदुत्तगंज
12. जे. पी. ग्राम
13. मथुराबाजार
14. रेहड़बाजार
15. जरवां
16. गोन्दास बुजुर्ग
17. चंदूपुर
18. इटाई रामपूर
19. चंदरपुर
20. माल्दा
21. बरगडवा शरीफ
22. जामुनी काला
23. हरियासतघरवा
24. शिवपुर
25. गुलरिया हसनपुर
26. रेटवगरा
27. उज्जैनी काला
28. गोमारी
29. गजपुर ग्रांट
30. दौलताबाद ग्रांट

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के साथ 'रेस्ट एरिया' बनाने हेतु व्यय

2769. श्री सोडे रमैया : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1998–99 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के साथ रेस्ट एरिया बनाने हेतु व्यय के लिए कितनी धनराशि निर्धारित है;

(ख) क्या इनमें से कुछ धनराशि पहले ही व्यय की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ आबंटित की गई राशि और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रा. रा.–5 के साथ रेस्ट एरिया बनाने के लिए 1998–99 के दौरान अलग से कोई धनराशि निर्धारित नहीं की है। तथापि, रा. रा.–5 का 3.4 से 75 कि.मी. तक सुधार करने संबंधी परियोजना के भाग के रूप में 70 लाख रुपये की लागत पर आंध्र प्रदेश में रा. रा.–5 के 48–49 कि.मी. में ट्रक खड़े होने से दो स्थलों के निर्माण के लिए परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुनो अभयारण्य योजना

2770. श्री अशोक अर्गल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए कुनो अभयारण्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) कुनो अभयारण्य सीमा से कितने जनजातीय लोग विस्थापित हुए हैं;

(घ) क्या विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे के बतौर कृषि कार्य हेतु भूमि आबंटित कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या आबंटित भूमि कृषि–कार्य हेतु उपयुक्त है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (च) जी, हां। सरकार ने मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर अभयारण्य के बाहर 663 आदिवासी परिवारों के स्वैच्छिक पुन'स्थापन और पुनर्वास के लिए आदिवासी विकास की लाभोन्मुखी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 663 लाख रुपये के सहातानुदान की स्वीकृति दी है। इस पुनःस्थापन कार्यक्रम, जो कि अभी चल रहा है, के लिए अब तक 412 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। स्कीम में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक परिवार को खेती के लिए उपयुक्त 2 हैक्टेयर भूमि आबंटित की जा रही है।

[अनुवाद]

ई-मेल सुविधा

2771. श्री सुधीर गिरि : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में 'ई–मेल' सुविधा उपलब्ध कराने के मानदंड क्या हैं;

(ख) देश में ऐसे कितने शहर हैं जहां उक्त सुविधा उपलब्ध हैं; और

(ग) देश में उपलब्ध ऐसी सुविधा की प्रतिशत का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) 1994 से अनेक ई–मेल आपरेटरों के माध्यम से देश में ई–मेल सर्विस उपलब्ध है। हाल ही की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली है (आई एसपी) नीति से, ई–मेल सुविधा इंटरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध है। कुछ ई–मेल आपरेटर आईएसपी के रूप में कार्य करने लगे हैं। दूरसंचार विभाग (डॉट) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) ने भारत के 53 शहरों में इंटरनेट नोड्स स्थापित किए हैं। इसके अलावा, इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए, कंपनियां 82 लाइसेंस जारी किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने निर्णय लिया है कि सारे देश के निकट के इंटरनेट नोड तक पहुंच स्थानीय कॉल के आधार पर होगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/विस्तार

2772. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें चौड़ा करने, उनका विस्तार और मरम्मत करने से संबंधित कार्य फरवरी, 1997 से अब तक शुरू कर दिया गया है; और

(ख) राज्य से होकर गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे कार्य कब तक आरंभ कर दिए जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देबेन्द्र प्रधान) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में फरवरी, 1997 से अभी तक निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़े किए जा रहे हैं :

(1) लखनऊ कानपुर रा.रा.–25 के 0.00 से 4.3 कि.मी. में चार लेन से छह–लेन।

(2) गाजीपुर–बलिया, रा.रा.–19 के 6 से 11 कि.मी. और 73 से 78.80 कि.मी. में एक लेन से दो–लेन।

(3) रा.रा.–2 के मथुरा–आगरा खंड के 148.33 से 199.66 कि.मी. में दो–लेन से चार–लेन।

राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के भीतर यातायात–योग्य स्थिति में रखने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सारे वर्ष किया जाता है।

(ख) राज्य से होकर गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के कार्य को शुरू करने की कोई नियत समय–अवधि नहीं है क्योंकि यह सब कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

हरियाणा में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

2773. श्री बैजनाथ रावत : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाण में जिलेवार विशेषकर अम्बाला जिले में कितने, एस.टी.डी./आई.एस.डी./पीसीओ बूथ कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने बूथ काम करे रहे हैं;

(ग) राज्य में जिलेवार कितने बूथ खोलने हेतु आवेदन लंबित है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और इन आवेदनों पर कब तक कार्रवाई किए जाने और मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) हरियाणा में कार्यरत एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों की कुल संख्या 5919 हैं। कार्यरत बूथों की संख्या के संबंध में अम्बाला जिले सहित गौण स्विचन क्षेत्रवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विचाराधीन आवेदनों की संख्या के संबध में गौण स्विचन क्षेत्र बार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आवेदन, एक्सचेंज में अतिरिक्त क्षमता एस.टी.डी. सुविधा के उपलब्ध न होने जैसे विभिन्न कारणों के कारण विचाराधीन हैं। अगले वित्तीय वर्ष के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता होने पर तथा आवेदकों द्वारा अन्य शर्तों पूरी करने पर इन आवेदनों को उत्तरोत्तर रुप से निपटा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

सर्किल का नाम : हरियाणा

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	कार्यरत एसटीडी/ आईएसडी पीसीओ की संख्या	विचाराधीन आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	करनाल	1510	1674
2.	रिवाड़ी	104	1842
3.	रोहतक	672	2165

1	2	3	4
4.	जींद	211	30
5.	अम्बाला	1246	1005
6.	हिसार	871	1112
7.	फरीदाबाद/गुड़गांव	1160	1453
8.	सोनीपत	145	1251

[अनुवाद]

दूरभाष सेवाओं में सुधार

2774. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों विशेष रुप से असम की एस.टी.डी. सुविधाओं सहित दूरभाष सेवाओं के सुधार हेतु कोई ठोस कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरभाष सेवाएं गुवाहाटी में भी संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां

(ख) टेलीफोन सेवाओं तथा एस.टी.डी. सेवाओं में आगे सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाए गए हैं :–

1. ओवर हेड अलाइनमेंटों को भूमिगत केबल से बदलना।
2. अक्सर खराब होने वाले केबल को पी आई जे एफ केबल से बदलना।
3. स्थानीय नेटवर्क में ओ एफ सी तथा डब्ल्यू एल एल प्रणालियों की शुरुआत।
4. दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण।
5. सभी एक्सचेजों को विश्वसनीय माध्यम पर जोड़ना।
6. उपभोक्ताओं की शिकायतों की कड़ी निगरानी करना।
7. उपग्रह आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना।
9. मौजूदा क्षमता का विस्तार करके तथा और अधिक आर एल यू की संस्थापना करके दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ड) उपयुक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जामनगर (गुजरात) में रसोई गैस एजेंसियां

2775. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जामनगर जिले में रसोई गैस एजेंसियों को खोलने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त जिले में खोली गई रसोई गैस एजेसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 1999 और 2000 के दौरान जामनगर जिले में रसोई गैस एजेंसियों के खोलने की क्या योजना है; और

(ड) इस जिले में रसोई गैस कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में है और कब तक उनको कनेक्शन मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए देश के विभिन्न भागों से समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तेल कंपनियों से ए पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए संबधित क्षेत्रों की संभाव्यता का मूल्यांकन करने हेतु व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने को कहा जाता है। व्यवहार्य और आर्थिक रूप से साध्य स्थान एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए एल पी जी विपणन योजना में शामिल किए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला जामनगर, गुजरात में एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित की गई है।

(घ) जिला जामनगर, गुजरात के लिए 1996–98 की एल पी जी विपणन योजना में पांच नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं। विपणन योजना में सम्मिलित स्थानों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन विज्ञापन जारी किए जाने और डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से चयन की प्रक्रिया के अनुसार प्रगति पर है।

(ड) 1.1.1999 की स्थिति के अनुसार जिला जामनगर में एल पी जी कनेक्शनों के लिए 34754 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे। एल पी जी कनेक्शन प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लेक, नामांकन योजना आदि विभिन्न घटकों के आधार पर चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं।

तमिलनाडु में विद्युत परियोजनाएं

2776. श्री कांची पन्नीरसेल्वम : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में वर्तमान समय में कितनी विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं;

(ख) इन परियोजनाओं से कितना विद्युत उत्पादन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में संबंधित राज्य सरकार द्वारा विद्युत कुप्रबंधन का कोई मामला आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में कार्य करने वाले विद्युत स्टेशनों की कुल संख्या 27 (9 ताप विद्युत, 1 न्यूक्लीय और 17 जल विद्युत) है। इनमें से 3 परियोजनाएं (2 ताप विद्युत, एक न्यूक्लीय) केन्द्रीय क्षेत्र में, 23 राज्य क्षेत्र में (6 ताप विद्युत, 17 जल विद्युत) तथा एक (ताप विद्युत) निजी क्षेत्र मे स्थापित है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों समेत तमिलनाडु में विद्युत स्टेशनों में वास्तविक विद्युत उत्पादन अप्रैल, 1998 से फरवरी, 1999 के दौरान, 36.49 बिलि यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 34.20 बिलि यूनिट था। वर्ष 1998–99 के लिए विद्युत स्टेशनों का निर्धारित लक्ष्य 40.28 बिलियन यूनिट है।

(ग) और (घ) विद्युत मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं लाया गया है।

[हिन्दी]

कम्पनी अधिनियम 1956 के उल्लंघन के मामले

2777. श्री अरविंद कांबले : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कंपनी अधिनियम 1956 के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) क्या कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत देश के प्रथम दस बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कम्पनी विधि बोर्ड को किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इस समय इन मामलों की क्या स्थिति है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन के 14753 मामले दर्ज किए गए और उनका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या
1995–96	3872
1996–97	4062
1997–98	6819
	14753

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय–III के भाग क को 27.9.1991 से हटाए जाने के परिणामस्वरुप, बड़े औद्योगिक घरानों को कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसलिए बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित आंकड़े कम्पनी कार्य विभाग द्वारा अलग से एकत्र नहीं किये जाते हैं।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ङ के अंतर्गत गठित एक अर्धन्यायिक निकाय है। यह कम्पनियों के व्यथित जमाकर्त्ताओं से अनके परिपक्व आवधिक निक्षेपों और उस पर ब्याज के गैर–भुगतान के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क (9) और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 क्यू ए के अंतर्गत आवेदन प्राप्त कर रहा हैं।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया हैं, आवेदनों का निपटान न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही किया जा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त, निपटाए गए तथा लम्बित आवेदनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

अवधि	आदि शेष	प्राप्तियां	योग	निपटाए गए	लम्बित
1.4.95 से 31.3.96	1072	1000	2072	1017	1055
1.4.96 से 31.3.97	1055	2735	3790	2286	1504
1.4.97 से 31.3.98	1504	26718	28222	15437	12785

[अनुवाद]

विषाणु का पता लगाया जाना

2778. श्री सुरेश कुरूप : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता के वैज्ञानिकों ने उस दुर्लभ विषाणु का पता लगा लिया है जिससे चीन में वर्ष 1982–83 में लगभग दस लाख व्यक्ति संक्रमित हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) वर्ष 1997 से अक्तूबर, 1998 के दौरान संक्रामक रोग अस्पताल, कलकत्ता में दाखिल किए गए अतिसार वाले लोगों को आणविक, जानपदिक रोगविज्ञानी निगरानी के दौरान, राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता के वैज्ञानिकों ने पांच गंभीर व्यस्क अतिसार वाले रोगियों से ग्रुप बी. ए. डी. आर. बी. के साथ मिलते–जुलते डबल स्टैडर्ड आर. एन. ए. जेनोम प्रोफाइलों वाले विषाणुओं का पता लगाया। आणविक विश्लेषण के आधार पर इस विषाणु को ग्रुप बी रोटा वायरस के रुप में पुष्टि की गई। रोटा वायरस ग्रुप बी के लिए पॉजिटिव पाए गए कुल 53 रोगियों में से पांच वयस्कों से ए डी आर बी पृथक किए गए। इन मामलों को तीव्र जलीय अतिसार उल्टी और निर्जलीकरण के लिए मॉडरेट लक्षणों वाला दर्शाया गया। चीन से बाहर ग्रुप बी ए डी आर बी के प्रादुर्भाव का 16 साल बाद पता लगाया गया।

पर्यावरणीय अपक्षीणन

2779. श्री विकास चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 30 नवंबर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे सभा पटल पर कब तक रख दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) सूचना अभी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करना

2780. डॉ. जयन्त रंगपी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री 30 नवंबर 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उस जानकारी के कब तक सभा पटल पर रख दिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उपबंध न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए उपबंध करता है। छह राज्यों/प्रदेशों पर इन उपबंधों का विस्तार नहीं है। इस संबंध में स्थिति निम्नवत् है :

(1) आंध्र क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तन, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी, जिलों में और भूतपूर्व भद्राचलम तथा खम्माम जिलों के नगर तालुकों में, जो पहले पूर्वी गोदावरी जिला में थे, स्थित है। तेलांगना क्षेत्र में, आदिलाबाद, वारंगल, महबूब नगर जिलों और खम्माम जिला (भद्राचलम और नगर तालुकों को छोड़कर में है) हाल ही में, आन्ध्र प्रदेश जनजाति सलाहकार परिषद् के साथ, परामर्श करके मुद्दे की जांच की गई थी और परिषद् की सलाह के अनुसार, विद्यमान प्रणली को बनाए रखने का विनिश्चय किया गया था

(2) अरुणाचल प्रदेश – संपूर्ण राज्य

(3) असम – करबी आंगलांग और उत्तरी कछार के दो पर्वतीय जिलों में।

(4) मेघालय – राज्य के जनजातीय क्षेत्र। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण केवल शिलांग नगर की छावनी और इसके सामान्य क्षेत्रों पर विस्तारित हैं। जिला न्यायालय के कृत्यों में विघ्न न डालने के लिए, यह विनिश्चय लिया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक विद्यमान प्रणाली को बने रहने दिया जाए।

(5) मिजोरम – संपूर्ण राज्य। तथापि, राज्य सरकार, सिद्धांत रूप में, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक् करने के लिए प्रति बद्ध है, और इस बाबत एक विधेयक तैयार किया जा रहा है और इसे निकट भविष्य में विधान सभा के सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा।

(6) नागालैंड – संपूर्ण राज्य। राज्य सरकार ने, 5.7.94 को, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का विनिश्चय किया था और विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वकीलों का व्यवहार

2781. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री 30 नवंबर 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उस जानकारी के सभा पटल पर कब तक रख दिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दैनिक जागरण, तारीख 25 मार्च, 1998 में प्रकाशित "वकीलों के रवैये से ज्यादातर न्यायाधीश नाराज" शीर्षक के अंतर्गत रिपोर्ट बढ़ा–चढ़ा कर पेश की गई है। देश में बार और बैंच का संबंध पूर्ण रुप से संतोषजनक है और ऐसी प्रासंगिक घटनाएं साधारणतः वकीलों का अभद्र व्यवहार नहीं कही जा सकती। ये एकांकी घटनाएं हैं, जिनका इस मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने, देश में वकीलों के लिए एक विस्तृत आचार–संहिता अधिकथित की है और भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा विहित संहिता का अतिलंघन करने वाले किसी वकील के विरुद्ध वृत्तिक कदाचार के लिए कार्य कार्यवाही की जा सकती है। राज्य विधिज्ञ परिषदें, अधिवक्ताओं के विरुद्ध उनके वृत्तिक या अन्य कदाचार के लिए शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं और यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो उन पर धिग्दंड, निलंबन के रूप में और विधिज्ञ परिषदो द्वारा रखी गई अधिवक्ताओं की नामावली से उनके नामों को हटाने का भी दंड अधिरोपित किया जा सकता है। राज्य विधिज्ञ परिषदों में, अनुशासनिक समितियों के नाम से ज्ञात अनेक समितियों हैं जो वृत्तिक या अन्य कदाचार के आधार पर अधिवक्ताओ के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करने के लिए, कानूनी रूप से सशक्त हैं। अधिवक्ताओं से संबंधित अनुशासनिक मामलों में भारतीय विधिज्ञ परिषद् अपील प्राधिकारी है और यह परिषद् राज्य विधिज्ञ परिषदों के, जो पहली बार शिकायतों की सुनवाई करती है, आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय करती रही है। भारतीय विधिज्ञ परिषद ऐसी शिकायतें भी विनिश्चय कर सकती है जो राज्य विधिज्ञ परिषदों से उसको अंतरित की जाती हैं, यदि राज्य विधिज्ञ परिषदें उन मामलों को उस तारीख से, जिसको शिकायत अनुशासनिक समिति को निर्देशित की गई है, एक वर्ष की विहित अवधि के भीतर, विनिश्चत करने में असमर्थ है। वर्ष, 1998 के दौरान, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने, ऐसी अनके शिकायतों और अपीलों का विनिश्चय किया है, जिनके ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं –

हटाया जाना	निलंबन	धिग्दंड
9 मामले	20 मामले	4 मामले

अधिवक्ता का, या तो न्यायालयों में या बाहर किया गया कोई कदाचार, अधिवक्ता अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित रीति से संबंध राज्य विधिज्ञ परिषद् के नोटिस में लाया जा सकता है और वह तद्नुसार, उसका निपटारा करेगी। न्यायालयों में किसी अधिवक्ता का कदाचार, न्यायालयों या किसी संबद्ध व्यक्ति द्वारा संबद्ध राज्य विधिज्ञ परिषदों के नोटिस में लाया जा सकता है और विधिज्ञ परिषदें, ऐसे मामलों में विहित रीति के अनुसार, कार्यवाही करेंगी।

इस प्रकार, राज्य विधिज्ञ परिषदें और भारतीय विधिज्ञ परिषद्, वकीलों द्वारा वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के मानदंड बनाए रखने के लिए देश में अधिवक्ताओं पर अपनी अनुशासनिक अधिकारिता का प्रयोग कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाकघर

2782. श्री एन. जे. राठवा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999–2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले विशेषकर ग्राम बरई में डाकघर/उप डाकघर और शाखा डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) डाकघर मानदण्ड आधारित औचित्य पूरा होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें और लक्ष्य आबंटित हों। डाकघर खोलने के लिए प्रत्येक वार्षिक योजना के प्रारंभ में डाक सर्किलवार आबंटित किए जाते हैं। ग्राम बरई में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा इसे जनसंख्या और वित्तीय मानदण्डों के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

राज्यपालों की नियुक्ति

2783. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में राज्यपालों की नियुक्ति के बारें में कुछ सुझाव दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (ग) सरकार को, राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

एड्स का इलाज

2784. श्री इन्द्रजीत मिश्र :

श्री अनन्त कुमार हेगड़े :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धतियों द्वारा एड्स का उपचार करने के लिए कोई अनुसंधान कि जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार एच.आई. वी./एड्स के रोगियों को सिद्ध औषधियां देकर मद्रास मेडिकल कालेज एंड गवर्नमेंट हास्पिटल ऑफ थोरासिक मेडिसीन, थमबरम में शोधकार्य करा रही है। एच.आई.वी. संक्रमण के सभी संदिग्ध रोगी नैदानिक रुप से जांचे जाते थे। इस समय एच.आई.वी./ एड्स से पीड़ित 135 पुरुष और 20 स्त्रियां सिद्ध औषधियों से उपचार करवा रही हैं। सभी रागियों में नैदानिक और सी डी–4 सुधार दिखाई दे रहा है।

[अनुवाद]

नागपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

2785. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नागपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस समय यह किस चरण में है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जेनेटिक पूल को बदलना

2786. श्री आर.एस. गवई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य प्रयोजनों हेतु जेनेटिक पूल को बदलने के लिए कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मानव आनुवंशिकी पर टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव है जिसके तहत विभिन्न राज्यों के भिन्न–भिन्न चिकित्सा कालेजों तथा अस्पतालों में आनुवंशिकी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इन केन्द्रों को आनुवंशिकी परामर्श व आनुवंशिकी नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उपस्करों से सज्जित किया जाएगा और ये केन्द्र विभिन्न आनुवंशिकी रोगों का प्रसवपूर्व निदान करने के लिए रोगियों को रेफरल केन्द्रों मे भेजेंगे।

[हिन्दी]

अरावली की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण योजनाएं

2787. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अरावली की पहाड़ियों को हरा–भरा बनाने के लिए कोई वृक्षारोपण योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है, और उसमें वन क्षेत्र का औसत कितना है;

(ग) क्या अरावली की पहाड़ियों का बड़ा भाग रेगिस्तान में तबदील हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस रुख को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और बाह्य सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं के अंतर्गत अरावली की पर्वतमालाओं में वनीकरण गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

(ख) राजस्थान में अरावली पर्वतमाला 1.456 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र में फैली है जबकि राज्य का कुल रिकार्डिड वन क्षेत्र 31,700 वर्ग कि.मी. है।

(ग) और (घ) अरावली की पर्वतमालाओं के वनाकरण तथा उनकी पारिस्थितिकी पर विभिन्न जैविक दबाव है जिनमें कुछ क्षेत्रों का खनन कार्य भी शामिल है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वनीकरण गतिविधियां चलाई जा रही हैं जिनमें अरावली की पर्वतमालाओं के पारिस्थितिक स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा हरियाणा के गुड़गांव जिले और राजस्थान के अलवर जिले में पर्यावरणीय अवक्रमण करने वाली कुछ गतिविधियों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिबंध लगाने से इन पर्वतमालाओं के परिस्थितिकीय स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1977 के अनुसार दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, जिसमें अरावली पर्वतमालाएं भी शामिल हैं, में

तुलनात्मक वन क्षेत्र में 1995 के मूल्यांकन की तुलना में 1997 में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों में रिक्तियां

2788. श्री सत्यपाल जैन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों में कितने पद रिक्त हैं, और ये पद कितने समय से रिक्त हैं; और

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए है और ये रिक्तियां कब तक भर लिए जाने की संभावना ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) आयकर अपील अधिकरण में रिक्त पदों को और उन तारीखों को, जिनसे वे रिक्त पड़े हैं, दर्शाने वाला विवरण साथ में प्रस्तुत है।

(ख) अधिकतर रिक्तियां, हाल ही में स्वीकृत की गई अधिकरण की 15 अतिरिक्त न्यायपीठों से संबंधित हैं। इन न्यायपीठों के लिए सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और चयन बोर्ड की रिपोर्ट सरकार के पास विचाराधीन है। आगरा, जोधपुर, विशाखापत्तनम, गोवा और बंगलौर में नवसृजित न्यायपीठों के लिए कार्यालय स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है और जैसे ही इन भवनों में विभाजन कार्य पूरा हो जाता है, इन न्यायपीठों के कार्यशील हो जाने की संभावना है। जहां तक अन्य ग्रेडों में रिक्तियों की बात है, अधिकरण ने पहले ही, अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों में रिक्तियों के परिचालन के लिए, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के नाम–निर्देशन के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अभ्यर्थियों को लेने के लिए, आवश्यक कदम उठा लिए हैं।

विवरण

9.3.99 को रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5	6
1.	अध्यक्ष	1	1	–	–
2.	ज्येष्ठ उपाध्यक्ष	1	1	–	–
3.	उपाध्यक्ष	7	6	2	9/2/98
4.	सदस्य	97	62	35	1/4/97
5.	रजिस्ट्रार	1	1	–	–
6.	उप रजिस्ट्रार	6	6	–	–
7.	सहायक रजिस्ट्रार	34	28	6	1/4/97
8.	ज्येष्ठ निजी सहायक	144	100	44	1/4/97
9.	हिन्दी अधिकारी	2	–	2	1/4/97 और 1/9/98
10	अधीक्षक	5	4	1	1/9/98
11	ज्येष्ठ लेखाकार	2	–	2	1/4/97 और 1/9/98
12.	सहायक अधीक्षक	11	9	2	1/4/97
13	हिन्दी अनुवादक	21	3	18	1/4/97
14.	प्रधान लिपिक	33	40	4	1/4/97
15.	उच्च श्रेणी लिपिक	119	91	28	1/4/97
16.	केयर टेकर	2	1	1	1/4/97

1	2	3	4	5	6
17.	पुस्तकालयाध्यक्ष	2	–	2	1/4/97 और 1/9/98
18.	अवर श्रेणी लिपिक	186	147	39	1/4/97
19.	स्टाफ कार ड्राइवर	45	30	15	1/4/97
20.	रिकार्ड सार्टर	3	1	2	1/4/97
21	दफ्तरी	34	25	9	1/4/97
22.	ज्येष्ठ चपरासी	105	64	41	1/4/97 और 1/9/98
23	चयन ग्रेड चपरासी	1	1	–	–
24.	फोटो कापियर आपरेटर	2	–	2	1/4/97
25.	चौकीदार	29	20	9	1/4/97
26.	सफाई वाला	29	22	7	1/4/97
27.	फराश	3	2	1	1/4/97
28.	माली	1	1	–	–
29.	चपरासी	70	44	26	1/4/97 और 1/9/98
30.	आशुलिपिक, ग्रेड "घ"	3	2	1	1/4/97

उपकरणों का आयात

2789. श्रीमती जयंती पटनायक :

डॉ. टी. सुब्बारमी रेड्डी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए उपकरणों के शुल्क मुक्त आयात की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भी इसी तरह की रियायत देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने एन. टी. पी. सी. के अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सरकार द्वारा नवम्बर, 1998 में घोषित संशोधित बृहत विद्युत नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं को बृहत विद्युत परियोजनाओं के रूप मे अभिज्ञात किया गया है, जो एक से अधिक राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बृहत विद्युत परियोजनाओं के रूप में विकसित किए जाने हेतु अभिज्ञात परियोजनाएं कहलगावं चरण–2 (1500 मे.वा.), उत्तरी करनपुरा एसटीपीपी (2000 मे.वा.), बाढ़ एसटीपीपी (2000 मे.वा.) और चेय्यूर (1500 मे.वा.) है। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी चार गैस आधारित संयंत्रों नामशः अंता, औरेया, कवास और गंधार को संशोधित बृहत विद्युत नीति के अन्तर्गत प्रत्येक को 1300 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता तक विस्तृत करेगा। संशोधित बृहत विद्युत नीति के अन्तर्गत सभी अभिज्ञात बृहत परियोजनाओं को जिसमें एनटीपीसी द्वारा ली गई परियोजनाएं भी शामिल हैं। उपस्कर के आयात के लिए सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी। इस समय, सरकार नवम्बर, 1998 में घोषित संशोधित नीति के अन्तर्गत अभिज्ञात परियोजनाओं के अलावा अन्य किसी भी परियोजना को यह छूट प्रदान किए जाने पर विचार नहीं कर रही है।

उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में डाक सेवाएं

2790. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में डाक सेवाएं आशानुरूप हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस क्षेत्र के डाकघरों में कुल कितनी राशि जमा की गई;

(घ) क्या सरकार का उड़ीसा के डाकघरों में और अधिक निवेश को आकर्षित करने हेतु कुछ नई योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में डाक सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक हैं।

(ख) उपयुक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के डाकघरों में अल्प बचत के लिए वर्षवार जमा की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

1995–96	322.32 करोड़ रु.
1996–97	705.59 करोड़ रु.
1997–98	418.14 करोड़ रु.

(घ) और (ङ) उड़ीसा के डाकघरों में ऐसी कोई नई स्कीम शुरु करने का इस समय सरकार का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

मुम्बई में स्पीड पोस्ट सुविधा

2791. श्री रामदास आठवले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में वर्तमान में कितने डाकघर हैं और उनमें से कितनों में स्पीड पोस्ट सेवाएं हैं; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने डाकघरों में यह सेवा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) मुंबई में इस समय 266 डाकघर हैं। स्पीड पोस्ट वस्तुओं की बुकिंग की सुविधा 73 डाकघरों में उपलब्ध है। मुंबई शहर में स्पीड पोस्ट वस्तुओं का वितरण 87 डाकघरों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी भी अन्य डाकघर में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जिला दूरसंचार कार्यालय

2792. श्री उपेन्द्र नाथ नायक :

श्री ए. सिदराजू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1998–99 के दौरान, जिला दूरसंचार के कितने कार्यालय खोले गए हैं अथवा खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का उक्त अवधि के दौरान क्योंझर तथा चामराजनगर क्षेत्र में जिला दूरसंचार कार्यालय खोले जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कार्यालयों को कब तक स्थापित कर लिए जाने की संभावना है तथा इस उद्देश्य हेतु कितना वित्तीय आबंटन किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान उड़ीसा में दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (घ) संलग्न विवरण के अनुसार दूरसंचार विभाग ने अब तक 324 दूरसंचार जिलों का सृजन किया है। दूरसंचार जिले सामान्यतया एक अथवा अधिक राजस्व जिलों के साथ कोटर्मिनस होते है। विभाग की नीति के अनुसार, दूरसंचार जिलों का प्रशासनिक और प्रचलिन कारणों से द्विभाजन नहीं किया जाता है। क्योंझर और चामराजनगर राजस्व जिले हैं और धेनकनाल दूरसंचार जिले तथा मैसूर दूरसंचार जिले के अंतर्गत आते हैं और टी डी एम और जी एम क्रमशः इसके प्रधान होते हैं। तथापि, क्योंझर और चामराजनगर क्षेत्रों के विकास कार्यों की देखभाल करने के लिए डिवीजनल इंजीनियर कार्यालय वहां पहले से ही काम कर रहे हैं।

(ङ) और (च) जी हां। 1998 के दौरान कटक और संबलपुर टेलीफोन एक्सचेंजो को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजो में बदल दिया गया है और अब उड़ीसा के सभी एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में आप्टिकल फॉइबर प्रणालियां चालू की जा रही हैं।

विवरण

दूरसंचार जिलों की सूची

क्र.सं.	सर्किल	दूरसंचार जिला
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	पोर्टब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद

1	2	3
3.	आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर (गुंटकल)
4.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर (तिरुपति)
5.	आंध्र प्रदेश	कुडुपाह
6.	आंध्र प्रदेश	पू॰ गोदावरी (राजामुंद्रै)
7.	आंध्र प्रदेश	गंटूर
8.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
9.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर
10.	आंध्र प्रदेश	खम्माम
11.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा (विजयवाड़ा)
12.	आंध्र प्रेदश	करनूल
13.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर
14.	आंध्र प्रदेश	मेडक (संगारेड्डी)
15.	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा
16.	आंध्र प्रदेश	नेल्लूर
17.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद
18.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम (ओंगली)
19.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम
20.	आंध्र प्रदेश	विजयानगरम
21.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
22.	आंध्र प्रदेश	वारंगल
23.	आंध्र प्रदेश	प॰ गोदावरी (एलूर)
24.	असम	डिबरुगढ (लखीमपुर)
25.	असम	गुवाहाटी (कामरूप)
26.	असम	जोहाट (सिबसागर)
27.	असम	कोकराझर (बोंगईगांव)
28.	असम	नागांव
29.	असम	सिल्चर (कछार)
30.	असम	तेजपुर (सोनितपुर)
31.	बिहार	अरराह
32.	बिहार	भागलपुर
33.	बिहार	छपरा
34.	बिहार	डाल्टनगंज
35.	बिहार	दरभंगा
37.	बिहार	देवघर (दुमका)
38.	बिहार	धनबाद
39.	बिहार	गया
40.	बिहार	हजारीबाग
41.	बिहार	जमशेदपुर
41.	बिहार	कटिहार
42.	बिहार	मुंघेर
43.	बिहार	मोतीहारी
44.	बिहार	मुज्जफ्फरपुर
45.	बिहार	पटना
46.	बिहार	रांची
47.	बिहार	सहरसा
48.	बिहार	ससाराम
49.	गुजरात	अहमदाबाद
50.	गुजरात	अमरेली
51.	गुजरात	भरुच
52.	गुजरात	भावनगर
53.	गुजरात	भुज (कच्छ)
54.	गुजरात	गोधरा (पंच महल)
55.	गुजरात	हिम्मतनगर (साबरकांठा)
56.	गुजरात	जामनगर
57.	गुजरात	जूनागढ़
58.	गुजरात	मेहसाना
59.	गुजरात	नडियाड (खेड़ा)
60.	गुजरात	पालनपुर (बानसकांठा)
61.	गुजरात	राजकोठ
62.	गुजरात	सूरत
63.	गुजरात	सुरेन्द्रनगर
64.	गुजरात	बडोदरा
65.	गुजरात	वलसाड
66.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर
67.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा (धरमशाला)
68.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
69.	हिमाचल प्रदेश	मंडी
70.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
71.	हिमाचल प्रदेश	सोलन
72.	हरियाणा	अम्बाला

1	2	3
73.	हरियाणा	गुड़गांव
74.	हरियाणा	हिसार
75.	हरियाणा	जींद
76.	हरियाणा	करनाल
77.	हरियाणा	नारनोल (रिवाड़ी)
78.	हरियाणा	रोहतक
79.	हरियाणा	सोनीपत
80.	जम्मू कश्मीर	जम्मू
81.	जम्मू कश्मीर	लेह
82.	जम्मू कश्मीर	राजौरी
83.	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर
84.	जम्मू कश्मीर	उधमपुर
85.	केरल	अल्लेप्पी
86.	केरल	कन्नानूर
87.	केरल	एर्नाकुलम
88.	केरल	कावारट्टी (लक्षद्वीप)
89.	केरल	कोट्टयाम
90.	केरल	कोजहीकुड़ी (कालीकट)
91.	केरल	पालघाट (पालक्काड़)
92.	केरल	क्विलोन
93.	केरल	तिरुवल्ला (पथनमथिट्टा)
94.	केरल	त्रिचूर
95.	केरल	त्रिवेन्द्रम
96.	केरल	बंगलूर
97.	केरल	बेलगाम
98.	कर्नाटक	बेल्लरी
99.	कर्नाटक	बिदार
100.	कर्नाटक	बीजापुर
101.	कर्नाटक	चिकमंगलूर
102.	कर्नाटक	देवनागिरि
103.	कर्नाटक	गुलबर्गा
104.	कर्नाटक	हस्सन
105.	कर्नाटक	हुबली (धारवाड़)
106.	कर्नाटक	करवार (युकन्नड़)
107.	कर्नाटक	कोलर

1	2	3
108.	कर्नाटक	मांडया
109.	कर्नाटक	मंगलूर (दक्षिण कन्नड़)
110.	कर्नाटक	मेरचारा (माहीकेरि कोडगू)
111.	कर्नाटक	मैसूर
112.	कर्नाटक	रायचूर
113.	कर्नाटक	शिमोगा
114.	कर्नाटक	टमकूर
115.	महाराष्ट्र	अहमदनगर
116.	महाराष्ट्र	अकोला
117.	महाराष्ट्र	अमरावती
118.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
119.	महाराष्ट्र	भंडारा
120.	महाराष्ट्र	भीड़ (बीड़)
121.	महाराष्ट्र	बुल्ढाना (खामगांव)
122.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर
123.	महाराष्ट्र	धुलिया (धुले)
124.	महाराष्ट्र	गढ़ाचिरोली (चन्द्रपुर में)
125.	महाराष्ट्र	जलगांव
126.	महाराष्ट्र	जालना
127.	महाराष्ट्र	कल्याण
128.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
129.	महाराष्ट्र	कुदाल (सिंधुदुर्ग)
130.	महाराष्ट्र	लातूर
131	महाराष्ट्र	नागपुर
132.	महाराष्ट्र	नांदेड़
133.	महाराष्ट्र	नासिक
134.	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
135.	महाराष्ट्र	पणजी (गोआ)
136.	महाराष्ट्र	परभनी
137.	महाराष्ट्र	रायगढ़
138.	महाराष्ट्र	पुणे
139.	महाराष्ट्र	रत्नागिरि
140.	महाराष्ट्र	सांगली
141.	महाराष्ट्र	सतारा
142.	महाराष्ट्र	सोलापुर

1	2	3
143.	महाराष्ट्र	वर्धा
144.	महाराष्ट्र	यवतमाल
145.	मध्य प्रदेश	अम्बिकापुर (सरगुजा)
146.	मध्य प्रदेश	बालाघाट (महाकौशल)
147.	मध्य प्रदेश	बैतुल
148.	मध्य प्रदेश	भोपाल
149.	मध्य प्रदेश	बिलासपुर
150.	मध्य प्रदेश	छतरपुर
151.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
152.	मध्य प्रदेश	दमोह
153.	मध्य प्रदेश	देवास
154.	मध्य प्रदेश	धार
154.	मध्य प्रदेश	दुर्ग
156.	मध्य प्रदेश	गुंना
157.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
158.	मध्य प्रदेश	इंदौर
159.	मध्य प्रदेश	इटारसी (होसंगाबाद)
160.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
161.	मध्य प्रदेश	जगदलपुर (बस्तर)
162.	मध्य प्रदेश	झाबुआ
163.	मध्य प्रदेश	खंडवा
164.	मध्य प्रदेश	खरगौन
165	मध्य प्रदेश	मंडला (बालाघाट में)
166.	मध्य प्रदेश	मंदसौर
167.	मध्य प्रदेश	मुरैना
168.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
169.	मध्य प्रदेश	पन्ना (सतना में)
170.	मध्य प्रदेश	रायगढ़
171.	मध्य प्रदेश	रायपुर
172.	मध्य प्रदेश	रायसेन
173.	मध्य प्रदेश	राजगढ़
174.	मध्य प्रदेश	रतलाम
175.	मध्य प्रदेश	रीवा
176.	मध्य प्रदेश	सागर
177.	मध्य प्रदेश	सतना
178.	मध्य प्रदेश	सिवनी
179.	मध्य प्रदेश	शहडोल
180.	मध्य प्रदेश	शाजापुर
181.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी
182.	मध्य प्रदेश	सीधी
183.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
184.	मध्य प्रदेश	विदिशा
185.	उत्तर पूर्व	अगरतला (त्रिपुरा)
186.	उत्तर पूर्व	ऐजवाल (मिजोरम)
187.	उत्तर पूर्व	इम्फाल (मणिपुर)
188.	उत्तर पूर्व	कोहिमा (दीमापुर)
189.	उत्तर पूर्व	शिलांग (मेघालय)
190.	उत्तर पूर्व	जीरी (ईटानगर)
191.	उड़ीसा	बालासौर
192.	उड़ीसा	बारीपाड़ा (बालासोर में)
193.	उड़ीसा	बेरहमपुर
194.	उड़ीसा	भवानीपटना
195.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
196.	उड़ीसा	बोलनगीर
197.	उड़ीसा	कटक
198.	उड़ीसा	धेनकनाल
199.	उड़ीसा	कोरापुट
200.	उड़ीसा	फूलबानी (मयूरभंज)
201.	उड़ीसा	राउरकेला
202.	उड़ीसा	सम्बलपुर
203.	पंजाब	अमृतसर
204.	पंजाब	भटिंडा
205.	पंजाब	चण्डीगढ़
206.	पंजाब	फिरोजपुर
207.	पंजाब	होशियारपुर
208.	पंजाब	जालंधर
209.	पंजाब	लुधियाना
210.	पंजाब	पठानकोट
211.	पंजाब	पटियाला
212.	पंजाब	रोपड़

1	2	3
213.	पंजाब	संगरुर
214.	राजस्थान	अजमेर
215.	राजस्थान	अलवर
216.	राजस्थान	बांसवाड़ा
217.	राजस्थान	बारमेर
218.	राजस्थान	भरतपुर
219.	राजस्थान	भीलवाड़ा
220.	राजस्थान	बीकानेर
221.	राजस्थान	बूंदी
222.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
223.	राजस्थान	चुरू
224.	राजस्थान	जयपुर
225.	राजस्थान	जैसलमेर
226.	राजस्थान	झालावाड़
227.	राजस्थान	झुनझुंनू
228.	राजस्थान	जोधपुर
229.	राजस्थान	कोटा
230.	राजस्थान	नागौर
231.	राजस्थान	पाली
232.	राजस्थान	सवाई माधोपुर
233.	राजस्थान	सीकर
234.	राजस्थान	सिरोही (आबू रोड)
235.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
236.	राजस्थान	टोंक
237.	राजस्थान	उदयपुर
238.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
239.	तमिलनाडु	कुड्डालूर
240.	तमिलनाडु	धर्मापुरी
241.	तमिलनाडु	इरोड
242.	तमिलनाडु	कांचीपूरम (चिंगलपेट)
243.	तमिलनाडु	करैकुड़ी
244.	तमिलनाडु	कम्बाकोनम
245.	तमिलनाडू	मदुरै
246.	तमिलनाडू	नागरकोएल
247.	तमिलनाडू	ऊटी (नीलगिरी–कूनूर)
248.	तमिलनाडू	पांडिचेरी
249.	तमिलनाडू	सेलम
250.	तमिलनाडू	राजापूट
251.	तमिलनाडू	तिरुनलवेलि
252.	तमिलनाडू	त्रिची
253.	तमिलनाडू	टूटीकोरीन
254.	तमिलनाडू	वेल्लूर
255.	तमिलनाडू	विरुदुनगर
256.	उ.प्र. (पूर्व)	इलाहाबाद
257.	उ.प्र. (पूर्व)	आजमगढ़
258.	उ.प्र. (पूर्व)	बहराइच
259.	उ.प्र. (पूर्व)	बलिया
260.	उ.प्र. (पूर्व)	बांदा
261.	उ.प्र. (पूर्व)	बाराबंकी
262.	उ.प्र. (पूर्व)	बस्ती
263.	उ.प्र. (पूर्व)	देवरिया (मऊ)
264.	उ.प्र. (पूर्व)	इटावा
265.	उ.प्र. (पूर्व)	फैजाबाद
266.	उ.प्र. (पूर्व)	फर्रुखाबाद
267.	उ.प्र. (पूर्व)	फतेहपुर
268.	उ.प्र. (पूर्व)	गाजीपुर
269.	उ.प्र. (पूर्व)	गोंडा
270.	उ.प्र. (पूर्व)	गोरखपुर
271.	उ.प्र. (पूर्व)	हमीरपुर
272.	उ.प्र. (पूर्व)	हरदोई
273.	उ.प्र. (पूर्व)	जौनपुर
274.	उ.प्र. (पूर्व)	झांसी
275.	उ.प्र. (पूर्व)	कानपुर
276.	उ.प्र. (पूर्व)	लखीमपुर
277.	उ.प्र. (पूर्व)	लखनऊ
278.	उ.प्र. (पूर्व)	मैनपुरी
279.	उ.प्र. (पूर्व)	मिर्जापुर
280.	उ.प्र. (पूर्व)	उरई
281.	उ.प्र. (पूर्व)	प्रतापगढ़
282.	उ.प्र. (पूर्व)	रायबरेली

1	2	3
283.	उ.प्र. (पूर्व)	शाहजहांपुर
284.	उ.प्र. (पूर्व)	सीतापुर
285.	उ.प्र. (पूर्व)	सुल्तानपुर
286.	उ.प्र. (पूर्व)	उन्नाव
287.	उ.प्र. (पूर्व)	वाराणसी
288.	उ.प्र. (पश्चिम)	आगरा
289.	उ.प्र. (पश्चिम)	अलीगढ
290.	उ.प्र. (पश्चिम)	अल्मोड़ा
291.	उ.प्र. (पश्चिम)	बदायूं (रामपुर)
292.	उ.प्र. (पश्चिम)	बरेली
293.	उ.प्र. (पश्चिम)	बिजनोर
294.	उ.प्र. (पश्चिम)	चमोली (कोटद्वार)
295.	उ.प्र. (पश्चिम)	देहरादून
296.	उ.प्र. (पश्चिम)	एटा
297.	उ.प्र. (पश्चिम)	गाजियाबाद
298.	उ.प्र. (पश्चिम)	मथुरा
299.	उ.प्र. (पश्चिम)	मेरठ
300.	उ.प्र. (पश्चिम)	मुरादाबाद
301.	उ.प्र. (पश्चिम)	मुज्जफ्फरनगर
302.	उ.प्र. (पश्चिम)	नैनीताल
303.	उ.प्र. (पश्चिम)	पीलीभीत
304.	उ.प्र. (पश्चिम)	रामपुर
305.	उ.प्र. (पश्चिम)	सहारनपुर
306.	उ.प्र. (पश्चिम)	उत्तर काशी (श्रीनगर)
307.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
308.	बंगाल	बेंकुरा
309.	पश्चिम बंगाल	बेरहामपुर
310.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता (हावड़ा)
311.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार
312.	पश्चिम बंगाल	गंगटोक
313.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुढ़ी
314.	पश्चिम बंगाल	खड़गपुर
315.	पश्चिम बंगाल	कृष्णनगर
316.	पश्चिम बंगाल	मालदा
317.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया
318.	पश्चिम बंगाल	रायगंज
319.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुढ़ी
320.	पश्चिम बंगाल	सूरी (बीरभूम)
321.	महानगर	बम्बई
322.	महानगर	कलकत्ता
323.	महानगर	दिल्ली
324.	महानगर	मद्रास

कार चलाने में रसोई गैस का दुरुपयोग

2793. श्री के. सी. कोडय्या : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में रसोई गैस से कार चलाए जाने में गैस का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने इस संबंध में कोई चेतावनी जारी की है, और

(ग) यदि हां, तो घरेलू रसोई गैस के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मत्रांलय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास इस विषय में कोई प्रमाणित मामला नहीं है कि देश भर में, जिसमें कर्नाटक राज्य भी शामिल है, मोटर कारें घरेलू एल. पी. जी. से चलाई जा रही हैं। तथापि, अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रायोगिक प्रयोजनार्थ आटोमोटिव ईंधन के रूप में एल पी जी का उपयोग कर सकते हैं। अब तक वाहनों में आटोमोटिव ईंधन के रूप में एल पी जी का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (उपयोग पर प्रतिबंध) आदेश, 1974 के द्वारा निषिद्ध है। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों, जो कि विशेषतया बड़े प्रदूषित शहरों में उपयोग में हैं, द्वारा हुए प्रदूषण को कम करने के विचार से सरकार आटोमोबाइल क्षेत्र में एल पी जी के उपयोग को अनुमति देने के लिए विद्यमान अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में है। घरेलू एल पी जी के दूसरे उपयोगों के लिए विपथन, जहां कहीं भी यह विपथन पाया जाता है और प्रमाणित हो जाता है, के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

डाक-तार विभाग के पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा

2794. श्री विट्ठल तुपे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर, और लखनऊ

में डाक–तार विभाग के पेंशनभोगियों को डाक–तार विभाग के औषधालयों से अंतरंग चिकित्सा सुविधा मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानों पर उक्त पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा नहीं मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डाक–विभाग डाक–तार विभाग के औषधालयों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की अंतरित करने को तैयार नहीं है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने डाक–तार विभाग के पेंशनभोगियों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा देने संबंधी पंचम वेतन आयोग की सिफारिश सं. 140–15 को स्वीकार कर लिया था;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और डाक–तार विभाग के पेंशनभोगियों की अंतरंग चिकित्सा संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) डाक–तार विभाग के पेंशनभोगियों और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव के क्या कारण है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इन स्थानों पर डाक–तार पेंशनभोगी डाक–तार औषधालयों से बहिरंग चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं। अतः उन्हें केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उन पेंशनभोगियों को सीजीएचएस सुविधा प्रदान नहीं करता जिन्होंने अपने सेवाकाल में डाक तार औषधालयों से ही चिकित्सा सुविधा प्राप्त की है।

(घ) इन पाँच स्थानों पर डाक–तार औषधालयों का केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के साथ विलय करने के मुददे की जांच की गई थी किन्तु इस पर सहमति नहीं हो सकी। तथापि, निदेशक (सीजीएचएस) ने यह सूचित किया है कि मौजूदा सीजीएचएस इन्फ्रास्ट्रकचर अपनी सेवाओं की गुणवत्ता को कम किए बिना अतिरिक्त भार सहने में सक्षम नहीं है।

(ङ) से (छ) फिलहाल दूरसंचार विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लद्दाख में संचार प्रणाली

2795. मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी ए.वी.एस..एम. : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख को अद्यतन दूरसंचार प्रणाली से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी हां।

(1) विश्वसनीय माध्यम प्रदान करने हेतु कारगिल होते हुए लेह की श्रीनगर के साथ जोड़ने के लिए दूरसंचार विभाग तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है तथापि, इस प्रोजेक्ट को अभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त, 8 केंद्रों नामतः पंखर, सिन्को, त्रिंगस्पून, सुकेरवचन, निमू, बतालिका, न्यामा तथा सासपोल में आगामी वित्त वर्ष 1999–2000 के दौरान एम सी पी सी–वी सैट प्रदान करने की तैयारी की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त 1999–2000 के दौरान लद्दाख क्षेत्र में कारगिल तथा लेह में आई डी आर सुविधा प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) (1) पर दिए गए प्रोजेक्ट की अनुमानित राशि 11 करोड रु. (लगभग) है तथा (2) पर दिए गए प्रोजेक्ट की अनुमानित राशि 5 करोड रु. (लगभग) है।

(घ) (1) प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिलने पर ऑप्टिकल फाइबर लिंक प्रदान करने संबंधी प्रोजेक्ट के दो वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

(2) एम सी पी सी–वी सैट का संस्थापन तथा आईडीआर सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्य के 1999–2000 के दौरान उत्तरोत्तर से पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि समय पर उपस्कर उपलब्ध हो जाएं।

नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों हेतु मानदण्ड

2796. श्री महेश कनोडिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नर्सिंग होम और निजी अस्पताल खोलने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इनके अन्तर्गत बनाए गए नियम नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों के पक्ष में हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गरीबों के हित में नियम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) भारत के संविधान के अन्तर्गत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है। इसलिए देश में निजी अस्पतालों/नर्सिंग होमों के कार्यकरण को विनियमित करने हेतु नियम/मानदण्ड बनाने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों को पेट्रोलियम उत्पाद डीलरशिप

2797. श्री विजय सिंह सोय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई ऐसी नीति बनाने का विचार है, जिसके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप सिर्फ जनजातियों की ही आबंटित की जाए, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी नहीं, मौजूदा नीति के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की 25 प्रतिशत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है। 4 उत्तर पूर्व राज्यों में अ.ज.जा. की जनसंख्या की अधिकता को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में अ.ज.जा. के लिए निम्नानुसार आरक्षण का अधिक प्रतिशत उपलब्ध कराया गया है:

राज्य	प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	70
मेघालय	80
नागालैण्ड	80
मिजोरम	90

ओ.एन.जी.सी.,आई.ओ.सी. और गेल द्वारा तरल प्राकृतिक गैस का आयात

2798. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय तेल निगम और भारतीय गैस प्राधिकरण विद्युत क्षेत्र के लिए तरल प्राकृतिक गैस आयात करने हेतु परियोजनायें शुरु करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1999 के दौरान कितनी मात्रा में तरल प्राकृतिक गैस का आयात किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) प्रथम चरण में दहेज तथा कोचीन में एल एन जी टर्मिनल लगाकर, एल एन जी के आयात के लिए गेल, ओ एन जी सी, बी पी सी एल तथा आई ओ सी द्वारा प्रोन्नत एक संयुक्त उद्यम कंपनी पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड गठित की गई है। वर्ष 1999 के दौरान एल एन जी का आयात कार्यान्वित नहीं हो पाएगा।

रमनतुकर-वेंगलम-कालीकट बाई-पास का निर्माण

2799. श्री पी. शंकरन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट बाईपास के रमनतुकर–वेंगलम भाग के निर्माण में विलंब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके पूरा होने की प्रस्तावित तारीख क्या है और इसके लिए कितना धन आबंटित किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) कालीकट बाइपास (28.124 कि.मी.) को चार चरणों में बनाया जाना है। केवल चरण–I (7.254 कि.मी.) पर कार्य चल रहा है। शेष तीन चरण भूमि अधिग्रहण स्तर पर हैं। अतः निर्माण कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) चरण–I को दिसम्बर, 2000 में पूरा करने का लक्ष्य है। निधियां संपूर्ण राज्य के लिए एकमुश्त आबंटित की जाती हैं, कार्यवार नहीं। 1998–99 में केरल राज्य में मूल राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए कुल 57 करोड़ रु. (पुल शुल्क निधि सहित) का आबंटन किया गया है।

नये टेलीफोन केन्द्र

2800. श्री मदन पाटील :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में टेलीफोन ग्राहकों की जिला–वार कुल संख्या क्या है;

(ख) सांगली, खेड, पुणे, नासिक, सतारा, और धुले जिलों में टेलीफोन लाइन बिछाने और नये टेलीफोन केन्द्रों को स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इन जिलों में सेल्यूलर फोन और पेजर जैसी मूल्य–योजित सेवायें मुहैया कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) महाराष्ट्र में टेलीफोन उपभोक्ताओं की जिलावार कुल संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) वर्ष 1998–99 के दौरान (31.1.99 तक) जिला सांगली, रत्नागिरि (खेड), पुणे, नासिक, सतारा और धुले में खोले गए नये एक्सचेंज और दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या विवरण–II में दी गई है।

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्यूलर सेवाओं के प्रचालन के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। दूरसंचार विभाग द्वारा यह सेवा शुरु किए जाने के स्थानों से संबंधित निर्णय, सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय के बाद ही लिया जाएगा।

(घ) और (ड) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

क्र.सं.	जिले का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	60284
2.	अकोला	26326
3.	वाशिम	6296
4.	अमरावती	37491
5.	औरंगाबाद	53609
6.	बीड	15059
7.	भंडरा	18574
8.	बुलढाना	19112
9.	चंद्रपुर	24408
10.	धुले	21430
11.	नंदुरबार	8362
12.	गढ़चिरोली	3837
13.	जलगांव	53700
14.	जालना	11537
15.	कल्याण (जिला थाने)	454760
16.	कोल्हापुर	92640
17.	लातूर	23090
18.	नागपुर	124313
19.	नान्देड़	27111
20.	नासिक	108682
21.	उस्मानाबाद	12314
22.	परभनी	16949
23.	पुणे	347482
24.	रायगढ	85284
25.	रत्नागिरि	26406
26.	सांगली	64848
27.	सतारा	49609
28.	सिंधुदुर्ग	12948
29.	सोलापुर	51784
30.	वर्धा	15254
31.	यवतमाल	15634
32.	मुंबई	1973772
	कुल जोड़	3863305

विवरण-II

1998–99 के दौरान चालू किए गए नए एक्सचेंज और प्रदान किए गए नए कनेक्शनों के ब्यौरे (31.1.99 तक)

क्र.सं.	जिला	दिए गए नए कनेक्शनों की सं.	खोले गए नए एक्सचेंजों की संख्या
1.	सांगली	7237	8
2.	रत्नागिरि (खेड)*	2522	0
3.	पुणे (खेड)*	41804	0
4.	नासिक	11605	2
5.	सतारा	6182	2
6.	धुले	2232	2

* खेड जिला नहीं है लेकिन यह जिला रत्नागिरि का तालुका है और इसका कुछ क्षेत्र जिला पुणे में है।

[हिन्दी]

लाइसेंस शुल्क का भुगतान न किया जाना

2801. डॉ. चिन्ता मोहन :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेल्यूलर टेलीफोन कंपनियों द्वारा लाइसेंस शुल्क का भुगतान न किए जाने के क्या कारण बताए गए हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा जनवरी, 1999 तक देश में सेल्यूलर टेलीफोन उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या कितनी थी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) सेल्यूलर ऑपरेटरों ने अभ्यावेदन दिया है कि अधिकांश परियोजनाएं अपनी मौजूदा निबन्धन और शर्तों के संदर्भ में अव्यवहार्य हैं क्योंकि मांग तथा उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में उनके मूल प्रक्षेपण सही सिद्ध नहीं हुए हैं।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित पर सिफारिशें करने के लिए दूरसंचार पर एक समूह (जीओटी) गठित किया है।

(i) प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति

(ii) बुनियादी और सेल्यूलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंस धारकों से संबंधित मामले तथा नई दूरसंचार नीति की संस्थान (फ्रेम वर्क) के अन्दर उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाना।

(iii) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) से संबंधित मामले।

31.1.1999 की स्थिति के अनुसार देश में सेल्यूलर टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 10,96,219 है।

[अनुवाद]

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

2802. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य–वार कितने ब्लॉकों को सम्मिलित किया गया; और

(ख) देश में इस योजनान्तर्गत, नौवीं योजना के दौरान कितने ब्लॉकों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई आर ई पी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995–96, 1996–97, 1997–98 के दौरान कार्यान्वयन हेतु मंजूर किए गए ब्लॉकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नवीं योजना के दौरान देश में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत 500 अतिरिक्त ब्लॉकों को शामिल किए जाने की संभावना है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नए ब्लॉकों की मंजूरी, उनकी मांग और कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उनकी संबंधित योजनाओं में प्रतिरूप निधियों के प्रावधान के आधार पर की जाती है।

विवरण

वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मंजूर किए गए आई आर ई पी ब्लॉकों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर किए गए ब्लॉक		
		1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	–
3.	असम	1	–	2
4.	बिहार	2	–	40
5.	गोवा	1	–	–
6.	गुजरात	3	–	–
7.	हरियाणा	–	–	9
8.	हिमाचल प्रदेश	10	–	4
9.	जम्मू व कश्मीर	2	–	10
10.	कर्नाटक	5	–	11
11.	केरल	16	–	–
12.	मध्य प्रदेश	9	–	24
13.	महाराष्ट्र	4	–	–
14.	मणिपुर	2	–	7
15.	मेघालय	1	–	–
16.	मिजोरम	1	–	2
17.	नागालैण्ड	–	–	19
18.	उड़ीसा	5	–	29
19.	पंजाब	5	–	5
20.	राजस्थान	12	–	4
21.	सिक्किम	1	–	–
24.	तमिलनाडु	4	–	–
23.	त्रिपुरा	1	–	3
24.	उत्तर प्रदेश	15	–	27
25.	पश्चिम बंगाल	5	–	4
26.	अंड.व निको. द्वीपसमूह	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–

1	2	3	4	5
28.	दादरा व नागर हवेली	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–
29.	दिल्ली	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–
	कुल	108	–	200

राजस्थान में गैस भंडार

2803. श्री जी. गंगा रेड्डी :

कर्नल सोना राम चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बाड़मेर में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इन भंडारों में कितनी प्राकृतिक गैस होने का अनुमान है; और

(ग) गैस की खोज के लिए क्या कार्य–योजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में डाकखाने

2804. डॉ. सरोजा वी. : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान तमिलनाडु में जिले–वार कितने नए डाकखाने, शाखा/उप डाकखाने खोले गए हैं और खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में मौजूदा डाकखानों को आधुनिक बनाने/विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इन डाकखानों को कब तक आधुनिक बनाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) वर्ष 1998–99 के दौरान पूरे तमिलनाडु डाक सर्किल में विभागीय उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य क्रमशः 2 और 10 है। डाकघर मानदंड पूरे होने और संसाधन उपलब्ध होने पर खोले जाते हैं। अब तक खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) तमिलनाडु सर्किल में निम्नलिखित आठ डाकघरों के आधुनिकीकरण का कार्य वर्ष 1998–99 के दौरान शुरू किया गया है।

क्र.सं.	डाकघर का नाम	जिला
1.	अरणी प्रधान डाकघर	तिरूवन–मलै
2.	गुडियातम, प्रधान डाकघर	बेल्लूर
3.	आवडी कैम्प प्रधान डाकघर	तिरूवल्लूर
4.	महाराजनगर उप डाकघर	तिरुनेलवेली
5.	तिरुमंगलम उप डाकघर	मदुरै
6.	तिरुचिरापल्ली प्रधान डाकघर	तिरुचिरापल्ली
7.	रामानाथपुरम (सीबीई) डाकघर	कोयम्बतूर
8.	लॉले रोड उप डाकघर	कोयम्बतूर

तमिलनाडु सर्किल में डाकघरों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए बीस लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। उपर्युक्त डाकघरों का आधुनिकीकरण 31.3.99 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

विवरण

वर्ष 1998–99 में अब तक खोले गए डाकघर (जिलावार)

जिला	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
कांचीपुरम	1	–
तूतीकोरिन	1	–
नागपट्टिनम	–	1
पुडुकट्टई	–	1
शिवगंगा	–	1
सलेम	–	2
कोयम्बतूर	–	1
कुल	2	6

[हिन्दी]

लम्बित चिकित्सा-विश्वविद्यालय परियोजना

2805. श्री दादा बाबूराव पराजंपे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश ने जबलपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद महा विद्यालय को इमारत के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विभाग ने भवन निर्माण उपकरणों की खरीद और औषधियों के विकास और औषधियों के विकास और पौध के लिए क्रमशः 70 लाख रुपये और 8.30 करोड रुपये का अनुदान मांगा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) वर्ष 1997–98 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के वर्तमान स्नातकपूर्व कॉलेजों के विकास और सुदृढीकरण संबंधी स्कीम के तहत 70.00 लाख रुपये (उपकरण हेतु 10.00 लाख रुपये, अस्पताल, पुस्तकालय तथा छात्रावास भवन के निर्माण हेतु 20.00 लाख रुपये) और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल, जबलपुर को औषधीय पौधों की खेती तथा विकास के लिए 8.30 लाख रुपये (8.30 करोड नहीं) की वित्तीय सहायता का विधिवत संस्तुत एक प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। इस कॉलेज को उपकरण के लिए 10.00 लाख रुपये और औषधीय पौधों के विकास तथा खेती के लिए 5.00 लाख रुपये का एक अनुदान क्रमशः 4 फरवरी, 1999 और 17 दिसंबर, 1998 के स्वीकृति पत्रों के तहत किया गया था। कॉलेज से वचनबद्धता तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के पश्चात् निधि जारी कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस वितरक

2806. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन–कौन सी रसोई गैस एजेंसियां काम कर रही थीं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकार की और अधिक गैस एजेंसियां स्थापित करने की मांग पर विचार करने का है;

(ग) यदि हां, तो रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने हेतु मध्य प्रदेश से कितने आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से कितने निपटाए गए और कितने अभी स्वीकृति हेतु लंबित है; और

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) मध्य प्रदेश मे 1 जनवरी, 1999 को एल पी जी की 328 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें मौजूद थीं।

(ख) से (घ) पिछली विपणन योजनाओं में लम्बित पडे स्थानों के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के लिए एल पी जी विपणन योजना 1996–98 में 282 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। तेल कंपनियों ने इन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से अधिकांश के लिए पहले ही विज्ञापन दे दिया है। मध्य प्रदेश में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए 4 डीलर चयन बोर्ड गठित किए गए हैं।

डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का वास्तविक रूप से चालू होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि विज्ञापित स्थानों की संख्या, डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए डीलर चयन बोर्ड द्वारा किए गए साक्षात्कार, भूमि प्राप्ति, उपयुक्त लाइसेंस प्राप्ति तथा डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा गोदाम निर्माण आदि। सामान्यतः साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू होने में करीब 6–12 माह का समय लगता है।

[अनुवाद]

देश में रक्त की आवश्यकता

2807. श्री के. पैरी मोहनः

श्री फ्रांसिको सरदीना :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपूरे :

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय रक्त की अनुमानित आवश्यकता कितनी है और अगले पांच वर्षों के लिए राज्य–वार कितना अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने अनेक राज्यों में रक्त की चल रही भारी कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में स्थिति की समीक्षा की है और क्या सरकार का विचार संक्रमित रक्तदान द्वारा आसन्न एड्स के भारी खतरे से सुरक्षा हेतु नई और प्रभावी नीति बनाने/कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है अथवा रोगियों के लिए गुणवत्ता वाले रक्त की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में क्या प्रशासनिक निर्णय लिया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए संस्थानों/रक्त बैंकों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आपात स्थिति में, जहां ऐसी सुविधा मौजूद नहीं है रोगियों को रक्त प्रदान कराने का है; और

(च) यदि नहीं, तो चल रही स्थिति से निपटने के लिए देश में और अधिक रक्त बैंक खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्डों के अनुसार किसी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या यूनिट में रक्त की अनुमानित जरूरत 5–7 यूनिट/पलंग/वर्ष है, जबकि किसी विशिष्टता प्राप्त संस्था में यह जरूरत 25–30 यूनिट/पलंग/वर्ष हो सकती है। इसलिए रक्त की राज्यवार आवश्यकता का यथा तथ्य ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता।

(ख) और (ग) यद्यपि रक्त की अनियमित और आवर्तक कमी का सामना देश में करना पड़ता है तथापि कोई गम्भीर कमी सूचित नहीं की गई है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई करें जिससे रक्ताभाव को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, एक प्रारूप राष्ट्रीय रक्तनीति का प्रतिपादन किया गया है जिसके लक्ष्य में निरापद रक्त और रक्त उत्पाद मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित कार्य नीतियां हैं :–

- राष्ट्रीय रक्ताधान सेवा को स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति का अविभाज्य अंग बनाते हुए उसे सुदृढ़ करना।
- समस्त रक्त केन्द्रों में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- रक्त तथा/रक्त उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित करना।
- घटकों का निर्माण करने के लिए सुविधाएं विकसित करना।
- प्लाज्मा प्रभावीकरण के लिए सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण।
- रक्त और रक्त उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करना।
- रक्त की आपूर्ति में निरापदता और प्रभावकारिता का सुधार करने के लिए रक्ताधान सेवा संबंधी शोध कार्य प्रारम्भ करना।
- रक्ताधान सेवा के प्रभावी प्रबन्धन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन का विकास और सुदृढ़ीकरण।

(घ) राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस रद्द किए गए रक्त बैंकों की संख्या है :

आन्ध्र प्रदेश : 10, गुजरात : 17, कर्नाटक : 25 (3 बैंकों को नया लाइसेंस दिया गया है।)

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आपात के मामले में रक्त का प्रबन्ध निकटतम रक्त बैंक से करना होता है।

(च) राज्यों में रक्त बैंक खोलने की जरूरत के बारे में फैसला करना संबंधित राज्य प्राधिकारियों का कार्य है।

उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए एल.पी.जी. की आवश्यकता

2808. श्री दरोगा सरोज :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लालगंज जिले और बिहार के दरभंगा जिले के लिए इस समय एल.पी.जी. की अनुमानित मासिक आवश्यकता कितनी है और इसकी आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त जिले में एल. पी. जी. की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल. पी. जी. की आपूर्ति करते समय इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास नामांकित मौजूदा उपभोक्ताओं की एल पी जी मांग कुल मिलाकर पूरी की जा रही है। तथापि, जब कभी कानून व्यवस्था की समस्या, बाढ़ या किसी भी उत्पादन स्रोत आदि पर अचानक काम बंद होने से उपलब्धता में किसी विघटन के कारण एल पी जी का बैकलाग बनता है तो तेल कंपनियां, एल पी जी का आयात बढ़ाकर तथा एल पी जी भरण संयंत्रों में अधिक समय तक तथा रविवार और अवकाश के दिनो में भी कार्य करके एल पी जी बैकलाग को पूरा करते हुए प्रभावित बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) देशी स्रोतों तथा संभावित आयातों से एल पी जी की सीमित उपलब्धता के कारण मौजूदा विपणन योजनाएं मुख्यतः केवल उन्हीं नगरों के लिए हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 और उससे अधिक है। तथापि, पर्यावरण की संरक्षा और वन कटाव को रोकने के लिए एल पी जी की ऐसे कई पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में भी शुरुआत की गई है जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम है।

पारम्परिक ईंधनों की अनुपलब्धता बढ़ने तथा एल पी जी की और अधिक उपलब्धता एवं एल पी जी का रसोई ईंधन के रूप में इसके आरामदेह प्रयोग के कारण इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता

तथा वनों की आगे कटाई को रोकने के उद्देश्य से, सरकार ने निम्नांकित आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी की आपूर्ति के विषय में योजना तैयार करते हुए तथा वहां एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के विषय में कार्यवाही करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी एल पी जी का विपणन शुरु करने का निर्णय लिया है:

(1) 10,000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी शहरी लोकेशनों को शामिल करना तथा साथ ही 15 कि.मी. के अर्ध व्यास में आने वाले संभावनायुक्त निकटवर्ती गांवों को भी शामिल करना।

(2) डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगाने के लिए 5000 और उससे अधिक जनसंख्या वाली सभी शहरी लोकेशनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा 15 कि.मी. के अर्ध व्यास में आने वाले संभावनायुक्त निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।

(3) ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगाने के लिए 10,000 (दस हजार) और उससे अधिक जनसंख्या वाले केन्द्र गांवों के 15 कि.मी. के अर्ध व्यास के अंदर आने वाले सभी गांवो के समूह का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा व्यवहार्यता के आधार पर उसे योजना में शामिल करना।

(4) ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के उद्देश्य से एक लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के आसपास 15 कि.मी. के अर्ध व्यास के अंदर आने वाले गांवों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इन नगरों के निकट ग्रामीण लोकेशनों का पता लगाते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे नगरों में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें मौजूद हैं ताकि ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपों से शहरी क्षेत्रों में एल पी जी के विपणन को रोका जा सके।

(5) 15 कि.मी. के अर्ध व्यास में आने वाले संभावनायुक्त निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विकास के लिए सभी वी आई पी संदर्भों की जांच की जानी चाहिए।

उक्त मानदण्डों के आधार पर, तेल उद्योग ने संशोधित विपणन योजना 1996–98 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने के लिए देश में 1285 शहरी/ग्रामीण तथा 401 केवल ग्रामीण लोकेशनों का पता लगाया है।

[हिन्दी]

प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध

2809. श्री रामपाल सिंह :

डॉ. अशोक पटेल :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री राजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :

श्री पंकज चौधरी :

श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुराने प्लास्टिक से बनाई गई प्लास्टिक की थैलियों न किए नए प्लास्टिक से बनाई गई थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी इस प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार का पुराने प्लास्टिक से प्लास्टिक की थैलियां बनाने वाले उद्योगों से सम्बद्ध व्यक्तियों का पुनर्वास किस प्रकार करने का विचार है;

(च) क्या सरकार ने रद्दी रंग–बिरंगी थैलियों/सफेद पोलीथीन की थैलियों का उपयोग किए जाने के बारे में भी विचार किया है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंरांडी) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 20 नवम्बर, 1998 को "रीसाईकल्ड प्लास्टिक यूसेज रूल्स" शीर्षक से प्रारूप नियम जारी किए हैं जिनके अन्तर्गत लोगों से 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां भेजने के लिए कहा गया है। उक्त नियमों में खाद्य सामग्रियों के भण्डारण, उन्हें लाने–ले जाने अथवा उनकी पैकिंग के लिए पुनःचक्रित प्लास्टिक (रीसाईकल्ड प्लास्टिक्स) से निर्मित प्लास्टिक थैलियों और कनटेनरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इन नियमों में विर्जिन प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ये सारे भारत में लागू हैं।

(ङ) प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए इस उद्योग से जुड़े लोगों के पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) और (छ) प्रारूप नियमों में प्लास्टिक की थैलियों के प्रसंस्करण और पुनः चक्रण के लिए कतिपय शर्तें निर्धारित की गई हैं और उक्त कार्य "गाइडलाइन्स फार रीसाइक्लिंग आफ प्लास्टिक" में यथा विनिर्धारित भारतीय मानकों आई एस 14534 : 1998 के अनुसार किया जाएगा।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2810. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वास्तव में बंद हैं जिसके परिणामस्वरुप जनजातीय लोग असहाय स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की ऐसे प्राथमिक केन्द्रों का पुनरुद्धार करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों का कब तक पुनरुद्धार कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) आदिवासी क्षेत्रों में 31.12.96 को 3090 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुकाबले 31.12.97 को 3194 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

तथापि सरकार आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा सेवाओं को सुधारने की आवश्यकता के बारे में जागरूक है। समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुधारने का अनुरोध किया जाता है। सरकार का विश्व बैंक की सहायता से विशेष आदिवासी प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव है।

मिट्टी के तेल के निजी आयात पर सीमा शुल्क

2811. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने सरकार से डीजल में मिलावट को रोकने के लिए मिट्टी के तेल के निजी आयात पर सीमा-शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष के दौरान डीजल में मिलावट करने के कितने मामले पकड़े गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा मिलावट में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए कोई मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) तेल विपणन कंपनियां, मिलावट तथा अन्य अपराधों को रोकने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित निरीक्षण/आकस्मिक जांच करती हैं। इसके साथ ही तेल कंपनियों द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों/डीलरशिप करार के अनुसार कार्यवाई की जाती है। अप्रैल, 1998 से जनवरी, 1999 के दौरान, मिलावट के 135 मामलों का पता लगाया गया था। संशोधित विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश 12.5.1998 से प्रभावी है। मिलावट के मामलों में दी जाने वाली सजा और कठोर बनाई गई थी जिसमें गलती करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्र के डीलरों पर मौद्रिक जुर्माना लगाना भी शामिल था। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त दिशा-निर्देशों के प्रचालन पर रोक लगा दी है। इसलिए डीलरशिप करार के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

डाक-घरों का कम्प्यूटरीकरण

2812. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत डाक-घरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में राज्य-वार कितने डाक-घरों को कम्प्यूटरीकृत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए अनुमानित कितना धन आबंटित किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) इस समय नई दिल्ली का संसद मार्ग प्रधान डाकघर ही देश में एकमात्र पूर्णतया कम्पयूटरीकृत डाकघर है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के लिए वार्षिक योजना को अभी अनुमोदित किया जाना।

(ग) डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 7 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

ब्लाक स्तर पर एल. पी. जी. के बिक्री केन्द्रों की स्थापना

2813. श्री रिजवान जहीर खां : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्लाक स्तर पर एल. पी. जी. के बिक्री केन्द्रो की स्थापना हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें देश भर में, जिनमें प्रखंड स्तर पर खोली जाने वाली डिस्ट्रीब्यूटरशिपें भी शामिल हैं, साध्य एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थानों पर खोली जाती हैं। एल. पी. जी. विपणन योजना 1996–98 निम्नांकित आधार पर प्रतिपादित की गई हैं :

- 15 किलोमीटर के अर्ध व्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवो की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थानों को शामिल करने के लिए।

- 15 किलो मीटर अर्ध व्यास के अन्तर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और इससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी व्यवहार्य स्थान।

- ऐसे गांवों, जिनकी आबादी 10,000 और इससे अधिक है, के 15 किलो मीटर अर्ध व्यास के अंतर्गत गांवों का समूह।

- ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए ऐसे नगरों, जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है, के चारों ओर 15 किलो मीटर अर्ध व्यास के अंर्तगत अवस्थित गांव।

तदनुसार ही, एल पी जी विपणन योजना 1996–98 में 2000 स्थान शामिल किए गए हैं जिनमें से 1900 स्थान केवल शहरी ग्रामीण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अधिसंख्य छोटे नगर, जिनमें प्रखंड मुख्यालय शामिल है, इन स्थानों में सम्मिलित हैं। तेल कंपनियों द्वारा भारी संख्या में एल पी जी डिस्ट्रब्यूटरशिपों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए डीलर चयन बोर्ड गठित किए गए हैं। ऐसी डीलरशिपों/डिस्ट्री–ब्यूटरशिपों को वास्तविक रूप से आरम्भ करना विज्ञापित स्थानों की संख्या, डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए डीलर चयन बोर्डों द्वारा किए गए साक्षात्कारों, भूमि प्राप्त करना, उचित अनुज्ञप्तियों तथा डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा गोदाम का निर्माण, इत्यादि जैसे कई एक पहलुओं पर निर्भर करता है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में सामान्यतः साक्षात्कार की तारीख से 6 से 12 माह तक का समय लगता है।

पंचायत संचार सेवा योजना

2814. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान पंचायत संचार सेवा योजना को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) जी हां। चालू वित्त वर्ष के दौरान 200 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य है इस योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पंचायत संचार सेवा योजना

योजना का उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य, उन ग्राम पंचायत गांवों में मूलभूत डाक और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करना है, जिनमें अभी तक डाकघर नहीं है। इस योजना में पंचायतें कुछ मूलभूत सेवाओं जैसे डाक टिकटों और डाक लेखन समग्री की बिक्री, पत्रों के संग्रहण तथा वितरण और पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग आदि के लिए नोडल प्वाइंट होंगी।

कार्य :

जब तक विभाग द्वारा अन्यथा निर्धारित न किए जाएं तब तक पंचायत केन्द्रों द्वारा नीचे उल्लिखित कार्य किए जाएंगे।

(क) वी.पी. और बीमाकृत वस्तुओं को छोड़कर रजिस्टर्ड पत्रों की बुकिंग;

(ख) डाक टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री;

(ग) डाक प्रमाणपत्र जारी करना;

(घ) जहां व्यवहार्य हो, महिला समृद्धि योजना का संचालन करना;

(ङ) जहां व्यवहार्य हो, लैटर बॉक्सों की क्लीयरेंस सहित डाक का संग्रहण और वितरण;

(च) लघु बचत योजना और ग्रामीण डाक जीवन बीमा को बढ़ावा देना; और

(छ) जब विभाग संतुष्ट हो कि केन्द्र शाखा डाकघर के अन्य कार्य करने में सक्षम है तो उसे शाखा डाकघर के अन्य कार्य सौंपना।

इसके अलावा संबंधित डिवीजन के अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर द्वारा संचार केन्द्र के इंचार्ज को निम्नलिखित वैकिल्पक कार्य भी दिए जा सकते हैं।

लेखा कार्यालय अथवा नजदीकी डाकघर से संचार केन्द्र के लिए डाक ले जाना तथा संचार केन्द्र से लेखा कार्यालय अथवा नजदीकी डाकघर के लिए डाक लाना और ले जाना।

इस योजना के अंतर्गत संचार केन्द्र के एजेंट को ऐसे गांवों में एसटीडी/पीसीओ पंचायत फोन संचालित करने का काम भी सौंपा जाएगा जिन गांवों में अभी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है बशर्ते कि वह दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंड और शर्तें पूरी करता हो। गावों के पीसीओ धारकों का संचार केन्द्र के एजेंटों के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं :

इस योजना में ग्राम पंचायतों की भागीदारी ऐच्छिक होगी।

पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा, जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक होगी, अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक की लिखित सहमति से ग्राम पंचायत द्वारा चुने जाने पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर डाक संबंधी कार्य करेगा।

ऐसा व्यक्ति इस योजना को चलाने के लिए पंचायत के एक एजेंट के रूप में कार्य करेगा। तथापि, इस योजना को चलाने के उद्देश्य के लिए पंचायत को डाक विभाग के साथ एक करार करना होगा।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत को एक उचित स्थान निर्धारित करना होगा। बेहतर होगा कि ऐसा भवन पंचायत का स्वयं का अपना हो। पदधारक के बदलने पर केन्द्र का कार्य स्थान नहीं बदला जाएगा।

लोगों को डाक सुविधाएं रविवार और डाक छुट्टियों के दिनों को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों उपलब्ध कराई जाएंगी। केन्द्र के कार्य–घंटे अधीक्षक डाकघर द्वारा स्थानीय जनता की सुविधा और जरूरत के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे और इन्हें अधिसूचित किया जाएगा। तथापि, एसटीडी/पीसीओ/ग्राम प्रचायत टेलीफोनों के संचालन के लिए कार्य–दिवस और कार्य–घंटे दूरसंचार अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मुख्यालय ग्रामों में स्थापित किए जाएंगे।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र के माध्यम से उचित और कार्यकुशल डाक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रचायत डाक विभाग के प्रति उत्तरदायी होगी।

संचार सेवा केन्द्र का डाक विभाग द्वारा नियमित पर्यवेक्षण और निरीक्षण भी किया जाएगा।

पारिश्रमिक/कमीशन :

काउंटर सेवाएं प्रदान करने और जहां अनुमति दी गई हो, डाक के संग्रहण, डाक के लाने–ले–जाने तथा वितरण के लिए प्रति माह 300/– रु. निश्चित भत्ता दिया जाएगा।

पंचायत के एजेंट को निम्नलिखित भुगतान करके पंचायत क्षेत्र में प्रदान की गई अन्य डाक सुविधाओं के लिए प्रतिपूरक भत्ता दिया जाएगा:

(क) सामान्य क्षेत्रों में डाक–टिकट/डाक–स्टेशनरी खरीदते समय उनकी लागत पर 5 प्रतिशत का कमीशन दिया जाएगा। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित दरों पर कमीशन दिया जाएगा :–

1. 100 रुपए तक की बिक्री पर 5 प्रतिशत
2. 101 रुपए से 200 रुपये तक की बिक्री पर 7.5 प्रतिशत
3. 201 रुपए से अधिक की बिक्री पर 10 प्रतिशत

(ख) पंजीकृत वस्तु की बुकिंग और वितरण के लिए 50 पैसे कमीशन।

(ग) महिला समृद्धि योजना खातों के संचालन के लिए निर्धारित दरों पर कमीशन।

(घ) डाक जीवन बीमा और राष्ट्रीय बचत योजना को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित दरों पर कमीशन।

(ङ) अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित की जाने वाली दरों पर कमीशन।

एसटीडी/पीसीओ/ग्राम पंचायत टेलीफोनों चलाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कमीशन दिया जाएगा।

पंचायत को उस क्षेत्र में कुशल डाक सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के उद्देश्य से डाक सर्किल में उत्तम पंचायत संचार सेवा केन्द्र को पुरस्कृत करने की एक प्रणाली शुरु की जाएगी।

मिलावट की रोकथाम हेतु पेट्रोल पम्पों पर छापे

2815. श्री रामशकल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल में मिलावट रोकने के लिये छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शिकायतें मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनायें बनायी जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) तेल विपणन कंपनियां मिलावट और अन्य कदाचारों को रोकने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित निरीक्षण/औचक जांच करती है। तेल कंपनियों द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान भी आयोजित किए जाते है और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है। पूरे देश में 29.10.1998 से 2.11.1998 के दौरान एक विशेष अभियान आयोजित किया गया जिसमें 1364 खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण किया गया और 75 बिक्री केन्द्रों को आपूर्ति निलम्बित कर दी गई। उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में 12 निरीक्षण किए गए और मिलावट के किसी मामले का पता नहीं लग पाया। मिलावट का पता लगाने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा मिट्टी तेल (सा. वि. प्र.) को नीला रंगने, फरफुरल डीपिंग, फिल्टर पेपर परीक्षण, स्टाक मिलान, सचल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण जैसे विभिन्न उपाय किए गए है।

नए टेलीफोन केन्द्रों के लिए भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाना

2816. डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदसौर और रतलाम जिलों में जाओरा, मंदसौर और पिप्लिया मंडी में नए टेलीफोन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्रों के निर्माण पर कितनी लागत आई और इन केन्द्रों की क्षमता कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेन्द्र पुरकायस्थ) : (क) मंदसौर और पिप्लिया मंडी में भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। लेकिन जाओरा में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) (i) मंदसौर – इस भवन का निर्माण पूरा करने में 133 लाख रुपए की लागत आई और इसमें 10,000 लाइनों के टेलीफोन एंक्सचेंज उपस्करों की क्षमता है।

(ii) पिप्लिया मंडी – इस भवन का निर्माण पूरा करने में 31.02 लाख रुपए की लागत आई इसमें 2,000 लाइनों के टेलीफोन एक्सचेंज उपस्करों की क्षमता है।

(iii) जाओरा – इस भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है और अब तक इस पर 155 लाख रुपए की लागत आई है। इसमें 10,000 लाइनों के टेलीफोन एक्सचेंज उपस्करों की क्षमता है।

पन विद्युत परियोजनाएं

2817. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नई पन-विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) देश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
क. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन बहुउद्देशीय/जल विद्युत परियोजनाएं			
1.	रेनुका बांध	हिमाचल प्रदेश	40
2.	बुधिल	हिमाचल प्रदेश	70
3.	पार्बती चरण-2	हिमाचल प्रदेश	800
4.	उहल-3	हिमाचल प्रदेश	100
5.	कचर	हिमाचल प्रदेश	280
6.	मनेरी-भाली-2	उत्तर प्रदेश	304
8.	किशाऊ एमपीपी	उत्तर प्रदेश	600
9.	मुकेरियां चरण-2	पंजाब	12.5

1	2	3	4
9.	कान्हा	मध्य प्रदेश	90
10.	पुलिचिंटाला	आंध्र प्रदेश	60
11.	ताटीहल्ला	कर्नाटक	–
12.	बालीमेला विस्तार	उड़ीसा	150
13.	मिंत्दू (लेस्का)	मेघालय	84
ख. के.वि.प्रा. द्वारा मूल्यांकित/स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाएं			
1.	परनई	जम्मू व कश्मीर	37.5
2.	सावलकोट	जम्मू व कश्मीर	600
3.	चमेरा चरण–2	हिमाचल प्रदेश	300
4.	नियोगल	हिमाचल प्रदेश	12
5.	बास्पा–2	हिमाचल प्रदेश	300
6.	हिबरा	हिमाचल प्रदेश	231
7.	पार्बती चरण–2	हिमाचल प्रदेश	800
8.	मलाना	हिमाचल प्रदेश	86
9.	विष्णु प्रयाग	उत्तर प्रदेश	400
10.	मरहीखेड़ा	मध्य प्रदेश	40
11.	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	520
12.	महेश्वर	मध्य प्रदेश	400
13.	नागार्जुनसागर टेल पोड डैम	आंध्र प्रदेश	50
14.	अदीरापल्ली	केरल	160
15.	पुरुलिया पीएसएस	पश्चिम बंगाल	900
16.	बारगढ़ नहर	उड़ीसा	9
17.	तीस्ता चरण–5	सिक्किम	510
18.	तुरियल	मिजोरम	60
19.	तुईवई	मिजोरम	210
20.	लोकतक डी/एस	मणिपुर	90
ग. पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई बहुउद्देशीय/जल विद्युत परियोजनाएं			
1.	अंस–2	जम्मू व कश्मीर	30
2.	बरसर	जम्मू व कश्मीर	1020
3.	किशन गंगा	जम्मू व कश्मीर	330
4.	लोअर कलनई	जम्मू व कश्मीर	50
5.	न्यू गांडेरबल	जम्मू व कश्मीर	45
6.	पाखल दूल	जम्मू व कश्मीर	1000
7.	परखाचिक पानीकर	जम्मू व कश्मीर	60

1	2	3	4
8.	सेवा चरण–2	जम्मू व कश्मीर	120
9.	शितकारी कुलां	जम्मू व कश्मीर	84
10.	उड़ी–2 (चरण–1)	जम्मू व कश्मीर	280
11.	बग्गी	पंजाब	40
12.	अलाइन दुहंगन	हिमाचल प्रदेश	192
13.	धामवाड़ी सुंडा	हिमाचल प्रदेश	70
14.	हिबरा	हिमाचल प्रदेश	231
15.	करचम वांग्तू	हिमाचल प्रेदेश	1000
16.	पार्बती चरण–3	हिमाचल प्रदेश	501
20.	बोवाला नन्द प्रयाग	उत्तर प्रदेश	132
21.	धौली गंगा	उत्तर प्रदेश	210
22.	गौरी गंगा चरण 1 व 2	उत्तर प्रदेश	180
23.	गौरी गंगा 3 क और ख	उत्तर प्रदेश	140
21.	कौटलीभेल	उत्तर प्रदेश	1000
22.	लौहारी नागपाला	उत्तर प्रदेश	520
23.	पाला मनेरी	उत्तर प्रदेश	400
24.	पंचाद	उत्तर प्रदेश	90
25.	श्रीनगर	उत्तर प्रदेश	330
26.	तपोवन विष्णुगढ़	उत्तर प्रदेश	360
27.	तुईनी प्लासू	उत्तर प्रदेश	42
28.	राहुघाट	राजस्थान	160
29.	भोपालपट्टनम	मध्य प्रदेश	1000
30.	बिनौदा	मध्य प्रदेश	600
31.	गांधी सागर चरण–2	मध्य प्रदेश	160
32.	गोपद	मध्य प्रदेश	60
33.	गोपालपुर	मध्य प्रदेश	25
34.	कुन्नु–1	मध्य प्रदेश	150
35.	कुन्नु–2	मध्य प्रदेश	150
36.	केन	मध्य प्रदेश	50
37.	मारा	मध्य प्रदेश	450
38.	मतनार	मध्य प्रदेश	80
39.	ओरछा एमपीपी	मध्य प्रदेश	90
40.	चिकलदारा	महाराष्ट्र	400
41.	मलसेज घाट	महाराष्ट्र	600
42.	दूध सागर	गोवा	30

1	2	3	4
43.	इचमपल्ली एमपीपी	आंध्र प्रदेश	975
44.	लोअर जुराला	आंध्र प्रदेश	147
45.	नेलाकोट्टा एमपीपी	आंध्र प्रदेश	60
46.	पोलावरम्	आंध्र प्रदेश	720
47.	कबीनी बांध	कर्नाटक	20
48.	कटला एवं पलाना विभाग	कर्नाटक	–
49.	महादई	कर्नाटक	345
50.	मेकादातू चरण 1 व 2	कर्नाटक	180+180
51.	शिवसमुद्रम	कर्नाटक	270
52.	ऊपरी कृष्णा चरण–2	कर्नाटक	297
53.	बारापोल	केरल	9
54.	केरला भवानी	केरल	150
55.	कुटियाडी विस्तार	केरल	100
56.	कुरियारकुट्टी करपारा	केरल	84
57.	मनंथवड्डी एमपीपी	केरल	240
58.	पंडियार पुनापुजा	केरल	70
59.	पाम्बर	केरल	30
60.	पल्लीवसल आरसीएच ऑन	केरल	60
61.	भवानी कट्टालई	तमिलनाडु	90
62.	चोटिलीपुजा	तमिलनाडु	60
63.	कावेरी विद्युत परियोजना होगेनकल	तमिलनाडु	850
64.	पांडियार पुन्नापुजा	तमिलनाडु	100
65.	शनपूखनादी	तमिलनाडु	30
66.	ऊपरी अमरावती	तमिलनाडु	30
67.	कदावन	बिहार	450
68.	कनहार	बिहार	300
69.	शंख चरण–2	बिहार	186
70.	राम्मम चरण–3	पश्चिम बंगाल	60
71.	भीमकुंड एमपीपी	उड़ीसा	393
72.	हीराकुंड–ख और चिपलीमा ख	उड़ीसा	408
73.	मणिभद्रा	उड़ीसा	960
74.	सिन्डोल	उड़ीसा	820
75.	डेम्बे	अरुणाचल प्रदेश	520

1	2	3	4
76.	दिहांग	अरुणाचल प्रदेश	20000
77.	रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	180
78.	सुबनश्री	अरुणाचल प्रदेश	4800
79.	बराबी–लांग्पी (लेअर)	असम	100
80.	कारबी लांग्पी (ऊपरी बोरपानी)	असम	60
81.	लोऊर कोपिली	असम	150
82.	इरांग	मणिपुर	60
83.	तिपाईमुख	मणिपुर	1500
84.	तुईवई	मणिपुर	51

पदोन्नति में आरक्षण

2818. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से अनुसूचित जाति / जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से तारीख 13 अगस्त, 1997 का 36012/18/95 स्था. (आरक्षण), भाग 2 संख्यक कार्यालय ज्ञापन प्राप्त हुआ था। उक्त कार्यालय ज्ञापन में, सरकार के इस विनिश्चय की सूचना दी गई है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि इन प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व, आरक्षण के विहित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, सरकार के उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित कर रहा है।

क्रॉस बार टेलीफोन केन्द्र

2819. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने 'क्रॉस बार' टेलीफोन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्रॉस बार प्रणाली के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक केंद्र कब तक स्थापित किए जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) इस समय देश में 41 क्रॉस बार टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) दिसंबर 1999 तक क्रॉस बार प्रणाली के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के स्थापित किए जाने की संभावना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम

2820. श्री विजय गोयल :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्रीमती सूर्यकांता पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1998–99 के दौरान इन कार्यक्रमों पर राज्यवार कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) इन कार्यक्रमों में अब तक राज्य–वार कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) कार्यक्रम के प्रभाव का अंदाजा लोगों से विशेष रुप से महिलाओं के गर्भनिरोधक विधियों और विकल्पों के ज्ञान और जानकारी से लगाया जा सकता है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न **विवरण–III** में दिए गए हैं।

विवरण-I

ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप परिवार कल्याण मुद्दों और कार्यक्रमों की जागरूकता पैदा करने के लिए चलाए जाते हैं। ऐसे कार्यकलाप जन प्रचार माध्यमों अर्थात् दूरदर्शन और आकाशवाणी, मुद्रित प्रचार माध्यमों के इस्तेमाल के जरिए आयोजित किए जाते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए फिल्में, संगीत कार्यक्रम, पारस्परिक पैनल विचार विमर्श परिवार कल्याण संदेशों का प्रसार करते हैं। विशेष अवसरों पर और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का विशेष उल्लेख करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, युवक संगठनों और महिला स्वास्थ्य संघों द्वारा स्थानीय विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप चलाए जाते हैं। स्कूल और कालेज स्तरों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों में जिला साक्षरता समितियों को शामिल करना एक प्रमुख नई पहल है।

विवरण-II

1998–99 के दौरान राज्यवार आई ई सी बजट आवंटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई ई सी के लिए जैड एस एस को जारी निधियां	एम.एस.एस रख–रखाव के लिए निधियां	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालय के लिए निधियां	कुल (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	41.48	28.22	25	94.7
अरुणाचल प्रदेश		2.31	10	12.31
असम	21.26	45.53	15	81.79
बिहार		46.42	25	71.42
गोवा		2.06	10	12.06
गुजरात	62.92	56.33	15	134.25
हरियाणा	5.14	41.16	15	61.3
हिमाचल प्रदेश	32.69	18.57	10	61.26
जम्मू और कश्मीर	4.81	9.2	10	24.01
कर्नाटक	46.17	95.86	25	137.03
केरल	3.81	41.04	15	59.85
मध्य प्रदेश	86.64	71.8	25	
महाराष्ट्र	10.27	55.54	25	90.81
मणिपुर		1.67	10	11.67
मेघालय		5.39	10	15.39
मिजोरम		8.68	10	18.68
नागालैंड		9.86	10	19.86
उडीसा	20.11	59.94	15	95.05
पंजाब	8.67	53.67	15	77.34
राजस्थान	49.05	72.84	15	136.89
सिक्किम		1.77	10	11.77

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	40.98	34.76	25	100.74
त्रिपुरा	9.63	10.17	10	29.8
उत्तर प्रदेश	43.18	42.63	25	110.81
पश्चिम बंगाल	15.08	3.86	25	43.94
कुल राज्य	502	822.28	405	1.729
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		0.11	10	10.11
चंडीगढ़		0.23	10	10.23
दमण व दीव		0.28	10	10.28
दादरा व नगर हवेली		0.41	10	10.41
दिल्ली		1.26	10	11.26
लक्षद्वीप		0.32	10	10.32
पांडिचेरी		0.51	10	10.51
कुल संघ राज्य क्षेत्र		3.12	70	73.12
महायोग	502	825.4	475	1,802

विवरण-III

राज्य द्वारा गर्भनिरोधक विधियों का ज्ञान

विशिष्ट विधि और राज्यवार किसी गर्भनिरोधक विधि का ज्ञान एवं रखने वाली वर्तमान में विवाहित 13–49 वर्ष की आयु की महिलाओं की प्रतिशतता, भारत 1992–93

राज्य	कोई भी विधि	कोई आधुनिक विधि	कोई आधुनिक अस्थायी विधि	गोली	आईयूसी	इंजेक्शन	कंडोम	महिला नसबंदी	पुरुष नसबंदी	कोई परंपरागत विधि	अनुरक्षित अवधि में परहेज	विदड्राल	अन्य विधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारत	95.8	95.5	76.1	66.2	60.8	19.3	58.1	94.6	84.5	39.3	34.9	20.1	3.6
उत्तर													
दिल्ली	99.0	98.9	96.8	94.3	93.4	34.9	93.7	97.5	95.3	59.3	54.6	31.1	5.6
हरियाणा	99.4	99.4	90.6	76.2	80.0	45.8	75.9	99.2	98.2	58.7	46.5	41.9	4.2
हिमाचल प्रदेश	99.1	98.9	88.4	70.1	73.7	45.6	74.1	98.1	95.7	61.0	49.1	37.3	9.9
जम्मू व कश्मीर जम्मू का क्षेत्र	99.7	99.6	88.5	76.6	74.3	51.1	74.9	99.4	98.0	72.0	59.5	53.5	2.4
पंजाब	99.8	99.8	94.0	83.9	87.5	47.2	82.1	99.7	99.1	64.1	56.0	41.5	1.5
राजस्थान	87.5	87.2	58.8	53.1	46.4	23.4	37.7	85.3	70.9	27.5	23.8	14.5	1.4
केन्द्र													
मध्य प्रदेश	88.1	87.8	57.4	51.3	42.3	12.7	42.3	85.4	76.5	19.7	17.7	5.3	2.6
उत्तर प्रदेश	95.7	95.2	80.1	64.7	56.2	25.0	67.2	93.7	88.2	36.7	34.3	12.9	2.6
पूर्व													
बिहार	94.9	94.9	68.4	57.3	46.1	4.2	54.6	94.5	88.0	29.4	26.0	9.4	1.8
उड़ीसा	92.9	92.5	60.7	52.1	48.0	7.4	34.6	91.7	72.2	33.9	27.4	9.5	7.4
पश्चिम बंगाल	99.1	98.8	90.9	85.6	68.2	42.5	67.6	98.0	84.8	72.5	62.0	55.4	5.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर पूर्व													
अरुणाचल प्रदेश	77.7	77.7	62.9	55.2	52.6	28.7	39.6	75.1	47.8	27.2	25.4	17.6	0.6
असम	97.5	96.9	82.2	72.9	60.8	39.0	59.2	96.2	83.9	79.2	71.0	61.0	9.6
मणिपुर	93.6	93.0	87.9	77.9	81.0	5.6	60.3	87.7	87.4	72.4	71.2	44.4	3.9
मेघालय	78.0	76.9	64.7	58.5	49.3	9.7	47.7	71.9	46.5	43.5	35.5	17.7	15.7
मिजोरम	98.1	98.1	86.2	70.1	76.2	1.8	61.0	98.0	71.3	43.7	36.2	30.7	0.3
नागालैंड	44.4	44.3	36.7	24.9	24.2	15.9	29.0	30.4	20.9	10.7	9.7	9.3	0.8
त्रिपुरा	99.7	99.7	95.4	93.9	65.0	42.1	68.1	99.4	89.2	85.7	75.8	68.8	7.8
पश्चिम													
गोवा	98.9	98.8	89.9	80.6	76.3	20.7	73.1	97.7	72.8	45.6	41.6	24.1	2.9
गुजरात	96.6	96.4	77.0	65.9	71.4	22.8	62.7	95.6	78.6	45.9	43.3	24.4	1.7
महाराष्ट्र	97.8	97.8	76.8	67.1	70.7	8.1	57.3	97.3	83.6	23.3	21.3	8.4	2.0
दक्षिण													
आंध्र प्रदेश	96.7	96.6	61.2	53.7	43.7	12.8	41.9	95.7	89.7	14.6	11.3	2.9	3.5
कर्नाटक	98.9	98.8	83.8	75.1	78.0	5.4	50.0	98.6	81.1	41.1	38.8	15.0	6.4
केरल	99.7	99.7	96.6	87.1	90.3	13.0	91.0	99.3	90.0	72.6	66.1	50.7	2.7
तमिलनाडु	99.1	99.1	85.6	74.5	77.8	12.6	61.0	98.8	86.0	46.2	39.0	23.7	6.6

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992–93

[अनुवाद]

उपकरणों के आयात हेतु तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा सीमा शुल्क चुकाया जाना

2821. श्रीराम चौहान :

डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री मदन पाटील :

श्री अशोक नामदेव राव माहोल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम उपकरणों और पुरजों के आयात पर प्रतिवर्ष भारी राशि चुकाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में नई "एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी" (एन.इ.एल.पी.) के अंतर्गत उपकरणों और पुरजों के निःशुल्क आयात हेतु विदेशी कम्पनियों को अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने सरकार से उन्मोचन का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) ओएनजीसी, सरकार की वर्तमान नीतियों के अनुसार उपस्करों और अतिरिक्त कलपुर्जो के अपने आयात पर सीमा शुल्क का भुगतान कर रहा है। ओएनजीसी द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान अदा किया गया सीमा शुल्क निम्नानुसार था :–

	करोड़ रुपये
1995–96	167.87
1996–97	179.60
1997–98	189.92

(ख) और (ग) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) में निजी क्षेत्र और नीति (एनईएलपी) में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र–दोनों क्षेत्रों की कंपनियों, घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए शुल्क मुक्त आयात की व्यवस्था है। अतः सभी के लिए समान कार्य अवसर हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार द्वारा नामांकन आधार पर प्रदान किए गए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए ओएनजीसी/ओआईएल या उनके उप–संविदाकारों द्वारा आयातित निर्दिष्ट वस्तुएं (जो वही हैं जो नई अन्वेषण लाइसेंस नीति और नई अन्वेषण लाइसेंस नीति से पहले, दोनो प्रकार की संविदाओं

के अंतर्गत प्रचालनरत संविदाकारों द्वारा आयात की जा सकती हैं) उन पर लगाई जाने वाले सारे सीमा शुल्क से मुक्त हैं, बशर्ते सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 28.2.99 की अधिसूचना सं. 20/99 कस्टम्स की निश्चित शर्तें पूरी की जाती हों।

दिल्ली से अमृतसर तक जी.टी. रोड को चौड़ा करना

2822. श्री अमन कुमार नागरा : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से अमृतसर तक जी.टी. रोड के चौड़ा किये जाने के कार्य की समाप्ति की प्रस्तावित तिथि क्या है;

(ख) क्या इस कार्य को प्रगति धीरे–धीरे हो रही है और इसके मार्ग के अत्यधिक उपयोग को देखते हुए इसे तत्काल पूरा करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त कार्य निर्धारित समय में पूरा कर दिया जाए, क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) (क) रा. रा.–1 पर दिल्ली से अमृतसर तक सड़क को चौड़ा बनाने संबंधी विभिन्न कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य इस प्रकार है:

क्र.सं.	खंड	लक्षित तारीख
1.	50–212.20 कि.मी.	31.7.2000
2.	212.20–252.250 कि.मी.	31.12.1999

(ख) जी हां।

(ग) धीमी प्रगति के लिए मुख्य कारणों में ठेका संबंधी समस्या (मूल ठेकेदारों द्वारा कार्य के निम्नस्तरीय निष्पादन के कारण 50 से 130 कि.मी. खंड में शेष कार्य को पुनः आबंटित करना पड़ा), स्थल संबंधी समस्या, डिजाइनों की समीक्षा तथा व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा साख–पत्र जारी करने में हुआ विलंब, शामिल हैं।

(घ) कार्य को नियत समय पर पूरा करने के लिए किए गए उपायों में, शेष कार्य के लिए नई एजेंसियां नियत करना, स्थल संबंधी समस्या का निवारण तथा विभिन्न स्तरों पर कार्य की समय–समय पर निगरानी इत्यादि शामिल है।

शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग

2823. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में शीशा रहित पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन शहरों में शीशा रहित पेट्रोल उपलब्ध कराया गया है;

(ग) प्रत्येक राज्य में जहां यह सुविधा उपलब्ध है, वहां पेट्रोल फुटकर बिक्री केन्द्र कितने हैं;

(घ) क्या देश में विशेषकर आगरा में शीशा रहित पेट्रोल के उपयोग को अनिवार्य बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचारार्थ लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) शीशा रहित पेट्रोल के उपयोग को देश भर में कब तक अनिवार्य कर दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31.12.98 को विभिन्न राज्यों में सीसा रहित पेट्रोल उपलब्ध कराए गए शहरों/कस्बों के नाम विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) दिनांक 31.12.98 को सीसा रहित पेट्रोल सुविधा वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या विवरण–II में दी गई है।

(घ) से (च) माननीय उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के पर्यावरण प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण के निदेश के अनुसार, दिनांक 1.1.1999 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल सीसा रहित पेट्रोल ही बेचा जा रहा है। सीसा रहित पेट्रोल की शुरुआत अप्रैल, 95 से आगरा के साथ–साथ ताज ट्रपेजियम क्षेत्र से की गई थी। 01 अप्रैल, 2000 से संपूर्ण देश में सीसा रहित पेट्रोल शुरु करने की योजना है। आगरा के साथ–साथ देश में सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग अनिवार्य करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.12.98 को सीसा रहित पेट्रोल सुविधा वाले शहर/कस्बे
1	2
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, सिकन्दराबाद, विजाग, नेलोर, तिरुपति, विजयवाड़ा और रेडियल मार्गों में चार अन्य स्थान
अंडमान व निकोबार	पोर्टब्लेयर
अरुणाचल प्रदेश	नहारतगंज, सुबंगिरी, इटानगर
असम	गुवाहाटी
बिहार	रांची, पटना, जमशेदपुर, धनबाद, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, नालंदा, मोतीहारी, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, लक्खीसराय, सहिबगंज, मुंगेर और रेडियल मार्गों में 11 स्थान।
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
दादरा व नगर हवेली	सिलवासा
गोवा, दमन व द्वीप	गोवा, दमन
दिल्ली	दिल्ली
गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट, खेडा, बड़ौदा, सूरत और रेडियल मार्गों में 4 अन्य स्थान
हिमाचल प्रदेश	शिमला, कांगडा, मण्डी, ऊना, नाहन, कुल्लू और रेडियल मार्गों में 5 अन्य स्थान
हरियाण	फरीदाबाद, अम्बाला, होडल, रिवाड़ी, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, गुड़गांव, पानीपत, पलवल, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कालका, यमुनानगर और रेडियल मार्गों में 55 अन्य स्थान।
जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू, कथुवा, कटरा, उद्यमपुर और रेडियल मार्गों में 5 अन्य स्थान।
कर्नाटक	बंगलौर, मैसूर, बेलगांव और रेडियल मार्गों में 7 अन्य स्थान।
केरल	एरनाकूलम, कालीकूट, त्रिवेन्द्रम, कोटायम, त्रिचूर और रेडियल मार्गों में 3 अन्य स्थान।
मध्य प्रदेश	भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, खरगौन, जबलपुर
महाराष्ट्र	मुम्बई, थाने, रायगढ, पुणे, नाशिक, अहमदनगर, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, रत्नागिरी और रेडियल मार्गों में 6 अन्य स्थान।
मणिपुर	इम्फाल
मेघालय	शिलोंग
मिजोरम	एजवाल
नागालैंड	कोहिमा
उड़ीसा	खुरदा, राउरकेला, पुरी, भुवनेश्वर और रेडियल मार्गों में 2 अन्य स्थान
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी
पंजाब	लुधियाना, पठानकोट, अमृतसर, मोगा, पटियाला, रोपड़, जालन्धर, फगवाड़ा, भटिण्डा, संगरुर, होशियारपुर, फिरोजपुर और रेडियल मार्गों में 57 अन्य स्थान।
राजस्थान	अजमेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, जोधपुर, झूंझनु, जयलमेर, भरतपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर और रेडियल मार्गों में 10 अन्य स्थान।
सिक्किम	गंगटोक
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, बेलोर, सलेम, त्रिचे, पोलाची, मदुरई, कोडाईकनाल, डिंडीगुल, ऊटी और रेडियल मार्गों में 16 अन्य स्थान।

1	2
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	बरेली, इलाहाबाद, गजरौला, आगरा, ओराई, फिरोजाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर, वाराणसी, रुड़की, मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, एटा, गोरखपुर, बदौन, सहारनपुर, मथुरा, सीतापुर, देहरादून, हलद्वानी, हरिद्वार, इटावा, शाहजहांपुर बिजनौर, नैनीताल, बाराबंकी, रायबरेली, हाथरस, झांसी, मैनपुरी, गाजियाबाद, उद्यमसिंह नगर, ऋषिकेष और रेडियल मार्गों में 37 अन्य स्थान।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता, आसनसोल, खड़गपुर, हल्दिया, हावड़ा, दुर्गापुर, हुगली, बर्धवान, मिदनापुर, सिलीगुड़ी और रेडियल मार्गों में 9 अन्य स्थान।

विवरण-II

राज्य	31.12.98 को सीसा रहित पेट्रोल सुविधा वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	25
अण्डमान व निकोबार	01
अरुणाचल प्रदेश	03
असम	05
बिहार	59
चण्डीगढ़	29
दादरा व नागर हवेली	01
गोवा दमन व दीव	12
दिल्ली	298
गुजरात	35
हिमालच प्रदेश	18
हरियाणा	172
जम्मू व कश्मीर	20
कर्नाटक	40
केरल	24
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	274
मणिपुर	02
मेघालय	04
मिजोरम	01
नागालैंड	01
उड़ीसा	11
पाण्डिचेरी	04
पंजाब	176
राजस्थान	75
सिक्किम	01
तमिलनाडु	151
त्रिपुरा	01
उत्तर प्रदेश	299
पश्चिम बंगाल	195
अखिल भारतीय	1950

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुल

2824. श्रीमती कमल रानी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कितने पुलों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) व्यय की गई राशि और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन पुलों की संख्या नीचे दी गई है जिनकी मरम्मत के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियां प्रदान की गई हैं :–

वर्ष	पुलों की संख्या	संस्वीकृत लागत (लाख रुपये)
1995–96	3	12.87
1996–97	1	14.21
1997–98	10	417.80

(ख) (i) खर्च की गई वर्ष–वार राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	खर्च (किया जा चुका) (लाख रुपये)
1995–96	8.10
1996–97	2.72
1997–98	71.61
1998–99 (जनवरी, 99 तक)	87.71

(ii) उक्त पैरा (क) में उल्लिखित 14 पुलों में से 11 पुलों का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

2825. श्री के. एस. राव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1999 के बिजनेस स्टेण्डर्ड में सी. ई. ए. स्टैंड पुट्स आंध्रा पावर प्रोजेक्ट्स इन ट्रबल शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास स्वीकृति हेतु लंबित पडी आंध्र प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और कितनी अवधि से लंबित पड़ी है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश में जेगरूपाडु सीसीजीटी परियोजना (216 मे.वा.) की संपूर्ण लागत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा स्वीकृत लागत से काफी अधिक बढ़ गई है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड/ आंध्र प्रदेश सरकार से सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात् ही जो भी अभी प्रतीक्षित हैं, बढ़ी हुई लागत पर के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है।

(ख) और (ग) इस समय आंध्र प्रदेश राज्य में केवल एक परियोजना यथा पुलिचिंटाला एचईपी (2x3 मे.वा.) जिसे आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 9/97 को अग्रेषित किया गया था, तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु के.वि.प्रा. में जांचाधीन है। जैसे ही लंबित निवेशों जैसे कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) की अनुपालना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति इत्यादि सुनिश्चित कर लिए जाएंगे वैसे ही परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

पत्तनों का कंटेनर परिवहन पत्तन के रूप में परिवर्तन

2826. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कांडला और मुंबई पत्तनों के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के अन्य पत्तनों को कंटेनर परिवहन पत्तन के रूप में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इन राज्यों में परिवर्तन हेतु पहचान किए गए पत्तनों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

टेलीफोन कनेक्शनों हेतु निर्धारित लक्ष्य

2827. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में राज्य–वार टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन लक्ष्यों की तुलना में क्या उपलब्धि हासिल की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष में 28.2.99 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा अब तक के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	1995–96		1996–97		1997–98		1998–99	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	134000	150021	123000	153606	215000	216447	250000	291915
2.	असम	10000	20295	18000	18003	35000	36477	50000	30973
3.	बिहार	40000	33115	47000	52368	60000	66294	131000	63025
4.	गुजरात (दादर, दिव, दमन तथा नागर हवेली सहित)	145000	134832	188000	163053	208000	213824	250000	147741
5.	हरियाणा	40000	52486	64000	60800	73000	73081	95000	58018
6.	हिमाचल	20000	30212	27000	31452	40000	40176	59000	19889
7.	जम्मू और कश्मीर	5000	5988	23000	15945	20000	20819	30000	13781
8.	कर्नाटक	136000	139694	133000	189608	195000	254378	200000	170486
9.	केरल (लक्षद्वीप सहित संघशासित क्षेत्र)	200000	154033	228000	172775	262000	230010	325000	189055
10.	मध्य प्रदेश	85000	81275	45000	75541	70000	102692	110000	80137
11.	महाराष्ट्र (गोवा तथा मुम्बई सहित)	285000	418131	453000	458260	451000	501441	530000	343158
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सहित)	10000	16433	18000	18056	22500	23030	32000	21131
13.	उड़ीसा	25000	31014	27000	32505	35000	67178	60000	51672
15.	पंजाब (चण्डीगढ सहित, संघ शासित क्षेत्र)	140000	143569	153000	153560	164000	165969	190000	113662
15.	राजस्थान	110000	100672	123000	113518	147000	147632	163000	111196
16.	तमिलनाडु (चेन्नई तथा पांडिचेरी सहित) (संघ शासित क्षेत्र)	270000	207452	263000	290082	324000	364546	395000	292814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	उत्तर प्रदेश	145000	151336	155000	216912	194000	313910	272000	239241
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार, द्वीप समूह तथा कलकत्ता सहित)	110700	112463	112000	145052	170500	240152	238000	227011
19.	दिल्ली	260000	200070	250000	203160	214000	180941	220000	48119
	कुल	* 2170700	2183091	2450000	2564256	2900000	3259045	3600000	2513024

* सीधी एक्सचेंज लाइनों का वर्ष 1995–96 का वास्तविक लक्ष्य 20.00 लाख था।

[अनुवाद]

गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा निजी उद्योगों को गैस की आपूर्ति

2828. श्री के. करुणाकरन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम गुजरात में निजी उद्योगों को गैस आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे कितने आय हुई है;

(ग) क्या वास्तविक आपूर्ति के मूल्य की तुलना में वसूल किया गया मूल्य कम होने के आरोप से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामलें में क्या कार्रवाई की गई है या फिर करने का प्रस्ताव हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) भारत सरकार ने हाल ही में ओएनजीसी को अपने छोटे अलग–थलग पड़े तेल क्षेत्रों से प्रति दिन 1 लाख मानक घन मीटर तक प्राकृतिक गैस के सीधे विपणन की इजाजत दे दी है। तदनुसार, ओएनजीसी ने गुजरात में निम्नलिखित निजी उद्योगों को गैस की सीधी आपूर्ति शुरु कर दी है :–

	उद्योग का नाम	प्रारम्भ
1.	सी जी ग्लास	अगस्त, 98
2.	प्राइम सिरैमिक्स	सितम्बर, 98
3.	वेलसूट ग्लास	सितम्बर, 98
4.	स्पेसिफिक सिरेमिक्स	नवम्बर, 98
5.	ग्रोमोर सिरेमिक्स	दिसम्बर, 98

गत तीन पूर्ण वित्त वर्षों अर्थात् 1995–96 से 1997–98 के दौरान, ओएनजीसी द्वारा निजी उद्योगों को गैस की सीधे कोई आपूर्ति नहीं की गई थी।

(ग) जी, नहीं

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत परियोजना

2829. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में 1000 मेगावाट क्षमता वाला एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां । भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1998 में जारी की गई संशोधित बृहत विद्युत नीति के अनुसार निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना बिहार में किए जाने का प्रस्ताव है :–

1. एन. टी. पी. सी. द्वारा उत्तरी करनपुरा सुपर ताप विद्युत परियोजना (2000 मे.वा.)
2. संयुक्त उद्यम के साथ डी. वी. सी. द्वारा मैथन राइट बैंक परियोजना (1000 मे.वा.)
3. एन. टी. पी. सी. द्वारा बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजना (2000 मे.वा.)
4. एन. टी. पी. सी. द्वारा कहलगांव चरण–II (1500 मे.वा.)

[अनुवाद]

महापत्तन अधिनियम में संशोधन

2830. श्री अन्ना साहिब एम. के. पाटील : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में विदेशी तलकर्षकों द्वारा तलकर्षण कार्य किए जाने की अनुमति दिए जाने हेतु महापत्तन अधिनियम में संशोधन किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय भारत में कोई विदेशी तलकर्षण कंपनियां कार्य कर रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महापत्तनों पर कार्यरत विदेशी निकर्षण कंपनियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

क्र.सं.	महापत्तन का नाम	विदेशी निकर्षण कंपनी का नाम
1.	चेन्नई (इन्नौर)	मै. जन दे नल, बेल्जियम
2.	तूतीकोरिन	मै. जन दे नल, बेल्जियम
3.	कलकत्ता	मै. हैम ड्रेजिंग एंड मैरीन कॉनट्रेक्टर्स, नीदरलैंड
4.	मुंबई	मै. हैम ड्रेजिंग एंड मैरीन कॉनट्रेक्टर्स, नीदरलैंड

डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण

2831. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो देश के दुर्गम भागों में भी डाक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाक नेटवर्क बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामों (पंचायतों) का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) डाक विभाग की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में, 8वीं योजना अवधि के दौरान नई प्रौद्योगिकी का समावेश करने की जो प्रक्रिया आरम्भ की गई थी, उसके जरिए विशिष्ट एजेंसी कार्यों सहित डाक सेवा के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम की परिधि और परिव्याप्ति का चरणबद्ध ढंग से विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की गई है। आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का केन्द्र डाक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और साथ ही राजस्व अर्जन को बढ़ाना है। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास तथा प्रबंध कार्य को कारगर बनाने की भी आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को सहयोग देने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। देश में डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए 9वीं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों का स्कीम–वार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है तथा 1999–2000 में ऐसे योजना कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य विवरण–II में दिए गए हैं। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिन गांवों में डाक घर नहीं हैं, उनमें बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक साधन के रुप में पंचायत संचार सेवा योजना बनाई गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, बिना डाकघर वाले गांवों की पंचायतों से डाक–टिकटों और डाक लेखन–सामग्री की बिक्री, पत्रों के संग्रहण और वितरण, पंजीकृत डाकमदों की बुकिंग आदि जैसी कुछ बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी एस एस के) स्थापित करने का आग्रह किया गया था। इस तरह, ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचायतें एक प्रमुख केन्द्र बन गई हैं और इस प्रयोजन के लिए वे किसी स्थानीय युवा को पंचायत संचार सेवा केन्द्र के एजेंट के बतौर नियुक्त कर सकती हैं जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास हो। इस स्कीम से डाक सुविधाएं देश के दूरदराज के इलाकों में और व्यापकता के साथ पहुंच सकेंगी जिनमें मौजूदा मानदंडों के आधार पर डाकघर का औचित्य नहीं बनता है। इस समय देश में 610 पंचायत संचार सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं तथा पंचायत संचार सेवा योजना अभियान चलाया गया है।

विवरण-I

डाक विभाग की नौवीं योजना (1997–2002)

स्कीम 1-डाक नेटवर्क का विस्तार

2500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना

250 विभागीय उप डाकघर खोलना

24000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिए आधारभूत उपस्कर

स्कीम 2-प्रौद्योगिकी का उन्नयन

4000 कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संस्थापना, इसमें 2100 ऐसी मशीनें भी शामिल हैं जो

बचत कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए लोकल ऐरिया नेटवर्क हेतु हैं।

मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन तथा उपग्रह मनीआर्डर सेवा का विस्तार

(i) एक एचयूबी (हब) की स्थापना

(ii) 2000 एकस्टेंडेड उपग्रहमनीआर्डर केन्द्रों की स्थापना

(iii) मौजूदा समस्त 75 वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनलों (वी–सेटों) का उन्नयन

(iv) 200 वी–सेटों की संस्थापना

(v) 50 डाक घरों में धन अंतरण प्रणाली का आधुनिकीकरण

3. डाकघरों को यांत्रिक उपस्कर की आपूर्ति

(i) 10000 हस्त विरूपक

(ii) 100 डाक टिकट विरूपणा मशीनें

(iii) 500 इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनें

(iv) 30 बांधने और बंडल बनाने की मशीनें

500 डाकघरों तथा 5 प्रमुख प्रधान डाकघरों का आधुनिकीकरण सामग्री प्रबंध

(i) 4 डीजल फोर्क लिफ्ट ट्रालियों की आपूर्ति

(ii) शेष 15 पोस्टल स्टोर डिपों का कम्प्यूटरीकरण तथा समस्त 46 पोस्ट स्टोर डिपों का निदेशालय के साथ नेटवर्किंग

(iii) 150 कर्मचारियों को प्रणाली प्रचालन का प्रशिक्षण

स्कीम-3 मानव संसाधन विकास

250 समूह "क" अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण

15,750 पर्यवेक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण

12,000 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण

(i) बचत कार्य हेतु 20,000 कर्मचारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण

(ii) 1,00,000 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण।

स्कीम-4 मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण

100 मेल आफिसों का आधुनिकीकरण

छंटाई के लिए प्रचालन उपस्करों का उन्नयन

1. 3 आटोमेटिड मेल प्रोसेसिंग केन्द्रों (ए एम पी सी) की स्थापना

2. मौजूदा ए एम पी सी में आप्टिकल कैरेक्टर रीडर सुविधा प्रदान करना

डाक के वितरण हेतु 500 मोपेडों की आपूर्ति

25 ट्रांजिट मेल आफिसों का कम्प्यूटरीकरण

69 प्रधान रिकार्ड कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

22 डाकघरों में पंजीकरण छंटाई कार्य का आधुनिकीकरण

50 डाकघरों में पंजीकृत डाक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण

40 केन्द्रों में मेलनेट प्रणाली का उन्नयन तथा विस्तार

रेल डाक सेवा वैन

(क) 28 रेल डाक सेवा वैनों का निर्माण

(ख) मौजूदा रेल डाक सेवा वैनों में परिवर्तन करना

30 मेल मोटर सेवा वाहनों की खरीद

विदेश डाक प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण

(क) अंर्तराष्ट्रीय डाक के लिए निदेशालय और प्रधान रिकार्ड आफिसों का कम्पयूटरीकरण तथा नेटवर्किंग

(ख) अंर्तराष्ट्रीय ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली की संस्थापना हेतु यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन के प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

स्कीम-5 वाणिज्य विकास तथा विपणन

नोडल आफिसों में 40 प्रीमियम प्रोडक्ट सेलों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग

50 स्पीड पोस्ट संकेन्द्रण केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

स्पीड पोस्ट हेतु 5 बिजनेस आफिसों का आधुनिकीकरण

वाणिज्य विकास निदेशालय और सर्किलों में यूनिटों के बीच मेलनेटवर्क

40 केन्द्रों में पिकअप तथा वितरण कार्य का मशीनीकरण

5 महानगरों में बेगिंग/कंटेनराइजेशन

प्रीमियम सेवाओं में लगे 500 कर्मचारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण

3 केन्द्रों के लिए मास मेलिंग, इंनसर्टिंग तथा सीलिंग उपस्कर

सभी डाक डिवीजनों ग्राहक सुविधा केन्द्र

स्कीम 6- डाकघरों में बचत कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

500 प्रधान डाकघरों बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कम्प्यूटरीकरण

700 महत्वपूर्ण डाकघरों में बचत कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

प्रणाली प्रचालन में 950 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

स्कीम-7 डाक जीवन बीमा

30 रीजनों में ग्रामीण डाक जीवन बीमा कार्य का कम्प्यूटरीकरण

सभी सर्किलों में कम्प्यटर प्रणालियों का उन्नयन

200 कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण

100 कर्मचारियों को वितरण का प्रशिक्षण

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों तथा विभागीय कर्मचारियों को बीमा का प्रशिक्षण

एक हजार सर्वेक्षण

स्कीम 8 फिलैटली

52 मौजूदा तथा 260 नये ब्यूरो का कम्प्यूटरीकरण

फिलैटली को प्रोत्साहन देने के लिए 500 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

स्कीम 9-डाक भवन तथा कर्मचारी आवास

प्रचालन कार्यालय भवनों को पूरा करना

(क) 400 डाकघर

(ख) 20 मेल आफिस

7 प्रशासनिक कार्यालय भवनों को पूरा करना

950 कर्मचारी आवासों को पूरा करना

स्कीम-10 प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबंध कार्य को सरल और कारगर बनाना

समस्त क्षेत्रीय तथा सर्किल मुख्यालयों को निदेशालय के साथ जोड़ने वाले एम आई एस का विकास

सभी सर्किलों में रेखांकन/बजट कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

निदेशालय में प्रशासनिक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

विवरण-II

वार्षिक योजना 1999–2000 की मुख्य विशेषताएं :

स्कीम-I डाक नेटवर्क का विस्तार

(i) डाकघर खोलना – 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 50 विभागीय उप डाकघर

(ii) 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिए आधारभूत

(iii) 500 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना (अभी अनुमोदन किया जाना है)

स्कीम-II प्रौद्योगिकी का उन्नयन

(i) पीसी आधारित काउंटर मशीनें – बचत कार्य के लिए 100 लोकल एरिया नेटवर्क सहित 1000 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें।

(ii) सेटेलाइट मनीआर्डर सेवा

210 एक्सटेन्डेड सेटेलाइट मनी आर्डर केन्द्रों की स्थापना

60 वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनलों (वी–सैट्स) की स्थापना

(iii) 60 डाकघरों का आधुनिकीकरण

(iv) 100 डाक–टिकट विरुपण मशीनों की आपूर्ति

(v) 100 इलेक्ट्रानिक फैंकिंग मशीनों की आपूर्ति

स्कीम III - मानव संसाधन विकास

(i) समह "ग" के 1800 कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।

(ii) समूह "क" 30 अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण

(iii) 18,000 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण

(iv) 1225 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण

(v) 2500 कर्मचारियों के लिए बचत बैंक/बचत पत्र कार्य के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण

स्कीम IV डाक छंटाई का आधुनिकीकरण

(i) 4 पारगमन डाक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

(ii) 4 प्रधान डाकघरों में पंजीकरण छंटाई का कम्प्यूटरीकरण

(iii) 5 प्रधान अभिलेख कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

(iv) 15 डाक कार्यालयों का आधुनिकीकरण

(v) 10 डाकघरों में पंजीकरण वितरण प्रणाली काआधुनिकी–करण

(vi) 5 केन्द्रो में मेलनेट का उन्नयन

(vii) 10 रेल डाक सेवा वैनों (आरएमएस) का विनिर्माण

(viii) 2 मौजूदा आर एम एस वैनों में परिवर्तन

(ix) 4 मेल मोटर सेवा वाहनों की आपूर्ति

(x) वितरण कार्य के लिए 34 मोपेडों की आपूर्ति

(xi) कलकत्ता में स्वचालित डाक छंटाई केन्द्र की स्थापना

स्कीम-V व्यवसाय विकास एवं विपणन

(i) 22 केन्द्रों में नोडल कार्यालयों में प्रीमियम उत्पाद कक्षों का कम्प्यूटरीकरण

(ii) 30 स्पीड पोस्ट बुकिंग कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

(iii) 10 केन्द्रों में पिक–अप एवं वितरण का मशीनीकरण

(iv) प्रीमियम उत्पादों में कार्यरत 100 कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण

(v) 2 मास मेलिंग, इंसर्टिंग और सीलिंग केन्द्रों की स्थापना

स्कीम-VI डाक जीवन बीमा

(i) 10 सर्किलों में डाक जीवन बीमा के लिए कम्प्यूटर प्रणालियों का उन्नयन

(ii) 20 कर्मचारियों को विपणन/बिक्री बढ़ाने/प्रचार का प्रशिक्षण

(iii) 5000 कर्मचारियों को बीमा प्रशिक्षण

स्कीम-VII फिलैटली का आधुनिकीकरण और विकास

(i) 6 फिलैटलिक ब्यूरो का कम्प्यूटरीकरण

(ii) 4 ब्यूरो के लिए उपकरण और उपस्कर

(iii) 80 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

स्कीम-VIII डाक भवन और स्टाफ क्वार्टर्स

(i) 16 प्रचालन कार्यालय भवनों का निर्माण

(ii) 30 स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण

(iii) 1 प्रशासनिक कार्यालय भवन का निर्माण

स्कीम-IX प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को सरल और कारगर बनाना

(i) सर्किलों में डाक लेखा कार्यालयों में नकद–पत्र कार्य का कम्प्यूटरीकरण

(ii) निदेशालय की 4 प्रशासनिक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

स्कीम-X जन शिकायत निवारण

(i) 55 ग्राहक सेवा केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन

2832. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण संरक्षण योजना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दूरभाष केन्द्रों की स्थापना

2833. श्री ए. सिदराजू :

श्री मोती लाल वोरा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के चामराजनगर क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के राजनंदगांव जिले में इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्र स्थापित करने तथा मध्य प्रदेश के राजनंदगांव जिले के खेरागढ़ मांव में 512 पोर्ट आइएलटी दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वत केन्द्रों के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) जी हां। संलग्न विवरण के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

कर्नाटक में चामराजनगर तथा मध्य प्रदेश में राजनंद गांव में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने संबंधी प्रस्ताव

राज्य	क्षेत्र/जिला	स्थान	एक्सचेंज की किस्म	स्थापित किए जाने की संभावित तिथि
कर्नाटक	चामराजनगर	मर्तल्ली	256पी आरएएक्स	1999–2000
		मंगाला	256पी आरएएक्स	2000–2001
मध्य	राजनंदगांव	डोंगरगांव	512पी सी–डॉट	1999–2000
प्रदेश		राजनंदगांव	2के आरएसयू	1999–2000
		सोमनी	512पी सी–डॉट	1999–2000
		खेरागढ़	512पी + एलएमआई सी–डॉट	1999–2000

असम से कच्चा तेल बाहर भेजने पर प्रतिबंध

2834. श्री चंदूलाल अजमीरा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या 5 फरवरी, 1999 के "एशियन एज" में प्रकाशित समाचार के अनुसार उल्फा ने असम से कच्चा तेल बाहर भेजने और नये तेल भंडारों की खोज पर रोक लगाने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि नई पाइप लाइनों के बिछाने तथा उपरी असम में मोरेन में तेल निकालने संबंधी कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार तथा तेल उद्योग की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने तथा आवश्यक एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है।

डाक और तारघर और दूरभाष केन्द्र

2835. श्री तेजवीर सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्य–वार खोले गए डाक और तारघरों और दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्यवार डाक और तारघर और दूरभाष केन्द्र खोलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क)

डाक विभाग

डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य डाक सर्किलवार आबंटित किये जाते हैं। आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

दूरसंचार विभाग

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खोले गए तार घरों की राज्यवार संख्या से संबंधित जानकारी विवरण–II में दी गई है। उक्त अवधि के दौरान खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों के बारे में राज्यवार जानकारी विवरण–III में दी गई है।

(ख) **डाक विभाग**

नौवीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1997–98 और 1998–99 के दौरान डाकघर खोलने के लक्ष्यों का सर्किलवार आबंटन विवरण–IV में दिया गया है।

दूरसंचार विभाग

देश में टेलीफोन नेटवर्क का तेजी से विस्तार होने के कारण तार परियात में कमी आ रही है। अतः नए तारघर खोलने का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज की राज्यवार संख्या विवरण–III में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	सर्किल का नाम	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या	
		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	29	26
2.	असम	63	12
3.	बिहार	180	21
4.	दिल्ली	शून्य	17
5.	गुजरात	103	33
6.	हरियाणा	34	20
7.	हिमाचल प्रदेश	137	9
8.	जम्मू व कश्मीर	29	3
9.	कनार्टक	62	44
10.	केरल	33	31
11.	मध्य प्रदेश	163	33
12.	महाराष्ट्र	237	42
13.	उत्तर–पूर्व	124	22
14.	उड़ीसा	94	13
15.	पंजाब	43	16
16.	राजस्थान	288	26
17.	तमिलनाडु	57	18
18.	उत्तर प्रदेश	233	40
19.	पश्चिम बंगाल	133	8
	कुल	2042	424

विवरण-II

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खोले गए तारघरों की संख्या से संबंधित ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	तारघरों की संख्या	संयुक्त डाक–तारघर (डाकघरों में तारघर)
1.	आंध्रप्रदेश	12	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3.	असम	1	1
4.	बिहार	455	
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य
6.	गोवा	2	शून्य
7.	गुजरात (इसमें द्वीव दमन, दादरा और नागर हवेली संघ क्षेत्र शामिल हैं)	1	शून्य
8.	हरियाणा	2	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	2	298
10	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य
11.	कनार्टक	2	1013
12.	केरल (इसमें लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं)	5	11
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
14.	महाराष्ट्र	8	7
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य
18.	नागालैंड	शून्य	शून्य
19.	उड़ीसा	6	2272
20.	पंजाब (इसमें चण्डीगढ संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं)	3	1
21.	राजस्थान	12	505
22.	सिक्किम	शून्य	शून्य
23.	तमिलनाडु (इसमें पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं)		
24.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
25.	उत्तर प्रदेश	2	शून्य
26.	प. बंगाल (इसमे अंडमान और निकोबार संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं)	7	शून्य

विवरण-III

आठवीं/नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खोले गए/ खोलने के लिए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	राज्य	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1199	355
2.	अंडमान निकोबार	9	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	27	32
4.	असम	121	135
5.	बिहार	509	196
6.	दिल्ली	93	54
7.	गोवा	19	26
8.	गुजरात (इसमें द्वीव दमन, दादरा और नागर हवेली संघ क्षेत्र शामिल हैं)	1035	228
9.	हरियाणा	459	241
10.	हिमाचल प्रदेश	391	120
11.	जम्मू व कश्मीर	230	80
12.	कनार्टक	397	487
13.	केरल (इसमें लक्षद्वीप शामिल हैं)	477	245
14.	मध्य प्रदेश	1681	121
15.	महाराष्ट्र	953	1975
16.	मेघालय	7	25
17.	मणिपुर	11	31
18.	मिजोरम	22	32
19.	नागालैंड	2	26
20.	उड़ीसा	602	200
21.	पंजाब (इसमें चण्डीगढ़ शामिल है)	625	356
22.	राजस्थान	1147	500
23.	सिक्किम	8	39
24.	तमिलनाडु (इसमें पांडिचेरी शामिल है)	1004	213
25.	त्रिपुरा	8	30
26.	उत्तर प्रदेश	583	739
27.	पश्चिम बंगाल	500	941

विवरण-IV

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 1997–98 के दौरान अतिरिक्त शाखा डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य	वर्ष 1997–98 के दौरान विभागीय उप–डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य	वर्ष 1998–99 के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य	वर्ष 1998–99 के दौरान विभागीय उप–डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	10	2
2.	असम	25	2	50	5
3.	बिहार	40	5	60	2
4.	दिल्ली	5	2	17	3
5.	गुजरात	25	2	40	2
6.	हरियाणा	15	2	15	3
7.	हिमाचल प्रदेश	10	2	10	2
8.	जम्मू व कश्मीर	15	1	30	1
9.	कनार्टक	30	5	10	4
10.	केरल	10	2	10	2
11.	मध्य प्रदेश	37	2	50	3
12.	महाराष्ट्र	35	3	60	3
13.	उत्तर–पूर्व	25	3	50	3
14.	उड़ीसा	27	2	10	2
15.	पंजाब	17	2	15	2
16.	राजस्थान	33	2	30	2
17.	तमिलनाडु	21	2	10	2
18.	उत्तर प्रदेश	70	6	78	3
19.	पश्चिम बंगाल	50	3	43	4
	कुल	500	50	598	50

लाइसेंस शुल्क का भुगतान

2836. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा उसकी लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि के 20 प्रतिशत का भुगतान किए जाने का सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ब्लड बैंकों के लिए कानून बनाया जाना

2837. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में ब्लड बैंकों के प्रचालन हेतु "पृथक कानून बनाए जाने" के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कानून बना दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारत संघ को रक्त और इसके घटकों के एकमात्र, भंडारण, परीक्षण और परिवहन के लिए एक अलग कानून के औचित्य पर विचार करना चाहिए।

रक्त बैंको की लाइसेंसिंग अपेक्षा से संबद्ध औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियमों में संशोधन करके व्यापक कानून बनाया गया है।

प्रारूप अधिसूचना जल्द ही प्रकाशन के लिए भेजी जाएगी।

विद्युत उत्पादन

2838. श्री जॉर्ज ईडन :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998–99 के दौरान देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष 1998–99 के दौरान बिजली के उत्पादन में हुई वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष 1998–99 के दौरान देश में बिजली के उत्पादन में हुई वृद्धि का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	बिजली के उत्पादन में हुई वृद्धि
1.	पवन विद्युत	970 मिलियन यूनिट
2.	लघु जल विद्युत	28 मिलियन यूनिट
3.	सौर विद्युत	1 मिलियन यूनिट
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय	11.44 मिलियन यूनिट
5.	शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट	4 मिलियन यूनिट
6.	बायोमास सह–उत्पादन विद्युत क्षमता संयोजन में वृद्धि	43.5 मेगावाट
7.	बायोमास गैसीफायर	416 लाख यूनिट

मौजूदा जलमार्गों को बढ़ाना

2839. श्री मोहन रावले : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में मौजूदा जलमार्गों में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। देश के कई संभावित जलमार्गों का तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन किया गया है। इसके निष्कर्ष के आधार पर नए जल मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए संसाधनों की सुलभता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

गंगा के तट पर प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाना

2840. श्री भेरु लाल मीणा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनूपशहर में गंगा के तट पर प्राकृतिक गैस के भण्डार का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) बुलन्दशहर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बुलन्दशहर के पास अनूपशहर में गंगा नदी के तट पर राजघाट में गैस रिसाव की सूचना दी गई थी। ओएनजीसी के भूवैज्ञानिकों के एक दल ने इसकी जांच की। गैस के विश्लेषण से यह पता चला है कि यह "शुष्क गैस" है जिसमें मुख्य रूप से मिथेन और कार्बन डाइआक्साइड शामिल है ।

ओ. बी. जारी किए जाने के पश्चात् टेलीफोन कनेक्शन

2841. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ. बी. जारी किए जाने के पश्चात् भी टेलीफोन नहीं लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक दिल्ली में एक्सचेंज–वार ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्य करने की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां। निम्नलिखित कारणों को छोड़कर आमतौर पर टेलीफोन निर्धारित अवधि के मानदंडों के अंदर लगा दिए जाते हैं :–

(i) केबल पेयरों के अपलब्ध न होने के कारण कुछ क्षेत्रों/पॉकेटों का तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होना।

(ii) उपभोक्ता के कारणवश।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली में 28.2.99 को स्थिति के अनुसार इस तरह के लंबित मामलों का एक्सचेंजवार ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मानदंडों के अनुसार ओ. बी. इक्जीक्यूशन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में लंबित ओ. बी. के शीघ्र इक्जीक्यूशन के लिए निम्नलिखित स्थापित कार्रवाइयों के माध्यम से निवारक उपाय किए जा रहे हैं :

(i) विभिन्न एक्सचेंज क्षेत्रों के बाह्य संयंत्रों के तकनीकी अव्यवहार्य क्षेत्रों/पाकेटों में अतिरिक्त भूमिगत केबल बिछाना।

(ii) तकनीकी अव्यवहार्य पाकेटों को कम करने के लिए नए एक्सचेंजों के अतिरिक्त नोडों की योजना बनाई जा रही है।

विवरण

एमटीएनएल, दिल्ली

28.2.99 को स्थिति के अनुसार नए कनेक्शनों के लिए लंबित ओ. बी. के एक्सचेंजवार ब्यौरे

क्षेत्र	कुल लंबित ओबी की संख्या	क्षेत्र	कुल लंबित ओबी की संख्या
1	2	1	2
जनपथ	13	शक्ति नगर	5419
किदवई भवन	81	केशवपुरम	845
सेना भवन	01	रोहिणी–I	3128
राजपथ	84	रोहिणी–II	659
जोर बाग	229	रोहिणी–III	417
लोधी रोड	24	पी/पीतमपुरा	12
दिल्ली गेट	337	सरस्वती विहार	311
ईदगाह	3454	बादली	1410
तीसहजारी	755	अलीपुर	60
लक्ष्मी नगर	1109	नरेला	959
कड़कड़डुमा	425	भीकाजीकामा प्लेस	406
मयूर विहार	1154	वसंत विहार	87
शाहदरा	1808	पालम	117
यमुना विहार	3237	एन आईटी (इंदिरा गांधी हवाई अड्डा)	121
हौज खास	1620	समालखा	19
वसंत कुंज	412	द्वारका	3554
छतरपुर	455	शादीपुर	229
नेहरु प्लेस	3033	राजौरी गार्डन	146
एशियाड	43	हरि नगर	222
सादिक नगर	258	पश्चिम विहार	59
तुगलकाबाद	3857	नांगलोई	2653
ओखला	837	चाणक्यपुरी	1
तेहखंड	446		
सरिता विहार	1070		
करोल बाग	2706		
जनक पुरी	2025		
नजफगढ़	2277		
दिल्ली कैंट	157	कुल जोड़	53864

[अनुवाद]

मधुमेह संबंधी पायलट परियोजना

2842. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मधुमेह की जांच के लिए प्रयोग शालाओं को और सक्षम बनाने हेतु पायलट, परियोजना शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछ औषधालय कार्यक्षम जांच सेवा प्रदान नहीं कर रहे है और खून की जांच हेतु मधुमेह रोगियों को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की प्रयोगशालाओं को भी और सक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पांच राज्यों नामतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जैव रसायन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक प्रायोगिक योजना का प्रस्ताव है ।

(ग) से (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में 38 विकृति विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। सूची विवरण के रुप में संलग्न है।

इन प्रयोगशालाओं में रक्त शर्करा जांच पूर्ण दक्षता से की जाती है और मधुमेह के रोगियों को रक्त शर्करा की जांच कराने के लिए ज्यादा समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन प्रयोगशालाओं की सूची

उत्तरी अंचल	दक्षिणी अंचल	केन्द्रीय अंचल	पूर्वी अंचल
1. अशोक विहार	1. कस्तूरबा नगर–I	1. फरीदाबाद	1. दरिया गंज
2. देव नगर	2. लक्ष्मीबाई नगर	2. चित्र गुप्ता रोड़	2. किंग्जवे कैम्प
3. पूसा रोड़	3. मोती नगर	3. गाजियाबाद	3. तिमारपुर
4. राजौरी गार्डन	4. आर. के. पुरम–III	4. केन्द्रीय सचिवालय	4. शाहदरा
5. शकूर बस्ती	5. सरोजनी नगर मार्किट	5. संसद सौध	5. लक्ष्मी नगर
6. तिलक नगर	6. श्रीनिवास पुरी	6. गुडगांव	6. सब्जी मंडी
7. पश्चिम विहार	7. लाजपत नगर	7. वेल्लेसली रोड	7. विवेक विहार
8. नांगल राय	8. एम. बी. रोड	8. मिंटो रोड	
9. नारायणा	9. कालकाजी–I	9. नौएडा	
10. रोहिणी		10. सुप्रीम कोर्ट (प्राथमिक उपचार केंन्द्र)	
11. जनकपुरी–I		11. आर. के. पुरम प्रसूति अस्पताल	

बीमारियों का देशी उपचार

2843. डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी समुदाय को औषधीय पौधों एवं जड़ी–बूटियों की जानकारी है जिसके द्वारा एड्स समेत अनेक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में एड्स जैसी लाइलाज बीमारियों के प्रबंध हेतु गोष्ठी तथा कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जैसा कि 6 फरवरी, 1999 को "टाइम्स आफ इंडिया" के अहमदाबाद संस्करण में "सेमिनार आन मेडिसिनल प्लांट्स टू बी हेल्ड एट सतपुरा" शीर्षक के अंतर्गत समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले आदिवासी लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु, अपना सहयोग दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) यह सही है कि आदिवासी समुदायों को विभिन्न रोगों के लिए औषधीय पादपों और जड़ी–बूटियों के इस्तेमाल के बारे में ज्ञान और जानकारी है। तथापि, एड्स के संबंध में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कोई दावा ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) डांग्स जिले (गुजरात) में सपुतरा में 12 और 13 फरवरी, 1999 को औषधीय पादपों एवं परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान पर एक राष्ट्रीय सेमिनार तथा एड्स जैसे असाध्य रोगों के परंपरागत ज्ञान और उपचार पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसका आयोजन गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, वन और पर्यावरण विभाग, आदिवासी विकास कारपोरेशन, विभाग गुजरात सरकार द्वारा किया गया था। इस सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 60 वक्ताओं ने निम्नलिखित विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए :–

1. गुजरात में चिकित्सा वानस्पतिक संपदा और परंपरागत ज्ञान संबंधी वर्तमान स्थिति।
2. फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा औषधीय पादपों की जरूरत का मूल्यांकन।
3. औषधीय पादपों और उनके उत्पादों के समुपयोजन के संबंध में बौद्धिक सम्पत्ति का अधिकार।
4. औषधीय पादपों की निर्यात क्षमता का मूल्यांकन।

5. खतरे और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले औषधीय पादपों के संरक्षण और पुनरुत्पादकता के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करना।

कार्यशाला में एड्स, कैंसर, मधुमेह, रूमेटायड आर्थरीटीस आदि जैसे अन्य परंपरागत औषधों की भूमिका के बारे में विचार–विमर्श किया गया।

(घ) और (ङ) पहले उपाय के रूप में आदिवासी चिकित्सीय दावों को प्रलेखन से सिद्ध करने और उन्हें प्रकाशित करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

महाराष्ट्र में अभयारण्यों का विकास

2844. श्री दत्ता मेघे : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और आरक्षित वनों के विकास, रख–रखाव संबंधी योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय सहायता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" के तहत 1998–99 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 11 संरक्षित क्षेत्रों के लिए 27.783 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इसके अलावा 97–98 के दौरान जारी की गई और प्रयोग न की गई 14.148 लाख रुपए की सहायता को भी वैद्य बना दिया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आबंटन

2845. डॉ. असीम बाला :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आबंटन को हरेक योजना में कम किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का, 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बजटीय आबंटन को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। कुल केन्द्रीय योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटन का हिस्सा प्रत्येक योजना में घट रहा है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1.4 प्रतिशत से घटकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 0.6 प्रतिशत हो गया है।

(ख) संसाधनों के समग्र अभाव के कारण और अन्य सामाजिक क्षेत्रों का ध्यान रखने की आवश्यकता के मद्दे नजर, सड़क क्षेत्र के लिए आबंटन घट रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) महाराष्ट्र राज्य के लिए आबंटन इस प्रकार है :–

योजना/अवधि	वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
छठी योजना	1980–85	45.16
सातवीं योजना	1985–90	99.84
वार्षिक	1990–91	27.50
योजना	1991–92	33.58
आठवीं योजना	1992–97	160.11

न्यायपालिका के कार्यकरण में सुधार

2846. श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :

श्री यू. वी. कृष्णमराजु :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1999 को स्टेट्समैन में "ज्यूडीशियरी नीड्स टू चेंज विद द टाइम्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व ज्यूरिस्ट एसोशियाएसन द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में "ज्यूडीशियरी इन एशिया" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो आयोजित संगोष्ठी में किए गए विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है, तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या न्यायपालिका के कार्यकरण में आमूल–चूल परिवर्तन लाए जाने की अविलम्ब आवश्यकता है, जैसाकि विश्व में किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और संसद के पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

2847. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अभी चल रहे एस. टी. डी./आई.एस.डी./पी. सी. ओ. बूथों की जिला–वार संख्या कितनी है; और

(ख) राज्य में 1998–99 के दौरान, उपरोक्त बूथों के प्रतिस्थापन हेतु दिए गए कितने आवेदनों को मंजर किया गया है। और आज तक इन बूथों के प्रतिस्थापित न होने के जिला–वार कारण क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) कर्नाटक में काम कर रहे एसटीडी/आईएसडी सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की गौण स्विचन क्षेत्र–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1998–99 के दौरान संस्वीकृत और संस्थापित बूथों की गौण स्विचन क्षेत्रवार संख्या अनुबंध में दी गई है। शेष पीसीओ की संस्थापना मुख्य रूप से औपचारिकताओं के पूरा न होने, प्रतिभूति जमा का भुगतान न करने तथा पीसीओ के मॉनीटर की प्राप्ति में विलम्ब आदि के कारण नहीं हो पाई है।

विवरण

क्र.सं.	गौण स्विचन	31.1.99 की स्थिति के अनु. कार्यरत	98–99 के दौरान संस्वीकृत	98–99 के दौरान प्रदान किए गए	संस्वीकृत किंतु स्थापित नहीं किए गए
1	2	3	4	5	6
1.	बेंगलूर	8566	2745	1625	1120
2.	मंगलूर	2145	226	0	226
3.	मैसूर	878	485	0	485
4.	बेलगाम	1097	850	34	816
5.	हुबली	1316	1301	201	1100
6.	शिमोगा	494	183	106	77
7.	मेरकारा	163	50	26	24
8.	मांडया	239	112	67	45
9.	टुमकुर	463	238	101	137
10.	कोलार	347	250	85	185
11.	दावनगेरे	768	300	75	225
12.	हसन	517	190	13	177
13.	बेल्लेरी	400	147	8	139
14.	बिदार	255	60	60	0
15.	बीजापुर	297	190	167	23
16.	रैचूर	488	81	81	0
17.	गुलबर्गा	453	0	0	0
18.	चिकमंगलूर	315	32	19	13
19.	यू. कन्नड़ा	499	211	100	111

पेट्रोलियम उद्योग के कार्यकरण की निगरानी हेतु विनियामक निकाय

2848. श्री सुनील खाँ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम क्षेत्रों के कार्यकरण की निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु गठित तीन विनियामक निगमों के सदस्य कौन–कौन से हैं;

(ख) इन निकायों के गठन के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों के अध्यक्षों से इन निकायों को गठित किए जाने के पूर्व परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) पेट्रोलियम क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए तथा साथ ही गैस क्षेत्र के लिए नियामक निकायें स्थापित करने के विषय में विचार करने का प्रस्ताव है। ऐसी नियामक निकाय के कार्य क्षेत्र में निवेश संवर्धन, प्रवेश रोधों को हटाना, उत्पादक संघीकरण का निवारण, आपूर्ति एवं मूल्यों का विनियमन, प्रेषण एवं वितरण नेटवर्क्स की निगरानी, गुणवत्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना, उचित मानकों का अनुपालन, विवाद समाधान, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा हाइड्रोकार्बन उद्योग के क्षेत्रों का दीर्घावधिक ईष्टतम विकास, सम्मिलित हो सकते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एल. पी. जी. कनेक्शन

2849. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.) कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची संबंधी आवेदनों को

किस तारीख तक एल. पी. जी. कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं; और

(ख) उक्त जिले में कितनी एल. पी. जी. एजेंसियां कार्य कर रही हैं तथा आज तक उनमें से प्रत्येक एजेंसी को कितने एल. पी. जी. कनेक्शनों की मंजूरी दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन का राजस्थान में भीलवाड़ा जिलान्तर्गत केवल एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, "मैसर्स प्रभा कार्पोरेशन" है और इस डिस्ट्रीब्यूटर की प्रतीक्षा सूची की समापन तारीख 2 अप्रैल, 1992 है तथा दिनांक 1 जनवरी, 1999 को इसकी प्रतीक्षा सूची संख्या 297 है। चूंकि यह डिस्ट्रीब्यूटर पहले ही अधिकतम सीमा के ऊपर प्रचालन कर रहा है, इसलिए वर्तमान वर्ष (अप्रैल–दिसम्बर, 1998) के दौरान इसे केवल 32 नए कनेक्शन वरीयता श्रेणी के अन्तर्गत जारी किए गए थे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. के भीलवाड़ा जिले में दो एलपीजी डिस्टीब्यूटर नामतया भीलवाड़ा में मैसर्स विमल डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसकी प्रतीक्षा सूची समापन तारीख 31 दिसम्बर, 1990 (ग्राहक संख्या 18417) है तथा शाहपुरा में मैसर्स शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसकी प्रतीक्षा सूची समापन तारीख 29 सितम्बर, 1993 (ग्राहक संख्या 8210) है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. भीलवाड़ा जिले में एलपीजी का विपणन नहीं कर रही है ।

[अनुवाद]

बिहार के छपरा में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

2850. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के छपरा में रसोई गैस बाटलिंग खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र खोलने हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण अब तक किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाटलिंग संयंत्र की स्थापना में हुई देरी का कारण और औचित्य क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) नौवीं योजना अवधि के दौरान बिहार के छपरा जिले में एलपीजी भरण संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, छपरा जिले में एलपीजी उपभोक्ताओं की मांग मौजूदा भरण संयंत्रों से पूरी की जाएगी, बिहार में आठवीं योजना के तहत बेगूसराय तथा पूर्णिया जिलों में नए संयंत्र लगाए जा रहे हैं तथा नौवीं योजना में क्षमता विस्तार किया जाएगा।

(ख) से (घ) उक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल के इच्छापुर में तेल भंडार

2851. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल में तेल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के इच्छापुर स्थित तेल भंडार में कितना तेल मिल जाने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाल में इच्छापुर–1 (1990–91) में वेधन किया गया और इससे परीक्षण के दौरान बिना किसी निरन्तर प्रवाह के तहत हाइड्रोकार्बन का संकेत मिला। कूप को शुष्क घोषित कर दिया गया और 28.2.99 को इसका परित्याग कर दिया गया।

गुजरात में पिपवा विद्युत परियोजना

2852. श्री दिलीप संघाणी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र की भागीदारी से गुजरात के पिपवा में 2000 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना को स्थापित करने का गुजरात सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस विद्युत संयंत्र को कुछ अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक इस प्रस्तावित विद्युत संयंत्र को चालू किया जाएगा ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र सरकार ने कुछ समय पहले घोषित अपनी संशोधित मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत पिपावाव में एक 2000 मे.वा. विद्युत संयत्र को अभिज्ञात किया है जिसे निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत अभिज्ञात परियोजनाओं को कुछ रियायतें दी जा रही हैं जिनमें पूंजी उपस्कर के आयात के लिए सीमा शुल्क से छूट, इन परियोजनाओं के लिए उपस्कर के स्वदेशी निर्माताओं को माने गए निर्यात लाभ और कर लाभ शामिल हैं। इन मेगा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रस्तावित विद्युत संयंत्र को चालू किया जाना सुनिश्चित किए जा रहे विभिन्न निवेशों/स्वीकृतियों तथा वित्तीय समापन पर निर्भर करेगा।

फरक्का और कहल गांव संयंत्र

2853. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के फरक्का और कहल गांव संयंत्रों के नियत शुल्कों को 1 अप्रैल, 1995 से अनुदर्शी प्रभाव से हाल ही में बढा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों और उपभोक्ताओं पर इसके वित्तीय प्रभाव क्या होगें;

(ग) क्या इन संयंत्रों की इक्विटी पर रिटर्न की दर भी 12 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव क्या हैं;

(ङ) क्या इसे राष्ट्रीय विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी मिल गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। फरक्का एस टी पी एस चरण–I (600 मे.वा.) से विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ की वैधता 31.12.94 को समाप्त हो जाने तथा फरक्का परियोजना में यूनिट–5 (500 मे.वा.) का वाणिज्यिक प्रचालन 1.4.95 से किए जाने की घोषणा के परिणामस्वरूप, फरक्का एसटीपीएस चरण–1 (600 मे.वा.) के टैरिफ को 1.1.95 से तथा फरक्का एसटीपीएस (1100 मे.वा.) को 1.4.95 से पुनः निर्धारित किए जाने के कारण जिसे विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 5.11.98 की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया है। परियोजना के निर्धारित प्रभारों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, कहलगांव एसटीपीएस के लिए विद्युत मंत्रालय के दिनांक 10.10.97, 1.1.98 और 9.12.98 की अधिसूचना के द्वारा क्रमशः 1.4.95 1.2.96, 1.8.96 से जो यूनिट 2–3 और 4 के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की तिथियां हैं, अधिसूचित टैरिफ के पुनः निर्धारण के फलस्वरूप संयंत्र हेतु निर्धारित प्रभारों में वृद्धि हुई है।

(ख) विभिन्न विद्युत स्टेशनों के लिए टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुरूप संबंधित विद्युत उत्पादक यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से स्थायी प्रभारों की बिलिंग अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि के अनुपात में पहले ही अधिसूचित किए गए स्थायी प्रभारों की अनुपातिक वृद्धि के अनंतिम आधार पर की गई थी। बाद में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्थायी प्रभारों में संभावित संशोधन तैयार किया गया था और 7.8.96 को पूर्वी क्षेत्र में राज्य विद्युत बोर्डों को इसकी सूचना प्रदान की गई थी।

दिनांक 5.11.98 को जारी अधिसूचना पर आधारित फरक्का एसटीपीएस (1100 मे.वा.) के स्थायी प्रभार प्रति वर्ष 426.98 करोड़ रुपये बैठते हैं। दिनांक 1.4.95 से प्रभावी यथा संशोधित प्रभार 32.17 पैसे/कि.वा.घं. है और प्रति माह जले हुए ईंधन की जी.सी.वी. और वास्तविक कीमत पर आधारित मासिक ईंधन कीमत समायोजन पर निर्भर करते हैं।

9.12.98 को जारी अधिसूचना पर आधारित कहलगांव एसटी पीएस (840 मे.वा.) के स्थायी प्रभार 441.48 करोड़ रुपये वार्षिक हैं दिनांक 1.8.96 से प्रभावी यथा संशोधित परिवर्तनीय प्रभार 50.86 पैसे/कि.वा.घं. है और प्रति माह जले हुए ईंधन की जी.सी.वी. और वास्तविक कीमत पर आधारित ईंधन कीमत समायोजन पर निर्भर करते हैं।

फरक्का एसटीपीएस (1100 मे.वा.) टेरिफ के वित्तीय निहितार्थ 7.8.96 को के. वि. प्रा. द्वारा संसूचित निहितार्थ की तुलना में 2.06 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है और कहलगांव एसटीपीएस (840 मे.वा.) के निहितार्थ अस्थाई बिलिंग की तुलना में 50:77 करोड़ रु./वर्ष है।

(ग) जी, हां। इक्विटी के प्रतिफल पर 12 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत का संशोधन 1.11.1998 से प्रभावी है।

(घ) फरक्का एसटीपीएस (1600 मे.वा.) के संबंध में स्थायी प्रभार इक्विटी पर 12 प्रतिशत प्रतिफल के आधार पर 621.06 करोड़ रुपये वार्षिक है और इक्विटी पर 16% प्रतिफल के आधार पर 667.87 करोड रुपये वार्षिक है। कहलगांव एसटीपीएस (840 मे.वा.) के संबंध में स्थायी प्रभार इक्विटी पर 12 प्रतिशत प्रतिफल के आधार पर 441.10 करोड़ रुपये और इक्विटी पर 16 प्रतिशत प्रतिफल के आधार पर 477.88 करोड़ रुपये वार्षिक है।

फरक्का एसटीपीएस (100 मे.वा.), कहलगांव एसटीपीएस (840 मे.वा.) के संबंध में विद्युत उत्पादन के आदर्श स्तर अर्थात 68.49 प्रतिशत पी एल एफ पर इक्विटी पर प्रतिफल दर में वृद्धि का प्रभाव क्रमशः 5.92 पैसा/कि.वा.घं. और 7.30 पैसा/कि.वा.घं. होगा।

(ङ) जी, नहीं।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग इस प्रकार के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार टैरिफ निर्धारण संबंधी विनियमों के अधिसूचित होने पर ही कर सकता है। तब तक भारत सरकार विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43ए(2) के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का निर्धारण करती रहेगी।

कच्छ की खाड़ी, गुजरात में तेल और गैस के भंडार

2854. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में कच्छ की खाड़ी में तेल और गैस के भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन द्वारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कच्छ के मुख्य भूभाग, खादिर द्वीप, पाछम द्वीप बेली द्वीप, वाघाद द्वीप तथा चोरार पहाड़ियों में किया गया है। कच्छ जिला वर्ष 1956 से अन्वेषण के लिए केन्द्र बिन्दु रहा है तथा इस बेसिन में 31420 वर्ग किलोमीटर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, 8567 स्टेशनों पर जी एम सर्वेक्षण, 2061 जी एल के एकल वलन एवं अपवर्तन सर्वेक्षण तथा 1410 जी एल के बहुवलन भूकंपीय सर्वेक्षण जिसमें कच्छ के रण के अन्तर्गत 367 एलकेएम सर्वेक्षण सम्मिलित है, किए गए हैं। इसके अनावा, 5 अन्वेषी कूपों का वेधन किया गया है जो शुष्क साबित हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्वेषण बोली दौरों के तहत 2 ब्लाकों अर्थात् जी के–ओ एन–90/2 (चौथे दौर में) तथा जीके/आएन/4 (सातवें दौर में) जो गुजरात राज्य में कच्छ के रन के तटवर्ती क्षेत्र में पड़ते हैं, के लिए क्रमशः आकलैंड इन्टरनेशनल एलडीसी, यूएसए तथा फिनिक्स ओवरसीज लि. इंडिया के साथ वर्ष, 1998 में संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा वर्ष, 1995–96 के दौरान एनआरएसए के माध्यम से कच्छ के रन तथा इससे सटे हुए अपतटीय भाग में 48, 000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करते हुए 23,730 एलकेएम, वायु चुबकीय आंकडा प्राप्त किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वित्त निगम का राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया

2855. श्री गुरुदास कामत : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) 31 जनवरी, 1999 तक विद्युत वित्त निगम की राज्य विद्युत बोर्डों पर राज्यवार बकाया राशि क्या है;

(ख) उन राशियों की उगाही के लिए उठाये गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विद्युत उपभोग के शुल्क भुगतान के लिए पुनर्तिथि निर्धारण का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) 31 जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार विद्युत वित्त निगम की बकाया राशियों को उधारकर्ता–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विद्युत वित्त निगम ने "उधारकर्ताओं द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में आवेदनों अथवा उपचारात्मक कदमों हेतु मार्गदर्शी सिद्धात" जारी किए हैं जो ऋण की शर्तों एवं निबंधनों का एक हिस्सा है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ लिखित सम्प्रेषण के जरिए अनुवर्ती कार्रवाई करना, और अधिक क्षण के अनुमोदन और संवितरण को भविष्य में स्थगित किए जाने के बारे में चैतावनी पत्र जारी करना, एस्क्रो लेखा/बैंक गारंटियों को मांगना कानूनी नोटिस जारी करना, राज्य सरकार की गारंटियों की मांग करना इत्यादि शामिल है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों की और बकाया राशियों, यदि कोई हों, का पुर्नतिथि निर्धारण यूटिलिटियों द्वारा स्वयं ही अपने निदेशक मडंल की स्वीकृति से किया जाता है। यह मामले के गुणावगुण, देय भुगतानों की शर्तों एवं निबंधनो, योग्यता मानदंड इत्यादि पर निर्भर करता है।

विवरण

31 जनवरी, 1999 की स्थितिनुसार विद्युत वित्त निगम की बकाया राशियों का उधारकर्ता–वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं. उधारकर्ता	बकाया राशि
1. डीपीएल	0.56
2. बीएसएचपीसीएल	0.65
3. गोवा सरकार	0.09
4. मणिपुर सरकार	0.03
5. नागालैंड सरकार	0.45
6. सिक्किम सरकार	0.53
7. ग्रिडको	1.23
8. एसपीईबी	24.64
9. टीवीईबी	0.11
10. डब्लूपीडीसीएल	8.35
11. डब्ल्यू बीएसईबी	0.15
कुल	36.79

पोलियो

2856. श्रीमति रानी नरह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने पोलियो उन्मूलन के क्षेत्र में भारत को सहयोग देना बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिमलाई) : (क) और (ख) भारत इम्युनोलाजिकल्स एंड बायोलाजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना पूर्ववर्ती यू. एस. एस. आर. के तकनीकी सहयोग से मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन और अन्य इम्युनोबायोलाजिकल्स का उत्पादन करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के रूप में की गई थी। यह कंपनी मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन तैयान करने और इसको राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को आपूर्ति करने हेतु रूस से बल्क वैक्सीन प्राप्त कर रही है। भारत इम्युनोलाजिकल्स कारपोरेशन एण्ड बायोलाजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड मार्च, 1999 के दौरान रूस द्वारा दी जाने वाली बल्क वैक्सीन की विशिष्ट मात्रा में प्राप्त होने की आशा कर रहा है।

बाघों की संख्या

2857. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 1999 को "द हिन्दू" में "टाइगर रिजर्वस: मिनिस्टर प्लान्स एडोपशन बाई वेस्ट" शीर्षक के तहत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार के पास विशेषज्ञता की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सहानुभूति बढ़ाने के लिए भावनोत्प्रेरक कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में अब तक कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) भारत विश्व भर में जीवित 60 प्रतिशत से अधिक जंगली बाघों का घर है। भारत में बाघों के आवास स्थलों की कई समस्याएं होने के बावजूद इनका काफी प्रभावी ढंग से प्रबन्ध किया जा रहा है तथा देश में इस संबंध में विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं है। प्रस्तावित "अंगीकरण" का अर्थ विकसित देशों से वित्तीय सहायता मांगना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देश में बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अब तक कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में वेतन-ढांचे में विसंगति

2858. श्री गेपाल चन्द्र दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं (सी.एच.एस.) के शिक्षण कैडर वर्ग को केन्द्र सरकार के अधीनस्थ स्वायत्त संस्थानों में उनके ही समान सेवाकर्मियों जैसी अर्हता और अनुभव रखने के बावजूद भी, वेतन और अन्य लाभ कम मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के पूर्व, इस शिक्षण वर्ग का वेतन और अन्य लाभ, सी एफ एस और केन्द्र सरकार के अधीनस्थ स्वायत्त संस्थानों दोनों के ही समान थे;

(ग) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस पूरे क्षेत्र पर ध्यान देने और कार्य–स्थितियों, अनुसंधान अवसरों, वेतन–ढांचे, कार्य–आधारसंरचना के समान पैटर्न तथा प्रोन्नति के अवसर संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए इस पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय किए जाते हैं जबकि स्वायत्त संस्थाओं के कार्मिकों के वेतन तथा भत्ते इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष समिति को संस्तुतियों के आधार पर तय किए जाते हैं। इस प्रकार इन संस्थाओं के संकायों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के बीच तुलना का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी, नहीं। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट से पहले, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अध्यापन उप संवर्ग के लिए वेतन तथा अन्य लाभ केन्द्रीय सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के वेतन तथा अन्य लाभों के बराबर नहीं थे।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

2859. श्री रंजीब बिस्वाल :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विस्तार कार्यक्रमों में अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल बिहार, और उड़ीसा के गांवों का अनुपात बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए है;

(ङ) उक्त योजनावधि के दौरान देश में उक्त कार्यक्रम में राज्यवार कितनी राशि के निवेश का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्यों को उक्त कार्यक्रम के लिए वर्ष 1998–99 और 1999–2000 हेतु आबंटित राज्य–वार राशि का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (घ) एम टी एन एल सहित दूरसंचार विभाग की नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में निवल स्विचन क्षमता में 230 लाख की वृद्धि करने और 185 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। योजना अवधि के दौरान प्रदान की जाने वाली नई स्विचन क्षमता और सीधी एक्सचेंज लाइनों का राज्य–वार ब्यौरा योजना आयोग से योजना प्रस्तावों के अनुमोदन की प्राप्ति के बाद तैयार किया जाएगा।

(ङ) एम टी एन एल सहित नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रत्याशित योजना परिव्यय रु. 83250 करोड़ है। चूंकि दूरसंचार प्रणाली एक एकीकृत नेटवर्क है और दूरसंचार सर्किलों की सीमाएं राज्यों की सीमाओं से पूर्णतः मेल नहीं खातीं, अतः राज्य–वार व्यवहारिक परिव्यय तैयार कर पाना व्यवहार्य नहीं है।

(च) वर्ष 1998–99 के सर्किल–वार संशोधित आकलन संलग्न विवरण में दिये गये हैं। एम टी एन एल सहित वर्ष 1999–2000 का बजट आकलन रु. 15603 करोड़ है। वर्ष 1999–2000 के लिए दूरसंचार विभाग को अनुदान मांगों का अनुमोदन, संसद से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमादन प्राप्ति के बाद निधियों के सर्किल–वार आबंटन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1998–99 के सर्किलवार संशोधित प्राक्कलन

क्र.सं.	सर्किल का नाम	राशि (करोड़ रूपयों में)
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	14.18
2.	आंध्र प्रदेश	732.43
3.	असम	126.93
4.	बिहार	338.72
5.	गुजरात	562.93
6.	हरियाणा	182.10
7.	हिमाचल प्रदेश	128.93
8.	जम्मू व कश्मीर	75.20
9.	कर्नाटक	598.24
10.	केरल	765.99
11.	मध्य प्रदेश	419.28
12.	महाराष्ट्र	900.11
13.	उत्तर पूर्व	90.63
14.	उड़ीसा	167.71
15.	पंजाब	489.04
16.	राजस्थान	386.36
17.	तमिलनाडु	908.75
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	411.41
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	415.02
20.	पश्चिम बंगाल	638.92
21.	अन्य इकाइयां और आरक्षित	1547.12
22.	एम टी एन एल	2160.00
		12060.00

हाथियों और हिरणों का अवैध शिकार

2860. श्री रामचन्द्र मलिक :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाथियों और हिरणों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों से अभी भी हाथियों और हिरणों के अवैध शिकार/मारने की खबरें आ रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने हाथी और हिरण मारे गए;

(घ) क्या हाथी दांत की बिक्री पर लगी रोक का प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो हाथी के शिकार के मामलों में दोषियों को कठोर दण्ड देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) जंगली हाथियों की राज्यवार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है। देश में हिरण की नौ प्रजातियां पाई जाती हैं। विभिन्न राज्यों में उनके विस्तृत फैलाव को देखते हुए उनकी जनसंख्या का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि सिर्फ मणिपुर के केईबुल लेमजो राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले मणिपुर को–एन्टलर्ड हिरणों की अनुमानित संख्या 147 है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकारियों द्वारा मारे गए हाथियों की राज्यों द्वारा सूचित संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है। देश में हिरणों के अवैध शिकार के आंकड़े न तो केन्द्र सरकार स्तर पर एकत्र किए जाते हैं और न ही संगृहीत।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। हाथियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया है। इसलिए कानून के अंर्तगत उन्हें उच्चतम कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। हाथियों को मारने तथा उनके व्युत्पन्नों का अवैध व्यापार दण्डनीय है जिसके लिए कम से कम 1 साल की सजा जो सात सालों तक बढ़ाई जा सकती है, के साथ कम से कम 5000/–रु. का जुर्माना किया जा सकता है। आसूचना के एकत्रीकरण तथा विभिन्न संदिग्ध बिक्री केन्द्रों पर नियमित छापों द्वारा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर कारगर नियंत्रण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए भारतीय हाथी "वन्यजीव तथा वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन" (सी आई टी ई एस) के परिशिष्ट–1 में शामिल किए गए हैं जिसके अंतर्गत प्रजातियों और इनके व्युत्पन्नों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निषेध है भारत में जंगली हाथियों की संख्या और उनके प्राकृतिक वासों की सुरक्षा को हाथी परियोजना द्वारा अधिक मजबूत किया जा रहा है। यह परियोजना फरवरी, 1992 में विभिन्न हाथी क्षेत्र वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों में जंगली हाथियों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य	न्यूनतम	अधिकतम
1.	आंध्र प्रदेश	46	46
2.	अरुणाचल प्रदेश	2000	3000
3.	असम	5000	6000
4.	बिहार	500	600
5.	कर्नाटक	5000	6000
6.	केरल	3000	4000
7.	मेघालय	2500	3000
8.	उड़ीसा	1500	2000
9.	तमिलनाडु	2300	2500
10.	उत्तर प्रदेश	750	1000
11.	पश्चिम बंगाल	200	200
12.	नागालैंड	140	140
		22936	28486
	अनुमानित औसत मान		25,571

विवरण-II

शिकारियों द्वारा मारे गए हाथियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	95–96	96–97	97–98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	–
3.	असम	6	4	6
4.	बिहार	1	2	3
5.	कर्नाटक	10	18	15
6.	केरल	3	7	2
7.	मेघालय	10	5	3
8.	नागालैंड	8	5	1
9.	उड़ीसा	17	11	7
10.	तमिलनाडु	7	15	6
11.	उत्तर प्रदेश	19	–	–
12.	पश्चिम बंगाल	3	–	–
		85	68	43

[हिन्दी]

अस्पतालों की स्थापना

2861. श्री राजवीर सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली, उत्तर प्रदेश में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना हेतु स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के लिए अपेक्षित धनराशि का नियतन कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह धनराशि कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव की पहली बार 1991 में जांच की गई थी जब उत्तर प्रदेश सरकार से उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पूरक वित्तपोषण के ब्यौरे सूचित करने का अनुरोध किया गया था। उसके पश्चात् जून, 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए एक पत्र के उत्तर में पुनः पूरक वित्त पोषण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव को तैयार करने के लिए अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश सरकार से इन पत्रों का अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राज्यों को केरोसीन का कोटा

2862. श्री ए.सी. जोस :

श्री राजवीर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने केरोसीन का अपना आबंटन बढ़ाने हेतु निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश तथा केरल राज्य की सरकारों ने अपने मिट्टी तेल के आबंटन को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। मिट्टी तेल एक कमी वाला उत्पाद है और देश में इसकी 40 प्रतिशत से अधिक जरूरत को आयातों के जरिए पूरा किया जाता है। तथापि, उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा से संबंधित कठिनाई एवं इसमें शामिल भारी राज सहायता के कारण मॉग पूर्णतया पूरी करना संभव नहीं है।

वर्ष 1998–99 के दौरान, 8.5 प्रतिशत की राष्ट्रीय वृद्धि के प्रति उत्तर प्रदेश के लिए मिट्टी तेल के आबंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 18.01 प्रतिशत की बहुत अधिक वृद्धि की गई है जिससे इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता 10 किलो ग्राम प्रतिवर्ष बढ़ गई है। केरल राज्य को पिछले वर्ष की तुलना में 3.61 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है जिससे इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता 10.31 किलो ग्राम प्रति वर्ष तक बढ़ गई है।

गत 3 वर्षों के दौरान केरल तथा उत्तर प्रदेश के लिए मिट्टी तेल का आबंटन निम्नवत् रहा है :–

(आंकड़े एम टी में)

वर्ष	केरल	उत्तर प्रदेश
1996–97	279701	1128847
1907–98	2895540	1178862
1998–99	300006	1391123

उत्तर प्रदेश तथा केरल समेत सभी राज्यों में बड़ी संख्या में एल पी जी कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं जिससे मिटटी तेल की मांग में कमी होती है।

आन्ध्र प्रदेश में निजी कम्पनी द्वारा टेलीफोन सुविधा

2863. श्री एस. सुधाकर रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अनेक टेलीफोन केन्द्र उग्रवादी समूहों द्वारा उड़ा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विभाग ने उन गांवों, जहां टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं में टेलीफोन लगाने का अधिकार निजी कम्पनियों को दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में कितने गांव उक्त सेवा उपलब्ध कराने हेतु निजी कम्पनियों को दिए गए है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सर्किल में 109 टेलीफोन एक्सचेंज बम्ब से उड़ा दिए गए/नष्ट कर दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि., द्वारा 30.9.98 से पूर्व 6080 अनकवर्ड गांवों को टेलीकॉम सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी और तदनुसार उक्त गांव मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि. को पहले से ही सौंप दिए गए हैं।

(ङ) अभी तक उक्त कंपनी द्वारा कोई वी पी टी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

लंबित आपराधिक मामले

2864. श्री यू. वी. कृष्णामराजु :

श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :

श्री अमन कुमार नागरा :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल में सभी राज्य सरकारों से देशभर के विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित ऐसे मामालों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे मामलों को निपटाते समय आपराधिक मामलों को प्राथमिकता प्रदान करें; और

(घ) यदि हां, तो उक्त लंबित मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. तम्बी दुरई) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने, 1994 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 559–आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में अपने 10 दिसम्बर, 1998 के आदेश में सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए हैं कि वे विभिन्न न्यायालायों में लम्बित सभी दांडिक मामलों की (जिलावार) एक सूची उन अपराधों की, जिनसे वे संबंधित हैं और यदि वे 31.12.98 को पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं तो उनका शीघ्रतापूर्वक निपटान किए जाने के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, प्रस्तुत करें।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) उपर्युक्त आदेश में भारत के उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित दांडिक मामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	31.12.96 को	31.12.97 को	30.6.98 को
1	इलाहाबाद	140925	140925	140925
2	आन्ध्र प्रदेश	3430	5564	6723
3	बम्बई	16254	18514	20315
4	कलकत्ता	22593	29181	31970
5	दिल्ली	10281	12604	12222
6	गौहाटी	4262	4459	4420
7	गुजरात	16167	14965	15644
8	हिमाचल प्रदेश	3005	2604	2497
9	जम्मू–कश्मीर	4132	3572	3651
10	कर्नाटक	6230	5270	4762
11	केरल	7520	9204	9706
12	मध्य प्रदेश	29642	32248	34117
13	मद्रास	21167	22333	24352
14	उड़ीसा	5650	6641	7010
15	पटना	19871	11856	13543
16	पंजाब और हरियाणा	29056	27963	24293
17	राजस्थान	21685	19748	18072
18	सिक्किम	4	10	16
		381874	367941	374238

* 31/12/98 को लंबित मामले दर्शित करता है

भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित तारीख को	लंबित दांडिक मामलों की संख्या
1.5.96	4586
1.5.97	3810
1.5.98	3394

मांग करने पर इंटरनेट कनेक्शन

2865. श्री टी. आर. बालू : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चारों महानगरों में मांग करने पर इंटरनेट कनेक्शन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मणीद्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) मुंबई और दिल्ली के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/विदेश संचार निगम लिमिटेड, सरकारी इंटरनेट सेवा प्रदान करता है, जबकि कलकत्ता तथा चेन्नई के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड सरकारी सेवाएं प्रदाता है।

इस समय, चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुबई, चैन्नई, कलकत्ता विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा तथा मुबई और दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा मांग पर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।

एम. टी. एन. एल. ने दिल्ली और मुंबई में 5000 उपभोक्ताओं की क्षमता वाली इंटरनेट सेवाएं हाल में ही प्रारंभ की हैं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एम. टी. एन. एल., मुंबई तथा दिल्ली, इंटरनेट सेवाओं का 5000 से 20,000 उपभोक्ताओं तक विस्तार करने की योजना बना रहा है।

सरकार ने बड़ी संख्या में निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी लाइसेंस प्रदान किए हैं, जो इन महानगरों में भी इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर सकते हैं।

तेल पूल खाता

2866. श्री वैको : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल पूल खाते में कितनी संचित राशि है;

(ख) क्या सरकार का तेल पूल खाते से राजस्व की कमी पूरी करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आने के कारण कितनी राशि का तेल पूल खाता बनाया गया है;

(ङ) क्या तेल समन्वय समिति तथा तेल निगमों ने उपभोक्ताओं के हित में तेल पूल खाते को मुक्त रूप से चलाने का सुझाव दिया है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्ष में एक बार तेल पूल खाते की स्थिति के संबंध में विस्तृत ब्यौरा देने का विचार है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तेल पूल के अर्न्तगत घाटे को रोकने तथा तेल कंपनियों को देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्तियां कायम रखने हेतु समर्थ बनाने के लिए सरकार ने 1 सितम्बर, 1997 को एक विस्तृत पैकेज की घोषणा की थी। तेल पूल घाटे को समाप्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया था कि तेल कंपनियों को तेल समन्वय समिति की देयताओं के भाग को विशेष सरकारी बान्डों के निर्गम के जरिए तेल कंपनियों को एक बारगी भुगतान करते हुए पूरा किया जाएगा। परिणामस्वरूप, कुल 12,984 करोड़ रुपये के "10.5 प्रतिशत तेल कंपनियां (अहस्तान्तरणीय) विशेष सरकारी बान्ड, 2005" जारी किए गए थे जो 02 मार्च, 1998 से प्रभावी थे। जारी किए गए इन बान्डों में से 6382 करोड़ रुपए की धनराशि बान्डों के मोचन के लिए स्वीकृत की गई है। तत्पश्चात्, 18 फरवरी, 1999 तक 1646 करोड़ रुपये के "लेखागत" भुगतान किए गए हैं।

(ङ) से (छ) तेल समन्वय समिति के वार्षिक लेखों, जिनमें पूल लेखे सम्मिलित हैं, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर शीर्ष निकाय द्वारा नियुक्त की गई चार्टर्ड लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है। तत्पश्चात् ये लेखे तेल समन्वय समिति की शीर्ष निकाय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

विलंब-शुल्क के दावों के कारण हुए घाटे

2867. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न भारतीय बन्दरगाहों में जहाज मालिकों द्वारा पेश किये गये विलंब शुल्क दावों के कारण बहुत घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार घाटा (विदेशी मुद्रा में) आया है;

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने बन्दरगाहों के उन्नयन और विस्तार हेतु घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं। जहाज मालिकों द्वारा भारतीय पत्तनों को विलंब शुल्क के ऐसे कोई दावे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विशेष न्यायालय

2868. श्री मोहन सिंह :

श्री पी. सी. थामस :

डॉ. सुशील इंदौरा :

प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा :

श्री वी. वी. राघवन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन न्यायालयों से नियमित न्यायालयों को वापस स्थानांतरित किए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोल पम्प और एल. पी. जी. एजेंसियों के आबंटन हेतु समिति/बोर्ड का गठन

2869. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आबंटित करने के लिए गठित बोर्डों/समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। इन बोर्डों का संघटन निम्नानुसार है :–

(i) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश – अध्यक्ष

(ii) किसी/संबंधित तेल कंपनी के अधिकारी जिसका स्तर मुख्य प्रबंधक से कम न हो – सदस्य

(iii) किसी अन्य तेल कंपनी के मुख्य प्रबंधक स्तर का अधिकारी – सदस्य

सदस्य, तेल कंपनियों के निदेशक (विपणन) अथवा कार्यकारी निदेशक द्वारा नामित किए जाते हैं और ये साक्षात्कार से तीन दिनों से पहले नामित नहीं किए जाते।

53 डीलर चयन बोर्डों का गठन कर लिया गया है। इन बोर्डों में अनु.जा./अनु.ज.जा. सदस्यों के नामांकन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इन बोर्डों में गैर–अधिकारियों का चयन नहीं किया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

2870. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सन् 2000 तक शोधित पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 2000 तक पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अन्य बातों के साथ–साथ देश में मांग तथा आपूर्ति की समग्र स्थिति तथा प्रचालित बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की आकर्षक योजनाएं

2871. श्री पंकज चौधरी :

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बिक्री केन्द्रो पर ग्राहकों के लिए आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में भी कुछ योजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) कॉर्पोरेशन की नीति के अनुसार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर जिनमें नई पीढ़ी के खुदरा बिक्री केन्द्र शामिल हैं, अपने ग्राहकों के लिए समय–समय पर विभिन्न "बिक्री संबर्धन योजनाएं" आरंभ करती रही है। वर्ष, 1998 में क्रिसमस/नव वर्ष के दौरान बी पी सी एल ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार देश में 13 शहरों में फैले इसके 18 खुदरा बिक्री केन्द्रों पर ग्राहकों के लिए "सुविधा भंडार" के एक संवर्धन योजना आरंभ की थी :

शहर	खुदरा बिक्री केन्द्र की संख्या
दिल्ली	3
चंडीगढ़	1
कानपुर	1
आगरा	1
उदयपुर	1
मुंबई	2
नागपुर	2
इन्दौर	1
गोवा	1
चेन्नई	2
बंगलौर	1
हैदराबाद	1
कोयम्बटूर	1

बीपीसीएल ने हॉल ही में उत्तरी राज्यों के चुनिंदा बाजारों में स्नेहकों की बिक्री के संबर्धन के विषय में भी एक योजना आरंभ की है।

कच्चे तेल और गैस के मूल्य

2872. श्री राजो सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल तथा गैस की क्या कीमतें रही;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होने से देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले दो वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का औसत मूल्य और एलपीजी सउदी सी पी मूल्य निम्नानुसार है :–

	ब्रेन्ट (डॉ/बीबीएल)	दुबई (डॉ/बीबीएल)	ओमान (डॉ/बीबीएल)	एलपीजी (डॉ/बीबीएल) (डॉ/एमटी)
1997	19.093	18.131	18.538	223.42
1998	12.710	12.160	12.074	143.47

(ख) और (ग) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पिछले एक वर्ष के दौरान अयोगामी प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है और सामान्यता यह कम रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य अति संवेदनशील होता है और इनमें बहुत अधिक उतार–चढ़ाव होता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में किसी परिवर्तन से हमारी आयात लागत पर प्रभाव पड़ता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद

2873. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऐसी योजना का प्रस्ताव किया है जिसमें सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल इकाइयों द्वारा एक–दूसरे के शेयरों की खरीद की जायेगी तथा इनके अपने शेयरों की भी पुर्नखरीद की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी धनराशि जारी की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने कम्पनियों द्वारा अपने शेयरधारकों से वापस शेयर खरीदने की अनुमति दे दी है। सरकार ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसईज) को सहयोग और कार्यनीतिक परिस्थितियों के आधार पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के शेयर खरीदने की भी अनुमति दे दी है। तदनुसार आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन में 12.5 प्रतिशत तक और इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. तथा गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. प्रत्येक में 10 प्रतिशत, जिसे वे आपस में एक दूसरे को बेचेंगे, तक सरकारी धारिता बेचने का निर्णय लिया गया है।

(ग) अनुमानित कुल राशि 4500/– करोड़ रुपए के लगभग होगी।

प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवा

2874. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विकसित देशों से सभी के लिए प्रजनन संबंधी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संबंध में कोई ठोस विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन उक्त योजना हेतु धनराशि उपलब्ध कराएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काहिरा 1994 में अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन द्वारा विश्व के समक्ष रखे प्रजनन स्वास्थ्य कार्रवाई कार्यक्रम का समर्थन किया है। फरवरी 1999 के दौरान हेग, नीदरलैंड में आई. सी. पी. डी. + 5 मंच के समक्ष अपने भाषण में विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक ने मातृ स्वास्थ्य में अधूरी कार्यसूची को पूरा करने और किशोर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की उभरती हुई चुनौती पर ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्व विकसित देशों को 0.2 प्रतिशत के वर्तमान स्तर के मुकाबले विकासशील देशों को सहायता के जरिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत प्रदान करने संबंधी उनकी प्रतिबद्धता का समरण कराया।

(घ) और (ङ.) विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्य देशों की प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। 1998–99 की द्विवार्षिकी में विश्व स्वास्थ्य संगठन

ने भारत को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के लिए 2.3 मिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता का वचन दिया है।

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और मरम्मत

2875. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1997–98 और 1998–99 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए अब तक दी गयी वास्तविक राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के कितने खराब मार्ग की अभी मरम्मत की जानी शेष है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कोई नहीं।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटन 1997–98	आबंटन 1998–99 (1/99 तक) (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3898.00	402540
2.	असम	116255	271551
3.	बिहार	3410.77	334887
4.	चंडीगढ़	71.00	43.04
5.	दिल्ली	330.20	190.00
6.	गोवा	450.39	569.08
7.	गुजरात	375696	306594
8.	हरियाणा	772.34	135942
9.	हिमाचल प्रदेश	2034.32	1981.01
10.	जम्मू व कश्मीर	87.40	119.65
11.	कनार्टक	300290	2611.75
12.	केरल	2268.11	1848.73
13.	मध्य प्रदेश	3313.78	367804
14.	महाराष्ट्र	515768	423767
15.	मणिपुर	277.03	325.59
16.	मेघालय	584.54	608.80
17.	नागालैंड	37.11	187.90
18.	उड़ीसा	2522.00	2201.15
19.	पांडिचेरी	29.96	44.18
20.	पंजाब	1357.75	1438.81
21.	राजस्थान	3641.71	3358.19
22.	तमिलनाडु	2981.37	326000
23.	उत्तर प्रदेश	4949.19	498764
24.	पश्चिम बंगाल	326494	225783
25.	एन एच ए आई	375.00	274.00
26.	अन्य संस्थाएं	13.00	0.00
		49750.00	4873820

पेट्रोल पम्पों के लिए स्थानों का आबंटन

2876. डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तेल कम्पनियों के पचास से अधिक आशय पत्र धारक दिल्ली में पेट्रोल पम्पों हेतु स्थानों के आबंटन के लिए प्रतीक्षारत है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तेल कम्पनियों को विभिन्न स्थान प्रस्तावित किये हैं परन्तु उन स्थानों को उनकी स्थिति और आकार के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तेल कम्पनियों या उनके मंत्रालय से लंबित सूची को कम करने हेतु मौजूदा स्थानों को स्वीकार करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) खुदरा बिक्री केन्द्र न होने के कारण दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु क्या योजना बनाई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) डीडीए ने तेल कम्पनियों को खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए 25 स्थान प्रस्तावित किए हैं। इनमें से अधिकांश स्थान प्लाटों के छोटे आकार, समुदायिक केन्द्रों के बीच स्थित होने और वाहनों का ट्रैफिक न होने, अतिक्रमण होने, कोई संपर्क मार्ग आदि न होने के कारण व्यवहार्य नहीं पाए गए।

(ग) और (घ) मुख्य रूप से, दिल्ली में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए वांछित माप के उपयुक्त आकार के प्लाट काटना डीडीए का कार्य है। तेल कंपनियों ने खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए स्थानों का आकार बढ़ाने के लिए डीडीए से सम्पर्क किया है।

तेल कंपनी के अधिकारियों और डीडीए के अधिकारियों ने प्लाटों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए स्थानों का दौरा भी किया था और डीडीए कथित रूप से मामले की समीक्षा कर रहा है।

(ङ) 1.10.98 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 294 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालनरत हैं और यह वाहन चलाने वाली जनता की ईंधन की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। चुने हुए डीलरों की सुविधा के लिए उन्हें स्थान का परिवर्तन करने और निजी भूमि सहित दिल्ली में कहीं भी खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है।

[हिन्दी]

रांची बिहार में रसोई गैस की एजेंसियां

2877. श्री रामटहल चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के रांची जिले मे कितनी रसोई गैस एजेंसियां कार्य कर रही हैं और उनमें से प्रत्येक एजेंसी का रसोई गैस कनेक्शन कोटा कितना है;

(ख) उक्त जिले में अभी तक आवेदकों को रसोई गैस के कितने कनेक्शन आबंटित किए गए हैं; और

(ग) रसोई गैस कनेक्शन हेतु पंजीकृत लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार जिला रांची में 24 एलपीजी डिस्ट्रीब्यटरशिपें थीं और इनकी उपभोक्ता संख्या 87654 थी।

तेल कंपनियों ने वर्तमान वर्ष की नामांकन योजना से रांची में 3809 एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।

(ग) नए कनेक्शनों का जारी किया जाना प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लेक, नामांकन योजना आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

रसोई गैस सिलिंडरों की चोरी

2878. डॉ. शकील अहमद :

श्री अमन कुमार नागरा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को गत तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस सिलिंडरों की चोरी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्य इंडियन आयल कारपोरेशन के कुछ अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 1995–96 से 1997–98 के बीच आईओसी (एमडी) के डिस्ट्रीब्यूटरों और/या सिलेंडर परिवहनकर्ताओं द्वारा राज्यवार बताए गए चोरी के मामलों की संख्या संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) डिस्ट्रीब्यूटरों और/या परिवहनकर्ताओं के साथ हुए चोरी के मामलों में आईओसी (एमडी) द्वारा प्रचलित नीति के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(घ) सिलेंडरों की चोरी में आईओसी का कोई कर्मी लिप्त नहीं पाया गया।

(ङ) उक्त (घ) के उत्तर की दृष्टि से लागू नहीं ।

विवरण

एलपीजी सिलेंडर चोरी के मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	6
1.	चंडीगढ़	1	2	0
2.	दिल्ली	3	8	8
3.	हरियाणा	6	5	4
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1
5.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
6.	पंजाब	5	3	2
7.	राजस्थान	5	0	2
8.	उत्तर प्रदेश	36	29	18
9.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0
10.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
11.	असम	1	1	2
12.	बिहार	1	2	4

1	2	3	4	6
13.	मणिपुर	0	0	0
14.	मेघालय	0	0	0
15.	मिजोरम	0	0	0
16.	नागालैंड	2	1	0
17.	उड़ीसा	1	4	0
18.	सिक्किम	0	0	0
19.	त्रिपुरा	0	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	8	13	16
21.	गोवा	0	0	0
22.	गुजरात	1	0	2
23.	मध्य प्रदेश	4	9	11
24.	महाराष्ट्र	1	5	1
25.	आंध्र प्रदेश	3	2	4
26.	कनार्टक	11	10	1
27.	केरल	0	0	2
28.	लक्षदीप	0	0	0
29.	पांडिचेरी	0	0	0
30.	तमिलनाडु	5	6	0

असम स्थित कच्चा तेल प्रसंस्करण परियोजना

2879. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूमालीगढ़ तेलशोधक कारखाने (असम) में कच्चे तेल के प्रसंस्करण की परियोजना पूर्णावस्था के निकट है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना में अनुमानित लागत वृद्धि क्या है एवं इसे चालू किये जाने में देरी के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। रिफाइनरी का आरंभ अप्रैल 1999 में शुरू होगा और इसके जून 1999 तक पूरी तरह से चालू हो जाने का अनुमान है।

(ग) सरकार ने दिसंबर, 1998 के पूर्णता कार्यक्रम सहित 2489.12 करोड़ रुपये (दिसंबर 1997 मूल्य) की अनुमानित लागत पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी के संशोधित लागत अनुमान का अनुमोदन सूचित कर दिया है। ऊपर अनुमोदित लागत की तुलना में कोई लागत वृद्धि नहीं होगी। आरंभ होने में कुछ महीने का विलंब मुख्य रूप से परियोजना कार्य के क्रमिक रूप से समाप्त होने की तरफ बढ़ने के समय विभिन्न छंटनी लाभों पर संविदाकारों और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद होने के परिणामस्वरूप कार्य में बाधा उत्पन्न होने के कारण हुआ है।

रिक्त पदों का भरा जाना

2880. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग में 1990 से अर्हताप्राप्त कनिष्ठ लेखा अधिकारी उपलब्ध न होने की वजह से इनके काफी पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके सर्किल–वार और वर्ष–वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनमें से 50 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परीक्षा के प्रथम भाग में उत्तीर्ण होने वाले दूरसंचार विभाग के कर्मचारी कनिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या दूरसंचार विभाग में प्रतिनियुक्ति या नियमित आधार पर अर्हताप्राप्त कनिष्ठ लेखा अधिकारियों से रिक्त पदों को भरने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दूरसंचार विभाग में इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, हां। लगभग 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे टेलीफोन नेटवर्क के बिलिंग और लेखा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु पदों की आवश्यकता है।

कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के पदों की रिक्तियों का वर्षवार और सर्किलवार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

वर्ष	रिक्तियों की स्थिति	अभ्युक्तियां
1997	701	सर्किलवार स्थिति विवरण–I में दी गई है।
1998	1077*	सर्किलवार स्थिति विवरण–II में दी गई है।

उपयुक्त रिक्तियों में लगभग (*) 700 उम्मीदवार जिन्होंने कनिष्ठ लेखाधिकारी भाग–1 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं

(ग) और (घ) जी, हां। अंतर मंत्रालयी स्तर पर एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) जी हां।

(च) जी हां। केवल प्रतिनियुक्ति आधार पर।

(छ) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 235 कनिष्ठ लेखाधिकारियों को डाक विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रस्ताव है। विभाग, कनिष्ठ लेखाधिकारियों की रिक्त पदों को भरने के लिए निम्न कदम उठा रहा है।

(i) विभागीय उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करना।

(ii) रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने का प्रस्ताव देना।

विवरण-I

31.12.97 की स्थिति के अनुसार कनिष्ठ लेखा अधिकारियों की रिक्तियों का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियों की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	निदेशालय	78	74	4
2.	आंध्र प्रदेश	242	228	14
3.	असम	45	42	3
4.	बिहार	101	96	5
5.	गुजरात	303	186	117
6.	हरियाणा	72	62	10
7.	हिमाचल प्रदेश	34	30	4
8.	जम्मू कश्मीर	33	22	11
9.	कनार्टक	241	193	48
10.	केरल	181	179	2
11.	मध्य प्रदेश	157	135	22
12.	महाराष्ट्र	317	204	113
13.	उत्तर–पूर्व	38	33	5
14.	उड़ीसा	67	67	5
15.	पंजाब	115	88	27
16.	राजस्थान	195	182	13
17.	तमिलनाडु	203	195	8
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	162	141	21
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	86	71	15
20.	डब्लयू. बी. टी.	76	75	1
21.	सीटीडी	141	140	1
22.	एमटीडी	105	96	9
23.	सीजीएमपी बम्बई	43	37	6
24.	सीजीएमपी मद्रास	52	42	10
25.	सीजीएमपी नई दिल्ली	46	43	3
26.	सीजीएमपी कलकत्ता	37	35	2
27.	सीजीएमएम डब्लयूटी आर बंबई	19	16	3
28.	सीजीएमएम ईटी आर कलकत्ता	18	17	1
29.	सीजीएमएम एसटी आर मद्रास	22	22	–
30.	सीजीएमएम नई दिल्ली	31	23	8
31.	सीजीएमटीएस कलकता	48	44	4
32.	टीटीपी जबलपुर	05	05	–
33.	टी एवं टी जबलपुर	05	03	2
34.	एलटीटीसी गाजियाबाद	06	06	–
35.	टी. एफ. गौहाटी	27	20	7
36.	आरइपी नागपुर	12	10	2
37.	आईटीआई बंगलौर	19	16	3
38.	क्यूए बंगलौर	05	05	–
39.	सीजीएम टीएफ बम्बई	08	07	1
40.	सीजीएम टीएफ कलकत्ता	14	12	2
41.	सीजीएम टीएफ जबलपुर	14	10	4
42.	डॉटा नेटवर्क	02	0	2
43.	एनसीईएस	03	02	1
44.	एमटीएनएल बंम्बई	339	182	157
45.	एमटीएनएल नई दिल्ली	296	271	25
46.	अंड व निको द्वीपसमूह	3	3	–
	कुल जोड़	4066	3365	701

विवरण-II

क्र.सं.	सर्किल का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियों की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	निदेशालय	78	77	1
2.	आंध्र प्रदेश	268	221	47
3.	असम	51	41	10
4	बिहार	119	98	21
5.	गुजरात	301	190	111
6.	हरियाणा	84	67	17
7.	हिमाचल प्रदेश	54	31	14
8.	जम्मू कश्मीर	31	20	11
9.	कनार्टक	284	194	90
10.	केरल	203	177	26
11.	मध्य प्रदेश	157	136	21
12.	एमएचटी	390	193	197
13.	नार्थ–ईस्ट	42	36	6
14.	उड़ीसा	78	69	9
15.	पंजाब	119	76	44
16.	राजस्थान	201	177	26
17.	तमिलनाडु	232	206	26
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	144	134	10
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	142	89	53
20.	डब्लयू. बी. टी.	99	70	29
21.	सीटीडी	163	163	–
22.	एमटीडी	117	103	14
23.	सीजीएमपी बम्बई	42	34	8
24.	सीजीएमपी महाराष्ट्र	61	47	21
25.	सीजीएमपी नई दिल्ली	44	44	–
26.	सीजीएमपी कलकत्ता	37	33	4
27.	सीजीएमएम डब्लयूटी आर बंबई	21	19	2
28.	सीजीएमएम ईटी आर कलकत्ता	18	16	2
29.	सीजीएमएम एसटी आर एमएस	23	19	4
30.	सीजीएमएम नई दिल्ली	31	24	7
31.	सीजीएमटीएस कलकता	48	43	5
32.	टीटीपी जबलपुर	07	07	–
33.	टीएंडडी जबलपुर	05	04	1
34.	एलटीटीसी गाजियाबाद	09	09	–
35.	टी. एफ. गौहाटी	26	17	9
36.	आरइपी नागपुर	15	11	4
37.	आईटीआई बंगलौर	25	20	5
38.	क्यूए बंगलौर	05	03	2
39.	सीजीएम टीएफ बम्बई	08	06	2
40.	सीजीएम टीएफ कलकत्ता	14	12	2
41.	सीजीएम टीएफ जबलपुर	14	07	7
42.	डॉटा नेटवर्क	02	01	1
43.	एनसीईएस	03	03	–
44.	एमटीएनएल बम्बई	339	169	–
45.	एमटीएनएल नई दिल्ली	296	258	208
46.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	3	–
	कुल जोड़	4444	3367	1077

[हिन्दी]

उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार तक पारेषण लाईन

2881. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारेषण लाईन के माध्यम से उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के कब तक कार्यन्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी. एस. ई. बी.) के क्रमशः छठी योजना पारेषण कार्य और पांचवी योजना

पारेषण कार्य के एक भाग के रूप में उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार के साथ जोड़ने के लिए 220 के.वी.डी.सी. की दो लाइनें एक बिहार शरीफ को बेगुसराय से और दूसरी फतवा को मुजफ्फरपुर से जोड़ने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित की गयी थी। गंगा नदी क्रासिंग समेत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा फतवा और मुजफ्फरपुर के बीच पारेषण लाइन पूरी की जा चुकी थी। तदुपरांत गंगा नदी क्रासिंग भाग के कुछ बुर्ज (टावर) ढह गए। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लाइन को अभी तक पुनः स्थापित नहीं किया गया है।

यद्यपि, बिहार शरीफ बेगुसराय लाइन सितम्बर, 1982 में अनुमोदित की गयी थी तथापि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने हाथी–दाह और बेगूसराय तक गंगा नदी के उत्तरी भाग की लाइन और बेगूसराय स्थित 220/132 के.वी. उपकेंद्र पर गंगा नदी क्रासिंग के पूरा होने में विलंब के कारणवश लाइन को पूरा नहीं किया है। इस नदी क्रासिंग कार्य के एक भाग को हाल ही में लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए पावरग्रिड को सौंप दिया गया है ।

(ख) बिहार शरीफ बेगुसराय लाइन को जून 1999 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

केरल में एल. पी. जी. बाटलिंग संयंत्र

2882. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) बाटलिंग संयंत्रों का अनुपात, देश की जनसंख्या की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में नए बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) एल पी जी भरण संयंत्र निकटवर्ती खपत क्षेत्र की डिब्बा बंद एल पी जी की मांग संभाव्यता पर विचार करने के पश्चात तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। 1 जनवरी, 1999 को देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पास कुल स्थापित भरण क्षमता 3867 टी एम टी पी ए थी। भविष्यगत डिब्बा बंद एल पी जी मांग को पूरा करने के लिए देश में एल पी जी भरण क्षमता जो 1 जनवरी, 1999 को 3867 टी एम टी पी ए थी उसे 9वीं योजना के अंत (2001–02) तक बढ़ाकर 7558 टी एम टी पी ए करने हेतु तेल उद्योग द्वारा योजनायें तैयार की गई हैं। केरल राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 1999 को विद्यमान एल पी जी भरण क्षमता तथा विकसित होने के लिए प्रस्तावित नई क्षमता के ब्यौरे निम्नवत प्रस्तुत हैं :–

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

भरण संयंत्र	तेल कंपनी	1.1.1999 को विद्यमान भरण क्षमता	9वीं योजना तहत वृद्धियां(शेष)	1.4.2002 को योजनाबद्ध भरण क्षमता
कोचीन	आई ओ सी	44	44	88
त्रिवेन्द्रम	बी पी सी	44	–	44
कालीकट	आई ओ सी	22	–	22
पालघाट	एच पी सी	10	24	34
क्वीलोन	आई ओ सी	12	–	12
कोचीन	बी पी सी	–	22	22
योग		132	90	222

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों द्वारा दवाइयों की खरीददारी

2883. श्री अमर राय प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अपनी डिस्पेंसरियों/इकाइयों के लिए पेटेंट दवाइयों की खरीददारी में क्या प्रक्रिया अपनायी गई है;

(ख) क्या ये प्रक्रियाएं प्रायः बदल दी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

(घ) क्या आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की दवाओं की खरीददारी के लिए कोई निर्धारित नियम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमालाई) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में पेटेंट दवाओं की खरीद हेतु विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं :

एलोपैथिक पद्धति — सभी फार्मुलरी दवाएं चिकित्सा भण्डार संगठन (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय), भारत सरकार का संगठन से प्राप्त की जाती हैं।

सिद्ध प्रद्धति — पी/पी सिद्ध दवाइयों की खरीद खुली निविदा पद्धति के आधार पर की जा रही हैं। निविदाएं आमंत्रित करने, निविदाएं खोलने, नमूनों की जांच और दवाईयों की दर संविदाओं को अंतिम रूप देने जैसे सभी क्रियाकलाप केन्द्री सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई में किये जा रहे हैं और

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (सिद्ध एकक) को आवश्यकतानुसार दवाईयों की आपूर्ति करते हैं।

आयुर्वेदिक पद्धति — पी/पी आयुर्वेदिक दवाईयों की खरीद प्रत्येक वर्ष दवाईयों की व्यवस्था के आधार पर की जा रही है।

होमियोपैथिक पद्धति — होमियोपैथिक पद्धति में, कोई भी पेटेंट दवाईयां खरीदी जाती हैं।

यूनानी पद्धति — केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की यूनानी चिकित्सा पद्धति में पेटेंट दवाईयों की खरीद हेतु चार समितियां गठित करके निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे (1) क्रय सलाहकार समिति (यूनानी) (2) दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की यूनानी फार्मूलरी तैयार करने हेतु समिति (3) दिल्ली के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की दवाईयां तैयार करने हेतु समितियां (4) यूनानी चिकित्सा भंडार डिपो में यूनानी दवाईयों की नई खेपों की निरीक्षण हेतु समिति।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर, यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ.) आयुर्वेदिक दवाईयों की खरीद से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण–I में देखी जा सकती है।

होमियोपैथिक दवाईयों के प्रापण से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण–II मे देखी जा सकती है।

सिद्ध दवाइयों की खरीद से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण –III में देखी जा सकती है।

यौग पद्धति के लिए कोई दवाईयां नहीं खरीदी जाती हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत कोई दवा नहीं खरीदी गई है।

विवरण-I

आयुर्वेद

पी/पी आयुर्वेदिक दवाईयों की खरीद स्वीकृत व्यवस्थाओं के तहत की जा रही है। दवाईयों की व्यवस्था वर्ष विशेष के लिए गठित व्यवस्था संबंधी समिति द्वारा की जा रही है। पी/पी आयुर्वेदिक दवाईयों की व्यवस्था डी.पी.ए.आर. द्वारा दिए गए पैटर्न पर की जा रही है। इसमें दवा विशेष की विगत तीन वर्षों की औसत मासिक खपत को ध्यान में रखा जाना होता है। इसके अलावा, खपत की प्रवृति और गत वर्ष के दौरान उपलब्धता की अवधि, पहली अप्रैल को शेष भंडार और देय आपूर्ति को भी अपेक्षित कुल मात्रा में से घटाया जाना होता है।

विवरण-II

होमियोपैथी

के.स.स्वा. योजना के अन्तर्गत अनुमोदित सूची में नई फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने और औषधों की खरीद तथा आपूर्ति के लिए क्रियाविधि

1. फर्मों का पंजीकरण :-

के.स.स्वा. योजना के अन्तर्गत होमियोपैथिक भंडारों को औषधों की आपूर्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए देश भर में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से प्रदिर्शित करने के लिए हर दो वर्ष में एक बार नई फर्मों के पंजीकरण के लिए विज्ञापन दिया जाता है।

के.स.स्वा. योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा पद्धतियों के नए आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने की क्रियाविधि में पूरी एक रूपता बनाये रखने के लिए अध्याय–4 चिकित्सा भंडार मैनुअल, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मद सं. 17 से 28 में निर्धारित किए गए मानदंडों/मानको के अनुसार फर्मों की पंजीकरण करने की क्रियाविधि का कड़ाई तथा ईमानदारी से अनुपालन किया जाता है। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र अपर निदेशक (भंडार) के हस्ताक्षरों से जारी किए जाते हैं और विभिन्न पद्धतियों के संबंधित भंडार से प्राप्त किए जा सकते हैं।

के. स. स्वा. यो. होमियोपैथिक क्रय परामर्शी समिति द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार केवल वैध औषध निर्माण लाइसेंसधारी फार्में ही होमियोपैथिक औषधों की आपूर्ति के लिए पंजीकरण कराने की पात्र हैं। अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए सफल होने वाली फर्मों को ही 2 वर्षों के लिए पंजीकृत किया जाता है।

फर्मों से अपेक्षित दस्तावेज/सूचनाएं प्राप्त करने के पश्चात् के. स.स्वा. योजना क्रय परामर्शी समिति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ पात्र फर्मों की संस्तुति करती है।

2. के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक फार्मूलरी :

दिल्ली और दिल्ली के बाहर के होमियोपैथिक प्रभारियों से जोड़ने/हटाने के लिए सुझाव आमंत्रित करते हुऐ हर दो वर्ष में एक बार फार्मूलरी का संशोधन किया जाता है। दिल्ली के औषधालयों के सभी प्रभारियों से गठित एक प्राथमिक समिति द्वारा प्राप्त सुझावों की जांच की जाती है। इस फार्मूलरी में औषधों की अन्तिम सूची को अनुमोदनार्थ के. स. स्वा. योजना होमियोपैथिक फार्मूलरी परामर्शी समिति के समक्ष रखा जाता है।

यह फार्मूलरी के. स. स्वा. योजना में होमियोपैथिक औषधों की खरीद के लिए रेट एन्कवायरी के साथ लगी आधिकारिक अनुसूची है जो निदेशक, के. स. स्वा. योजना द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

3. निविदा दर पूछताछ :

वार्षिक निविदा होमियोपैथिक औषधों और विविध सामग्रियों के पंजीकृत अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को भेजी जाती है। वर्तमान फार्मूलरी दर–पूछताछ जिस पर दरें आमंत्रित की जाती हैं की अनुसूची के रूप में संलग्न है। फर्मों को निविदा प्रस्तुत करते समय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद के 3–नमूने भेजना भी अपेक्षित होता है।

निविदा खोलने वाली समिति और फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होमियोपैथिक भंडार डिपो में क्वोटेशनें खोली जाती हैं। उनके प्रतिनिधियों के सामने प्रत्येक फर्म की शर्तें पढ़कर सुनाई जाती हैं और फिर निविदा खोलने वाली समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसके पश्चात तुलनात्मक विवरण तैयार करने के लिए खुली निविदाएं होमियोपैथिक भंडार के प्रभारी अधिकारी को सौंपी जाती हैं।

4. दर संविदा और प्रोटोकोल परीक्षण की क्रियाविधि :

समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निविदा के साथ प्राप्त हुए नमूनों को खोला जाता है फिर प्रत्येक फर्म के नमूनों की सूची बनाई जाती है और प्रत्येक मद का एक सेट गुणवत्ता विश्लेषण के लिए होमियोपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाता है। प्रत्येक नमूने का एक सेट होमियोपैथिक भंडार डिपो में प्रोटोकोल नमूने/तकनीकी नमूने के रूप में रखा जाता है। यदि होमियोपैथिक प्रयोगशाला में फर्मों के किसी मद का नमूना पास नहीं होता है तो वे फर्में ऐसी मदों की दर–संविदा के लिए विचार करने की पात्र नहीं है, क्यों न उनकी दरें सबसे कम भी हों।

के.स.स्वा. योजना की फार्मूलरी के अनुसार प्रत्येक समूह की औषधों के लिए प्रत्येक फर्म के प्रोटोकोल परीक्षण के परिणाम को तुलनात्मक विवरण में दर्ज किया जाता है। स्वीकार की गई दरें क्रय परामर्शी समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। यह दर–संविदा देश भर में फर्मों और सभी के.स.स्वा. योजना के संस्थानों को जारी की जाती है।

5. वार्षिक प्रावधान :

लगातार 3 वर्षों की औसत खपत को ध्यान में रखते हुऐ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के मानदंडों के अनुसार एक समिति द्वारा के.सी. स्वा. योजना, दिल्ली के लिए वार्षिक खपत के पूर्वानुमान का ब्यौरा तैयार किया जाता है और निर्धारित प्रपत्र, जिसमें 4 महीनों का बफर भंडार शामिल है, के आधार पर 16 महीनों के लिए मात्रा को अन्तिम रूप दिया जाता है। वार्षिक प्रावधान के आधार पर प्रत्येक मद की 4/6 महीने की आवश्यकता के लिए आपूर्ति आदेश की मात्राओं को रखा जाता है।

6. आपूर्ति की स्वीकार्यता :

आपूर्तियां प्राप्त होने पर मदों को पुनः होमियोपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद को परीक्षण के लिए भेजा जाता है। भारत के उप औषध नियंत्रक से परामर्श लेते हुए अनुमोदित नमूनों को एकत्र करने के लिए अपनाई गई क्रियाविधि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) के निर्देश पर केवल होमियोपैथिक घोलों (के. स. स्वा. यो. होमियोपैथिक फार्मूलरी के समूह "क") के यादृच्छिक नमूनों को एकत्र किया जा सकता है।

(2) फार्मूलरी के अनुसार समूह क, ख, ग, घ, ङ, और छ के लिए आपूर्ति की गई 10 प्रतिशत मदों के यादृच्छिक नमूने।

(3) समूह "च" के अन्तर्गत मदों के लिए शत–प्रतिशत नमूने लेना।

(4) नई फर्म के मामले में, सप्लाई की गई मदों के 10 प्रतिशत होमियोपैथि घोलों तथा समूह ख, ग, घ, ङ और छ के लिए 50 प्रतिशत और समूह च के अन्तर्गत सभी मदों अर्थात शत–प्रतिशत मदों का कम से कम प्रथम दो वर्षों के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए।

सन्तोषजनक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निरीक्षण नोट जारी करके और उन घोलों को बहियों में प्रभार पर लेकर सप्लाई की स्वीकार्यता तैयार की जाती है।

7. औषधालयों को औषधों की आपूर्ति :

सप्लाई की स्वीकार्यता के तत्काल बाद नई आवतियों (फ्रैश एराइवल्स) की भंडार सूचना औषधालयों को परिचालित की जाती है। औषधालयों को उनकी औषधों की आवश्यकता की मात्रा के लिए नियमित मांग पत्रों का रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि नई आवतियां प्राप्त होती हैं तो उनसे पूरक मांग पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। यदि औषधों की तत्काल आवश्यकता होती है तो औषधालय हाथो–हाथ मांग पत्र भी प्रस्तुत करते हैं। भंडार की कमी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचने से पहले भंडार नियंत्रण पर निगरानी रखने के लिए लगातार मानीटरिंग की जाती है।

8. पेटेंट/ब्रांड नामावाली औषधियां :

होमियोपैथी में खरीदी गई कोई पेटेंट अथवा स्वामित्व वाली औषधें नहीं है। के.स.स्वा. योजना ने होमियोपैथिक भेषज संहिता समिति और होमियोपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला से परामर्श लेते

हुए कुछ मदों के लिए अपने स्वंम के मिश्रण निर्धारित किए हैं। सभी होमियोपैथिक औषधें अपने एकल औषध अवयव के जातिगत/लेटिन मूल नामों में से हैं।

विवरण-III

सिद्ध

सिद्ध औषध क्रय परामर्शी समिति के निर्णय और अनुमोदन के अनुसार सिद्ध एकेक को अपेक्षित औषधें पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर खरीदी जा रहीं हैं ।

लुब्रीकेन्ट बाजार में आई. ओ. सी. का हिस्सा

2884. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लुब्रीकेन्ट बाजार में भारतीय तेल निगम की वर्षवार साझेदारी कितनी रही है;

(ख) क्या बड़ी राष्ट्रीय तेल कंपनियों की तीस प्रतिशत लाभ लुब्रीकेंट से प्राप्त होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी में क्या सुधार किया गया है कि बाजार में प्रौद्यौगिकी का महत्व होता है न कि मात्रा का ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गत तीन वर्षों में स्नेहक बाजार में इंडियन आयल कार्पोरेशन का बाजार हिस्सा निम्नवत् है :–

वर्ष	प्रतिशत हिस्सा
1995–96	40.7 प्रतिशत
1996–97	38.9 प्रतिशत
1997–98	37.7 प्रतिशत
अप्रैल, 98 से जन. 99	42.1 प्रतिशत

(ख) स्नेहक कारोबार से होने वाला लाभ तेल विपणन कंपनियों के कुल लाभ का करीब 15–20 प्रतिशत बैठता है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए उत्पादों, प्रक्रिया तथा पैकिंग के विशिष्ट प्रोन्नयन द्वारा तेल कंपनियां लगातार अपने स्नेहक प्रौद्योगिकी विनिर्देशन को उन्नत कर रही हैं।

गुन्टुर और कृष्णा के तटीय क्षेत्रों में तेल गवेषण का कार्य निजी कंपनियों को देना

2885. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलू रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998 में तेल गवेषण कार्य के लिए गुन्टुर और कृष्णा जिलों (के.जी.–ओएन/1) के तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले किसी "आनलैंड ब्लाक" का प्रस्ताव आठवें राउन्ड में किसी निजी कंपनी के समूह को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों द्वारा उक्त ब्लाक में कोई ड्रिलिंग (खुदाई) कार्य किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हां, के जी–ओ एन/1 नामक जमीनी ब्लाक मै. टल्लो इंडिया आपरेशन्स के नेतृत्व वाले परिसंघ को प्रदान किया गया था, जिसमें मै. टल्लो इंडिया आपरेशन्स लि. प्रचालक के रूप में थी और मै. लार्सन एण्ड टूब्रो और मै. जोशी टेक्नोलाजीस इंक, अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में थे।

(ख) से (घ) जी नहीं। वर्तमान समय में इस ब्लाक में विद्यमान आंकड़ों का अध्ययन और समीक्षा जारी है। इससे आगे का कार्य पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने के बाद आरंभ किया जा सकता है जिसके लिए राज्य सरकार को सिफरिश भेजी जा चुकी है। न्यूनतम कार्य संबंधी कार्यक्रम में दूसरे और तीसरे अन्वेषण चरणों में वेधन वचनबद्धता की व्यवस्था है, यदि संविदाकार इन चरणों में कार्य करने का चयन करता है।

रसोई गैस सिलिंडर को सील करने की विधि

2886. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा रसोई गैस सिलिंडरों को सील किए जाने का वर्तमान तरीका संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा अपनाये गए सील करने के वर्तमान तरीकों की त्रुटि रहित बनाने तथा इसमें एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां। जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने बताया है, एल पी जी सिलेंडरों को सील करने की वर्तमान विधि संतोषप्रद है।

(ख) भरण संयंत्र में सिलेंडरों को भरने के बाद सीलबंद किया जाता है और सीलिंग गुणवत्ता की जांच करने के लिए शत–प्रतिशत जांच की जाती है।

(ग) उक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां, भरण संयंत्रों पर भरे जाने वाले प्रत्येक सिलेंडर की विस्तृत गुणवत्ता जांच करती हैं। एल पी जी भरण संयंत्रों पर सभी गुणवत्ता नियंत्रण जांच पूरी कर लेने के बाद ही प्रत्येक सिलेंडर को एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर के पास लदान करने तथा भेजने से पूर्व सीलबंद किया जाता है। तेल कंपनियां केवल एलुमिनियम तथा पी वी सी सील का ही प्रयोग करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को सुपुर्द करने से पूर्व एल पी जी सिलेंडरों में कोई हेर–फेर नहीं की गई है।

एनरौन और भारतीय जहाजरानी निगम के बीच समझौता

2887. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपूरे :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या अमेरिका की प्रमुख विद्युत फर्म "एनरोन" ने खाड़ी देशों से डभोल विद्युत परियोजना तक तरलीकृत प्राकृतिक गैस ले जाने के लिए भारतीय जहाजरानी निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) (क) और (ख) जी हां। भारतीय नौवहन निगम ने 135,000 घन मीटर एल एन जी टैंकर का वित्त–पोषण, निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन सरल करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने हेतु मितसुई ओस्क लाइन्स लि. (एम ओ एल) और अटलांटिक कॅमर्शियल फाइनेंस इंक, जोकि डेलवियर, यू एस ए के कानूनों के तहत संगठित की गई और कार्यरत एक कंपनी है (जिसे एनरॉन कहा जाता है), के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस टैंकर का महाराष्ट्र, भारत में डभोल स्थित विद्युत परियोजना तक एल एन जी का परिवहन करने के संबंध में एनरॉन की संबद्ध कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने का इरादा है। तीन प्रोत्साहकों की कुल इक्विटी सहभागिता निम्नलिखित अनुपात में होनी प्रस्तावित है :–

- मितसुई ओस्क लाइन्स लि. (एम ओ एल) : 60 प्रतिशत
- अटलांटिक कॅमर्शियल फाइनेंस इंक : 20 प्रतिशत
- भारतीय नौवहन निगम : 20 प्रतिशत

भारतीय वन अधिनियम, 1927

2888. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारत सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

एल पी जी का उत्पान और आपूर्ति

2889. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एल पी जी का कुल उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या यह उत्पादन मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में एल पी जी की मांग और आपूर्ति के संबंध में जिला–वार स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का, महाराष्ट्र में पाइप लाइन के जरिए एलपीजी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995–96 से 1997–98 के दौरान देश में वास्तविक एल पी जी उत्पादन 10,053 टी एम टी थी। एल पी जी की मांग स्वदेशी उत्पादन और संभावित आयात के माध्यम से एल पी जी की उपलब्धता से अधिक है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में तेल कंपनियों के पास सूचीबद्ध एल पी जी उपभोक्ताओं की मांग पूर्णतया पूरी की गई है। जब कभी भी कोई सामान्य बैकलाग उत्पन्न होता है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियां एल पी जी बैकलागों को समाप्त करने के लिए एल पी जी भरण संयंत्रों का बढ़ाए गए घंटों और रविवारों तथा अवकाश के दिनों में प्रचालन करके प्रभावित बाजारों में मांग पूरा करती हैं।

(घ) वर्तमान समय में महाराष्ट्र में पाइप लाइनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एल पी जी की आपूर्ति करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

ठेके निष्पादित करने के लिए भारतीय तेल निगम के पा पास धन का अभाव

2890. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के पास पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु ठेके निष्पादित करने के लिए धनराशि नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) मांग पूरी करने के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए संविदाएं निष्पादित करने हेतु आई ओ सी के पास धनराशि की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन

2891. श्री के. कृष्णमूर्ति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र में बहुत से लोग नए एलपीजी कनेक्शनों और अतिरिक्त सिलिंडर की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए अधिक एलपीजी बिक्री केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.1.99 की स्थिति के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या लगभग 133.5 लाख थी जिसमें तमिलनाडु राज्य में 14.31 लाख व्यक्ति शामिल हैं।

(ग) से (ङ) नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, डिस्ट्रीब्यूटरों की व्यवहार्यता और आर्थिक साध्यता के आधार पर तैयार की गई एल पी जी विपणन योजना के आधार पर स्थापित की जाती है। 1996–98 की एल पी जी विपणन योजना में लगभग 2000 नए स्थान शामिल किए गए हैं, ताकि मुख्य रूप से ग्रागीण क्षेत्रों में एल पी जी की मांग पूरी की जा सके। एल पी जी के उत्पादन के नए स्रोतों के आरंभ होने और एल पी जी के विपणन में उदारीकरण के साथ भी एल पी जी की उपलब्धता बढ़ने का अनुमान है। इससे एल पी जी की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम हो जाएगा।

सुहलेवा रेंज के वन

2892. श्री कीर्तिवर्धन सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सुहलेवा रेंज के वन क्षेत्र बाघ परियोजना के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त रेंज हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ग) वर्तमान में उक्त रेंज में कितने बाघ है;

(घ) क्या बाघों की संख्या में कोई बढ़ोतरी/कमी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या किसी गैर–सरकारी संगठन को बाघ परियोजना की शुरूआत से ही बाघों की संख्या का रिकार्ड रखने के लिए कहा गया है; और

(छ) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) 1997 में किए चर्तुवार्षिक अखिल भारतीय बाघ आकंलन के अनुसार सुहलेवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की संख्या 42 है। उत्तर प्रदेश में उत्तरी गोंडा और पूर्वी बेहरीच वन मंडलों में बाघों की संख्या 1993 में 40 थी। सुहलेवा अभयारण्य को इन दोनों वन मंडलों से अलग कर दिया गया है।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

सतर्कता जांच

2893. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ ओर्थोपेडिक के वरिष्ठ चिकित्सकों के विरुद्ध सतर्कता जांच के कई मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच के यह मामले कब से लंबित हैं तथा उन्हें अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) केन्द्रीय अस्थि रोग संस्थान ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के कार्यकरण में भ्रष्टाचार और कुप्रबंध से संबंधित डॉ. वी. पी. बंसल से प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. पी. के. दवे की अध्यक्षता में नवम्बर, 1998 में एक समिति गठित की गई थी। इसी तरह केन्द्रीय अस्थि रोग संस्थान, सफदरजंग अस्पताल के आठ डाक्टरों से डॉ. वी. पी. बंसल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को भी इस समिति को भेजा गया था।

समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

[हिन्दी]

एम.ए.आर.आर. प्रणाली पर आधारित सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करना

2894. श्री अशोक अर्गल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मुरैना–थायोपुर कलां जिलों में कितने एम.ए.आर.आर. सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त सार्वजनिक टेलीफोन उचित रुप से कार्य करे रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जानकारी नीचे दी गई है :

	जिला मुरैना (रायपुर)	जिला थायोपुर कलां
एम ए आर आर के जरिए प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (पी पी टी) की संख्या	380	250
संतोषजनक ढंग से काम कर रहे वीपीटी	307	173
संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे वीपीटी	73	77

(ग) कुछेक एमएआरआर उपस्कर टिकाउ नहीं है।

– दोषयुक्त उपस्कर को ठीक करने में काफी समय लगता है।

दोष दर अधिक होने का कारण कुछेक पीवीटी के अभिरक्षकों की लापरवाही तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बार–बार चले जाना तथा काफी देर तक न आना भी है।

(घ) (1) दोषयुक्त बस स्टेशनों, उपस्कर तथा एमएआरआर प्रणालियों के एसआरई को दूरसंचार विभाग के स्टाफ तथा विनिर्माता आपूर्तिकर्ताओं से ठीक करवाया जा रहा है।

(2) एमएआरआर के अधिकांश वीपीटी पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं।

(3) एस एस ए तथा सर्किल स्तर पर दैनिक रूप से पीवीटी दोषों की मानिटरिंग की जा रही है।

(4) दोषयुक्त वीपीटी को ठीक करने तथा उन्हें चालू हालत में रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के वितरकों के लिए चयन समिति

2895. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए वितरकों का चयन करने हेतु चयन समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन–कौन हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह समिति कब तक गठित कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संताष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर–पूर्व राज्यों के डीलर चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) येन्देम्बम इबोतोम्बी सिंह को नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष के अतिरिक्त डीलर चयन बोर्ड में तेल कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य शामिल होते हैं। साक्षात्कार से केवल तीन दिन पूर्व ही तेल कंपनियों के निदेशक (विपणन) या कार्यकारी निदेशक द्वारा सदस्यों को नामित किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एलपीजी एजेंसियां/पेट्रोल/डीजल पंप

2896. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जिलेवार खोले जाने वाले नए डीजल/पेट्रोल पंपों/एलपीजी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्तमान में स्थान-वार इन राज्यों में कार्यरत नए डीजल/पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की संख्या क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एल पीजी विपणन योजनाओं, 1996-98 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 169 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 418 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा हरियाणा के लिए 17 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 42 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं।

(ख) 1 अक्तूबर, 1998 को उत्तर प्रदेश में 2289 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 680 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा हरियाणा में 568 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 177 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थीं।

टाक्सीक स्क्रैप वाले जलपोतों पर प्रतिबंध

2897. श्री मोतीलाल वोरा :

श्री पी. आर. किन्डिया :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" में "जहरेला जलपोतों को स्क्रैप के लिये एशिया में भेजने पर पाबंदी की मांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या स्क्रैप के लिए ऐसे जलपोत काफी समय से भारत आ रहे हैं और इनके प्रवेश को रोकने के लिए सरकार से समय-समय पर कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो स्क्रैप के लिए भारत आने वाले जलपोतों पर कब तक पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जायेगा और इस मामले में हो रही देरी के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात समुद्रवर्ती बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अलग पोत-भंजन यार्ड (शिप-ब्रोकिंग-यार्ड) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के आधुनिकीकरण तथा श्रमिकों को हैलमेट, काले चश्में, जूते तथा दस्ताने जैसे सुरक्षा उपकरण प्रदान करवाने हेतु कदम उठाए गए हैं। यार्ड पर 24 घंटे चिकित्सा सुविधा का भी प्रावधान है। खतरनाक अपशिष्ट के हस्तन सहित पर्यावरणीय आयोजन तथा प्रबंधन के उदेश्य से पोत-भंजन गतिविधियों के विनियमन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) ने ठोस अपशिष्ट, तेल तथा गाद तथा अन्य अपशिष्टों के निपटान के संबंध में पोत-भंजन उद्योगों को पर्यावरणीय दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को भी परिचालित किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति को नियमित तौर पर मॉनीटर किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जलपोतों का आयात 23 अक्टूबर, 1989 से ओपन जनरल लाईसेंस के तहत है तथा इस समय देश में पोत-भंजन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

2898. श्री माधव राव पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमाई) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा कार्यक्रम

2899. श्री अजीत जोगी : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने में कोई अनियमितता पायी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की विभिन्न सौर ऊर्जा योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :

वर्ष	वित्तीय सहायता (लाख रुपये में).
1995–96	6.17
1996–97	76.61
1997–98	76.09

(ख) वर्ष 1998–99 के दौरान कार्यान्वयन हेतु मध्य प्रदेश को निम्नलिखित लक्ष्य आबंटित किए गए हैं :

सौर कुकर	7,500
सौर लालटेन	2,000
सौर घरेलू प्रणालियां	2,000
सौर रोशनी प्रणालियां	200

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश के लोकायुक्त 1995–96 के दौरान राज्य में सौर लालटेनों की अधिप्राप्ति और वितरण से संबंधित एक मामले की जाँच कर रहे हैं। लोकायुक्त की इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन का आधुनिकीकरण

2900. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) : जी, नहीं। सरकार ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एन. एच. पी.सी.) के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार नहीं की है।

[हिन्दी]

लाइसेंसो को किराये पर देना

2901. श्रीमती रीना चौधरी :

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत सी कैमिस्ट की दुकानों के लाइसेंस धारियों ने अपने लाइसेंस दूसरों को किराये पर दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं;

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केवल कुछ ही कैमिस्ट की दुकानों के पास जीवन–रक्षक दवाइयों और टीकों का भंडार रखने का लाइसेंस है;

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या कुछ दुकानें चिकित्सकों की दवाइयों के नमूने और जिन दवाइयों की मियाद पूरी हो चुकी है उन्हें भी बेच रही है; और

(छ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या आर्यवाही करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) लाइसेंस प्राप्त कैमिस्ट की दुकानों द्वारा लाइसेंस को किसी दूसरे को किराये पर देने का कोई मामल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के औषध नियंत्रण विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के अन्तर्गत यथानिर्धारित जीवनरक्षक औषधों और वैक्सीनों के तत्वों के परिरक्षण के लिए अपेक्षित भंडारण सुविधाएं रखने वाले खुदरा कैमिस्टों को इन मदों के भंडारण और बेचने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) 1997–98 और 1998–99 (फरवरी, 1999 तक) की अवधि के दौरान औषध नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किए गये निरीक्षणों, जिनमें विशेष कार्यक्रम/सर्वेक्षण शामिल हैं, की अवधि के दौरान मियाद समाप्त

हुई औषधियों/चिकित्सक नमूनों के बेचे जाने के किसी मामले का पता नहीं लगाया गया है।

मुम्बई में सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र/एस.टी.डी. आई.एस.डी. का आबंटन

2902. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई में कितने सार्वजिनिक दूरभाष केन्द्र/एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथों की स्थापना की गई;

(ख) इस प्रकार के बूथों की मंजूरी हेतु कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुंबई में संस्थापित किए गए पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी बूथों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	एसटीडी/आइएसडी	स्थानीय
1995–96	1374	6078
1996–97	1596	5767
1997–98	1852	5897

(ख) एसटीडी बूथों के आंबटन के लिए लंबित आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :–

(i) स्थानीय पीसीओ – 1479

(ii) एसटीडी पीसीओ – 454

(ग) मई 99 तक लंबित आवेदन पत्रों का निपटान उत्तरोत्तर रूप से किए जाने की संभावना है बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो और आवेदक अन्य शर्तें पूरी करते हों।

[अनुवाद]

रक्तचाप का स्वदेशी इलाज

2903. श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल के चिकित्सकों ने यह खोज की है कि प्रतिदिन एक प्लाटेन का सेवन करने से रक्तचाप को कम किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में और अधिक जांच/अनुसंधान कराये जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन–किन चिकित्सा संस्थानों में आगे और अनुसंधान कराये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमाई) : (क) से (ग) कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल के वैज्ञानिकों के प्रारंभिक कार्य से पता चला है कि उच्च रक्तदाव वाले व्यक्तियों के लिए केला खाना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वैसे, केलों में विद्यमान एक्टिव एण्टोहाइपरटेंसिव प्रिन्सिपल को अलग करने के लिए व्यापक अध्ययन किए जायेंगे। खुराक मात्रा का निर्धारण करने के लिए आगे और अध्ययन किए जाने की भी आवश्यकता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में विद्युत परियोजनाएं

2904. श्रीमती भावना कर्दम दवे : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जर्मनी और इटली की विदेशी फर्मों के सहयोग से गुजरात में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है जैसा कि दिनांक 19 दिसम्बर, 1998 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" (अहमदाबाद) में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी तथा इसका इक्विटी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों के कब तक चालू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ मध्य प्रदेश को देना

2905. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी हां।

(ख) जबलपुर (मध्य प्रदेश) शहर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों को के.स.स्वा.योजना की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भोपाल को कवर करने का एक प्रस्ताव नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है जिसे अभी तक सरकार द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशी निजी दूरसंचार आपरेटरों द्वारा लाइसेंस शुल्क का भुगतान न किया जाना

2906. श्री पी.सी. थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निजी दूरसंचार लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस शुल्क की बहुत बड़ी बकाया राशि भुगतान की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाइसेंसधारियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए कोई दलील पेश की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनसे इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुराकायस्थ) : (क) भारतीय पंजीकृत कंपनियों को ही लाइसेंस दिए गए हैं।

(ख) दिनांक 28.2.99 को स्थिति के अनुसार सेल्यूलर तथा बुनियादी प्रचालक कंपनियों को कंपनी–वार बकाया राशि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ–साथ प्रचालकों ने इस बात का अभ्यावेदन दिया है कि उनके मूल पूर्वानुमान, परियोजनाओं की जीवंतता के हिसाब पर खरे नहीं उतरे।

(ङ) सेलुलर तथा बुनियादों प्रचालकों को दिनांक 25.1.99 को पत्र जारी करके यह कहा गया ताकि वे अपनी बकाया राशि तथा ब्याज का तत्काल भुगतान कर दें। यदि वे पूरा भुगतान एक साथ करने में अयोग्य है तो 15.2.99 तक कम से कम इसकी 20 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दें। इन प्रचालकों से यह भी कहा गया था कि वे अपने द्वारा भुगतान की गई राशि को घटाकर इस बकाया को शेष राशि के बराबर की राशि तक अपनी बैंक गारंटी भी बढ़ा दें। बाद में यह तिथि बढ़ाकर 28.2.99 कर दी गई है। अब तक 14 प्रचालकों ने भुगतान कर दिया है।

विवरण

सेलुलर तथा बुनियादी प्रचालकों के पास बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

कम्पनी का नाम		सेवा	लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि (करोड़ रु.)
1		2	3
1.	मै. एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.	सीएमटीएस	235.22
2.	मै. बिरला ए टी एंड टी लि.	"	345.17
3.	मै. फा सेल लि.	"	288.01
4.	मै. एस्काटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स	सी एम टी एस	44.34
5.	मै. हेक्साकॉम इंडिया लि.	"	57.81
6.	मै. जे टी मोबाइल्स लि.	"	711.98
7.	मै. कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.	"	366.69
8.	मै. मोदीकॉम नेटवर्क प्रा. लि.	"	263.73
9.	मै. आरपीजी सेलकॉम लि.	"	3.09
10.	मै. रिलायंस टेलीकॉम लि.	"	80.72
11.	मै. टाटा कम्यूनिकेशन्स लि.	"	79.80
12.	मै. बीपीएल यू एस वेस्ट सेल्यूलर	"	207.81

1		2	3
13.	मै. भारती सेल्यूलर	"	24.47
14.	मै. बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशंस	"	22.82
15.	मै. एच. मैक्स टेलीकॉम	"	25.00
16.	मै. मोदी टेलस्ट्रा	"	9.51
17.	मै. आरपीजी सेल्यूलर	"	2.47
18.	मै. स्टरलिंग सेल्यूलर	"	16.71
19.	मै. स्काई सेल कम्यूनिकेशंस	"	3.98
20.	मै. उषा मार्टिन टेलीकॉम	"	0.92
21.	मै. टाटा टेली सर्विसेज	बेसिक	128.13
22.	मै. रिलायंस	"	103.70
23.	मै. भारती टेलीनेट	"	16.35
24.	मै. ह्यूजेस इस्पात	"	422.33
25.	मै. इस्सार कॉमविजन	"	141.02
	जोड़		3601.78

टिप्पणी : उपयुक्त आंकडों में 31-1-99 तक का ब्याज शामिल है।
सीएमटीए : सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा।
बेसिक : बुनियादी दूरसंचार सेवा।

ब्लड बैंकों के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक ऋण

2907. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में ब्लड बैंकों के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है; और

(ग) इसे राज्यवार किस प्रकार उपयोग किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को विश्व बैंक की 84 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है और रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण इस कार्यक्रम का संघटक है। विश्व बैंक ने इस संघटक के लिए कोई पृथक सहायता उपलब्ध नहीं की है। वैसे, रक्त बैंको के आधुनिकीकरण और सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आपूर्ति के लिए 1992–93 से 1998–99 के दौरान कुल 250.02 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) वित्तीय सहायता का पैटर्न संलग्न विवरण–I में दर्शाया गया है। रक्त निरापदता कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 815 रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है। अब तक आधुनिकीकृत किए गए रक्त बैंकों की राज्य संख्या विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

रक्त निरापदता कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का पैटर्न

क.	रक्त संघटक पृथक्करण सुविधाएं	40
ख	उपकरण	रु. 27.69 लाख (एक बार)
ग.	उपभोज्य	रु. 12.00 लाख (प्रति वर्ष)
घ.	एक तकनीकी सहायक का वेतन (2000–3000)	रु. 1.00 लाख (प्रति वर्ष)

ङ.	आकस्मिक व्यय	रु. 1.00 लाख (प्रतिवर्ष)
	योग :–	रु. 41.69 लाख (प्रतिवर्ष)
	रक्त बैंको का आधुनिकीकरण :–	
(I)	प्रमुख रक्त बैंक	
च.	उपकरण	रु. 3.19 लाख (एक बार)
छ.	उपभोज्य	रु. 3.00 लाख (प्रतिवर्ष)
ज.	एक तकनीशियन का वेतन	रु. 0.60 लाख (प्रतिवर्ष)
	योग :	रु. 6.79 लाख (प्रतिवर्ष)
(II)	जिला स्तर रक्त बैंक	
झ.	उपकरण	रु. 1.25 लाख (एक बार)
ञ.	उपभोज्य	रु. 1.25 लाख (प्रतिवर्ष)
ट.	एक तकनीशियन का वेतन	रु. 0.60 लाख (प्रतिवर्ष)
	योग :	रु. 3.10 लाख
	जौनल रक्त परीक्षण केन्द्र	
ठ	प्रति जोनल रक्त परीक्षण केन्द्र दो तकनीकी सहायकों का वेतन (1640–2900) (प्रत्येक रक्त बैंक हेतु एक तकनीशियन के बदले में)	रु. 1.20 लाख (प्रतिवर्ष)
ड.	उपभोज्य	रु. 0.30 लाख (प्रतिवर्ष)
ढ.	एचआईवी परीक्षण किटें, गुणवत्ता हेतु किटें और इलिसा रीडर्स यथापेक्षित	

विवरण-II

आधुनिकीकृत रक्त बैंकों की सूची

क्र.स.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	रक्त बैंको की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	60
2.	अरुणाचल प्रदेश	06
3.	असम	18
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	02
5.	बिहार	51
6.	चंडीगढ़	03
7.	दादरा एवं नगर हवेली	01
8.	दमण एवं दीव	01
9.	दिल्ली	14
10.	गोवा	03
11.	गुजरात	55
12.	हरियाणा	18
13.	हिमाचल प्रदेश	09
14.	जम्मू एवं कश्मीर	13
15.	कर्नाटक	52
16	केरल	35
16.	लक्षद्वीप	01
18.	मध्य प्रदेश	49
19.	महाराष्ट्र	71
20.	मणिपुर	03
21.	मेघालय	03
22.	मिजोरम	04
23.	नागालैंड	03
24.	उड़ीसा	45
25.	पांडिचेरी	02
26.	पंजाब	32

1	2	3
27.	राजस्थान	18
28.	सिक्किम	02
29.	तमिलनाडु	93
30.	त्रिपुरा	06
31.	उत्तर प्रदेश	68
32.	पश्चिम बंगाल	74
	योग	815

उच्च-तकनीकी उपस्करों के लिए दिशा-निर्देश

2908. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के सरकारी अस्पतालों में उच्च तकनीकी उपस्करों के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा क्या दिशा–निर्देश दिये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक को उच्च–तकनीकी उपस्कर प्राप्त करने हेतु कोई सहायता जारी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एलिजमलाई) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने उच्च तकनीकी उपस्करों के संबंध में कोई दिशा–निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है और यह संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपने नियंत्रणाधीन अस्पतालों में उपस्कर उपलब्ध कराएं। उच्च तकनीकी उपस्कर प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक को दी गई सहायता से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

2909. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में छोटे–मोटे अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी. सी. एस. (एम. ए.) नियमों में संशोधन

2910. श्री विठ्ठल तुपे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्रों में नहीं रहने वाले केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों पर सी.सी.एम. (एम. ए.) नियम 1944 को लागू किया जाना सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधनों को जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्रों से बाहर रहने वाले केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों पर सी. एस. (एम. ए.) नियम, 1944 को लागू किये जाने संबंधी मुद्दा अभी सरकार की जांच के अधीन है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं

2911. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवा के उपभोक्ताओं इन सेवाओं के जम्मू में उपलब्ध न होने के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं को जम्मू में भी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं। जम्मू में इंटरनेट नोड पहले से ही काम कर रहा है।

(ख) उक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

2912. श्री महेश कनोडिया :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री विकास चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पाटन क्षेत्र, महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले और आसनसोल क्षेत्र में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजो के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन–पत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंजवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने और टेलीफोन एकसचेंजो के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जहां कहीं उक्त क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार के लिए आवश्यकता है वहां उपस्कर और सामग्री की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। 28.2.99 तक प्रतीक्षा सूची को आगामी वित्त वर्ष 1999–2000 के दौरान उत्तरोत्तर रुप से निपटाये जाने की आशा है।

विवरण

गुजरात के पाटन क्षेत्र में

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	28.2.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अमरपुरा	76
2.	बलीसाना	198
3.	भीलवां	56
4.	चन्दूमाना	2
5.	दुर्धमपुरा	26
6.	जंगराल	101
7.	कमलीवाडा	150
8.	कनसा	63
9.	कटरा	20
10.	खिमियाना	26
11.	कुंघेर	59
12.	पाली	138
13.	पाटन	355
14.	राखुज	125
15.	सरियाड	58
16.	थ्यांड	50

महाराष्ट्र में जिला रायगढ़

1.	अलीबाग सिटी	103
2.	सासावाने	12
3.	थाल	08
4.	जिराड	07
5.	हसवारे	07
6.	कुरदस	06
7.	नागांव	03
8.	परहुर	06
9.	पोयनाड	24
10.	बोरलीमांडला	01
11.	मुरूड	06
12.	नंदगांव	05
13.	खोपोली	210
14.	महद सिटी	32
15.	बीरवाडी	06
16.	चिमभावा	01
17.	महदएमआईडीसी	02
18.	नगांव (महद)	01
19.	नाथे	01
20.	दुडिल	15
21.	वरेंध	01
22.	विनेरे	06
23.	पैथन	07
24.	पोलाडपुर	04
25.	वावे	02
26.	गोरेगांव	07
27.	साई	01
28.	मानगांव	01
29.	ताल	07

1	2	3
30.	तलशेय	02
31.	विले	01
32.	अम्बेट	01
33.	ख्यामगांव	03
34.	लिपिनवावे	02
35.	मुजगांव	02
	टमहाने	
36.	मेडाडी	05
37.	महसाला	06
38.	अरावी	03
39.	बगमंडला	01
40.	पंगलोली	02
41.	बोरलीपंचायटन	07
42.	साईगांव	01
43.	पाली	01
44.	पेडाली	01
45.	जिटे	03
46.	जोहे	01
47.	पेन	18
48.	वरसाई	01
49.	घोसाला	02
50.	कोलाइ	06
51.	मेडा	01
52.	रोहा	14
53.	सुटटरवाडी	05
54.	काडवा	10
55.	करजाट	05
56.	कालम्ब	03
57.	नेराल	07
58.	चिरनेर	03
59.	पालस्पे	42
60.	पिरकोन	34
61.	बारपाडा	02
62.	खानवाले	10
63.	पतालगंगा	01

1	2	3
आसनसोल क्षेत्र के लिए		
1.	अडाल	19
2.	आसनसोल	514
3.	बहुला	20
4.	बरकार	70
5.	बोगरा	7
6.	बुरनपुर	170
7.	चिन्चुरिया	1
8.	चितरंजन	264
9.	चुरुलिया	0
10.	डोमोहानी	14
11.	जमुरियाहाट	4
12.	झाझंरा	4
13.	कजोरा	12
14.	कुलटी	67
15.	कुमारपुर	128
16.	न्यामाईपुर	0
17.	नुतनडंगा	66
18.	पंडवेसवर	14
19.	पनुरिया	35
20.	रानीगंज	189
21.	रुपनारायणपुर	31
22.	उखरा	46

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

2913. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विद्युत** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में विद्युत क्षेत्र में 10,306 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या है जिनके लिए यह ऋण स्वीकृत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किन किन राज्यों में इन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है और उससे कुल कितना विद्युत उत्पादन होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन ने चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों अर्थात् अप्रैल, 1998 से दिसंबर, 1998 से दिसंबर, 1998 तक 2662 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। विद्युत परियोजनाओं/परामर्शी सेवाओं/अध्ययन कार्य के नाम तथा उन राज्यों के नाम इंगित करने वाली सूची, जिन्हें ये ऋण स्वीकृत किए गए हैं विवरण के रूप में संलग्न है। जिन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को ऋण स्वीकृत किए गए हैं उनसे प्राप्त किया जाने वाला कुल विद्युत उत्पादन 3040 मे.वा. अनुमानित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/राविबो	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
क. परियोजना ऋण			
1.	पू.क्षे. से 220/132 के.वी.एस./एस नरकट्टापल्ली एवं विद्युत अंतरण लाईन्स	एपीएसईबी	57.60
2.	नामरूप टीपीएस यूनिट–1 से 6 का आर एंड एम	एएसईबी	30.30
3.	लकवा टीपीएस यूनिट–1 से 7 का आर एंड एम	एएसईबी	53.35
4.	चन्द्रपुर टीपीएस यूनिट–1 का आर एंड एम	एएसईबी	4.28
5.	बनाकबोरी टीपीएस चरण–2 का अतिरिक्त आर एंड एम	जीईबी	63.00
6.	500 एमवीएआर एचटी कैपेसिटर बैंकस	जीईबी	15.80
7.	220 केवी डी/सी मंगरौल–महोबा मंगरौल–जगोडिया लाइन्स एवं एस/एस	जीईबी	26.30
8.	तूफान से क्षतिग्रस्त 220/132 के.वी. पारेषण लाइनों एवं उस्करों का प्रतिस्थापन	जीईबी	20.60
9.	तूफान से क्षतिग्रस्त यूडी प्रणली उपस्कर का प्रतिस्थापन	जीईबी	3.56
10.	पानीपत टीपीएस यूनिट–6	एचएसईबी	300.00
11.	पोंग एचईपी का आर.एम.एवं यू	हरियाणा सरकार	0.90
12.	71 एमवीएआर कैपेस्टिर बैंक	एचपीएसईबी	2.70
13.	220 के.वी. थीर–जस्सोर एस/एस का विस्तार	एचपीएसईबी	5.70
14.	220 के.वी. जस्सोर एस/एस का विस्तार	एचपीएसईबी	3.10
15.	परवानू एवं संबद्ध कार्यों में 66/11 के.वी. स्थानांतरण	एचपीएसईबी	1.60
16.	लोअर पेरिया एचईपी	केएसईबी	9.00
17.	पोरिंगलकुथू बायां तट विस्तार एचईपी	केएसईबी	2.60
18.	बाणसागर टोन्स एचईपी (कॉन वाटर कैरियर तथा हैड रेग्यूलेटर)	एमपीईबी	92.00
19.	बाणसागर टोन्स एचईपी चरण–2 एवं चरण–3	एमपीईबी	93.00
20.	चन्द्रपुर टीपीएस का आर एंड एम	एमएसईबी	24.30
21.	भुसावल टीपीएस का अतिरिक्त आर एंड एम	एमएसईबी	5.75

1	2	3	4
22.	खापरखेड़ा टीपीएस का अतिरिक्त आर एंड एम	एमएसईबी	11.00
23.	परली टीपीएस का अतिरिक्त आर एंड एम	एमएसईबी	14.50
24.	खापरखेड़ा टीपीएस विस्तार यूनिट–3 व 4 से विद्युत का अंतरण	एमएसईबी	50.50
25.	जिला बीड में 220 के.वी.एस./एस	एमएसईबी	39.00
26.	जिला पुणे (फुरसुंगी) में 220 के.वी.एस./एस	एमएसईबी	32.00
27.	अम्बरनाथ	एमएसईबी	9.90
28.	बदला पुर	एमएसईबी	4.80
29.	बसई–विरार	एमएसईबी	5.80
30.	धुले	एमएसईबी	9.30
31.	कऊत्लाबंग लघु जल विद्युत परियोजना	मिजोरम	3.43
32.	तीरी लघुजल विद्युत परियोजना	मिजोरम	5.00
33.	तुईपांग लुई लघु जल विद्युत परियोजना	मिजोरम	3.60
34.	दीमापुर एवं कोहिमा में मीटर टैस्टिंग लैब्स	नागालैंड	3.80
35.	बालीमेल एचईपी विस्तार यूनिट–7 व 8	ओएचपीसी	37.10
36.	जालंधर	पीएसईबी	22.40
37.	सूरतगढ़ बेपीएस यूनिट–2	आरएसईबी	300.00
38.	पोंग एचईपी का आर एम एंड यू	राजस्थान सरकार	3.10
39.	एन्नौर टीपीएस का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	टीएनईबी	239.00
40.	230 के.वी डी/सी मेत्तूर–होसुर मिसिंग पारेषण लिंक एवं संबद्ध कार्य	टी एन ई बी	42.00
41.	अम्बुर	टीएनईबी	26.60
42.	त्रिपत्तूर	टीएनईबी	3.70
43.	वनियमबड़ी	टीएनईबी	3.60
44.	अलियार लघु जल विद्युत परियोजना	टीएनईबी	5.00
45.	मुकुरुथी मिनी एचईपी	टीएनईबी	2.50
46.	पूरुनचानी बांध मिनी एचईपी	टीएनईबी	3.50
47.	त्रिमूर्ति बांध मिनी एचईपी	टीएनईबी	6.00
48.	लखनऊ में डीएमएस के लिए स्टडी फेज–1	यूपीएसईबी	1.46
49.	डीपीएल केन्द्र का आर एंड एम एवं एलई	डीपीएल	286.82
50.	पोंडा एस/एस में 220/33 के.वी. ट्रांसफर	गोवा	4.40
51.	महेश्वर एचईपी	महेश्वर	80.33
52.	कृष्णा जिला में नापथा आधारित सीसीजीटी	कोंडा पीसीएल	216.50
53.	सिही में तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजना	मैगनम	7.60

1	2	3	4
54.	बस्पा–2 एचईपी	जेपीएचपीएल	170.00
55.	2x525 मे.वा. नार्थ चेन्नई टीपीपी चरण–2	वीडियोकोन	200.00
(ख)	**परामर्शी/अध्ययन लोन**		
1.	मॉडल पुनर्स्थापन	जीईबी	0.54
2.	वीएसएटी संचार	टीएनईबी	0.47
3.	3 एचईपी आरएलए अध्ययन	टीएनईबी	0.67
4.	वितरण प्रणाली का रिफोर्म/पीवीटी	गोवा	5.50
5.	वाइड एरिया डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क (चरण–1)	जीईबी	9.52
	कुल जोड़ :		2682.37

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

2914. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से कोई अभयावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 14 और 47 की हालत

2915. श्री पी. शंकरन :

श्री ए. सी. जोस :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 47 जीर्ण–शीर्ण हालत में है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को मरम्मत और रखरखाव के लिए गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित की गई धनराशि अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वास्तव में कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण को अतिरिक्त धनराशि जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं। केरल से गुजरने वाले रा.रा.–47 को उपलब्ध संसाधनों के तहत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। रा.रा.14 केरल से नहीं गुजरता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) केरल सरकार ने केरल से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों रख–रखाव और मरम्मत हेतु 26.21 करोड़ रु. की मांग की है। 1998–99 में रख–रखाव और मरम्मत हेतु 18.49 करोड़ रु. आबंटित किए गए। अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच में 6.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि प्रदान की गई है।

डीजल का मूल्य

2916. श्री के. येरनमायडू : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति के अनुसार विश्व बाजार में डीजल के मूल्यों के अनुसार इसके मूल्यों में हर महीने संशोधन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो नीति को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले दस महीनों के दौरान कितनी बार डीजल के मूल्यों में संशोधन किया गया?

पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने तेल पूल घाटे को समाप्त करने के लिए 1 सितंबर, 1997 को एक व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि भविष्य में एच एस डी का मूल्य आयात समता आधार पर होगा, जो सामान्यतया मासिक आधार पर नियत किया जाएगा। तदनुसार पिछले दस महीनों के दौरान एच एस डी के भंडारण स्थल तक के मूल्य में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :

प्रभावी तारीखें	भंडारण स्थल तक के मूल्य (उत्पाद शुल्क आदि को छोड़कर) रुपए/कि.ली.
20.05.98	7536.89
09.01.99	6722.37
28.02.99	6621.76

महाराष्ट्र में निर्माणाधीन परियोजनाएं

2917. श्री मदन पाटील : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित की जा रही निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनावार तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा इन परियोजनाओं के लिए आज तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) उन पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कुल 25 परियोजनाएं चल रही हैं।

(ख) इन 25 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 1934.06 लाख रुपये है।

(ग) पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र राज्य को के.स.नि. के अंतर्गत कुल 1507.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(घ) इन 25 परियोजनाओं पर मार्च, 98 तक 551.59 लाख रुपये की राशि खर्च हो चुकी है।

स्वंतत्र विद्युत परियोजनाएं

2918. श्री सत्यनाम सिंह कैंथ : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत वित्त निगम से कहा है कि वे शीघ्र निबटारे के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों पर कार्यवाही हेतु एक मानक प्रलेख प्रालेख प्रारूप तैयार करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अस्पताल से निकलने वाले कचरे के निपटान से संबंधित नियमों का उल्लघंन

2919. डॉ. सरोज वी. : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अस्पताल से निकलने वाले कचरे के निपटान से संबंधित नियमों के उल्लंघन के मामले ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या काईवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में अस्पताल के कचरे के निपटान के बारे में नियमों के उल्लंघन का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डॉ. बी.एल. वडेहरा बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के नर्णय के संदर्भ में दिल्ली में अस्पतालों के निरीक्षण किये और जिन अस्पातालों ने इसके लिए कोई उपाय नहीं किया है, उनसे आवश्यक ऐतिहाती उपाय करने के लिए कहा गया है।

डाकघरों की सुरक्षा में वृद्धि करना

2920. श्री नरेश पुगलीया :

डॉ. शकील अहमद :

श्री यू. वी. कृष्णमराजू :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाकघरों को लूटने की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में घटी ऐसी घटनाओं की संख्या क्या है और इसमें राज्यवार कुल कितनी धनराशि लूटी गई;

(ग) क्या सरकार ने देश में विभिन्न डाकघरों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए किसी कदम पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में डाकघर लूटने (चोरी, लूटमार व डकैती सहित) के 483 मामले आए हैं।

(ख)

राज्य	घटनाओं की संख्या	राशि (रु. में)
आंध्र प्रदेश	5	4,16,146,00
असम	39	3,68,443.00
बिहार	72	23,37,556.92
दिल्ली	2	4,89,078.00
गुजरात	31	3,42,194.00
हरियाणा	3	12,52,736.05
हिमाचल प्रदेश	शून्य	
जम्मू व कश्मीर	शून्य	
कर्नाटक	63	6,39,140.89
केरल	197	65,421.20
महाराष्ट्र	शून्य	
गोवा	शून्य	
उत्तर–पूर्व	1	4,072.25
उड़ीसा	26	2,06,706.68
पंजाब	2	22,883.00
राजस्थान	2	5,04,800.00
तमिलनाडु	शून्य	
उत्तर प्रदेश	34	10,55,273.00
पश्चिम बंगाल	6	2,54,091.13
सिक्किम	शून्य	
सर्वयोग:	483	79,58,542,12

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने देश के विभिन्न डाकघरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल उच्च पुलिस प्राधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं तथा महत्वपूर्ण व अतिसंवेदनशील डाकघरों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस तथा होमगार्ड के सिपाही तैनात किए गए हैं। विभाग द्वारा अनेक रात्रि पहरेदार पहले ही तैनात कर दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित डाकघरों के आस–पास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।

बैंक तथा कोषागार से डाकघरों तक और डाकघरों से बैंक तथा कोषागार तक नकदी लाने–ले–जाने के समय पुलिस अभिरक्षक तैनात किया जाता है।

कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में चोर अलार्म्स व सायरन बैल्स भी मुहैया कराई गई हैं। डाकघरों के प्रवेश द्वारों पर लोहे की मजबूत जंजीरे भी लगाई गई हैं जिनकी वजह से गेट पूरी तरह नहीं खुल पाते है। कोषागार परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को अनुमति नहीं दी जाती है। कुछ डाकघरों में पुलिस के जवान अस्थाई तौर पर चौबीसों घण्टे तैनात किए गए हैं।

सभी पोस्टमास्टरों को इस आशय के कड़े निदेश दिए गए हैं कि वे ऐसे डाकघरों में भारी मात्रा में नकदी को रात भर रखने से बचें जिनमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। कुछ राज्यों में, डाकघर की नकदी तथा डाक–टिकटें रात भर पुलिस स्टेशनों में रखी जाती हैं। चोरी, लूटमार व डकैती के सभी मामलों में बाहरी व्यक्ति शामिल थे तथा इन मामलों की सूचना तत्काल पुलिस प्राधिकारियों को दी गई जिन्होंने तत्काल जांच–पड़ताल प्रारंभ कर दी।

(ङ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

नीम हकीम

2921. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कार्य कर रहे नीम हकीमों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) देश में कार्यरत नीम–हकीमों की संख्या का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में इस आशय के दाण्डिक उपबन्ध पहले से ही हैं कि राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज चिकित्सक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा और इस उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक की अवधि का कारावास अथवा जुर्माना जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, अथवा दोनों, हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त सरकार ने आधुनिक चिकित्सा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी में डिग्री आदि प्रदान करने वाली अनाधिकृत संस्थाओं तथा इन प्रणालियों में अनर्हक व्यक्तियों द्वारा प्रैक्टिस किए जाने पर रोक लगाने के लिए विधान बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना

2922. श्री बालासहिब विखे पाटील :

डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आम जनता के लिए कोई व्यापक स्वास्थ्य योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभवना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है। किसी खास राज्य की जनता के लिए कोई व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना बनाने का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। तथापि, देश में कई चिकित्सा बीमा पॉलिसियां उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति आवश्यक प्रीमियम अदा करके बीमा कंपनियों से उन पॉलिसियों को खरीद सकता है।

केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटन

2923. श्रीमती जयंती पटनायक :

श्री राजो सिंह :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार केन्द्रीय सड़क निधि से कितनी राशि आबंटित की गयी है;

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि के साथ राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र वार किन–किन परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है;

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी धनराशि नियत किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अतिरिक्त धनराशि हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी/की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के तहत आबंटित राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) 1999–2000 के लिए अनुदान मागें अभी संसद ने पारित नहीं की हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) सी आर एफ के तहत निधियों का आबंटन, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पैट्रोल की खपत के आधार पर संचित राशि, स्वीकृत स्कीमों और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त किया जाता है। वर्ष 1998–99 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आबंटन विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	149.00	177.00	312.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	21.00	18.00	39.00
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	3.00	4.00
5.	बिहार	25.00	10.00	10.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	61.00
7.	दादरा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
8.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
9.	दिल्ली	0.00	104.00	106.00
10.	गोवा	0.00	7.00	7.00
11.	गुजरात	139.00	114.00	116.00
12.	हरियाणा	138.00	112.00	130.00
13.	हिमाचल प्रदेश	2.00	1.00	25.00
14.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	5.00

1	2	3	4	5
15.	कर्नाटक	110.00	170.00	266.00
16.	केरल	17.00	6.00	321.00
17.	मध्य प्रदेश	74.00	98.00	99.00
18.	महाराष्ट्र	172.00	62.00	63.00
19.	मणिपुर	0.00	0.00	13.00
20.	मेघालय	1.00	0.00	0.48
21.	मिजोरम	1.00	1.00	10.49
22.	नागालैंड	6.00	2.00	2.02
23.	उड़ीसा	4.00	2.00	2.15
24.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
25.	पंजाब	213.00	202.00	343.00
26.	राजस्थान	57.00	51.00	133.00
27.	सिक्किम	1.00	0.00	0.67
28.	तमिलनाडु	129.00	78.00	309.00
29.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.19
30.	उत्तर प्रदेश	111.00	173.00	334.00
31.	पश्चिम बंगाल	130.00	108.00	145.00
	योग	1500.00	1499.00	2857.00

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सितम्बर, 98 को समाप्त तिमाही तक चालू सी आर एफ कार्यों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	3
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0
5.	बिहार	3
6.	चंडीगढ़	3
7.	दादरा नगर हवेली	0
7.	दमन व दीव	0
9.	दिल्ली	6
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	4
12.	हरियाणा	6
13.	हिमाचल प्रदेश	2
14.	जम्मू और कश्मीर	1
15.	कर्नाटक	12
16.	केरल	11
17.	मध्य प्रदेश	5
18.	महाराष्ट्र	25
19.	मणिपुर	0
20.	मेघालय	1
21.	मिजोरम	0
22.	नागालैंड	0
23.	उड़ीसा	3
24.	पांडिचेरी	0
25.	पंजाब	3
26.	राजस्थान	6
27.	सिक्किम	0
28.	तमिलनाडु	14
29.	त्रिपुरा	1
30	उत्तर प्रदेश	4
31.	पश्चिम बंगाल	3

विवरण-III

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998–99
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	261.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	असम	34.43
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.22
5.	बिहार	2.31
6.	चंडीगढ़	59.77
7.	दादरा नगर हवेली	0.00
8.	दमन व दीव	0.00
9.	दिल्ली	26.25
10.	गोवा	2.09
11.	गुजरात	613.91
12.	हरियाणा	33.12

1	2	3
13.	हिमाचल प्रदेश	6.49
14.	जम्मू और कश्मीर	1.52
15.	कर्नाटक	245.67
16.	केरल	187.04
17.	मध्य प्रदेश	25.27
18.	महाराष्ट्र	15.80
19.	मणिपुर	3.11
20.	मेघालय	55.26
21.	मिजोरम	5.32
22.	नागालैंड	32.17
23.	उड़ीसा	155.75
24.	पांडिचेरी	0.00
25.	पंजाब	192.81
26.	राजस्थान	127.46
28.	सिक्किम	0.00
28.	तमिलनाडु	401.39
29.	त्रिपुरा	19.39
30.	उत्तर प्रदेश	285.21
31.	पश्चिम बंगाल	132.17
	योग	2925.24

बाघ परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा

2924. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में बाघ परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) "बाघ वर्ष" मनाने हेतु बनाऐ गए कार्यक्रम/योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) बाघ परियोजनाओं संबंधी पता लगाई गई मुख्य समस्याएं तथा तैयार की गई उपचारात्मक कार्य योजना क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष और नौवीं योजना अवधि के लिए आबंटित वित्तीय आबंटनों तथा नई परियोजनाओं के विस्तार/स्थापना संबंधी भौतिक लक्ष्यों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) प्रत्येक बाघ आरक्षित क्षेत्र में समय–समय पर बाघों तथा उसके शिकार जानवरों की संख्या का मॉनीटरिंग संबंधी कार्य किया जाता है।

(ख) बाघ आरक्षित क्षेत्रों में किए गए पिछले आनुक्रमिक अनुमानों के अनुसार बाघों की संख्या संबंधी आंकड़े विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) "बाघ वर्ष" मनाने हेतु तैयार किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं संबंधी ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(घ) बाघ आरक्षित क्षेत्रों की बड़ी समस्याऐं तथा उन्हें हल करने संबंधी उठाए गए उपायों की संक्षिप्त समीक्षा जानकारी विवरण–III में दी गई है।

(ङ) हालांकि नौवीं योजना में बाघ परियोजना के तहत 75 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा गया है तथापि 1998–99 का वार्षिक बजट 17 करोड़ रुपए का है। नौवीं योजना के सम्भावित, वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों संबंधी ब्यौरा विवरण–IV में दे दिए गए हैं।

सरकार ने नौवीं योजना के दौरान छः नए बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है जिनमें से कर्नाटक में भादरा तथा महाराष्ट्र में पेंच को पहले ही बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या।

क्र.स.	आरक्षित क्षेत्र का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1995	1997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	10	39	53	50	66	74	75
2.	कार्बेट (उत्तर प्रदेश)	44	84	90	91	123	128	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	कन्हा (मध्यप्रदेश)	43	71	109	97	100	97	114
4.	मानस (असम)	31	69	123	92	81	94	125
5.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	27	63	80	77	72	71	73
6.	पालामऊ (बिहार)	22	37	62	55	44	47	44
7.	रणथम्भौर (राजस्थान)	14	25	38	44	36	38	32
8.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	17	65	71	93	95	97	98
9.	सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल)	60	205	264	269	251	242	263
10.	सरिसका (राजस्थान)	–	19	26	19	24	25	24
11.	बक्सा (पश्चिम बंगाल)	–	–	15	33	29	31	32
12.	इन्द्रावती (मध्य प्रदेश)	–	–	38	28	18	15	15
13.	नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश)	–	–	65	94	44	34	39
14.	नामदफा (अरुणाचल प्रदेश)	–	–	43	47	47	52	57
15.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	–	–	–	90	94	98	104
16.	कालाकाड (तमिलनाडु)	–	–	–	22	17	16	28
17.	बाल्मिकी (बिहार)	–	–	–	81	49	एन.आर.	53
18.	पेंच (मध्य प्रदेश)	–	–	–	–	39	27	29
19.	टाडोबा (महाराष्ट्र)	–	–	–	–	34	36	42
20.	बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	–	–	–	–	41	46	46
21.	फन्ना (मध्य प्रदेश)	–	–	–	–	25	22	22
22.	डम्फा (मिजोरम)	–	–	–	–	7	4	5
	कुल	268	677	1077	1282	1336	1294	1458
23.	पेरियार (केरल)	–	34	44	45	30	39	एन आर.

एन. आर. – राज्यों द्वारा सूचित नहीं किया गया।

विवरण-II

बाघ परियोजना के 25वें के दौरान आयोजित किए जाने कार्यकलापों का कैलेंडर

क्र.सं.	इवेंट/कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1	2	3	4
1.	बाघ नियंत्रण कक्ष की स्थापना	बाघ परियोजना कार्यालय नई दिल्ली	20.8.98
2.	बाघ परियोजना की 25वीं वर्षगंठ मनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला	भवन	19–21 नव., 1998
3.	बाघ संरक्षण में विश्वयापी सहयोग पर अंतराष्ट्रीय कार्यशाला	नई दिल्ली	3–5 मार्च, 99
4.	बाघ परियोजना पर स्थिति रिपोर्ट जारी करना।	नई दिल्ली	3 मार्च, 99
5.	बाघ परियोजना पर सी.डी.रोम जारी करना	नई दिल्ली	मार्च, 99
6.	बाघ संरक्षण पर क्षेत्रीय कार्यशाला		

1	2	3	4
क.	दक्षिणी क्षेत्र	बांदीपुर टी.आर/ बंगलौर, कर्नाटक	दिसम्बर, 98
ख.	पूर्वी क्षेत्र	सुन्दरबन टी.आर. प. बंगाल पालामाऊ, टी. आर. विहार	जनवरी, 99
ग.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	नामदफा टी. आर. अरुणाचल प्रदेश	फरवरी, 99
घ.	पश्चिमी क्षेत्र	तडोबा टी. आर. महाराष्ट्र	फरवरी, 99
ड.	उत्तरी क्षेत्र	दुधवा टी. आर. उत्तर प्रदेश	अप्रैल, 99

विवरण-III

बाघ आरक्षित क्षेत्रों में मुख्य समस्याएं तथा उनके उपचारात्मक उपाय।

बाघ आरक्षित में मुख्य समस्याएं

1. अपर्याप्त ढांचागत सुविधाएं तथा सुरक्षा नेटवर्क
2. कर्मचारियों की रिक्तियों संबंधी स्थिति
3. मानव–जानवर संघर्ष
4. राज्य सरकारों द्वारा बाघ आरक्षित क्षेत्रों को केन्द्रीय धनराशि जारी करने में विलम्ब
5. कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होना तथा कुछ निर्धारित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियां
6. बाघ आरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में बाघ के आवास स्थलों का विखंडन

उपचारात्मक उपाय

1. नौंवी योजना अवधि के लिए 75.00 करोड़ रु. का बजट आबंटन निर्धारित किया गया है जो आठवीं योजना के 40.00 करोड़ के बजट आबंटन का लगभग दुगना है। बढ़ी हुई बजट राशि बाघ आरक्षित क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं तथा सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ़ करने में सहायक होगी।
2. बाघ आरक्षित क्षेत्रों में कर्मचारियों की रिक्तियां भरने संबंधी मामला राज्य सरकारें के साथ उठाया गया है।
3. मानव–जानवर संघर्ष की समस्या को हल करने के लिए जंगली जानवरों, विशेषकर बाघों द्वारा मानव जीवन की हानि तथा सम्पत्ति के हुए नुकसान के लिए स्थानीय लोगों द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति दावों का पर्याप्त तथा शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए गए हैं। गैर–सरकारी संगठनों से भी सहायता मिल रही है।
4. बाघ आरक्षित क्षेत्रों को केन्द्रीय धनराशि समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण की स्थापना पर विचार किया गया है।
5. सरकार द्वारा की गई मुख्य शुरूआतों के तहत, कठिनाई ग्रस्त बाघ आरक्षित क्षेत्रों में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु 100 प्रतिशत केन्दीय सहायता से सशस्त्र दलों की तैनाती करना है।
6. सीमांत क्षेत्रों के बेहतर ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार्य गलियारों तथा प्रतिरोधक क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।

विवरण-IV

नौवीं योजना के दौरान बाघ परियोजना स्कीम के तहत मुख्य गतिविधियों के पूर्वानुमानित वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	गतिविधि	वास्तविक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	आवास स्थल का सुधार विदेशी खरपतवार उन्मूलन चरागाह विकास	8000 है.	1.70
2.	आग से सुरक्षा नई "फायर लाईन्स का सृजन"	350 कि. मी.	0.60
3.	जल विकास	क–एनिक्टस स. 50 ख–टैंक पौंड सं. 100 ग–वाटर होल्स सं. 75	1.70
4.	भवनों का निर्माण कार्यालय भवन, आर. एफ. ओ. फोरेस्टर, फोरेस्ट गार्ड क्वार्टरस, चैक नाके वॉच टावर तथा अन्य बाउंडरी वाल्स	सं. 400	3.40
5.	सड़कों का निर्माण/सुधार	165 कि.मी.	4.00
6.	वॉयरलैस नेटवर्क	वायरलैस स्टेशन (सं. 50) वायरलैस सैट (सं. 100) वाचटावर सैट (सं. 500)	0.85
5.	प्रतिस्थापन तथा नए वाहनों की खरीद	जीप/कार (सं. 80) मोटरसाईकिल (सं. 100) अन्य (सं. 20)	2.50
8.	हथियार/गोली बारुद	सं. 150	0.20
9.	अनुसंधान, मॉनीटरिंग तथा संख्या संबंधी अनुमान (सभी बाघ रेंज राज्यों हेतु)	–	4.75
10.	अवैध शिकार विरोधी गतिविधियां (प्रत्येक बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट प्रहार बल का सृजन)	–	6.50
11.	पूरे देश में मानव मौत/पशुओं के मारेजाने हेतु क्षतिपूर्ति	–	1.70
12.	गैर–आदिवासी परिवारों का बाघ आरक्षित क्षेत्रों सहित सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर पुर्नस्थापन	सं.200	1.70

1	2	3	4
13.	जन चेतना कार्यक्रम	–	1.70
14.	बाघ परियोजना भत्ता	–	4.30
15.	वेतन तथा सामान्य भत्ते	–	16.00
16.	विद्यमान अवसंरचना/सम्पदाओं का रखरखाव		14.00
17.	छः नए बाघ आरक्षित क्षेत्रों का सृजन		9.40
			75.00

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी, पेट्रोटेक

2925. श्री अभयसिंह एस. भौंसले :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नयी दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 99 आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई और इस प्रदर्शनी का विषय क्या था और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उक्त सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था; और

(घ) इससे पेट्रो क्षेत्र को किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) नई दिल्ली में तीसरा अंतराष्ट्रीय पेट्रोलियम सम्मेलन व प्रदर्शनी "पेट्रोटेक–99" का आयोजन 9–12 जनवरी, 1999 के दौरान किया गया था। सम्मेलन का मुख्य विषय – 21वीं सदी में तेल और गैस उद्योग संभावना चुनौतियां तथा अवसर" था। सम्मेलन में चर्चित विषय, प्राकृतिक गैस तथा कोल बेड मिथेन सहित अपस्ट्रीम तथा डाऊनस्ट्रीम दोनों क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन उद्योग के सभी पहलूओं से संबंधित थे। इन विषयों के पांच बड़े समूहों नामतः (1) हाईड्रोकार्बन अन्वेषण, (2) वेधन रिजर्वायर एवं उत्पादन प्रबंध, (3) ईधन व स्नेहक, (4) रिफाइनरी एवं पाइपलाइन तथा (5) पेट्रोरसायन एवं पेट्रोलियम प्रबंध, में बांटा जा सकता है। सम्मेलन में 38 देशों ने भाग लिया।

(घ) सम्मेलन में, भारत अपने पेट्रोलियम क्षेत्र में किए गए विकासों को सफलतापूर्वक उजागर करने तथा भावी निवेश परिदृश्य को भी केन्द्रित करने में सफल रहा था। पेट्रोटेक–99, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं तथा कार्यनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों तथा निवेशकों को मिलकर कार्य करने के तथा जानकारी का आदान–प्रदान करने तथा लाभों के इष्टतमीकरण के एक मात्र प्रयोजन के साथ सार्वभौमिक सहयोग तथा मातृभूमि पर जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। इससे भारतीय हाइड्रोकार्वन क्षेत्रों में नई प्रोद्यौगिकियों के साथ–साथ विदेशी निवेश को आमंत्रित करने की भी संभावना बढ़ी है।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991

2926. श्री सुरेश कुरुप :

श्री टी. गोविन्दन :

श्री ए. सी. जोस :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के विरुद्ध कतिपय राज्यों ने शिकायतें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा क्या कारण बताए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन शिकायतों के संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा[illegible] का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) से (ङ) कुछ तटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों को उठाया था। तटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं:–

1. प्रारुप अधिसूचना में प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषा।
2. तटवर्ती विनियमन क्षेत्र (सी आर जैड) की रुपरेखा का

आधार।

3. प्रतिबंधित की जाने वाली गतिविधियां।

4. अनुमति दी जाने वाली गतिविधियां।

5. विकास विनियमन के लिए तटवर्ती विनियमन क्षेत्र को वर्गीकृत करने का आधार।

6. तटवर्ती विनियमन क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए मानक।

7. तटवर्ती विनियमन क्षेत्र के विनियमन के साथ–साथ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की विकास योजनाओं और तटवर्ती विनियमन क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति।

8. विनियमित क्षेत्रों में राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की शक्तियां।

9. अधिसूचना के उपबंधों का कार्यान्वयन।

10. स्थानीय निवासियों के अधिकारों और जीवन–निर्वाह संबंधी मामले।

सरकार के ध्यान में लाए गए विभिन्न मामलों की जांच करने के बाद तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 में शोधन किया गया था। निम्नलिखित समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद उन्हें तटवर्ती विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 में भी शामिल किया गया था :–

1. तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और होटल सुविधाओं तथा संबंधित मामलों की जांच के लिए गठित बी.बी.वोहरा समिति।

2. केरल के तटवर्ती क्षेत्रों से संबंधित कुछ विशिष्ट मामलों की जांच के लिए गठित प्रो. एन बाल कृष्णन नायर समिति।

3. अंडमान और निकोबार के चुनिंदा क्षेत्रों में भू–जल तथा बालू निकासी के संबंध में सलाह देने के लिए गठित फादर सी.जे. साल्दान्हा समिति।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा केन्द्र

2927. श्री रामानंद सिंह :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **अपरांपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की करेंगे कि वर्ष 1998–99 के दौरान सौर ऊर्जा के विकास के लिए केन्द्रीय अनुदान की राज्य–वार कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के संवर्धन और उपयोग के लिए वर्ष 1998–99 के दौरान (9.3.99 तक) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई केन्द्रीय अनुदान की राशि का ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की सौर ऊर्जा योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1998–99 के दौरान (9.3.1999 तक) राज्यवार रिलीज की गई केन्द्रीय अनुदान राशि

क्र.सं.	राज्य	राशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	84.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.20
3.	असम	46.71
4.	बिहार	245.54
5.	दिल्ली	0.00
6.	गोवा	0.85
7.	गुजरात	55.70
8.	हरियाणा	180.51
9.	हिमाचल प्रदेश	78.00
10.	जम्मू व कश्मीर	163.13
11.	कर्नाटक	0.00
12.	केरल	107.26
13.	मध्य प्रदेश	199.00
14.	महाराष्ट्र	21.05
15.	मणिपुर	12.15
16.	मेघालय	18.60
17.	मिजोरम	24.92
18.	नागालैंड	5.23
19.	उड़ीसा	109.60
20.	पंजाब	299.40
21.	राजस्थान	366.21
22.	सिक्किम	1.69
23.	तमिलनाडु	41.61
24.	त्रिपुरा	86.79
25.	उत्तर प्रदेश	511.88

1	2	3
26.	पश्चिम बंगाल	168.75
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00
28.	चंडीगढ़	20.62
29.	दादरा व नागर हवेली	0.00
30.	दमन व दीव	0.00
31.	लक्षद्वीप	51.00
32.	पांडिचेरी	1.70
	कुल	2933.60

दमा के रोगी

2928. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य राज्यों मे दमा के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में भावी कार्यवाही की रुप–रेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) अस्थमा और श्वसनीय विकारों के कारण रूग्णता से सम्बन्धित आंकड़े राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा नेमी तौर पर एकत्र नहीं किए जाते। तथापि, वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से यह पाया गया कि दिल्ली में बाल्यावस्था में अस्थमा की व्याप्तता दर अधिकांश विकासशील देशों की तुलना में काफी अधिक है।

(ख) और (ग) रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा और उपचार सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त सरकार ने प्रदूषण से जुड़ी स्थितियों, जिनमें श्वसनीय रोग भी शामिल हैं, में कमी लाने के लिए पर्यावरणिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु कई उपाय किए हैं।

प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. सरकार ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए एक व्यापक नीति विवरण तैयार किया है, जिसमें विकास, नियोजन के पर्यावरणिक और आर्थिक पहलुओं का एकीकरण करने, प्रदूषण कम करने के निवारक पहलुओं पर बल देने और औद्योगिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए, प्रौद्योगिकी साधनों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

2. उद्योगों के स्थान और प्रचालन के लिए पर्यावरणिक दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं।

3. प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने और भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में उद्योगों को हटाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। प्रदूषण नियंत्रण/मॉनीटरिंग उपस्करों के लिए उद्योगों को उत्पाद और सीमा–शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

4. लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में कामन एफफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

5. छोटे ओर मझोले उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की रोकथाम के लिए सरकार ने लघु उद्योगों के क्षेत्रों में 15 वेस्ट मिनिमाइजिंग सर्किल स्थापित किए हैं।

6. उद्योगों की 79 श्रेणियों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आसपास की हवा और जल गुणवत्ता मानक भी अधिसूचित किए गए है।

7. खतरनाक उद्योगों की 17 क्षेणियों के अन्तर्गत आने वाले बड़े और मझौले इकाइयों में निर्धारित मानकों का कार्यान्वयन देखने के लिए उनकी नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही हैं।

8. जून, 1994 से चार महानगरों– दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में कम लीड वाला पेट्रोल आरम्भ किया गया था। बाद में इन चार महानगरों में 1.4.1995 से बिना लीड वाला पेट्रोल आरंभ किया गया था, और

9. सरकार वाहनों में बिना लीड वाले पेट्रोल का प्रयोग और केटालाइटिक कनवर्टर लगाने और चरणवार–ढंग से क्लीनर डीजल वाहनों के लिए कम सल्फर वाला डीजल आरम्भ करने की कार्रवाई योजना कार्यान्वित कर रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए ईधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ.

2929. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिला–वार कितने एस.टी.डी. आई.एस.डी./पी.सी.ओ. कार्य कर रहें है;

(ख) राज्य में जिला–वार उक्त बूथों की स्थापना के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन आवेदनों पर कब तक कार्रवाई किये जाने और इनकों स्वीकृति किये जाने की संभावना है।

(घ) राज्य में ऐसे कितने एस.टी.डी. आई.एस.डी./पी.सी.ओ. कब से खराब पड़े है; और

(ङ) खराब पड़े बूथों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मधुबनी, बिहार में एल. पी. जी. गैस की आपूर्ति

2930. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के मधुबनी जिले में एल पी जी गैस की मांग की अपेक्षा कितनी आपूर्ति की गई;

(ख) क्या राज्य में एल पी जी की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बिहार के जिला मधुबनी में पिछले 3 वर्षों के लिए पैक्ड एल पी जी की मांग की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा आपूर्त पैक्ड एलपीजी की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	औसत मासिक मांग (मी.ट.)	औसत मासिक आपूर्ति (मी.ट.)
1995–96	65	74
1996–97	73	83
1997–98	81	83
1998–99 (अप्रैल, 98–जन.,99)	100	105

(ख) फिलहाल बिहार राज्य मे पैक्ड एल पी जी की कोई कमी नहीं है और पैक्ड एल पी जी की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा सूचित मांग के अनुसार है।

(ग) उपयुक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बिहार के मधुबनी जिले में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पास सूचीबद्ध वर्तमान उपभोक्ताओं की एल पी जी की मांग कुल मिलाकर पूर्णतया पूरी की जा रही है। तथापि, कानून और व्यवस्था की समस्याओं, बाढ अथवा किसी भी उत्पादन स्रोत पर आपात बंदी आदि के कारण जब कभी भी एल पी जी का बैकलाग उत्पन्न होता है, तब तेल कंपनियां एल पी जी के बैकलाग को समाप्त करने के लिए एल पी जी का आयात अधिकतम करके एवं एल पी जी भरण संयंत्रों का बढ़ाए गए घंटों और रविवारों तथा अवकाश के दिनों में प्रचालन करने के माध्यम से प्रभावित बाजारों में मांग पूरा करने के लिए शीघ्र उपाय करती है।

घोषणा-पत्रों में किए गए वायदों को पूरा करने हेतु कानून

2931. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणा–पत्र में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए उस राजनीतिक दल को उत्तरदायी और जिम्मेदार बनाने हेतु कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोई विधि, यदि इस संबंध में अधिनियमित की गई तो अव्यवहार्य होगी क्योंकि उसका कार्यान्वयन असंभव होने की सीमा तक, बहुत कठिन हो सकता है।

[अनुवाद]

पोलियो के मरीज

2932. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माधवराव पाटील :

श्री के. कृष्णमूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोलियों से पीडित बच्चों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बीमारी को रोकने में पोलियों प्रतिरक्षण कार्यक्रम कहां तक सफल रहा है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक बीमारी की रोकथाम हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोई और प्रतिरक्षा अभियान चलाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) वर्ष 1998 के दौरान पोलियों की 3556 घटनाओं की सूचना मिली। राज्यवार संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) पोलियो की सूचित घटनाएं 1987 में 28257 से कम होकर 1998 में 3556 हो गई है और इस प्रकार 87.4 प्रतिशत की कमी आई है।

(घ) एक ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

(ङ) से (छ) वर्ष 1995–96 से दिसंबर और जनवरी के दौरान पल्स पोलियो टीकाकरण के दो दौरों के अतिरिक्त 1999 और 2000 में तीन अतिरिक्त दौरे आयोजित करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त दौरों में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को कवर किया जाएगा क्योंकि इन राज्यों से बड़ी संख्या में रोगियों की सूचना है। अन्य राज्यों में जहां से 1998 में पोलियो की एक घटना होने की भी सूचना मिली है उनमें आसपास की 100,000 जनसंख्या में बच्चों को टीके लगाये जाएंगे।

विवरण-I

पोलियो के रोगियों की सूचित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	169
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	9
4.	बिहार	302
5.	गोवा	6
6.	गुजरात	235
7.	हरियाणा	124
8.	हिमाचल प्रदेश	7
9.	जम्मू व कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	146
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश	185
13.	महाराष्ट्र	176
14.	मणिपुर	0
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	6
18.	उड़ीसा	109
19.	पंजाब	25
20.	राजस्थान	233
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	136
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	1460
25.	पश्चिम बंगाल	86
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0
27.	चंडीगढ़	3
28.	दादरा एवं नगर हवेली	1
29.	दमन एवं दीव	4
30.	दिल्ली	89
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	3
	भारत	3556

20 फरवरी, 1999 तक

विवरण-II

रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए रिलीज की गई निधियां

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिलीज निधियां		
		96–97	97–98	98–99
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	17.20	23.30	24.10
2.	आंध्र प्रदेश	195.00	172.20	330.93
3.	अरुणाचल प्रदेश	80.85	92.90	93.00
4.	असम	142.55	161.90	198.21

1	2	3	4	5
5.	बिहार	297.50	330.20	681.88
6.	चंडीगढ़	12.60	18.20	18.56
7.	दादरा एवं नगर हवेली	11.25	16.80	17.00
8.	दमण एवं दीव	16.70	22.80	17.09
9.	दिल्ली	58.20	71.00	107.15
10.	गोवा	15.50	21.30	23.05
11.	गुजरात	126.95	138.30	275.07
12.	हरियाणा	100.50	115.10	167.52
13.	हिमाचल प्रदेश	74.50	84.60	94.54
14.	जम्मू व कश्मीर	92.95	100.20	106.52
15.	कर्नाटक	128.75	147.30	237.18
16.	केरल	94.50	106.50	162.34
17.	लक्षद्वीप	10.95	16.50	16.03
18.	मध्य प्रदेश	267.25	293.80	662.01
19.	महाराष्ट्र	205.50	224.20	394.42
20.	मणिपुर	52.30	61.30	68.51
21.	मेघालय	43.55	51.10	53.85
22.	मिजोरम	29.30	36.20	37.60
23.	नागालैंड	46.15	55.00	57.92
24.	उड़ीसा	181.00	202.30	275.31
25.	पांडिचेरी	25.60	31.80	32.38
26.	पंजाब	102.20	115.10	148.97
27.	राजस्थान	186.75	212.60	422.42
28.	सिक्किम	27.75	34.70	36.39
29.	तमिलनाडु	159.20	181.10	308.47
30.	त्रिपुरा	29.20	36.40	41.50
31.	उत्तर प्रदेश	412.25	445.90	1053.28
32.	पश्चिम बंगाल	135.00	143.00	231.98
	कुल योग :	3379.45	3763.60	6395.18

* वैक्सीन और कोल्ड चेन उपस्कर सामग्री रूप में प्रदान किए गए।

टेलीकोन कंज्यूमर्स मे गो टू कोर्ट

2933. श्री अमन कुमार नागरा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरदरी, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टेलीकोम कंज्यूमर्ज में गो टू कोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और बेसिक सेवा लाइसेंस धारी कंपनियों को देय बकाया लाइसेंस फीस का तत्काल भुगतान करने और हर हालत में कम से कम 20 प्रतिशत भुगतान करने के लिए कहा गया था और 15.2.99 तक वैध बैंक गारंटियों के साथ शेष धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। बाद में अंतिम तारीख 28.2.99 तक बढ़ा दी गई थी। किन्तु कुछ कंपनियों ने भुगतान नहीं किया है और कुछ दिल्ली के उच्च न्यायलय के पास पहुंची हैं जहां इस समय मामला निर्णाया–धीन है।

उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं का निजीकरण

2934. श्रीमती कमल रानी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस में शामिल एजेंसियों सहित सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन निजी एजेंसियों पर कोई नियंत्रण लागू करेंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी क्षेत्र, उद्योगपतियों और जनता के बीच हितों के टकराव के निवारण हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) उत्तर प्रदेश जिसे दूरसंचार के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किलों में बांटा गया है, सहित देश के विभिन्न भागों में बुनियादी टेलीफोन सेवा तथा अन्य मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है।

(ख) बुनियादी टेलीफोन सेवा के मामले में, उत्तर प्रदेश (पूर्व) के लिए कोई आशयपत्र जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के लिए आशयपत्र जारी किया गया था क्योंकि आशयपत्र धारक कंपनी ने ठेके संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं किया, अतः उनकी बयाना धन बैंक गारंटी को भुना लिया गया था, कंपनी ने इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर कर दिया।

मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं के लिए भी विभिन्न लाइसेंस जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए जारी किए गए ऐसे लाइसेंसों की सूची विवरण–I में दी गई है। मूल्यवर्धित सेवाओं की ऐसी कुछेक श्रेणियां हैं जिनमें लाइसेंस धारक को उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी/सभी भागों में सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ऐसे लाइसेंसों की सूची विवरण–II में दी गई है।

(ग) से (ङ) लाइसेंसधारक निविदा शर्तों/लाइसेंस करार के अधीन बाध्य होते हैं। बुनियादी और सेल्यूलर सेवाओं के लिए लाइसेंस की मुख्य शर्तें क्रमशः विवरण–III और IV में दी गई हैं। चूंकि लाईसेंसधारक लाइसेंस शर्तों के प्रति बाध्य होते हैं, अतः निजी क्षेत्र, उद्योगपतियों और जनता के बीच आपसी हित का कोई विवाद नहीं होगा। मोटे तौर पर यही नियम और शर्तें अन्य मूल्य वर्धित सेवा के लाइसेंसधारकों पर भी लागू होती हैं।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश के लिए प्रदान की गई–विभिन्न मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंस धारकों की सूची।

(क) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

(प्रादेशिक दूरसंचार सर्किल)

उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1.	एस्कॉटिल मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.
	2.	कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	1.	कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.
	2.	एअरटेल डिजिलिंक इंडिया लि.

(ख) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्कड सर्विस

(सेवा लाइसेंसशुदा शहर के बेस स्टेशन स्थल से 30 कि. मी. की अरीय दूरी के भीतर प्रचालित की जानी है)

(i)	इलाहाबाद :	मैसर्स प्रॉकाल लि.
(ii)	गाजियाबाद :	–वही–
(iii)	कानपुर :	–वही–
(iv)	लखनऊ :	–वही–
(v)	मेरठ :	मै. उशांक टेलीकम्यूनिकेशन लि.
(vi)	वाराणसी :	मैसर्स प्रॉकाल लि.

(ग) रेडियो पेजिंग सेवा

(i)	वाराणसी और कानपुर :	मै. ए.बी.सी. कम्युनिकेशन (इंडिया) लि.
(ii)	कानपुर, लखनऊ और वाराणसी	मै. मोदी कोरिया टेलीकम्यूनिकेशन लि.
(iii)	कानपुर और लखनऊ :	मै. डी एस एस मोबाइल कम्युनिकेशन लि.
(iv)	वाराणसी :	मै. वेलट्रान टेलीकम्युनिकेशन लि.
(v)	उत्तर प्रदेश :	मै. माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लि.
(vi)	उत्तर प्रदेश :	मै. पनवायर मोबाइल कम्युनिकेशन लि.

(घ) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) सेवाएं

(i)	बरेली:	मै. बरेली कम्युनिकेशन प्रा. लि.
(ii)	गाजियाबाद :	मै. सुरेविन कंसलटेंट्स प्रा. लि.
(iii)	गाजियाबाद :	मै. एन.एन.सी. इनफोटेक प्रा. लि.
(iv)	गाजियाबाद :	मै. जैन स्टुडियो लि.
(v)	गाजियाबाद :	मै. ऑप्टोनेटवर्क प्रा. लि.

विवरण-II

अखिल भारतीय मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवा लाइसेंस

(क) उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल : कम्युनिकेशन (जी एम पी सी एस) सेवा देश में सेवा को चलाने लिए मै. इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लि. को अस्थाई लाइसेंस दिया गया है।

(ख) इनसेट उपग्रह प्रणाली : बाया कलोज्ड यूजरस ग्रुप डोमेंस्टिक 64 के बीपी ए एस डाटा नेटवर्क

1. मै. ह्यूज एस्कार्ट कम्युनिकेशन लि.
2. मै. कॉमसेट–मैक्स
3. मै. आर पी जी – उपग्रह
4. मै. विप्रो – वीटी लि.
5. मै. टेलिस्ट्रा–वी कॉम लि.
6. ऍच सी एल – कॉमनेट
7. मै. एच एफ सी एल
8. मै. इस्सैल श्याम
9. मै. आई टी आई
10. मै. मार्कसेट
11. मै. पंजाब वायरलेस

(ग) इलेक्ट्रानिक मेल सर्विस

1. मै. स्प्रिंट आर पी जी
2. मै. वी एस एन एन
3. मै. स्विफ्ट मेल
4. मै. महेन्द्रा नेटवर्क
5. मै. सत्यम इनफोवे
6. मै. मणिपाल कंट्रोल डाटा

(घ) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी)

1. मै. सुकार्ता फाइनेंस ट्रंक प्रा. लि.
2. मै. सत्यम इनफोवे
3. मै. इन्दुसिंद डिस्ट्रिव्यूशन लि.
4. मै. विप्रो लि0
5. मै. जी टेली फिल्म लि.
6. मै. ग्लोबल इलेक्ट्रानिक कामर्स सर्विस लि.
7. मै. डिशनेट लि.
8. मै. इरकॉन इंटरनेशनल लि.
9. मै. सी जी फैक्समेल लि.
10. मै. सी एम सी
11. एस टी पी आई
12. एरनेट
13. मै. पंजाब वारलेस सिस्टम लि.
14. मै. स्प्रिंट आर पी जी इंडिया लि.
15. मै. भारती बीटी इंटरनेट लि.

विवरण-III

बुनियादी सेवा के लिए लाइसेंस की मुख्य नियम एवं शर्तें

1. लाइसेंसधारक एक भारतीय पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए।
2. लाइसेंसधारक कम्पनी में कुल विदेशी इक्विटी कुल इक्विटी के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. लाइसेंस की अवधि 15 वर्ष की होगी जिसे एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
4. लाइसेंसधारक लाइसेंस जारी होने के 12 महीने के भीतर सेवा प्रारंभ कर देगा।
5. लाइसेंसधारक दूरसंचार विभाग के टैरिफ से अधिक टैरिफ वसूल नहीं करेगा।
6. लाइसेंसधारक सर्किल के भीतर लम्बी दूरी की सेवा प्रदान कर सकता है। लाइसेंसधारकों को इन्टर–सर्किल लम्बी दूरी की सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विवरण-IV

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा चलाने संबंधी प्रमुख नियम एवं शर्तें

1. लाइसेंसधारक एक भारतीय पंजीकृत कंपनी होगी।
2. लाइसेंसधारक कम्पनी में कुल विदेशी इक्विटी कुल इक्विटी के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
3. लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष होगी जिसे दूरसंचार प्राधिकरण के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
4. लाइसेंसधारक लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के 12 महीने के भीतर अथवा लाइसेंस की प्रभावी तारीख जो भी पहले हो, से सेवा चालू करेगा।
5. सेवा ग्रूप स्पेशल मोबाइल अथवा ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम) के मानकों के अनुरूप होगी।
6. सेवा दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित टैरिफ सीमा के भीतर प्रदान की जाएगी।

7. लाइसेंसधरक दूरसंचार विभाग को एक्सेस और जंक्शन प्रभारों के अलावा, दूरसंचार प्राधिकरण को लाइसेंस शुल्क अदा करेगा।

8. लाइसेंसधारक वायरलेस लाइसेंस शुल्क, डब्ल्यू पी सी (वायरलैस आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध रायल्टी, जी एस एम, एम ओ यू (समझौता ज्ञापन) शुल्क आदि अदा करेगा।

9. लाइसेंस गैर विशिष्ट एकान्विक आधार पर जारी किए गए हैं। प्रति शहर सर्किल में अधिक से अधिक 2 आपरेटर होंगे।

10. दूरसंचार को स्वयं अथवा किसी नामित पब्लिक अथारिटी के जरिए किसी/सभी क्षेत्रों में तीसरे प्रचालक के रुप में काम करने का अधिकार होगा।

तेल क्षेत्र में सुधार

2935. श्री के. एस. राव :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्रीमती रानी नरह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्र में सुधार के लिए मंत्रियों का एक विशेष दल बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस दल का विचारणीय विषय क्या था; और

(ग) दल द्वारा पेश की गई सिफारिशें, यदि कोई हों, तो का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने व्यापार और उद्योग संबंधी प्रधानमंत्री परिषद और इसके अंतर्गत समय–समय पर बनाए गए विशेष विषय दलों की सिफारिशों पर विचार करने और इनके कार्यान्वयन के लिए पद्धतियों की जांच करने के लिए एक मंत्री दल का गठन किया है। जहां तक तेल क्षेत्र का संबंध है, बुनियादी सुविधाओं संबंधी विशेष विषय दल ने निम्नलिखित सिफारिशों की हैं :

1. पाइपलाइनों की स्थापना और प्रचालन के लिए सुपरिभाषित नीतिगत ढांचे के तहत अप्रतिबन्धित प्रवेश की अनुमति देना।

2. "कामन कैरियर" सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादों के लिए नई पाइपलाइनों की स्थापना।

3. विकासकर्ताओं की सहायता करने और व्यवस्था के प्रचालन को नियंत्रित करने के लिए एक स्वायत्त पाइपलाइन विकास और विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।

डाक घरों के लिए भवन

2936. श्री विक्रम केशरी देव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से देश में किराये के भवनों में इस समय राज्य–वार कितने डाक घर चल रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में आज तक राज्य–वार कुल कितना किराया चुकाया गया; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1998–99 के दौरान और वर्ष 1999–2000 के लिए प्रस्तावित नये भवनों के निर्माण हेतु कुल कितनी राशि आबंटित की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ग) नए भवनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1998–99 के दौरान 25.85 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है।

वर्ष 1999–2000 के लिए 8.68 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान किराए के भवनों में कार्यरत डाकघरों की डाक सर्किलवार संख्या निम्नानुसार है:–

सर्किल का नाम	किराए के भवनों की संख्या		
	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4
1. असम	434	435	436
2. आंध्र प्रदेश	2465	2467	2406
3. बिहार	1226	1226	1226
4. दिल्ली	287	291	291
5. गुजरात	1189	1203	1202
6. हरियाणा	413	405	408
7. हिमाचल प्रदेश	410	411	401
8. जम्मू व कश्मीर	178	184	191
9. कर्नाटक	1508	1535	1466
10. केरल	1311	1328	1315
11. मध्य प्रदेश	1166	1168	1146
12. महाराष्ट्र	1858	1856	1855

1	2	3	4
13. उत्तर–पूर्व	209	209	212
14. उड़ीसा	973	970	966
15. पंजाब	655	655	655
16. राजस्थान	1223	1202	1201
17. तमिलनाडु	2630	2576	2517
18. उत्तर प्रदेश	2600	2600	2600
19. पश्चिम बंगाल	1694	1694	1692

विवरण-II

उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा आज की तारीख तक अदा किया गया कुल किराया, डाक सर्किलवार, निम्नानुसार है :

सर्किल का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किया गया कुल किराया 1995–1998 (हजार में)
1. असम	1,05,12
2. आंध्र प्रदेश	1,00,03
3. बिहार	1,84,43
4. दिल्ली	1,03,38
5. गुजरात	2,09,84
6. हरियाणा	80.07
7. हिमाचल प्रदेश	68.39
8. जम्मू एवं कश्मीर	80.98
9. कनार्टक	4,42,70
10 केरल	4,65,72
11. मध्य प्रदेश	4,38,46
12. महाराष्ट्र	7,56,25
13. उत्तर–पूर्व	64,76
14. उड़ीसा	2,21,56
15. पंजाब	1,31,09
16. राजस्थान	1,46,98
17. तमिलनाडु	7,67,35
18. उत्तर प्रदेश	4,95,67
19. पश्चिम बंगाल	7,02,45

[हिन्दी]

गर्भावस्था के दौरान मौतें

2937. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरों की हाल की रिपोर्टों की ओर आकृष्ट कराया गया है जिनके अनुसार प्रतिवर्ष 1,00,000 से अधिक भारतीय महिलाओं की गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मौत हो जाती है और भारत में उनमें से केवल 37 प्रतिशत को ही प्रसव पूर्व–परिचर्या प्राप्त हो पाती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री)श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी हां। सरकार को इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है।

(ख) और (ग) भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में प्रति वर्ष प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर औसतन 437 मातृ मृत्यु होने का अनुमान लगाया गया हैं इसी सर्वेक्षण में 62.3 प्रतिशत भारतीय महिलाओं द्वारा प्रसव पूर्व परिचर्या प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है।

सरकार इस बात को मानती है कि भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाया जाना है। वर्ष 1997 में आरम्भ किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जहां मातृ स्वास्थ्य तथा शिशु जीवन रक्षा (लड़के और लड़कियों दोनों के लिए) के क्षेत्र में पहले के कार्यक्रमों को जारी रखा गया है और उन्हें तेज किया गया है, वहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य के समस्या वाले क्षेत्रों में नई पहलें आरम्भ की हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं–अनिवार्य और आपाती प्रसूति परिचर्या, संस्थागत प्रसवों को बढावा, आठ राज्यों में निर्धन परिवारों के लिए उपचार हेतु परिवहन व्यवस्था तथा प्रजनन मार्गीय संक्रमणों का उपचार करना।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों का आधुनिकीकरण और विकास

2938. श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री मोहन रावले :

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया :

श्री रंजीब विस्वाल :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तनों के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण में प्रस्तावित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नौवीं योजनावधि के दौरान देश के प्रमुख पत्तनों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है साथ ही नौवीं योजना के दौरान इस संबंध में किस सार्वजनिक और निजी निवेश को किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या नौवीं योजना के लिए पत्तन क्षेत्र में निवेश को अंतिम स्वीकृति दे दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न पत्तनों के लिए कुल कितनी धनराशि उदिष्ट की गई है;

(च) चालू वर्ष के दौरान क्रियान्वयनधीन प्रमुख पत्तन-परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(छ) इन परियोजनाओं, विशेषकर महाराष्ट्र में निर्धारितत लक्ष्य के संदर्भ में किए गए काम की प्रगति क्या है; और

(ज) आठवीं योजना के दौरान पत्तन-वार कितनी अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) नीति के तौर पर पत्तनों और बन्दरगाहों के निर्माण के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसकी अधिकतम सीमा 1500 करोड़ रुपये है, स्वतः अनुमति प्रदान की जा चुकी है। 1500 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अलग-अलग मामले के आधार पर अनुमोदन दिया जा सकता है।

(ख) जी हां।

(ग) 122 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए 9वीं योजना के दौरान 7215 करोड़ रुपये का सार्वजनिक निवेश और 8000 करोड़ रुपये का निजी निवेश किए जाने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक निवेश के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

क्र.सं.	वर्ष	निवेश (करोड़ रु.)
1.	1997-98 (वास्तविक)	612
2.	1998-99 (पूर्वानुमानित)	718
3.	1999-2000 (प्रस्तावित)	1319
4.	2000-2001 (अनन्तिम)	2058
5.	2001-2002 (अनन्तिम)	2508
	जोड़	7215

निजी निधियों का प्राप्त होना बहुत से घटकों पर निर्भर करता है। इसलिए निजी निधियों के वर्ष-वार ब्यौरे प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) जी हां, 9वीं योजना के दौरान महापत्तनों के विकास के लिए 7215 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(च) और (छ) विभिन्न महापत्तनों के 1998-99 के दौरान कार्यान्वित की जा रही मुख्य परियोजनाओं के ब्यौरे और इन परियोजनाओं के चालू होने की तारीखें (लक्षित और पूर्वानुमानित) विवरण-I में दी गई हैं।

(ज) 8वीं योजना के दौरान 46 मिलियन टन क्षमता की वृद्धि की गई थी। पत्तन-वार ब्यौरे विवरण-2 में दी गई हैं।

विवरण-I

विभिन्न महापत्तनों में 1998-99 के दौरान कार्यान्वित की जा रही मुख्य परियोजनाओं (100 करोड़ रुपये अथवा अधिक लागत वाली) के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड रु.)	क्षमता संचयन (मि.ट.)	चालू होने की तारीख	
				निर्धारित	पूर्वानुमानित
1	2	3	4	5	6
	पारादीप				
1.	यांत्रिक कोयला हैंडलिंग सुविधाएं	597.41	20.00	अप्रैल, 98	जून, 2000
	चेन्नई				
2.	ताप कोयला हैंडल करने के लिए इन्नौर में नए पत्तन का निर्माण	593.90	16.00	अप्रैल, 98	जून, 2000 (प्रचालनात्मक) सित., 2000 (सभी प्रकार से)

1	2	3	4	5	6
	टूटीकोरिन				
3.	कैपिटल निकर्षण परियोजना	202.16	3.40	मई, 2000	मई, 2000
	मुम्बई				
4.	सब–मरीन पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन	165.15	7.00	जन. 98	मार्च, 2000
5.	जवाहर द्वीप में एम आर टी जेट्टियों का आधुनिकीकरण	167.99	4.00	मार्च, 2003	मार्च, 2003

विवरण-II

8वीं योजना के दौरान सृजित अतिरिक्त क्षमता के पत्तनवार ब्यौरे

(मिलियन टन)

क्र.सं.	पत्तन का नाम	सृजित अतिरिक्त क्षमता
1.	कलकत्ता	1.92
	हल्दिया	0.92
2.	मुम्बई	4.00
3.	ज. ला. नेहरू	4.00
4.	चेन्नई	3.83
5.	कोचीन	2.80
6.	विशाखापत्तनम	9.00
7.	कांडला	3.60
8.	मुरगांव	3.26
9.	पारादीप	3.25
10.	नव मंगलूर	6.90
11.	तूतीकोरिन	2.50
	जोड	45.98 यू कहिए 46

संपीडित प्राकृतिक गैस

2939. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील :

श्री आर.एस. गवई :

श्री के. कृष्णमूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश भर में वाहनो में उपयोग हेतु पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) को विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के महानगरों में कितने सीएनजी भराई स्टेशन काम कर रहे हैं;

(घ) क्या ये सीएनजी भराई स्टेशन, इन नगरों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का पूरे देश में सीएनजी–भराई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन स्टेशनों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली और मुंबई महानगरों में 18 सी एन जी भरण स्टेशन कार्य कर रहे है। मांग के मुताबिक ऐसे स्टेशनों की संख्या और बढाई जा नही है। विद्यमान सी एन भरण स्टेशन वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ङ) से (छ) सी एन जी भरण सुविधाओं की स्थापना केवल ऐसे स्थानों में संभव है जहां पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति उपलब्ध है। मांग एवं दिल्ली और मुंबई में योजनाओं की सफलता, तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की व्यवहार्यता एवं परियोजना की साध्यता पर निर्भार करते हुए, इस संबंध में नए शहरों के विषय में विचार किया जा सकता है।

असम में पक्षी विहारों को पार्कों में बदला जाना

2940. श्री चंदू लाल अजमीरा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डंरग जिले के डिब्रूचोई खोबा और ओरंग पक्षी विहारों को राष्ट्रीय पार्कों में परिवर्तित करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो असम के नए पार्कों के रखरखाव के लिए प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत किसी अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। इस संबंध में केन्द्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एन.बी.टी.सी. बजट का लेखापरीक्षण

2941. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल ब्लड ट्रान्सफ्यूजन काउंसिल के बजट के निर्धारण स्रोत क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल ब्लड ट्रान्सफ्यूजन काउंसिल का वार्षिक बजट क्या है;

(ग) क्या नेशनल ब्लड ट्रान्सफ्यूजम काउंसिल को पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित बजट का लेखा परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् को बजट आबंटन का स्रोत भारत सरकार से सहायता अनुदान और जनता से प्राप्त दान है।

(ख) राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद को आरम्भ से रिलीज अनुदान इस प्रकार है –

1996–97	20 लाख रुपए
1997–98	150 लाख रुपए
1998–99	150 लाख रुपए

(ग) और (घ) राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद की निधियों को अंकेक्षित कराने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से प्रक्रिया विधियां तैयार की जा रही हैं।

भारतीय तेल निगम के पानीपत विद्युत संयंत्र में ओ. एन. जी. सी. की हिस्सेदारी

2942. श्री मोहन रावले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम भारतीय तेल निगम के पानीपत स्थित विद्युत संयंत्र में 24 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त करना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन की पानीपत विद्युत संयंत्र परियोजना में आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन द्वारा इक्विटी प्राप्त करने के संबंध में किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दरभंगा से फरबिसगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

2943. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा से फरबिसगंज तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य आरभ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अभी तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड के सरेखण और विकास आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने के लिए साध्यता अध्ययन हेतु परामर्श कार्य हाल ही में सौंप दिए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास

2944. श्री अर्जुन सेठी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 8 जून, 1998 के तारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी–कितनी राशि दी गई, जैसा कि उत्तर में उल्लिखित किया मया है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु विकसित किया गया तंत्र क्या है; और

(ग) देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में बेदखल किए गए व्यक्तियों की तुलना में पुनर्वास किए गए आदिवासियों और गांवों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय मं राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आठवी योजना तथा नौवी योजना के पहले दो वर्ष में दी गई राशि विवरण–I और II में दी गई है।

(ख) स्कीम के कार्यान्वयन का संबंधित राज्यों के वन्यजीव वार्डन मानीटर करते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधिकारी भी कार्यान्वयन का निरक्षिण करते हैं।

(ग) पुनर्वास किए गए आदिवासियों और गांवों का ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

आठवीं योजना के दौरान जारी की गई धनराशि

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	राज्य	92–93	93–94	94–95	95–96	96–97
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.97	54.53	69.803	59.033	52.062
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.016	30.873	31.44	7.305	36.458
3.	असम	1.40	103.97	–	–	–
4.	बिहार	28.145	–	57.85	2.26	–
5.	गोवा	12.50	14.485	14.301	5.478	10.143
6.	गुजरात	29.644	36.06	31.70	27.59	52.728
7.	हरियाणा	8.93	10.75	14.88	13.13	11.04
8.	हिमाचल प्रदेश	106.35	84.735	84.224	61.23	12.10
9.	जम्मू और कश्मीर	8.879	15.57	2.70	27.31	13.94
10.	कर्नाटक	90.41	114.54	132.86	108.32	225.845
11.	केरल	34.724	42.54	70.815	64.80	34.962
12.	मध्य प्रदेश	85.78	132.35	98.08	186.20	41.873
13.	महाराष्ट्र	69.038	51.76	127.465	35.43	13.81
14.	मणिपुर	19.90	15.15	19.30	25.29	23.01
15.	मेघालय	7.62	19.81	19.03	26.25	2.57
16.	मिजोरम	25.44	15.84	25.05	7.46	4.60
17.	नागालैण्ड	1.00	2.62	–	5.015	4.31
18.	उड़ीसा	45.65	71.33	72.96	50.61	8.38
19.	पंजाब	15.317	19.91	14.195	4.975	–
20.	राजस्थान	69.63	79.456	64.30	85.555	37.027
21.	सिक्किम	53.70	29.90	33.42	23.926	15.29
22.	तमिलनाडु	37.80	55.33	15.43	20.83	20.25
24.	त्रिपुरा	42.23	9.75	3.344	24.72	2.29
24.	उत्तर प्रदेश	43.305	75.55	75.10	68.34	55.995
25.	पश्चिम बंगाल	20.517	41.26	63.245	70.529	39.31
26.	अण्डमान निकोबार	–	–	3.00	–	–
27.	दमन व दीव	3.10	1.50	–	–	–
		945.995	1129.569	1144.492	1011.586	717.99

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान जारी की गई धनराशि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास

	1997–98	1998–99 (फरवरी, 99 तक) (रु. लाख में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	43.39	47.39
अरुणाचल प्रदेश	27.953	57.91
असम	54.621	58.05
विहार	6.00	–
गोवा	–	9.07
गुजरात	17.005	18.80
हरियाणा	14.57	37.20
हिमाचल प्रदेश	61.50	47.95
जम्मू व कश्मीर	124.70	7.00
कर्नाटक	78.17	68.43
केरल	49.29	44.85
मध्य प्रदेश	195.665	35.93
महाराष्ट्र	48.845	27.783
मणिपुर	13.50	16.64
मेघालय	–	–
मिजोरम	13.48	8.45
नागालैंड	15.29	9.00
उड़ीसा	34.22	47.73
पंजाब	14.03	7.20
राजस्थान	82.34	84.22
सिक्किम	12.51	11.00
तमिलनाडु	61.284	71.63
त्रिपुरा	29.81	–
उत्तर प्रदेश	112.11	81.27
पश्चिम बंगाल	69.69	72.96
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.56	–
चंडीगढ़	12.00	–
कुल	1212.532	873.833

विवरण-III

वर्ष 1992–97 से 1998–99 तक लाभोन्मुख आदिवासी विकास स्कीम के अन्तर्गत गांवों के पुनः स्थापन का विवरण

क्रम सं. राज्य	सुरक्षित क्षेत्र का नाम	गाँवों की संख्या	आदिवासी परिवारों की संख्या	पुनःस्थापन की स्थिति
1. कर्नाटक	बांदीपुर एन. पी.	2	100	95% पूर्ण
	नागरहोल एन. पी.	1	50	जारी
2. अरुणाचल प्रदेश	पाखुई डब्लू एल एम	1	12	पूर्ण
3. मिजोरम	ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान	1	25	पूर्ण
	मुरलेन एन. पी.	1	47	जारी
4. नागालैण्ड	इन्तनाकी डब्लू एल एस	1	38	जारी
5. पश्चिम बंगाल	गोरुमरा एन पी	1	134	पूर्ण
6. मध्यप्रदेश	पेच एम पी	2	42	पूर्ण
	कान्हा एन पी	1	27	पूर्ण
	कुनो पाल पुर डब्लू एल एस	7	663	जारी
7. उड़ीसा	चन्दाका			
	डमपारा डब्लू एल एस	7	188	जारी

अध्यापन और गैर-अध्यापन सम्वर्गों को एक साथ मिलाना

2945. श्री संदीपान भोरात : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एच.एस. योजना के अन्तर्गत अध्यापन सम्वर्ग को सी.एच.एस. योजना के गैर–अध्यापन संवर्ग के समान माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सी.एच.एस. में अध्यापन संवर्ग को उचित मान्यता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) शिक्षण और गैर–शिक्षण उप–संवर्ग केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चार उप संवर्गों में से दो उप–संवर्ग हैं जिनके वेतन और भत्ते तथा प्रोन्नति के अवसर समान हैं।

विभिन्न प्रतिभागी यूनिटों में केवल पदों की संख्या और उनका वर्गीकरण आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकता है। दोनों उपसंवर्गों में सभी स्पेशियालिटीज और सुपर स्पेशियालिटीज में आरम्भिक प्रवेश संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाता है।

दोनों उप संवर्गों में बाद में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर तक के अगले ग्रेडों में प्रोन्नति वरिष्ठता–सह–योग्यता के अनुसार समयबद्ध आधार पर रिक्तियों का ध्यान रखे बिना की जाती है। दोनों ही संवर्गों में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अगली प्रोन्नति रिक्तियों के आधार पर होती है। दोनों उपसंवर्गों में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है ऐसा न होने पर सीधी भर्ती की जाती है। दोनों उप संवर्गों में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदों की संख्या का निर्धारण किया गया है और इन दोनों उप संवर्गों में किसी भी स्तर पर परस्पर बदली नहीं हो सकती है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

यमुना में दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा प्रदूषण

2946. श्री जयराम आई. एम. शेटटी :

श्री यू. वी. कृष्णमराजु :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत बोर्ड अपने ठोस अपशिष्टों का निपटान करके यमुना को अत्याधिक प्रदूषित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड ने यमुना में अपशिष्ट छोड़ना बंद करने के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड को नोटिस दिया है; और

(घ) यदि हा, तो सरकार का इस मामले में दिल्ली विद्युत बोर्ड के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 15.12.1998 की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी में निस्तारित किए जाने वाले एश तालाबों से होने वाले ओवर फ्लों में निलम्बित ठोस 100 मिलीग्राम प्रति लीटर मानक की तुलना में 33078 मिलीग्राम प्रतिलीटर तक पाए गए थे। तदनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एश तालाब ओवर फ्लो में निलम्बित ठोस का नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के संबंध में कार्रवाई करने के लिए 2.2.99 को दिल्ली विद्युत बोर्ड को निर्देश जारी किए। इसके अलावा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली विद्युत बोर्ड को (i) निर्धारित निस्तारण स्तर प्राप्त करने के लिए निलम्बित ठोस के लिए निःसादन समय बढ़ाने (ii) एश तालाब के बेहतर प्रबंध को अपनाने और (iii) ईंटे, सीमेंट बनाने तथा लैण्डफिल आदि जैसे प्रयोजनों के लिए फ्लाई ऐश के निपटान के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

[हिन्दी]

शिशु प्राणरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

2947. कर्नल सोनाराम चौधरी :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में केन्द्र सरकार ने "शिशु प्राण रक्षा" और "सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम" पर कितनी सहायता राशि खर्च की है और वर्ष 1999–2000 के लिए राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) देश में इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम क्या–क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान शिशु जीवन रक्षा व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे को

दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। नौवीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1997–98 के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरु करने के फलस्वरुप चले रहे शिशु–जीवन–रक्षा व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को इसमें शामिल कर लिया गया है, अतः वर्ष 1999–2000 के लिए शिशु–जीवन–रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए कोई पृथक बजटीय आबंटन नहीं किये गये हैं।

(ख) देश के सभी जिलों को कवर करते हुए शिशु जीवन रक्षा व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को चरण–वार ढंग से कार्यान्वित किया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामग्रीगत और नकद सहायता, स्टाफ सहायता और उनके प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की गई। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा नियमित मॉनीटरिंग की जाती है। दाताओं, विश्व बैंक और यूनिसेफ द्वारा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को समय–समय पर मॉनीटर भी किया गया।

विवरण

शिशु जीवन रक्षा व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य	1996–97	1997–98
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	2202.24	1999.07
2. अरुणाचल प्रदेश	148.55	201.15
3. असम	1022.99	1329.69
4. बिहार	3181.85	3085.61
5. गोवा	50.09	55.48
6. गुजरात	1473.29	1453.02
7. हरियाणा	685.40	686.28
8. हिमाचल प्रदेश	368.49	385.25
9. जम्मू एवं कश्मीर	384.88	390.36
10. कर्नाटक	1751.59	1313.11
11. केरल	860.53	1058.52
12. मध्य प्रदेश	3019.98	3031.20
13. महाराष्ट्र	2941.62	2083.52
14. मणिपुर	139.25	208.02
15. मेघालय	127.10	155.56
16. मिजोरम	78.36	119.27
17. नागालैंड	116.68	135.69
18. उड़ीसा	1315.10	1340.18
19. पंजाब	824.55	837.95
20. राजस्थान	2544.08	1805.16
21. सिक्किम	62.54	87.01
22. तमिलनाडु	2137.55	1789.23
23. त्रिपुरा	134.79	160.49
24. उत्तर प्रदेश	5860.20	4287.40
25. पश्चिम बंगाल	2066.99	2472.29
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	37.79	49.06
27. चंडीगढ़	35.19	32.40
28. दादरा एवं नगर हवेली	21.74	26.30
29. दिल्ली	296.84	345.71
30. दमण एवं द्वीप	26.03	38.64
31. लक्षदीप	17.78	24.59
32. पांडिचेरी	49.07	75.80
योग :	33983.13	31063.01

आंकड़े अनन्तिम हैं।

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना में समस्या

2948. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर आयुर्वेदिक के क्षेत्र में कार्यरत एकमात्र संस्थान है;

(ख) क्या सरकार इस संस्थान को हो रही कठिनाइयों से अवगत है; और

(ग) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे अनेक संस्थानों में से एक है।

(ख) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध है। राजस्थान विश्वविद्यालय इस संस्थान को वर्षानुवर्ष आधार पर संबद्धता प्रदान करता रहा है। विश्वविद्यालय के निरीक्षक ने संस्थान की कुछेक खामियों का उल्लेख किया है। भारतीय

चिकित्सा केन्द्रीय परिषद जो शिक्षा का न्यूनतम मानक निर्धारित करती है, के एक निरीक्षण दल ने यह आकलन करने के लिए संस्थान का दौरा किया था कि क्या उपलब्ध कराई गई सुविधाएं मानदंडों के अनुरूप हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ मामलों में मानदण्डों के पूरा नहीं होने के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मुख्य खामियां एस प्रकार हैं :–

(i) रिक्त पदों को नहीं भरा जाना;

(ii) कुछ उपस्करों का उपलब्ध नहीं रहना;

(iii) छात्रावास सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकताएं;

(iv) जड़ी–बूटी उद्यान की स्थापना;

(v) शिक्षकों/कर्मचारियों हेतु स्टाफ आवास।

(ग) सरकार के समेकित प्रयासों के फलस्वरुप संस्थान की लगभग सभी समस्याओं को हल कर लिया गया है। उदाहरण स्वरूप शिक्षण पदों की रिक्तियां भर ली गयी हैं। स्नातकोत्तर विभाग के लिए अतिरिक्त शिक्षण पद बनाये जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने एम.डी. की स्नातकोत्तर डिग्री (आयुर्वेद–वाचस्पति) को मान्यता प्रदान कर दी है। सरकार द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए उपस्कर और उपकरण खरीदे जा चुके हैं। लडकों और लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। संस्थान के परिसर में 2 एकड़ जमीन में एक जड़ी–बूटी उद्यान लगाया गया है। औषधीय पादपों की कृषि हेतु राजस्थान सरकार से 30 एकड़ भूमि प्राप्त करने के प्रयास किया जा रहे हैं। स्टाफ आवास के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से निर्मित मकान खरीदे गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष-पंजीयन शुल्क में कमी

2949. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रमीण क्षेत्रों में दूरभाष पंजीयन शुल्क और दूरभाष किराए में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुराकायस्थ) : (क) और (ख) 15.9.98 से स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा बदल जाने से कुछ उपभोक्ताओं के मामले में किराया और रजिस्ट्रेशन प्रभार न्यूनतम स्लैब से उच्चतम स्लैब तक पहुंच गया है। इस पर पुनः विचार करके, यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के संबंध में किराया और रजिस्ट्रेशन प्रभारों को 15.8.98 से पूर्व लागू स्तरों तक लाया जाए।

[अनुवाद]

जहरीले कचरे का आयात

2950. श्री विकास चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों से जहरीले कचरे का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं और कब से इन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके हानिकारक प्रभावों पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस जहरीले कचरे से पर्यावरण की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात का विनियमन पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियमावली, 1989 के नियम 11 के अन्तर्गत किया जाता है। नियम 11 के अनुसार, डम्पिंग और निपटान के प्रयोजन से किसी भी देश से भारत के भीतर अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं है। तथापि, गुणावगुण आधार पर प्रत्येक मामले की जांच के पश्चात् ऐसे अपशिष्टों को उनके प्रसंस्करण अथवा कच्चे माल के रूप में पुनः प्रयोग करने के लिए आयात करने की अनुमति दी जा सकती हैं अप्रैल, 1995 से परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात को उनके वास्तविक प्रयोक्ताओं, जिनके पास आयात का लाइसेंस होगा, तक सीमित कर दिया गया है। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने जनहित में दायर एक रिट याचिका सं. 657/95 रिसर्च फाउंडेशन फार साइंस, टेक्नॉलोजी एंड इकोलोजी बनाम भारत संघ और अन्य के संबंध में दिनांक 5.5.1997 को पारित आदेशों के अनुसार यह आदेश दिया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित आयातों अथवा किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण के आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के आयात का प्राधिकार/अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 1989 से 1996 तक अपशिष्ट तेल, जिंक राख जिंक स्किम्मिंग और बैटरी स्क्रैप के आयात के संबंध में सात अनुमतियां दी गई हैं। मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों पर होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 1998 के दौरान एक आयात कर्ता को जिंक राख, निर्यातकों के साथ विचार–विमर्श करने की अनुमति प्रदान की गई है और सात अन्य व्यक्तियों को जिंक राख, जिंक स्किम्मिंग, ब्रास–ड्रोस, कॉप्ट आक्साइड मिल स्केल, कॉपर केबल स्क्रैप (ड्रयूड) और कॉपर युक्त अवशेषों के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए और उन्हें आयात के संबंध में अनुमति देने के लिए डी.जी.एफ.टी. को सिफारिश की गई।

(ग) से (ङ) विषैले अपशिष्टों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अब तक निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) निमय, 1989 और इन्हें संशोधित करने के लिए 8 जनवरी 1999 को प्रारूप नियम अधिसूचित करना।

2. केन्दीय सरकार द्वारा 8 जनवरी, 1997 को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों को परिसंकटमय अपशिष्टों से संबंधित मानकों और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी उद्योग अथवा किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण को निर्देश जारी करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट उत्सर्जक उद्योगों को सूचीकृत करना।

4. परिसंकटमय अपशिष्टों के हस्तन के प्राधिकार, जिसमें परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन नियम, 1989 के उपबंधों के अनुपालन से सुधार हुआ हो, स्थिति के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/राज्य सरकारों के माध्यम से सतत समीक्षा करना।

5. राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक अपशिष्टों के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों का निर्धारण करना। अन्तरिम उपाय के तौर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने अपशिष्ट उत्सर्जक उद्योगों को उनके द्वारा उत्सर्जित अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित विधि से भंडारण/निपटान करने के निर्देश जारी किए हैं।

6. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट कम करने संबंधी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

एम.टी.पी.सी. द्वारा राज्यों को विद्युत आपूर्ति बंद किया जाना

2951. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1999 को स्टेट्समैन (कलकत्ता) में "एनटीपीसी कट सप्लाई टू स्टेट फ्लोरिंग नार्मस् सेन्ट्रल वाडी सेन्सर्स कारपोरेशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) अक्टूबर, 1998 में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और दामोदर घाटी निगम पर विद्युत कटौती लागू करते समय राष्ट्रीय विद्युत निगम द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए थे; और

(घ) सलाह/निर्देशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री एवं अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चूंकि पूर्वी क्षेत्रों से बकाया राशि बिल बनाने के महीनों के हिसाब से सर्वाधिक थी, अतः एनटीपीसी ने विद्युत आपूर्ति के विनियमन हेतु बी.एस.ई.बी. ग्रिडको (उड़ीसा) डब्लयू.बी.एस.ई.बी. और डी.वी.सी. को नोटिस जारी किए। जबकि ग्रिडको और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने साख पत्रों में वृद्धि करके और आंशिक भुगतान करके प्रतिक्रिया व्यक्त की तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने अपनी बकाया राशि के समापन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तदनुसार एनटीपीसी को ई.आर.ई.बी. और ई.आर.एल.डी.सी. को अग्रिम नोटिस देने के पश्चात् अक्तूबर, 11 1998 को अपने फरक्का एसटीपीएस से विद्युत आपूर्ति का विनियमन किया। एनटीपीसी को भविष्य में ग्रिड को प्रभावित करने वाले सुरक्षा परीक्षण/अनुरक्षण कार्य करने के लिए सुरक्षा उपाय करने की सलाह देते हुए फरक्का में बस–बार ट्रिपिंग पर दिनांक 31.12.98 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से पत्र प्राप्त हुआ। एनटीपीसी ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नोटिस में दी गई सलाह पर ध्यान दिया है।

लाइसेंस रहित विदेशी निकर्षण पोतों का नियोजन

2952. श्री आर. एस. गवई : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पत्तनों के पत्तन न्यास प्राधिकारियों ने जो इस समय निकर्षण कार्य कर रहे हैं, ने ऐसे विदेशी निकर्षण पोतों को नियोजित किया है जिनके पास भारतीय समुद्री क्षेत्र में काम करने के लिए लाइसेंस नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय निकर्षण निगम यह कार्य करने में सक्षम है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें यह काम न देने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) विदेशी निकर्षण को भारतीय सागर में प्रचालन हेतु लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) देश के सभी महापत्तनों में अनुरक्षण निकर्षण कार्य करने के लिए भारतीय निकर्षण निगम के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है। क्षमता में कमी को ठेकेदार से निकर्षण कार्य करवा कर पूरा किया जाता है।

न्यायालय की अवमानना के लंबित मामले

2953. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री तारिक अनवर :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पटना और महाराष्ट्र उच्च न्यायालयों में न्यायालय की अवमानना संबंधी लंबित पड़े मामलों की पृथक–पृथक संख्या कितनी है और किन–किन पक्षों के खिलाफ ये मामलें लंबित हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन न्यायालयों में ऐसे कितने मामलें पृथक–पृथक सुने गए;

(ग) ऐसे मामलों को सुलझाने में विलंब के कारण क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों को तेजी से निपटाने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सी.जी.एच.एस. को दवाओं की आपूर्ति

2954. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल भण्डार डिपो द्वारा सी.जी.एच.एस. को दवाइयों को आपूर्ति का कोई समझौता/करार 30 सितम्बर, 1998 को समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सी.जी.एच.एस. को किस तरह से दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में फार्मूलरी वाली सभी औषधियां चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, जो कि एक सरकारी संगठन है, से प्राप्त की जाती हैं और के.स.स्वा. योजना के औषधालयों को भेजी जाती हैं। इसलिए औषधियों की आपूर्ति के सम्बन्ध में करार के समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

ई-मेल में गलत जानकारी से भारत की चिंता

2955. श्रीमती रानी नरह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1999 को "इंजीनियर" में "इंडिया वरिड ओवर इ–मेल डिसइन्फारमेशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां तो प्रकाशित तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटरनेट के माध्यम से झूठी जानकारी फैलाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) से (ड.) भारत में इंटरनेट सुविधा 60 से अधिक स्थानों (प्वाइंट ऑफ प्रजेंस) से उपलब्ध है, जहां से संदेश और सूचना भेजी जा सकती है। भारत में क्रिसचियन्स के उत्पीडन के संबंध में वेबसाइट "एचटीटीपी/डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू/एंजिल फायर/कॉम/ पे/ इंडियन क्रिसचियन्स पर सूचना पाई गई थी। भारतीय दूतावास वाशिंगटन, डी सी, यू.एस.ए.ने अपने वेब साइट" एच टीटीपी/डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू/इंडियन एम्बेसी आर्गेनाइजेशन" के संबंध में पहले ही अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। इंटरनेट के भारी पैमाने पर दुरुपयोग के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। इंटरनेट के प्रसार के कारण भारत तथा विदेशों में बड़ी संख्या में लोगों के पास इलेक्ट्रोनिक मेल तथा विश्व व्यापी वेब सुविधा उपलब्ध है। तथापि, भारत में ऐसा कोई भी वेब साइट नहीं है जिसके माध्यम से फिलहाल ऐसी सूचना उपलब्ध कराई जा रही है तथा उनका प्रचार किया जा रहा है।

क्षय रोग प्रशिक्षण केन्द्र

2956. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ क्षयरोग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षय रोगियों की बडी संख्या वाले अन्य राज्यों में इसी तरह के केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) लाला राम स्वरूप क्षय एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, महारोली, नई दिल्ली (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन) तथा भारतीय क्षय रोग संघ के अन्तर्गत नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र की क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) 17 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, प. बंगाल) में क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। शेष राज्यों को अपने-अपने राज्यों में क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र खोलने का अनुरोध किया गया है।

नये डाकघर और स्पीड पोस्ट सुविधा

2957. श्री एन. जे. राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्यवार देश में कितने डाकघर/उप-डाकघर और शाखा डाकघर खोले गये हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1999-2000 के दौरान, राज्यवार कितने उक्त डाक-घर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का सर्किल वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 50 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है बशर्ते कि मानदण्ड आधारित औचित्य, पूरा होता हो और संसाधान उपलब्ध रहें। लक्ष्यों का सर्किलवार आबंटन प्रत्येक वार्षिक योजना के प्रारंभ में किया जाता है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ 4.17 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश में खोले गए डाकघरों/उप डाकघरों की संख्या की सर्किल-वार जानकारी

क्र.सं.	सर्किल का नाम	निम्न वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की सं.					
		1996-97		1997-98		1998-99 (आजतक)	
		अविशाडा*	विउडा**	अविशाडा*	विउडा**	अविशाडा*	विउडा**
1.	आंध्र प्रदेश	6	6	10	3	6	1
2.	असम	10	4	18	3	शून्य	2
3.	बिहार	23	13	31	4	शून्य	शून्य
4.	दिल्ली	शून्य	4	5	2	1	शून्य
5.	गुजरात	14	20	18	3	4	1
6.	हरियाणा	7	9	13	2	1	2
7.	हिमाचल प्रदेश	23	3	4	शून्य	शून्य	शून्य
8.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	11	1	शून्य	1
9.	कर्नाटक	9	18	24	5	7	3
10.	केरल	3	12	7	1	5	1
11.	मध्य प्रदेश	17	9	41	2	43	3
12.	महाराष्ट्र	31	12	34	4	38	2
13.	उत्तर-पूर्व	4	3	18	3	शून्य	शून्य
14.	उड़ीसा	12	शून्य	21	3	शून्य	2
15.	पंजाब	6	5	12	2	1	1
16.	राजस्थान	12	6	33	1	15	शून्य
17.	तमिलनाडु	7	4	21	3	6	1
18.	उत्तर प्रदेश	38	9	57	6	1	1
19.	पश्चिम बंगाल	3	2	24	4	शून्य	1
	कुल :	225	139	402	52	128	22

* अविशाडा : अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

** विउडा : विभागीय उप डाकघर

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

2958. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति ने वित्त निगम को निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है ताकि उनका समयबद्ध से पूरा होना सुनिश्चित हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समिति ने क्या सुझाव दिए हैं;

(ग) ये विद्युत परियोजनाएं कहां तक संतुष्टिकारक रूप से कार्य कर रही हैं;

(घ) वर्तमान में कितनी विद्युत परियोजनाएं निर्धारित ढंग से कार्य कर रही हैं; और

(ङ) विद्युत की कमी को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) (क) योजना आयोग की अध्यक्षता में किसी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) ताप विद्युत न्यूक्लीयर और जल विद्युत उत्पादन के संबंध में अप्रैल, 1998 से फरवरी, 1999 तक विद्युत क्षेत्र का समग्र कार्य निष्पादन अर्थात लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत थे :–

विद्युत उत्पादन का प्रकार	कार्यक्रम जीडब्ल्यूएच	वास्तविक
ताप विद्युत	327884	320153
न्यूक्लीयर	9247	10905
जल विद्युत	72522	76217
कुल:	409653	407275

(ङ) विद्युत उत्पादन के लिए आयोजना एक सतत् प्रक्रिया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के लिए, किए गये आरम्भिक अध्ययन कार्यों के अनुसार निधियों समेत आवश्यक निवेशी की उपलबधता की शर्त पर क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम 40245 मे.वा. मूल्यांकित किया गया है यह अनुमान लगाया गया है कि नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान उर्जा की कमी 14% तथा व्यस्ततम कालीन कमी 11.6% होगी।

निविदा प्रणाली हेतु विशेषज्ञ समिति

2959. श्री गुरुदास कामत : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी विभागों और केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में निविदाएं आमंत्रित करने की वर्तमान प्रणली में आमूलचूल सुधार शुरू करने का प्रस्ताब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का समुचित और पारदर्शी निविदा प्रणली सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

2960. श्री एस. सुधाकर रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1999 मे हैदराबाद शहर में 26 टेलीफोन एक्सचेंजो का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों का कब तक आधुनिकीकरण किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं। हैदराबाद सिटी में जनवरी 1999 के दौरान किसी भी एक्सचेंज को आधुनिक नहीं बनाया गया। तथापि, चारमीनार क्षेत्र में कार्यरत 10,000 लाइनों वाले इलेक्ट्रो–मैकेनिकल एक्सचेंज को छोडकर, हैदराबाद सिटी के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को 31.12.98 तक आधुनिक बना दिया गया है।

(ग) चारमीनार क्षेत्र में कार्यरत इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को 1999 के दौरान डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से बदले जाने की संभावना है।

बृहत विद्युत नीति

2961. श्री यू. वी. कृष्णमराजु :

श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1999 के स्टेट्समैन में "मेगा पावर पॉलिसी ड्राज फ्लैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की वृहत विद्युत योजना की हाल ही में चेन्नई में आयोजित संगोष्ठी में आलोचना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्पष्ट वृहत विद्युत नीति बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। मेगा विद्युत परियोजना का स्थल, टैरिफ तथा टैरिक समस्तरीय बनाने से संबंधित मुददों को सेमिनार में उठाया गया था।

(ग) और (घ) नवंबर, 1998 में घोषित मेगा विद्युत नीति के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए जाने हेतु कुछ बहुराज्यीय मेगा परियोजना स्थलों को अभिज्ञात किया गया है। निम्नलिखित कारणों की वजह से इन परियोजनाओं में कम टैरिफ होने की प्रत्याशा है :–

(i) इस नीति के अंतर्गत अभिज्ञात की गई परियोजनाओं को कुछ रियायतें दी जा रही हैं जिसमें पूंजीगत उपस्करों के आयात हेतु सीमा शुल्कों में छूट, इन परियोजनाओं हेतु उपकारों के स्वदेशी निर्माताओं के लिए मान्य निर्यात लाभ तथा उच्च कर लाभ आदि शामिल हैं।

(ii) नीति में यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बोली से संबंधित मार्गदशी सिद्धांतों का, जहा तक संभव हो, अनुपालन किया जाएगा जिससे टैरिफ कम हो जाएगा।

(iii) इस प्रयोजनार्थ स्थापित एक पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन द्वारा निजी क्षेत्र की मेगा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद की जाएगी और पीटीसी द्वारा इसकी बिक्री संबंधित लाभभोगी राज्यों को की जाएगी। साख–पत्र के माध्यम से तथा केन्द्रीय योजना आबंटनों में राज्य की हिस्सेदारी और अन्य अंतरणों का सहारा लेकर पीटीसी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के तंत्र से परियोजना, विकासकर्त्ता को किए जाने वाले भुगतानों के सम्बद्ध जोखिम कम होंगे तथा टैरिफ कम होंगे।

(iv) बंदरगाहों या पिट–हैड के समीप मेगा परियोजनाओं की स्थापना, आकार के कारण मितव्ययिता तथा ईष्टतम अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली आदि से मेगा परियोजनाओं का टैरिफ कम हो जाएगा।

(v) मेगा परियोजना स्थलों को अभिज्ञात करने तथा नीतियां तैयार करने से संबंधित कार्य राज्य और केन्द्र सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श करने के पश्चात् किए गए हैं।

पेट्रोनेट एल. एन. जी. कार्पोरेशन द्वारा क्रियान्वित एल. एन. जी. परियोजनाएं

2962. श्री टी. आर. बालू :

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पैट्रोनेट एल एन जी कार्पोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न एल एन जी परियोजनाओं की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को एल एन जी पैट्रोनेट द्वारा समर्पित हल्दिया स्थित एल एन जी टर्मिनल में इक्विटी भागीदारी के संबंध में पश्चिम बंगाल का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों, गेल, आई ओ सी एल, ओ एन जी सी एल तथा बी पी सी एल के साथ, पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड का गठन किया है, फिलहाल इसमें उनके बीच 50 प्रतिशत की इक्विटी धार्यता है। इन क्षेत्रों में मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग तथा एन टी पी सी के अनुमानों के आधार पर, पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड, गुजरात में दहेज स्थान पर तथा केरल में कोचीन पर एल एन जी टर्मिनल लगाएगा। दहेज स्थान पर एल एन जी की 5.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (मि.ट.प्र. वर्ष) की मांग तथा कोचीन में एल एन जी की 2.5 मि.ट.प्र. वर्ष की मांग निर्धारित की गई है। इन परियोजनाओं के संबंध में प्रारंभिक कार्य, पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड द्वारा शुरु कर दिए गए है और वर्ष 1999 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी मिल जाने की संभावना हैं। तत्पश्चात, परियोजनाएं 36 से 42 माह के अंदर पूरी होने की संभावना है।

(ङ) और (च) हल्दिया में एल एन जी टर्मिनल लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोनेट एल एन जी में इक्विटी भागीदारी करने में अपनी रुचि दिखाई है। तथापि, दहेज तथा कोचीन से अलग इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित स्तर तक एल एन जी की मांग निर्धारित नहीं की गई है।

राजहंस जलयानों का गायब होना

2963. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्रीकृत जलयान "राजहंस" 18 कर्मीदल के सदस्यों सहित गायब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त जलयान का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) जी हां । यह अभागा जलयान एम.वी. राजहंस भारतीय तट सीमा से लगभग 1050 मील दूर कुरिया मुरिया द्वीप के समीप उल्टा तैरता पाया गया। नाविक दल के सभी सदस्य लापता थे और 22.12.98 को ध्वंसावशेषों के निकट केवल तीन लाशें पाई गईं। दुर्घटना के कारणों का ठीक पता नहीं चल सका क्योंकि कोई भी जीवित नहीं बचा।

नौवहन महानिदेशालय ने तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

मनीआर्डर फार्म

2964. श्री वैको :

श्री के. कृष्णमूर्ति :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग द्वारा जारी किए गए मनीआर्डर फार्म प्रायः क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित नहीं किये जाते हैं जिसमें ग्रामीण जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसको ठीक करने के लिए कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ङ) विभाग की यह नीति है कि हिन्दी भाषी राज्यों मे मनीआर्डर फार्म हिन्दी और अंगरेजी में मुद्रित किया जाए जबकि अहिन्दी भाषी राज्यों में मनीआर्डर फार्म तीन भाषाओं अर्थात् क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी में मुद्रित किया जाए। नवम्बर 1998 में, तमिलनाडु सर्किल को छोड़कर कहीं और से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यहां मनीआर्डर फार्मों की भारी मांग को पूरा करने के लिए अन्य सर्किलों से मनीआर्डर फार्म मंगवाए गए थे जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित नहीं थे। तथापि, शिकायतें प्राप्त होने के तत्काल बाद यह भंडार वापस ले लिया गया। विभाग की नीति का कड़ाई से अनुपालन करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

रूस द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति

2965. श्री एस. एस. ओवेसी :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने हाइड्रोकार्बन ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत को दीर्घकालीन आधार पर कच्चे तेल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में उनकी रूस यात्रा के दौरान इस मामले पर चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे आयात पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) दिसंबर, 1998 में रूस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान, इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा ओ ए ओ आयल कंपनी, लूकायल, रूस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें लूकायल ने दीर्घावधि आधार पर प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन की मात्रा तक कच्चे तेल की आपूर्ति करने में दिलचस्पी दिखाई थी।

(ग) जी हां।

(घ) यह मुद्दा केवल तभी उठेगा जब आयात करने का एक वाणिज्यिक निर्णय ले लिया जाता है और अन्य बातों के साथ–साथ यह श्रेणियों, प्रमात्राओं, सुपुर्दगी शर्तों, मूल्य निर्धारण तथा भुगतान शर्तों आदि पर निर्भर करेगा, जिनके आधार पर कच्चे तेल का आयात करने का वाणिज्यिक निर्णय लिया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

2966. श्री तथागत सत्पथी :

श्री के. पी. पैरी मोहान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सन् 2010 तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग को पूरा करने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोलियम संबंधी कार्यदल ने वर्ष 2006–07 के लिए 155.3 मिलियन टन की मांग का अनुमान लगाया है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए, उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग, बेहतर रिजर्वायर प्रबंध, नए तेल क्षेत्रों के विकास, उपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी तथा निजी क्षेत्र से पूंजी आमंत्रित करके मौजूदा तेल क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास द्वारा देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा रिफाइनरियों के विस्तार द्वारा तथा संयुक्त तथा निजी क्षेत्रों में रिफाइनरियां लगाकर देश की शोधन क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है ।

[हिन्दी]

एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप

2967. श्री अशोक प्रधान :

श्रीमती कमल रानी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री क्रमशः 9 जून, 1 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2061, 326 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/उ.प्र. के एस के ओ/एल डी ओ वितरकों की जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह जानकारी एकत्रित कर कब तक सभा पटल पर रखी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जी हां। तेल कंपनियों से सूचना प्राप्त हो गई है और इसका संकलन/जांच की जा रही है तथा इसे शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत बोर्ड पर विभिन्न विद्युत संयंत्रों की बकाया राशि

2968. श्री नेपाल चन्द्र दास :

प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार दिल्ली विद्युत बोर्ड पर विभिन्न विद्युत संयंत्रों की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) बोर्ड पर यह राशि कब से बकाया है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड से बकाया राशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा फरवरी, 1999 के अंत तक विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत विद्युत उत्पादन एवं पारेषण निगमों को अधिभार सहित निम्नलिखित बकाया राशि का भुगतान किया जाना है।

1.	एन. टी. पी. सी.	2042.73	करोड रु.
2.	एन. एच. पी. सी.	324.84	करोड रु.
3.	पी. जी. सी. आई. एल.	124.36	करोड़ रु.
4.	बी.बी.एम.बी.	14.73	करोड रु.
5.	बदरपुर टी. पी. एस.	7063.25	करौड़ रु.

1980 से फरवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान उपरोक्त बकाया राशि जमा हुई।

(ग) दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार उच्च स्तर पर सतत् प्रयास कर रही है। एन. टी. पी. सी. द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड को विद्युत विनियमन हेतु नोटिस दिए जाने पर दिल्ली विद्युत बोर्ड ने एन. टी. पी. सी. के केंद्रो के लिए जनवरी, 1999 से साख पत्र को 90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 118 करोड रुपये कर दिया। हाल ही में इस मामले पर दिल्ली के विद्युत मंत्री और दिल्ली सरकार के अधिकारियों तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड से चर्चा की गई जिसमें उन्हें दिल्ली विद्युत द्वारा विद्युत के बिलों का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत कराया गया। दिल्ली सरकार/दिल्ली विद्युत बोर्ड बी.टी.पी.एस., एन.टी.पी.सी. और पी.जी.आई.सी.एल. की समन्वित बकाया राशि के भुगतान हेतु समय निर्धारित करने और बी.टी.पी.एस. के पक्ष में अप्रैल, 1999 में पूर्ण ऊर्जा आपूर्ति हेतु साख पत्र खोलने के लिए सहमत है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, मैं नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2639/99]

उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री सिकन्दर बख्त की ओर से उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1999–2000 के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2640/99]

वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की प्रति

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : मैं श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2641/99]

संचार मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(एक) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग सहित) की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) डाक विभाग की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2642/99]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

शहरी कार्य और रोजगार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं श्री राम जेठमलानी की ओर से शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2643/99]

विद्युत विधि (संशोधन) अधिनियम 1998 आदि के सम्बंधी अधिसूचनाएं

विद्युत मन्त्री, संसदीय कार्य मन्त्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्री (श्री पी. आर. कुमारमगंलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) विद्युत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 की धारा 1 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 1132 (अ) जो 31 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख 31 दिसम्बर, 1998 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अधिसूचना संख्या का. आ. 1133 (अ) जो 31 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) कटवारिया सराय, नई दिल्ली को केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2644/99]

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

न्याय, विधि और कम्पनी कार्य मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रारूप (संशोधन) नियम, 1999 जो 6 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 16 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (शेयर प्रमाण पत्र जारी करना) संशोधन नियम, 1999 जो 6 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2645/99]

(2) विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2646/99]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2647/99]

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री दलित एजिलमलाई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2648/99]

(3) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2649/99]

(5) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2650/99]

(7) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शानें वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2651/99]

(9) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2652/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2653/99]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत मोटर स्प्रिट एंड हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन तथा अनाचार निवारण) आदेश 1998 जो 28 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2654/99]

वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लिम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) वाइल्ड लाइफ इस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शानें वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2655/99]

(3) (एक) सैंटर फॉर इनवायरनमेंट एजूकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सैंटर फॉर इनवायरनमेंट एजूकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2656/99]

(5) (एक) सी.पी.आर. इनवायरनमेंटल एजूकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी.पी.आर. इनवायरनमेंटल एजूकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शानें वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2657/99]

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फारेस्ट एंड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फारेस्ट एंड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2658/99]

[अनुवाद]

वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्यन नौकाओं का पंजीकरण) संशोधन नियम 1998 आदि

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्यिक पोत परिवहन/भारतीय मत्स्यन नौकाओं का पंजीकरण) संशोधन नियम, 1998 जो 28 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 774 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2659/99]

(2) (एक) अर्स्टव्हाईल मुम्बई डॉक लेबर बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अर्स्टव्हाईल मुम्बई डॉक लेबर बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शानें वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2660/99]

(4) जल–भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2661/99]

विदेश संचार निगम लि. मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

संचार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शानें वाला विवरण (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2662/99]

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सभापति और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) नियम, 1997 जो 2 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 683 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण का आवेदन फाइल करने की अवधि) नियम, 1999 जो 8 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन और विवरणियां) नियम, 1999 जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2663/99]

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :–

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुकरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 12 मार्च 1999 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 मार्च, 1999 की बैठक मे पारित किए गए कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1999 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

अपराह्न 12.04½ बजे

संचार सम्बन्धी समिति

नौवें से ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं संचार संबंधी स्थाई समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (1998–99) के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (1998–99) के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित आई.टी.ओ. तथा एच.टी.एच. लिमिटेड के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04¾ बजे

शहरी और ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : महोदय, मैं मेगा सिटी योजना के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के छटे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

मुम्बई अपतट में गैस फील्ड में आग लगना

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री. बाझापडी के. राममूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं मुम्बई अपतट में बी 121 गैस क्षेत्र में प्लेटफार्म पर रिसाव आग लगने के सम्बन्ध में शनिवार को किये गऐ वायदे के अनुसार स्वतः वक्तव्य देना चाहता हूं।

यह मुम्बई अपतट में गैस क्षेत्र बी 121 में आग लगने के संबंध में है।

मैं व्यक्तिगत रूप से दिनांक 13.3.99 को मुम्बई के लिए रवाना हुआ तथा मैनें स्थिति की जानकारी लेने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु तुरन्त सभी संभव कदम उठाए जाएं, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के निदेशकों की एक बैठक बुलाई। मैं दिनांक 14.3.99 को वापस लौटा हूं और इस बात से संतुष्ट हूं कि पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है।

प्लेटफार्म बी–121 में 4 मुक्त गैस उत्पादक कूपों (तेल के साथ असम्बद्ध) का समूह शामिल है। यह प्लेटफार्म मुम्बई अपतट शहर के पश्चिम में 140 कि.मी. दूर स्थित है। इन कूपों का नाम बी, सी, डी और एफ है।

10 मार्च, 1999 को इस कूप में यह बात ध्यान में आई कि दबाव अत्यधिक बढ़ गया है तथा परत वाल्वों में गड़बड़ी आ गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए ओ एन जी सी द्वारा अपने स्वयं के रिंग सागर रत्न में कूप बी में मरम्मत कार्य प्रगति पर थे। ऐसी ही मरम्मतें दिनांक 16.02.99 को भी की गई थीं जब खराबियां ध्यान में आई थीं। जब ये कार्य प्रगति पर थे तभी अन्य कूप सी में अत्यधिक दबाव बनते देखा गया। कूप सी में दबाव नियंत्रण पाने के लिए तुरन्त समुद्र के पानी को पम्प करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई जो दिनांक 10.03.99/11.03.99 की रात में चली। परन्तु इसी दौरान दिनांक 11.03.99 के प्रातः लगभग 0915 बजे इसी प्रकार के उच्च घनत्व वाले कीचड और गैस सहित उफनता उच्च दबाव एक अन्य कूप डी में भी दिखाई पड़ा। खतरे को भांपकर तुरन्त अपतटीय खतरों का सामना करने के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप सभी प्रकार के बचाव कार्य आरम्भ कर दिए गए। स्थल पर बहुउददेशीय आपूर्ति वाहनों और अग्निशामक क्षमताओं को कार्य पर तैनात कर दिया गया। इसी के साथ सभी सुरक्षा उपाय आरम्भ कर दिए गए। प्लेटफार्म/रिंग पर कार्यरत सभी 85 कर्मिकों को वहां से हटा लिया गया।

कूप से गैस के अनियंत्रित प्रवाह ने 12.03.99 को 1220 बजे आग पकड ली। आग बुझाने के कार्य के लिए जो कार्रवाई शीघ्र की जा सकती थी वह की गई ऐसा पहले से तैयार की गई आकस्मिकता योजनाओं के कारण किया जा सका। स्थल पर व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करने के लिए ओ एन जी सी के सभी कार्यकारी निदेशक शीघ्र मुम्बई पहुंच गए।

वर्तमान में चार बहु–उद्देशीय सहायता जहाज स्थल पर लगाए गए हैं और ये प्रति घंटा लगभग 18,000 घन मीटर पानी छिड़ककर आग बुझा रहे हैं। आज की तारीख तक ओ एन जी सी की रिंग सागर रत्न को कोई प्रकट क्षति नहीं पहुंची है और कर्मचारियों को पहले ही सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया। चूंकि यह प्लेटफार्म केवल स्वीट गैस का उत्पादन करता है जिसमें गंधक नहीं होता, इसलिए पर्यावरण और समुद्री जीवन को किसी खतरे की आशंका नहीं है। ओ एन जी सी को आग बुझाने मे मदद करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मैसर्स कड प्रेशर कन्ट्रोल, यू एस ए का चयन किया गया और उनसे तुरन्त अपने विशेषज्ञ तैनात करने के लिए संपर्क किया गया। यह कम्पनी एक ऐसी विश्व विख्यात फर्म है जिसने कूपों के सही रूप से कार्य न करने के कारण ऐसी आपात स्थितियों से निपटने में महारत हासिल की है। कंपनी के दो विशेषज्ञ 14.03.99 को पहले ही मुम्बई पहुंच चुके हैं और उन्होंने स्थल का दौरा किया है। कूप से आग और गैस के प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिए कार्रवाई योजना तैयार की जा रही है।

बी–121 एक सैटेलाईट रहित गैस क्षेत्र है, जो मुम्बई हाई क्षेत्र के 35 कि.मी. दक्षिण पूर्व में स्थित है और इससे लगभग 2.1 बिलियन घन मीटर निकासी योग्य भंडार है। प्लेटफार्म बी–121 चार चरण वाली संरचना है जिसमें छह कूप स्लाट हैं और इसे मई, 1997 में आरम्भ किया गया था। इस प्लेटफार्म पर पाँच कूपों का बेधन किया जा चुका है जिनमें से 4 गैस उत्पादक हैं और एक शुष्क कूप है।

इस प्लेटफार्म से गैस का उत्पादन जनवरी, 1998 में आरम्भ हुआ और इसे 12 इंच की उप समुद्री पाइपलाइन के माध्यम से मुम्बई हाई के एक संसाधन प्लेटफार्म तक और आगे उरान में भेजने के लिए निकाला जाता है। उरान में संसाधित गैस, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. को उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए दे दी जाती है। क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 1.6 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन होता है। गैस का उत्पादन 27.02.99 को ही बंद कर दिया गया है जब मरम्मत कार्य चल रहा था। उरान तक गैस बिक्री का वर्तमान स्तर प्रतिदिन 12.5 मिलियन घन मीटर की सामान्य आपूर्ति के मुकाबले प्रतिदिन लगभग 11.2 मिलियन घन मीटर है। बम्बई हाई में युक्त गैस कूपों की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्लेटफार्म की लागत 44 करोड़ रुपये और गैस निकासी के लिए पाइपलाइन की लागत 46 करोड़ रुपए है। कूपों की लागत लगभग 80 करोड रुपए है। ओ एन जी सी के स्वामित्व वाला जैक अप रिग सागर रत्न सन 1984 में लगभग 40 करोड़ रुपए की

लागत पर खरीदा गया। इसको स्थानापन्न करने वाले रिग की वर्तमान लागत लगभग 120 से 150 करोड़ रुपए होगी।

प्लेटफार्म और रिग – सागर रत्न, मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. के साथ पैकेज इंश्योरेंस नीति के तहत बीमित है। ओ एन जी सी ने इस घटना की रिपोर्ट इंश्योरेंस कम्पनी के पास दर्ज करा दी है। मूल्यांकन करने के लिए बीमा सर्वेक्षकों ने दिनांक 14.03.99 को स्थल का दौरा किया।

तेल/गैस अनियंत्रित प्रवाह और आग लगने की ऐसी ही घटनाएं पहले भी बम्बई हाई में सन् 1982 में, कृष्णा गोदावरी जमीनी के मांडापेटा और पसरलापुडी क्षेत्रों में सन् 1992 और सन् 1995 में तथा गुजरात में अंकलेश्वर क्षेत्र में सन् 1998 में हुई थीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर और विचार करेगी।

अब माननीय प्रधान मंत्री जी उत्तर देंगे ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आज शून्य काल नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है ? आज आप यह बात नहीं उठा सकते। आप यह मुद्दा कल उठा सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हर मामले पर चर्चा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

अपराह्न 12.14 बजे

दिल्ली में झुग्गी बस्ती में भीषण आग के बारे में

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में भयंकर आग लगी थी जिसमें 50 जानें गई। *...(व्यवधान)* काफी नुकसान हुआ है। श्री हन्नान मोल्लाह ने उस स्थान का दौरा किया था। उन्होंने नोटिस दिया था। कृपया उन्हें यह मुद्दा उठाने की अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)* यह मेरा विनम्र निवेदन है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। वे वहां जा चुके हैं। उन्होंने उस जगह का दौरा किया है। कृपया उन्हें उस मुद्दे को उठाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी अध्यक्षपीठ ने आग की घटना के बारे में पहले ही उल्लेख किया है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि अध्यक्ष पीठ ने पहले ही आग की घटना का उल्लेख किया है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ वे वहां गए थे। कृपया श्री हन्नान मोल्लाह की बात सुनिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझ लीजिए कि आज अध्यक्ष पीठ ने कल हुई आग की दुर्घटना के संबंध में टिप्पणी की थी।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं भी नोटिस दे चुकी हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

अपराह्न 12.16 बजे

इस समय श्री पारसनाथ यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, मुझे आप सभी के विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है, यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध में राज्य सरकार से संबंधित मामले नहीं उठा सकते ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.17 बजे

इस समय श्री के. पी. मुनुसामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना चाहिए, कि आप इस सभा में राज्य सरकार से संबंधित मुद्दा नहीं उठा सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए। यह सब क्या है? *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

इस समय श्री के. पी. मुनुसामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले, माननीय सदस्यों कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए। यह सब क्या है ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया आएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे पहले अपने–अपने स्थानों पर जाएं। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

इस समय, श्री के. पी. मुनुसामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर चले गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आग की दुर्घटना के बारे में सरकार ने कोई प्रतिक्रिया की है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कृपया हमें बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ने आग की दुर्घटना पर कोई प्रतिक्रिया की है ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : सर, पहले मुझे बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति बाद में दूंगा। अब गृह मंत्री जी बोलेगें। श्री बसुदेव आचार्य कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, सभापति आग की दुर्घटना के बारे में पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। मुझे कई नोटिस प्राप्त हुए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना जी ने भी एक नोटिस दिया है। यह सब क्या है ? कृपया बैठ जाइए। श्री बसुदेव आचार्य कृपया बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया हमें अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सर, आपको हमें सुनना पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको कृपया यह समझना चाहिए कि मुझे कई नोटिस प्राप्त हुए हैं। अध्यक्षपीठ ने भी आग की दुर्घटना के बारे में कुछ टिप्पणी की थी । गृह मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : आप गृह मंत्री जी को उत्तर देने नहीं दे रहे हैं। यह क्या तरीका है? यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब गृह मंत्री जी उत्तर देना चाहते है तो आप उन्हें उत्तर देने नहीं देते। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, श्री हन्नान मोल्लाह जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने दुर्घटना देखी थी। इसलिए वे यह कहना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ है। उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जाए?

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया स्थिति को समझें, अध्यक्ष पीठ ने पहले ही टिप्पणी कर दी है और गृह मंत्री उत्तर देने जा रहे हैं। किंतु आप उन्हें उत्तर देने नहीं दे रहे हैं। मुझे अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री मदन लाल खुराना ने भी सूचना दी है। मैं उन सभी सदस्यों को कैसे अनुमति दे सकता हूँ जिन्होंने सूचना दी है ?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय हमें आशंका है कि यह आगजनी का मामला है। यह आरोप है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ, वहां बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के गरीब लोग रहते थे। वे पिछले 15–20 वर्षों से वहां रह रहे थे। वे सभी गरीब लोग हैं और गरीबी की हालत में जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाला खुराना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, मैं पहले श्री मदन लाल खुराना को अनुमति देता हूँ। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा।, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री को सभा को सूचित करना चाहिए कि वहां क्या हुआ है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, गृह मंत्री को सभा को बताना चाहिए कि क्या हुआ है ऐसी बड़ी आपदा हुई किंतु सरकार चुप बैठी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैने इस बारे में बाकायदा आपको नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)* कल दिल्ली के अन्दर जो अग्निकांड हुआ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव मैंने उन्हें अनुमति दी है क्योंकि मुझे सूचना प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं। वहां आग लगाई गई है। वहां आग नहीं लगी है। वहां के लोगों की जानबूझकर हत्याएं की गई हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नही किया जाएगा

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : श्री मुलायम सिंह जी, आप बाद में बोलना, पहले मुझे कहने दें। ...*(व्यवधान)*.. अध्यक्ष जी, दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ। किसी अखबार ने मरने वालों की संख्या 26 दी है, किसी ने 50 दी है। शायद आजादी के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ है। पहले भी ऐसी घटनायें होती थीं, झुग्गी–झोंपड़ियों में आग भी लगती थी और बाढ़ भी आती थी लेकिन जिस तरह की यह घटना हुई है, आजादी के बाद दिल्ली में ऐसी घटना न देखी और न सुनी है।

अध्यक्ष जी, 50 लोग मारे गये, 60 से अधिक लोग झुलस गये, हजारों झुग्गियां राख हुई । अधिकतर शव मस्जिद से मिले, जैसाकि अखबारों में आया है। ... *(व्यवधान)* .. अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में आपको नोटिस दिया है। मुझे कहने का मौका दिया जाये। दिल्ली में इससे बड़ी घटनायें भी हो सकती हैं, यदि मुझे नहीं बोलने दिया गया। मेरा कहना यह है कि दिल्ली में अपनी किस्म का ऐसा पहला हादसा हुआ है, ऐसी दर्दनाक घटना पहले कभी नहीं हुई। दिल्ली में हर साल बाढ़ आती है, आग लगती है लेकिन ...

श्री मुलायम सिंह यादव : आप यह बताइये कि क्या करना चाहिये ?

श्री मदन लाल खुराना : परन्तु ऐसा दर्दनांक हादसा पहली बार हुआ है। खेद है कि अफसरशाही और दिल्ली सरकार की लापरवाही, बेरहमी और अमानवीय व्यवहार के कारण दिल्ली में ऐसी घटनायें हुई हैं। ये लोग अन्य प्रदेशों से यहां रोजी–रोटी कमाने के लिए आते हैं। इस समय दिल्ली में साढ़े चार लाख झुग्गी–झोंपड़ी हैं जिसमें 20–25 लाख लोग रहते हैं। आज आप जो दिल्ली देख रहे हैं, बडे लोगों की है। एक करोड़ की आबादी में 60 लाख लोग झुग्गी–झोंपडियों, स्लम ऐरियाज में और अन्य पुनर्वास कालोनियों में रहते हैं। अध्यक्ष जी, जब मैं दिल्ली का मुख्य मंत्री था, मैंने तीन बातें की थी। अगर वे पूरी की गई होतीं ...*(व्यवधान)*... अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कहा कि ये झुग्गी–झोंपड़ी जिस तरह से बसीं, उनमें कोई गली नहीं, कोई रास्ता नहीं। अगर कोई हादसा हो जाये तो भागने के लिये जगह नहीं और फायर ब्रिगेड के लिए जाने को जगह नहीं। मैंने उस समय दिल्ली स्लम विकास बोर्ड का गठन किया गया था। उसे कानूनी जामा पहनाने के लिये कानून बनाना चाहिये। आज पांच साल हो गये हैं ...*(व्यवधान)* आज तक वह कानून नहीं बना। मेरा निवेदन है कि इन झुग्गी–झोंपड़ियों का री–लोकेशन हो, इनकी ठीक व्यवस्था हो। एक बुच कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट को आये हुये 3–4 साल हो गये हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं सोचता हूं कि यदि बुच कमेटी पर कार्यवाही की गई होती तो शायद इस घटना को काफी हद तक बचाया जा सकता था।

अध्यक्ष जी, जिस जगह पर कल घटना हुई है, वहां हर साल बाढ़ आती रही है, आग लगती रही है, उस इलाके की सुरक्षा के लिऐ बुच कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। मैं इन गरीबों की दुर्दशा के लिए किसी पार्टी या सरकार को दोषी सिद्ध नहीं करना चाहता। कटु सत्य यह है कि हम लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मनुष्य मानते ही नहीं, उन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं। चुनाव के समय इन लोगों से वोट कैसे मिलें, इसका ध्यान रहता है। ये गरीब लोग दूसरे प्रदेशों से रोजी–रोटी कमाने के लिये आये हुए हैं इनकी देखभाल के लिए और इनकी मूलभूत सुविधा के लिए तथा इनको स्थायी रूप से पुनर्वास के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इसलिए राजनैतिक इच्छाशक्ति का इसके अंदर आभाव है। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं।

दिल्ली स्लम विकास बोर्ड एक टास्क फोर्स का गठन करे। जो पिछली तीनों चीजें मैंने बताई हैं – स्लम विकास बोर्ड को कानूनी जामा पहनाया जाए। ...*(व्यवधान)* इसके लिए मेरा कहना है कि एक हाई कोर्ट के जज की ज्यूडीशियल इनक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो देखे कि कारण क्या हैं और आइन्दा से ऐसी घटनाएं न हों उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं।

दूसरा निवेदन यह है कि दिल्ली का तीसरा मास्टर प्लान बन रहा है और अभी तक जो वो मास्टर प्लान 20–20 सालों के लिए बने, उनमें झुग्गी–झोंपडियों का कोई जिक्र नहीं है, इस तरह की अनॉथराइज्ड कलोनियो के बारे में कोई जिक्र नही है। मेरा कहना

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

है कि जो 2001 के बाद तीसरा मास्टर प्लान दिल्ली का लागू होना है, ...*(व्यवधान)* आपको पता नहीं है तो मुझे बोलने दीजिए। दिल्ली की समस्या को समझिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, 1961 से 2000 तक 40 सालों के लिए दो मास्टर प्लान बने लेकिन उसमें एक लाइन भी दिल्ली की झुग्गी–झोंपड़ियों के पुनर्वास के लिए नहीं है। ... *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि जो लोग मरे हैं, उनके परिवारों को एक–एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, उनको पुनर्वासित किया जाए और सारी झुग्गी–झोंपड़ियां जो दिल्ली में हैं, इनको री–ऐलोकेट किया जाए। दिल्ली की जमीन सीमित है, इसलिए हॉरिजांण्टल नहीं हो सकता तो वर्टिकल कैसे किया जाए, इसके लिए प्लान बनाया जाए ताकि आइन्दा से ये घटनायें न हों। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए। जो नहीं हो पाया उसको टाइम बाउंड तरीके से पूरा किया जाए, तभी यह रुक सकता है।

श्री हन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष जी, कल जो घटना दिल्ली में घटी है, यह राजधानी में आजादी के बाद सबसे बडा अग्निकांड है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, सबसे ज्यादा घर जले और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।

अध्यक्ष जी, मैं कल चार बजे से उधर था। घटना घटने के समय से था। आपको मालूम है कि उस इलाके में 20000 की आबादी है और बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गरीब लोग वहां रहते हैं जो रैग पिकर्स हैं और डेली मज़दूर हैं। सब गरीब मज़दूर हैं। उनके ऊपर पुलिस के जुल्म लगातार होते रहते हैं । वहां के थाने के एस. एच. ओ. और सिपाही हर वक्त लोगों को तंग करते हैं। पिछली 30 तारीख को 73 लोगों को पुलिस उठाकर ले गई थी और उसके बाद पैसा लेकर छोड़ा। कभी उनको बंगाली बोलते हैं और कभी बंग्लादेशी बोलते हैं। और भी कई आरोप लगाकर उनसे पैसा खाते हैं। उनके ऊपर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ हमने एक प्रतिवाद मीटिंग रखी थी । कल प्रतिवाद मीटिंग मस्जिद के सामने होने वाली थी । इद्रजीत गुप्त जी, राम विलास पासवान जी और मैं तथा और कुछ लोग जो हमारे संसद के सदस्य हैं, लोकल लोग हैं, उनको उस प्रतिवाद मीटिंग में भाषण देना था। जो लोग कांस्पिरेसी करते हैं, जो उनके घर उजाड़कर बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर जब मीटिंग शुरू हुई तो मीटिंग स्थल से 30 गज की दूरी पर आग लगाई और मेरा आरोप है कि पुलिस और कम्यूनल फोर्सेस तथा जो ऐण्टी पीपल फोर्सेज़ हैं, उन्होंने लोगों को उजाड़ने के लिए जान–बूझकर आग लगाई। मैंने मुख्य मंत्री से बात की और उनसे मांग की कि इसकी जांच करने के लिए एक हाई पावर्ड इनक्वायरी कमेटी हाई फवर्ड जज द्वारा होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण हैं। एस. एच. ओ. और दूसरे पुलिस वालों का तबादला होना चाहिए। जिन लोगों को मौत हुई, उनके परिवारों को एक लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए। जो आहत हुए या घायल हुए, उनका भी मुफ्त इलाज होना चाहिए और उनको एडीक्वेट कंपन्सेशन देना चाहिए। जिनके राशन कार्ड जल गए या खो गए उन्हें डुप्लीकेट राशन कार्ड तुरंत दिए जाएं।

जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए टैम्पोरेरी हाउसिंग की तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए, वहां कपड़ा, पीने का पानी, दवाई आदि जो खत्म हो गई हैं, उनकी भी तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। जो घर जले हैं, प्रत्येक को हट बनाने के लिए तीस हजार रुपया देना चाहिए। श्री मदन लाल खुराना जी ने जो प्लान के बारे में बताया, सही ढंग से ऐसा प्लान और स्कीम बनानी चाहिए कि वहां क्लस्टर्स न बनें, वहां ठीक ढंग से रास्ते, ड्रेनेज, पीने का पानी आदि होना चाहिए ताकि आग लगने की घटनाऐं खत्म हो सकें ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : सर, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए .. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह कृपया बैठ जाइए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या यही प्रक्रिया है ? जब कोई सदस्य बोल रहा है तो आप ऐसे कैसे खडे हो सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : भविष्य में पुलिस का अत्याचार खत्म होना चाहिए। जो लोग मरे हैं उनको कम्पेमसेशन मिलना चाहिए ..*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : सर, मैं भी बोलना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जब मैंनें एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी है तो आप कैसे बोल सकते हैं ? आप ऐसे कैसे खडे हो सकते हैं ? कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : सर, जो लोग मरें हैं, उनके परिवारों को कम्पेनसेशन मिलना चाहिए और पुलिस का अत्याचार बंद होना चाहिए और यह सब करके एक टोटल काम्प्रीहेन्सिव प्लान सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को तैयार करना चाहिए और टाइम बाउंड तरीके से ये सब चीजें होनी चाहिए, यही हमारी मांग है।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैंने भी नोटिस दिया है, दूसरे मैम्बर्स ने भी नोटिस दिया है, उनको सुनना चाहिए। यह बहुत दुख की बात है, दिल्ली में जो घटना कल हुई है, वह बहुत दुखद घटना है। वहां फायर ब्रिगेड ने पहुंचने में इतनी देर कर दी कि सारे घर जल गये, वहां हजारों हट्स थीं, जो जल गईं, चूंकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। खुराना जी ने जो बात कही है कि दिल्ली में झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। वहां पुलिस ने भी मदद नहीं की, फायर

ब्रिगेड ने भी मदद नहीं की। इसके बाद जो लोग ट्रीटमैंट के लिए गये, उनको भी मदद नहीं मिली। कल रविवार था, याद रखें महोदय, हमने अपने राज्य में भी देखा है कि आग विशेषकर शनिवार या रविवार को ही लगती है। स्पेशली ऐसा छुट्टी के दिन होता है। आग जब मस्जिद की तरफ गई तो जो लोग मस्जिद में थे वे मर गये। इसलिए मैं मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि यह फायर का मामला कोई आसान मामला नहीं हैं। यह कोई प्री–प्लान्ड गेम है, इसमें कोई सेवोटेज है। इसलिए सरकार को इसमें इन्वेस्टीगेशन करना चाहिए और एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए जो इस बारे में इम्पार्शियली रिर्पोट दे। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर को स्टेटमैंट देना चाहिए। वहां 50 से ज्यादा आदमी मर गए हैं, दो हजार से ज्यादा घर जल गये हैं वे लोग रास्ते में पडे हैं, उनके लिए कोई इमरजेन्सी सैट अप नहीं हुआ है। हॉस्पीटल में दवाईयां नहीं मिलती हैं, बिना दवा के बहुत सारे आदमी मर चुके हैं। अगर कोई इमरजेन्सी सिचुएशन पैदा होती है तो सरकार को इमरजेन्सी सैल की जरूरत होती है, इमरजेन्सी सैट अप करना पडता है। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मैं होम मिनिस्टिर को रिक्वेरट करना चाहती हूं, राज्य सरकार में तो अलग पार्टी है, लेकिन होम मिनिस्टर हमारी केन्द्रीय सरकार के हैं, हम पार्लियामैंट में होम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप लोग उनके घर बनाने के लिए इंतजाम कीजिए।

[अनुवाद]

क्योंकि हुडको सरकार के नियंत्रण में है। सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं और हुडको से इन लोगों के लिए झोंपड़ियां बनानें का अनुरोध किया जा सकता है ...*(व्यवधान)* हुडको घर बना सकता है।

मैं श्री खुराना और श्री मोल्लाह की बात का समर्थन करता हूं। इन लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए और पर्याप्त मुआवजा अर्थात् एक लाख रुपये मृतकों के निकट संबधियों में से प्रत्येक को दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सर, किसी की जिंदगी चली जाती है तो रुपये से जिंदगी वापस नहीं आती है। लेकिन उनको बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है और जिसने ऐसा किया है उसको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि ऐसी चीज दोबारा न होने पाये, इसके लिए सरकार को विजिलेन्स रखना चाहिए। लॉस ऑफ प्रोपर्टी को पूरा करना चाहिए। पुलिस इमरजेन्सी इंतजाम रखना चाहिए। गरीब जनता अपनी शिकायत डायरी नहीं करवा सकती है, उनकी बात कोई नही सुनता है। उनको एफ. आई. आर. लॉज नहीं करने देते हैं। उनकी प्रोपर्टी का कितना लॉस हुआ है।

[अनुवाद]

दुर्भाग्यवंश, वे बंगला भाषी लोग हैं। उनका उत्पीडन किया जा रहा है। यह सत्य है। जब श्रीमति सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थीं तो मैंने इस मुददे को उनके साथ भी उठाया था।

महोदय, हम सभी भारतीय है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम नहीं जानते कि कौन बंगाली, कौन गुजराती, कौन मराठी, कौन ईसाई या सिक्ख या असमी या आंध्र प्रदेश का रहने वाला या तमिल है। अलग–अलग समुदाय के लोग देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं कुछ समुदाय अल्पसंख्यक हैं और कुछ बहुसंख्यक हैं। सरकार का कर्तव्य हर किसी की सुरक्षा करना है।

एक व्यापक कार्य योजना होनी चाहिए विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ताकि उन्हें परेशानियां ना झेलनी पड़ें। मै माननीय गृह मंत्री, उन्होनें उस जगह का दौरा किया है, तथा माननीय प्रधान मंत्री से भी न केवल उन्हें राहत प्रदान करने व उनके पुनर्वास के उपाय करने का अनुरोध करती हूँ अपितु शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती हूँ। यदि वे अस्पताल में जाएं तो प्रभावित लोगों को कम से कम दवा तो मिल जाएगी। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं पारसनाथ यादव को बोलने की अनुमति देता हूँ। उसके बाद मैं श्री बूटा सिंह को बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पारसनाथ यादव ने सूचना दी है।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय मैंने भी सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि कल दिल्ली में ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है कि जब कोई हमारी ओर से बोलने के लिए खड़ा होता है, तब उधर से शोरगुल किया जाता है। कृपया इसे रोकें। ...*(व्यवधान)*

श्री पारसनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा खुराना जी ने कहा, मैं पूरी कहानी में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि यह बड़ा गंभीर मामला है और इस अग्निकांड में 50 से ज्यादा लोगों की जानें गईं हैं और 10 हजार से अधिक झुग्गी–झोंपड़ियां जलकर राख हो गईं हैं। उसके पीछे कारण क्या हैं, महोदय इनके बारे में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस उर्दू अखबार "कौमी आवाज" की ओर, यह बहुत पुराना और जाना–माना अखबार है, इसने स्पष्टतौर पर लिखा है कि पिछले रविवार को शिव सेना की एक सभा हुई जिसमें उद्धव ठाकरे जी ने कहा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह नहीं बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव : अध्यक्ष महोदय, उस दिन उस मीटिंग में यह हुआ और कहा गया कि प्रधान मंत्री महोदय की ओर से हिन्दुत्व का नारा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि .. . *(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, वहां लोगों की जान चली गई यहां ये राजनीति कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है तो इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जा सकता है। क्या सरकार की ओर से उस पर कोई प्रतिक्रिया है?

...(व्यवधान)

श्री लाल बिहारी तिवारी : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप स्थानीय सांसद हैं?

श्री लाल बिहारी तिवारी : जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अब बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थानीय सांसद को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, कृपया आप मुझे बोलने की अनुमति दें ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह आप उसी विषय पर नहीं बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

.....(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, मुझे केवल आधा मिनट बोलने की अनुमति दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति बाद में दूंगा। कृपया यह समझने की कोशिश करें कि आप का विषय वही नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, मुझे मात्र आधा मिनट दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल बिहारी तिवारी, क्या यह आपके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है।

श्री लाल बिहारी तिवारी : जी हाँ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली में ही एक भयंकर आग लगने की दुखद घटना घटी, जिसमें 60 झुग्गियां जलकर राख हो गईं हैं और लाखों रुपए का सामान जल गया। उसमें एक ऐसी बहन भी थी जिसने अपनी लड़की की शादी के लिए तमाम सामान इकट्ठा किया था और शादी के लिए 15–20 हजार रुपए भी कर्ज लेकर रखे थे, लेकिन वह सब जलकर स्वाहा हो गया। महोदय, उसके 24 घंटे के अंदर ही विजय घाट की झुग्गियां जलने की यह दूसरी घटना हुई है। महोदय, जैसा खुराना जी ने कहा पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र बहुत बडा संसदीय क्षेत्र है और इसकी 25 प्रतिशत आबादी झुग्गी–झोंपड़ियों में रहती है। इन गर्मियों में भयंकर आग लगने की दर्जनों घटनाएं होंगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल गर्मियों के दिनों में ही आग लगने का मामला नहीं है बल्कि बरसात में यमुना नदी के अंदर भयंकर बाढ आती है तब भी वहां से लोगों को निकाला जाता है और उस पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन गरीब लोगों की जानमाल की रक्षा करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें स्थाई तौर पर बसाया जा सके। पहले भी ऐसे बहुत लोगों को रोहिणी और नरेला में स्थापित किया गया है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनको पक्के मकान बनाने की इजाजत देनी चाहिए क्योंकि जब झुग्गी में एक बार आग लगती है तो उससे सैंकड़ों–हजारों झुग्गियां जल जाती हैं। अगर उसमें ईंटों की छत होगी तो उसमें झुग्गी नहीं लगेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले में विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। वहां माननीय गृह मंत्री जी गये और उन्होंने उन लोगों की बातें सुनी। मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दिल्ली के अंदर कोई झुग्गी नह रहे और जो झुग्गियां हैं, उनको अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सुविधायें दी जायें।

श्री मोती लाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के झुग्गी–झोंपड़ी में कल जो भंयकर अग्निकांड हुआ, उससे हजारों झुग्गियां नष्ट हो गईं। उसके साथ–साथ उनकी सम्पति

और 40 लोगों की मृत्यु हो गई। इस पर राज्य सरकार बराबर ध्यान दे रही है। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में बार–बार झुग्गियों के जलने की घटनायें होती रहती हैं। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इन झुग्गी–झोंपड़ी के स्थान पर लोगों को बसाने की उचित व्यवस्था हो। जो लोग मर गए हैं या घायल हुए हैं, केन्द्र सरकार बराबर वित्तीय सहायता दे ताकि वे अपने पैरों पर वापिस खड़े हो सकें। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से घोषणा की है लेकिन दिल्ली में केन्द्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जितने लोग मरे हैं शायद मरने वालों की संख्या जब तक मलबा नहीं हटता तब तक पता नहीं चलेगी लेकिन 50 लोगों के मरने की जानकारी अखबारों से मिल चुकी है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को तत्काल इसके लिए राहत देनी चाहिए तथा उन्हें उचित स्थान पर बसाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री लालू यादव : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो भीषण अग्निकांड किया गया है या कराया गया है, उससे पूरा सदन और सभी दल के लोग मर्माहत हैं, चिन्तित हैं। यह एक गंभीर विषय है। इसकी जांच अवश्य करा ली जानी चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि दिल्ली में जो झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वे बिल्कुल गरीब लोग हैं, बैक बैंचर्स हैं, कामकाजी लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, शहर को सजाने वाले लोग हैं लेकिन उनको आज तक जमीन का ओनरशिप नहीं मिला है। जब वी. पी. सिंह जी प्रधान मंत्री थे तब झुग्गी–झोंपड़ी में रहले वाले लोगों को राशन कार्ड दिया गया था। आज भी उन पर मारपीट, बेदखली, आग लगाओ या पुलिस जुर्म लगातार चल रहा है और वे लोग पलायन कर रहे हैं। .....*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार को मालूम होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर झुग्गी–झोंपड़ी के गरीब लोगों ने दिल्ली की भाजपा सरकार को वोट न देकर कांग्रेस को वोट दिया था। इसलिए जहां बसे हुए लोग हैं, उन्हें वहां आप जमीन का ओनरशिप दें। उनको मकान दिया जाये। उनको अलग से फ्लेट बना दिया जाये। यह एक बड़े पैमाने पर भारी राहत होगी। जो मर गये हैं, उनको हम लौटा नहीं सकते हैं चाहे हम जितना माथा पटक लें होम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए कि जो लोग परदेसी हैं, उनका स्वरूप क्या है? हवाई जहाज के ऊपर से और नीचे से भीख मांगते हुऐ लोगों को देखा जाता है। ... *(व्यवधान)* मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। यहां बिहार के हैं, यू. पी. के हैं और बंगाल के हैं जिनको आपने जलाया है। जब जांच होगी तब पकड़ में आ जायेगा कि उन्हें किसने जलाया है। जो क्रिश्चियन लोगों को जला रहे हैं, कहीं उन्होंने ही तो नहीं जला दिया। यह जांच का विषय है। मैं बिना जांच के छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, यहां बिहारी या बाहर के लोगों को मतदाता भी नहीं बनाया गया। जो मजदूर हैं, जो बसे हुए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। कहीं बंगला देश की बात आती है, इसलिए आप बड़े पैमाने पर राहत का काम करिये और दो लाख रुपये नहीं, बल्कि पांच–पांच लाख रुपये कम्पेंसेशन उनके आश्रितों को देना चाहिए और एक–एक आदमी को सर्विस दीजिए। उनके लिए पीने का पानी नहीं है, शौच जाने का स्थान नहीं है। हमारी बेटियां शौच कहां जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, आप खुद गरीबो के प्रति, दलितों के प्रति संवेदनशील हैं। सरकार को चाहिए कि स्पष्ट रूप से यह बात हो जाये, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, एक भी झुग्गी–झोंपड़ी का आदमी जहां बसा है, अगर वह बेदखल हुआ तो आपको कहना चाहिए कि सरकार बेदखल हो गई। आप उनको पैसा दीजिए, मकान बनाइये, उनके बेटे–बेटी की पढाई–लिखाई का इन्तजाम कीजिए, तब यह बात साफ–साफ आयेगी कि यहां गरीबों के पक्षधर लोग हैं। हम लोगों की मांग है कि आप इसकी जांच करवाइये और जांच में जो लोग दोषी हों, उनके नाम प्रकाशित होने चाहिए । .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह क्या आप भी उसी विषय पर बोलेगें?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : जी हां । ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और आज पूर्व प्रधान मंत्री जी खडे हो गये, उनको बोलना है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.) : मैं एक मिनट में बोलता हूं।

यह दुखद घटना है, इससे सब लोग चिन्तित हैं। झुग्गी–झोंपड़ियों को हम सब लोग बसाना चाहते हैं। मैं आपके जरिए इस सदन से निवेदन करता हूं कि सांसद कोष से हम लोगों को जो पैसा मिलता है, उसमें से सब सदस्य 10 लाख रुपया झुग्गी–झोंपडियों को खत्म करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। राम नाईक जी यहां बैठे हैं, वे इसकी अनुमति दें और उससे एक कोष तैयार किया जाये। हमारे प्रधान मंत्री जी हैं, वे प्रधान मंत्री कोष से पैसा दें। इस काम की आज ही शुरूआत की जाये और संसद् सदस्य अभी निर्णय करें। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, आज देश की राजधानी में जो सबसे बड़ी ट्रेजडी हुई है, उसमें सबसे गरीब लोग शामिल हैं। सदन ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति, अपनी हमदर्दी उनके साथ जताई है। इसमे केवल दो चीजें मैं गृह मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहूंगा, निवेदन करूंगा। अखबारों में लिखा है कि गृह मंत्री महोदय वहाँ गये और उन्होनें दिल्ली प्रसासन के नाम कुछ डायरेक्शंस दी हैं। गृह मंत्री महोदय वहां गये हैं तो इनका सबसे पहला फर्ज यह था, क्योंकि यह राष्ट्र की त्रासदी है, बहुत बडी ट्रेजडी हुई है, कि ये सदन में आकर सो मोटो स्टेटमेंट देते कि वहां यह हालत हो गई। बडे दुख की बात है कि गृह मंत्री जी इसको सम्भव नहीं समझा। ... *(व्यवधान)* मुझे कहने दो न। यहां पर स्टेटमेंट हो जाता।

इसमें सबसे गरीब लोग मारे गये हैं, इसमें दलित लोग मारे गये हैं, माइनोरिटी के लोग मारे गये हैं। इसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, यू. पी. और हरियाणा के लोग मारे गये हैं। मेरी मांग यह है कि एक तो जैसा मदन लाल खुराना जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि दिल्ली के अन्दर जो झुग्गी–झोंपडियों में और पटरी पर रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में भारत सरकार की क्या नीति है और दूसरे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम है। अखबारों में लिखा है कि इसमें बहुत बडी कांस्प्रेसी है यह एक्सीडेंट नहीं है। उस कांस्प्रेसी की जांच के लिए क्या आप ज्यूडिशियल इन्क्वायरी अंडर दि कमीशन ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट बिठाएंगे ताकि पता चल जाये कि यह हादसा है या साजिश है ? उसके अन्दर जो कम्पेसेशन की बात सदन के सभी साथियों ने की है, वोरा जी ने कहा है और चन्द्रशेखर जी ने कहा है कि हम तो अगर चाहें तो पूरा फड भी दे दें, लेकिन दिल्ली के अन्दर कोई भी आदमी पटरी पर न बैठे तो भी हम देने के लिए तैयार हैं, मगर भारत सरकार की इसके बारे में क्या नीति है ? भारत सरकार की नीति स्पष्ट करने के लिए प्रधान मंत्री या गृह मंत्री महोदय बयान दें और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री बोलेंगे।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चाँदनी चौक) : जो क्षेत्र आप लाल बिहारी तिवारी जी का कह रहे हैं, उसमें मेरा भी क्षेत्र है। मुझे आप दो मिनट के लिए बोलने दे सकते हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को अनुमति कैसे दे सकता हूँ ? मैने दिल्ली के सदस्यों को भी अनुमति दी है, मैं सभी सदस्यों को अनुमति कैसे दे सकता हूँ।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आप सीनियर मैम्बर्स को समय दे सकते सकते हैं, लेकिन दिल्ली के एम. पीज. को दो मिनट नहीं दे सकते। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं दिल्ली के सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ। हमारे पास अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं।

... *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गोयल जी आप बैठिए।

श्री विजय गोयल : आप मुझे दो मिनट दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, मैं आपको केवल एक मिनट का समय दे रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, दिल्ली में झुग्गियों के अंदर कल शाम जो आग लगी, उसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। हममें से कोई इसके कारण में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि छह लाख लोग हर साल दिल्ली में आते हैं। सबको बड़ा अच्छा लगता है यह कहना कि झुग्गियों को बसाया जाए। आप जानते हैं कि जो झुग्गी–झोंपड़ियां बसी हुई हैं, वहां जाने का रास्ता नहीं है। लालू जी चाहे दस आरोप लगा दें, आधे से अधिक लोग बिहार से आए हुए हैं, क्योंकि वहां विकास के काम नहीं हो रहे हैं। अगर बाहर राज्यों में विकास के काम होंगे तो दिल्ली पर इतना लोड नहीं पड़ेगा ...*(व्यवधान)* अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि झुग्गियों के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी आप बैठिए।

श्री विजय गोयल : दिल्ली की मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली के सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। मैंने उसमें कहा कि आग लगने की जो घटनाएं होती हैं और जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसके चलते बिल्डिंग गिर जाती हैं, यह तब तक बंद नहीं होगा जब तक गैर कानूनी निर्माण होता रहेगा। मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार साइन करे, हम सब लोग मिलकर आपकी मदद करने को तैयार हैं।

लालू जी ने पांच–पांच लाख रुपए के मुआवजे की बात कही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे पहले जहानाबाद वालों को पांच–पांच लाख रुपया दें और इसका राजनीतिकरण न करें। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। झुग्गी–झोंपड़ियां ज्यादा न बसें, बाहर से लोग न आएं इसके लिए उन राज्यों में विकास होना चाहिए। ... *(व्यवधान)* जब तक झुग्गी–झोंपड़ियों में सुविधा नहीं देंगे, काम नहीं चल सकता ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, देश को इस प्रकार बंटने न दें। वे भी भारत की नागरिक हैं । ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अगर वहां विकास नहीं होगा तो वहां के लोग यहां आएंगे ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह एक साजिश के तहत हो रहा है ... *(व्यवधान)*

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी एक मिनट दे दें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब हम गृह मंत्री को सुनेगें।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नही किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले आप दिल्ली के सदस्य नहीं हैं । कृपया बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष जी, दिल्ली में रहते हुए पिछले सालों में भी कई बार इस प्रकार के अग्निकांड देखने का अवसर मिला, लेकिन इतना भयंकर, इतना भयानक और इतना दर्दनाक अग्निकांड जैसा कल सायंकाल देखा, शायद पहले कभी राजधानी में नहीं हुआ होगा। इस कारण सदन के सभी सदस्यों ने जो व्यथा प्रकट की है, वेदना प्रकट की है, मैं अपने को उसके साथ सम्बद्ध करता हूं। मैं मानता हूं कि यह घटना हमको झकझोर करके कई बातों को सोचने को प्रवृत करेगी, यह अच्छा होगा।

खुराना जी ने कुछ बातें कहीं जिनका संबंध दिल्ली के विकास के साथ है लेकिन कल की घटना के बारे में कुछ लोगों ने आशंकाएं प्रकट की हैं। जो कल मैंने देखा, उसके आधार पर मुझे आशंका नहीं लगती थी लेकिन फिर भी उसकी जांच होनी चाहिए और प्रधान मंत्री जी से मैंने सलाह की है और मैं समझता हूं कि कल के इस भीषण अग्निकांड की तह में जाने के लिए उसके कारणों की मीमांसा करने के लिए अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अधीन एक कमीशन बिठाया जाए तो उपयुक्त होगा। इसीलिए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। उसके लिए उपयुक्त टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएगी और हम चाहेंगे कि उच्च न्यायालय का जज इस बात की जांच करें। ...*(व्यवधान)* अभी कल शाम को जब मैं वहां पहुंचा था तो जो अधिकारी वहां मौजूद थे, उन्होने कहा कि हमने अभी तक 26 लाशें गिनी हैं लेकिन वे कहते थे कि और लाशें होगी। कुछ लोग कहते थे कि अभी कुछ लाशें सीधी अस्पताल में पहुंचा दी गई हैं और वे कह रहे थे कि 40 लोग मर चुके हैं। आप पत्र–पत्रिकाओं में 50 लोगों से अधिक मरने वालों की संख्या बताई गई है। इन सब बातों की जांच हो रही है और दिल्ली सरकार, नगर–निगम, पुलिस और केन्द्रीय सरकार का अर्बन डिपार्टमेंट, से सब सामूहिक रूप से इस समय राहत कार्य में लगे हुए हैं। उनको जितनी राहत हम दे सकें, वह दें और जो भी व्यवस्था हम कर सकें, वह हम करें लेकिन हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो नदी में है, जो नदी का हिस्सा है। वह कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जो झुग्गी बनी हुई है, वह लैंड आप दे दीजिए, जैसा यहां कहा जा रहा था, वह उपयुक्त नहीं है। उसमें से कुछ हिस्सा नई दिल्ली कांस्टीट्यूएंसी में पड़ता है, कुछ हिस्सा तिवारी जी कांस्टीट्यूएंसी में पड़ता है। कुल मिलाकर यह एक फैला हुआ क्षेत्र है जिसमें बसने वाले लोग बहुत कमजोर वर्ग के गरीब लोग हैं। इस प्रकार की घटना पहले भी हुई है, इतनी भयानक नहीं लेकिन आग लगती रही है और इसीलिए उपयुक्त होगा कि जिस समय हम स्लम्स डेवलपमेंट के बारे में सोचें तो ऐसी योजना बनाए कि जिस योजना के आधार पर हम आगे के लिए भी इस संकट से मुक्त हो जाएं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इस दुर्घटना को हम कमजोर वर्गों के राहत की दिशा में काम करके परिवर्तित करेगें। जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे, उसके भी टर्म्स ऐसे होंगे कि वह इस मामले में भी हमारा मार्गदर्शन करे कि हम स्लम्स का इलाज करें, मुझे इतना ही कहना है।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, पुनर्वास के लिए क्या किया गया है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुरंत राहत दी जाएगी और आगे रीहैबिलिटेशन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सारे कदम उठाए जाएंगें।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधानमंत्री बोल सकते हैं।

... *(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, तमिलनाडु के मुद्दे का क्या हुआ ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णतः राज्य के कानून और व्यवस्था का मामला है। आप इसे इस सभा में कैसे उठा सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) : महोदय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बदला लेने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। ... *(व्यक्धान)*

अपराह्न 1.3½ बजे

इस समय श्री सी. गोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मुथैया को बोलने की अनुमति दी है। यह क्या है?

अपराह्न 1.04 बजे

इस समय श्री सी. गोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रत्येक मुद्दे पर सभा के बीचों–बीच आ जाते हैं। यह अच्छी परिपाटी नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु सरकार ने झूठा बयान दिया हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैंने श्री मुथैया को बोलने के लिए कहा है। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, यह पूर्णतः राज्य का विषय है। इस सभा के नियमों व प्रक्रिया के अनुसार इसे यहां नहीं उठाया जा सकता है ...*(व्यवधान)* यदि आप उन्हें अनुमति देते हैं तो मुझे भी अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, वे ऐसे मुद्दों को यहां कैसे उठा सकते है ? यह राज्य का विषय है ... *(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : महोदय, तमिलनाडु पुलिस ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध इस मनगढ़न्त कहानी के आधार पर हत्या के प्रयास और गलत ढंग से कैद करने का मामला दर्ज किया है कि उन्होने एक लेखापरीक्षक को पीटा है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, पहले मेरी बात सुनो। यह राज्य का विषय है।

श्री आर. मुथैया : महोदय, यह राज्य का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। आप इसे इस सभा में कैसे उठा सकते हैं ?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया आप कानून और व्यवस्था के मामलों को इस सभा में कैसे चर्चा कर सकते हैं ?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... *(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, हमें सभा की प्रक्रिया का पालन करना है और इस मुद्दे को यहां नहीं उठाया जा सकता है।

... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह क्या है ? श्री मुथैया को यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया समझिए। यह पूर्णतः कानून तथा व्यवस्था का मामला है।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर. मुथैया : महोदय, यह कानून तथा व्यवस्था का मामला बिल्कुल भी नहीं है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, आप पीठासीन अधिकारी भी रह चुके हैं। आप प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। आप ऐसे मामले यहाँ कैसे उठा सकते हैं ?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री आर. मुथैया : हम इस सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह इस मामले में मध्यस्थता करें ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आसन के निकट न आयें। यदि आप आसन के निकट आये, तो हम आप सबके विरुद्ध कार्यवाही करेगें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.13 बजे

इस समय, श्री सी. गोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जायें। सबसे पहले आपको सभा की प्रक्रिया जाननी चाहिए। नियमों तथा प्रक्रिया का पालन किए बिना आप ऐसे मामले कैसे उठा सकते हैं ?

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.14 बजे

इस समय, श्री सी. गोपाल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अपना स्थान गृहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, आप अनावश्यक रूप से सभा के कार्य में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप प्रक्रिया के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहाँ महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है। माननीय प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य देना है। यह क्या है ?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, यह ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आर. मुथैया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टी. आर. बालू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मैं सभा का संचालन कैसे कर सकता हूँ ? सभा को चलाना केवल अध्यक्षपीठ का कार्य नहीं है, माननीय सदस्यों को भी अध्यक्षपीठ को अपना सहयोग देना चाहिए ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टी. आर. बालू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब माननीय प्रधान मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज शून्यकाल नहीं होगा। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामले कल उठा सकते हैं, आज नहीं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। आप यह मामले उठा सकते हैं लेकिन आज नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मंत्री जी बोलेगें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. शकील अहमद मैं आपको कल अनुमति दूंगा, आज नहीं। मैं आपको अभी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आर. मुथैया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री आर. मुथैया : इसके विरोध में हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 1.18 बजे

इस समय श्री आर. मुथैया और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामानन्द सिंह, आपने पूर्व सूचना दी है। मैंने मामले के तथ्य मंगाए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेगें।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवलीकारा) : आपके मंत्री सभा से बाहर चले गए हैं। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

श्री वैको (शिवकाशी) : आप उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं ?. *.. (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आँखो देखा हाल न सुनायें।

अपराह्न 1.21 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव – जारी

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर दूं, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर मुझे नहीं देना है, सुषमा स्वराज को उत्तर देना है। मैं तो बहस में हस्तक्षेप कर रहा हूं। लेकिन भाषण से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने जा रहे हैं इसके साथ ही हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं। उनका कैटेरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है जो सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है, थोडे दिनों में वे दिल्ली वापस आ जाएंगें । हम उनके लम्बे जीवन की भी कामना करते हैं। हमारे दो वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री जी भी इस समय इलाज के लिए विदेश गये हुऐ हैं। वे जल्दी स्वस्थ्य होकर हमारे बीच में आएं, यह मेरी कामना है और मैं समझता हूं कि सारा सदन इसमें सहयोग देगा।

इस चर्चा में लगभग 40 सदस्यों ने भाग लिया और सभी विषयों का समावेश हुआ, विस्तार से चर्चा हुई। मुझे दुख है कि मैं चर्चा के दौरान पूरे समय सदन में उपस्थित नहीं हो सका। मैं मानता हूं कि मुझे यहां रहना चाहिए था।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : आपके मिनिस्टर आ गये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इससे यह गलत साबित हो गया कि उन्होंने वॉक–आउट किया था। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण किया गया है। उसमें न तो संस्कार की उपलब्धियों का बढ़ा–चढ़ाकर बखान किया गया है और न ही हवाई वायदे किये गये हैं। हमारी सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है और इस एक साल में हमने स्थिति को सुधारने की कोशिश की है और स्थिति में सुधार हुआ भी है। हमारे कट्टर से कट्टर आलोचक भी यह मानते हैं कि सरकार के बारे में जो भविष्य वाणियां की जाती थीं, कि सरकार टूट जाएगी, अपने आप बिखर जाएगी, वे भविष्यवाणियां सच साबित नहीं हुईं । सरकार का बहुमत हमने सदन में सिद्ध किया है, आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफलता पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में मिलीजुली सरकारों का प्रयोग अभी तक सफल नहीं हुआ है और हम इसे सफल करने में लगे हैं। अब एक पार्टी का बर्चस्व होगा, ऐसा दिखाई नहीं देता है। अखिल भारतीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर काम करना होगा। क्षेत्रीय दल सचमुच में अखिल भारतीय दलों की कुछ कमियों के कारण इतने प्रभावशाली हुए हैं। प्रदेशों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करना, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करना राष्ट्रीय दलों के लिए कठिन होता है। क्षेत्रीय दल तृणमूल से जुड़े होते हैं। और वे उस क्षेत्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह देश विविधता से भरा है। इसकी

विविधता विभिन्नता के रुप में राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रकट होती है, होनी चाहिए। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हमने सरकार बनाने का निश्चय किया। मिली–जुली सरकार चलाना एक कठिन काम है, लेकिन लोकतंत्र में यह कठिन काम भी करना पड़ता है। हम जिन के साथ मिल कर चुनाव लड़े थे, उनको साथ लेकर चल रहे हैं। प्रश्न केवल सत्ता के बंटवारे का नहीं है। पंजाब में अकाली दल के साथ हमारा सहयोग केवल सत्ता के लिए नहीं है। वहां भाईचारा बना रहे, इस दृष्टि से वह बड़ा उपयोगी है। यह बात और क्षेत्रों पर भी लागू होती है। हम इस प्रयोग को सफल बनाना चाहते हैं। आशा है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, साल भर पहले जो स्थिति थी, वह स्थिति बदल गई है। मौसम में परिवर्तन हो गया है। पोखरण के परीक्षण के बाद यह प्रयत्न किया गया था कि भारत को अलग–थलग कर दिया जाए। ... *(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : लेकिन इसके बाद आपकी चुनावों में हार हुई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डॉ. शकील अहमद, कृपया व्यवधान न डालें। यह क्या है ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. शकील अहमद, आप अनावश्यक रुप से सभा के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और सभा का समय व्यर्थ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, हमें विश्व में अकेला करने का प्रयास हुआ था। आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गए थे। यह उम्मीद की जाती थी कि भारत इस चुनौती का सामना नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने भारत की सुरक्षा की आवश्यकताओं का अनुभव करके पोखरण का विस्फोट किया। आज जो भी विदेशी भारत आता है और जो विदेशी मेहमान हम से दूर–दूर रहते थे, आज वे आने के बाद यह नहीं पूछते कि आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यों किया ? वह हमारे साथ व्यापार की बातें करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की बातें करना चाहते हैं। हमारे सुरक्षा के तकाजों के बोरे में उनमें एक नई समझ–बूझ पैदा हुई है। हमारा परमाणु परीक्षण केवल शौर्य प्रदर्शन के लिए नहीं था। हमारी सुरक्षा की आवश्यकता उसके साथ जुड़ी हुई थीं। आज इस बात को अच्छे से अच्छे ढंग से समझा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा देश समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक माननीय सदस्य के भाषण को पढ कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अब अन्तरर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की आवाज नहीं सुनी जाती। उन्होंने यह भी कहा कि सार्क देशों के साथ हमारे सम्बंध अच्छे नहीं हैं।

यह अनावश्यक आलोचना है। हम आलोचना का स्वागत करते हैं। निन्दका ये घर असावशे जारी – यह मराठी में एक कहावत है। "निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय।" आलोचना करने वाले को अपने पास रखो क्योंकि हां में हां मिलाने वाले आपका फायदा नहीं करेंगे। लेकिन आलोचना तथ्यपरक होनी चाहिए। सार्क के सभी देशों के साथ हमारे संबंधों में मजबूती आई है। श्रीलंका के साथ हमने एक समझौता किया जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम तमिलनाडु और केरल के हितों की पूरी रक्षा करेंगे, हम यह आश्वासन देना चाहते हैं। नेपाल के साथ एक ट्रांजिट ट्रीटी हुई है जिससे कि भविष्य में इस सबंध में अनिश्चितता नहीं होगी। बांगला देश के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ हुये हैं। आज ढाका और कलकत्ता के बीच में बस सेवा शुरु करने का फैसला हो गया है। मुझे पाकिस्तान जाने का अवसर मिला। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर गया। मैंने चलने वाली बस का लाभ उठाया। मुझे संतोष है कि हमारी अच्छी बातचीत हुई। वहां जो लाहौर डैक्लेरेशन हुआ तथा विदेश सचिवों के बीच में यह एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हुआ, उसमें कुछ नये कदम उठाने की घोषणा की गई है। अब हम और पाकिस्तान दोनों अणु अस्त्रों से लैस देश हैं। अब मिलकर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। परमाणु हथियार, हमले का हथियार नहीं है, यह बचाव का हथियार है। यह ऐसा हथियार है जो शान्ति बनाये रखने में सहायक हुआ है। अगर शीत युद्ध के दिनों में शक्ति का संतुलन नहीं होता–बैलेंस ऑफ टैरेर। तो एक पलड़ा एक तरफ झुक सकता था, एक पक्ष ज्यादती कर सकता था। ऐसा नहीं हुआ। पकिस्तान के प्रधानमंत्री जी मुझसे पूछते थे कि आपने परमाणु परीक्षण उस वक्त क्यों किया, क्या सूझ–बूझ से तारीख तय की थी। हमने कहा हमने सूझ–बूझ से कदम उठाया लेकिन आप बतायें कि यह सब क्यों पूछ रहे हैं। हंस कर कहने लगे कि आपने ऐसा वक्त चुना जब हमारा फारेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे कम था, पाकिस्तान इसके कारण संकट में फंसा। हम भी संकट मे फंसे। लेकिन जनता के सहयोग से, सदन की शुभकामना से हमने उस दबाव का सामना किया। यह इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ है, हम किसी भी संकट का सामना करने में समर्थ हैं। हम पाकिस्तान के साथ सब विषयों पर वार्ता करके मामले हल करना चाहते हैं। पचास साल में तीन बार लड़ाइयां हो चुकी हैं। अब लड़ाई को हमेशा के लिए रोकने का उपाय करना होगा। इसके लिये संवाद के अलावा और कोई चारा नहीं है। कोई भी मसला हो, हम वार्ता के लिए तैयार हैं।

जब मैं पाकिस्तान में लाहौर में था तो उसी दिन राजौरी हत्याकांड की खबर आई। मैंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से उसी समय कहा कि 'अगर निर्दोष लोगों की हत्या का सिलसिला जारी रहा तो यह मित्रता की जो बस है, वह उनकी लाशों के ढेर के आगे रुक जाएगी। ये हत्याएं बंद होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि

(श्री अटल बिहारी वाजपेयी)

जब दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं तो किसी तरह के आतंकवादी और विदेशी आतंकवादी आजकल ज्यादा आ रहे हैं सीमा पार से, हमारे यहां न आएं यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यह कहना कि दोनों देशों में जो घटनाएं होती हैं उसके लिए एक–दूसरे को दोष देने का सिलसिला चल पड़ा है, ठीक नहीं है । अपने लोगों को हम तो नहीं मार सकते। वे आपसी दुश्मनी के भी शिकार नहीं हुए, तो उन्हें मारने वाला कौन है ? सीमा आपसे लगी है, आप रोकिये।

जो डिक्लेयरेशन हुआ है, उसमें दोनों देशों ने आतंकवाद से उसके सभी स्वरूपों में लड़ने का निश्यच व्यक्त किया है। शिमला समझौते में फिर से निष्ठा प्रकट की गई है। यह कहा गया है कि शिमला समझौते का हम लैटर और स्पिरिट दोनों में पालन करेगें। इस शिकायत का अर्थ यह नहीं है कि हमने शिमला समझौते का महत्व घटा दिया। सचमुच में हमने शिमला समझौते का महत्व बढ़ा दिया। दोनों देशों के बीच विश्वास जमाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम वीज़ा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहते हैं। बंदियों की रिहाई होनी चाहिए। मछुआरे पकड लिए जाते हैं। मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, खुद पकड़ में आ जाते हैं और महीनों तक जेल में पड़े रहते हैं। दोनों तरफ ऐसा होता है। लडाई के ज़माने के लोग भी कैदी हैं। उनके सारे मामलों पर विचार करके रिहाई होनी चाहिए। आना–जाना बढे, व्यापार के रास्ते खुलें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें और साथ–साथ सारी समस्याओं को हल करने के लिए भी कदम उठाएं, इस बात की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि इसी तरफ दोनों देश आगे बढ़ेगें।

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में बहुत से मुददे उठाए गए हैं। सभी मुद्दों का एक–एक करके जवाब देना तो संभव नहीं होगा लेकिन कुछ मुद्दे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में परिवार नियोजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं मानता हूं। परिवार नियोजन के संबंध में हमारी मिली–जुली सरकार की एक नीति है और हमारे नेशनल ऐजेण्डा में भी उसका उल्लेख किया गया है। जो कुछ हमने ऐजेण्डा में कहा है, मैं उसको यहां उद्धृत करना चाहता हूं । हमारे शब्द इस प्रकार हैं –

> "जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहनों एवं निरुत्साहनों का उपयुक्त एवं समझदारी पूर्वक सम्मिश्रण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता स्थापित की जा सके।"

सरकार ने एक दस्तावेज तैयार किया है परिवार नियोजन के बारे में। उस पर मंत्रिमंडल में थोड़ी सी चर्चा हुई हैं। हमने उसे मंत्रियों के एक छोटे से दल को विचार के लिए सौंप दिया है। प्रश्न नाजुक है और इस पर एक आम राय बनाना बहुत जरूरी है। वैसे जो विदेशी आते हैं वे सुनकर ताज्जुब करते हैं कि भारत में परिवार नियोजन सफलता के साथ चल रहा है और वृद्धि की दर जो 2.1 परसेंट थी, वह अब घटकर 1.85 परसेंट रह गई है। लेकिन घटने के बाद भी प्रति वर्ष हम एक करोड़ 70 लाख की संख्या में बढ़ रहें हैं। यहां चीन से हमारी मित्रता है। कुछ प्रदेशों में परिवार नियोजन और भी सफलता के साथ चला है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो इस मामले में पिछड़ रहे हैं। लेकिन यह ताज्जुब की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन प्रदेशों में परिवार नियोजन है, जो अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं, उनकी लोक सभा की सीटें कम हो जाएं, लेकिन सीटें कम हो रही हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा। सीटों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, हर प्रदेश के साथ वह जुड़ी होनी चाहिए और परिवार नियोजन के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। मुझे सोज़ साहब के भाषण को पढ़कर खुशी हुई, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि जम्मू–कश्मीर में आबादी बढ रही है। उन्होंने कहा कि हम परिवार नियोजन में विश्वास करते हैं और जम्मू–कश्मीर में आबादी बढ नहीं रही है, यह गलत प्रचार हो रहा है। परिवार नियोजन के सवाल पर सब दलों को मिलकर बैठना होगा। राष्ट्रीय प्रश्न है। कोई दल अकेले या कोई सरकार अपने में इसका हल नहीं खोज सकती है। प्रश्न नीति के निर्धारण का है, प्रश्न कार्यान्वयन का भी है और इस दृष्टि से सभी दलों को विचार करना चाहिए कि किस तरह के कदम उठायें।

अध्यक्ष महोदय, कृषि नीति का दस्तावेज तैयार है। विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और थोड़े ही समय में कृषि नीति के संबंध में वह दस्तावेज सदन के सामने पेश कर दिया जायेगा। अनेक सदस्यों ने नई फसल बीमा योजना के लागू किये जाने में विलम्ब का प्रश्न उठाया है। अभी जा फसल बीमा योजना चल रही है, वह सारे किसानों का समावेश नहीं करती, वह सारी फसलों का भी समावेश नहीं करती। जो ऋण लेते हैं उन्हीं तक वह सीमित है। इन सारी कमियों को हम दूर करने जा रहे हैं और एक संशोधित बीमा योजना तैयार कर रहे हैं जो जो किसानों के हितों का संवर्धन करेगी। योजना लगभग तैयार है और इसे 1999 की खारीफ फसल से लागू करने का इरादा है। मंत्रिमंडल ने संशोधित योजना को लागू करना सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। नई योजना के अंतर्गत किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, जैसा मैंने कहा उसमें नई फसलें शामिल की जाऐंगी और सभी किसानों को उसमें भागीदार बनाने का प्रयास होगा। जिन्होंने ऋण लिया है वे तो उसमें शामिल होंगे ही, मगर जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाओं बाढ या सूखे के शिकार हो जाते हैं, योजना उनका भी विचार करेगी। छः लाख किसानों को अभी तक क्रेडिट कार्ड दिये जा चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा जा रहा है कि अगले साल यह संख्या 20 लाख हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार ने अपने भाषण में डा. बाबा साहब अम्बेडकर का दिल्ली में स्मारक का मामला उठाया। डा. अम्बेडकर 26, अलीपुर रोड़ पर रहते थे। उस जगह को हस्तगत करके उसे स्मारक बनाने की बात है। यह कहना कि स्मारक के लिए अभी तक कोई धन खर्च नहीं किया गया है, ठीक नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 मार्च,

1997 को ही हमारे आने से पहले, क्योकि बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक, कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, उसी समय 1997 में 7.12 करोड़ रुपए भवन हस्तगत करने के लिए पेशगी के रूप में दे दिए गए थे, लेकिन हस्तगत करने, एक्वायर करने की जो नीति थी, उसको चुनौती दी गई। एक अन्तरिम आदेश में लैड एक्वीजीशन कलैक्टर को निर्देश दिया गया कि जब तक रिट याचिकाओं का फैसला नहीं होता, तब तक क्षतिपूर्ति के एवार्ड की घोषणा न की जाए। तब से यह मामला अदालत में लटका हुआ है। हम इसे अदालत से जल्दी हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न मंत्रालय एक–दूसरे से संपर्क में हैं। सम्पति के मालिकों से भी बातचीत हो रही है। अगर पवार साहब का उनके ऊपर प्रभाव चले, तो वे उसको जरूर काम में लाएं। हम उसका स्वागत करेंगे।

यह कथन भी सही नहीं है कि दलितों के कल्याण के लिए निर्मित विभिन्न संस्थाओं के लिए धन आबंटित नहीं किया गया। 1997–98 में दलितों के लिए जो धनराशि रखी गई थी वह 611.77 करोड़ रुपए थी। इसमें से 610.24 करोड़ रूपए खर्च हुए। 1998–99 में यह धनराशि बढ़ाकर 733.70 करोड़ रुपए रखी गई जिसमें से 12 मार्च, 1999 तक 609.56 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने डा॰ अम्बेडकर ओवरसीज फैलोशिप का भी उल्लेख किया था। जांच के बाद पता लगा है कि फाउंडेशन की गवर्निंग बाडी ने इस योजना को हमारी सरकार के आने से पहले ही 1997 में समाप्त कर दिया था, किन्तु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए नैशनल ओवरसीज स्कालरशिप स्कीम चल रही है और इसमें अनुसंधान करने वालों का वजीफा 6600 डालर से बढाकर 7700 डालर कर दिया गया है। पहले यह प्रतिबन्ध था कि एक परिवार से दो लड़कों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के अन्तर्गत वजीफा मिले, अब इसको हटा दिया गया है। उत्तर पूर्व के राज्यों में इस संबंध में अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए जिनमे साक्षरता का प्रचार बहुत कम हुआ था, एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है। ऐसे 48 जिले छांटे गए हैं जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों में साक्षरता का अनुपात केवल दो प्रतिशत है। इसके लिए अलग से धन आबंटित किया गया है और खर्चा भी किया जा रहा है। यह कहना भी सही नहीं है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए काम करने वाले एन॰ जी॰ ओज॰ को कोई धन आबंटित नहीं किया गया है सच यह है कि 1997–98 में 10 करोड़ 64 लाख रुपए सहायता के रूप में दिए गए थे। हम इस राशि को आवश्यकता पड़ने पर और भी बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक मामला सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए गए, तो उनका स्वागत करने वालों में मैं भी था। जब पंडित जी ने उद्योगों की बड़ी प्रशंसा की और सरकार द्वारा पूंजी लगाने का एक अभियान शुरू हुआ, तो देश को यह आशा थी कि यह राष्ट्रीय संपति होगी और यह राष्ट्र के कल्याण में सहायक बनेगी। लेकिन आज जो तस्वीर है, उसे देखकर चिन्ता होनी स्वाभाविक है। क्या कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग इतनी बडी संख्या में बीमार पड़ते हैं, बन्द करने की नौबत आती है, घाटे में जाते हैं।

कुछ आंकड़े मेरे पास है। उनके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बीमार उद्योगों का आज तक का घाटा 41,264.55 करोड़ रुपये है। कुल 236 सार्वजनिक उद्योग हैं जिनमें से 104 घाटे में चल रहे हैं। सबसे अधिक घाटा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। फर्टिलाइजर के अलावा टैक्सटाइल, कोयला और इस्पात उद्योगों में घाटा हो रहा है।

यदि तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उद्योग के मुनाफे को अलग कर दिया जाये तो सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध लाभ बहुत ही कम बचता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घट गये इसलिए हमारा लाभ बढ़ गया है। इन उद्योगों के बारे में गहराई से विचार करना होगा।

एक नीति हमें उत्तराधिकार में मिली थी और हम उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सब दलों के प्रमुख नेता और विशेषकर जो सार्वजनिक उद्योग से संबधित हैं, मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं, वे मिलकर बैठें और इस बात की मीमांसा करें कि सार्वजनिक उद्योग इस तरह से घाटे का सौदा कैसे बन गया।

इस बात का भी विचार होना चाहिए कि अगर कोई सार्वजनिक उद्योग बचाया जा सकता है, अगर उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, मजदूर काम पर लगे हैं, उन्हें किस तरह से अवकाश दिया जाये, यह विचार का एक अलग प्रश्न है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जो उद्योग चल सकते हैं, वे भी बीमारी पकड़ लें और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़े। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर सर्वानुमति की आवश्यकता है। हम किसी पूर्वाग्रह से बंधे हुए नहीं हैं। आर्थिक क्षेत्र में हम व्यवहारवादी नीतियों को अपनाना चाहते हैं। आर्थिक विकास में मतवाद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। न वह देश के हित में है, न आम आदमी के हित में है। राष्ट्रहित सबसे बड़ी कसौटी है इसलिए जब कभी मैं देखता हूं कि आर्थिक विकास में कोई कदम उठाने पर तो कहा जाता है कि यह देश को बेचने का कदम है तो मुझे दुख होता है भारत जैसे महान देश को कौन बेच सकता है और कौर खरीद सकता है ?

नीति के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, प्रमाणिक मतभेद हो सकते हैं। ई॰ एम॰ आर॰ हो या प्रोडक्ट पेटैंट हो, अभी–अभी उस पर बहस हुई है। जब हमारे वामपंथी मित्र केवल हमें इशारा करके ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमने दोनों तरफ इशारा किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दोनों तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उनकी गलत नीतियां वफादारी से निभा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : वास्तव में, वह विरोध कर रहे थे ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : जब वह विपक्ष में थे ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सोमनाथ चाटर्जी : लॉ कमीशन के बारे में क्या हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लॉ कमीशन की रिपोर्ट अपनी जगह है और संसद का फैसला अपनी जगह है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप उस पर चर्चा करवाइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा तो कर ही रहे हैं। आप जानते हैं कि हम सार्वजनिक उद्योगों को चलाने के पक्ष में हैं। आई. डी. पी. एल. को किस तरह खड़ा किया जाए, इस संबंध में हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी आग्रह करुंगा कि अधिक मतवाद मत रखिए। जो नीति अब व्यवहारिक सिद्ध हो गई है, जो वाद संसार में पिट गए, यदि आप उसके बल पर चलेगें तो देश की मुख्य धारा से ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सब यूनिट्स ठीक से चलायेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मुख्य धारा से कट जाएंगें। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उसमें मदद करेंगे। ... *(व्यवधान)*

हम आपको समर्थन देगें, कृपया उन्हें सही तरीके से कार्य करने दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पिछले कुछ महीनों में ईसाई बंधुओं पर, उनकी संस्थाओं पर हमले हुये हैं। यह बड़े खेद का विषय है, बड़ी चिन्ता की बात है। यह ठीक है कि ऐसी घटनाओं की संख्या ज्यादा नहीं है लेकिन इस देश में ऐसी घटनाऐं क्यों होनी चाहिए? मीडिया का भी कर्तव्य है कि वह बढ़ा–चढ़ाकर इस तरह की घटनाएं, जो लोगों को उत्तेजित करती हैं, उन्हें पेश नहीं किया जाना चाहिए। कभी–कभी घटनाओं की रिपोर्ट गलत साबित होती है। इलाहाबाद के एक दम्पति पर हमले का समाचार एक विश्व एजेंसी ने दिया था और बाद में उसी दम्पत्ति ने इस हमले का खंडन किया और कहा कि हमारे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि उस संवाद समिति ने कोई स्पष्टीकरण प्रकाशित किया या नहीं किया लेकिन सब ओर संयम से काम लेने की आवश्यकता है। इस देश में हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जो संख्या में कम हैं, उनकी विशेष चिंता करने की जरुरत है। देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता, खतरे की घंटी है। हमारी संस्कृति सहिष्णुता पर कायम है। हमारी सभ्यता सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। सारे विश्व की चिंता करने वाले, सारे ब्रह्माण्ड की चिंता करने वाले भारत में अगर सम्प्रदाय के आधार पर लोग अनुभव करें कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है या वे अपने को असुरक्षित अनुभव करें तो यह चिंता का विषय है और एक चुनौती भी है। जहां कहीं घटनाएं हुई हैं, वहां अपराधी पकड़े गए हैं, उप पर मुकदमें चल रहे हैं। इसमें गुजरात भी शामिल है लेकिन उड़ीसा में जिस प्रमुख अभियुक्त का नाम लिया जा रहा है जिस पर सबसे ज्यादा संदेह किया जा रहा है, वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के सारे देश में प्रयत्न हो रहे हैं, उसे कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। आस्ट्रेलियाई नागरिक को उनके बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया, यह एक जघन्य कृत्य है। सारी दुनिया में अगर इसे लेकर हमारे विरुद्ध बातें कही जाती हैं तो हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। दुनिया में ऐसे तत्व हैं जो इसका भी राजनीतिक लाभ उठाना चाहेगें, उन्हें मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार का निश्चय है कि हरेक नागरिक की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करना, विधि और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाना, इस मामले में कोई ढिलाई नही होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो और कोई संगठन कितना भी बलशाली हो, अगर वह कानून का उल्लघंन करता है तो फिर उसके खिलाफ कानून के अन्तर्गत ही व्यवहार होना चाहिए। इस तरह का व्यवहार हो, यह हम देखेंगे। ...*(व्यवधान)* यह कहना ठीक नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है।

अपराह्न 2.00 बजे

आखिर हमने भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच मैच करके दिखा दिया है। दस साल पहले कांग्रेस की सरकार के जमाने में भी इसी तरह का संकट खड़ा हो गया था, मैच हो या न हो, मैच होगा तो उसमें बाधाएं डाली जायेंगी और कांग्रेस सरकार ने पूरे मैच की श्रृंखला रद्द कर दी थी, लेकिन हमने मैच कराया। *(व्यवधान)* जो कलकत्ता की घटना है, वह अलग है। उसके लिए वाममार्गी सदस्यों को दोष नहीं देते हैं, लेकिन थोड़े से दोष के वे भागीदार जरुर हैं। कभी–कभी अचानक ऐसी घटनायें हो जाती हैं, जिनको रोकने की आवश्यकता है। ... *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : वे वाममार्गी और ये वाममार्गी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अरे, दोनों के बीच में आप कहां हैं – मोहन सिंह जी ? आप बिलावजह पिछलग्गू हो रहे हैं। हम भी हैं – कहां हैं आप?

श्री मोहन सिंह : आपके सामने।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आमने–सामने के लिए हम तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मैं सभी सदस्यों से अपील करुंगा ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : मैच के बारे में कलकत्ता में जो कुछ हुआ, उसका लाहौर में क्या इम्पैक्ट हुआ?

अटल बिहारी वाजपेयी : हम कलकत्ता में आकर बोलेगें।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह अटलजी का बड़प्पन है, उन्होंने कहा कि चर्चा का जवाब मैं दूंगी और वे केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमारे नियमों ने न तो इसकी व्यवस्था है और नह अदब इसकी इजाजत देता है। हमारे नियमों 20, उपनियम (2) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्राइम मिनिस्टिर के जवाब के बाद राइट–आफ–रिप्लाई न मूवर को होगा और न सैकेंडर को होगा। लेकिन मैं एक कदम और आगे जाकर कहती हूं कि अगर नियमों में यह व्यवस्था होती, तो भी अदब का तकाजा है कि प्रधान मंत्री जी के जवाब के बाद कोई न बोले। उन्होंने जिस खूबसूरती से इस पूरी चर्चा का समारूप किया है, उसका उत्तर दिया है, इसके बाद किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर माननीय सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूँ ?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : एक–एक करके नाम से सैप्रेट लीजिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या मैं सभी संशोधन एक साथ रखूँ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, एक साथ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : श्रीमन्, बिहार के राष्ट्रपति शासन के संबंध में इस अभिभाषण में उल्लेख किया है। अब वहां स्थिति बदल गई है। मेरा संशोधन बिहार में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के बारे में हैं। मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि यह बहुत ही अनुचित होगा, जब वहां राष्ट्रपति शासन को रिवोक कर दिया गया है, तो उसका उल्लेख राष्ट्रपति जी से अभिभाषण में रहे। यह उनकी भी गरिमा के खिलाफ है और इस परम्परा के भी खिलाफ है। मैं आग्रह करुंगा कि कम से कम उस पोर्शन को निकालने के संशोधन को स्वीकार कर ले, तो मैं अपने संशोधन पर बल नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 से 8 सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गऐ और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 से 41 तथा 328 और 329 सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 63 से 81 सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गऐ और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री सी. कुप्पुस्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 104 से 113 सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गऐ और अस्वीकृत हुए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप शेष संशोधन एक साथ सभा में मतदान के लिए रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब प्रस्ताव पर अन्य सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूँगा ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गऐ और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :–

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 22 फरवरी, 1999 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी। माननीय सदस्यों, आज आपको भोजनावकाश छोड़ना पड़ेगा। क्या सदन भोजनावकाश छोड़ने के लिए राजी है।

कई माननीय सदस्य : जी हाँ।

अपराह्न 2.09 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य सदन से बाहर जाना चाहता है तो वह शान्तिपूर्वक जा सकता है। वे यहां खड़े मत रहें।

अपराह्न 2.10 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) कानपुर में गंगा बैराज परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 50:50 के आधार पर 172 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कानपुर में गंगा बैराज के निर्माण पर सहमत हुई थी। योजना आयोग द्वारा उसके अनुरूप एक पत्र जारी किया गया जिसके आधार पर कार्य आरम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा 6 करोड रुपये की धनराशि भी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में अस्थिरता के कारण इस मामले को भारत सरकार द्वारा औपचारिक स्वीकृति और धनराशि दिये जाने के प्रावधान के लिए मामले पर उचित प्रकार से कार्यवाही नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार अब तक इस परियोजना पर 50 करोड़ रुपये ख़र्च कर चुकी है।

मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए प्रारूप केबिनेट टिप्पण अब नोडल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परिचालित किया गया है। तीन महीनों से भी ज्यादा समय से यह मंत्रालय योजना आयोग की टिप्पणियों और मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है जो नौवी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय को उचित रूप बढ़ायेगा ताकि मंत्रालय इस सन्दर्भ में धनराशि देने के लिए बजटीय प्रावधान करने में सक्षम हो सके। शीघ्र निर्णय और धन जारी न किए जाने पर परियोजना का काम रुक जायेगा। जिससे परिहार्य विलम्ब और लागत में वृद्धि होगी। इसलिए इस सन्दर्भ में शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है ।

(दो) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के युवकों को सेना में भर्ती करने के लिए दी जा रही छूटों को जारी रखने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उत्तरांचल क्षेत्र के लोगों का भारतीय सेना में गौरवशाली इतिहास रहा है। विशेषकर उत्तरांचल के सीमांत जनपदों के युवक भारी संख्या में देश पर बलिदान हुए हैं और थल सेना अध्यक्ष के सर्वोच्च पद पर भी उत्तरांचल के सैनिकों ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। कुमाऊं व गढ़वाल रेजिमेंटों का इतिहास शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है, तथा अनगिनत वीरता पदक इन रेजीमेंटों को प्राप्त हुए हैं।

सीमांत क्षेत्र होने के नाते इसका सामरिक महत्व है तथा यह क्षेत्र अति संवेदनशील है। इसकी सीमाएं चीन, तिब्बत व नेपाल से मिली हुई हैं।

परन्तु उत्तरांचल का क्षेत्र पर्वतीय व दुर्गम होने से यहां कृषि योग्य भूमि असिंचित व नहीं के बराबर है तथा उद्योग यहां पर स्थापित नहीं हुए।

सेना में भर्ती होकर देश सेवा के साथ–साथ अपने परिवार की आजीविका चलाना यहां प्रमुख रूप से प्रचलित रहा है और यही कारण है कि करीब दो दशक से सीमांत जिला पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी की सीमांत तहसीलों के नवयुवकों की शैक्षिक योग्यता में सेना में भर्ती हेतु कक्षा आठ पास रखी गई थी, तथा ऊंचाई, सीना आदि के मानकों में भी छूट दी गई थी। यह छूट वर्ष 1999 में समाप्त हो रही है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उत्तरांचल के सीमान्त जिलों के युवकों को सेना में भर्ती हेतु छूट को बरकरार रखा जाए।

(तीन) कुडा और धागंधा के बीच रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : गुजरात राज्य का सुरेन्द्रनगर जिला क्षेत्र हिंदुस्तान की कुल नमक पैदाइश का 60 प्रतिशत नमक पैदा करता है। इस बात को ध्यान में रखकर कुडा से धागांधा रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज करने का निर्णय किया गया है जिससे नमक का वितरण देश में आसानी से हो पाए। जहां तक हमारी जानकारी है इस गेज कन्वर्जन के काम के लिए रेल विभाग, गुजरात सरकार और साल्ट डिपार्टमेंट को अपना निश्चित हिस्सा देना तय हुआ है। रेल विभाग और गुजरात सरकार ने अपने बजट में प्रावधान कर दिया है लेकिन साल्ट डिपार्टमेंट के विलम्ब के कारण पूरा प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि साल्ट डिपार्टमेंट के विलम्ब का कारण जानकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए साल्ट डिपार्टमेंट को उनको हिस्सा पहुंचाने के लिए जल्दी सूचना जारी करें।

(चार) उत्तर प्रदेश में दातागंज और बेलाडांडी के बीच रामगंगा नदी पर पुल के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अपाध्यक्ष महोदय, रामगंगा नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद बदायूं–बरेली से होकर गुजरती है, वहां पुल न होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में काफी असुविधाएं हो रही हैं। क्षेत्रवासी पुल निर्माण कराए जाने के लिए काफी समय से पुरजोर मांग करते चले आ रहे हैं वर्षा के दिनों में जब नदी उफान पर होती है तो क्षेत्रीय नागरिकों को काफी आर्थिक तंगी तथा आने–जाने में असुविधाएं होती है। दातागंज (बदायूं) से बेलाडांडी मार्ग पर यदि पुल निर्माण हो जाता है तो क्षेत्रवासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने–जाने में आवागमन की सुविधा सुगमता से प्राप्त हो जाएगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दातागंज से बेलाडांडी मार्ग पर रामगंगा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण जन हित मे शीघ्र कराए जाने के लिए आवश्यक एव ठोस कारगर कदम उठाने का कष्ट करें। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

[अनुवाद]

(पाँच) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के शिक्षण संवर्ग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी. जी. आई. के शिक्षण सवंर्ग के समकक्ष समझे जाने की आवश्यकता

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जी. बी. पन्त अस्पताल, जे. आई. पी. एम. आर. तथा अन्य स्थानों पर कार्यरत वरिष्ठ प्रोफेसर और भारत सरकार की केन्द्रीय स्वास्थ्य भोजन के तहत अध्ययन संवर्ग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पी. जी. आई. चंडीगढ इत्यादि के अध्यापन संकाय के बराबर नहीं माना जाता। न ही वेतन तथा अन्य परिलब्धियों के मामले में उन्हें बराबर माना गया है और न ही उन्हें अनुसंधान अनुदानों इत्यादि के रूप में भी सुविधायें मिलती हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में कार्यरत ये प्रोफेसर स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधानोत्तर पाठ्यक्रमों तथा मेडिकल के विद्यार्थियों की अधिक संख्या को पढाते हैं, अधिक अनुसंधान कार्य करते है प्रकाशन छपवाते, अधिक संख्या में बाह्य, आन्तरिक और आपातकालीन रोगियों के उपचार करते हैं और रोगियों की साधारण, विशेष और अति विशेष उपचार करने के साथ अस्पतालों और कालेजों की प्रशासनिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अधिक अध्यापन कार्य करते हैं।

इसके बावजूद वरिष्ठ प्रोफेसरों को गैर शिक्षण विशेषज्ञों और सामान्य ड्यूटी मैडिकल आफिसरों के बराबर माना जा रहा है। चौथे वेतन आयोग में पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के शिक्षण संवर्ग को ए आई आई एम एस के संकाय की तुलना में बेहतर वेतनमान दिये जा रहे थे लेकिन एक दशक में स्थिति बद से बदतर हो गई है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बराबर काम के लिए बराबर वेतन अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बराबर वेतन देकर विसंगति समाप्त करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए और केन्द्रीय स्वास्थ्य के तहत इन वरिष्ठ अनुभवी प्रोफेसरों की कार्य की स्थितियों में सुधार के लिए भी कदम उठाएं।

(छह) आसन सोल दूरदर्शन रिले केन्द्र पश्चिम बंगाल से दूरदर्शन से दूसरे चैनल के प्रसारण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : महोदय, मैं सभा का ध्यान आसनसोल टी. वी. रिले केन्द्र से दूरदर्शन के चैनल दो के कार्यक्रम के प्रसारण करने और उसे पूर्ण टी.वी. रिले केन्द्र का दर्जा देने की अविलम्ब आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह पश्चिम बंगाल के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है केन्द्र सरकार को कई अभ्यावेदन दिये जा चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं की गई है। यदि ऐसा किया जाता है तो आसनसोल के लोगों के साथ–साथ बंकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, मिदनापुर और धनबाद के दर्शक भी दूरदर्शन के चैनल दो के कार्यक्रम देखकर लाभान्वित हो सकेंगे।

आसनसोल टी.वी. रिले केन्द्र में चैनल के कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु उपलब्ध उपकरण बेकार पड़ा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मामले की ओर ध्यान दे और आसनसोल टी.वी. रिले केन्द्र से दूरदर्शन के दसरे चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण करने और इसे पूर्ण केन्द्र बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(सात) आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में हरीश चन्द्रपुरम रेलवे स्टेशन पर एक उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू (श्री काकुलम) : पिछले वर्ष रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए हरीशचन्द्र पुरम रेलवे स्टेशन में एक उपरि पुल का निर्माण किया जायेगा। हरीशचन्द्र पुरम टेक्काली नरसन्ना शहरों के बीच स्थित है और इसके अन्तर्गत घनी आबादी वाले 100 से अधिक गॉव आते हैं। यह उपरिपुल उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिन्हें बसें पकड़ने और माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत कठिनाई झेलनी पड़ रही है। हरीशचन्द्र पुरम केन्द्रीय रूप से अवस्थित एक रेलवे स्टेशन है और उपरिपुल के निर्माण से नरसन्ना पेटा कोटावो–भाली और टेकाली मंडल के चावल मिल मालिकों की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि चालू रेल बजट के दौरान हरीशचन्द्र पुरम में एक उपरि पुल के निर्माण के मुद्दे को शामिल करें।

(आठ) नई आर्थिक नीति के कारण उत्पन्न एच. एम. टी. एकर्कों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर) : सरकार द्वारा अपनायी जा रही नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के कारण हमारे मशीन टूल उद्योग, विशेष रूप से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच. एम. टी.) की इकाइयों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। आयात शुल्क में भारी कमी 85 प्रतिशत से 13 प्रतिशत किए जाने के कारण पुरानी और ठीक की गई मशीनों का आयात किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को दी जाने वाली क्रय–वरीयता समाप्त करने के कारण मशीनों के लिए पर्याप्त क्रय–आदेश नहीं मिल रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए

अपर्याप्त बजटीय सहायता के कारण एच. एम. टी. इकाइयाँ, विशेष रूप से कलमसेरी इकाई बुरी तरह प्रभावित हुई है।

बहुराष्ट्रीय निगमों के आकर्षण में कई प्रतिभाशाली नवयुवक कार्मिक एच. एम. टी. को छोड़ चुके हैं। काफी लम्बे समय से नई नियुक्तियाँ नहीं होने के कारण, कई महत्वपूर्ण विभागों में कार्मिकों की कमी है और कार्यरत कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसरों की कमी है।

इसीलिए मैं सरकार से इन समस्याओं पर ध्यान देने और एच. एम. टी. इकाइयों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(नौ) स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में हरियाणा के रोहनात गाँव में स्मारक बनाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : उपध्यक्ष महोदय, यद्यपि हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना चुके हैं, तथापि हमने भिवानी जिले के रोहनात गांव के शहीदों के बलिदान को अभी तक पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है। रोहनात गांव हांसी से 12 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। इस गांव के बहादुरों ने हिसार के नागरिकों के साथ मई, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ साहसिक बगावत करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

रोहनात के नजदीकी गांवों--जमालपुर, हजामेपुर, भाटोल रांगहान, खरड अलीपुर मंगाली, पुट्ठी मंगलखां इत्यादि से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की एक प्लॉटून ने 29 मई, 1857 को तोशाम, हांसी तथा हिसार के अंग्रेज शासकों पर धावा बोला और परिणामस्वरुप खजाने को लूटा तथा देशभक्त कैदियों को रिहा करवा लिया। इस संदर्भ में हिसार के 12 तथा हांसी के 11 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब 1857 का विद्रोह नाकाम हो गया तो इन क्रांतिकारियों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। रोहनात गांव को अंग्रेजी फौज ने चारों तरफ से घेरकर पहले बमबारी करवाई और उसके बाद घरों तथा उसके आसपास के गांवों को आग लगा दी जिसमें सैकड़ों लोग जीवित जल गये। हासी में क्रांतिकारियों को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़कर सड़क पर लिटाकर उन्हें रोड रोलर के नीचे कुचलवाया। हांसी की इस खूनी सड़क को आज भी लाल सड़क के नाम से पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त रोड रोलर के नीचे कुचले गये असंख्य अज्ञात शहीदों में रोहनात गांव का एक बहादुर नवयुवक नोंदा भी शामिल था। इसी प्रकार बिरद दास स्वामी को तोप के मुंह के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। रोहनात गांव की सम्पूर्ण 20 हजार बीघा से अधिक भूमि को अंग्रेज शासकों द्वारा जब्त करके नीलाम कर दिया गया। इस एक कदम से रोहनात गांव के सभी ग्रामवासी भूमिहीन हो गये।

वर्ष 1970 में हरियाणा सरकार द्वारा इस गांव के स्वतंत्रता सेनानियों के 25 वंशजों का मात्र 1,25,00 रुपये की सांकेतिक धनराशि प्रदान की गई थी। राष्ट्र द्वारा शहीद स्मारक के रूप में इनकी शौर्य गाथा को पूर्ण मान्यता देनी अभी बाकी है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिये इस गांव में इन महान क्रातिकारियों के सर्वोच्च बलिदान को अविस्मरणीय बनाने के लिए एक भव्य स्मारक का निर्माण करना यथोचित होगा।

अपराह्न 2.24 बजे

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक *

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 21 और 22 पर विचार करेगी।

पहले सांविधिक संकल्प

इसके लिए आबंटित समय दो घन्टे है।

श्री पी. सी. थामस। अनुपस्थित

श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक स्तर प्रदान किए जाने से संबंधित दो अध्यादेशों का प्रख्यापन यह दर्शाता है कि सरकार कितनी अशिष्टतापूर्वक अपना कार्य कर रही है।

महोदय, एक महीने के भीतर दो अध्यादेशों को प्रख्यापित किया गया। क्या यह सत्य नहीं है कि जो अध्यादेश अगस्त के महीने में प्रख्यपित किया गया था उसे व्यपगत हो जाना था और इस कारण दूसरा अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। परन्तु इस समय एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया और वह भी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर प्रस्तावित किया गया। यह निर्देश काफी समय पहले 1997 में दिये गये थे। एक वर्ष के बाद, सरकार ने केन्द्रीय आयोग को सांविधिक दर्जा दिये जाने के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित करने के बारे में सोचा। परन्तु जब अध्यादेश प्रख्यापित किया गया तो हमनें पाया कि कुछ शब्दों को जानबूझकर हटाया गया है।

महोदय, उच्चतम न्यायालय नें 1997 में विनीत नारायण के मामले में अपने निर्णय में क्या कहा था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का चयन एक समिति द्वारा हो जिसके सदस्य माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता हों और यह समिति सतर्कता आयुक्त का चयन संदेहातीत, प्रतिभाशाली

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग--दो, खंड--2 दिनांक 15-3-99 में प्रकाशित।

सत्यनिष्ठा वाले सिविल सेवकों के पैनल और अन्य सेवाओं से जुड़े सन्देहातीत, प्रतिभावान एवं सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से करुगी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि सरकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकरण के लिए उत्तरदायी रहेगी फिर भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु स्थापित किए जाने वाले तन्त्र में प्रत्यक्ष निष्पक्षता को लाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकरण पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपा जाएगा। परन्तु जब अध्यादेश को प्रस्तावित किया गया तब समिति में विपक्ष के नेता होंगे और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का चयन सन्देहातीत प्रतिभाशाली सिविल सेवकों और अन्य सेवाओं से जुड़े सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के पैनल में से किया जाएगा– इन शब्दों को हटा दिया गया। हम मंत्रिमण्डल के एक सदस्य, श्री राम जेठमलानी की प्रतिक्रिया देखी है। उन्होंने तुरन्त प्रतिक्रिया की कि प्रारूप दिखाया नहीं जाएगा और अध्यादेश प्रस्तवित कर दिया गया अथवा प्रारूप को मंत्रिमण्डल की जानकारी में लाए बिना ही अन्तिम रूप दे दिया गया।

मसौदा तैयार करने का उत्तरदायित्व विधि आगोग को सौंपा गया था।

विधि आयोग ने विधेयक या अध्यादेश का मसौदा तैयार कर उसे मंत्रिमण्डल को सौंपा। परन्तु विधि आयोग ने जो सुझाया उसे अध्यादेश का मसौदा बनाते समय अमल में नहीं लाया गया।

महोदय, हम जानते हैं कि विधि आयोग की रिपोर्ट के बारे में किस प्रकार सभा को अंधेरे में रखा गया था। हम पेटेण्ट (संशोधन) विधेयक पर सभा में चर्चा कर चुके हैं। परन्तु इसके एक महीने पहले विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौप दी थी जिसमें स्पष्टतः यह सिफारिश की गई थी कि यह रिपोर्ट लोक सभा में पेंश की जानी चाहिए। विधि आयोग ने अपनी सिफारिश इसीलिए भेजी थी क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि पेटेण्ट (संशोधन) विधेयक पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी। यदि विधि आयोग की रिपोर्ट पर सभा में वाद–विवाद होता तो माननीय सदस्यों को इसकी सिफारिशों को जानने की अवसर मिलता क्योंकि संशोधन विधेयक के कतिमय उपबन्धों के विरुद्ध विधि आयोग ने गम्भीर आपत्ति की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं सरकार के ऐसे ही मिलते–जुलते आचरण का उल्लेख कर रहा हूं। ऐसा ही प्रख्यापित किए गए अध्यादेश के संबंध में भी हुआ है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन श्री संथानम द्वारा अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपे जाने के पश्चात् 1964 में किया गया था। 1964 के बाद के वर्षों में क्या हुआ। छठे दशक के भ्रष्टाचार और नौंवे दशक के भ्रष्टाचार में बहुत अन्तर है।

महोदय, उस समय उन्हें महसूस हुआ कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसी कोई संस्था होनी चाहिए। सन्तानम समिति ने भी सिफारिश की थी कि ऐसी संस्था सरकारी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। किंतु 1964 के बाद इन वर्षों के दौरान हमारे अनुभव क्या रहे? सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग पर अपना नियंत्रण ही नहीं अपना राजनीतिक प्रभाव भी रखा, परिणामस्वरुप उसके कार्यों में निष्पक्षता बाधित हुई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निष्पक्ष कार्यकरण पर प्रभाव पड़ा था।

महोदय, पहला अध्यादेश कब प्रख्यापित किया गया था ? 1997 में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा देने के लिए निर्देश जारी किए, अध्यादेश प्रख्यापति किए बिना भी सरकार के पास पर्याप्त समय था। किन्तु अब यह 'अध्यादेश राज' बन गया है। एक माह के समय में छह–सात अध्यादेश जारी किए गए।

श्री खंडूडी हमने पहले कभी नहीं देखा कि आप किस बात का सहारा ले रहे है, आजकल आप किस ओर बढ रहे हैं। आप संसद की उपेक्षा कर रहे हैं। आपने इस संसद की उपेक्षा करने के लिए प्रसार भारती अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

आपने प्रसार भारती विधेयक इस सभा में परित कराया किंतु उस विधेयक को राज्य सभा में नहीं ले गए, प्रसार भारती अध्यादेश को प्रख्यापित करने का आपका मुख्य उद्देश्य इसे स्वायत्तशासी दर्जा देना नहीं था अपितु श्री गिल को हटाना था। इस अध्यादेश को जल्दबाजी में प्रख्यापित करने का इरादा व उद्देश्य यही था।

अपराह्न 2.36 बजे

(डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

इसी तरह जब पहला अध्यादेश प्रख्यापित किया गया तो इस सरकार का उद्देश्य या बदनीयती क्या थी ? उनका इरादा एक व्यक्ति श्री बेंजबरुआ को प्रर्वतन निदेशक पद से हटाना था। उन्हें बिना किसी कारण बताए स्थानान्तरित कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय के आदेश पर श्री बेजबरुआ को फिर वापस लाया गया। हमारा अनुभव रहा है कि किस प्रकार केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के जिन 'मामलों' को विशेष न्यायालय द्वारा देखा जा रहा है उन्हें सामान्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जा रहा है। क्या यह राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं है ? मैं इस बात का उदाहरण दे रहा कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है और किस प्रकार वह न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : आपको केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बोलना चाहिए न कि प्रसार भारती जैसे मामलों के बारे में जिनकी इस विषय में कोई प्रांसगिकता नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : श्री सत्यपाल जैन आप अपने उत्तर में इन सब मामलों का उत्तर देगें ...*(व्यवधान)* मैं मात्र एक उदाहरण दे रहा हूँ ...*(व्यवधान)* श्री सत्यपाल जैन, यह भी हस्तक्षेप है।

(श्री बसुदेव आचार्य)

विधि आयोग में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के लिए संकल्प 64 के उपबंधों को बनाते समय किस बात को ध्यान में रखा? यह कहा गया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय का पर्यवेक्षण, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उपबंधित है, न्यायालय द्वारा निदेशित केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपे जाने वाला अतिरिक्त काम है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की विद्यमान शक्तियों व कृत्यों को समाप्त किया गया हो या उन्हें किसी तरीके से कम करने का इरादा हो। वस्तुतः इसके पीछे इस संस्था के सांविधिक स्थूल देकर और इसे अधिक कार्य सौंप कर इसे अधिक सुदृढ करने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : ये भी आपको इंटरफीयर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रभावी, निष्पक्ष और सक्षम संगठन के लिए न्यायालय ने उक्त विशेष निदेश देने का कष्ट किया। मैंने इसके बारे में पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य इसे किसी मंत्रालय या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के प्रशासनिक का अन्य नियंत्रण से मुक्त करना है। जब यह अध्यादेश पहली बार प्रख्यापित किया गया तो उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

तब एक माह की अवधि के अन्तर पर पहले अध्यादेश में सरकार की खामियों के सुधार के लिए दूसरा अध्यादेश जारी किया गया था। क्या अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता थी? 1995 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद इस सरकार ने एक स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी।

सभापति महोदय आपको याद होगा कि उस समय हम इस सभा के सदस्य थे जब इस सभा मे वोहरा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी जिसे 1993 में प्रस्तुत किया गया था। श्री एन. एन. बोहरा गृह मंत्रालय के सचिव थे। उन्होने राजनीतिज्ञों व अपराधियों तथा माफिया सरगनाओं के बीच साठगांठ की जांच की। उस समिति की रिपोर्ट पर यहां चर्चा की गई थी। समिति ने कुछ सिफारिशें भी की थी किंतु 1993 से इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

हम जानते है कि राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और अपराधियों के बीच साठगांठ है। इस पर रोक लगाने के लिए निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच हेतु इस संस्था को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए अध्यादेश प्रख्यापित करने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार शीतकालीन सत्र या उससे पूर्व बजट सत्र में इस संदर्भ में विधेयक ला सकती थी। नियमित विधेयक लाने के लिए पर्याप्त समय था किंतु सरकार विधेयक नहीं लाई।

पहला अध्यादेश प्रख्यापित करने समय से ही सरकार का इरादा स्पष्ट था। इरादा यह था कि सरकार इस संस्था को सशक्त बनाना नहीं चाहती है, यह उच्चतम न्यायालय के निर्देश को अक्षरशः लागू करना नहीं चाहती है। इसीलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूँ और सरकार द्वारा संसद व उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार नजरंदाज करने के प्रयासों का विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : सुप्रीम कोर्ट ने बाई पास किया है। उन्होंने तो कम्बाइंड किया है।

श्री मोहन सिंह : पहले नहीं किया था।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह जानबूझ कर किया गया था और मैं इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि केन्द्रीय सरकार के, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, स्थानीय प्राधिकरण के, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन सा उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और लोक सेवकों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कारित, अधिकथित अपराधों की जांच करने या जांचों के कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके 'आनुषंगिक विषयों का उपबंध' करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है। भारत के इतिहास में पहली बार इस नई सरकार ने यह प्रयास किया है। इसलिए मुझे आशा है कि कामरेड इसे स्वीकार करेगें ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्यों क्या आप विधेयक के प्रयोजन को स्वीकार करते हैं या नही? विधेयक का प्रयोजन सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाना है। आपने एक वकील की तरह बोला है। किंतु मैं वकील नहीं हूं मैं आम आदमी का प्रतिनिधि हूं।

उच्चतम न्यायालय में 18.12.1997 को निर्देश जारी किये। गुजरात सरकार ने जनवरी 1998 में न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्णय किया। तब 7.4.99 को सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार निदेश को लागू करने का निर्णय लिया और इसे विधि आयोग को सौंप दिया। फिर 9.8.98 को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने त्यागपत्र दे दिया और अध्यादेश पारित करना आवश्यक हो गया। अध्यादेश को जारी करने के स्पष्टीकरण में इन मामलों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । इन सब पहलुओं को स्पष्ट किया गया है।

इस मंत्रिमंडल को विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई थी और तभी यह किया गया था। उसके बाद 7 दिसम्बर को यह विधेयक पारित किया गया और सभा इसे विभाग से संबद्ध स्थायी समिति को सौंपना चाहती थी। सभा की इच्छा के अनुसार इसे विभाग से संबद्ध स्थाई समिति को सौपा गया था और समिति से 16 दिसम्बर से पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था किंतु ऐसा नहीं हुआ समिति की रिपोर्ट 25 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत की गई। इसलिए, अध्यादेश को पुनः जारी किया जाना आवश्यक हो गया था और इसलिए सरकार का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट है।

हमारे साथी, श्री बसुदेव आचार्य ने कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहा है। मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार केवल एक राज्य में ही व्याप्त नहीं है। आम जीवन में भ्रष्टाचार श्री टी.टी. कृष्णाचारी, श्री नेहरु और श्रीमती गाँधी के दिनों से ही है।

जापान और अमेरिका तक में भ्रष्टाचार है। साथी आचार्य जी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बोल रहे थे। वे एक मित्र के बारे में बोलना चाहते थे जो तमिलनाडु के दक्षिणी धुर पर बैठे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान विधेयक, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया था, केवल केन्द्रीय सतर्कता आयोग को ही मजबूत करेगा। इस सभा में यह विधेयक 7 दिसम्बर 1998 को पुरःस्थापित किया गया था।

मैंने तमिल में बोलने के लिए नोटिस दिया था। जब मैं घूसखोरी और भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाहता हूं तो मैं आपनी मातृभाषा, तमिल में बोलना चाहता हूं।

मैं एक ऐसी पार्टी से संबंधित हूं जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार को कोई स्थान न देते हुए, इसे समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। मैं एक ऐसी पार्टी से संबंधित हूं जो भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आगे कभी नहीं झुकी। मैं स्वर्गीय डॉ. पुरात्ची थलाइवी द्वारा गठित आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनैत्र कझगम पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि जब चुनावों के दौरान हमने भा.ज.पा. के साथ गठबंधन किया था तो प्रेस ने हमारे बारे में क्या लिखा था। कई लोगों ने हमारे साहसपूर्ण निर्णय के बारे में बहुत सी बातें कही थीं।

भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए लाया जाने वाला केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक भारत के राष्ट्रीय इतिहास में एक मील का पत्थर है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 के पुरःस्थापन के बाद इसे गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को उल्लिखित किया गया था, यह कार्य जांच और रिपोर्ट के लिए श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा की थी। ऐसी विस्तृत चर्चाओं के बाद, स्थायी समिति ने 25 फरवरी, 1999 को संसद को केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 से संबंधित 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 में 27 खण्ड हैं। स्थायी समिति ने 21 खण्डों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया है। अन्य छह खण्डों के संबंध में स्थायी समिति ने बड़े परिवर्तन की सिफारिश या प्रस्ताव किया है। इन छह खण्डों की जांच के बाद सरकार ने स्थायी समिति द्वारा पांच खंडों के संबंध में परिवर्तन की सिफारिश या प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

स्थायी समिति में सरकार को उनके सुझाव पर निर्णय लेने का निदेश दिया है कि 'विधेयक में, जहां सी. वी. सी., सी. बी. आई. के काम का पर्यवेक्षण करने या सी.बी.आई. को अनुदेश देने इत्यादि में सक्षम है वहां प्रावधान यह होना चाहिए कि सी बी आई द्वारा सत्यापन, पूछताछ और जांच की जाए न कि इनमें से एक या दो द्वारा।' सरकार ने समिति के इस सुझाव की जांच की है और यह व्यवहार्य नहीं पाया क्योंकि उस उद्देश्य के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जा रही शक्तियों के अंतर्गत तथा किसी नियमित मामले के पंजीकरण से पहले प्रलिस द्वारा तथ्यों की औपचारिक जांच या सत्यापन को न तो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और न उनको विधायी रूप से मान्यता ही दी गई है।

महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 के संबध में स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों में किए गए औपचारिक संशोधनों को परिचालित किया जा चुका है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 पर इस सभा द्वारा विचार नहीं किया जा सका क्योंकि गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी इसी बीच, राष्ट्रपति द्वारा पहले जारी किए गए दोनो अध्यादेशों की अवधि समाप्त हो रही थी और केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 की संख्या 4) को 8 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित करना आवश्यक हो गया था जिससे केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 के उपबंधों की वैधता को अनवरत रूप से प्रभावी बनाया जा सके।

अधिनियमन सूत्र और वर्ष में परिवर्तन होने से, जिसके लिए औपचारिक संशोधन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, विधेयक का नाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 हो जाएगा। इस विधेयक को 18 मार्च, 1999 को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना था तथा 4 अप्रैल, 1999 तक उस पर राष्ट्रपति की सहमति दी जानी थी जब केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 की अवधि समाप्त हो जाती। सभापति महोदय, इस मामले की तात्कालिकता को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक को प्रस्तावित औपचारिक संशोधन के साथ पारित किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार करके इसे प्रस्तावित औपचारिक संशोधन के साथ पारित

किया जाए। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी आपत्ति वापस ले लें। इस विधेयक में आम जीवन में भ्रष्टाचार समाप्त करने की मांग की गई है। इसलिए, इसे एकमत से पारित किया जाना चाहिए। संसद के इतिहास में यह एक रिकार्ड विधेयक है। जिसमें न केवल राजनीतिज्ञों परिष्कार बल्कि उन नौकरशाहों के भी परिष्कार की बात कही गई है जो कार्यपालकों के ऊपर काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

"कि केन्द्रीय सरकार के, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, स्थानीय प्राधिकरण के, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और लोक सेवकों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कारित, अधिकथित अपराधों की जांच करने या जांचों के कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री के. एस. राव (मछलीपत्तनम) : महोदय, मैंने इस विधेयक के बारे तथा पिछले वर्ष भाजपा सरकार के कार्यों के बारे में अच्छी तरह पढ़ा है। मैंने मंत्री जी द्वारा की गई टिप्पणियों को सुना है और मैं आम जीवन से भ्रष्टाचार हटाने के उनके पवित्र इरादे की सराहना करता हूं। मंत्री जी इस सभा में कह रहे थे कि यह ऐसी सरकार है जिसने सी. वी. सी. लाए जाने के लिए कदम उठाए हैं। यह सही नहीं है। सबसे पहले 1964 में तत्कालीन सरकार ने अपना उद्देश्य व्यक्त किया था और इस आयोग को प्रभावी बनाया था। वर्तमान सरकार ने केवल यही किया है कि उस आयोग को एक विधायी प्राधिकरण का रूप दिया है और वह भी उसी रूप में, वास्तव में। वर्तमान सरकार ने इच्छा से या अनिच्छा से एक परिवर्तन भी किया है जिसके आधार पर आयोग के पदेन सदस्य के रूप में कार्मिक सचिव को शामिल करने के लिए पहले अध्यादेश में एक संशोधन किया गया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकना है। परन्तु अगर इसके सदस्य लोग इस विधेयक में कमियां पैदा करेंगे तो यह विधेयक सही मायनों में कार्यान्वित नहीं हो पाएगा, तथा अगर प्राधिकारी लापरवाह होकर इसे पारित करते हैं तो यह सही मायने में पारित नहीं हो पाएगा। मैं नहीं जानता कि क्या यह सरकार का इरादा था कि सचिव को इसका पदेन सदस्य बनाकर सी. वी. सी. को कम प्रभावी बनाया जाए। मैं नहीं जानता कि यह इच्छा से किया गया है कि अनिच्छा से या सत्ता दल के कुछ सदस्य चाहते थे कि ऐसा हो। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार ने नौकरशाहों के इशारों पर काम किया है या नौकरशाह अनुभवहीन सरकार को अपने तरीके से काम करवाने के लिए काम करवा रहे हैं। देशवासियों के मन में आम धारणा यह है कि यह सरकार नौकरशाहों के इशारों पर चल रही है जो अधिनियम और इस तरह से प्रावधान बना रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : आपकी धारणा आज देश की जनता की धारण नहीं है।

श्री के. एस. राव : आपकी राय में यह सही हो सकता है। मेरी धारणा मेरी अपनी है। आप मेरी समझ के साथ नहीं लड़ सकते हैं। मैं बेबुनियाद बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी उसी तरह से जनता द्वारा निर्वाचित हुआ हूं, जिस तरह से आप हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मैं आप पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं देश की जनता की भावना को बता रहा हूं।

श्री के. एस. राव : मैं वही बता रहा हूं।

[अनुवाद]

राय भिन्न हो सकती है। आपकी समझ मेरी समझ से भिन्न हो सकती है। हम यहां अपनी–अपनी बात रखने के लिए एकत्र हुए हैं। यह लोकतंत्र है।

इसलिए मेरे सम्माननीय साथी, कृपया आप यह न सोचें कि आपकी समझ पूरे देश की समझ है। कृपया इस ख्याल में न रहें।

महोदय, हम जो भी कहें पर एक बात प्रशंसनीय है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम आज जिस मुख्य बुराई का सामना कर रहे हैं वह है भ्रष्टाचार और वह भी उच्च स्तर पर।

आज लोग सोच रहे हैं कि उच्च स्तर पर बड़े–बड़े अपराधों के लिए कोई कार्यवाही नहीं होती है यदि वह नौकरशाह अथवा राजनीतिज्ञ अथवा किसी अधिकारी द्वारा किए गए हों। निचले स्तर पर यदि एक बस कंडक्टर टिकट के पैसे लेने के बाद बाकी पैसे वापस करने में देर करता है तो तत्काल उसे पकड़ लिया जाता है और सजा दी जाती है। कभी–कभी तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। निचले स्तर के एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार के बहाने एक रुपए से भी कम के छोटे सिक्के वापस न करने के लिए सज़ा दी जाती है जबकि जो लोग सत्ता में हैं, वह किसी बहाने मुक्त घूमते रहते हैं। कभी–कभी वह अधिनियमों की कमियों अथवा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों में उच्च स्थानों पर लगे हुए लोगों का फायदा उठाते हैं। विधान तथा सरकार में लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। अतः मुख्य बात यह है कि संबंधित प्राधिकरणों को एक निश्चित हित को ध्यान

में रखना होगा कि अधिकारी वर्ग को केवल यह कार्य न सौंपे और उन पर पूर्णतः निर्भर न हो। उन्हें कुछ और करना चाहिए।

यह हैरानी की बात है कि इस मामले में भी सरकार ने इतने कम समय में दो अध्यादेश जारी कर दिए हैं। इन दोनों अध्यादेशों में उनके कैबिनेट मंत्रियों ने कहा है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने सरकार के साथ खेल खेला है। मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा यह सुनना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने कल प्रभावी होने वाले अधिनियम को कार्यान्वित होने से रोकने के लिए एक भूमिका निभायी है। मेरे विचार में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। यहां यह भी स्पष्ट है कि सरकार प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही है। निचले स्तर के लोगों को इस बात से क्या संकेत मिलेगा जब प्रत्येक नागरिक को यह पता चलेगा कि अधिनियम बनाते समय भी सरकार उन अधिकारियों के इरादे तथा विचारों को नियंत्रित तथा सही नहीं कर सकी जो कि इसमें शामिल हैं। यह एक बड़ी समस्या है।

महोदय, पिछले पचास वर्षों अथवा इससे अधिक में अनेक अधिनियम बनाए गए हैं। लेकिन यह केवल अधिनियम नहीं हैं बल्कि अधिनियम बनाने में इसे बनाने वालों का इरादा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस विशिष्ट मामले में जबकि मैं माननीय मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं कि उनका इरादा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने का है लेकिन उसमें दिए गए प्रावधानों से पूर्णतः यह संकेत नहीं मिलता है।

अनेक सुविख्यात नागरिकों तथा विशेषज्ञों ने समाचार–पत्रों में अपनी राय व्यक्त की है कि जिस मुख्य बात की आवश्यक्ता है वह यह है कि नामित सदस्य, मुख्य सतर्कता आयुक्त अथवा सतर्कता आयुक्त की निष्ठा शंका से परे होनी चाहिए। चाहे जितना भी अनुभव रहा हो, चाहे जितना भी ज्ञान हो सतर्कता आयुक्त की ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्णतः शंका रहित होनी चाहिए। न केवल यही, बल्कि उनके पास इतना धैर्य और विश्वास होना चाहिए ताकि वह किसी अधिकारी अथवा सरकार में कैबिनेट मंत्रियों सहित उच्च स्तर पर विद्यमान व्यक्तियों के धोखे में न आ सकें। उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। अतः निश्चय ही इस अधिनियम में शंका रहित ईमानदारी की बात को शामिल करना चाहिए। आज, यदि आप यह अधिनियम देखें और अनेक अन्य अधिनियम देखें जहां ईमानदारी के मुद्दे को शामिल किया गया है और जहां चयनित व्यक्तियों की योग्यताओं, को देखकर कोई भी ईमानदारी के अर्थ पर विश्वास नहीं करता।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, इस मामले में, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय कम से कम आयुक्तों का चयन करने के लिए 'शंका रहित ईमानदारी' शब्द को शामिल करें । जैसा कि मैनें आपको बताया है, यह जानते हुए कि इस सब के लिए अधिकारी वर्ग जिम्मेवार हैं, खंड 3 (1) में कहा गया है "बशर्ते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त में से तीन व्यक्तियों से अधिक इन व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं होने चाहिए।" इसका अर्थ है मुख्य सतर्कता आयुक्त का चयन कल किया जा सकता है। यही अधिकारी वर्ग जो कि इन सब बातों के लिए जिम्मेवार है, एक बार फिर मुख्य भूमिका निभायेगा। चौथा व्यक्ति मुख्य भूमिका नहीं निभा सकता है। इसलिए मेरी राय यह है कि यह कम से कम 50 : 50 के अनुपात में होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के समर्थन में किसी प्रकार का झुकाव नहीं होना चाहिए। अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस बात पर विचार करें कि इस आयोग में किसी भी श्रेणी के दो व्यक्ति होंगे न कि तीन। मैं यह अपने पिछले अनेक वर्षों के अनुभव और उन्हीं व्यक्तियों को ऐसा करने से रोकने के उद्देश्य से कह रहा हूं जो कि इस अधिनियम को सही तरीके से कार्यान्वित न किए जा सकने की इन सभी कमियों के लिए जिम्मेवार हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या वह सदस्यों की संख्या घटा सकते हैं अथवा नहीं।

सामान्यतः खंड 17 के संबंध में, यह सभी जाँच किए जाने के बाद आयुक्त का क्या अधिकार है? आयुक्त का कार्य है केवल मामलों की जाँच करना जो कि उन्हें संस्थानों द्वारा भेजे जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें सभी धोखे वाले तथा भ्रष्ट मामले ही भेजे जाते हैं। जब भी सी. वी. सी. को मामला भेजा जाता है, वह निश्यच ही गंभीर मामला होना चाहिए। निश्चय ही, ऐसे मामले होते हैं जहां सम्बन्धित व्यक्तियों को सजा की आवश्यकता होती है। उस विशिष्ट मामले में सम्बन्धित संगठनों द्वारा की गई जाँच के ब्यौरे पर विचार करने के बाद, यदि आयोग द्वारा दिए गए परामर्श को पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया जाता तो वह केवल परामर्श बनकर रह जाता है। उस स्थिति में सी. वी. सी. की क्या भूमिका है ?

खंड 8 (1) (घ) जाँच की प्रगति की समीक्षा करती है। यही स्थिति खंड 8 (ङ) और (च) के साथ है। उप खंड (च) में कहा गया है 'केन्द्र सरकारी को परामर्श देना'। यह केवल केन्द्र सरकार अथवा निगम को परामर्श देने के लिए है। परामर्श के बाद, क्या प्रावधान है ?

खंड 17 (2) में कहा गया है :

> "केन्द्र सरकार तथा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम, सरकारी कम्पनियाँ, सोसायटियां तथा सरकार के स्वामित्व में तथा सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को आयोग के परामर्श पर विचार करना चाहिए और उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।"

जब आन्तरिक सतर्कता एजेसी अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा पहले ही मामले की जाँच की गई हो और जब वह उस पार्टी पर कोई कार्यवाही करने में असफल रहे हों, तभी इसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाता है और जब परामर्श वापस संस्थान को दे

(श्री के. एस. राव)

दिया जाता है, तो उन्हें एक बार फिर इस बात की छूट होती है, वह जो उपयुक्त समझ कर सकते हैं। फिर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की क्या भूमिका हुई अथवा क्या उद्देश्य हुआ ? क्या यह और समय व्यर्थ करने के लिए है ? जब किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है, और सम्बन्धित संस्थान ने कार्यवाही नहीं की है, वर्षों जांच होती है और अन्त में मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया जाता है जो और दो वर्ष का समय लेते हैं और अन्ततः सम्बन्धित अधिकारी सेवा निवृत हो जाते हैं। फिर क्या कार्यवाही की जा सकती है ? अतः इस अधिनियम का उद्देश्य की जाने वाली कार्यवाही में और विलम्ब करना नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार रोकना है। इसमें और विलंब होता है और वह मुक्त हो जाता है।

महोदय, मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं के वह संस्थान के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के कार्यान्वयन को अनिवार्य बना दे क्योंकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग में भी ऐसे लोग है जिनकी ईमानदारी पर शंका नहीं की जा सकती, साहस तथा निष्ठा वाले लोग हैं। ऐसे व्यक्ति यहां आयुक्त के रूप में नियुक्त हैं। जब वह जांच प्राधिकरणों द्वारा की गई पूरी छानबीन पर विचार करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई कार्यवाही की जानी है और जब इसे कार्यान्वित नहीं किया जाता है तब यह एक बार फिर निर्णय संस्थान पर छोड़कर केवल एक परामर्श बनकर रह जाता है, और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी अधिनियम हम बनायें असके अनुपालन के लिए अच्छे आदमी प्रेरित होने चाहिए और धोखाधड़ी करने वाले इससे डरें और घबरायें।

संसदीय समिति के सदस्य के रूप में मैंने बम्बई के एक बैंकिंग संस्था का दौरा किया था। हमारे द्वारा प्रश्न किए जाने पर लगभग प्रत्येक बैंक और प्रत्येक संस्था ने एक ही बात बतायी। हमने उनसे पूछा कि वित्तीय संस्थानों के पास कई करोड़ रुपए अनुपयोगी क्यों रखे हुए हैं जबकि उन्हें लाभकारी प्रयोजनों में लगाया जाना चाहिए था, उन्होंने कहा कि उनके पास (ऋण) लेने के लिए लोग नहीं आते हैं। हमें यह सुनकर खेद हुआ और हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है। हमने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि कई लोग संस्थानों से धन उधार लेने के लिए आते हैं जिससे कि वे कोई उद्योग लगा सकें और किसान, व्यापारी या छोटे कुशल मजदूर भी संस्थानों से उधार लेने जाते हैं। उन्होंने कहा कि माना वे अच्छे उद्देश्य से आज किसी को ऋण देते हैं और कल या कुछ वर्षों बाद, यदि वे अदायगी नहीं कर पाते हैं तो तत्काल केन्द्रीय सतर्कता आयोग कार्रवाई करता है और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। सभी संस्थानों के अधिकारियों की पहली माँग थी कि उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए। इसी बात से समस्या उत्पन्न होती है।

सभापति महोदय : श्री राव, आबंटित समय केवल दो घण्टे है। कई सदस्यों को बोलना है। कृपया इस बात को ध्यान में रखे।

श्री के. एस. राव : मैं नियमों का पालन करने वाला सदस्य हूं। मैं अन्य सदस्यों के समान नहीं हूं जिन्हें आप दबाव में आकर अनुमति देते हैं। मैं वैसा नहीं हूं। कृपया मुझे बताएं कि कितने मिनट में मुझे अपनी बात पूरी करनी चाहिए। मैं हमेशा अध्यक्षपीठ के निर्देश का पालन करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री के. एस. राव : अपनी बात पर आता हूं, उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जो देश की सर्वोच्च संस्था है, को वर्ग –।। और वर्ग–।।। के अधिकारियों के कार्यकरण की जांच नहीं करनी चाहिए अपितु इसे अपने कार्यक्षेत्र को उच्चतम स्तर पर बड़े अपराधियों तक सीमित रखना चाहिए। यदि उच्चतम स्तर भ्रष्टाचार से मुक्त रहता है तो निम्न स्तर अपने आप भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। अतः हमें ऐसे संकेत देने चाहिए कि वे कितने ही अच्छे पदों पर क्यों न हो, उन्हे दण्ड दिया जाएगा और यदि उन्हें उण्ड दिया जाता है तो उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसीलिए मैं. सरकार से एक बार फिर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यक्षेत्र को अधिकारियों के स्तर तक सीमित करने का अनुरोध करता हूं जैसा कि स्वयं मंत्री महोदय ने विधेयक में कहा है। परन्तु, उन्होंने कहा "...नियमित अन्तरालों पर सरकार द्वारा यथा निर्णित" इसके बजाय हम श्रेणियां बना सकते हैं और कह सकते हैं कि इस विशेष स्तर तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग कार्य करेगा और उसे मामलों की जांच की शक्ति होगी। अन्य मामलों को अन्य प्राधिकरणों पर छोड़ा जा सकता है।

मैं अब अगली बात पर आता हूं। यदि किसी बैक या संस्था का मुखिया जैसे, अध्यक्ष–व–प्रबन्ध निदेशक अपने अधीन काम कर रहे किसी व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता है तो उस अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक को हटा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो अन्य अध्यक्ष, व प्रबन्ध निदेशक अपने आप सुधर जाएंगें। वे सही निर्णय करेगें और चूक करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगें। दूसरी और यदि कोई व्यक्ति जिसने जानबूझकर अपराध नहीं किया है ओर यदि उसने ऐसा सरकार के निर्णयों, नियमों, विनियमों में परिवर्तन या ढीली अर्थव्यवस्था या किसी अन्य कारणवश ऐसा किया है, यदि लोगों की ओर से अदायगी नहीं की गयी हो तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य है कि वह अधिकारी का बचाव करे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग बाद में कह सकता है कि उन्होंने ब्यौरे की जांच की और पाया कि अधिकारी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को यह पता लगता है कि वास्तविक दोषी के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक ही जिम्मेदार है तो जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक को हटा दीजिए। इसीलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे प्राधिकरण को कतिपय स्तरों तक सीमित रखें और उसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएं। अन्ततः यदि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

वर्तमान सरकार के मामले में, माननीय मंत्री महोदय इसे रोकने के अपने इरादे को व्यक्त कर चुके हैं। श्री बेजबरूआ, तत्कालीन प्रर्वतन निदेशक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार की कार्रवाई से पूरा देश परिचित है। यह एकदम स्पष्ट थी और सभी ने महसूस किया कि ऐसे अधिकारी को हटाया गया जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सत्यनिष्ठा और पूर्ण विश्वास रखता है। बाद में उच्चतम न्यायालय के दखल से ही उन्हें वापस लाया गया। परन्तु अभी भी वे कहते हैं कि उन्हें हटाने का उनका कोई इरादा नहीं था। कुछ समय बाद, एक बार फिर उन्होंने उनका स्थानान्तरण कर दिया। भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में वर्तमान सरकार के इरादे स्पष्ट नहीं है। एक संकेत ही पर्याप्त है। यदि कोई प्रवर्तन निदेशक जिसकी प्रतिष्ठा है और जिसने सिद्ध कर दिया हो, कि वह सक्षम व्यक्ति है और जिसने नियमों का स्पष्ट रूप से पालन किया हो को हटाया और धमकाया जाता है तो इस बात से देश में क्या संकेत जाएगें।

ऐसे अधिनियमों से देश के लोगों की राय को बदला नहीं जा सकता है और ऐसी कार्रवाईयों से अधिनियम का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसी बातें न दोहरायें और ऐसे विचार नहीं बनने दें कि सरकार के अपने विचार स्पष्ट नहीं हैं।

एक बात स्पष्ट है कि लगभग सभी पार्टियों जिनमें बड़ी पार्टियां भी शामिल हैं, का एक मात्र उद्देश्य सत्ता में आना है। उनका पूरा उद्देश्य वोट बटोरना ही है। वोट प्राप्त करने के लिए वे सही रास्ते को छोडने को तैयार रहते हैं और मूल्यों को भी छोड देते हैं। मूल्यों का पतन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है और राष्ट्र में तबाही ला रहा है। इसीलिए मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए।

मैं एक बार फिर सभी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे एक साथ मिलकर बैठें और इन विधेयकों के बजाय एक आचार संहिता बनाएं। उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे न्यूनतम व्यवस्था को बनाए रखें। यह न्यूनतम नियम और विनियम है जिनका कि पालन किया जाना है, केवल तभी इन अधिनियमों की उपयोगिता रहेगी। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि, वास्तविक कार्यान्वयन से ऐसी कार्रवाईयां दोहरायी न जाएं, इन सब बातों को देखते हुए मेरा यह मानना है कि इस अधिनियम में निश्चित रूप से उच्चतम स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने वाले सभी उपबन्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चड़ीगढ़) : सभापति जी, मैं भारत सरकार द्वारा जो यह सेंट्रल बिजिलेंस कमीशन बिल संसद में पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी मैंने इस संबंध में अपने दोनो साथियों के विचार सुने हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के विचार भी सुने और हमारे वरिष्ठ सांसद जिन्होंने स्टेट्यूटरी रेजोल्यूश मूव किया, उनके विचार भी सुने।

यह जो बिल आया है उसके साथ किसी का बहुत लम्बा–चौड़ा मतभेद नहीं होगा, छोटा–मोटा, एक–आध पाइंट पर होगा, लेकिन एक मुख्य मुद्दा इसने हमारे सामने छोडा है। यह जो हमें कानून बनाना पड़ रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के कारण बनाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप यह कानून बनाएं। सबसे पहला मुद्दा जो मैं सबके सामने उठाना चाहता हूं वह यह है कि संविधान बनाते समय तीनों ही विंगों को अपने–अपने अधिकार दिये गये थे। कानून बनाने का संसद को, लागू करने का कार्य पालिका को और इंटरप्रेट करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया था। लेकिन आज अगर न्यायालय संसद या सरकार को कानून बनाने की हिदायत देने लगे तो मुझे उम्मीद थी कि दोनों मैम्बर जो बोले हैं वे इस मुद्दे पर ध्यान दिलाएंगे। यह कोई अच्छी बात न हमारे लिए है न्यायालय के लिए है। कचहरी का काम इंटरप्रेटेशन करना है। हमने जो कानून बनाया है उसमें बिंदू यहां पर है, कौमा यहां पर है, इसका इंटरप्रीटेशन यह है आदि–आदि का अधिकार न्यायालय का है। बहुत सारे कानून संसद ने बनाए, उनको न्यायालय ने रद्द किया, एनल किया, अल्ट्रा–वायरस करार दिया। यह जो कोशिश होने लगी है, यह चिंता का विषय है। न्यायालय में बैठे हुए लोग कम्पीटेंट लोग होंगे, मैं किसी जज की कंपीटेंसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो संसद के सामने मुद्दा आ रहा है कि क्या हम अपने कानून बनाने के अधिकारों को कोर्ट्स के पास छोडेंगे। कानून हमें बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, इस विषय पर सभी पार्टियों को पार्टी से ऊपर होकर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। हम न्यायालय से यह उम्मीद करें कि वह संसद को डायरेक्शन देने की बात न करें। मैं मानता हूँ कि इस केस के अंदर कोई यह कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद को डायरेक्शन नहीं दी, सरकार को दी है। लेकिन कानून तो संसद ने पास करना है भले ही उसे सरकार लेकर आए। कोई भी बिल सरकार बनाए, वह संसद में ही आयेगा। इसलिए यह अप्रत्यक्ष रुप से सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन सरकार को आई है, सरकार के माध्यम से संसद को आई है। इसके बारे में हमें विचार करना होगा। हमें इस बारे में चिंता दिखानी होगी कि जहां न्यायालय हमें आदेश देना न शुरू करे वही हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि इसमें कहीं हमारी तो कमी नहीं रही है, कहीं हम तो अपने कर्तव्यों के पालन में असफल नहीं हुए हैं।

मुझे बहुत खुशी जब हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी ने कहा कि हमारा जो अपना वैल्यू सिस्टम है हमें उससे समझौता नहीं करना है। यह बहुत सही बात आपने कही है। लेकिन क्या यह भी हकीकत नहीं है कि एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप–प्रत्यारोप लगाते–लगाते आज लोगों ने अपनी संस्था को लोगों की निगाह में गिरा दिया है।

आज जनता का विश्वास सरकार और न्यायपलिका से उठने लगा है। आज एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं कि आप भ्रष्ट हो, आपकी सरकार के रहते ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। इससे कुछ

(श्री सत्यपाल जैन)

निकलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन के बाद इस कानून के आने की बात आने लगी है, इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। सांसद और विधायक भी अपने कर्तव्य की ओर देखें कि आखिर क्या कारण था जब इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, वह यह क्यों नही सोच पाए कि कोई ऐसी एजेंसी, बॉडी बने जो सारी सुपरविजन और इनवैस्टिगेशन करे। इस मुद्दे पर हम सब को विचार करना चाहिए।

आज भ्रष्टाचार सारी दुनियां में फैल गया है। यह जहर समाज में बुरी तरह नीचे तक फैल गया है। हमारा जीवन खुली किताब की तरह है। अगर किसी राजनेता की कोई बात होती है तो उसे प्रेस भी छापती है, टेलिविजन में भी आता है और उसका बहुत प्रचार होता है। न्यायालय में बैठे किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगें या अफसर या ब्यूरोकेट पर लगें तो उस पर चर्चा कम होती है। अगर मैं कहूं कि भ्रष्टाचार जीवन का एक अंग बन गया है तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसके लिए हमारी बिरादरी के लोग कम दोषी नहीं हैं चाहे वे किसी पार्टी के हों। इस देश के प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पूर्व प्रधान मंत्री पर धारा 420, 467, 469 के आरोप लगे। फर्जी डाकुमैंट बनाना, तैयार करना, कौन सच्चा है और कौन गलत है, इसका निर्णय अदालत करेगी, लेकिन यह अपने आप में बडा गम्भीर मामला है। बिहार के साथी बैठे हैं। एक बार लालू जी को गिरफ्तार करने के लिए मिलिट्री बुलाने की नौबत आई। मैं समझता हूं कि मिलिट्री बुलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है अगर किसी सांसद, मुख्यमंत्री या विधायक के खिलाफ कोर्ट वारंट जारी करता है तो उसका फर्ज नहीं है कि वह गिरफ्तारी दे। अगर हम मुख्यमंत्री, मंत्री या राजनिवास या कहीं और बैठ कर कानूनी प्रोसैस को फेल करने का प्रयास करेगें तो ऐसी चीजें और आएंगी और लोगों का विश्वास और उठेगा। मैं महसूस करता हूं कि सार्वजनिक जीवन में जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी पार्टी में बैठा हो, उसे एक्सपोज करना चाहिए।

आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी में आ रहा है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि जो एक्ट बनते हैं वह बाई ऐंड लार्ज चाहे आपकी सरकार के समय बनते हों या हमारी सरकार के समय बनते हों, अधिकांशतः उन्हें अधिकारी बनाते हैं। मैं लोकपाल बिल वाली कमेटी में था। हम देख कर हैरान हुए कि जिन लोगों ने लोकपाल बिल बनाया, उसके अन्दर एक क्लॉज था कि अगर लोकपाल किसी अधिकारी से सूचना मांगता है, उस डिपार्टमैंट का सैकेट्री यह सर्टिफिकेट दे दे कि यह डाकुमैंट पब्लिक इंटरस्ट में नहीं है तो लोकपाल वह डाकुमैंट नहीं मांग सकता। अगर हमने उसका अध्ययन न किया होता तो लोकपाल पॉलिटिशियन की खाट खड़ी नहीं कर सकता था और हम किसी अधिकारी को नहीं छू सकते थे। मैं महसूस करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन ऐंड रिस्पॉसिब्लिटी विदआउट एनी एकाअंटेबिल्टी आने लगी है। इसको भी देखने की आवश्यकता है। उसमें राजनीतिक हितों से ऊपर उठ कर कार्य करना होगा।

पहले पुलिस भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती थी। वह जांच करने के बाद चालान पेश करती थी और कार्रवाई होती थी। धीरे–धीरे लोगों का विश्वास पुलिस से उठने लगा। सत्ता में बैठे लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरु किया। कुछ सत्ता में बैठे लोगों ने दुरुपयोग किया और कुछ जिन के थू दुरुपयोग किया गया, उनको अच्छा मौका मिल गया। वह अगर एक काम मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक के कहने पर करते थे तो तीन काम अपने निजी निकालने लगे। उनका जिन के साथ निजी द्वेष होता था, उन्होंने वह निकालना शुरु कर दिया। इसका नतीजा हुआ कि पुलिस बदनाम फोर्स बन कर रह गई। आई. बी., सी. बी. आई., पता नहीं कौन–कौन सी एजेंसियां आईं, आज हालत यह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी लोगों को सी. बी. आई. पर विश्वास नहीं रहा है।

आपने सही बात कहा कि सैंट्रल विजिलैंस कमेटी के जो मैम्बर नियुक्त किए जाएं, वे कम से कम ऐसे हों जिन पर देश के लोगों का विश्वास बना रहे। अगर देश की जनता का उन से विश्वास उठ गया तो आगे क्या होगा, इसका अन्दाजा लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सैंट्रल विजिलैंस कमीशन हमारे सामने इसलिए आया है क्योंकि देश को लोगों का, न्यायालयों का इनवैस्टिगेटिड एजेंसिओं से विश्वास उठने लगा है।

मैं समझता हूं कि सैंट्रल विजिलैंस कमिश्नर एक्ट में बहुत सारी अच्छी क्लाजेज एड की गई हैं। गृह मंत्रालय की स्टेंडिग कमेटी ने इसका अध्ययन किया है। उसमें सभी पार्टियों के लोग थे। मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से सपोर्ट दी है। सरकार ने इसमें बहुत सारी कोशिशें की हैं कि इस कमीशन को पावर्स दी जायें, स्वायत्ता दी जाए ताकि यह कमीशन कुछ काम कर सकें। मैं सुप्रीम कोर्ट के योगदान से इन्कार नहीं करता। मैं सुप्रीम कोर्ट की बातों से डिफर नहीं करता लेकिन मैं एक बात से डिफर करता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश दे सकता है या नहीं। जो बातें कही गई हैं, शायद वे गलत न हों। इसलिए जो कम्पोजीशन सैंट्रल विजिलैंस कमीशन का किया गया है, उसमें एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर तथा 3 या 4 अन्य विजिलेंस कमिश्नर होंगे। आप जानते हैं कि यह एक सही एजेंसी है क्योंकि एक कलेक्टिव एजेंसी में 5 आदमी हैं, उसमें एक आदमी गलत हो सकता है या दूसरा गलत हो सकता है लेकिन 4–5 आदमी सामूहिक रूप से बैठकर एक कार्य ठीक रूप से कर सकते हैं।

सभापति जी, जहां तक इस कमीशन का चयन का मामला है, उसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लीडर ऑफ दी अपोजीशन होंगे। इन व्यक्तियों की समिति ही सही होगी जो किसी ऐसे अधिकारी का चयन करेगी। जहां तक लीडर ऑफ दी अपोजशन का प्रश्न है, उसमें कभी भी किसी पार्टी का आदमी बैठ सकता है। इसी प्रकार

आज की स्थिति में अलग–अलग पार्टियों का प्रधानमंत्री हो सकता है। यदि ये तीनों मिलकर किसी नाम पर सहमति जताते हैं तो मामला ठीक होगा। आज लोकसभा की स्थिति यह है कि किसी एक पार्टी की इतनी संख्या नहीं हो सकती कि वह रिकग्नाइज्ड लीडर ऑफ दी अपोजीशन बने। मैं समझता हूं कि एक सी स्थिति में रूल्स और एक्ट में प्रावधान होना चाहिए कि जो सिंगल लारजेस्ट पार्टी हो, उसका नेता हो, सरकार उससे कंसल्ट करके अपाइंटमेंट करे। मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

सभापति महोदय, इस कमीशन की टर्म 3–4 साल रखी है। चेयरमैन और मैम्बर्स के लिये यह 3 या 4 साल की अवधि सही है। इसके साथ ही आपने धारा–5, उपधारा (6) रखी है, उसका मैं स्वागत करता हूं । आज ज्युडिशियरी के अंदर ये बातें आने लगीं हैं कि एक जज को रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं ? मैने पिछले दिनों अटार्नी जनरल का एक बयान पढ़ा था और श्री जेठमलानी ने शायद यह बात कही है। मेरा अपना मत बनता है कि अगर ज्युडिशियरी को इंडेपेडेंट रखना है, हमें जजेज के बारे में यह प्रावधान रखना पडेगा और एक क्लाज ले–डाउन करनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद वह किसी ऑफिस आफ प्राफिट के पद पर नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि मैं 20 साल से वकालत के पेशे में रहा हूं और मेरा मत बनने लगा है कि रिटायरमेंट से पहले लोगों को लगता है कि पहले ही किसी से सांठ–गांठ कर लो, शायद कुछ मिल जायें। आपने इसमें जो दो क्लाज डाली हैं :

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और प्रत्येक अन्य सतर्कता आयुक्त, पदच्युत होने पर इसके अयोग्य होने चाहिए।

अपराह्न 3.23 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

किस लिये आयोग्य होगा, एक दुबारा कमीशन अपाइंट किया जा सकता है, उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। दूसरी सरकार के अंतर्गत, चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी किस्म का ऑफिस ऑफ प्राफिट नहीं ले सकता, मैं समझता हूं कि बहुत सराहनीय कदम है। ऐसे कदम को सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके अंदर जो इनवैस्टिगेटिंग एजेंसी होगी, वह सुपरविजन का काम करेगी। बहुत सारे प्रलोभन आ सकते हैं। इन लोगों को ईमान से हटाया नहीं जा सकता है तो उन्हें शंका की दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिये राष्ट्रपति जी को इसे हटाने की पावर दी गई है कि किसी भी चीफ विजीलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर को ऐसी स्थिति में हटा सकते हैं लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच की जानी चाहिये। इसके साथ ही आपने सस्पेंशन का प्रोविजिन किया है । जिस आदमी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी जांच होते होते 6–8 महीने लग जाते हैं। एक भ्रष्ट आदमी को सस्पेंड नहीं करेंगे, अपने पद से उसे नहीं हटायेंगे तो जो नुकसान आप बचाना चाहते हैं, वह उसी दौरान करके निकल जायेगा। राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए 2–3 आदमियों की एक कमेटी बनी है। मैं समझता हूं कि इस मामले में वे संतोषजनक ढंग से काम करेगें। इसके अलावा 4–5 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति जी बिना जांच के हटा सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है :

[अनुवाद]

(घ) वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारिरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के आयोग्य है,

या

(ड) उसने वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हों जिससे केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।"

अगर राष्ट्रपति जी को महसूस हो कि उस व्यक्ति का पर्सनल इंट्रेस्ट हो गया है और उस व्यक्ति के माता, पिता या भाई या दोस्त का इंट्रेस्ट हो गया है। तो राष्ट्रपति जी को इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को हटाने का जो अधिकार दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सही क्लॉज़ है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

सभापति जी, मंत्री जी ने सेक्शन 6 में सब सेक्शन 4 में जो प्रोविज़न किया है, मैं उसका भी स्वागत करना चाहता हूं। यह आवश्यक है कि बाकी इनक्वायरीज़ में, बाकी कमीशन्स में भी यह क्लॉज़ ऐड की जाएं। यह क्लॉज कहती है –

[अनुवाद]

"यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार में किसी रूप में सम्बद्ध या हितबद्ध है या हो जाता है या किसी भी प्रकार से उसके लाभ में भागीदार हो जाता है या सदस्य के रूप में भिन्न अन्यथा उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में किसी निगमित कम्पनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में भागीदार बनता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।"

[हिन्दी]

इस हालत में मैं समझता हूं कि इसके अंदर क्लॉज और भी ले डाउन की जानी चाहिए। फिर इस मिसबिहेवियर के लिए कोई इनक्वायरी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर यह सांबित हो

(श्री सत्यपाल जैन)

जाए कि ऑनरेबल मेम्बर इसके अंदर फाउल कर रहा है तो सीधे राष्ट्रपति जी को अधिकार होना चाहिए कि उनको नोटिस दें और उनका पक्ष सुनने के बाद उनको पद से हटाने का काम करें।

सभापति जी, जो इसके फंक्शन्स हैं सेक्शन 8 में, सुपरिटेंडेन्स का फंक्शन है, इनक्वायरी का फंक्शन हैं, वह मैं दोहराना नहीं चाहता। समय बहुत कम है क्योंकि जल्दी हम इसकी बहस समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छे महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य इसमें शामिल किये हैं। हमारे कुछ सदस्यों ने कहा है कि इसके अंदर पर्टिकुलर क्लॉज नहीं हैं, एक्शन लेने की पॉवर्स नहीं हैं। मैं समझता हूं कि ये नयी चीज दो तीन सालों में हमारे सामने आई है। इसको आगे चलने दें और आगे चलकर अनुभव के आधार पर जो बात जोड़ने वाली होगी, उस पर संसद में विचार कर सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं। इस कमीशन की धारा 12 के अंतर्गत वह आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कमीशन ऑफ इनक्वायरी ऐक्ट में मुझे याद है कि जब कुछ लोगों की इनक्वायरी शुरु हुई तो बहुत सारे लोग कमीशन के सामने जाते थे, पेश होते थे और धमकिया देकर लौट आते थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आज इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे पंजाब के एक मुख्य मंत्री शाह कमीशन के सामने गए और चैलेन्ज करके आ गए। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इनक्वायरी कमीशन को अगर कोर्ट की पॉवर्स नहीं होगी, तो कोई भी आदमी जाकर उसका मजाक उडाकर चला आएगा। यह अच्छी स्थिति नही है। इसलिए आपने इसके अंदर सिविल कोर्ट की पॉवर्स दी हैं, सम्मन करने की पॉवर्स दी हैं, ट्रायल की पॉवर्स दी हैं, वह सराहनीय कदम है। धारा 15 में आपने जो प्रोटेक्शन दिया है कि इसके मेम्बर्स अगर गुड फेथ में काम करते हैं, ऐसा न हो कि कल को हर तीसरे दिन कोई आदमी उनके खिलाफ मुकदमा वाले, कचहरी में खींचे, परेशान करें और लोगों को ईमानदारी से काम करते समय इसी बात का डर रहे कि मैंने कार्रवाई की तो मुझ पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह जो इम्यूनिटि आपने सेक्शन 15 के अंतर्गत दी है, मैं समझता हूं कि यह भी बहुत सराहनीय कदम है और इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए।

सभापति जी, बाकी जो सारी क्लॉजेज हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। दो तीन बातें मेरे सहयोगियों ने कही हैं। मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहता हूं। हमारे एक दो माननीय सदस्यों ने लॉ कमीशन की रेकमंडेशन्स का जिक्र किया और पेटेण्ट के बारे में आज उसका बहुत जिक्र किया जा रहा है। लॉ कमीशन की रेकमंडेशन आने आप में महत्वपूर्ण होंगी, मैं उससे इंकार नहीं करता, लेकिन हमें विचार करना पडेगा कि सुपरमेसी संसद की है या लॉ कमीशन की है ? हिन्दुस्तान की संसद जो चुने हुए लोगों की प्रतिनिधि संस्था है, वह कानून पास करती है और उसके बाद कहा जाता है कि लॉ कमीशन ने यह कहा, लॉ कमीशन ने वह कहा। सर्वोच्चता संसद की है न कि विधि आयोग की। विधि आयोग को अपनी राय या दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। पता नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है।

आजकल स्वामियों की बड़ी चर्चा हो रही है। कभी चंद्रास्वामी, कभी सुब्रहमणियम स्वामी और कभी गुरुस्वामी। पता नहीं कितने–कितने स्वामियों का ज़िक्र होने लगा है। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं। कहा जा रहा है कि गुरुस्वामी ने आप पर यह आरोप लगाया। कई संसद सदस्य सदन में खडे होकर कहें कि मैं मंत्री पर आरोप लगाता हूं तो जेपीसी की डिमांड समझ में आती है, उसमें बल नजर आता है, लेकिन किसी आदमी ने अखबार में कोई बात कह दी तो हम उसकी इनक्वायरी डिमांड करने लग जाएं और सारी पार्लियामेंट को चैलेन्ज करने लग जाएं? इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोक–पाल का मामला आया है, यह बिल जल्दी आए ताकि जो इधर–उधर के आरोप लगे हैं और संसद का समय खराब होने लगा है, उसको बचाया जा सके।

सभापति जी,कहा गया कि सरकार ऑर्डिनेन्स पर चल रही है, आर्डिनेन्स राज का भी जिक्र किया गया। मैं मानता हूं कि आर्डिनेन्स मैटर ऑफ रुटीन नहीं होने चाहिए, बहुत विशेष परिस्थिति में आने चाहिए क्योंकि संसद से उम्मीद की जाती है कि संसद बिल पास करे, लेकिन राव साहब से मैं विनती करना चाहता हूं कि पिछले पांच साल का रिकार्ड निकालकर देखें तो हमें पता चलेगा कि संसद ने कितने बिल पास किये हैं। हमें अहसास होगा कि जो चार–पांच आर्डिनेन्स इश्यू किये जाते हैं, वह भी काफी दिन बाद हम जल्दी–जल्दी इसलिए पास करते हैं क्योंकि लैप्स होने का समय होता है।

क्या हम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा किया, क्या आज संसद में हम लोग इतना समय क्रिमिनली बर्बाद नहीं कर रहे हैं ? हम अगर अपना बिल पास करने का पूरा समय अख्तियार करें तो सरकार को आर्डनेन्स लाने की आवश्यकता ही न पड़े। आज जितने आर्डिनेन्स पास होते हैं, उतने ही बिल हम बना पाते हैं उसे ज्यादा बिल बना पाना मेरे ख्याल से किसी विधान सभा या संसद के लिए संभव नहीं होगा और उसके लिए आप किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं। मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं देना चाहता हूं। कुल मिलाकर हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारा जो बेसिक फर्ज है।

[अनुवाद]

संसद का मूल कार्य क्या है ? मूल कार्य विधान निर्माण व देश के लिए कानून बनाना है। मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि हम आत्मावलोकन करें। हम आत्मनिरीक्षण करें, क्या हम संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं ? क्या हमने विधान निर्माण के अपने मूल कर्तव्य का निर्वहन किया है ? हम कितना समय देते है? जब हम विधान बनाते हैं तो कितने सदस्य उपस्थित रहते हैं .. *(व्यवधान)*

श्री के. एस. राव : क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाना जरूरी है। ... *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : मैं पूछता हूं कि जब हम विधान बनाते हैं तो कितने सदस्य इसमें रुचि लेते हैं ? शून्यकाल में जब कैमरे चालू होते है सभा में पूरे सदस्य उपस्थित रहते हैं और जब आप विधेयक पर चर्चा करते हैं तो आपको सदस्यों को ढूंढना पड़ता है। आपको उन्हें बुलाना पड़ता है और उन्हें बोलने के लिए कहना पड़ता है। क्या यह हम लोगों पर आक्षेप नहीं है ? हम हर किसी की आलोचना करते हैं ? क्या हमारे पास आत्मावलोकन, स्वयं के विषय में सोचने का समय नहीं है ? हम कितना समय दे रहे हैं।

जैसा मैने पहले कहा है कि यह हमारा बड़प्पन है कि चाहे 'क' 'ख' या 'ग' कोई भी सरकार दो हम गणपूर्ति का मुद्दा नहीं उठाते हैं, किन्तु यदि हम गणपूर्ति का मुद्दा उठाने लगे तो मैं पूर्ण जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि शायद यह सभा किसी भी सप्ताह या किसी भी सत्र के दौरान एक दिन भी कार्य नहीं कर सकती है। हम उस स्थिति का सामना कर रहे हैं। उसके लिए हमें अन्य लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। उसके लिए हमें दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें स्वयं के बारे में भी सोचना चाहिए । हमें उन कार्यों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हम कर रहे हैं और किस तरीके से हम उन्हें कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, यह जो कह रहे हैं कि सरकारी पार्टी का कर्तव्य है कि वह कोरम पूरा करें, यह खुद गलत काम करते हैं। जैन साब आप बताइये कि एसोंशियल कमोडिटी का आर्डिनेन्स क्यों नहीं लाये, जो कि गवर्नमेंट के हित में है, एसेंशियल कमोडिटी का आर्डिनेन्स लाना था ...*(व्यवधान)* उसे आपने समाप्त कर दिया। प्रोफेटीयर्स, ब्लैक मार्केटीयर्स के संरक्षण ... *(व्यवधान)* यह जनरल सदस्यों को कह रहे हैं।

सभापति महोदय : वह यील्ड नहीं कर रहे हैं, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप इसका जवाब दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाडा) : जो श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है वह सही है। सत्ता पक्ष की मेंजे इतनी खाली कभी नहीं रहीं जितनी आज हैं। आपको यह बात भी नोट करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : उपेन्द्र जी आप तो इस सदन में बहुत पुराने हैं, मैं नया हूं, यह मेरा दूसरा टर्म है। रघुवंश प्रसाद जी आज मुझे कह रहे हैं कि सरकार इसका ध्यान रखे, जब आप यहां मंत्री थे, तब भी यही हालत थी। आप उस समय की प्रोसीडिंग्स निकाल कर देख लीजिए, यह सरकार पर निर्भर नहीं करता है, आप इस गलत फहमी में मत रहिये ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सब सदस्यों को गाली दे रहे हैं।

श्री सत्य पाल जैन : यह हमारे व्यवहार, हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। इसलिए इस मामले में पार्टी को मत मानिये।

ट्रांसफर का जिक्र अभी माननीय सदस्य ने बोलते हुए किया। मैं ऐसा महसूस करता हूं और मैने पहले भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को लेजिस्लेचर के मामले में डारेक्शन नहीं देनी चाहिए। यह आज तक का सैटल्ड लॉ था कि ट्रांसफर के मामले में कोर्ट इंटरफियर नहीं करती थी। जिस एक्जीक्यूटिव को लॉ इम्पलीमेंट करना है, यह उस एक्जीक्यूटिव का राइट है कि जहां चाहे किसी अफसर को रखे, उसकी सर्विसेज ले। जिस दिन से ट्रांसफर के मामले में कोर्ट्स ने इंटरफियर किया है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ट्रांसफर के मामले में अगर कोर्ट्स इंटरफियर करने लगेगी, यह कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हैं। यदि कहीं कोई बहुत गंभीर मामला है तो कोर्ट इंटरफियर करे। यह एक्जीक्यूटिव का मामला है, जिसके मामले में ऐसा नहीं यिा जाना चाहिए था।

सभापति महोदय, अंत में मैं राव साहब की इस बात से सहमत हूं कि जहां तक वैल्यू सिस्टम का प्रश्न है, उसके बारे में कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चाहे सरकार ए. की रहे या बी. की रहे, लेकिन जो इस मुल्क का वैल्यु सिस्टम है उसके बारे में कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमेटी बनेगी वह कमेटी इसके पांचो मैम्बर्स को अपाइन्ट करेगी जो इन्टीग्रिटी के लोग होंगे। ऐसे लोग होंगे जिलकी अनक्वैश्चनेबल इंटीग्रिटी होगी, जिनके बारे में कोई शंका नहीं कर सकता, ताकि कम से कम जो कमीशन है वह अपना काम ठीक से कर सके और जो जनता का विश्वास उठने लगा है, सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार आ रहा है, चाहे वह पोलिटीशियन्स में हैं, ब्यूरोक्रेट्स में है या कहीं भी हैं, उसकी निष्पक्षता से जांच हो सके और दोषियों को सजा दी जा सके, उसे हम हासिल करने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यदि मेरी किसी बात से किसी माननीय सदस्य की कोई भावना हर्ट हुई हो, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी मेरी मंशा कभी नहीं थी। लेकिन कुछ हकीकतें हैं, कुछ सच्चाइयां हैं, जिनका सामना हमें आज नहीं तो कल करना ही पडेगा, यदि हम जल्दी ही कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, कभी–कभी पार्लियामेंट में ऐसे अवसर आते हैं जब पक्ष और विपक्ष सबने मिलकर देश हित में कोई फैसला करना पड़ता है। जो केन्द्रीय सतर्कता अयोग का विधेयक है, वह कुछ इसी स्वभाव का है, इसी प्रकृति का है। यह किसी की मंशा नहीं है कि देश में भ्रष्टाचार रहे। क्योंकि हमारे एक मित्र कह रहे थे कि इस कमीशन के गठित हो जाने से देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा जड़मूल है, जिसे अभी तृणमूल कहा गया, इस देश में उसने ऐसा रूप ले लिया है जिसको कोई कमीशन गठित करके हम समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन मंत्री जी आवेश में कह गए कि भ्रष्टाचार

(श्री मोहन सिंह)

अमरीका में भी है, भ्रष्टाचार जापान में भी है बेशक है। एक प्रधान मंत्री ने बहुत पहले जब भ्रष्टाचार संबंधी बातें इस संसद में आई, तो उन्होंने कहा कि यह ग्लोबल फिनोमिना है, जब अर्थव्यवस्था विकास मान होती है, तो भ्रष्टाचार उसमें प्रवेश करता है। इस प्रकार से उन्होंने जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था उस पर हमला करने के बजाय, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की। लेकिन मंत्री महोदय, एक बात भूल जाते हैं ...*(व्यवधान)* ठीक है, भ्रष्टाचार इटली में भी है परन्तु हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि वहां भ्रष्टाचार की जड़ पर इटली के शासन और सरकार का भी हमला हुआ है। संभवतः पूरी दुनिया में इटली ही एक ऐसी संसद है जिसके एक चौथाई सदस्यों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करके वहां की सरकार, जेल के भीतर पहुंचाने का काम कर रही है। जापान में दो–दो प्रधानमंत्रियों को जेल में जाना पड़ा और वर्षों की सजा उनको हुई। किसी कमीशन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है।

सभापति महोदय, जो भ्रष्टाचारी होते हैं वे अपना राजनीतिक और प्रशासकीय प्रभाव का इस्तेमाल करके मुक्त और स्वच्छन्द भाव से घूमते रहते हैं और समाज में इससे जो वातावरण पैदा हो रहा है कि जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, जिनके द्वारा भ्रष्टाचार करने पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं होती, तो छोटे स्तर का भ्रष्टाचार क्यों रूके। तभी उनके ऊपर कुछ अंकुश, शिकंजा कसने की गुंजाइश पैदा हुई। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया क्या हर मामले में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कहेगा कि हम कौन सा कानून पास करें, क्या इस तरह का कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है ? मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह का कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। भारत के संविधान का इंतजाम इस तरह से किया गया है कि संसद द्वारा पारित कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन 1991 के बाद 10वीं लोक सभा जब थी तब सार्वजनिक भ्रष्टाचार के एक से एक बड़े मामले इस देश में उजागर हुए, उनके चलते स्वयंसेवी संस्थाओं को पब्लिक इंटरैस्ट लिटीगेशन की धारा के महत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना पडा। सुप्रीम कोर्ट जब अपनी परेशानी महसूस करने लगा कि इस देश की सी. बी. आई. बड़े लोगों के प्रभाव में काम नहीं कर पा रही है, उन्होंने सोचा और परेशानी महसूस की कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय, इस देश के उच्च न्यायालय के सामने जब इस देश का कोई नागरिक सीधे भ्रष्टाचार का मामला सामने लेकर आ रहा है और हम निर्देश दे रहें हैं तथा सी. बी. आई. कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एसक ऐसा सुझाव भारत सरकार को दें और इस तरह का एक प्रयास हो कि सी. बी. आई. के अतिरिक्त उसके भी ऊपर, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसका सुपरवीजन करने के लिए एक कमीशन हो और उस कमीशन की नियुक्ति अकेले सरकार न करे क्योंकि यह 1964 से एक आयोग था। वह भारत सरकार की मातहती में चलने वाला आयोग था। उसमें कुछ अधिकारियों की नियुक्ति हो जाती थी। जब वह किसी पर हाथ डालने की कोशिश करता था, तो सरकारी हस्तक्षेप हो जाता था। इस देश में मोरारजी भाई की अध्यक्षता में, बहुत पहले 1960 के दशक में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन बना और उसकी ओर से जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में लगातार एक बात होती रही और उस आयोग की ओर से कहा गया कि भारत सरकार के स्तर पर लोकपाल होना चाहिए और राज्य के स्तर पर लोकायुक्त होना चाहिए। इसका सुझाव उस जमाने में आया, लेकिन उसका पालन इस सरकार ने और इस संसद ने नहीं किया।

यदि संसद और सरकार अपने दायित्व से विफल हो जाये, विरत् हो जाये तो क्या सलाह देने का किसी संगठन को अधिकार है? हमने लॉ कमीशन इसलिए नियुक्त किया है कि हमको कानूनी राय देने के लिए, इस देश के सही ढगं से संविधान के निर्माण में, संविधान के संचालन में हम ठीक से कार्यवाही कर सकें, हमने एक कमीशन नियुक्त किया है, जिसको हम लॉ कमीशन के नाम से जानते हैं। जब इस तरह के पब्लिक लिटीगेशन आने लगे जिसको इस देश में ज्यूडिशियल एक्टिविजम कहते हैं, सीधे–सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर मामले में दखल दे रहा है, तो उसने एक रास्ता निकाला कि एक कमीशन नियुक्त हो जिसका स्टेचुटरी बॉडी की तरह से लोकल स्टेटस हो और सरकार के मुकाबले वह थ्रोडा स्वायत अधिकार रखता हो। उस आयोग के गठन में नेता विरोधी दल की राय, प्रधान मंत्री जी की राय, गृह मंत्री जी की राय हो और एक ऐसे व्यक्ति, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की राय होनी चाहिए। चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट से आई हुई राय थी इसलिए उन्होंने अपने स्वयं को इसमें शामिल करने की कोशिश नहीं की और इन तीन लोगों के सुझाव दिये। इसमें किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने अडंगा डाला, आपने यहां से भाषण के समय अपनी बात कहते हुए कहा। जब हम इस कानून को पास करें और एक कमीशन नियुक्त करें तो उसके साथ–साथ मेरा सुझाव है क्योंकि यह होम अफेयर्स की सटैंडिंग कमेटी में गया। जब स्टैंडिंग कमेटी में गया तो उसमें सभी दलों के लोगो ने अपने–अपने सुझाव गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की स्थायी समिति के सामने इस विधेयक के संबंध में रखने का प्रयास किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे यहां से कहा गया कि इसके लिए अध्यादेश के जरिये इस सदन के सामने आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें अनावश्यक रूप से अध्यादेश के अधिकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि जब यह विधेयक के रूप में प्रस्तुत हो चुका था। गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के सामने समीक्षा के लिए आया था वहां से समीक्षा के बाद यहां आना था क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य उधर से कह रहे थे कि यह संसद में ले लो। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या संसद के सामने कोई भी विधेयक कानून बनाने के संबंध में भारत सरकार ने जब प्रस्तुत करने की कोशिश की तो क्या इस संसद ने अपनी तरफ से कोई ऐसा विरोध नहीं किया जिससे वे संसद में पास ही न करें? आपके हर काम में कम से कम

कानून बनाने के मामले में इस संसद ने सरकार का सदैव सहयोग किया है और इसमें भी हम सहयोग करने को तैयार थे लेकिन वह केवल कानून की शक्ल में, विधेयक की शक्ल में आता। आपने इसे अध्यादेश की शक्ल में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पेश करने का काम किया। इसी के साथ हम इसका विरोध नहीं करते क्योंकि हम भी गृह मंत्रालय की स्थायी समिति में थे। मुझे जो सुझाव देने थे, मैंने वहां दिये। यह अपने आप में संपूर्ण विधेयक नहीं है, सम्पूर्ण कानून नहीं है लेकिन एक ढांचा, एक खाका, एक नया स्वरूप हमारे सामने, देश के सामने आ रहा है। इसके कार्य संचालन के बाद उसमें जो कमियां होंगी, संसद उसमें समय–समय पर परिवर्तन और संशोधन करती रहेगी। लेकिन कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं क्योंकि किसी भी तरह के आई. पी. सी. और सी. आर. सी. हमारे देश में आज से 100 साल पहले से बने हुए हैं और कार्यरत् हैं, उसके अन्तर्गत किसी भी तरह की कार्यवाही प्रासीक्यूशन का काम इंडियन पुलिस को इन दो महान ग्रंथों के जरिये दिया हुआ है। आज हम लोकपाल विधेयक संसद में पास करना चाहते हैं तथा हम सैंट्रल विजिलेंस का गठन करना चाहते हैं तो उसके साथ–साथ हमको सी. आर. पी. सी. और आई. पी. सी. दोनों की धारा में परिवर्तन करना पड़ेगा और एक अलग से विधेयक इस संसद मे लाना पडेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस तरह के हम कमीशन नियुक्त कर रहे हैं, उस कमीशन का एक व्यापक आधार होगा, उसका व्यापक ढांचा होगा और प्रासीक्यूशन के सारे अधिकार उसी कमीशन के तहत रहने चाहिए, पुलिस के पास नहीं क्योंकि छानबीन करने के बाद एक केस तैयार करके जब सैंट्रल विजिलेंस कमीशन पुलिस के पास उसको भेजेगा तो पुलिस अपने दायित्व का निर्वाह सी. आर. पी. सी. और आई. पी. सी. के तहत सही ढंग से करेगी, यह हमेशा संदिग्ध बना रहेगा। इस सुझाव के साथ कि भारत सरकार यदि एक मन से, सच्ची भावना के साथ भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए सैंट्रल विजिलेंस कमीशन को नियुक्त करना चाहती है तो आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. में भी इसके साथ तालमेल बैठाते हुए एक व्यापक संशोधन आना चाहिए जिससे भ्रष्टाचारियों को दंडित किया जा सके। इस अपील के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस विधेयक पर मुझे कुछ राय देने का और कुछ अपनी बात कहने का मौका मिला।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) महोदय, मैं माननीय श्री सत्यपाल जैन के भाषण में व्यंग्योक्ति की झलक समझ सकता हूं जब उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय सरकार को और सरकार के माध्यम से संसद को कानून बानाने का आदेश क्यों दें। मैं उनके मत से सहमत हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद को कोई निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए जो एक स्वतंत्र विंग है, किंतु हमें इस बात पर भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी स्थिति क्यो पैदा हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विगत 50 वर्षों में लोकतंत्र के तीन स्तम्भों में से विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यो के निर्वहन में विफल रही है, नौकरशाही नियंत्रण से बाहर हो गई। मैं स्वयं पूर्व नौकरशाह हूं। मैं जानना चाहता हूं कि नौकरशाही में क्या होता है, नौकरशाही किस प्रकार कार्य करती है? मै जातता हूं कि नौकरशाही ने बिना किसी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के सभी अधिकार ले लिए हैं। सरकार में जो कुछ भी होता है उसे गोपनीयता के आवरण से ढक दिया जाता है। यदि आप किसी कार्यालय में जाएं और किसी सूचना को मांगे तो वे कहेगें कि यह गोपनीय है इसे आपको नहीं दिया जा सकता है। इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है, लोगों को नौकरशाही से न्याय नहीं मिलता है। राजनीतिज्ञ भी उतने ही भ्रष्ट हैं। हम जैसे लोग हैं और हम भी उतने ही भ्रष्ट व गैर जिम्मेदार हैं।

एक माननीय सदस्य : ऐसा कौन कहता है ?

श्री खारबेल स्वाईं : यह मेरी व्यक्तिगत राय है ...*(व्यवधान)* आप मेरी राय से असहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं ...*(व्यवधान)* उन्हें राजनीतिज्ञों से भी न्याय नहीं मिलता है और अन्तत. वे न्यायालय में जाते हैं। अब न्यायालय ने वास्तव में विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां हडप ली हैं। इसीलिए न्यायपालिका ही निर्देश दे रही है।

महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योकि अनेक माननीय सदस्यों ने विधेयक के ब्यौरे पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि अधिक समय नही बचा है।

हवाला मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सफलता नहीं मिली, यह किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं कर सकी और यह साबित नहीं कर सकी कि कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिज्ञ, जिसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है, वास्तव में भ्रष्ट है। यह कोई ठोस मामला भी नहीं बना सकी। कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो राजनीतिक दलो और राजनीतिक दिग्गजों द्वारा प्रभावित की गई, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। इसीलिए सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 लाई है। इस विधेयक को भ्रष्टाचार के मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय का निरीक्षण करने के प्रावधान करने के लिए लाया गया है। इसलिए मैं सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं यह भी जानता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार के इरादे के प्रति आशंका जताई है। मैं कह सकता हूं कि मैंने माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इरादे के प्रति कभी आशंका नहीं जताई है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि विगत एक वर्ष के दौरान उनके या उनके मंत्रिमंडल के किसी भी सहयोगी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगाया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इरादा स्पष्ट है और किसी को भी इस बारे में संदेह नहीं होना चाहिए।

(श्री खारबेल स्वाईं)

जहां तक इस विधेयक संबंध है माननीय सदस्यों द्वारा दूसरी बात उठाई गई थी। उनका आरोप है कि "संदेह से परे सत्यनिष्ठ व्यक्ति" शब्दों का लोच क्यों किया गया है ?

महोदय, श्री सत्यपाल जैन ने पहले ही बता दिया है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व विपक्ष के नेता द्वारा की जाएगी, यदि वे ऐसे व्यक्ति का चयन करने में विफल होते हैं जिनके सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो तो फिर मुझे अपने हाथ खड़े करने पड़ेगें। फिर देश में कौन है जो बेहतर व्यक्ति का चयन करे? मेरे विचार से यह बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष के नेता को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मुख्य सतर्कता आयुक्त के चयन की प्रक्रिया में उसे भी शामिल किया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब प्रधान मंत्री, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता यहां होंगे तो निश्चित रूप से सन्देहातीत, सत्यनिष्ठा व्यक्ति मुख्य सतर्कता आयुक्त चुना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पहले ही चुना जा चुका है, श्री विट्ठल को चुना गया है, और पिछले कुछ महीनों से वे जिस तरह से काम कर रहे हैं मैं कह सकता हूं कि वे पूर्ण रूप से सही व्यक्ति हैं, सन्देहातीत सत्यनिष्ठ व्यक्ति को पहले ही चुना जा चुका है।

महोदय इस देश में भ्रष्टाचार 'सबसे कम खतरे वाला और सबसे अधिक लाभ वाला व्यापार' बन गया है। हमारा आशय इसे कम लाभ और अधिक खतरे वाला बनाने से है। यह काम किया जाता है। हमारे देश में, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की पूरी प्रक्रिया और पूरी प्रणाली एक मजाक बन कर रह गई है। जांच के दौरान टालमटोल के तरीके अपनाने और भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध बार–बार कार्यवाही स्थगित कर देने से इस प्रक्रिया में काफी लम्बा समय लग जाता है और अन्ततः जिस व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कतिपय आरोप लगे होते हैं वह सेवानिवृत हो जाता है उसके बाद हम उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक जांच को समयबद्ध बनाया जाए और किसी भी मामले में दो से अधिक कार्य–स्थगन नहीं होने चाहिए। संबंधित लोग लगातार स्थगन की मांग नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे उपक्रम हैं जहां भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर पनप रहा है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए उनके पास पर्याप्त सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि वे कुछ ऐसे सेवानिवृत व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं जो सन्देहातीत सत्यनिष्ठ हों, जो भ्रष्टाचार की जांच कर सकें और एक समयबद्ध तरीके से जांच करके अपराधी को सजा दे सकें।

मुख्य सतर्कता आयुक्त को गलत तरीके से प्राप्त किए गए धन को जब्त करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। यह बहुत महत्व–पूर्ण बात है। जब तक गलत तरीके से प्राप्त धन को जब्त नहीं किया जाता और जब तक वह अधिकार मुख्य सतर्कता आयुक्त को नहीं दिया जाता, वास्तव में हम भ्रष्ट लोगों को सजा नहीं दे पाएंगे। हमारे देश में, आप केवल लगातार जांच ही कर सकते हैं। आप कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अपने साधनों या आय के अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक धन या परिसम्पतियों का संचय किया है। यह सब हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमुक व्यक्ति ने बहुत सा धन, करोड़ो रुपये इकट्ठे कर लिए हैं परंतु क्या हम उसे जब्त करने में सक्षम हैं? हमें इसे जब्त कर लेना चाहिए जिसे यह एक 'कम लाभ और अधिक खतरे वाला काम' बने न कि 'अधिक लाभ और कम खतरे वाला काम' जैसा कि आजकल हो रहा है।

मेरा अन्य सुझाव यह है कि प्रत्येक कार्यालय में अपराधियों की फोटो का संकलन होना चाहिए जहां कार्यालय के सामने सभी भ्रष्ट अधिकारियों के फोटो लगे हों जिससे प्रत्येक व्यक्ति जान सके कि अमुक व्यक्ति भ्रष्ट है और उसने जालसाजी करके इस देश का धन हड़प लिया है।

श्री विट्टल ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में भी किसी भी ठेके में निविदा के बाद कोई समझौता नहीं होना चाहिए। निविदा के बाद होने वाले समझौते ही भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोत होते हैं। निविदायें जारी की जाती हैं, ठेकेदार अपने कागज–पत्र प्रस्तुत करते हैं और किसी निश्चित दिन प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति में निविदायें खोली जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी में यह बात आती है कि किस व्यक्ति ने क्या अंकित की थी। फिर, निविदा खुल जाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के साथ इस संबंध में कोई बातचीत क्यों हो ? यह तरीका अपनाकर क्या हम लोगों को भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दे रहें हैं और क्या हम सबसे कम दर अंकित करने वाले व्यक्ति को ठेका देने से मना नहीं कर रहे है ? निविदा खुलने के पश्चात हेरफेर करने की बातचीत करके हम एक तरीके से ऐसे व्यक्ति को ठेका देने से मना कर रहे हैं जिसकी दर सबसे कम है और इसकी ओर ऐसे व्यक्ति घूस लेकर उसे ठेका दे रहे हैं जिसकी दर सबसे अधिक है।

महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। एक बार उड़ीसा में सिराजुद्दीन खनन के मामले में भ्रष्टाचार हुआ था। उस समय मंत्री ने केवल 15,000 रुपये की रिश्वत ली थी, फिर भी उस घटना, ने पूरे देश को हिला दिया था। अब सैकड़ो, करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी हो रही है, फिर भी इससे कोई प्रभावित नहीं होता इससे राष्ट्र की आत्मा भी अछूती रहती है। आज सबसे जरूरी यह बात है कि भ्रष्टाचार के प्रति लोगों में असहिष्णुता का स्तर बढ़ाया जाए।

महोदय, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उक्त पद पर कौन सा व्यक्ति नियुक्त किया गया है । श्री टी. एन. शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के पहले हम नहीं जानते थे कि चुनाव आयोग कितना सक्षम हो सकता है। तब तक हम सोचते थे कि यह बिना किसी अधिकार के संगठन के रूप में चलने वाले एक

निकाय मात्र है। जैसे ही श्री टी॰ एन॰ शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने उन्होंने भारत में चुनाव का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि चुनाव आयोग एक बहुत सक्षम संगठन है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सब उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त बनेगा। जो व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होता है यह उस पर निर्भर करता है कि क्या लोगों में उक्त प्रणाली में विश्वास करने में मतभेद होगा अथवा इस प्रणाली में उनकी यह आस्था बनेगी और उन्हें यह विश्वास होगा कि इससे उन्हें न्याय मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, यह विधेयक विचार के लिए आने से पहले इसे काफी घुमावदार रास्ते से गुजरना पड़ा है और इससे यह साबित हुआ कि वर्तमान सरकार का तरीका अध्यादेश के बाद अध्यादेश जारी करना है। सरकार की यह परम्परा बन गई है कि विधेयक को लाए जाने से पहले अध्यादेश जारी किया जाए। किसी अध्यादेश के निरस्त करने वाला अध्यादेश लाना संसदीय इतिहास में शायद ही कभी होता हो और यह सरकार इस परम्परा में लिप्त है।

इसी प्रकार, इस विधेयक के संबंध में भी पहले एक अध्यादेश जारी किया गया था और दूसरा अध्यादेश लाया गया। तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय को कुछ टिप्पणियां करनी पडीं, और विधेयक के कुछ उपबन्धों के संबध में कुछ आपत्तियां उठानी पड़ीं। अन्ततः विधेयक पर स्थायी समिति द्वारा विचार–विमर्श किए जाने के पश्चात इसे सदन में विचार के लिए लाया गया।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि हर प्रकार का भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैलता जा रहा है, यह देश को खोखला बना रहा है। इसे समाप्त करने का न सही, इस पर अकुंश लगाने का कोई भी प्रयास स्वागत योग्य है।

अपराह्न 4.00 बजे

(प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग सी॰ वी॰ सी॰ संस्था का सृजन 1964 में स्थापना समिति की सिफारिशों के अनुरूप किया गया था और कई वर्षों बाद, 1997 में इस संस्था को मजबूत बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक स्वतंत्र सर्वीक्षा समिति नियुक्त की गई थी।

सभापति महोदय : सभा में कुछ व्यवस्था बनाए रखो।

श्री पी. उपेन्द्र : सर्वीक्षा समिति की एक सिफारिश थी कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया जाए। इसने यह सुझाव भी दिया था कि सी॰ वी॰ सी॰ के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सक्षम कार्यकरण के लिए जिम्मेवार होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी दिसम्बर 1997 में यह टिप्पणी की थी कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया जाए। इसलिए, यह विधेयक केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा देता है जो अब एक बहु–सदस्यी आयोग है ।

हम सभी जानते हैं कि केवल संस्था का गठन भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन यह भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध निवारक के रूप में अवश्य कार्य करेगा। जब कभी भी हम ऐसी संस्थाओं का गठन करते हैं तो उन्हें लोगों में विश्वास जगाना चाहिए कि वे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावी होगें जिनके लिए उनका गठन किया गया है। उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री और सरकार के ध्यान में लानें के लिए कुछ मामले उठाता हूं और हो सकता है वे बहु–सदस्य आयोग के कार्यकरण को देखने के पश्चात् आने वाले समय में अन्य संशोधन विधेयक ला सकें। पहली बात यह है कि यह 5 सदस्यीय आयोग है अर्थात इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त और चार अन्य सतर्कता आयुक्त हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष और शेष आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष है। माननीय मंत्री महोदय को इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आयोग के कुछ सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और मुख्य आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष क्यों हैं।

इस संस्था में अन्य कमी यह है कि इस आयोग को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध भी कराये गए हैं ताकि वे उसे सौंपे गए कार्य को पूरा कर सकें। उन्हें अपने काम को करने के लिए कई एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है और जब तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पर्याप्त कर्मचारी नहीं दिये जाते वे अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य की बात सुनिए। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री पी. उपेन्द्र : एक बात और है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार के अनेक मंत्रियों का विभिन्न स्तर पर अपना अपना सतर्कता तंत्र है। लेकिन उसी मन्त्रालय से सम्बद्ध अधिकारी ही सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और मुझे सन्देह है कि क्या अधिकारीगण अपने सहकर्मियों के भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच कर पाएगें। अतः मेरा सुझाव है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न सरकारी विभागों में से केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की जानी चाहिए। यदि हर स्तर पर नही तो कम से कम उच्च स्तर पर नियुक्ति भ्रष्टाचार मामलों की जांच करने वाले विभाग या मंत्रालय से इतर विभाग से की जानी चाहिए अर्थात वह दूसरे विभाग का होना चाहिए। उदाहरणार्थ, जब हममें से कुछ ने एक उच्च स्तरीय अधिकारी एक विभाग के आयुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज की तो हमें उसी विभाग में सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले उपायुक्त द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्राप्त हुआ। उसी विभाग में उपायुक्त पद पर आसीन अपने उच्च अधिकारी जो आयुक्त है के खिलाफ आरोपों की जांच किस प्रकार कर सकता है और वह कैसे उसे निष्पक्ष रूप से निपटाएगा?

(श्री पी. उपेन्द्र)

खण्ड 17 मे प्रावधान है कि सम्बंधित मंत्रालय अथवा सार्वजनिक उपक्रम केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश में असहमत हो सकते हैं। यह अत्यन्त खतरनाक प्रावधान है। जैसा कि मेरे सहयोगी श्री के. एम. राव द्वारा बताया गया है कि के. स.आ. को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। जांच के कई महीनों के पश्चात् वे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अतः आप मन्त्रालयों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों को सिफारिशों से असहमत होने और उन्हे के. स. आ. को यह बताने की कि वे केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों में असहमत है कि अनुमति किस प्रकार देते हैं ? यह बात केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में आयेगी जिसे ससद के समक्ष रखा जाएगा लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यह भ्रष्ट लोगों के बचने के लिए एक रास्ता है। वे मंत्रालय में यह सुनिश्चित कराने का प्रबन्ध कर सकते हैं कि मन्त्रालय केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों में सहमत न हो। अतः मैं समझता हूं कि इस प्रावधान में संशोधन किया जाना चाहिए। पूर्व में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच किए गए प्रत्येक मामले को संघ लोक सेवा आयोग के अन्तिम निर्णय के लिए उनके पास भेजा जाता था। उस समय यह समझा जात था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक निकाय नहीं है और संघ लोक सेवा आयोग सांविधिक निकाय है जो कार्मिकों के मामले का नियमन करता था। लेकिन अब दोनो ही सांविधिक निकाय हैं चेयरमैन के समान रैंक हैं। अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह को संघ लोक सेवा आयोग के पास पुनः क्यों भेजा जाना चाहिए। इसमें देरी होगी और यदि वे एक दूसरे से असहमत हैं तो अन्य प्रकार की समस्याएं उठ खडी होंगी। अतः इस प्रावधान का लोप किया जाना चाहिए। भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 5300 सतर्कता के मामले लम्बित पडे हैं क्योकि जांच करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में अधिकारी उपलब्ध नहीं है। मेरा सुझाव है कि वे विशिष्ट मामलों की जांच के लिए कुछ ऐसे सेवानिवृत अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जिनकी निष्ठा पर किसी को सन्देह न हो और उन्हें इस कार्य के लिए कुछ मानदेय दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इन मामलों के निपटान के लिए सेवानिवृत अधिकारियों की सेवाएं ली जा सकती हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने हाल ही में निर्देश दिया है कि सभी मामलों की जांच छह महीनों के भीतर अवश्य पूरी कर ली जानी चाहिए। इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए क्योंकि कई सतर्कता मामले वर्षों तक चलते रहते हैं। अतः यह समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

मैं एक अन्य मामला का वर्णन करता हूं हम अब लोकपाल की संस्था को बनाने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कब इसका गठन होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लोकपाल होगा। सी. वी. आई. होने और केन्द्रीय सतर्कता आयोग भी होगा। यदि ये सभी तीनों संस्थायें अन्य प्रशासनिक पदों पर आसीन लोगों के भ्रष्टाचार के मामले की छानबीन करेगें तो एक कार्य की ही पुनरावृति होगी परस्पर और मतभेद होंगे। अत. हमें इसका निर्णय करना होगा कि कौन–सी संस्था किस प्रकार के मामलों की छानबीन करेगी जिससे मतभेद न हो और यह तीनों ही परस्पर विरोधी निर्णय न दे सकें।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि विभागों द्वारा भेजे गए मामलों के अलावा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को स्वप्रेरणा से उनके द्वारा सीधी प्राप्त शिकायतों की जांच करने का अधिकार भी होना चाहिए। वे सम्बद्ध मन्त्रालय अथवा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा भेजे गए मामलों की जांच कर सकते हैं लेकिन केन्द्रीय सतर्कता आयोग को स्वतः जांच करने की शक्ति भी दी जानी चाहिए।

कई लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि का अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया जाता है कभी वे राजनीतिक कारणों से तो कभी किसी अन्य करणों से नियुक्त किये जाते हैं कुछ लोगों के चरित्र अत्यन्त संदिग्ध होते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंशकालिक निदेशकों के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई है कि वे धन लेकर मामलो की सिफारिश करते हैं। अतः इन अंशकालिक निदेशकों की नियुक्तियों की भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए और उनके पूर्वकृतों की जांच की जानी चाहिए।

एक अन्य बात जिसे मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि किसी राज्य विशेष के अधिकारी को उसी राज्य से सम्बधित मामलों की जांच नहीं करनी चाहिए। कुछ आचार संहिता होनी चाहिए जिसका पालन किया जाना चाहिए यह देखा जाना चाहिए कि कोई पक्षपात न हो किसी को तरजीह न दी जा सके।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमने केन्द्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों को दबावों से परे कर दिया है और इसी प्रकार महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अधिकारियों को भी सभी प्रकार के दबावों से मुक्त किया जान्न चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन सुझावों को ध्यान में रखें और जहां तक सम्भव हो यदि इस विधेयक में नहीं तो कम से कम भविष्य में कुछ संशोधन विधेयक में उन्हें लाने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस पर सभी ध्यान दें। ...*(व्यवधान)* कोई भी केबिनेट मंत्री नहीं है, यहां तो लॉ मिनिस्टर को भी रहना चाहिए था।

सभापति महोदय : जर्नादन जी हैं।

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक कि अध्यादेश को प्रख्यापित किए जाने का संबंध है, मैं अपने साथी श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाये गए मुद्दों का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

मैं नही जानता कि इतने अधिक दिनों में भी सरकार संसद का

अधिवेशन बुलाने में क्यों झिझक रही है। यदि आप पिछले वर्ष संसद के सत्र के कुल दिनों की संख्या को गिनें तो वह संसद के इतिहास में सबसे कम होंगे। सरकार अध्यादेशों को लागू करके विधान बनाए जाने की आवश्यकता को पूरा कर रही है। मुझे यह कहना चाहिए कि एक वर्ष के भीतर, इस सरकार के शासन को पूर्णतः 'अध्यादेश राज' कहा जा सकता है। पिछले वर्ष इसे अचानक ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सरकार संसद का अधिवेशन एक बार फिर बुला सकती थी। वह संसद का अधिवेशन बुलाने में क्यों झिझक रहे हैं ? यदि हमें पर्याप्त समय दिया होता, तो हम स्वयं ही विधान पारित कर सकते हैं। लेकिन वे हमे यह सुविधा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की है और मुख्य आयुक्त भी नियुक्त किया है। सब कुछ हो चुका है और अब हमें उनके कदमों का समर्थन करने के लिए कहा गया है। अब हम और क्या कर सकते हैं ? यह संपन्न कार्य हैं। विधान बनाने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। अतः मुख्य सचेतक और सत्तापक्ष में जो लोग जिम्मेवार हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वह इतने अधिक दिनों के होने पर भी संसद का अधिवेशन बुलाने में न झिझकें। पिछले एक वर्ष में उनकी बैठकें संसद के इतिहास में सबसे कम क्यों रह गईं? यही कारण है कि उन्हें इतने अधिक अध्यादेशों की घोषणा करनी पड़ी और ऐसे विधानों के साथ सभा के समक्ष आना पड़ा जिन पर कोई तर्क–वितर्क नहीं किया जा सकता था।

हम तहेदिल से सरकार के ऐसे किसी भी कदम का समर्थन करेंगे जो कि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाते हैं। हमारी राजनीति में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह है। अतः हमें विपक्ष और सत्तापक्ष दोंना को मिलकर ईमानदारी से कुछ करना होगा ताकि हम सेवा तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोक सकें।

जहां तक इस विधान का संबंध है, यह ठीक है, लेकिन माननीय मंत्री को कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वर्तमान मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के एक गणमान्य वकील ने यह आरोप लगाया है कि जब उन्होंने यह अध्यादेश तैयार किया था और प्रख्यापित किया था तो उन्होंने विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार नहीं किया था। यह मेरी टिप्पणी नहीं है, रोज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। श्री राम जेठमलानी ने उनसे पूछा था कि उन्होंने अध्यादेश प्रख्यापित करने से पहले विधि अयोग के सुझावों पर विचार क्यों नही किया था।

यह एक गणमान्य वकील और कैबिनेट मंत्री, श्री जेठमलानी द्वारा पूछा गया था। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल को एक जुट होकर कार्य करना चाहिए। यदि मंत्रिमंडल में विचारों का मतभेद हो तो उस संसदीय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यह एक साधारण बात नही है।

मुझे एक अन्य मुद्दे का भी उल्लेख करना है। हम जो भी विधान पारित करें और केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा मुख्य आयुक्त को हम जो भी अधिकार दे, मुख्य बात यह है कि क्या उन्हें मुक्त रूप से कार्य करने दिया जाता है। देश के समक्ष यही मुख्य प्रश्न है। सरकार इन जांच एजेंसियों को मुक्त रूप से कार्य करने नहीं दे रही है। उच्च पदस्थों का काफी हस्तेक्षप है। हमने यह भी देखा है कि अनेक मामलों में हस्तक्षेप के कारण भ्रष्टाचार के विरुद्ध आरोप–पत्र, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम अथवा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्तिम जाँच कई वर्षों तक चलती रहती है।

मेरे विद्वान मित्र, श्री जैन उच्चतम न्यायालय, को इस संबंध में विधान बनाने के लिए सरकार को निर्देश देने के लिए कह रहे थे। उच्चतम न्यायालय के पास सरकार को विधान बनाने के निर्देश देने और किसी भी कानून की कोई भी कमी दूर करने का अधिकार है। इस पर प्रश्न–चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। मेरी राय में न्यायिक कार्य प्रणाली के संबंध में अनेक बातें बताई गई हैं। मेरे विचार में यह हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र में आशा की किरण है। कार्य पालिका संसदीय लोकतंत्र का मुख्य स्तम्भ, सबसे अधिक जिम्मेदार है। यह न्याय पालिका पर निर्भर करता है कि वह कार्यपालिका उससे अपेक्षित कार्य नहीं करता है तो उसे इस बात के लिए कहे। भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में न्याय पालिका ने हस्तक्षेप किया है और केवल उसी हस्तक्षेप के कारण हम उन मामलों की संख्या के बारे में जान पाये हैं जिसमें कार्यपालिका ने गलत कार्य किये हैं। अतः यह सरकार के लिए एक कठिन प्रश्न है। क्या सरकार उन जाँच एजेंसियों को मुक्त रुप से कार्य करने के लिए पर्याप्त अधिकार देगी?

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। इस मद के लिए दो घंटे का समय आबंटित किया गया था।

श्री वी. वी. राघवन : मैं समाप्त कर रहा हूँ। मै हमेशा अध्यक्षपीठ की बात मानता हूँ। मैं इस सभा का आज्ञाकारी सदस्य हूँ।

यहाँ तक कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों की कार्य–प्रणाली में भी न्यायालय को हस्तक्षेप करनी पड़ा। हम सब जानते हैं कि सरकार इतने अधिक हस्तक्षेप के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मध्यस्थता की गई थी। यहां तक कि विशेष अदालतों को भी कार्य करने की अनुमति नहीं है और उस वजह से सरकार कटघरे में खड़ी है। इसलिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अत्यधिक आवश्यकता इस बात की है कि जांच एजेंसियों को पूरे अधिकार दिए जाएं और उन्हें कार्य करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाए। सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही भ्रष्ट लोगों को बचाना चाहिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, पं. जवाहर लाल नेहरू से आचार्य कृपलानी ने भेंट की तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि अब घूस बढ़ गई है। 1957 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के लिये एक जांच कमेटी बनाई गई। जांच

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह)

कमेटी ने एक आसपैक्ट में कह दिया कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। थाना में सलामी, कहीं पेशी, कहीं बख्शीश, कहीं चन्दा, कहीं स्पीड मनी। विभिन्न लोग घूस को किसी न किसी नाम से महिमा मंडन करते रहे हैं। लेकिन घूस बढ़ी है और बढ़ रही है। इसलिए लोग कहते हैं कि ग्लोबल फिनामिना है, इसे नहीं रोका जा सकता और न रोका जाना चाहिये। भ्रष्टाचार को अपने तक रोकने का प्रयास करना चाहिये, यह हमारा धर्म और कर्म है। पौलिटिकल लोग कह रहे थे कि मिनिस्टर पर कोई आरोप नहीं लगावें। लेकिन आजकल तो रोज ही इस प्रकार के आरोप लगते आ रहे हैं कि फलां घोटाला हो रहा हैं। मैं इस मामले में एक बात यह कहना चाहता हूं कि जहां आमद से अधिक खर्च है, वहां पर करप्शन होता है। हमारी आमद 5 हजार है और 10 हजार रुपये खर्च है, करने का अभ्यास कर रहे हैं। इससे करप्शन ही होगा।

आमद से जब खर्च होगा कम,

तब होगा भ्रष्टाचार खत्म।

सतर्कता आयोग का यह इतिहास है कि राष्ट्रपति जी की मुहर से बहाली होगी लेकिन सरकार यह कानून बनाकर यहां लाई है। इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 4 से अधिक सतर्कता आयुक्त होंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह सैंट्रल है या चीफ विजिलेंस कमिश्नर है इसका मतलब यह हुआ कि चार से अधिक विजिलेंस कमिश्नर नहीं होगें। इसमें शून्य, एक, दो, तीन हो सकते हैं। आप पेंच करने वाला कानून लेकर आये हैं।

सभापति महोदय (प्रो. रीता वर्मा) : 16.25 बजे तक इस बिल पर बहस करने के लिये समय दिया गया था लेकिन दो घंटे से ऊपर हो गये हैं। अभी 4–5 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि यदि 5 बजे तक खत्म करने की चेष्टा करें तो समय बढाया जाये।

कई माननीय सदस्य : ठीक है, 5 बजे तक बढ़ा दीजिये।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल) : सभापति महोदय, उसके बाद जनरल बजट पर बहस करनी है।

सभापति महोदय : इसलिये इस बिल पर 5 बजे तक बहस समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, इसमें निर्धारण होना चाहिये अन्यथा सरकार पर संदेह जाता है कि वह केवल एक ही रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल सिविल सेवा से नहीं रहेगा, दूसरी सेवा से भी रहेगा। कानून के ख–खंड में कहा गया है:

"किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अधीनस्थ स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अधीन नियंत्रित किसी सरकारी कम्पनी में कोई पद पर रहने का सुप्रीम कोर्ट ने निदेश दिया है।"

लेकिन जो चार से अधिक हैं, इसके हिसाब से ख नही भी रहेगा तो सरकार के लिए कोई बंधन नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निदेश का भी यह उल्लंघन है। कुछ लोगों ने ऐतराज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कानून बनाने के लिए क्यों कहा। इसलिए कहा कि जैन हवाला केस हुआ था, उसमें बड़े–बड़े लोग पकड़े गए थे और सरकार ने बचाने का काम किया। जब आप चोरी करेंगे और गड़बड़ करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या, कोई आम आदमी भी डांट सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है और सुप्रीम कोर्ट तो कानून का मालिक है। जब गड़बड होगी तो आम आदमी भी इस तरह का कानून बनाने के लिए बोल सकता है। कोर्ट के सब फैसलों के हम भी पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कोई–कोई बात कोर्ट वाजिब कहता है, न्यायसंगत कहता है जो कि हमें माननी चाहिए।

सभापति महोदया इसमें कहा गया है कि सी.बी.आई. के डायरेक्टर की बहाली होगी। उसमें कहा गया है कि "ज्येष्ठता, वरीयता, सत्यनिष्ठा होने के साथ–साथ भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के अन्वेषों के अनुभव के आधार पर', माने जो अधिकरी बहाल होंगे, उनमें यह सब होना चाहिए। ज्येष्ठता, सत्यनिष्ठा और अभ्रष्टाचार। लेकिन जो केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त बहाल होंगे, इसमें सत्यनिष्ठा का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि बिना सत्यनिष्ठा वाले लोग भी बहाल हो सकते हैं? मतलब एक बहाली में ज्येष्ठता, सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार निरोधक बात का जिक्र है लेकिन दो जगह बहाली में सत्यनिष्ठा का जिक्र नही है। हमें संदह होता है कि बिना सत्यनिष्ठा वाले लोग बहाल करने की आजादी है।

सभापति महोदय : आपने कहा था कि आप पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप हमें बैठने के लिए कह रही हैं?

सभापति महोदय : बैठने के लिए नहीं कर रही हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या में इरेंलेवेन्ट बात कह रहा हूं ?

सभापति महोदय : इरेंलेवेन्ट बात नहीं कह रहे हैं– आपने कहा था कि पांच मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदया, जैसे पी. उपेन्द्र जी ने सवाल उठाया था कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को कहा कि चार वर्ष रहेंगे और सतर्कता आयुक्त को कह दिया कि तीन वर्ष रहेंगे। ऐसा भेदभाव किस ज्ञान या न्याय से, कि विचार से या विवेक से किया है? एक चार वर्ष रहेंगे और बाकी तीन वर्ष रहेंगे, ऐसा क्यों है? किस विवेक का प्रयोग करके चार और तीन का भेद किया गया है? फिर कहा गया कि केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा आयोग के कर्मचारीवृन्द के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तों के संबंध मे उपाय करेगी। मतलब सरकार पर छोड़ दिया गया कि जो कर्मचारी वगैरह होंगे, सरकार उनको बहाल करेगी। अगर सरकार बहाल ही नहीं करे या बहुत दिन तक नहीं करे या दो चार कर्मचारी

बहाल कर दे जिससे आयोग छटपटाता रहे कि काम में बाधा आती है इसलिए आयोग को अधिकार किया जाना चाहिए कि अपने कर्मचारी बहाल करे नहीं तो सरकार सभी जगह गड़बड़ कर सकती है हमें शक है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको ऑटोनॉमस बनाना चाहिए और उसके अधीन सी.बी.आई. को रखा जाना चाहिए लेकिन नियम 26 की उपधारा 4 देखें। "दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण जहां तक उसका संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन अभी कथित रूप से कारित अपराधों के अन्वेषण से है, आयोग में निहित होगा।" सीबीआई का मालिक भी वह आयोग हो गया। दूसरा मालिक भी है सीबीआई का। जैसी उपधारा 1 में अन्यथा उपबंध है, उसके सिवा अन्य सभी मामलों में उक्त पुलिस स्थापन का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा, इसमें गड़बड़ की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसका इंडीपेंडेंट आर्गनाइजेशन होना चाहिए और एक सरकार भी रहेगी सीबीआई की मालिक, जो सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जाहिर की है कि सरकार का हस्तक्षेप होता है सीबीआई में और सरकार उसमें गड़बड़ करती है और कुसूरवार को बचाने का काम करती है।

जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला देखा तो कहा कि इसकी देखरेख के लिए ऑटोनोमस बॉडी बननी चाहिए... *(व्यवधान)* फिर सी.बी.आई. को रखा गया।

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छा प्वाइंट रख रहे हैं, लेकिन अब कंक्लूड कीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमे सी.बी.आई. के दो मालिक बनाये गये जिसमें सी.वी.सी को रखा गया और सरकार भी इसमें अपना नियंत्रण हटाने को तैयार नहीं है। इससे पूरे संदेह की गुंजाइश रहती है। सी.बी.आई. के दो मालिक होंगे। एक पत्नी के दो पति कैसे हो सकते हैं, यहां गडबड़ इसमें होगी। इसलिए हमें इसमें संदेह है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप स्त्रियों पर अन्याय कर रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इसके जो जानकार लोग हैं और कानून के समझने वाले लोग हैं, वे समझ सकते हैं। प्रवर्तन निदेशक उस तारीख से अपना पद ग्रहण कर सकता है, वह दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए पद धारण करेगा।

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आप खुद चेयर पर बैठते हैं, आप चेयर की इतनी बात सुनते हैं, आपने कहा था कि आप पांच मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैडम, हमारा महत्वपूर्ण प्वाइंट बचा हुआ है। लेकिन आप इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपके निदेश को मानकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री वारकला राधाकृष्णन बोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वह भी उतने ही मेहरबान हैं जितने श्री रघुवंश प्रसाद सिंह थे।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि जब भी मैं बोलता हूं आप पीठासीन होते हैं। महोदया, में उम्मीद करता हूं कि आप मेरे भाषण में दखल नहीं देंगी।

सभापति महोदय : मैं आपसे संक्षेप में भाषण देने की विनती करती हूं। कृपया पाँच मिनट का समय लीजिए।

(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन् : जहाँ तक सम्भव होगा, मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे अपनी बात को स्पष्ट करना होगा। मैं एक बड़े दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे दल के पास समय है। मैं केवल पाँच मिनट कैसे ले सकता हूँ?

सभापति महोदय : हमें इस चर्चा को पाँच बजे तक समाप्त करना है।

....(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन् : मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मैं दस मिनट में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, अभी तो आप पाँच मिनट का समय लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन् : मैं दस मिनट लूंगा।

महोदय, आरम्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, हमारा प्रयत्न था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापित करना। जैसा कि हम सब जानते हैं गांधीजी का राम राज्य सदाचारी समाज है। स्वतंत्रता के पचास वर्ष के बाद हम तीसरी सहस्त्राब्दी में प्रवेश करने वाले हैं। अब भारत में क्या स्थिति है?

आप जानते हैं कि हम भ्रष्टाचार युक्त समाज के साथ तीसरी सहस्त्राब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। हम इस भ्रष्टाचार को नही रोक सके। यहाँ अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार है, जनता के बीच भ्रष्टाचार, सिविल सेवा अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार और यहां तक कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार। यह स्थिति है। हम अब तक इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं कर सके। विगत में समय था जब हम जनता के बीच भ्रष्टाचार को रोक सकते थे। लेकिन हम अन्तिम चरण में नहीं पहुँचे। यहाँ तक कि आज भी जहां तक जनता के बीच भ्रष्टाचार का संबंध है। हम आरम्भिक चरण में हैं। यद्यपि प्रशासनिक

(श्री वारकला राधाकृष्णन)

सेवाओं के संबंध में भी हमारे यहां कुछ नियम हैं फिर भी हमने अभी लक्ष्य पूरा नहीं किया है। हम अभी भी पिछड़े हुए हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर स्थिर सरकार है, अगर राजनैतिक इच्छा वाली सरकार है तो भ्रष्ट्राचार उतना नहीं होगा जितना इस समय हो रहा है। यहां एक प्रारूप (संशोधन) विधेयक है जो नौकरशाही तंत्र का परिणाम है। मैं यह नहीं समझता कि यह उन लोगों के कारण हुआ है जो कानून जानते हैं, बल्कि यह उन सार्वजनिक व्यक्तियों के कारण हैं जो ऐसे कार्यों के शीर्ष पर विराजमान हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में ऐसे काम नहीं करने देने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि इस समय क्या हो रहा है। चूंकि कोई राजनैतिक इच्छा और राजनैतिक स्थिरता नहीं है इसलिए इसका परिणाम न्यायिक हस्तक्षेप है।

मैं इसे इस तरह बताना चाहूंगा। अब न्यायपालिका हर जगह है। वे लोग संसद सदस्यों को भी निर्देश दे रहे हैं कि हम अन्य लोगो को किस तरह गैस कनैक्शनों की पर्चिया दें। हम जानते हैं कि यह कैसे करें। परन्तु न्यायपालिका ने उस क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया। न्यायपालिका सरकार से यहां तक कह रही है कि पूजा किस विशेष तरीके से और विशेष मंदिर में की जाए।

न्यायपालिका कार्यपालिका को ऐसे काम करने तक के लिए निर्देश दे रही है जो उनके क्षेत्राधिकार मैं बिल्कुल नहीं है। वे जनहित याचिका की प्रक्रिया अपना रहे है। उस प्रक्रिया से प्रत्येक बात न्यायालय द्वारा निर्देषित होती है। यह न्यायालयी दखल कहलाता है।

हम ऐसी स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि कोई स्थिर सरकार नहीं है और चूंकि इच्छा शक्ति वाली कोई सरकार नहीं है। इसलिए हम हर तरफ न्यायपालिका देख रहे हैं। वे इस हद तक दखल कर रहे हैं कि वे निदेश देंगे कि किसी मरीज को क्या दवाई दी जानी चाहिए। ऐसा दिन भी भविष्य में आएगा। ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हो गयी है क्योंकि कार्यपालिका भ्रष्टाचार नियंत्रित करने या रोकने में असमर्थ है। आज ऐसी स्थिति है। हम सभी चिन्तित हैं। न्याय पालिका राजनैतिक दल तक को निर्देश दे रही है। उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि उसका जूलूस कैसे निकाला जाए, कितने लोग उस जुलूस में भाग लें और सार्वजनिक रास्तों पर उन लोगों को किस तरह व्यवहार करना चाहिए। यह न्यायपालिका का दृष्टिकोण नहीं है। परन्तु वे उस हद तक गए हैं क्योंकि देश में राजनैतिक इच्छा वाली कोई स्थायी सरकार नहीं है। स्थिति यह है। अब हम यहां भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यह न्यायिक निर्णय का ही परिणाम है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ कार्यों के लिए कुछ खास तरीके बताए हैं। परन्तु फिर भी, हम गडबड़ी देखते हैं। नौकरशाही ने मामलों को अपने साँचे में ढाला है।

हम सेवारत व्यक्तियों और नौकरशाहों के लिए बनाए गए 1988 के भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के बारे में जानते हैं। वे जिम्मेदार राजनैतिक नेताओं द्वारा हस्तक्षेप होने के कारण इसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सके। नौकरशाहों को मुक्त रूप से कार्य नहीं करने दिया गया। जिन लोगों को जांच की प्रक्रिया सौंपी गई है उन्हें हमेशा परेशान किया जाता है और उनका स्थानांतरण किया जाता रहा। कार्यपालकों ने अपनी राजनैतिक सुविधानुरुप हस्तक्षेप किया गया। ऐसी स्थिति आ गई है कि उच्चतम न्यायालय ने हमसे कहा कि जांच एजेन्सी को एक विधायी दर्जा दिया जाए। अधिनियम में भी जाँच का प्रावधान है परन्तु यह केवल इसी कारण प्रभावी साबित नहीं हुआ कि इस संबंध में उनके अपने समर्थकों को बचाने के लिए राजनैतिक हस्तपेक्ष हुआ था। ऐसी स्थिति पैदा की गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद, एक प्रारूप विधेयक लाया गया था और यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नहीं है।

अब भारत में एक ऐसा प्राधिकरण है जो इस मामले में सलाह दे सकता है। मैं यह नहीं कहता कि विधि आयोग हमसे बड़ा है। विधि आयोग को एक सलाहकार संस्था माना जा सकता है। वे विशेषज्ञ हैं, उनके राय के बारे में सोचता ही होगा। मैं यह नहीं कहता कि हमें वह सब स्वीकार करना होगा जो विधि आयोग कहता है। परन्तु काफी हद तक सही निर्णय लेने में यह हमें प्रभावित करेगा। अब विधि आयोग का त्याग कर दिया गया है। मंत्रिमंडल अब इसको बिलकुल महत्व नहीं देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसाकि पेटेंट विधेयक के मामले में हुआ है। पेटेंट विधेयक में भी, विधि आयोग ने सिफारिश की थी परन्तु उसे दबा दिया गया था। यहां भी विधि आयोग की सिफारिश है उसे भी अस्वीकार कर दिया गया है और उसे दबाया जा रहा है।

मेरे विद्वान मित्र – जो अभी–अभी बाहर निकले हैं – श्री राम जेठमलानी ने स्वयं घोषणा की है कि नौकरशाही ने चीजों को इस तरह से तोड़ा–मरोड़ा है कि उन्होंने विधि आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज़ कर दिया है।

उन्हें यह बात लोगों के बीच घोषित करने के लिए बाध्य किया गया था। अब, न्यायपालिका सरकार के नियंत्रण में नहीं है। न्यायपालिका का सरकार में विश्वास नहीं है। चूंकि वर्तमान सरकार अस्थिर सरकार है इसलिए भारत में चालाक नौकरशाह जानते हैं कि वे इसे अपनी सुविधानुसार ढाल सकते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक की स्थिति ऐसी है।

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं कुछ मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदया, मंत्रिमंडल इस बारे में नहीं सोच सका। अब मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दो वर्गों का उल्लेख करूंगा कि यह नौकराशाहों का ही सृजन है। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन होना चाहिए और कौन सतर्कता आयुक्त हो? उन्होंने पाया कि नौकरशाहों में से मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त केवल सेवानिवृत्त

या सेवारत नौकरशाही व्यक्ति बन सकते हैं। इस प्रकार यह विधेयक नौकरशाहों का, नौकरशाही द्वारा और नौकरशाही के लिए है। मैं यही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, आप अपनी बात इस सुन्दर सूक्ति से क्यों नहीं समाप्त करते।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

महोदया, विधायक का खंड 25 सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के बारे में है। इसमें कहा गया है कि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में सेवारत हो या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई सेवानिवृत अधिकारी हो। वे अपनी पसन्द का व्यक्ति चाहते हैं। वह व्यक्ति न्यायपालिका या आम जीवन से चुना गया कानूनी ज्ञान कला व्यक्ति क्यों नहीं होना चाहिए ? इसमें कठिनाई क्या है? कोई एक निवृत व्यक्ति ही क्यों हो ? नौकरशाहों में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कोई नौकरशाह ही क्यों होना चाहिए? अब प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति के लिए, एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति के सदस्य, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और राजस्व विभागों में भारत सरकार के सचिव हैं।

खण्ड 25 (ख) कहता है :

"भारत सरकार में अपर सचिव से निचले स्तर का कोई भी व्यक्ति प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा।"

इस प्रकार, सभी भारत सरकार के सचिव हैं। इसीलिए, मैं कहता हूं कि यह अधिनियम सचिवों और नौकरशाहों के लिए बताया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। आप 13 मिनट बोल चुके हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं केवल एक मिनट और लूंगा।

महोदय, खण्ड 25 कहता है कि प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उस कार्य के लिए गठित की जाने वाली समिति केन्द्रीय सतर्कता आयोग ही होना चाहिए, और कोई नहीं इसमें क्या कठिनाई है? एक निदेशक की नियुक्ति करने के लिए तीन सतर्कता आयुक्तों के साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष ही काफी होगा। इसमें भारत सरकार के सचिव को क्यों शामिल किया जाए? गृह सचिव को लाने की क्या आवश्यकता है? राजस्व सचिव को लाने की क्या आवश्यकता है? निदेशक का चयन स्वयं आयोग ही काफी अच्छी तरह से कर सकता है। इसलिए दिल्ली में विशेष पुलिस संस्थापना के प्रभारी निदेशक की नियुक्ति स्वयं आयोग द्वारा की जानी चाहिए, न कि भारत सरकार के सचिवों द्वारा गठित समिति द्वारा।

महोदय, क्या मंत्री.. * उन्हें सचिवों द्वारा गुमराह किया जा रहा है ? माननीय मंत्री श्री जनार्दनन मुस्करा रहे हैं। उन्हें उनको माफ कर देना चाहिए क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि क्या करना है, यही मुझे कहना है। उन्हें गुमराह किया जा रहा है। वे नौकरशाहों के हाथों... * बन रहे हैं। इसलिए उन्हें उन पर अंकुश रखने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा नौकरशाही से भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री बी. एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है, मुझे आशा है कि आप मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए कम से पांच मिनट देंगी।

चूंकि मैं सरकार के समर्थक दल लोकशक्ति से हूँ अतः मैं इसका समर्थन करता हूँ। किंतु समस्या यह है कि हमारे देश में अनेक कानून हैं जो काम के नहीं हैं मैं इन सभी अधिनियमों से ऊब गया हूँ। हमेशा नए अधिनियम लाए जाते हैं किंतु लोग कानूनों के मुताबिक कार्य नहीं करते हैं। फिर एक और कानून बनाया जाता है और यह क्रम उसी तरह चलता रहता है। इस संसद पर हजारों कानून बनाने का भार है।

इस संबंध में मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ कि जब हमारे नेता श्री राम कृष्ण हेगड़े, मुख्यमंत्री थे तो कर्नाटक में 1984 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम के अनुसार लोक सेवक की परिभाषा स्पष्ट की जानी चाहिए। विधान सभा सदस्यों को प्रतिवर्ष 30 जून से पूर्व लोकायुक्त को अपनी आय व आस्तियों की विवरणी सौंपनी थी। किंतु किसी ने भी नहीं सौपी।

जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष था तो 1979–80 से मैंने अपने किए कार्यों के साथ अपनी आस्तियों की घोषणा का प्रयोग किया था। ऐसा वितरण लोक सेवकों द्वारा दिया जाना चाहिए। मैंने सभी माननीय सदस्यों से भी कहा कि उन्हें स्वेच्छा से अपनी आस्तियों की घोषणा करनी चाहिए। संसद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरते समय मैंने अपनी आस्तियों के बारे में घोषण की थी। यदि जन–प्रतिनिधियों द्वारा ऐसा किया जाता है तो तभी भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे समाज से पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हमें त्याग करना होगा। सभी कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों को अगुवाई करनी चाहिए। फिर नौकरशाही इसका अनुसरण करेगी। अन्यथा नौकरशाही उन जन प्रतिनिधियों की इच्छानुसार क्या करेगी जो भ्रष्ट है। कर्नाटक में 52 मंत्री है जिनमें से 30–35 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की विवरणी या आस्तियों का विवरण नहीं दिया है। फिर भी वे पद पर बने हुए हैं। इसी तरह यहां भी यही होता है। कोई भी समाज में पारदर्शी नहीं रहना चाहता है। मैं चाहता हूं कि पारदर्शिता हो। उसके बाद ही सार्वजनिक जीवन व नौकरशाही में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतात से निकाल दिया गया।

(श्री बी. एम. मेनसिंकाई)

मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढा है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री विट्टल ने कहा है कि सरकार के उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तश्करों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसी तरह यह वह प्रावधान यहां भी लागू किया जाए तो इस अधिनियम में भी संशोधन का सवाल नहीं उठता है।

आयकर विभाग में सतर्कता स्कन्ध है। यदि वित्त मंत्री उन्हें पूरी शक्तियां देता है तो वें कालाबाजारियों और काले धन के जमाखोरों के बारे में सूचना संगृहित करेंगे। वे मामलों का मूल्यांकन इस आधार पर करेंगे कि क्या कोई अप्रकट आय है या यह आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है, जिस पर कर लगेगा। इसी तरह आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आय को सरकार वापस लेगी। यदि आयकर अधिनियम में यह प्रावधान शामिल किया जाए तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सब कुछ संभव है। अतः यदि ये अधिकारी विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है तो इस अधिनियम से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

मैंने लोकपाल विधेयक के बारे में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। इस विधेयक को इस सभा के समक्ष लाया जाना था। यह संभव नहीं है कि जो लोग कानून बनाते हैं उन कानूनों से उन्हें ही दंडित किया जाए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कानून यहां उपयोगी नहीं है। यदि लोकपाल विधेयक के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाए तो भी उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता है। फिर किसको दंडित किया जा रहा है? ऐसा इसलिए है कि अधिकारियों को कार्यवाही करनी होती है। क्या वे उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं? कर्नाटक का ही उदाहरण लें। लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया था किंतु उनके विरुद्ध कार्यवाही कोई नहीं कर सका। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए जैसा कि फिलिपीन्स में किया गया है। जब मार्कोस वहां का शासक था तो उन्होंने अरबों रुपये अर्जित किए जिन्हें बाद मे नए शासकों ने जब्त कर लिया था।

फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। किंतु मेरा कहना है कि ऐसे कानून से कुछ नहीं किया जा सकता है। कानूनों को लागू करने वाले व्यक्ति की समाज में विश्वसनीयता अवश्य होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय की सलाह पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जो अब एक बहु-सदस्यीय निकाय होगा को सांविधिक प्राधिकार देने के लिए लाए गए इस विधेयक का स्वागत करता हूं, इस विधेयक के पारित होने पर इस आयोग की शक्तियां केन्द्रीय जांच ब्यूरो की निगरानी, अधीक्षण व नियंत्रण, स्वयं या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कहने पर जांच का आदेश देना, किसी भी विभाग से भ्रष्टाचार के बारे में रिपोर्ट मांगना आदि होगी। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और तहेदिल से स्वागत करता हूं।

साथ ही यदि यह विधेयक अच्छे इरादों से लाया गया है तो इसका स्वागत करना ही होगा। संसद की एक आचार समिति है। यह सरकार लोकपाल विधेयक लाने के बारे में बड़े जोर-शोर से बातें कर रही है। लोकपाल विधेयक का क्या हुआ? आचार समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ? आचार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार मैं समझता हूं कि यदि कोई संसद सदस्य गलत साबित होता है तो समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही होगी। मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि कोई संसद सदस्य अपनी शक्तियों के साथ भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त होता है तो उसका क्या होगा? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आचार समिति उसे सुधारेगी या केन्द्रीय सतर्कता आयोग कार्यवाही ही करेगा या प्रस्तावित लोकपाल विधेयक के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। महोदया, यह अच्छा है बशर्ते सरकार या शक्ति संपन्न लोग न्यायपालिका में हस्तक्षेप न करें। जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का संबंध है विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। भ्रष्टाचार के मामलों की प्रतिदिन सुनवाई होनी चाहिए। अब मामलों का तेजी से निपटान किया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि उन मामलों में सत्तारूढ़ लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

आपकी और सभा की सूचनार्थ मैं बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने पांच वर्ष तक पद पर रह कर प्रति माह एक रुपया कमाया हो तो उसकी आय क्या होगी? उसकी आय केवल 60 रुपये होगी। 1989 के चुनावों में उनके पास चुनाव लड़ने तक के लिए भी पैसा नहीं था। उन्हें उधार लेना पड़ा था। किंतु पद त्यागने के बाद उनकी कुछ आय केवल 60 रुपये थी, वे 10500 रेशमी साड़ियां कैसे खरीद सकीं जिनमें से प्रत्येक की कीमत 7000 रुपये से 8000 रुपये तक है। उनके पास 350 जोड़ी चप्पल थे। उनके पास करोड़ों रुपये के गहने कैसे आए? .....*(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : महोदया, क्या हम यहां उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं?

श्री टी. आर. बालू : महोदय, भारत और संपूर्ण विश्व में लोगों को पता है कि फिलीपीन्स की इमेल्डा मार्कोस के पास केवल 2000 साड़ियां और केवल 200 जोड़ी चप्पल थे.... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपको आबंटित समय समाप्त हो गया है।

श्री टी. आर. बालू : किंतु हैरानी की बात यह है कि इस विशेष व्यक्ति, जो पदासीन था, के विरुद्ध विशेष न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं। किंतु इस सरकार के विधि मंत्री ने उन मामलों को अन्य न्यायालयो में स्थानान्तरित करने का कार्यकारी आदेश

जारी कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह मामला न्यायपालिका के समक्ष लम्बित है तो उन्हें यह कार्यकारी आदेश जारी करने का क्या अधिकार प्राप्त हैं... *(व्यवधान)* महोदया, इस तरह का हस्तक्षेप किसी भी तरह ....*(व्यवधान)*

श्री सी. एच. विद्यासागर राव (करीमनगर) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हां, आपका व्यवस्था प्रश्न क्या है ? किस नियम के अन्तर्गत है?

श्री सी.एच. विद्यासागर राव : महोदया मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किसी भी व्यक्ति पर इस तरह आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए ...*(व्यवधान)* यह सही नहीं है ..*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदया, मैं अपनी सीमा में हूं ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, इसे मैं देख रही हू।

श्री टी. आर. बालू : महोदया, क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप पीठासीन नहीं है। इसका फैसला करने के लिए मैं बैठा हूं।

श्री विद्यासगार राव, किस नियम के अतर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री सी. एच. विद्यासागर राव: महोदया, माननीय सदस्य को विधेयक के दायरे में ही रहना चाहिए। जो विधेयक हम पारित करने वाले हैं वे उस पर कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। परंतु उन्हें उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए जो यहां उपस्थित नहीं है। ....*(व्यवधान)* मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री टी. आर. बालू : महोदया, माननीय सदस्य को बताना चाहिए कि किस नियम के अंतर्गत वे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

सभापति महोदय : श्री बालू जी, मेरी मदद के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। परंतु मैं इस मामले का समाधान कर सकती हूँ।

....*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : यह नियम 352 के अंतर्गत है।....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदया, जिस सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसे वह नियम उद्धृत करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : महोदया, नियम 352 के अंतर्गत 3–4 शर्तें हैं और कोई सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा सकता।.....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदया, मैंने किसी के काम का उल्लेख नहीं किया है। ....*(व्यवधान)* मैं केवल यही बता रहा था कि उस समय क्या हुआ था ....*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : महोदय नियम 352 कहता है:

बोलते समय कोई सदस्य –

(एक) किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो;

(दो) सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद–विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो;

उसे यह भी समझना चाहिए।

(तीन) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक पदावलि का उपयोग नहीं करेगा।

श्री टी. आर. बालू : मैंने क्या आपत्तिजनक शब्दों कर प्रयोग किया है।.... *(व्यवधान)*

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय मैं आपकी बात से सहमत नही हूं। .... *(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा कि मैंने क्या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। .... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू जी, आप मंत्री रह चुके हैं। आप कुछ मिनटों के लिए अपने आप पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकते?

.....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत नही हूँ।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, मैं उन्हें अनुमति दे चुका हूं। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : फिर तो, यहां इस मामले पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं रह गया है? .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू जी, आपको विषय तक ही सीमित रहना चाहिए, उससे हटकर नहीं।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। ....*(व्यवधान)* मैं यह कह रहा था कि कोई विशेष व्यक्ति ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू जी, कृपया शांत हो जाइए और मुझे माननीय मंत्री जो की बात सुनने दीजिए।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदया, अगर यह चर्चा किसी विशेष प्रस्ताव पर आधारित नहीं है तो वे व्यक्तियों के आचरण के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वे उन सदस्यों के आचरण के बारे में क्यों कह रहे हैं जो सदन में उपस्थित नहीं हैं और जबकि उक्त मुद्दे का यहां इस विषय से कुछ लेना–देना ही नहीं है ? वे इस मामले को क्यों उठा रहे हैं। उन्हें और मौके मिलेंगे। उन्हें बोलने का अधिकार होना चाहिए। मैं 'ना' नहीं कर रहा हूं। .... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, उन्होंने किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है। .....*(व्यवधान)* उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। .... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जरा रुकिए। श्री टी. आर. बालू जी आपके और माननीय मंत्री जी के बीच शिष्टेतर भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री श्री पी. आर. कुमारभगलम ने एक बहुत ही उपयुक्त प्रश्न उठाया है। हम मामले की जॉच करेंगे और आक्षेप पूर्ण शब्दों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : सभापति महोदय, मैं यह जानता चाहता हूँ कि आप कौन सा भाग कार्य वृत्तांत शामिल नहीं करना चाहते।. ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री टी. आर. बालू जी, हम इस मामले को बाद में सुलझाएंगे। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी. आर. बालू : महोदया मंत्री, श्री पी. आर. कुमारमंगलम जी अभी अभी आए हैं और उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया है। जब मैंने बोलना शुरू किया था तो वे सदन में नहीं थे। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम कार्यवाही वृतान्त को देखेंगे और यह देखेगे कि कौन सा भाग हटाया जाए।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू :* फिर मुझे सभा से बहिर्गमन करना होगा। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पीठाध्यक्ष के निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकते।

.....*(व्यवधान)*

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतात से निकाल दिया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपका नाम सभापति के पैनल में है, आपको ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मैं अध्यक्षपीठ से सहयोग कर रहा हूँ। मैं अध्यक्षपीठ के साथ हूँ। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे किसी से भी समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, आपको पीठाध्यक्ष का साथ देना चाहिए और किसी को भी अध्यक्षपीठ के निर्णय को विवादास्पद नहीं बनाना चाहिए।

श्री टी. आर. बालू जी, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी. आर. बालू : महोदया, अगर आप चाहते है कि अब मैं अपनी बात समाप्त कर दूं तो मैं अध्यक्षपीठ के विनिर्णय के विरोध में बहिर्गमन करुंगा। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री टी. आर. बालू जी, आपके पास काफी समय था और आपको एक मिनट में अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदया, अगर मैं अपनी भावनाएं यहां व्यक्त नहीं कर सकता तो कहीं भी नहीं कर सकता। मैं बहिर्गमन कर रहा हूँ। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके दल को आबंटित समय पूरा हो चुका है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी. आर. बालू : * माननीय मंत्री श्री पी. आर. कुमारमंगलम ने मेरा भाषण नहीं सुना है; वे अभी–अभी आए हैं और आते ही व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे खेद है। आप एक मंत्री रह चुके हैं। आपका व्यवहार उचित नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदया, आपको मेरा भाषण सुनना होगा। .....*(व्यवधान)*

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतात से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : आपको अपना भाषण एक मिनट में समाप्त करना होगा।

.....(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदया, एक आदमी जो निर्धन था और जिसके पास 1989 में चुनाव लड़ने तक के लिए पैसा नहीं था। . *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको एक मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करनी होगी।

.....(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : नहीं, महोदया। मैं अपना भाषण एक मिनट में समाप्त नहीं कर सकता। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। आपको केवल एक मिनट मिलेगा।

.....(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदया, यह भारत में सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है मैंने किसी का नाम नहीं लिया है *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक मिनट के बाद वे जो कुछ भी बोलेंगे वह कार्यवाही वृतांत का हिस्सा नही होगा

.....(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : यदि आप उस बारे में विशेष रुख अपनाते है तो मैं अध्यक्षपीठ के निर्णय के विरोध में बहिर्गमन कर रहा हूँ। *....(व्यवधान)*

अपराह्न 5.02 बजे

इस समय माननीय सदस्य श्री टी. आर. बालू और श्री एस. अरुमुगम सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी (अमरोली) : सभापति महोदय, आपके निर्णय के बाद क्या कोई सदस्य उसके खिलाफ चर्चा के बीच में जा सकता है?

सभापति महोदय : इस बारे मे निर्णय हम बाद में कर लेंगे।

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : मेरे विचार से नहीं जा सकते हैं और यह चेयर की अवमानना है। इसके खिलाफ स्ट्रिकचर पास करना चाहिए।

सभापति महोदय : इसके बारे में बाद में विचार कर लेंगे।

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र) : सभापति महोदय, इस बिल के बारे में मेरे से पूर्ववक्ताओं ने अपने–अपने विचार रखे हैं, लेकिन में अपनी एक छोटी सी धारणा इस बिल के बारे में व्यक्त करना चाहती हूं।

हिन्दुस्तान को आजाद हुए 50 वर्ष हो गए हैं। इन 50 वर्षों के दौरान जहां हिन्दुस्तान ने अनेक समस्यायें हल की हैं, वहीं हिन्दुस्तान में अनेक समस्याओं ने विकराल रूप धारण किया है। आज भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान को विकारातम समस्याओं में से एक है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता बराबर के दोषी है। यह सच है कि जहां राजनेताओं ने भ्रष्टाचार में नए से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वहीं हर्षद मेहता जैसे ब्यूरोक्रेट्स ने उन कीर्तिमानों को तोड़ा है।

सभापति महोदय, ब्यूरोक्रेट्स इसमें अभ्यस्त हो चुके हैं और इतनी बारीकी से भ्रष्टाचार किया जाता है कि जांच एजेंसियां कितना ही अपना माथा पीट लें, लेकिन जानकारी के स्तर पर उनको कोई भी बात हासिल नहीं होती है। इसलिए जब तक सी. बी. आई. और सी. वी. सी. जांच एजेंसियों को स्वतन्त्रता और स्वायत्ता पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाएगी, ये एजेंसियां अपना कार्य स्वतंत्र होकर, निष्पक्षता से निर्भीक होकर नहीं करेंगी, तब तक इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है और हर बार सरदार जोगिन्दर सिंह जैसे डायरेक्टर लाए जाते रहेंगे और राजनीतिक दबाव के चलते हटाए जाते रहेंगे। इन संस्थाओं को स्वतंत्रता और स्वायत्ता देने के साथ–साथ ही इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि राजनीतिक दबाव, माफिया दबाव और अन्य प्रकार के दबावों के कारण जान खतरे में बनी रहती है।

इस प्रकार समस्या को हल करने के लिए ये एजेंसियां तुरंत स्वतंत्रता प्राप्त करके किसी भी भ्रष्ट से भ्रष्ट राजनेता और आफिसर का पर्दाफाश करके, स्वसंगत और निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी देश के सामने रख दें, तब जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है– उसमें चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री भी हो, कोई भी बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट्स क्यों न हो, उसे सजा देने के लिए कडे से कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। जब एक भ्रष्टाचारी के लिए फांसी की सजा का सरकार प्रावधान करने जा रही है सो जो रोजाना भारतमाता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए मौत की नहीं, बल्कि उन भ्रष्टाचारी हाथों को काट कर फेंक देना चाहिए। .... *(व्यवधान)* यदि हम इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम उम्र कैद का प्रावधान तो जरूर किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार रूपी कैंसर, जिसका अंत मौत के रूप में ही सामने आता है उससे देश उत्पीड़ित रहेगा।

सभापति महोदय : मुझे लगता है कि ज्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योकि सब लोग बिल को न डिसकस करके करप्शन को इश्यू बना रहे हैं। यहां जो दी–तीन माननीय सदस्य बोलने के लिए बैठे हैं वे कृपा करके बिल पर बोलें तो बहस भी जल्दी आरंभ हो

(सभापति महोदय)

जाएगी और आपका भी समय बचेगा। कवाड़े जी, मुझे उम्मीद है कि आप बिल पर बिलकुल सटीक भाषा बोलेंगे।

प्रो. जोगेन्द कवाडे (बिमूर) : महोदया, केन्द्रीय सतर्कता आयोग का जो बिल लाया गया है, उसके बारे में मैं आपके द्वारा किए हुए समय में अपनी पार्टी की तरफ से चंद बातें कहना चाहूंगा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक की परिधि में केन्द्र सरकार के आधीन स्थापित निगमों, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण में आने वाली सरकारी कम्पनियां, सोसायटियां, लोकसेवक आधीन कार्यरत संस्थाएं, अधिकाधिक अपराधों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सर्तकता आयोग विधेयक लाया गया है। इसके जरिए हमारे देश से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की एक पुरजोर कोशिश की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि एक संथानम कमीशन बना था। यह जो विधेयक लाया गया है, संथानम जी के वक्त से लेकर आज तक कई आयोग बने। भ्रष्टाचार के कई मामले, घोटाले हुए, लेकिन संथानम जी के वक्त से लेकर आज तक जो भी भ्रष्टाचार के इनवेस्टीगेशन के लिए आयोग बना उसका आज तक इवेल्यूएशन कभी नहीं किया गया। किए गए मूल्यांकन को सदन और देश के सामने कभी नहीं रखा गया। भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे देश में सबसे बड़ी संस्था सी.बी.आई. की है। सी.बी.आई. ने कई भ्रष्टाचार के मामलों का इनवेस्टीगेशन किया, लेकिन आज तक हमने यह नहीं सुना या पढ़ा कि सी.बी. आई. ने भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त, जिन–जिन लोगों पर आरोप लगाया उनको कभी जेल में डाला या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई, ऐसा आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। अगर केन्द्रीय सतर्कता आयोग इसी तरह चलता रहेगा तो फिर एक सफेद हाथी पालने की हमारी सरकार को क्या जरुरत है, यह सवाल इस बिल के माध्यम से में पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदया, हमारे देश में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारी बहन यहां बोल रही थी कि चाहे राजनेता हो, समाज सेवक हो या कोई निजी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, जो भी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान हमारे कानून में होना चाहिए। इस विधेयक में होना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार करने की कोई हिम्मत न कर सके। आज भ्रष्टाचार के बारे में निर्लज्जता इस तरह से बढ़ी हुई है कि भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले लोग भी हमारे देश में हैं। भ्रष्टाचार का समर्थन करते हुए यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार तो ग्लोबल फिनोमिना है। भ्रष्टाचार की स्थिति को निर्माण करने वाली व्यवस्था को नष्ट करके हमारे देश से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के लिए पूरी तरह से बुनियादी कोशिश अगर यह सतर्कता आयोग करता है, तो बहुत अच्छा होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कवाडे साहब, आप मुझे एड्रेस कीजिए। आप दूसरे से मत बोलिये।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : मैं आयोग की बात करूंगा, मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। आयोग में एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और कम से कम तीन आयुक्त होंगे। चार से ज्यादा नहीं होंगे, जैसा हमारे माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने कहा, चार से ज्यादा नहीं होंगे। हम यह पूछना चाहते हैं कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त जो होगा वह भी ब्यूरोक्रेसी से आने वाला है। सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद वह यहां आकर सतर्कता आयुक्त बनेगा। जो मैम्बर होंगे वे भी ब्यूरोक्रेसी में से होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति होने के बाद जो तीन मेम्बर होंगे क्या उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों का इसमें प्रतिशत मिलेगा। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि राष्ट्रपति जी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निर्माण करेंगे और इसकी सिफारिश करने के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री, होम–मिनिस्टर और लोक सभा के विपक्ष के नेता, इन तीन सदस्यों की समिति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्माण के लिए राष्ट्रपति जी से सलाह–मशविरा करेगी और इनकी सिफारिश से केन्द्रीय सतर्कता आयोग का निर्माण होगा। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पांच नं. की उपधारा में जो बातें हैं कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अवधि जो चार वर्षों की रखी गयी है, यह कुछ ज्यादा लगती है। पैंसठ वर्ष सर्विस करने के बाद जब वह चार वर्ष के लिए वहां जायेगा तो इस अवधि को चार वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष किया जाए।.... *(व्यवधान)*

जहां तक उनके वेतन, भत्तों और सुरक्षा का सवाल है, आप जो भी देना चाहें, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे देश से भ्रष्टाचार दूर करने की गारंटी क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग दे सकता है, यह हमारा बुनियादी सवाल है। मैडम, आज तक कई संस्थाएं बनीं, फिर भी एक के बाद एक भ्रष्टाचारी पैदा हो रहे हैं और सारे देश को खोखला बना रहे हैं। भ्रष्टाचार की हमारे देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनी हुई है जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था खोखली बनी हुई है। इससे हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है, हमें दूसरों की तरफ हाथ फैलाना पड़ता है। क्या भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था आप इसमें कर सकते हैं, यही हम मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं। सरकार से मेरी यह मांग है कि सतर्कता आयोग बनाना है तो जरूर बनाएं लेकिन इस बात की गारंटी देश को सरकार दे कि इसके बाद भ्रष्टाचार करने वाला चाहे हिमालय की चोटी से भी ऊंचा आदमी हो, चाहे जमीन का आदमी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, यह गारंटी हमें मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदया, मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं जिसे सरकार लाई है क्योंकि माननीय श्री अटल बिहारी वाजेपयी के नेतृत्व में इस सरकार को भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्ता में लाया गया है। उच्च पदों में भ्रष्टाचार के मुददे पर भारतीय जनता पार्टी

की इस सरकार को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुयोग्य नेतृत्व में सत्ता में लाया गया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के गठन को आवश्यक बना दिया है और तदनुसार भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था जो कुछ समय बाद व्यगत हो रहा है और यदि संसद द्वारा उस विधेयक को पारित नहीं किया जाता है तो वह निष्फल हो जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार विधेयक को लाई है और सभा के मत के अनुसार, जिसे हमने अभी सुना है यह सर्व सम्मति से पारित किया जा रहा है।

मुझे अधिक कुछ नहीं कहना हैं किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गठित किया गया यह आयोग पारदर्शी आयोग होगा क्योंकि आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को अन्ततः सभा में रखा जाएगा और इसके निष्कर्षों की अच्छाई–बुराई पर चर्चा की जाएगी। मूलतः यह आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रहरी रूप में कार्य करेगा जिसके सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। जैन हवाला मामले के दौरान उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि आयोग का गठन नहीं किया गया तो उच्च पदों में भ्रष्टाचार से नहीं निपटा जा सकता है।

भ्रष्टाचार की समस्या अनियंत्रित होने लगी है। चाहे मुख्यमंत्री के स्तर पर हो या नौकरशाह के स्तर पर या यहां तक प्रधानमंत्री के स्तर पर, शक की सुइयां उनकी ओर घूमने लगी हैं। चाहे बोर्फोस घोटाला हो या बिहार चारा घोटाला या यूरिया घोटाला या हर्षद मेहता को शेयर घोटाला या कोई भी हो। यदि आप घोटालों के नाम गिनने लगे तो इनका कोई अन्त नही है।

इसलिए हमारी सरकार ने दोषियों को पकड़ने के लिए सही दिशा में निर्णय किया है जो मतदाताओं के कारण इस देश पर शासन करने के लिए इस सम्माननीय सदन में आते हैं, लोगों का हम लोगों में विश्वास है, वे सोचते हैं कि हम उनका भला करेंगे। किंतु उनका भला करने के बजाए हम उन्हें भ्रष्टाचार की बीमारी देते है। इसलिए यह विधेयक जिस पर आज चर्चा की जा रही है देश की भलाई व स्वस्थ लोकतंत्र के लिए है।

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने विधि आयोग के उदाहरण दिए हैं, उन्होंने कहा कि विधि आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, किंतु यहां मैं चाहता हूं कि अपने उत्तर के दौरान माननीय मंत्री स्पष्ट करें कि क्या विधि आयोग की रिपोर्ट को सभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है क्योंकि जब तक वे सभा में प्रस्तुत नहीं किए जाते, जब तक वे सभा की संपति नहीं बन जाती, जब तक उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता तब तक उन पर चर्चा नहीं की जा सकती है। इसलिए यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विधि आयोग द्वारा जो भी सिफारिशें की जाए उन्हें भविष्य में उचित महत्व दिया जाए। इस केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक के पारित होने और इसके अधिनियम बन जाने के बाद यदि इसमें कोई खामी पाई जाती है तो मतदाता की और देश की स्थिति के अनुकूल इसमें संशोधन किया जा सकता है। अभी यह कानूनी है। यदि यह अधिनियम बन जाता है तो इसमें कभी भी संशोधन किया जा सकता है।

महोदया, इसलिए इस विधेयक के पारित होने के बाद आयोग का प्रमुख संदेह से परे सत्यनिष्ठ सेवानिवृत नौकरशाह होगा या यदि किसी सेवारत नौकरशाह को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे स्वतः ही सेवानिवृत्त माना जाएगा। महोदया, इस तथ्य को ध्यान रखते हुए इस विधेयक के पारित होने के बाद हमें भविष्य में न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है या इसे समूल नष्ट किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति जी, मैंने नोटिस दिया है, मुझे बोलने का समय दिया जाये।

सभापति महोदय : समय खत्म हो चुका है। आपकी पार्टी से मोहन सिंह जी काफी अच्छा भाषण दे चुके हैं। सबको समय से ज्यादा वक्त दिया गया है। अब मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिए।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति जी भ्रष्टाचार का मामला है, आप सबको बोलने दीजिये।

सभापति महोदय : नहीं, यह नहीं हो सकता।

श्री रामानन्द सिंह : आप समय बढा दीजिये।

सभापति महोदय : नहीं, समय पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

मि. मिनिस्टर।

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : सभापति महोदया, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होने इस विधेयक के बारे में अपनी राय व्यक्त की है या बहुमूल्य सुझाव दिए है।

* मैं अपनी मातृभाषा तमिल में बोलना चाहता हूं, इस संबंध में मैंने लिखित सूचना दी हैं। इस विधेयक का आशय भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी का पूर्ण उन्मूलन करना है। मैंने इसका उल्लेख उस समय किया था जब माननीय सदस्य श्री आचार्य ने सांविधिक संकल्प पेश किया था। अब मैं स्पष्ट करता हूं कि हमें अध्यादेश जारी करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा। 18.12.1997 के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तत्कालीन गुजराल सरकार इस विधेयक को लाई। 7.4.1998 को जब इसे लागू किया जाना था तो तत्कालीन केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने त्यागपत्र दे दिया। इसलिए 9.8.1998 को अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया। *

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपराह्न 5.22 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

इस पर स्पष्टीकरण में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मंत्रिमंडल की बैठक और मंत्रालय की बैठक से पूर्व विधि आयोग की जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई थी। मैंने माननीय सदस्यों श्री आचार्य, श्री उपेन्द्र और अन्य सदस्यों को पहले ही स्पष्टतः बता दिया था कि इस मामले को विधेयक में ही स्पष्ट किया गया है।

जहां तक संभव होगा मैं संक्षेप में उत्तर दूंगा। जब आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य श्री के. एस. राव बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बस कंडक्टर जैसे निम्न स्तर के कर्मचारियों को ही दंडित किया जा रहा है और उच्च स्तरीय अधिकारियों को दंडित नहीं किया जा रहा है। इस विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। आमतौर पर सभी सदस्य कह रहे थे कि हमें नौकरशाही द्वारा गुमराह किया जा रहा है। मेरा कहना है कि इस लोकतांत्रिक देश में अनेक लोग मंत्री पद पर विराजमान हुए हैं। 12 वर्ष तक सदस्य रहने के बाद मैं अब मंत्री पद पर आसीन हूं। जब हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और हम अपने दिभाग का सही इस्तेमाल करते हों तो नौकरशाही हमें गुमराह नहीं कर सकती है।

हम राजनेताओं में कम से कम उतना विश्वास तो होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इस सरकार को नौकरशाही द्वारा गुमराह नहीं किया गया है।

भ्रष्टाचार से निपटने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने दोनों सदनों को निर्देश दिए हैं। कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी संसद सर्वोच्च है और हम इस संसद में इसी उद्देश्य से बैठे हुए हैं।

मैं श्री सत्यपाल जैन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के साथ मिलकर उन्हें नौकरशाही और आम जीवन में भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए। वह काम कर लिया गया है।

श्री उपेन्द्र ने पूछा है कि चैयरमैन और सदस्यों के सेवाकाल में एक वर्ष का अंतर क्यों होना चाहिए। चैयरमैन का कार्यकाल चार वर्ष का है जबकि सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। यह चैयरमैन की सम्प्रभुता सुनिश्चित करने तथा आयोग में अनवरत्ता कायम करने के उद्देश्य से किया गया है।

माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह ने इस विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में मैं इस पवित्र सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूँगा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सरकार द्वारा स्वीकार किए गए विनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस विधेयक द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया जा रहा है । इस मामले में सर्वोच्च नयायालय ने, अन्य बातों के साथ–साथ दिनांक 18.12.1997 के अपने आदेश के पैराग्राफ 58.2 में यह निर्देश दिया था कि प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता को लेकर गठित की गई एक समिति के द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का चयन किया जाएगा। न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति के एक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के लिए कोई निर्देश नही दिया था। संसदीय स्थायी समिति ने विपक्ष के नेता के संबंध में वर्तमान प्रतिपादन को भी कुछ स्पष्टीकरण के साथ स्वीकार किया है जिसे सरकार स्वीकार कर चुकी है। उसके लिए आवश्यक संशोधन को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए सरकार इस संशोधन को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। जब यह सभा लोक पाल विधेयक पर चर्चा करेगी तब उच्च स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा की जा सकती है।

एक माननीय सदस्य ने निजी सचिव के बारे में पूछा है। निजी सचिव को पहले शामिल किया गया और फिर इसे रद्द कर दिया गया है। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने चार सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में कहा था। इन पदों पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा नियुक्ति की जाएगी जिसमें विपक्ष का नेता भी एक सदस्य होगा। इसलिए, किसी प्रकार की आशंका का कोई कारण नहीं है कि सरकार किसी सतर्कता आयुक्त को पसंद नही करेगी। पुरःस्थापित किए गए संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि सी. वी. सी. और सतर्कता आयुक्त किसी एक ही सेवा से संबंधित नहीं होंगे। यहां ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक बात कही थी इसलिए मैंने इसका उत्तर दिया था।

श्री राधाकृष्णन ने कहा था कि सी. वी. सी. को सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के अनुशासनात्मक मामलों का फैसला करना चाहिए। इसके अंतर्गत लाए जाने वाले व्यक्तियों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, विधि आयोग की सिफारिशों और स्थायी समिति की निगरानी में किया जाएगा। खण्ड 27 के अंतर्गत के. अ. ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों का चयन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशें के अनुसार समिति का गठन किया गया है।

लोक शक्ति पार्टी के माननीय सदस्यों ने पारदर्शिता की बात की तथा यह भी कहा था कि मंत्रियों को अपनी सम्पति का ब्यौरा देना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ यह अभी भी हो रहा है। एक मंत्री के रूप में मैने ऐसा किया है और प्रत्येक दे रहा है।

माननीय सदस्य श्री बालू ने भी इस विधेयक के संबंध में बोला था। जब मैं इस सभा में बोलता हूँ तो मैं एक ऐसे सदस्य के रूप में बोलता हूँ जो यहां 14 वर्षों से हैं।

संसद में मेरे चौदह वर्षों के अनुभव के बाद अमर मैं यह नहीं कहता कि मैं राजनैतिक रूप से क्या हूँ तो मैं अपने कर्तव्य में असफल होऊँगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो 1949 में अरिग्नार

अन्ना के आदर्शों से प्रभावित था, उस समय मैं एक छात्र था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं संसद का एक सदस्य या कोई मंत्री बन जाऊंगा। मैं उस तरह के कार्यकर्ताओं में से हूँ।

श्री अरिग्नार अन्ना ही थे जिन्होंने मुझे अपने साथ मिलाया था। पुरात्ची थलाईवार एम जी आर के समय में मैं सदन में आया था जिसके लिए नावालार को धन्यवाद देता हूँ। डॉ. नावालार चुने हुऐ व्यक्ति थे, जिन्हें महान अन्ना ने स्वयं चुना था जिन्होंने उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अपने छोटे भाई के रूप में बुलाया था।

अन्ना के समय वे पूर्ण रूप से शक्तिशाली थे। श्री नाबालार मुझे संसदीय सीट देने में समर्थ थे। एम. जी. आर. के समय मैं आल इंडिया अन्ना द्रविड मुनैत्र कझगम पार्टी की तरफ से संसद का सदस्य बना था। यह बात मेरे राजनैतिक जीवन के 37 वर्ष बाद की है।

यह बात तमिलनाडु के बारे में है। मैं किसी नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं एक उदाहरण हूँ। मैं एक सिक्का हूँ। मैं द्रविड़ इतिहास में एक परीक्षण नली हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम अपनी भाषा, अपने देश और अपनी राष्ट्रीयता के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं और अपना कितना खून बहा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब चीन में हमारे देश पर हमला किया था तो हमारे अन्ना ने ही कहा था :

* हमें नेहरू जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। *

[अनुवाद]

उन्हें वेल्लौर की जेल से रिहा कर दिया गया था जहां उन्हें मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन करने पर कैद किया गया था। .. . *(व्यवधान)* 1962 में वे मुख्य मंत्री नहीं थे। वास्तव में, अन्ना विधान सभा का चुनाव हार चुके थे।

श्री टी. आर. बालू : सभापति महोदय, ये बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए ।

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : क्यों ?

श्री टी. आर. बालू : उन्हें मुद्दों को निपटाना आना चाहिए। वे मुझे सीधे उत्तर दे रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : मैं अन्ना जी से प्रेरित हूँ जबकि वे किसी और व्यक्ति से प्रेरित थे। इसलिए, मैं उन्हें एक स्टीक उत्तर दे सकता हूँ। ...*(व्यवधान)* मैं एक महान नेता, अन्ना से प्रेरित हूं। वे किसी और व्यक्ति से आकर्षित थे। इसलिए मुझे उन्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं। *

श्री टी. आर. बालू : ** ...*(व्यवधान)* वे जयललिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : वे उनकी पार्टी से किस तरह जुड़े थे मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है। देश जानता है, विश्व इसके बारे में जानता है। यह दुख की बात है। ...*(व्यवधान)*

वे भी मंत्री थे और अब मैं भी एक मंत्री हू। परन्तु फिर भी अतर है। ...*(व्यवधान)* ...उन्होंने कहा था कि महिलाएं केवल साडी पहनती हैं।...*(व्यवधान)* ... महिलाएं लुंगी नहीं पहनती।

नाम लिए बिना ही उन्होंने आरोप लगाते हुए 1989 का उल्लेख किया था। माननीय बालू जी जो अब 1989 का उल्लेख करते हैं उन्हें पार्टी के बारे में संभवत न पता हो और यह भी नहीं कि 1950–57 में यह क्या थी। यहां तक कि प्रमुख वक्ताओं तक को उस समय का नहीं पता। मैं उनके बारे में जानता हूं। उन्हें बैठ जाना चाहिए था। ....(व्यवधान)* *

श्री टी. आर. बालू : पिछले 15 वर्षों से मैं उसी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूं जो इधर–उधर जाता रहता हूं। ....*(व्यवधान)* मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं प्रतिभावान व्यक्ति हूं। .... *(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : अगर हमारे बीच कुछ है तो हमें इसे बाहर निपटा लेना चाहिए।

श्री टी. आर. बालू : सभापति महोदय, वे मुझे लडने के लिए बुला रहे है। ..*(व्यवधान)* महोदय, वे मुझे लडने के लिए बाहर बुला रहे हैं।**

श्री कादम्बूर एम. आर. : वे अखण्डता की बात कर रहे हैं। मैं अखंडता के संबंध में उन्हें खुली चुनौती देता हूं। मैं तैयार हूं ... *(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय यह ** मंत्री जी मुझे संसद से बाहर लड़ने के लिए बुला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : मैं उन्हें चुनौती देता हूं। जब वे पार्टी में आए थे तो वे क्या थे ? और 1960 में हमारे नेता क्या थे?.... *(व्यवधान)*... और वे आज क्या हैं ? क्या वे मुझे कह सकते हैं?.... *(व्यवधान)*....वह व्यक्ति, जिसके साथ वे 1989 में काम कर रहे थे एक झोपड़ी में रहते थे ... *(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : सुश्री जयललिता उन दिनों में क्या थी ? ....*(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : 1960 के दौरान डॉ. करुणानिधि क्या थे ?

श्री टी. आर. बालू : उन दिनों वे क्या थी, इसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं। उस समय उनके पास कुछ नहीं था ....*(व्यवधान)* उन्हें अपनी पार्टी के मामले संसद में नहीं उठाने चाहिए।

---

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, आपस में डायरेक्ट वार्तालाप हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन * उनके नेता उत्तरी मद्रास में श्री द्रविडमनि के साथ रह रहे थे। वह व्यक्ति अब भी जीवित है। श्री द्रविडमनि हमें बता सकते हैं कि उस समय डॉ. करुणानिधि क्या थे। मैं तमिल बोलता हूं जो हमें अन्ना ने सिखाई थी। किंतु उनकी तमिल वह है जो उन्होंने अपने नेता डॉ. करुणानिधि से सीखी है।*

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : उन्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए। वे तमिल में क्यों बोलते हैं.... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : वे बाहर आ सकते हैं? मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं। मैं तैयार हूं .... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात उत्तर तक सीमित रखें।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : पार्लियामेंट में जो बिल आ रहा है उस पर बोलिये, आपस में मत बोलिये।

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : वे क्या हैं और हम क्या हैं? *...(व्यवधान)* यदि कल चुनाव होते है और मैं हार जाता हूं तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा.....*(व्यवधान)* क्या वे भी ऐसा करेंगे?

सभापति महोदय : श्री जनार्दनन, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : सभापति महोदय, वे अपनी बात कह रहे हैं .....*(व्यवधान)* मैं तमिल में बात कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* उनके और मेरे बीच यह अन्तर है।

मैं पूछता हूं कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोपों पर किसकी सरकार बर्खास्त की गई थी।

[अनुवाद]

मैंने 30 वर्षों तक पार्टी में कार्य किया और उसके बाद ही चुनाव लड़ा और मैं जीता। यह इस बात का प्रमाण है कि लोगों का हम लोगों में विश्वास है आपने देखा है .... *(व्यवधान)* मैं उनसे अच्छी अंग्रेजी जानता हूं। मैं उनसे अंग्रेजी में भी बात कर सकता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण उत्तर तक सीमित रखें। आपको उन्हें उकसाना नहीं चाहिए।

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : उन्होंने मुझे क्यों उकसाया है? मुझे शालीन व सभ्य तरीके से उत्तर देना है।

श्री टी. आर. बालू : क्या यह शालीनता है ?

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : मैं यहां मंत्री के रूप में इसलिए हूं क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने मुझे स्वीकार किया है कि आपको आपका बहिष्कार किया जा रहा है.....*(व्यवधान)* वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विधान सभा में एक महिला की पिटाई की है वे ऐसी पार्टी से हैं जिन्होंने विधान सभा में एक महिला की पिटाई की है वे ऐसी पार्टी से हैं जिन्होंने विधान सभा में एक महिला की पिटाई की है और वे यहां शालीनता की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : आप वित्त मंत्री है।

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि लगभग 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक मामले अभियोजन चलाने के लिए तैयार हैं। इसलिए उन्हें आयोग की नेकनीयती पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।

मुझे वास्तव में खेद है क्योंकि इस संसद में कुछ आपत्तिजनक, कुछ ऐसी बातें कहीं गई जिनका इस विधेयक से संबंध नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* यहां श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे वरिष्ठ सदस्य हैं, यहां पूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़, भी उपस्थित हैं। मुझे ऐसे व्यक्ति ने उकसाया जिसने इस विधेयक के संबंध में कुछ भी बात नहीं की उनके उकसाने पर मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पडी .. मुझे अपनी पार्टी अन्नाद्रमुक की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करनी पडी उन्होंने अन्ना का नाम उठाया .....*(व्यवधान)* यह मेरा दोष नहीं है।

इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने व इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, मंत्री जी ने इस सभा में जो जवाब दिया है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि एक महीने में एक नहीं दो आर्डीनेंस किए गए हैं। जो आर्डीनेंस पहली बार प्रोमलगेट हुआ वह एक माह के अन्तर में हुआ। यह राष्ट्र के साथ धोखा है। इसलिये सुप्रीम कोर्ट को दोबारा सरकार को निर्देश देना पड़ा कि पहला जो आर्डिनेन्स प्रोमलगेट किया गया था, वह सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन और विधि आयोग के मुताबिक नहीं था। जब आर्डिनैंस प्रोमलगेट हुआ तो उसकी समालोचना हुई जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य भी थे। उस समय प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया था कि इसकी जांच होगी।

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

उसके लिए कौन जिम्मेदार था। यदि यह सच है तो मंत्रिमंडल के समक्ष लाए बिना, उसका प्रारूप तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार था? माननीय मंत्री श्री राम जेठमलानी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और माननीय प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि इसकी जांच की जाएगी। क्या जांच की गई थी? जांच के क्या परिणाम थे ? क्या जवाब देही नियत की गई थी और उसके लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? माननीय मंत्री ने इन पहलुओं का उत्तर नहीं दिया है।

जब सरकार के पास विधेयक लाने के लिए पर्याप्त समय था और उस विधेयक पर संसद की स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा रहा था तो अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी? इस सब के बावजूद उन्होंने एक बार नहीं दो बार अध्यादेश जारी किया। उन्होंने अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता पर प्रकाश नहीं डाला है। इसलिए मैं अपने सांविधिक संकल्प को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं समझता हूं। मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूं क्योंकि उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं किया है और उन बातों का उत्तर नहीं दिया जो मैंने आरंभ में सांविधिक संकल्प लाने के कारण बताने के समय ही थी।

सिद्धांततः मैं विधेयक का विरोध नही करता हू क्योंकि मैं भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सुदृढ करने, केन्द्रीय सतर्कता आयोग में विद्यमान खामियों व कमजोरियों को दूर करने, निष्पक्ष सतर्कता आयोग और आयोग के चैयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन के पक्ष में हूं। किंतु मैं एक या दो माह के भीतर एक के बाद एक अध्यादेश जारी करने और इस प्रकार संसद को नजरअन्दाज करने के पक्ष में नहीं हूं। इस संसद को नजरंदाज कर सरकार अध्यादेश राज का मार्ग अपना रही हैं। इससे बचना चाहिए। सरकार के पास पर्याप्त समय था। वे इस सभा के समक्ष विधेयक ला सकते थे किंतु ऐसा किए बिना और सदस्यों को मौका दिए बिना उन्होंने अध्यादेश जारी किए। अब वे उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए विधेयक ला रहे है। मैं इसके विरुद्ध हूं। मैं अपने सांविधिक संकल्प को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं समझता हूं। मैं अपने सांविधिक संकल्प के पक्ष में हूं। मैंने संकल्प पहले ही पेश कर दिया है और मैं अपने सांविधिक संकल्प को वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, स्थानीय प्राधिकरण के, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और लोक सेवकों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कारित, अधिकथित अपराधों की जांच करने या जांचों के कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्तीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

खंड-2

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि खंड दो विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-3

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 2, पंक्ति 37 के पश्चात् अतःस्थापित करें।

"परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति करते समय केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वे खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी एक ही सेवा या व्यक्तियों के प्रवर्ग से नहीं है।" (4)

(श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 4

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :–

पृष्ठ 2, –

पंक्ति 48 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"(ख) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति – सदस्य"। (1)

महोदय, हमारा अमेंडमैंट यह है कि चीफ विजिलैंस कमिश्नर और कमीशन की नियुक्ति में तीन लोगों की कमेटी बनाने का प्रावधान है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई साझेदारी नहीं है। मेरा संशोधन है कि एक और जोड़ दिया जाए कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय भी उस कमेटी के सदस्य होंगे। इसमें कोई गैर–वाजिब बात नहीं है क्योंकि इस कमीशन को गठित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट संकोचवश और लिहाजवश अपना ऐसोसिएशन इसकी नियुक्ति में नहीं रख पाया। इसलिए इस संसद का कर्तव्य है कि चीफ विजिलैंस कमिश्नर की नियुक्ति के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी राय ली जाए और वे भी उस कमेटी के सदस्य मनोनीत किए जाएं, ऐसा मेरा संशोधन है।

सभापति महोदय : मैं श्री मोहन सिंह द्वारा रखे गए संशोधन नम्बर 1 को सदन के सामने रखता हूं।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 2, पंक्ति 48 के पश्चात् *अंत:स्थापित* करें–

"*स्पष्टीकरण* – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "लोक सभा में विपक्ष के नेता" ने जब किसी नेता को ऐसी मान्यता न मिली हो तो, लोक सभा में सरकार के विपक्ष में, सबसे बडे एकल दल का नेता भी सम्मिलित होगा।" (5)

(श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन)

सभापति महोदय :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 3, पंक्ति 21 *के पश्चात् अंत:स्थापित* करें–

"(क ख) कोई राजनीतिक समनुदेशन, किसी संघ राज्य–क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और कोई अन्य ऐसा समनुदेशन अथवा नियुक्ति, जो विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और अपनी मुद्रा से, अधिपत्र द्वारा की जानी अपेक्षित है।"

पृष्ठ 3, पंक्ति 37 *के पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें–

"परन्तु और कि यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उस के अधीन स्थापित किसी निगम में अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उस के द्वारा नियंत्रित किसी सरकारी कंपनी में पहले की गई सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ले रहा हो तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अथवा सतर्कता आयुक्त की सेवा के संबंध में, प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परन्तु यह भी" (7)

(श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन)

सभापति महोदय :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड दिए गए।

खण्ड 8

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38 में "अपराधों" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें–

"अथवा कोई ऐसा अपराध जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सके" (8)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 "अधीन कोई अपराध" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें –

"अथवा कोई ऐसा अपराध जिससे किसी लोक सेवक को दड प्रकिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सके" (9)

पृष्ठ 5, पंक्ति 10 "अधीन कोई अपराध" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें–

"अथवा कोई ऐसा अपराध जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सके" (10)

पृष्ठ 5, पंक्ति 15 "की प्रगति का" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें –

"अथवा किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत उसी विचारण में आरोपित किया जा सके" (11)

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें–

"(क) संघ के मामलों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारी" (12)

(श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 8, संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

खण्ड 9 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नया खण्ड 19क

नियम 80 (1) के निलंबन का प्रस्ताव।

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 में सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जायें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 में सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 6 के पश्चात् अंत:स्थापित करें –

"19क. केन्द्रीय सरकार, संघ के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में सतर्कता या अनुशासनिक मामलों को शासित करने वाले कोई नियम अथवा विनियम बनाते समय आयोग से परामर्श करेगी" (13)

(श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खण्ड 19 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खण्ड 19क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 20 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

खंड 27

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, मेरा एक मिनट का हस्तक्षेप यह है कि केन्द्रीय सतर्कता बिल की भी वही दुर्गति न हो, जो मध्य प्रदेश के सतर्कता बिल की हो रही है। वहां सतर्कता आयोग ने 15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनको निकालने कि लिए कहा, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कहीं यह स्थिति केन्द्रीय सतर्कता बिल की न हो। मंत्री जी एक बार पुन: देख लें कि इसमें कोई छिद्र न हो। वैसे इस बिल का स्वागत सभी लोग कर रहे हैं।

सभापति महोदय : इसका अभी मौका नहीं है। भाषण समय खत्म हो गया।

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 11, पंक्ति 19 से 24 के स्थान पर रखें–

"27 (1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।" (14)

(श्री कादम्बूर एम. आर. जर्नादनन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,

1998 के स्थान पर 1999 प्रतिस्थापित करें (3)

(श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"उनचासवें के स्थान पर पचासवें प्रतिस्थापित करें" (2)

(श्री कादमबूर एम. आर. जनार्दनन)

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, सशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधत रूप मे, विधेयक में जोड दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक मे जोड़ दिया गया।

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.58 बजे

बजट (सामान्य) 1999-2000 - सामान्य चर्चा

*अनुदानों की अनुपूरक मांगे 1998-99

*अतिरिक्त अनुदानों की सामान्य मांगे 1996-97

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मद संख्या 23 से 25 एक साथ ली जाएंगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है कि सदन का समय आठ बजे तक है।

[अनुवाद]

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मांग संस्थाओं के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :–

1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102 और 103।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

मांग संख्या 8, 14, 24, 56, 82 और 83।"

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1998.99 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	334,60,00,000	
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1,00,000	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	1,00,000	3,00,00,000
6.	उर्वरक	3,00,000	1,00,000
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय			
9.	उपभोक्त मामले विभाग	4,79,00,000	
11.	शर्करा और खाद्य तेल विभाग	70,10,00,000	85,98,00,000
वाणिज्य मंत्रालय			
13.	वाणिज्य मंत्रालय	47,34,00,000	
14.	आपूर्ति विभाग	4,00,000	
संचार मंत्रालय			
15.	डाक विभाग	639,11,00,000	
16.	दूरसंचार विभाग	418,13,00,000	1,00,000
रक्षा मंत्रालय			
17.	रक्षा मंत्रालय	87,06,00,000	1,00,000
18.	रक्षा पेंशन	1346,47,00,000	
19.	रक्षा सेवा–थल सेना	666,52,00,000	
20.	रक्षा सेवा–नौसेना	242,62,00,000	
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
24.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	
विदेश मंत्रालय			
25.	विदेश मंत्रालय	1,00,000	
वित्त मंत्रालय			
26.	आर्थिक कार्य विभाग	466,29,00,000	
28	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	2597,75,00,000	1578,27,00,000
34.	पेंशन	1368,06,00,000	
35.	लेखा परीक्षा	31,68,00,000	19,00,000
37.	प्रत्यक्ष कर	94,60,00,000	
38.	अप्रत्यक्ष कर	40,75,00,000	

1	2	3	4
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
39.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
40.	स्वास्थ्य विभाग	2,00,000	
41.	भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी विभाग	3,52,00,000	
गृह मंत्रालय			
43.	गृह मंत्रालय	20,37,00,000	....
45.	पुलिस	141,13,00,000	1,00,000
46.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1,00,000	2,00,000
47.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	83,41,00,000	10,72,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
48.	शिक्षा विभाग	4,00,000	
49.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	2,00,000	
50.	कला और संस्कृति	43,90,00,000	
51.	महिला और बाल विकास विभाग	1,00,000	
उद्योग मंत्रालय			
52.	औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	59,12,00,000	....
54.	भारी उद्योग विभाग	365,14,00,000	75,94,00,000
55.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	2,00,000	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
56.	सूचना, फिल्म और प्रचार	4,40,00,000	
श्रम मंत्रालय			
58.	श्रम मंत्रालय	1,00,000	
विधि और न्याय मंत्रालय			
60.	निर्वाचन आयोग	1,20,00,000	
खान मंत्रालय			
63.	खान मंत्रालय		60,01,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
64.	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1,00,000	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
66.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,00,000	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
67.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,44,00,000	
विद्युत मंत्रालय			
71.	विद्युत मंत्रालय	....	2,00,000

1	2	3	4
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय			
72.	ग्रामीण विकास विभाग	1,00,000	
73.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी निवारण विभाग	3,00,000	50,00,00,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
75.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	....
इस्पात मंत्रालय			
78.	इस्पात विभाग	11,74,00,000	13,00,00,000
भूतल परिवहन मंत्रालय			
80.	सड़कें	41,30,00,000	1,00,000
81.	पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	101,64,00,000	43,19,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
82.	कपड़ा मंत्रालय	5,03,00,000	16,71,00,000
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय			
83.	शहरी विकास		1,00,000
84.	शहरी रोजगार और गरीबी निवारण	1,00,000	1,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
87.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	3,51,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
89.	परमाणु ऊर्जा	17,75,00,000	
महासागर विकास विभाग			
92.	महासागर विकास विभाग	1,00,000	
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
95.	राज्य सभा	4,14,00,000	
96.	लोक सभा	17,98,00,000	
98.	उप–राष्ट्रपति का सचिवालय	37,00,000	
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
99.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23,87,00,000	34,00,000
100.	चंडीगढ़	93,92,00,000	2,00,000
101.	दादरा और नगर हवेली	14,39,00,000	1,10,00,000
102.	दमन और दीव	11,11,00,000	
103.	लक्षद्वीप	11,79,00,000	....
	जोड़	95,34,89,00,000	19,42,09,00,000

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 की अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि
8.	पर्यटन विभाग	3,71,97,921
14.	दूर संचार विभाग	448,07,48,924
24.	आर्थिक कार्य विभाग	2,18,05,862
56.	प्रसारण सेवाएं	2,73,01,021
82.	शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	50,14,85,418
83.	लोक निर्माण कार्य	6,23,40,688
	जोड़	513,08,79,834

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय बजट पर कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री राज्य सभा में एक वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं। यहां मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं सभी टिप्पणियां लिख रहा हूं .... *(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय यह बहुत महत्व पूर्ण विषय है कैबिनेट मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए था ।.. *(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल): श्री बालू माननीय मंत्री राज्य सभा में किसी वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : यह बजट 20वी शताब्दी का अंतिम बजट है। अतः यह आने वाली मिलेनियम की महत्वपूर्ण कडी है। इसे अधिक विवेकपूर्ण, दूरदर्शितापूर्ण, दिशा-निर्देशित और व्यावहारिक होना चाहिए था, जो यह नही है। 1998-99 का बजट रखते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा था कि मैं छः महीनें में ही इकोनमी को किक स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन हम देख रहे हैं किक स्टार्ट तो क्या वह धक्का स्टार्ट भी नहीं हुई। यह बजट ऐसे वातावरण में प्रस्तुत किया गया है जब चारों और मंदी का वातावरण है, विश्व व्यापार भी नीचे आ गया है। चारों तरफ रिसेशन का वातावरण व्याप्त हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण होने जा रहा है। पोखरन विस्फोट से उत्पन्न आर्थिक समस्याएं भी हमारे सामने हैं। विश्व के सामने बदली हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न सुरक्षित करने के लिए भी विचार-विमर्श करना, जिसमें हमारा बहुत बडा हिस्सा होगा। इन बातों को देखते हुए भारत इनसे अछूता नहीं रह सकता कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा बजट क्या कहता है।

अपराह्न 6.00 बजे

वैसे भी देखा जाए : इस बजट को विश्व व्यापी आर्थिक मंदी के संदर्भ में पेश किया गया है। इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसमें से निकलें। हालांकि थोडा बहुत ईस्ट एशिया में वातावरण ठीक हुआ है लेकिन फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ब्राजील में जो कुछ हो रहा है, वह इस बात का घोतक है कि संसार भर में इकॉनोमिक स्टैविलिटी खतरे में है। डौमैस्टिक सीन भी उत्साहवर्धक नहीं है। 1998-99 में हमारी ग्रौथ जी.डी.पी. 5.8 प्रतिशत बताई गई है। वह इसलिए है क्योंकि कृषि उत्पादन अच्छा हुआ है। सिर्फ इसी वजह से है। इंडस्ट्री नहीं, बिजनेस नहीं, ये सब ऐसे सैक्टर्स रहे हैं और नैगेटिव ग्रोथ एक्सपोर्ट की हो गई है। इसे देखते हुए इंटरनेशनल ट्रेड का भी घपला दुगुना हो गया है। इस संदर्भ में अनेक कमेटियां बनाई गई हैं कि किस तरीके से बैरियस कमिटमेंन्ट्स को टैकल किया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारी इच्छाशक्ति उनको टैकल करने की है या नही और सरकार की कैपेसिटी उसको टैकल करने की है या नहीं। पैसा लगाने वालों में विश्वास-हीनता है। इंडस्ट्रियल रिसेशन भी है। इसे उत्साहवर्धक किया जाए। देखने की बात है कि करैक्ट एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएट इंटरवैंशन फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से हो, तभी यह बात बनती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अंतर भारत के प्रतिकूल है। देश की आर्थिक दशा निराशाजनक नजर आती है। इसमें देखने की बात है कि हम क्या करने जा रहे हैं।

देश में जो बेरोजगारों की संख्या बढ रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे? किस प्रकार से हम उन्हें रोजगार दिलवाएंगे और गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर बढता जा रहा है, उसे कैसे कम करेगे? 40 प्रतिशत जनता आज गरीबी रेखा के नीचे हो गई है, इसका क्या कारण है? इस पर हमें विचार करना होगा। इसके लिए इस बजट में क्या किया गया है, वह भी मुझे आशाजनक नजर नहीं आ रहा है। 1998-99 के बजट में रेवेन्यू जो मेजर फोकस था, उसकी एडीशनल रेवेन्यू डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट टैक्सेज में

1999–2000 के बजट में 9334 करोड रुपये टोटल इंफ्रीज थी, टेक्स रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 22828 करोड रुपये है। यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस घपले को कैसे पूरा किया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। बजट के टोटल प्लान एक्सपेंडिचर में पांच प्रतिशत की कमी आई है। सैन्ट्रल प्लान को भी छोटा कर दिया गया है। पूंजीगत व्यय कम कर दिया गया है, यह बजटीय समर्थन के बारे में भी सत्य है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए भी आरंभ में नियोजित परिव्यय से 5.5 प्रतिशत की कटौती की गई है यह भी सोचने की बात है कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। बजट सरकार के हाथ में अत्यधिक प्रभावी और सक्षम साधन होता है जिससे वर्तमान समस्याओं को हल किया जा सके और आगे के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके। आकांक्षाओं के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है किंतु तत्कालीन समस्याओं का समाधान और भविष्य की समस्याओं का समाधान करने हेतु इसमें कोई सहारा हमारे पास नहीं है, इसलिए यह बजट मुझे सूझबूझहीन और दिशाहीन नजर आता है। बजट समूचे प्रारूप में किसी आर्थिक क्षेत्र, उद्योग आदि को राहत और लाभ देने की जरूरत होनी चाहिए लेकिन व्यापकता और समूचे आर्थिक ढाचे में अपना दिशा–निर्देशन कही नहीं मिल रहा है, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। वास्तविकता पर आशा की विजय। हम दुनिया में आकांक्षाएं कर लेते हैं और समझ लेते है कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। आपने "मुंगेरी लाल के सपने" सीरियल देखा होगा, उसी प्रकार से यह सरकार भी मुंगेरी लाल के सपने लेने में लगी हुई हैं। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे है। हमारे रिवाइज्ड एस्टीमैट्स क्या हैं, बजट एस्टीमैट्स क्या हैं, उसमें अंतर करके ऐसा आवरण ओढ़ा दिया गया है जिसमें असलियत नजर नहीं आती है, सिर्फ धोखा ही धोखा है। इससे बडी विडम्बना और क्या हो सकती है।

[अनुवाद]

व्यय के आकड़ों के मामले में भी वास्तविकता पर आशा की जीत दिखाई देती है। 1997–98 और 1998–99 (दोनों संशोधित अनुमान) के बीच राजस्व व्यय (जिसे मोटे तौर पर सरकारी व्यय का गैर उत्पादक हिस्सा कहा जा सकता है) 20 प्रतिशत से थोडा ही कम बढ गया है। अब 1998–99 के संशोधित अनुमानों की 1999–2000 के बजट अनुमानों से तुलना करने से स्पष्ट है कि यह वृद्धि किसी जादू से नौ प्रतिशत से कम होगी।

[हिन्दी]

इस फर्क को भी आपको देखना होगा। आप नौ प्रतिशत की बात कहते हैं और 20 प्रतिशत की बात कहते है, लेकिन इसको आप कैसे पूरा करेंगे, इस बारे में भी आपको देखना होगा।

[अनुवाद]

वास्तविक अर्थों में इसका तात्पर्य है कि 1997–98 की तुलना में सरकार ने 1998–99 मे वेतन, प्रतिस्थापना लागत आदि पर 35,939 करोड रुपये अधिक खर्च किया है और 1999–2000 में वार्षिक वृद्धि केवल 18,848 करोड रुपये होगी।

[हिन्दी]

कहा गया है कि सचिवों की संख्या को कम कर दिया जाएगा, इससे आप कितने खर्च को कम कर सकेंगे, इस बारे में आपने कोई विवरण नहीं दिया है, कोई प्लान नहीं दिया है। इन समस्याओं का हमारे पास कोई समाधान नहीं है।

जहां तक कृषि की बात है, कहा गया है कि हमने पिछले वर्षों के मुकाबले 34 प्रतिशत राशि ज्यादा दी है, लेकिन देखने से पता चलता है कि कितना बड़ा आडम्बर रचाया गया है कि इस बात को कहने का। इस बारे में मैं आपको आंकड़े देता हूं। एग्रीकल्चर एंड एलायड ऐक्टिविटीज में 1998–99 में 3,864 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी और अब 1999–2000 में 2,777 करोड रुपए की व्यवस्था है। इन्फलेशन को देखें तो तीन प्रतिशत और दो प्रतिशत हो गया है। इतना होने पर भी कहते हैं कि हमने 34 प्रतिशत राशि बढा दी है। इससे बडी विडम्बना और कोई नहीं हो सकती है। कृषि हमारे देश के विकास का आधार है और 5.8 प्रतिशत हमारा जी. डी. पी. ग्रोथ रेट है। जहां तक रूरल डवलपमेंट की बात है। इसमे भी कमी आई है। 1998–99 में 8182 करोड़ रुपये 1999–2000 में 7,842 करोड़ रुपये की व्यवस्था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हजार करोड़ रुपया कम कर दिया गया है। इर्रिगेशन में भी 374 करोड़ रुपये के स्थान पर 348 करोड़ रुपए का प्रावधान, एनर्जी में तीस हजार के स्थान पर 27 हजार की व्यवस्था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रगति करना चाहते हैं।

पंचवर्षीय योजना मे भी कृषि के विकास की सर्वोच्च वरीयता देने की बात कही गई है, लेकिन बजट में कृषि के लिए प्रावधान कम किया गया है। पिछले साल रिवाइज्ड एस्टीमेंट का पैसा खर्च नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, यह पैसा क्यों खर्च नही किया गया? इसका जवाब भी इनके पास नहीं है। आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया गया है। कृषि के सिचाई साधनों के लिए भी एक पैसा आबंटित नहीं किया गया है। कहते हैं कि हमने जरूर रखा है, लेकिन न अनुदान रखा है और न अन्य कोई व्यवस्था की गई है। कहा गया है कि कृषि के क्षेत्र को बढ़ायेंगे, सिचाई के क्षेत्र को बढ़ायेंगे, लेकिन जो व्यवस्था की गई है, उससे नहीं लगता है कि इस दिशा में कोई काम हो पाएगा। डेम्स के निर्माण कार्य को बढाने की दिशा में कोई प्रावधान नहीं है। मैंने अपने समय में कहा था कि सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं, जमीन की सुरक्षा कर सकते हैं, जमीन को क्षार होने से बचा सकते हैं, वाटर–लोगिंग से बचा सकते हैं और हमने इर्रिगेशन के लिए 90 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की थी। इसमें 75 प्रतिशत हरिजनों के लिए व्यवस्था की गई थी।

(श्री बलराम जाखड़)

उसमें कहीं एक पैसे का आबंटन नहीं किया गया है, वह पैसा कहां गया, इसका कोई जिक्र नहीं है। आप किस तरह से बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं। जो भी नई–नई स्कीम्स चल रही हैं, नहरे लगानी हैं, उनके कमांड एरिया पर हमने पहले ध्यान नहीं दिया। दुनिया भर में सबसे बड़ी नहर हमारी राजस्थान कैनाल है, जिसको हम आज कल इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। उसके आगे के क्षेत्र को देख लीजिए, वहां लाखों एकड़ जमीन पानी में दब गई है। वहां झील बनी हुई है लेकिन उसके विकास के लिए कोई पैसा नही रखा। गाव उजड गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, उत्पादन बद हो गया है, उसके लिए कुछ नहीं रखा। उसको हम किस तरीके से रिक्लेम करेंगे। मैं एक सुझाव दे रहा हूं, जोकि प्रेक्टीकल है, जो मैंने अपने हिसाब से किया, आप इसको किस तरह से रोकेंगे। कृषि पर आधारित उद्योगों का कहीं जिक्र नहीं है। हमने एक एग्रो बिजनेस कस्टोडियन बनाया था, उसके लिए कोई पैसा नहीं है और न ही इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप बढ़ती हुई आबादी के लिए रोजगार कैसे देंगे? रोज डकैतियों पडती हैं, कत्ल होते हैं, चोरिया होती हैं, शहरों में गंदी बस्तियां बढ़ रही हैं, आप इनका निराकरण कैसे करेंगे? जब तक इस बारे में नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप नाम बदल देते हैं। आपने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल कर ग्राम समृद्धि योजना और इंदिरा आवास योजना का नाम ग्राम समृद्धि योजना कर दिया। कल आप कहेंगे कि भारतवर्ष का नाम हम आर्यव्रत रखेंगे। मेरा कहना है कि जो जिसका नाम है वहीं रहने दो। आप बिना मतलब नाम बदल कर अनुचित काम करते हैं, आप सार्थक काम कीजिए।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप सार्थकता पर भरोसा करिए, नामों का अदल–बदल करके क्यों इंसल्ट करवाना चाहते हैं। इन्होंने ट्रेक्टर पर ड्यूटी बढ़ाई। 35 हार्स पावर के ऊपर के ट्रेक्टरों पर ड्यूटी बढ़ाई। जो किसान पहले से मर रहा है आप उस पर और बोझ लाद रहे हैं। आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कितने मरे, पंजाब और हरियाणा में कितने किसानों ने आत्महत्या की, क्या कोई गिनती है? इनके लिए थोडा सा तो सोचें। उनकी फसल तबाह हो गई, सारा कुछ चौपट हो गया लेकिन उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हम इंश्योरेंस पालिसी की योजना लाएंगे। यहां कृषि मंत्री जी ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि आ जाएंगी, आ रही हैं, यह सुनते–सुनते जिन्दगी ने दम तोड़ दिया। आप किस तरीके से करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? अगर काम करना है तो बताइए कि कब और किस तरह से ला रहे हैं। "माना कि तवाक्कुल न करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक," यही मुझे नजर आता है। किसान तो मर रहा है, आप उसके लिए कब सोचेंगे ? हमने उसके लिए कुछ किया था। उसका उद्धार आगे आप करो। हमने जो किया, आप उससे आगे करो। हमने छोटी सी पगडंडी बनाई, आप उसे सडक बना दीजिए।.... *(व्यवधान)* रास्ता बना दिया, अब आप आगे निकल जाइए। सड़क खोल दी, फाटक खोल दिया, अब आप आगे बढ जाओ। मेरा कहना है कि इनडिविजुअल पालिसी बनाएं, इस पर हमें किस तरह से काम करना है, यह देखें। मैं किसान की बात कर रहा हूं। ट्रेक्टर की कीमत 6,000 रुपये से 9,000 तक बढ जाएगी। भारत में 60 प्रतिशत ट्रेक्टर 35 हार्स पावर के ऊपर हैं। जहां अन्न उत्पादन होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या जहां भी होता है, आप देखिये, आप क्यों किसानों को मारना चाहते हैं। कुछ उनके बारे में सोचें कि ये हमारे किसान हैं। कुछ तो आप किसानों के लिए करिये। कपास की फसल नष्ट होने से किसान कठिनाई में पड जाएगा। आप बडे ट्रेक्टरों पर बढाई गयी एक्साइज ड्यूटी को फौरन वापस करिये, यह मेरी मांग है। किसान डीजल लेता है, आपने डीजल की कीमत बढा दी, फिर आप कहते हैं आप किसानों की मदद कर रहे हैं। उसकी कपास, मुंगफली, सोयाबीन की खेती तबाह हो गयी। आपकी तरफ से उसको पैसा नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। आपने नाबाड में कुछ पैसा बढाया। किसान ने 40–50 प्रतिशत ब्याज पर पैसा लिया लेकिन जब वह पैसा नहीं दे पाया तो वह मर गया, आत्महत्या कर ली, फांसी उसने खा ली। मैंने खुद लाश देखी है। किसान के बच्चे तड़प रहे थे, उसकी विधवा भूखी बैठी थी, उसके बच्चे बेसहारा हो गये हैं।

हमारे देश में कृषि पर 65 प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं। उसकी इन्वेस्टमेंट 50.55 प्रतिशत से 24 प्रतिशत पर आ गयी है। सबसे बड़ी समस्या छोटे किसान की हैं। आपको उनके लिए नये रोजगार सृजित करने चाहिए। अपने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नही रखा। हमारी कितनी पैरिशेबल चीजों का विनाश होता है। दुनिया में हमारा फलों में पहला नम्बर है। सब्जियों में हम चीन का मुकाबला करते हैं और दूध में हम अपने देश को अमरीका के मुकाबले में ले आए हैं। आप किसानो को ईनाम देने के बजाए उनको दंडित क्यों करते है। उनके लिए पोस्ट–हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है, उनके लिए न ग्रेडिंग है, न पैकेजिंग है, न प्रोसेसिंग है, न फोरवर्डिंग है, न ट्रांसपोर्टेशन है, न स्टोरेज फैसिलिटी का प्रबंध है। बाहर के देशों मे 45–50 प्रतिशत सब्जियों और फलों को डिब्बा बंद कर दिया जाता है, यहां पर तो 25–30 प्रतिशत नष्ट हो जाते हैं। यहां पर तो प्याज 40–50 रुपये किलो तक हो जाता है। आज हालत क्या है? सवा या डेढ रुपये किलो प्याज बिक रही है, उनकी मजदूरी पूरी नहीं होती है। किसान की मुसीबत है। वह पैदा करे तब भी मरता है, न करे तब भी मरता है। वह मरने के लिए बना है। उसके लिए सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया है। आज किसानों को हमदर्दी की आवश्यकता है। आज गांव में 74 प्रतिशत लोग रहते हैं। उनकी जमीनें छोटी–छोटी हो गयी हैं, लेकिन उद्योग का कोई चांस नहीं है। हम कृषि में तो मुकाबला कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई में हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। शहरों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और तीन–तीन हजार रुपया मासिक ट्यूशन फीस देते हैं, उनका मुकाबला गांव के बच्चे नहीं कर पाते है। कुछ एग्रो–बेस कंसोरटियम बनाकर उनके लिए नौकरी का इंतजाम शुरु

कर दो, टैक्नीकल काम उन्हें सिखा दो, वह भी आप नहीं सिखाते हैं।

आप कोओपरेटिव्ज की बात करते है। आपने उसके लिए बहुत अच्छा बिल बनाया है। लेकिन आप कहते हैं कि कोओपरेटिव्ज का काम स्टेट करें, हम कुछ नहीं करेंगे। आप कोओपरेटिव्ज को तबाह करना चाहते हैं।

मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा कि 30 वर्ष पुराना इन्कम टैक्स कोओपरेटिव्ज पर वसूल किया जा रहा है। यह कभी आपने सुना है। आप क्या करना चाहते हैं? मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जरा इस बारे में सोचें। इस तरीके से काम नहीं होता है। नैफेड को 84 करोड़ रुपया देना है। उसका इलेक्शन हो गया, इन्होंने जो नाम रखा था वह जीता नहीं, हार गया। आज उसको तबाह करने पर आप तुले हैं। आप क्या करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते है? इसका क्या मतलब है? आपने उनसे सारे का सारा वापिस ले लिया। उन्हें महाराष्ट्र के बारे में पता नहीं है। इन्हें देने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन महाराष्ट्र के पास कोई अनुबंध नही था। महाराष्ट्र की मार्किटिंग की जो फैडरेशन है, उनके पास कोई साधन नहीं थे। आप इन्हें क्यो सजा दे रहे है? केवल प्याज की बात नहीं है, यह किसान की बात है। मुझे और किसी से मतलब नहीं है। मैं केवल एक बात जानता हूं कि किसान चाहे आपका हो या मेरा, इस कोने का हो या उस कोने का, उसका भला होना चाहिए लेकिन आप उसे तबाह करना चाहते हैं। आप उनके लिए कोई पालिसी नहीं बना रहे है। गवर्नमैंट उस पर कब्जा किए बैठी है जबकि उस पर सरकार का एक पैसा नही लगा है। आप इसकी इनक्वायरी कर रहे हैं। आप किस बात की इनक्वायरी करना चाहते है? आप इनक्वायरी करने वाले कौन होते हैं? आपको उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। उन्हें देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप डंडा लेकर किसान को तबाह कर रहे हैं। मैं आपके काम के बारे में सोच कर ज्यादा कुंठित हो जाता हूं। आज जितने भी काम हो रहे है, मैं उन्हें देख रहा हूं। इनका विचार करने का ढंग देखिए।

[अनुवाद]

वर्ष 1997–98 का बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री ने 15 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का आकलन किया था जो कभी भी पूरा नहीं हुआ। 1997–98 में कर संग्रहण में तेज गिरावट के कारण प्रमुख करों से राजस्व जुटाने में काफी कमी आई। आयात में मंदी के कारण सीमा शुल्क में बजट अनुमानों से 11550 करोड़ रुपये कम वसूली हुई और धीमी औद्योगिक वृद्धि के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बजट अनुमानों से 2,383 करोड़ रुपये कम रहा, 1998–99 और 1999–2000 का बजत प्रस्तुत करते हुए वर्तमान वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने पिछले अनुभवों से सबक नहीं लिया। 1998–99 में श्री सिन्हा ने 17 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया था और 1999–2000 में 20 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है, यह अतिशय आशावादी हैं।

[हिन्दी]

मुझे समझ नहीं आता कि किस बात को सोच कर ऐसा करना चाहते हैं और क्यो करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

दो वर्षों अर्थात 1997–98 और 1998–99 में 9000 करोड रुपये से अधिक कमी रही है। यह बात ध्यान में रखी जाए कि 1997–98 में 7000 करोड़ रुपये से अधिक राशि आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना, 1997 से प्राप्त हुई थी। आयकर के अधीन आय की उस वर्ष यह गिरावट और अधिक रहती एक बारगी स्वैच्छिक घोषणा योजना से 7000 करोड़ रुपये प्राप्त न हुए होते तो, यदि सरकारी राजस्व की सुविधाजनक तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए प्राप्तियों को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने और व्यय को संकुचित करने का जानबूझ कर प्रयास नहीं किया गया था तो ऐसा भारी अन्तर क्यों हो।

आप कुछ बातों पर एक निश्चित तरीके से छदमावरण क्यों डालना चाहते हैं।

[हिन्दी]

आप सीधे–सीधे बताइए कि यह घपला है, इतनी कमी है और हम मिल कर इसे दूर करना चाहते है, तभी कोई बात बन सकती है। बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अनुसार काम करके बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

वर्ष 1995–96 में हालांकि संशोधित अनुमान चरण में केन्द्रीय योजना परिव्यय 78849 करोड रुपये के बजट अनुमान से में 4255 करोड़ रुपये घटकर 74594 करोड़ रुपये रहा किंतु बजटीय सहायता में केवल 164 करोड रुपये की कमी पाई थी। बजटीय सहायता 28,994 करोड रुपये से 164 करोड रुपये घटकर 28830 करोड़ रुपये रह गयी थी।

तालिका से स्पष्ट होगा कि इन तीनों वर्षों में केन्द्रीय योजना व्यय कम रहा किंतु गैर योजना व्यय अधिक था। इन तीन वर्षो में केन्द्रीय योजना का धीमा कार्यान्वयन किया गया। इसलिए इस बात पर कोई हैरानी नहीं हैं कि गैर–योजनाव्यय की पूर्ति के लिए विकास की बलि चढ़ाई गयी है। आपने प्लान में पैसा कम कर दिया और एक्सपेंडीचर ज्यादा बढ़ा दिया, 1998–99 में ब्याज अदायगी राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में बजट अनुमान चरण के 46.3 प्रतिशत से बढ़कर संशोधित अनुमान चरण में 49 प्रतिशत हो गई। 1997.98 में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगी बजट अनुमान स्तर पर जो 44.4 प्रतिशत थी संशोधित अनुमान चरण में 47.4 प्रतिशत हो गयी। 1997–98 में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रुप में ब्याज अदायगी कम होकर 44.7 प्रतिशत हो गई। इसलिए हमें हमेशा इसकी तुलना करनी होगी और

(श्री बलराम जाखड़)

देखना होगा कि स्थितियों में गिरावट की प्रवृत्ति जारी है। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा।

बजट में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भी उत्प्रेरक दिए गए है जो अब एक पावन कामना बन गई है। हम इस पावन कामना में नहीं जीना चाहते हैं। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का संबंध है हम उसकी प्रगति चाहते हैं।

[हिन्दी]

ये सारी बातें सरकार को देखनी चाहिए। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लैटिच्यूड और गलत धारणाओं से देश को गुमराह न किया जाये। सरकार सामने आये और बताये कि उसने क्या किया और वह क्या करना चाहती है। कुछ कंक्रीट स्टैप्स लिये जाये क्योंकि जो बजट दिया गया है, उसमें सार्थकता कम है और धोखा ज्यादा है। वित्त मंत्री जी को हमारे सामने आना चाहिये और वे बताये कि कृषि को–आप्रेटिव और इन्वेस्टमेंट पर किस तरह से लोगों में कांफिडेंस बनेगा, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिये, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये और बेघरों को घर देने के लिये सरकार क्या कर रही है। केवल नाम बदलने से रोजगार नहीं मिलेगा। इस टैक्नीक को बंद करके सार्थकता पर हमारा साथ दें ताकि हम लोग सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकें।

श्री शांता कुमार (कांगड़ा) : सभापति महोदय, इस वर्ष के जनरल बजट पर बोलते हुये विपक्ष की ओर से डॉ. बलराम जाखड़ ने बहुत कुछ कहा है। मैं समझता हूं कि या तो उन्होंने पूरा बजट पढ़ा नहीं या इसमें अन्तर्निहित अच्छी बातों का उल्लेख करने में संकोच किया है। मैं समझता हूं कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को प्रकाश में रखते हुये इस बार का बजट बहुत सोचकर विचार करके प्रस्तुत किया गया है।

सभापति जी, डॉ. बलराम जाखड़ मुख्य बातों में से बेरोजगारी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जिक्र कर रहे थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा, उससे कुछ सहमत जरूर हूं लेकिन यह परिस्थिति पिछले 11–12 महीनों का नतीजा नहीं है। यह सब कुछ पिछले 50 सालों की नीति का परिणाम है। इसलिये जर्जर होती विरासत में मिली आर्थिक परिस्थिति में जिस बजट को बनाया गया है, वह सरकार ने सराहनीय काम किया है। इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति जी, इस बजट में जो मूल बातें हैं, उन सब में मुख्य बात यह है कि विकास कार्यों में जनता को जोड़ने की कोशिश की गई है। किसानों, मजदूरों और ग्राम सभाओं को विशेष स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। यह पहला मौका है कि केन्द्र सरकार सीधे–सीधे ग्राम सभाओं पर विश्वास करेगी और उन्हें धन देगी। विकास की सारी जिम्मेदारी ग्राम सभाओं पर दी जायेगी। इसमें ग्राम सभा वर्ष मनाने की बात कही गई है, कर–ढांचे को सुरक्षित करने की कोशिश की गई है और उसे पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम के अंदर विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को इक्ट्ठा किया गया है।

जो अलग–अलग योजनाओं के अंतर्गत चलते थे, उन्हें स्ट्रीम लाइन करने की, उन्हें कंसालिडेट करने की कोशिश इस बजट में की गई है। मैं आदरणीय जाखड़ जी से निवेदन करूंगा कि यह स्वतंत्र भारत का पहला बजट है जिसमें गांव का, किसान का, गरीब का ध्यान रखा गया है। जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, जब से विदेशी मल्टी नेशनल कंपनीज आईं, तब से गांव पूरी तरह से उपेक्षित हो गए थे। पहली बार उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई। सरकारी खर्चों पर अंकुश लगाने का एक शुभारंभ इस बजट में किया गया है। देश का घाटा 1,04,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया था, उसे 79,000 करोड़ रुपये पर लाकर 2,000 करोड रुपये घटाने का भी प्रयत्न इस बजट में किया गया है। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में इससे और अच्छे तरीके से बजट पेश नहीं किया जा सकता था। इसमें गांव की, गरीब की, किसान की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि उस दिशा में बहुत सोच–समझकर कुछ नये कार्यक्रम सामने लाए गए है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए पानी चाहिए। इस दृष्टि से जल विकास कार्यक्रमों को इकट्ठा किया गया है। शायद यह बात आदरणीय जाखड़ जी के ध्यान में नहीं आई। बहुत से कार्यक्रम जल के संबंध में, सिंचाई के संबंध में अलग–अलग तरीके से चलते है और अलग–अलग तरीके से चलने के कारण उसका ठीक लाभ गांवों में नहीं पहुंच पाता। यह यह सोची–समझी दूरदर्शी योजना इस बजट में है कि जल विकास के जितने कार्यक्रम है, उनको इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जल विकास का बनाया है। उसके लिए धन का प्रावधान भी केन्द्र सरकार की तरफ से किया गया है।

दूसरी बात, वॉटर शैड डेवलपमेंट फंड भी माननीय जाखड़ जी के ध्यान में नहीं आया। इसमें केन्द्र की सहायता होगी और तीन साल के अंदर 100 प्रायोरिटी जिलों के अंदर वॉटर शैड डैवलपमेंट फंड द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ किये जाएंगे। इससे सिंचाई को एक नयी दिशा मिलेगी। सभापति जी, जाखड़ जी ने ठीक कहा है कि इस देश में भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण सब्जियां और फल नष्ट होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक प्रतिवर्ष 16000 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा – शायद 25,000 करोड रुपये के फल और सब्जियां नष्ट होती हैं क्योंकि रख–रखाव का इंतजाम नहीं है। लेकिन माननीय जाखड जी, आपने बजट की ओर ध्यान नहीं दिया। भंडारण सुविधाओं के लिए कैपिटल सब्सिडी की स्कीम इस बजट में रखी गई है। 12 लाख टन भंडारण की व्यवस्था करने का लक्ष्य तय किया गया है। साढ़े चार लाख टन प्याज के भंडारण की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि भंडारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इस बजट में रखने की कोशिश की गई है। 20 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का

निर्णय हुआ है जिसमें से छः लाख दिये जा चुके हैं। इस से भी किसान को फायदा होगा। बैंको को निर्देश दिया गया है, यह कार्यक्रम भी किसानों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

चौथी बात किसान, गांव और गरीब के लिए आर.आई.डी.एफ. रुरल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की है। इसे 3000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपये किया गया है और उसकी अदायगी पांच साल से बढ़ाकर सात साल की गई है। क्या वह गांवों के लिए नहीं है? क्या यह गावों की आधारभूत संरचना को बढाने के लिए नहीं है? मैं बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि गांवों की दिशा में स्वतंत्र भारत में किसी बजट में कभी इतना अधिक नहीं सोचा गया जितना अधिक इस बार के बजट में सोचा गया है वॉटर यूज़र्स एसोसिएशन को प्रबंध सब्सिडी देने की बात पहली बार इस बजट में कही गई है ताकि जल का उपयोग करने वाले जो संगठन गांवो में हैं, उनके प्रबंध के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाए।

उनका काम बढ़े, उनका कार्यक्रम बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को 168 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान इसी बजट में रखा गया है। कृषि परियोजना व्यय 35 प्रतिशत बढ़ाया गया है। बलराम जाखड़ जी अगर ध्यान से देखेंगे तो उन्हें 35 प्रतिशत बढी हुई फीगर इसमें मिलेगी। इसके अतिरिक्त गांवों में रहने वाले बेसहारा लोगों का भी ध्यान बजट में रखा गया है। इसमें अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। ऐसे गरीब बूढे, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको मासिक दस किलो अनाज मुफ्त देने की घोषणा इस बजट में की गई है। सभापति महोदय, गांवो में रहने वाले लोग सच्चा भारत है। उनकी अनपढ़ता को दूर करने के लिए एक बडा क्रांतिकारी कार्यक्रम एजूकेशन गारंटी स्कीम इस बजट में शुरू किया गया है, जिसके तहत एक लाख आठ हजार प्राथमिक स्कूल इस पंचवर्षीय योजना में खोले जायेगें। गांवो की निरक्षरता दूर होगी, शिक्षा आयेगी, तभी गांव बाकी देश के मुकाबले आयेंगे। यह बात भी आपके ध्यान में नहीं आई। नोबल पुरस्कार विजेता श्री अमर्त्य सेन ने बड़े जोर से यह बात कही कि भारत ने सबसे बडी गलती यह की है कि जो मूल स्रोत विकास का है मानव, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसमें पैसा नहीं लगाया और मैं समझता हूं कि बजट की सारी बातें जो मैं गिना रहा हूं वे गांवों के लिए, गरीब के लिए और आम आदमी के लिए हैं। एजूकेशन गारंटी स्कीम के द्वारा एक लाख आठ हजार नये प्राथमिक स्कूल खोल करके गांवों की अनपढता को दूर किया जायेगा।

सभापति महोदय, ग्रामीण समृद्धि योजना – इसमें ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार दिया गया है। हमने लोकतंत्र का आदर किया है, गांवों का आदर किया है, गावों के चुने हुए लोगों को अधिकार दिया है, उन पर नया विश्वास प्रकट किया है। ग्राम समृद्धि योजना में गांवों की पंचायत को स्वरोजगार की योजना बनाने का अधिकार दिया गया है उनको विश्वास में लिया गया है और इसके लिए धन का प्रावधान किया जायेगा। समग्र आवास योजना में केवल आज आवास ही नहीं, आवास, सफाई व पानी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में गरीब लोगों का विकास करने की बात कही गई है।

सभापति महोदय, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना –इसमें भी गावों के गरीब लोगों को स्वरोजगार के कार्यक्रमों को स्वयं संचालित करने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। यह डीसैण्ट्रलाइजेशन की दिशा नहीं, यह महात्मा गांधी जी का सपना था। एक क्रांतिकारी कदम, एक क्रांतिकारी कार्यक्रम इस बजट में रखा गया है। आपने उद्योगों की बात कही कि गावों में उद्योगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि बजट को दोबारा पढने की कृपा करिये, इसमें यह निर्णय किया गया है कि प्रतिवर्ष सौ ग्राम उद्योग समूह सुस्थापित किये जायेंगे। ग्रामों में उद्योग समूह, सौ क्लस्टर इंडस्ट्रियल, रूरल स्थापित करने का निर्णय इस बजट में किया गया है। इससे सीधे औद्योगीकरण की प्रक्रिया गतिशील होगी। गांवों के लिए पहली बार इतना अधिक धन, गांवों में पहली बार इतनी अधिक योजनाएं, इससे गावों की तरफ जो धन जायेगा तो विकास बढ़ेगा, स्वरोजगार की सारी की सारी कल्पनाएं वहां साकार होंगी। सभापति महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जब मैंने यह सारा बजट पढा तो मुझे राष्ट्र कवि सोहन लाल जी की वह बात याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था – "है सच्चा हिदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में", इसमें गांवों के बारे में पहली बार चिंता हुई है, आपको इस चिंता को एप्रीशिएट करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बजट गांव प्रधान है। यह गांवों के गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और सही अर्थों में यह स्वतंत्र भारत का पहला अंत्योदय बजट है। पीछे रह गये गांवों के लोगों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त बजट में और भी बहुत सी ऐसी बातें है लेकिन मे उनमें से कुछ बातों का जिक्र करूंगा। इसमें गोल्ड बॉण्ड की जो स्कीम है यह इन्नोवेटिव है, कल्पनाशील है, बहुत रचनात्मक है। इस देश के लोगों में सोना रखने की इच्छा है, आदत है और सोना लोगों के पास घरों में भी पड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, उसका कोई उपयोग नहीं होता, तनाव रहता है, चोरियां होती हैं, संभालना पड़ता है। इसलिए यह बहुत सोची–समझी और देश के हित की योजना बानाई गई है। 1998–99 में 614 टन यानी छः लाख किलो सोना आयात किया गया जिस पर भारत को 5–6 हजार करोड रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी। इससे क्या होगा लोगों के पास जो सोना पडा है वह बैंकों में रखने को प्रोत्साहन मिलेगा और उससे सरकार को सोना आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि योजना सफल होगी, तो 5–6 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी और सरकार को केवल 4 प्रतिशत पर विकास के लिए साधन मिलेंगे। सरकार केवल 4 प्रतिशत ब्याज देगी। इतने ब्याज पर कभी भी और कहीं से धन प्राप्त नहीं हो सकता। सरकार को हजारों करोड़ रुपए केवल 4

(श्री शान्ता कुमार)

प्रतिशत ब्याज पर मिलेंगे और देश की जनता को अपना सोना बैंक में रखने की सुविधा मिलेगी जिस पर चार प्रतिशत ब्याज कमाने का अवसर मिलेगा। इससे बढ़िया और रचनात्मक योजना में समझता हूं कि और कोई नहीं हो सकती। यह योजना बांड्स, स्माल सेविंग्स और म्युचुअल फंड की योजनाओं से भी अच्छी योजना है। मैं समझता हूं कि यह सोच–समझ कर, कल्पनाशील और सराहनीय योजना हैं। इसके लिए मैं वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति जी, इस देश की गरीबी, बेरोजगारी पर हम सभी ने चिन्ता प्रकट की है। स्वाभाविक है कि उस दृष्टि से माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, मैं इस सदन का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि सरकार अपने खर्च को कम करने पर गंभीर कदम उठाएगी। यह खाली वायदा नहीं है बल्कि इसे बराबर लागू किया जाएगा। प्रधान मंत्री जी ने कहा है सब्सिडी के प्रश्न पर पूरे सदन में एक सहमति बनाई जानी चाहिए। वास्तव में जिन गरीबों को इसकी जरूरत है उन्हें सब्सिडी दी जाए, लेकिन जहां अनावश्यक है, वह समाप्त की जाए। इन दोनों दिशाओं में कोशिश की है और इस बजट में सरकारी खर्च को घटाने की कोशिश की गई है। जितनी भी सबसिडी इस देश में दी जाती है उसमें से ज्यादातर की आवश्यकता नहीं है। हर प्रदेश की सरकार और हम यहां पर बात करते हैं कि इस क्षेत्र में पैसा बढ़ाकर दिया जाए, उस क्षेत्र में पैसा बढ़ाकर दिया जाए, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वह पैसा आएगा कहां से? मेरा निवेदन है कि पैसा बढ़ाने की बात करने वाले मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि वह पैसा आएगा कहां से।

सभापति महोदय, सबसिडी पर आज हम 1 करोड 40 लाख रुपए खर्च कर रहें हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है इस पर एक सहमति के कि कौन सी सबसिडी आवश्यक है और कौन सी आवश्यक नहीं है। महोदय, सरकार की ओर से एक सर्वेक्षण किया गया था और उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि बहुत सी सबसिडी ऐसी है जिनको समाप्त किया जा सकता है। इस पर सहमति बने तो पैसा बचे। मैं गवर्नमेंट के डिस्कशन पेपर से उस रिपोर्ट के उस हिस्से को पढना चाहता हूं जिसमें सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिए गए हैं :–

[अनुवाद]

"तैयार माल खाद्य पर सब्सिडी के मामले में भी लक्ष्य काफी कम बताए गए हैं और लीकेज संभवी है, इसी तरह उर्वरकों पर दी गई लगभग आधी सब्सिडी किसानों के बाजाए उत्पादकों/वितरकों को दी जाती है। उच्च शिक्षा को दी जाने वाली सब्सिडी का एक बडा भाग मध्य व उच्च आय वर्ग द्वारा विनियंत्रित किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थानों की कमी के कारण प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार, सामूहिक वादविवाद आदि के रूप में गुणवत्ता आधारित प्रक्रिया द्वारा पूरी की जाती है, जहा पर समाज के निर्धन वर्ग आसानी से प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं स्वास्थ्य सब्सिडी की ओर ग्रामीण व धनी वर्ग प्रधान है। अतः हमारी सब्सिडी व्यवस्था वास्तव में प्रगामी नहीं है।"

[हिन्दी]

मैं निवेदन करना चहता हूं कि अभी सरकार ने कुछ सबसिडी कम की जिस पर हमारे मित्रों ने शोर मचाया, गैस पर सबसिडी कम की गई, तो शोर मचाया और कहा कि गैस पर सबसिडी कम करने से गरीबों को नुकसान हुआ।

मैं समझता हूं कि आज जरा इस देश की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। इन आंकडों को देखने की कोशिश करें कि देश का गरीब कैसे रोटी बनाता है?

सभापति जी, आंकडे यह हैं कि आज भी स्वतंत्रता के 50 साल बाद इस देश में 10 प्रतिशत गांव के लोग गोबर के उपलों से खाना बनाते है। 50 साल के बाद आज भी इस देश के गांव में रहने वाले 71 फीसदी लोग अपनी रोटी लकडी से बनाते हैं। गांव में रहने वाले केवल साढ़े तीन प्रतिशत लोग गैस का कनेक्शन लिये हुए हैं। गांव के ये साढे तीन प्रतिशत लोग गरीब नहीं है इसलिए 2200 करोड रुपये की सबसिडी जो गैस पर जाती है, वह गरीब के लिए नहीं है। वह गरीब के पास नहीं आती। जो व्यक्ति सिगरेट पर पैसा खर्च करता है, जो सिनेमा के लिए 100 रुपये की टिकट लेता है, जो किसी रेस्टोरैंट में 500 रुपये या हजार रुपये का बिल चुकाता है, यह 2200 करोड रुपये की सबसिडी उसको जाती है। इस बात को सोचें और विचार करें।

7000 करोड़ रुपये की सबसिडी मिट्टी के तेल पर हम दे रहे हैं, उसका उपयोग कौन करता है? गांव के अंदर मिट्टी के तेल लेने वाले केवल तीन प्रतिशत हैं मिट्टी का तेल शहरों में बिकता नहीं है, वह ब्लैक में जाता है। इस 7000 हजार करोड रुपये की सबसिडी का फायदा गांव के गरीब को, आम आदमी को नहीं होता है, यह ब्लैक में जाता है। डीजल में पेट्रोल की मिलावट होती है। दूसरे शब्दों के अंदर 7000 हजार करोड़ रुपये की सबसिडी हम पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने के लिए देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाये। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है।... *(व्यवधान)* मैंने जो बात कही है। ...*(व्यवधान)* मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस सवाल पर एक सहमति बननी चाहिए कि एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये को जो सबसिडी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दी जाये। मै कहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे जो 32 करोड़ लोग हैं, उनको दुगुनी सबसिडी दे दी जाये। लेकिन यह सबसिडी अमीरों को क्यों जा रही है। आखिर देश को हमें आगे बढाना है इसलिए मैंने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने जो इशारा किया है, उस पर सहमति बने और इन सारी सबसिडीज के बारे में हम विचार करें।

मैं पांचवे पे कमीशन के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो सिफारिशें की है उससे पूरे देश की राज्य सरकारों पर लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। केन्द्र की सरकार पर 10–12 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। इतना भारी बोझ पड़ा कि उस समय की सरकार ने राज्यों से पूछा ही नहीं, राज्यों से सलाह नहीं की और बिना राज्यों से पूछे निर्णय कर दिया जिसका प्रभाव वहां पर पडा। पे कमीशन ने और बातें कही थीं कि साढ़े तीन लाख पद न भरे जायें, दस साल में सरकार का साइज 30 प्रतिशत कम किया जाये और 40 वर्किंग डे बढाये जायें। उसके बारे में नहीं सोचा गया।

मैं बुनियादी बात कहना चाहता हूं कि पे कमीशन जब बनता है तब उसका एप्रोच क्या होता है? लोग बैठते हैं और कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी की जरूरतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, उसका स्टेटस बढ़ गया इसलिए उसको पैसा दो और वह पैसा दे दिया जाता है। मेरे विचार से यह एप्रोच गलत है, एप्रोच यह होना चाहिए कि देश के पास कुल कितने साधन हैं? 32 करोड़ लोग हर रोज भूखे सोते हैं? उनको भी देना है। जो आर्गनाईज सैक्टर हैं, वे शोर मचाकर सब कुछ ले जाते हैं लेकिन जो गरीब शोर नहीं मचा सकते, सड़क पर नहीं आ सकते, उसके बारे में अगर यह सदन नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एप्रोच इन सवालों पर बनना चाहिए।

मैं सार्वजनिक उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इससे दो लाख चार हजार करोड़ रुपये लगे हैं और उनमें 41 हजार करोड रुपये का घाटा है। उसमें 10 हजार करोड़ रुपये डिसइन्वैस्टमैंट करने का निर्णय माननीय वित्तमंत्री जी का सराहनीय कदम है। मैं चाहूंगा कि इससे अधिक करने की कोशिश करनी चाहिए। यह देश का धन है जो वहां पर लगा है और घाटा दे रहा है। इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। पिछले वर्ष 5 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था लेकिन 8 हजार करोड़ रुपये की डिसइन्वैस्टमैंट हुई हालांकि समय केवल नौ महीने का था। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस प्रकार के उद्योगों को, जिनके बारे में कमीशन की ओर से सलाह आई है, हमें थोडे शेयर्स रिलीज करने चाहिए, मैनेजमेंट एफीशैंट प्राइवेट हाथों में देनी चाहिए, जब शेयर्स की कीमत बढ़े तब बाकी शेयर्स रिलीज करने चाहिए। इससे उन सिक यूनिट्स में ऐफीशैंसी आएगी, वे ठीक होंगी और सरकार को अधिक पैसा मिलेगा।

सरकारी खर्चों को कम करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, माननीय वित्त मंत्री जी ने उस दिशा में शुरुआत की, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। सरकार ने सरकारी खर्चे कम करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है, यह सराहनीय बात है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह इच्छा केवल इच्छा न रहकर इच्छा शक्ति बननी चाहिए। उधर से बिल्कुल ठीक कहा गया कि देश की हालत काफी खराब है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पचास साल के बाद हमारे देश की क्या हालत है। जब इस पर विचार किया जाता है तो कई बार मन बड़ा परेशान होता है। पिछले सात सालों के अंदर लगातार यह स्थिति आ रही है कि टोटल डैट सर्विसिंग को पूरा करने के लिए भी हमारी आमदनी नहीं है। इस साल की हालत यह है कि हमारी शुद्ध रिवैन्यू रिसीट 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपये है, लेकिन पिछले उधारों की वापसी 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये है, उधारों का ब्याज 88 हजार करोड़ रुपये, टोटल डैट सर्विसिंग 1 लाख 95 हजार करोड़ रुपये और आमदनी 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपये है। हम पचास सालों में कहां पहुंच गए। जो इनकम आ रही है, उससे डैट सर्विसिंग नहीं हो पाएगी और पिछले सात साल से यह हालत चल रही है। आज देश पर 8 लाख 50 हजार करोड़ रुपये उधार हो गया है। यह पचास साल की आर्थिक नीतियों का परिणाम है। इसका अर्थ यह है कि प्लान एक्सपैंडीचर, नॉनप्लान एक्सपैंडीचर, तनख्वाह देने का काम आदि उधार लेकर किए जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। इसलिए परस्पर सहमति से कुछ कड़वे फैसले लेने चाहिए।

सरकारी खर्च कम करने के बारे में हमारी सरकार चिंतित है, प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प प्रकट किया है, वित्तमंत्री जी ने कहा है। यह क्यों जरूरी है? आंकड़े देखें तो बड़ी परेशानी होती है। 16 साल में सरकार का खर्चा कितना बढ़ा, मेरे पास उसके आंकड़े हैं। 1980–81 में भारत सरकार का नॉन डेवलपमेंट एक्सपैंडीचर 9867 करोड रुपये था और 16 साल के बाद 1996 मे यह खर्चा 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये हो गया। प्रदेशों का खर्चा 1980 में 4200 करोड़ रुपये था जो 1996 मे 63 हजार करोड रुपये हो गया। देश का कुल नान डेवलपमेंट खर्चा 1980 में 37 हजार करोड़ रुपये था जो 16 साल बाद 1996 में 3 लाख 43 हजार करोड रुपये हो गया। बेतहाशा, बिना सोचे–समझे यह वृद्धि, मुझे लगता है कि जब देश गुलाम था, जो शहनशाह थे, मुगलियत सल्तनत के नवाब थे, वे भी इतनी बेरहमी से देश के धन को इस ढंग से बेतहाशा खर्चे बढ़ाकर नहीं करते थे जिस ढंग से पिछले दिनों हुआ है।

अगर हम अपनी इन्कम से तनख्वाह नहीं दे सकते, तो जैसा मैंने कहा, इस पर गहराई से देखें। अगर किसी घर की आय 100 रुपये हो और उधारों की वापसी 150 रुपये करनी हो तो वह घर उजड़ जायेगा। 50 साल के बाद इस देश को भी यहां पहुंचा दिया गया है। इसलिए सरकारी खर्च घटाने की दिशा में जो प्रयत्न शुरू किया है, मैं उसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह काफी नहीं है। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसमें बहुत स्कोप है।

हिमाचल प्रदेश में भी संकट आया था, जब मैं मुख्य मंत्री था। हमने एक साल में 54 करोड़ रुपये की बचत की थी। कुछ निर्णय कर लिये, क्लास वन, क्लास टू के जितने पद खाली थे, हमने कही

(श्री शान्ता कुमार)

नहीं भरा। शानो-शौकत, ताम-झाम, तडक-भडक कम की, टेलीफोन काटे, टेलीफोनों पर सीलिंग लगाई, सरकारी गाडियों पर सीलिंग लगाई और एक साल में 54 करोड रुपये की बचत हिमाचल प्रदेश ने की थी। मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में एक सहमति बनायें, वित्त मंत्री जी को शक्ति दें, बल दें। वित्त मंत्री जी इस दिशा में प्रयत्न करें। मैं यह समझता हूं कि यदि प्रयत्न किया जाये तो नॉन डवलपमेंट्ल खर्चे को कम करने के लिए बहुत स्कोप है। हम एक गरीब देश की सरकार हैं, जिस देश में 32 करोड लोग रोज रात को भूखे पेट सोते हैं, हम उस देश की सरकार हैं, इसलिए फिजूल खर्ची कम की जाये, बन्द की जाये। ताम-झाम, तडक-भड़क, जश्न, इस किस्म की सारी बातें पूरी सरकार के अन्दर ऊपर से लेकर नीचे तक कम करके एक सादगी की संस्कृति स्थापित करने की कोशिश की जाये। जो क्लास वन, क्लास टू के खाली पद पड़े हैं, कोई बहुत आवश्यकता हो, तभी भरे जायें, नहीं तो उन सारे पदों को न भरा जाये। विदेशी दौरों पर अंकुश लगाया जाये, गाडियों के काफिलों के दौड़ने पर अंकुश हो। टेलीफोनों पर कितना खर्चा होता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में जब हमने टेलीफोनों को रोकने की कोशिश की तो ऐसे अधिकारी, जिनको कभी पांच बजे के बाद टेलीफोन करने की जरूरत नहीं थी, उनके बिल 22,000 रुपये 32,000 रुपये के हमने देखे। हमने सब के टेलीफोन बन्द कर दिये, उन पर अंकुश लगा दिया।

एक-एक बूंद बचायी जाये तो समुद्र भरता है, एक-एक बूंद लुटाई जाये तो समुद्र खाली हो जाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडीचर के अन्दर शानो-शौकत बन्द की जाये, सादगी लाई जाये, खाली पदों को न भरने का निर्णय आप सब के सहयोग से किया जाये, विदेशी दौरों में कमी की जाये।

आजकल हमारे पास कलैण्डर डायरियां आ रही हैं, मैं आजकल जिस घर में रह रहा हूं, उसके चार कमरे हैं और 20-25 कैलेण्डर आ गये हैं। इम्पोर्टिड आर्ट पेपर पर मैंने कुछ विभागों की रिपोर्ट देखी जो हमें आई थीं। उन्हें कोई पढ़ेगा, कोई नही पढ़ेगा, वे अलमारी में रखी रहेंगी, फिर रद्दी में जाएंगी। इम्पोर्टिड आर्ट पेपर की एक-एक रिपोर्ट 500 रुपये, 1,000 रुपये से कम नहीं पड़ेगी। हम गरीब मुल्क के हैं, सादे कागज पर रिपोर्ट क्यों नहीं छपती? सरकार का केवल एक विभाग कलैण्डर क्यों नहीं छापता? 32 करोड लोग रात को भूखे सोते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक सहमति बनाकर सादगी का वातावरण पूरे देश में लाने की कोशिश की जाये। मेरे अनुभव है, मैं विश्वास से यह कहता हूं कि यदि यह सादगी का वातावरण लाने की कोशिश की जाये तो कम से कम 10 परसेंट नॉन प्लान, नॉन डवलपमेंटल खर्चे में बचत भारत सरकार कर सकती है और वह 20,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। कम से कम 10 परसेंट की बचत प्रदेश की सरकारें कर सकती हैं, वह 25,000 करोड रुपये की बचत होगी। लेकिन ये सारी बातें तभी हो सकती हैं, जब सब लोग मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करेगें।

मैं अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूं, आज यहां सुबह-सुबह चर्चा हुई, कल दिल्ली में यमुना के किनारे कुछ झोंपड़ियां जल गईं। इस समय उन घरों में मातम की काली छाया है। हमने यहां कुछ बातें की, कुछ शोर मचाया, सहानुभूति प्रकट की। कमीशन बैठेगा, चर्चा होगी, चर्चा बन्द हो जायेगी, फिर कहीं आग लगेगी। आखिर सोचने का विषय तो यह है कि 50 साल की आजादी के बाद यहां दिल्ली में हम सब की नाक के नीचे लाखों लोग झोंपडियों में क्यों रहते हैं ? आखिर हम करते क्या रहे? आजादी के सूर्य की किरण गरीब की झोपडी में नहीं पहुंची है।

सांय 7.00 बजे

इसलिए कुछ कठोर निर्णय करना जरुरी है। मैं समझता हूं आवश्यकता इस बात की है कि देश में जो ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, यह 50 साल की नीतियों का परिणाम है। आज देश में आर्थिक रूप से विशेष परिस्थिति है, यह सोचकर सब लोग मिलकर एक सहमति बनाने की कोशिश करें और सहमति बना कर कुछ बुनियादी, क्रांतिकारी परिवर्तन आर्थिक नीतियों में लाएं। इस दिशा में आज प्रधान मंत्री जी ने जो जिक्र किया, मैं समझता हूं वह बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र है कि सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि की है। इसको रोकने की जरूरत है। यदि देश में समय पर पग उठाये होते और 70 करोड़ पर जनसंख्या रोक दी होती तो आज देश की हालत यह नहीं होती। आज हमारे देश में 50 हजार लोग प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हर महीने 15 लाख लोगों की वृद्धि होती है और वर्ष में एक करोड 76 लाख लोग बढ़ जाते हैं। सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए जरूरत इस बात की है बड़े साधन, बड़ा राष्ट्र, इस बारे में सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जा रही है, उस पर ईमानदारी से सख्ती से अमल हो। कोई भी तरीका जो देश के हित में हो सकता है, उसे अपनाना चाहिए, नहीं तो आने वाले कल को अंधकार में धकेलने की कोशिश करेंगे।

हमें सरकारी खर्चों को रोकना चाहिए, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना चाहिए। देश के साधन अन्य ढंग से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं, जो सीधे गरीब तक नही पहुंच पाते। मेरा यह अनुभव है कि जो सब से नीचे बैठा हुआ गरीब है, उस तक कम चीजें पहुंच पाती हैं। इस देश में 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मैं वित्तमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कोई नई योजना, जो केवल उन तक, जो सबसे नीचे बैठे हैं, के लिए बनाएं। पहले भी ऐसा प्रयोग हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हमने अंत्योदय योजना शुरू की थी। एक लाख ऐसे परिवारों कि पहचान की गई थी जो सबसे गरीब है। हमने देखा कि इससे 10 प्रतिशत परिवार एक साल में गरीबी रेखा के ऊपर आए थे। हमारे देश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको लागू करने पर भी हमने देखा है कि नीचे तक कम ही योजनाएं पहुंचती हैं। जो 32 करोड़ लोग भूखे पेट सोने वाले हैं, जिन्हें आजादी का हिस्सा बिल्कुल नहीं मिला, उनको आइडेंटिफाई करके केवल उनके लिए

कोई योजना अंत्योदय के रूप में शुरू करें, ताकि उनको सीधे लाभ हो।

आज की परिस्थिति में जो जर्जर आर्थिक स्थिति हमें विरासत में मिली है, उस पर इतना बढ़िया बजट आजादी के बाद पहली बार पेश किया गया है। यह ग्रामीण प्रधान बजट है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा कि वित्त मंत्री जी को और सरकार को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस परिस्थितियों में बड़ा अच्छा बजट बनाया है। जिसका परिणाम देश की आर्थिक स्थिति पर अच्छा होगा। लेकिन देश की हालत को ठीक करने के लिए मिलकर कदम उठाने होंगे, कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, वरना झुग्गी-झोंपड़ियां इसी तरह से जलती रहेंगी, हम भाषण करते रहेंगे, और कुछ नहीं होगा। इसलिए आर्थिक परिस्थितियों में हम अच्छा निर्णय करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, मैं इस 'बढ़िया बजट' का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ....*(व्यवधान)* क्योंकि आपने इसे बढिया कहा है इसलिए मैंने आपकी बात कोटेशन में रखी है।

[अनुवाद]

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा 27 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत किए गए सामान्य बजट का विरोध करता हूं। इस बजट का विरोध करने के मुख्यतया पांच आधार हैं।

ये आधार क्या है? वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस सामान्य बजट में दिशा का अभाव है। यह दिशाहीन बजट है। मैं कह सकता हूं कि यह थोपें आंकड़ों युक्त एक निरर्थक कवायद है। हाथ की सफाई से वे कुछ जादू दिखाना चाहते थे, किंतु भारत की जनता और भारत के बारे में सोचने वाले लोग इस पर कभी भी विश्वास नहीं करें। अपितु वे उनके आंकड़ों और इस सब के बारे में प्रश्न पूछेंगे। उस पर मैं बाद में बोलूंगा।

यह बजट बुरी तरह विफल हुआ है। मैं 'बुरी तरह' शब्दों की पुनरावृत्ति करता हूं .... की ओर ध्यान दिलाने ...

श्री सत्यपाल जैन : क्या आप आज उसी बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं?

श्री रूपचन्द पाल : नहीं, मै उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और वे कितनी बुरी तरह विफल हैं उस पर बोल रहा हूं। यह वर्ष 1998-99 का आर्थिक सर्वेक्षण है। हम मुख्य सूचक पर गौर करें, मैं केवल दो या तीन पंक्तियां पढ़ूगा। मेरे विचार से सदस्यों ने इसे अवश्य पढ़ा होगा।

मैं औद्योगिक उत्पादन पर आता हूं, वर्ष 1995-96 के दौरान औद्योगिक उत्पादन 12.8 प्रतिशत था। वर्ष 1996-97 के दौरान यह 5.6 प्रतिशत था, वर्ष 1997-98 के दौरान यह 6.6 प्रतिशत था और इस वर्ष प्रेस में यह खबर है कि यह 3.5 प्रतिशत है। वित्त मंत्री भी इस बात से सहमत हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में भी वैसी ही मंदी की दशा है जो सारे देश में व्याप्त है।

जब हम पूर्वी एशियाई संकट के बारे में चर्चा कर रहे थे तो यह सरकार बड़ी वाकपटुता से कह रही थी कि हम पर संकट का प्रभाव नहीं पड़ा हैं, हम पर कोई अल्पकालीन ऋण नहीं है। साथ ही हमने 'पूंजी परिवर्तनीयता नहीं अपनाई है। तब वे बुद्धिमान बन गए। जो इसकी वकालत कर रहे थे उन्होंने पलटी खाई और अब उस बात पर गर्व कर रहें है जो वे करना चाहते थे किंतु कर नहीं सके। रुग्ण अर्थव्यवस्था, मंदी से प्रभावित औद्योगिक क्षेत्र और निर्यात में नकारात्मक वृद्धि के बारे में मैं आंकडों को उद्धृत नहीं कर रहा हूं। ये मुख्य सूचकों में दिए गए हैं।

मैं सामान्य बजट का विरोध इसलिए भी करता हूं कि इसमें खाद्यान्न उत्पादन, बढती बेरोजगारी, आम आदमी पर मंहगाई का असहनीय बोझ, बढ़ती निर्धनता, इस देश के करोड़ों गरीब लोगों व मुट्ठी भर धनी लोगों के बीच बढ़ते अन्तर पर ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में इन सभी गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इस बजट का इसलिए भी विरोध करता हूं क्योंकि हमारी स्वाधीनता के 'स्वर्ण जयन्ती' वर्ष में इस देश की आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रखने के लिए ठोस, जानबूझकर और नियोजित चाल चली गई है। वे हमारी आत्मनिर्भरता के आधार को क्षीण करना चाहते हैं। उन्होंने पूरे तौर पर निजीकरण करने और ईक्विटी अदला-बदली अर्थात् तीन लाभ कमाने वाले सरकारी उपक्रमों तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय तेल निगम और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के बीच 'क्रास होल्डिंग' के माध्यम से हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जानबूझकर कमजोर करने का निर्णय किया है, और इस सरकार ने बड़े ही अनैतिक ढंग से 3500 करोड़ रुपये कमाए। मैं 'अनैतिक' शब्द की पुनरावृत्ति करता हूँ।

सायं 7.09 बजे

(श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए)*

अब हम पाते है कि सरकार के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी कह रहे हैं कि यदि इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्यों में गिरावट आती है तो वे स्वयं जिम्मेदार होगें। उन्होंने जनता को उन कारणों के बारे में विश्वास में क्यों नहीं लिया। जिनके कारण ऐसे उपाय करने पडे और जिम्मेदारी उन पर अर्थात् इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन पर डाल दी हैं। किंतु यह निर्णय उनके द्वारा थोपा गया है। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् आत्मनिर्भरता के आधार पर कमजोर करने के लिए किया गया है।

(श्री रूपचन्द पाल)

महोदय, इस सरकार ने देश को पहले ही ऋण जाल में फंसा दिया है। ऋण जाल क्या है? ऋण जाल उसे कहते हैं जब ऋण सेवा के लिए हमारे दायित्व ऋणों से अधिक हों। अर्थात् जो आप ऋण लेते हैं उससे अधिक राशि आपको ऋण सेवा के लिए चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से सीधे पूछता हूं। उन्होंने कहा है :

"उधार आदि के माध्यम से प्राप्तियां 79,955 करोड रुपये होगी।"

नई लेखा पद्धति सामने आई है। उस पर मैं बाद में बोलूगा, इस बजट में यह कुछ नया है। एक नई लेखा पद्धति है नई श्रृखलाएं हैं, नई लेखा पद्धति में अल्प बचत ऋण को छोड दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप सरकार के लिए आंकडे सुविधाजनक बन गए हैं। उसमें विश्वसनीयता का अभाव है। वित्त मंत्री ने हाथ की सफाई, हेरफेर और नई लेखा पद्धति, नई श्रृखलाओं और नए करों के द्वारा अर्थव्यवस्था की जादुई तस्वीर पेश करने का प्रयास किया है। यह बाजीगरी है।

वे कहते है कि वे 57,461 करोड रुपये का ऋण लेंगे जो चालू वर्ष से 64909 करोड रुपये कम है। किंतु विगत अनेक वर्षों जब से तथाकथित आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे के अनुभव क्या बताते हैं? आपने इन्हें शुरू नही किया। आप प्रतिवर्ष भारत विरोधी उपायों को आज्ञाकारिता से अपना रहे हैं और उधार बढ रहा है। इसमें यकायक 11 प्रतिशत की कमी कैसे आएगी? *(व्यवधान)* नोबैल पुरस्कार के बारे में मैं बाद में बोलूंगा।

एकमात्र यही संकेत नहीं है। राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हम जानते हैं कि पिछले वर्ष के लक्ष्य का क्या हुआ है। चालू वर्ष का निष्पादन लक्ष्य से काफी कम है। यकायक उन्होंने कल्पना की कि इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। उस पर मैं बाद में बोलूंगा। अभी इसे छोड़ देता हूं। इस पर मैं बाद में बोलूंगा।

वे देश को सीधे ऋण जाल की ओर धकेल रहे है। इस बजट में कुछ नई बातें हैं। वे क्या हैं? पहले, मैं उन नई बातों के बारे में बोलता हूं। पहली यह है कि उन्होंने सीरीज के आधार को बदला है।

दूसरी, उन्होंने लेखा पद्धति को बदला है।

तीसरी, उन्होंने कुछ परियोजनाओं का नाम बदला है जो पंडित नेहरु या श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से चल रहीं थी। उन्होंने इन्हें समाप्त किया है और अपने महान नेता दीनदयाल उपाध्याय का नाम शामिल किया है। यही नहीं पहले बजट भाषण गालिब, इकबाल, रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों से उद्धृत कर समाप्त की जाती थी किंतु अब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कृतियों से उद्धृत कर समाप्त की जाती है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इकबाल, गालिब और टैगोर का स्तर एक ही है। यह बजट की एक नई विशेषता है।

श्री वैको (शिवगामी) : आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी की काव्यात्मकता को नहीं समझ पाए हैं।

श्री रूपचन्द पाल : उसे समझने का प्रयास मैं कुछ महीने बाद करूंगा जब जनता आपको अस्वीकार करेगी जैसा उसने पिछले विधान सभा चुनावों में किया था।

अब 'राष्ट्रीय मानव विकास संबंधी पहल' नाम से एक नई योजना का प्रस्ताव किया गया है जिस पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त विद्वान प्रो. अमर्त्य सेन की छाप है। हम जानते हैं कि जब नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा की गई थी तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य लोगों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, हम जानते हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, हम यह भी जानते हैं सरकार ने उस पर क्या प्रतिक्रिया की थी किंतु मैं यहां उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाद में उन्होंने अपना रुख बदल दिया था। इसलिए मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं। कैसा रुख था? क्या प्रतिक्रिया थी? शिमला स्थित अनुसंधान केन्द्र में क्या हुआ? मैं इस सब के विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि इस पर प्रो. अमर्त्य सेन की छाप है। इस योजना का नाम राष्ट्रीय मानव विकास संबंधी पहल दिया गया है और माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के भाग–एक में यह मिल सकता है।

जैसा आप जानते है प्रो. अमर्त्य सेन और कुछ अन्य लोग – महान पाकिस्तानी अर्थशास्त्री–महबूब–उल–हक संयुक्त राष्ट्र को विशेष रूप से विकास शील देशों के प्रति अपने दृष्टिकोण और निर्णयों को मोड़ने के लिए प्रभावित कर रहे हैं और उन्होंने यह कार्य सफलतापूर्वक किया है। परिणामस्वरूप अन्ततः विश्व बैंक और कई अन्य ऐसी एजेंसियों को राज्यों की भूमिका के बारे में अलग–अलग निर्णय लेने पड़े थे। पहले वे सरकार की न्यूनतम भूमिका की बात करते रहे किंतु अन्ततः विश्व बैंक ने निर्णय किया कि ऐसे क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि में राज्य को भूमिका निभानी होगी जिस में निजी क्षेत्र कभी भी नहीं जाएगा इन क्षेत्रों में कोई लाभ नहीं है।

जब प्रो. अमर्त्य सेन, जैसा कि समाचार में आया है, माननीय वित्त मन्त्री और माननीय प्रधानमंत्री से भी मिले थे – मैं समझता हूं यह बैठक 'ताज मानसिंह' में हुई थी– तो उन्होंने कई सुझाव दिये थे कि यदि भारत को प्रगति करनी है तो उसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा आदि पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। अब उस बैठक के पश्चात् वे राष्ट्रीय मानव विकास पहल की शुरूआत कर रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार वे ही लोग हैं जो ऐसी विचार धारा के साथ आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी कदम उठाए जाएं पंचायतों को इनवाल्व किया जाए।

अब हमें आंकड़ों पर नज़र डालनी चाहिए। मैं एक–एक करके आंकड़ों पर आता हूं। खाद्य सुरक्षा पर, हाल ही में कई मशहूर लोगों द्वारा एक सम्मेलन में भाग लिया गया। डॉ. वन्दना सिन्हा और अन्य

लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया था इस पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में खाद्य की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन पर दिन नीचे आती जा रही है। यह ऐसा समय है जब वे लोग राष्ट्रीय मानव विकास पहल पर विचार कर रहे हैं। लेकिन पहल कैसे की गई है? बजट से पूर्व ही गेहूं, चावल और चीनी के मूल्यों में वृद्धि की गई है। बाद में उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ही इन मूल्यों में कटौती की है। इसको 'गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों' के लिए ही किया गया है यह लक्ष्मण रेखा है। यह सरकार यह भी जानती है कि निम्न मध्यमवर्ग के लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। तकनीकी रूप से यह गरीबी रेखा से नीचे भी है लेकिन इन निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से यह खाद्यान्न सुविधा ले ली गई हैं।

गेहूं, चावल आदि के मूल्यों में वृद्धि करके इन लोगों से खाद्यान्न सुविधा ले लेने के पश्चात् बजट में वे बड़ी शान से कहते है कि वे राष्ट्रीय मानव विकास पहल शुरू कर रहें हैं।

अब हम प्रारम्भिक शिक्षा पर आते हैं। सरकार द्वारा खुद एक अध्ययन कराया गया है। श्री अमर्त्य सेन ने इस मुद्दे पर अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा है। वे कहते हैं कि यदि इच्छाशक्ति है तो धन की किल्लत नहीं होगी धन मार्ग की बाधा नहीं बनेगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तापस मजूमदार अध्ययन में कहते हैं कि यदि सरकार की इच्छा है तभी यह सम्भव है आक्स फोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने बुनियादी शिक्षा पर सार्वजनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं जानता हूं कि अनुमान लगाया गया है कि भारत में 5 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दस वर्षों की अवधि में 1 लाख 13 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। हालांकि मैं नहीं समझता कि यह आकंडा सही है अथवा अध्ययन ठीक होगा क्योंकि बाद में किये गये कई अन्य अध्ययनों के आंकडे अपेक्षित राशि के बारे में अलग–अलग हैं।

अब मैं आंकड़ों पर आ रहा हूं कि राष्ट्रीय मानव विकास को शुरू करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके प्रस्ताव क्या हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि इस शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कई वर्षों के लिए विश्व बैंक, यू एन डी पी आदि जैसे कई सूचक थे। अब मैं प्रारम्भिक शिक्षा के आंकडों पर आता हूं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड और सभी अन्य चीजों के लिए 1998–99 में 304 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसे 1998–99 में संशोधित करके उतना ही रखा गया था। वर्ष 1999–2000 के लिए यह 400 करोड़ रुपये है। कितना कृपापूर्ण कार्य है जिसे उन्होंने इस देश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आधी जनसंख्या और 1/3 से अधिक अनपढ़ों, विशेषकर महिला वर्ग जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता ही नहीं है, के प्रति दर्शाया है। यह उनके द्वारा उठाया गया क्रांतिकारी कदम है। जब सरकार ने अनुमान लगाया है कि अगले दस वर्षों के लिए सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1 लाख और 13 करोड़ की राशि अथवा 10 करोड़ की राशि की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी, उन्होंने अभी 96 करोड़ रुपये ही प्रदान किये है। यह उनके द्वारा उठाया गया क्रांतिकारी कदम है ।

सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में – जिला प्रारम्भिक शिक्षा और सभी अन्य संगत चीजों के लिए–1998–99 के लिए 2780.03 करोड़ रुपये का प्रावधान था और संशोधित धनराशि 2743 थी अर्थात् इसमें कमी की गई। अब उन्होंने कहा है कि यह 3034.95 करोड़ है जो कि कम धनराशि है। क्या में सही कह रहा हूं ? ... *(व्यवधान)* यह अद्भुत वृद्धि है। उनकी सरकार ने अनुमान लगाया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 1 लाख 13 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है। यह तो श्री अमर्त्य सेन के विचारों को केवल बातों में संतुष्ट करने के समान है। यह राष्ट्रीय मानव विकास पहल का विरुद्ध चित्रण है जिसे अन्य देशों में अपनाया जा रहा है। इसी लिए, मानव विकास सूचकांक में हमारा स्थान 138वां है। यहां तक पाकिस्तान हमसे ऊपर है, यहां विश्व के कुछ अन्य छोटे देश हमसे ऊपर है। क्या हमें शर्म नहीं आती है ? हमारे जैसे 98 करोड की जनसंख्या वाले बड़े देश, जहां प्रचुर मात्रा में संसाधन, योग्यता, व्यवसायिक और वैज्ञानिक हैं हमने पोखरन परीक्षण भी किये हैं और पोखरण के पश्चात् हमने पाया है कि हम एक भी स्थान ऊपर नहीं बढ़ पाए हैं और 138 वें सथान पर भी नहीं पहुंच पाए हैं।

पाकिस्तान हमसे ऊपर है। हम एक स्थान भी ऊपर चढ़कर 139 वें स्थान से 138 वें स्थान पर नहीं आ पाए हैं। कई अन्य विशेषणों का उपयोग किया जा रहा है कुछ वर्षों में हम यह होगें अथवा हम वह होगें। हमें सबसे पहले अपनें 139 वें स्थान से 130 वें स्थान तक आना चाहिए। क्या बजट में कुछ प्रावधान किया गया है। जिससे माननीय मंत्री जी सदन को इतना आश्वासन दे सकें ? मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं क्या बजट में कुछ प्रावधान किया गया है जिससे भारत का स्थान 139 से 130 तक लाया जा सके। क्या वह सदन को आश्वस्त करते हैं ? मन्त्री जी में विश्वसनीयता का अभाव है। उन्होंने झूठे आंकड़े दिये हैं। उन्होंने केवल यह नाम देकर लोगों को बेवकूफ बनाया है। यह प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में भी सही हैं।

सरकार द्वारा अध्ययन कराए गए हैं। सरकार निरन्तर रहने वाला निकाय है। सर्वव्यापी प्रतिरक्षण, पल्स पोलियों, मलेरिया, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम आदि के बारे में अध्ययन किये जा रहे हैं। एक बार कहा गया था कि भारत में कुष्ठ रोग समाप्त हो गया है आज भारत के कई हिस्सों में हमें कुष्ठ रोगी दिखाई देते हैं। उनके लिए मन्त्री जी ने बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया है? मैं गलत आकंड़ों को पढ़कर बता सकता हूं। सरकार द्वारा कही गई बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है जिससे ऋण, औद्योगिक मंदी खाद्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा अथवा शिक्षा जैसी नीतियों से निपटने के लिए कोई पहल की गई हों। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा क्या किया जाएगा ? मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि अन्य सदस्य भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया था इस पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में खाद्य की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन पर दिन नीचे आती जा रही है। यह ऐसा समय है जब वे लोग राष्ट्रीय मानव विकास पहल पर विचार कर रहे हैं। लेकिन पहल कैसे की गई है? बजट से पूर्व ही गेहूं, चावल और चीनी के मूल्यों में वृद्धि की गई है। बाद में उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ही इन मूल्यों में कटौती की है। इसको 'गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों' के लिए ही किया गया है यह लक्ष्मण रेखा है। यह सरकार यह भी जानती है कि निम्न मध्यमवर्ग के लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। तकनीकी रूप से यह गरीबी रेखा से नीचे भी है लेकिन इन निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से यह खाद्यान्न सुविधा ले ली गई हैं।

गेहूं, चावल आदि के मूल्यों में वृद्धि करके इन लोगों से खाद्यान्न सुविधा ले लेने के पश्चात् बजट में वे बड़ी शान से कहते है कि वे राष्ट्रीय मानव विकास पहल शुरू कर रहें हैं।

अब हम प्रारम्भिक शिक्षा पर आते हैं। सरकार द्वारा खुद एक अध्ययन कराया गया है। श्री अमर्त्य सेन ने इस मुद्दे पर अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा है। वे कहते हैं कि यदि इच्छाशक्ति है तो धन की किल्लत नहीं होगी धन मार्ग की बाधा नहीं बनेगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तापस मजूमदार अध्ययन में कहते हैं कि यदि सरकार की इच्छा है तभी यह सम्भव है आक्स फोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने बुनियादी शिक्षा पर सार्वजनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं जानता हूं कि अनुमान लगाया गया है कि भारत में 5 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दस वर्षों की अवधि में 1 लाख 13 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। हालांकि मैं नहीं समझता कि यह आकंडा सही है अथवा अध्ययन ठीक होगा क्योंकि बाद में किये गये कई अन्य अध्ययनों के आंकडे अपेक्षित राशि के बारे में अलग–अलग हैं।

अब मैं आंकड़ों पर आ रहा हूं कि राष्ट्रीय मानव विकास को शुरू करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके प्रस्ताव क्या हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि इस शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कई वर्षों के लिए विश्व बैंक, यू एन डी पी आदि जैसे कई सूचक थे। अब मैं प्रारम्भिक शिक्षा के आंकडों पर आता हूं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड और सभी अन्य चीजों के लिए 1998–99 में 304 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसे 1998–99 में संशोधित करके उतना ही रखा गया था। वर्ष 1999–2000 के लिए यह 400 करोड़ रुपये है। कितना कृपापूर्ण कार्य है जिसे उन्होंने इस देश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आधी जनसंख्या और 1/3 से अधिक अनपढ़ों, विशेषकर महिला वर्ग जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता ही नहीं है, के प्रति दर्शाया है। यह उनके द्वारा उठाया गया क्रांतिकारी कदम है। जब सरकार ने अनुमान लगाया है कि अगले दस वर्षों के लिए सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1 लाख और 13 करोड़ की राशि अथवा 10 करोड़ की राशि की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी, उन्होंने अभी 96 करोड़ रुपये ही प्रदान किये है। यह उनके द्वारा उठाया गया क्रांतिकारी कदम है ।

सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में – जिला प्रारम्भिक शिक्षा और सभी अन्य संगत चीजों के लिए–1998–99 के लिए 2780.03 करोड़ रुपये का प्रावधान था और संशोधित धनराशि 2743 थी अर्थात् इसमें कमी की गई। अब उन्होंने कहा है कि यह 3034.95 करोड़ है जो कि कम धनराशि है। क्या में सही कह रहा हूं ? ... *(व्यवधान)* यह अद्भुत वृद्धि है। उनकी सरकार ने अनुमान लगाया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 1 लाख 13 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है। यह तो श्री अमर्त्य सेन के विचारों को केवल बातों में संतुष्ट करने के समान है। यह राष्ट्रीय मानव विकास पहल का विरुद्ध चित्रण है जिसे अन्य देशों में अपनाया जा रहा है। इसी लिए, मानव विकास सूचकांक में हमारा स्थान 138वां है। यहां तक पाकिस्तान हमसे ऊपर है, यहां विश्व के कुछ अन्य छोटे देश हमसे ऊपर है। क्या हमें शर्म नहीं आती है ? हमारे जैसे 98 करोड की जनसंख्या वाले बड़े देश, जहां प्रचुर मात्रा में संसाधन, योग्यता, व्यवसायिक और वैज्ञानिक हैं हमने पोखरन परीक्षण भी किये हैं और पोखरण के पश्चात् हमने पाया है कि हम एक भी स्थान ऊपर नहीं बढ़ पाए हैं और 138 वें सथान पर भी नहीं पहुंच पाए हैं।

पाकिस्तान हमसे ऊपर है। हम एक स्थान भी ऊपर चढ़कर 139 वें स्थान से 138 वें स्थान पर नहीं आ पाए हैं। कई अन्य विशेषणों का उपयोग किया जा रहा है कुछ वर्षों में हम यह होगें अथवा हम वह होगें। हमें सबसे पहले अपनें 139 वें स्थान से 130 वें स्थान तक आना चाहिए। क्या बजट में कुछ प्रावधान किया गया है। जिससे माननीय मंत्री जी सदन को इतना आश्वासन दे सकें ? मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं क्या बजट में कुछ प्रावधान किया गया है जिससे भारत का स्थान 139 से 130 तक लाया जा सके। क्या वह सदन को आश्वस्त करते हैं ? मन्त्री जी में विश्वसनीयता का अभाव है। उन्होंने झूठे आंकड़े दिये हैं। उन्होंने केवल यह नाम देकर लोगों को बेवकूफ बनाया है। यह प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में भी सही हैं।

सरकार द्वारा अध्ययन कराए गए हैं। सरकार निरन्तर रहने वाला निकाय है। सर्वव्यापी प्रतिरक्षण, पल्स पोलियों, मलेरिया, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम आदि के बारे में अध्ययन किये जा रहे हैं। एक बार कहा गया था कि भारत में कुष्ठ रोग समाप्त हो गया है आज भारत के कई हिस्सों में हमें कुष्ठ रोगी दिखाई देते हैं। उनके लिए मन्त्री जी ने बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया है? मैं गलत आकंड़ों को पढ़कर बता सकता हूं। सरकार द्वारा कही गई बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है जिससे ऋण, औद्योगिक मंदी खाद्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा अथवा शिक्षा जैसी नीतियों से निपटने के लिए कोई पहल की गई हों। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा क्या किया जाएगा ? मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि अन्य सदस्य भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

(श्री रूपचन्द पाल)

सरकार ने आम जनता पर अधिक बोझ डाला है। हमारा राजस्व भण्डार 20 प्रतिशत अधिक होता। हमने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का पुर्नगठन किया है। सरकार ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। 11 दरों को घटाकर सरकार ने 3 दरें कर दी हैं। मैं हर चीज के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। ऐलोपैथिक दवाईयां अब मंहगी हो गई हैं। स्वदेशी लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि बीयर, शराब और विहस्की अब सस्ती मिलेगी। अप्रत्यक्ष करों का क्या बढ़िया पुर्नगठन किया गया है। मै कहना चाहता हूं एक्सरे फिल्म महंगी मिलेगी। यद्यपि तपेदिक का पुररुथान हुआ है। अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि एक्सरे फिल्म महंगी मिलेगी सरकार का कहना है कि मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली कई अन्य चीजें उनमें सम्बंधित कई चीजें सस्ती होंगी जबकि मशीनी पुर्जे, बैटरी महंगी होगी ...*(व्यवधान)* वे जानते हैं किस प्रकार इसको किया जाना है। पुर्नगठन के नाम पर सरकार ऐसे उपाय कर रही है जिनका पूरा भार साधारण जनता पर पडेगा।

अब मैं प्रत्यक्ष कर पर आता हू ।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : जिन चीजों के दाम कम हो रहे हैं वे नहीं बताए।

श्री रूपचन्द पाल : व्हिस्की और बीअर के बारे में बताया है।

[अनुवाद]

मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन मुझे कई बातों का उल्लेख करना है स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी? घाटे की पूर्ति के लिए धन कहां से आएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश में 10 हजार करोड रुपये प्राप्त होगें। अब स्थिति ऐसी है कि जब वह कहते हैं कि हम बेचना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि वे खरीदने के इच्छुक नहीं हैं। कई वर्षों से यही अनुभव रहा है। चाहे यह रेल बांड हो अथवा कोई अन्य बांड हो। इस प्रकार सरकार विनिवेश में 10 हजार करोड़ रुपये प्राप्त करना चाहती है परन्तु मैं नहीं समझता कि यह सम्भव हो पायेगा।

अब मैं पूंजी बाजार पर आता हूं। उन्होंने गोल्ड डिपोजिट स्कीम का प्रस्ताव रखा है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। पहले भी गोल्ड बांड स्कीम थी। ऐसी स्कीमें स्वर्गीय मोरारजी देसाई के काल से चली आ रही हैं। मैं भी यहां काफी लम्बे समय से हूं। ऐसी स्कीमें कई बार लाई गई हैं। प्रतिवर्ष नए नामों से अनेक काफी योजनाएं चलाई जाती हैं, अब वे कहते हैं कि भारी मात्रा में आयातित सोना देश में आ रहा है। अब वे गलत कार्य करने वाले उन लोगों को पुरस्कृत करेगें जो सोना लाये हैं और जिसने धन छुपाया है। अब वे गलत कार्य करने वालों को पुरस्कृत कर उस धन को वापस लाएंगें, जमा किए गए सोने का एक हिस्सा तश्करी के माध्यम से आया है जिसमें से कुछ काला धन है जिस पर कर की अपवंचना की गई है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। प्रत्येक पार्टी के लिए निश्चित समय आंबटित किया गया है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, मैं आज आठ बजे तक बोलूगां।

महोदय, मैं काले धन के बारे में कहूँगा कि विगत वर्षों में मुद्रास्फीति और खास तौर पर रुपये की विनिमय दर में गिरावट के कारण सोने के मूल्य में प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी। यह मेरे द्वारा किया गया अध्ययन नहीं है। यह अध्ययन आपके अपने लोगों द्वारा ही किया गया था। लोग कहते हैं कि पैसे को सोने के रूप में रखने से अधिक प्रतिफल मिलता है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है। डा. मनमोहन सिंह के अनुसार बिना किसी माफी के स्वर्ण जमा योजना कभी भी सफल नहीं होगी। इसलिए मैं नहीं जानता कि क्या यह कोई अन्य माफी योजना है क्योंकि इसमें काले धन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यह काले धन के जमाखोरों के लिए घोषित एक पुरस्कार है।

इस बजट को प्रस्तुत करने के तुरंत बाद पूंजी बाजार के लोग बहुत खुश थे क्योंकि पूंजी बाजर में तेजी आ रही थी। निश्चित रूप से वित्त मंत्री की नींद हराम नहीं हो रही थी, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गुब्बारा किसी भी क्षण फट सकता है। क्योंकि यह वृद्धि केवल पांच-छह क्षेत्रों अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी, दो-तीन बैंकों में हिन्दुस्तान लीवर, स्टेट बैंक आफ इंडिया और कुछ अन्य बातों तक सीमित थी। यह विदेशी वित्तीय निवेशकों द्वारा की गई खरीद-फरोख्त के कारण है। मैं नहीं जानता कि प्रतिभूति घोटाले के महान संचालक क्या कर रहे हैं। वह स्टरलाइट विडियोकोन, बी पी एल इत्यादि कंपनियों के शेयरों में कार्य कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि यह हमें डॉ. मनमोहन सिंह के दिनों की याद दिलाता है। जब इस तथ्य की ओर उनका ध्यान दिलाया गया था। उन्होंने कहा था कि इस पर मैं अपनी रातों की नींद हराम नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं जानता कि वित्त मत्री पूंजी बाजार में जो कुछ हो रहा है उस बारे में कुछ सोच रहे हैं या नहीं क्योकि इसका मूल सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं है। देश में औद्योगिक मंदी और मंदी की स्थिति व्याप्त है, निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। किंतु बजट प्रस्तुत करने के बाद पूंजी बाजार में यकायक तेजी आ गयी। जैसा कि वित्त मंत्री ने संकेत दिये थे, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में कटौती कर दी है अतः जिन लोगों का पैसा डाकघर बचत योजनाओं में था उन्होंने बाध्य होकर म्युचुअल फंड में निवेश करना पड़ा।

पहले कदम में डाकघर बचतों पर ब्याज दर कम की गयी और उसके बाद म्युचुअल फंडों को बढ़ावा दिया गया। हम जानते हैं कि हमारे देश में कुछ म्युचुअल फंड के माध्यम से सर्वाधिक अनैतिक लेन-देन किया गया है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ । किंतु अब यह वास्तव में मध्यमवर्गीय लोगों, वेतनभोगी लोगों और उन सेवानिवृत

लोगों को लूटना है जिन्होंने सेवानिवृति के बाद अपना पैसा डाकघर बचत योजना और ऐसी ही अन्य योजनाओं में डाला है। माह के अन्त में उन्हें उनकी कमाई से वंचित किया जाएगा।

बजट के कारण मूल्य वृद्धि होगी। आम आदमी के जरुरत की खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की जाएगी।

सभापति महोदय : शेष बिन्दुओं पर आपकी पार्टी के अन्र सदस्य बोल सकते हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। महोदय, आपकी दिलचस्पी के लिए मैं आपको कुछ बिन्दु बता रहा हूं। यह खुली कार्यसूची है अब तक मैंने गुप्त कार्यसूची के बारे में नहीं बोला है, यह आपके लिए भी रुचिकर होगा क्योंकि आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं।

श्री के. बापीराजू (नरसापुर) : आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस समय वे अध्यक्ष पीठ पर आसीन हैं।

श्री रूपचन्द पाल : ठीक है। क्षमा करें। महोदय आपकी पार्टी सरकार को समर्थन दे रही है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से तीन और सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, उस बारे में मैं बाद में बोलता किंतु यह आपके लिए अत्यन्त रुचिकर है। जब वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी तब हम इसे पुनः लेंगे। किंतु यदि मैं इसका उल्लेख नहीं करता हूं तो मैं अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करूंगा। स्वतंत्र भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं वित्त विधेयक के उपबंधों का स्पष्टीकरण करने वाले ज्ञापन के पृष्ठ 11 का उल्लेख करता हूं।

"निधियों या संस्थाओं को धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान के बाबत कटौती : अनेक संस्थाए प्रायः धार्मिक विश्वास से प्रेरित होकर धर्मार्थ कार्य करती हैं। उन्हें इस धारा के लाभ से वंचित किए बिना इस पहलू का आदर करने देने के लिए धारा 80 छ के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई संख्या या निधि किसी पूर्व वर्ष के दौरान किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए कुल आय के पांच प्रतिशत से कम करती है, तो उसे इस खंड के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।"

अनेक धार्मिक संस्थाएं अक्सर धार्मिक विश्वास से प्रेरित होकर धर्मार्थ कार्य करती रही हैं। वे शंख, पुष्प, कमल और इन सब चीजों पर खर्च करती हैं और भारी राशि जुटाती हैं।

महोदय, हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र है। स्वतंत्र भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि धार्मिक संस्थाओं को धन बटोरने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो। आज हम इस स्थिति में हैं।

उद्योग पूर्णतः मंदी की चपेट में हैं। खाद्यान्न उत्पादन गिर गया है। बेरोजगारी में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन हम सुनते है कि देश के फलां-फलां हिस्सों में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम बंद कर दिये गए हैं।

सभापति महोदय : आपने तीस मिनट ले लिए हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आपने कई वाद-विवादों में भाग लिया है। कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल : मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को खुली बिक्री या ऐसी ही बातों के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है। क्या वे बेइमान निजी कंपनियों पर नजर रखते हैं? मैं केवल एक-दो कंपनियों का नाम लूंगा। डनलप इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी है। मैं प्रधान मंत्री, उद्योग मंत्री और वित्तमंत्री से मिला था। वे जानते हैं कि दुबई स्थित एक अनिवासी भारतीय, जिसके नियंत्रण में अब यह कंपनी है, ने कंपनी के पैसे को उड़ाया है और अब पिछले सात वर्षों से वे पैसा लूट रहे हैं। कंपनी में वित्तीय संस्थाओं के 33 प्रतिशत शेयर हैं। 12 जनवरी, 1998 को वित्तीय संस्था, भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम निर्देशिती ने डनलप इंडिया लिमिटेड को रुग्ण घोषित करने के लिए जानबूझकर इन बेइमान प्रबंधकों के साथ सांठगांठ की।

इस कंपनी में 2500 से अधिक कामगार कार्यरत है। एक लाख से अधिक लोग इस पर निर्भर हैं। लोग भूखों मर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को भी एक कर्मचारी ने आत्महत्या की है। इस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं। यह अच्छी कंपनी है, यह अलग तरह के टायरों का निर्माण कर सकती है, इस कंपनी के टायरों का विदेशों में अच्छा बाजार है। यह रोड टायर, कॉनवेयर बेल्ट, और स्टील कॉर्ड का निर्माण कर रही है। यह अच्छी और प्रख्यात कंपनी है। जबकि वे लोग इसे बर्बाद कर रहे है और वित्तीय संस्थाओं के धन को लूट रहे है। हम मूक दर्शक बने है। यह अन्य बहुत सी कंपनियों के बारे में भी सत्य है।

यह सरकार भेदभाव कर रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं और उसके साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूं। भारतीय स्टेट बैंक कलकत्ता में विदेश विभाग में अन्तर बैंक अन्तरण जैसे कार्यकलाप होते हैं। यकायक सरकार ने निर्णय किया कि इसे मुम्बई स्थानान्तरित किया जाये। हम वित्त मंत्री के पास गये। 17 दिसम्बर को संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर माननीय वित्तमंत्री से बात की और हमें आश्वासन दिया कि इसे स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, फिर भी हम पाते है कि भारतीय स्टेट बैंक, कलकत्ता के विदेश प्रभाग से इन्ट्रा बैंक कार्यों को इस तरह से स्थानान्तरित किया जा रहा है जो सरकार के भेदभावपरक रुख को दर्शाता है।

(श्री रूपचन्द पाल)

एक राज्य में विपक्षी पार्टी सत्तारूढ है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वे राज्य को वित्त से वंचित कर रहे है, लघु बचत के क्षेत्र में वह राज्य अच्छा कार्य कर रहा था। इससे राज्यों को कठिनाई होगी। पश्चिम बंगाल जैसा राज्य लघु बचत के माध्यम से सबसे अधिक राशि जुटा रहा है। *(व्यवधान)* अब मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भाषण समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हर बार आप कुछ बातें कह रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मै इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह जन–विरोधी और गरीब विरोधी है। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री वशिष्ट नारायण सिंह बोलेंगे।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किसी सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नियम का पालन कर रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बशिष्ट नारायण सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री वशिष्ट नारायण सिंह (बिक्रमगंज) : सभापति महोदय, मैं भारत के वित्त मंत्री ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात के लिए निश्चित रूप से श्री यशवंत सिंहा जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि जबकि भारत में वित्तीय संकट और विश्व व्यापार में मंदी चल रही हो, जबकि भारत में बेरोजगारों की संख्या आजादी के इतने वर्षों के बाद बढ़ती गई हो, जबकि भारत में आज यही सवाल उठ रहा हो कि गावों में लाखों–लाख की संख्या में लोगों के लिए अभी आवास का प्रबंध करना हो, जब देश के सामने ऐसा संकट भी हो कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी जमीन की व्यवस्था आज तक ठीक नहीं हो पाई हो, पानी का प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाया हो जब मजदूरों की संख्या अधिक बढ़ती गई हो, जब कि भारी संख्या में लोन लेकर पचाने वालों की संख्या में भी कमी न आई हो और हजारों करोड़ रुपया लोन लेकर उसका दुरुपोयग करने का काम किया हो, जब ऐसी स्थिति हो तथा साथ ही साथ भारत के वित्त मंत्री के सामने संसार का आर्थिक संकट और समृद्ध देशों की भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदियां भी हों, ऐसे समय में वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने का जब मौका आता हो, तब उनके सामने कितनी समस्याएं और किस ढंग की दिक्कत होगी इसे आसानी से समझा जा सकता है।

सभापति महोदय, जब यह वित्त बजट प्रस्तुत हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि में आर्थिक पाबंदियों की छाया भी बजट के साथ–साथ चलती आई है।

सभापति महोदय, जब भारत का यह वित्त बजट पेश हुआ, उसके पहले देश ने परमाणु परीक्षण करने का काम भी किया। उसके अलावा भी और कई ऐसी बातें हुई हैं आर्थिक पाबंदियां लगाने के बाद और मल्टी नैशनल का विश्वव्यापी स्वरूप होने के बाद, भारत का यह बजट पेश हुआ। इसलिए वित्त मंत्री के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों को आसानी से समझा जा सकता है।

सभापति जी, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि अभी इस देश में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो करोड़ों अरबों रुपये के बैंक के लोन पचाए बैठे हैं। मैं आंकड़े भी नहीं देना चाहता हूं कि अभी इस देश के ऊपर कितना ऋण है और देश के राजस्व से कितनी प्राप्ति हुई है। हालांकि इन सभी बातों पर विस्तार से कहने की आवश्यकता थी, लेकिन बोलने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है इसलिए मै इन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस वर्ष का प्रथम बजट है जो 'सिंहासनी भाषा' और 'सतही उपचार' से मुक्त होकर प्रस्तुत किया गया है। यह एक ऐसा बजट है जिसने भारत की समस्याओं को सही परिपेक्ष्य में पहचानने का किया है।

सभापति महोदय, मैं सिंहासनी भाषा से मुक्त और सतही उपचार वाला बजट जो कह रहा हूं, ऐसा कहने के मेरे अर्थ स्पष्ट हैं। सतही उपचार जब मैं कह रहा हूं, तो ऐसा कहने के पीछे इस देश की आजादी के इतने वर्षों की कहानियां छिपी हैं। इसलिए सतही उपचार का शब्द प्रयोग कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी ने सभापति महोदय कुछ चीजों को छूने का काम किया है। चूंकि भारत की समस्या और विश्व के समृद्ध देशों की समस्या एक नहीं है। आज अमरीका और यूरोपीय देशों के सामने जो सवाल हैं, वे सवाल भारत के लोगों के सामने नहीं हैं। समृद्ध देशों के लोगों के सामने आज यह सवाल है कि वे बेहतर जीवन कैसे जिएं, लेकिन भारत के लोगों के सामने सवाल यह है कि जिन्दगी को कैसे जिया जाए। इसलिए भारत का जो बजट होगा उसमें इस चीज को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाएगा और इस बजट में इसका पूरी तरह से उसका ध्यान रखा गया है।

महोदय, मैं अर्थशास्त्री नही हूं इसलिए मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं जितना अर्थशास्त्र जानता हूं उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि भारत में पूंजी कम है लोग ज्यादा हैं, जमीन कम है और काम करने वाले ज्यादा हैं। यहां वित्तीय प्रबन्धन सबसे अच्छा वही हो सकता है और सबसे अच्छा वित्त मंत्री वही हो

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सकता है जो भारत की बहुसंख्यक आबादी जो गांवो में रहती है, तो गावों की समस्या को दखनेका प्रयास करते, और वही देश का सबसे अच्छा वित्तमंत्री हो सकता हैं। मुझे कहना है कि वर्तमान वित्त मंत्री ने उस चीज को देखने का प्रयास किया है कि भारत के गांव कहा हैं। मैं इस मायने में कह रहा हूं कि अब तक आजादी के बाद जितने भी बजट प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह एक सबसे अच्छा बजट इस वर्ष वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, फूड एंड प्रौसैसिंग पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वर्षों की अजादी के बाद भी हम कृषि में कहां खड़े हैं, महोदय, इस बारे में आप बेहतर जानते हैं भारत में यदि किसी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार की संभावनाएं हैं, तो वह क्षेत्र अभी तक केवल मात्र कृषि का क्षेत्र है। यदि एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का काम किया जाएगा, तो भारत का उत्थान हो सकता है अन्यथा ऐसा कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। हमारे देश में कृषि का क्षेत्र ही व्यापक है जहां बहुत रोजगार की संभावनाए हैं उसके अतिरिक्त हमें कोई और दूसरा ऐसा व्यापक क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है। कृषि को उन्नत करने की आवश्यकता है और उसके लिए दो काम किए जाने जरूरी हैं – कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का काम और दूसरा वित्तीय प्रबन्धन इस ढंग से करने की जरूरत है कि कृषि पर से बोझ घटता चला जाए।

कृषि को लाभकारी, वैज्ञानिक ओर आधुनिक स्वरूप देने का काम भारत के बजट में जब होगा तब भारत की समस्याओं का निदान हो सकेगा क्योंकि बोझ पड़ता जा रहा है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि आज भारत के ऊपर वैज्ञानिक दंग से सिंचाई, वैज्ञानिक ढंग से खेती के प्रयोग, वैज्ञानिक ढंग से मोड ऑफ प्रोडेक्शन की बात हो तो शायद एक क्रांति हो सकती है।

मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि भारत के वित्तमंत्री सदन में मौजूद हैं। अभी हम लोगों का उपज पैदा करने का जो तरीका है, ढंग है, वह पुराना तरीका ही है। पुराने तौर तरीकों से ही हम चलने का प्रयास करते हैं। कभी भूमि टैस्टिंग का काम, भूमि की जांच करने का काम बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय रतर पर करवाया जाये तो भारत की उपज को बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन स्वायत्त टैस्टिंग का काम बडे पैमाने पर नहीं हो रहा है, युद्ध स्तर पर नहीं हो रहा है। यदि सॉयल टैस्टिंग हो जाये तो किस भूमि पर कौन सी फसल ज्यादा हो सकती है और कारगर तरीके से उपजाई जा सकती है, वह पता चल सकता है इसलिए सॉयल टैस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ जमीन के प्रबधन का भी सवाल है। कितनी भूमि हमने सिंचित एरिया में बदलने का काम किया है और कितना पैसा गलत ढंग से बर्बाद हुआ है, उस सिस्टम को आज देखने की जरूरत है। आज बिहार में जितनी भूमि में सिचाई की बात की गई है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी सिंचित भूमि का दावा बिहार में किया गया है, क्या उतनी भूमि सिंचाई हो जाती है? चाहे पूर्णिया का इलाका हो चाहे भोजपुर रोहतास का इलाका। जितनी भूमि सिंचित दिखाई गई है कि क्या वह सिंचित भूमि है, क्या उतनी भूमि में फसल ली जा सकती है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बिहार की नौ सिंचाई परियोजनायें ये रोके हुए हैं इसलिए आप उनको बोलिये।

श्री वशिष्ट नारायण सिंह : आप थोडा सा ध्यान दीजिए कि जितने उच्च स्वर में आप कह रहे हैं, जब आप पटना की धरती पर उतरें तो उतने ही उच्च स्वर में वहां भी इस मामले को रखें यह मेरी आपसे मीनिमम अपेक्षा है। जहां तक सिंचाई की बडी योजनाओं की बात है, वे पूरी तरह से सफल नहीं हुई हैं। मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था की जाए। लघु सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए तब सिंचाई की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो सकती है और भारत की उपज भी बढ सकती है आज बिहार में जितनी खाद की खपत होती है, उससे दुगुनी खाद की खपत उत्तर प्रदेश में हो रही है, हरियाणा और पंजाब की बात तो छोड दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : खाद के कारखानों को यह पैसा नहीं दे रहे हैं।

श्री वशिष्ट नारायण सिंह : खाद के कारखानों की बात आपने सही उठाई है। श्री यशवंत सिंहा जी से मैं जरूर कहूंगा, इससे रघुवंश प्रसाद जी भी खुश हो जायेंगे, कि कहीं उदार बनने के चक्कर में और भारत की वित्तीय स्थिति को देखने में कहीं आप अपने राज्य के प्रति अनुदार न हो जायें, इसका ख्याल बराबर करते रहें, यह मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा क्योकि सिंदरी, बरौनी की हालत खराब हो गई.....*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सिंदरी को इन्होंने रोक रखा है।

श्री वशिष्ट नारायण सिंह : सिंदरी के बारे में मैंने अभी कहा है। आप जरा थोडा सा एटेंटिव रहिये। अगर मैं कोई बात भूल जाऊं तो उसे आप याद दिला दीजिए। ... *(व्यवधान)* मुझे एक बात कहनी है कि सिंचाई व्यवस्था को ऐसे राज्यों में दुरस्त करने की जरूरत है जो राज्य भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होने के बाद सिंचाई की असुविधा के कारण उतनी पैदावार नहीं दे पा रहे हैं जैसी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि। आज इस ढंग की नीति बनानी पड़ेगी कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्य हैं, उनके लिए विशेष योजना बनानी चाहिए और जो समृद्ध राज्य हैं, उनके लिए अलग योजना हो तभी भारत का सम्पूर्ण विकास हो सकता है।

वित्त मंत्री जी के लिए यह बड़ी चुनौती है कि जो राज्य पिछड़े हैं, उनके लिए खास नीति अपनाई जाए। इस देश में अब वक्त आ गया है कि खर्च पर सीमा लगाने की बात बड़े पैमाने पर चलाई जाए। जब तक खर्च पर सीमा नहीं लगेगी, तब तक इस देश की समस्या का निदान नहीं हो सकता। दाम का सवाल मैंने राष्ट्रपति

(श्री वशिष्ट नारायण सिंह)

के अभिभाषण के दिन उठाया था मैंने उस दिन कहा था और आज भी कह रहा हूं, कि चाहे कारखानें का माल हो या कृषि का माल हो, एक समान नीति अपनाई जाए, मूल्य में असमान अंतर नही हो तभी इस देश में सुधार हो सकते है। आज हमें ऐसी स्थिति पर विचार करने की जरूरत है।

कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे मितव्ययिता की बात, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री ने उसे उठाया है, चूंकि वित्त मंत्री जी ने राजकोषीय और राजस्व घाटे की बात कही है, यह केवल भारत के वित्त मंत्री के प्रयास से ही संभव नहीं है, इसके लिए नीति बन सकती है, इसमें राज्यों भी सहयोग करना पड़ेगा और जब तक राज्यो सहयोग नहीं करेंगे तब तक इसका निपटारा नहीं हो सकता। चाहे राज्य स्तर पर हो या केन्द्र स्तर पर हो, व्यवस्थागत खर्च बहुत बढता चला गया है। देश को बचाने के लिए इन सवालों पर सभी ओर से गंभीरता से विचार होना चाहिए तभी देश संभल सकता है और देश को बचाया जा सकता है।

आज बेरोजगारी सबसे बड़ा सकट है। बेरोजगारों के लिए जो नीतियां अपनाई गई हैं, उससे और ज्यादा कठोर नीति अपनानी पडेगी क्योकि अब भारत के वित्त मंत्री के सामने सवाल उपस्थित होगा कि जिन्होंने ऋण लिया है, उनसे वसूली कैसे की जाये। सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जो बेरोजगारों के लिए नीति बनी है, उसके कार्यान्वयन का सवाल है। हम आज वित्त मत्री जी के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते है, और वह इसकी फीजीबिलिटी पर अवश्य विचार करने की कोशिश करेंगे कि आप हर राज्य में सौ ऐसे स्थान चुनें जहां उन स्थानों को प्रतीक माना जाए, जहां रोड का विकास, बेरोजगारी निवारण, पानी के प्रबंधन का विकास पूर्ण रूप से हो समग्र विकास की योजना बने आपको सहायता के लिए राज्य सरकारों की जरुरत पड़ेगी, शायद वे सौ प्रतीक स्थान उस राज्य के विकास के लिए कडी का काम करेंगे, एक आदर्श स्थापित करने का काम करेंगे। इस पर आप विचार करेंगे, यह मेरा आग्रह और निवेदन है।

समापति महोदय, आपकी घंटी बज रही है और मैं समझता हूं कि अब मुझे ज्यादा देर न करके अपनी बात समाप्त करने की तरफ बढना चाहिए। अभी मुल्क जिस हालत में है, भ्रष्टाचार एक बड़ा सवाल बन गया है। भ्रष्टाचार से लडने के लिए राज्य और केन्द्र स्तर पर सहमति बननी चाहिए। नहीं बनेगी और जो लोग आर्थिक मामलों के अपराधी हैं, जब तक उनको जेलों में नहीं डाला जाएगा तब तक देश की व्यवस्था में सुधार नहीं लाया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक और कठोर कदम उठाने की जरूरत है तभी देश सुधर सकता है क्योंकि देश ऋण में डूब गया है।

मैं चाहूंगा कि भारत के वत्त मंत्री जी लघु उद्योगों के विस्तार के तरफ जरूर ध्यान दें। यदि आप एक बड़ा उद्योग खडा करेंगे, उसमें आपको जितना रोजगार मिल सकता है। माना कि दस व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, यदि उतने ही पैसे से आप मध्यम श्रेणी के लिए उद्योग खड़ा करेंगे तो 30 प्रतिशत अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है और उतना ही पैसा यदि लघु उद्योग इकाइयों में लगायेंगे तो 90 प्रतिशत ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब नीतियों में परिवर्तन करने की जरूरत है कि लघु उद्योगों का विस्तार किया जाए। अब नीतियों में परिवर्तन की जरूरत है कि मध्यम उद्योग का भी विस्तार किया जाए।

रात्रि 8.00 बजे

अब जरूरत है गांव-गांव की बिजली की व्यवस्था को और दुरूस्त किया जाये। आजकल तो लगता है कि बिजली की विभाग की परिभाषा बदल गई है। मैं कमेटी में हूं, मैंने पूछा कि बिहार के कितने गांवो में विद्युतीकरण किया गया है तो जो जवाब आया, उससे वास्तव में हजारों गांवों में विद्युतीकरण रिपोर्ट आ गई और यदि कहा जाए कि यह भी एक बड़ा स्कैंडल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विचित्र तर्क दिया गया। व्यापक है कि गांव में अभी केवल पोल गडा है और विद्युतीकरण की रिपोर्ट दे दी गई है। बिहार से जो रिपोर्ट आई है वह आश्चर्यजनक है। यदि आज गांवों का पता लगाया जाये तो हजारों गांव ऐसे हैं, जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह एक बहुत बडा स्कैंडल है कि हजारों गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ लेकिन दावा कर दिया गया है उतने गांवों में वह पैसा कहां गया? यह तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। बिजली और रोजगार एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि छोटे रोजगार को बढ़ावा देने का काम किया जाये, जिससे रोजगार चाहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके, यदि ऐसा हुआ तो हिंसात्मक गतिविधियां, जो देश के पैमाने पर और राज्यों के स्तर पर फैल रही हैं, उसका और विस्तार होगा उसमें रोजगार के अभाव में घूमने वाले नौजवानों की भी बड़ी संख्या है।

अन्त में एक सवाल की तरफ में आपका ध्यान आकृष्ट करके और भारत के वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करके अपनी बात समाप्त करूंगा, वह प्रवासी मजदूरों का सवाल है। मुझे लगता है कि बजट में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर विचार .....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब रात के आठ बज गए है। अनेक माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं क्या सभा की राय सभा के समय को 8.00 बजे से आगे बढ़ाने की है?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री के. बापीराजू (नरसापुर) : हम आठ बजे तक बैठने के लिए सहमत है। सभा स्थगित की जायेगी। हम कल चर्चा जारी रखेंगें।

श्री चेतन चौहान : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दिया जाय फिर सभा स्थगित की जाए।

सभापति महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री वशिष्ट नारायण सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के ऊपर इसीलिए बात करना चाहता हूं कि दिल्ली में एक न्यूज आई है कि बिहारी लोग आये और उस संख्या के चलते यहां गंदगी बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली, बिहार चाहे भारत के अन्य प्रदेशों से गरीबों से घिरता जा रहा है, यदि उन राज्यों में रोजगार के अवसर रहते तो दिल्ली में आने वाले लोगों की संख्या इस अनुपात में नहीं बढती, इसलिए इस सवाल पर उनके कल्याणकारी कदम उनके पक्ष में उठाने के लिए, उनको कानूनी संरक्षण देने के लिए और उनको नये ढंग से राहत पहुंचाने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उन लोगों को लगे कि हमारे प्रोटैक्शन में भी भारत का लॉ खड़ा है, हम निराश्रित नहीं हैं, हमारी रक्षा होगी। बस इतनी ही बात कहकर इस बजट के समर्थन में अपनी बात रखकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया : हम आठ बजे तक बैठने के लिए सहमत हुए थे। किन्तु हमें चर्चा जारी रखनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : आप हमारा नाम पुकार दें हम कल शुरू कर देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब मैंने सभा का समय बढ़ाने के लिए सभा की राय जानने के लिए कहा तो कोई भी सहमत नहीं हुआ। यदि माननीय सदस्य आठ बजे के बाद भी बैठना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम एक घंटा और चर्चा जारी रख सकते हैं.... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब सभा 16 मार्च, 1999 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.09 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मंगलवार, 16 मार्च, 1999/25 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।